10 January, 1991

नवम माला, खंड 13, अंक 9

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 10 जनवरी, 1991/ 20 पौष, 1912 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
67	नीचे से पंक्ति 4	"श्री एड्डआर्डो फैलीरो" के स्थान पर "श्री एडुआर्डो फैलीरो" पढ़िये ।
71	2	"श्रीमती गाथो मुखर्जी" के स्थान पर "श्रीमती गीता मुखर्जी" पढ़िये ।
100	नीचे से पंक्ति 4	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
113	12, 16	शीर्षक में "अल्पविधि" के स्थान पर "अल्पावधि" पढ़िये ।
126	4	"श्री विरंची लाल शर्मा" के स्थान पर "श्री विरंजी लाल शर्मा" पढ़िये ।
168	नीचे से पंक्ति 7	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।
170	17	"(क)" के स्थान पर "(क) और (ख)" पढ़िये ।
190	14	"श्री कोडिक्कुनील सुरेश" के स्थान पर "श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील" पढ़िये ।
196	15	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
199	नीचे से पंक्ति 13	मंत्री जी के नाम के पश्चात् "(क)" पढ़िये ।
271	नीचे से पंक्ति 3	"स्वीकृति" के स्थान पर "स्वीकृत" पढ़िये ।
311	11	"श्री जशवन्त सिंह" के स्थान पर "श्री यशवन्त सिंह" पढ़िये ।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
326	15	शीर्षक में "स्थापदा" के स्थान पर "स्थापना" पढ़िये ।
344	15	प्रश्न संख्या "1246" के स्थान पर "1249" पढ़िये ।
353	12	शीर्षक में "नाएालैंड" के स्थान पर "नागालैंड" पढ़िये ।
357	8	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
360	4	शीर्षक में "कर्मवातियों" के स्थान पर "कर्मवारियों" पढ़िये ।
372	नीचे से पंक्ति 10	"(घ)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
386	16	प्रश्न संख्या "13 !" के स्थान पर "1301" पढ़िये ।
396	13	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
412	नीचे से पंक्ति 8	शीर्षक में "व्यम" के स्थान पर "व्यय" पढ़िये ।
424	नीचे से पंक्ति 6	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये "(घ)" पढ़िये ।
429	नीचे से पंक्ति 4	"1757" के स्थान पर "1357" पढ़िये ।
431	7	एल.टी संख्या "7178/91" के स्थान पर "2178/91" पढ़िये ।
	21	एल.टी संख्या "1279/91" के स्थान पर "2179/91" पढ़िये ।
465	18	"श्री तेज नाराअण सिंह" के स्थान पर "श्री तेज नारायण सिंह" पढ़िये ।
477	16	"श्री सोमनाथ छटर्जी" के स्थान पर "श्री सोमनाथ चटर्जी" पढ़िये ।

भवन माला, खंड 13, छठा सत्र, 1990-91/1912 (शक)

अं. 9, गुरुवार, 10 जनवरी, 1991/20 पौष, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 61 से 64	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	19—212
तारांकित प्रश्न संख्या : 65 से 80	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 694 से 763, 765 से 851, 853 से 856 और 858 से 923	
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	212
सभा पटल पर रखे गए पत्र	212—233
राज्य सभा से संदेश	234
प्राक्कलन समिति	234
बारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही—सारांश-प्रस्तुत	
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	234
नौवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही—सारांश-प्रस्तुत	
रेल अभिसमय समिति	234
दूसरा प्रतिवेदन-प्रस्तुत	
याचिका समिति	235
कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	
भारतीय खाद्य निगम में श्रमिक ठेका प्रणाली के उन्मूलन तथा बिहार उड़ीसा आदि में पल्लेदारों को पत्तनों और पत्तन वाले नगरों में पल्लेदारों के बराबर मजदूरी देने के बारे में याचिका	235
वाणिज्य मन्त्री तथा वित्त और न्याय मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा कराधान के बारे में "फाइनेंशियल टाइम्स, लंदन" को दिए गये साक्षात्कार के समाचार के बारे में	236—244

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति तथा "उल्फा" और "लिट्टे" के बीच सम्बन्ध के समाचार के बारे में	244—263
मन्त्री द्वारा वक्तव्य	263—264
हाल में किया गया अफगानिस्तान का दौरा श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	265—268
इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड सहित दवा बनाने वाली एक सौ साठ प्रसिद्ध फर्मों का अनुमोदित सूची से पंजीयन रद्द करना	
श्री शरद यादव	265—268
श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी	268—269
नियम 377 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	269—270
अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) — 1987-88	270—271
अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल) — 1987-88	271
विधेयक पुरःस्थापित	271
शिशु दुग्ध खाद्य, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक	271
नियम 377 के अधीन मामले	272—276
(एक) आन्ध्र प्रदेश में अमोनिया/यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाने की मांग श्रीमती उमा गजपति राजू	272
(दो) लघु कपास तेल निष्कर्षण संयंत्रों को लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दिए जाने की मांग श्री पी० नरसा रेड्डी	272
(तीन) गंजम जिले में बाढ़ से हुई क्षति को पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार को अधिक केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की मांग श्री गोपीनाथ गजपति	272—273
(चार) राजस्थान के विभिन्न भागों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए पीपल्दा, पिपलेट और इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने की मांग डा० किरोड़ी लाल मीणा	273

(पांच) उत्तरी बिहार के सहरसा जिले को वायुयान सेवा से जोड़े जाने की मांग

श्री सूर्य नारायण यादव 273—274

(छः) बिहार के गन्ना उत्पादकों के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की मांग

श्री राज मंगल मिश्र 274

(सात) राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर और नागौर के ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे फाटकों का निर्माण किए जाने की मांग

श्री शोपत सिंह मक्कासर 274

(आठ) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में नागोथाने स्थित महाराष्ट्र गैस क्रैकार्स कान्प्लैक्स में हुई आग दुर्घटना की न्यायिक जांच कराने और प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग

श्री मोरेश्वर साबे 274—275

(नौ) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में फरीदपुर से वायुयान सेवा आरंभ किए जाने की मांग

श्री राजवीर सिंह 275

(दस) महाराष्ट्र के नासिक जिले से अंगूरों की ढुलाई के लिए अधिक वैगन उपलब्ध कराए जाने की मांग

श्री हरि शंकर महाले 275

(ग्यारह) जगदीशपुर में पावर ग्रिड के निर्माण के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

श्री तेज नारायण सिंह 276

(बारह) "एक रैंक एक पेंशन" योजना तुरन्त शुरू किए जाने की मांग

प्रो० प्रेम कुमार धूमल 276

वित्त (दूसरा संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प 276—310

और

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री गिरधारी लाल भार्गव 276—278

श्री यशवन्त सिन्हा 279—282

श्री राघवजी 282—284

डा० देवी प्रसाद पाल 284—288

श्री कृपाल सिंह 288—289

विषय	पृष्ठ

श्री सुशान्त चक्रवर्ती	289—291
श्री एम० एम० पल्लम राजू	291—292
श्री योगेन्द्र झा	293—294
श्री जगपाल सिंह	294—295
श्री दाऊ दयाल जोशी	295—296
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	295—297
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक	297—310
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	297—310
असम राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उद्घोषणा का अनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	310—372
और	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (असम), 1990-91	
श्री कमल मोरारका	311
श्री जसवन्त सिंह	311—327
श्री संतोष मोहन देव	327—336
डा० वेंकटेश काबडे	336—339
डा० विप्लव दास गुप्ता	339—344
श्री लोकनाथ चौधरी	343—346
श्री राम कृष्ण यादव	336—347
श्री चित्त बसु	347—350
प्रो० मिजिनलंग कामसन	350—353
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा	353—354
प्रो० एम० तोम्बी सिंह	354—356
श्री सी० श्रीनिवासन	356—358
श्री शिकिहो सेमा	358—360
श्री ए० के० राय	361—363
श्री पीटर जी० मरबनियांग	363—372
उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा	372
दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति द्वारा सभा की अवमानना किए जाने के बारे में प्रस्ताव	373
उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा	373—374
दर्शक दीर्घा से सभा में छलांग लगाने वाले व्यक्तियों के बारे में	

विषय	पृष्ठ
असम विनियोग विधेयक	374—3
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	3
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवंत सिन्हा	374—3
श्री संतोष मोहन देव	3
श्री चन्द्र शेखर	375—3
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवंत सिन्हा	3
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)	377—3
श्री गुलाब चन्द कटारिया	379—3
श्री जनार्दन पुजारी	381—3
डा० सुधीर राय	385—3
श्री यशवंत सिन्हा	3
विनियोग विधेयक	386—3
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवंत सिन्हा	3
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवंत सिन्हा	3
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवंत सिन्हा	38
जम्मू-कश्मीर दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन (संशोधनकारी) विधेयक	387—41
और	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	388—3
श्री यशवंत सिन्हा	391—3
श्री धर्म पाल शर्मा	394—3

विषय		पृष्ठ
	श्रीमती सुभाषिनी अली	399—402
	प्रो० प्रेम कुमार धूमल	402—404
	डा० वेंकटेश कांबेड़	404—405
	प्रो० सैफुद्दीन सोज	405—410
	श्री चन्द्र शेखर	410—417
खंडवार विचार		
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री यशवंत सिन्हा	417—418
जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक		418—420
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री यशवंत सिन्हा	
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री यशवन्त सिन्हा	418—419
	श्री धर्म पाल शर्मा	419—420
खंडवार विचार		
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री यशवन्त सिन्हा	420—421
संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक		421—423
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री सत्य प्रकाश मालवीय	421—423
खंडवार विचार		
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री सत्य प्रकाश मालवीय	421—423

लोक सभा

गुरुवार, 10 जनवरी, 1991/20 पौष, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय अधिकारों का प्रश्न उठाना चाहता हूं, सुरक्षा से सम्बन्धित प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं, आप बैठ जाइए । 12 बजे के बाद उठाने दूंगा ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

[अनुवाद]

*61. **श्री राम सागर (सैदपुर) :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जून, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ए नाइटमेयर फार रेल पैसेंजर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को हो रही कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है; और

(ख) यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

[हिन्दी]

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त यात्री सुविधाएं तथा सेवाएं मौजूद हैं। समाचार-पत्र की रिपोर्ट उस अवधि की है जब यात्री यातायात की अत्यधिक भीड़-भाड़ थी और यात्री सेवाओं तथा सुविधाओं पर भारी दबाव था और संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग हो रहा था । बार-बार निरीक्षण, सेवाओं तथा सुविधाओं का समुचित अनुरक्षण, पाई गई कमियों को ठीक करने और असामाजिक तत्वों के कार्यकलापों को रोकने आदि जैसे विभिन्न उपायों को तेज कर दिया गया है।

श्री राम सागर (सैदपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि

दिनांक 8 जून, 1990 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जो असुविधा हुई, जिसकी तरफ "हिन्दुस्तान टाइम्स" ने अपने समाचार-पत्र में समाचार प्रकाशित किया था, उन असुविधाओं को पैदा करने में कहीं असामाजिक तत्वों का हाथ तो नहीं था, यदि था तो उसका विवरण क्या है।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश के सबसे अच्छे स्टेशनों में माना जाता है। जिन दिनों के बारे में समाचार छपा था, उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां होने के कारण यात्रियों की तादाद हर साल बढ़ती है, उन दिनों भी बढ़ी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, आगे इस तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए सारे उपाय कर दिए गए हैं और अब स्थिति ठीक है।

श्री राम सागर (सैंदपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न बड़े स्टेशनों जैसे वाराणसी, मुगलसराय, मुम्बई वी० टी०, दादर आदि पर यात्रियों के लिए असुविधाएं पैदा की जाती हैं। रिजर्व स्थानों पर वहां के असामाजिक तत्व या स्टेशन पर काम करने वाले कुली आदि आकर बैठ जाते हैं और यात्रियों से कुछ लेकर ही उनको बैठने दिया जाता है। संसद-सदस्यों के सामने भी कई बार समस्या आती है, जब हम लोगों का आरक्षण होता है। ए० सी० में जब आरक्षण होता है और वहां पर बैठते हैं तो पता लगता है कि यहां पर बोगी लगी ही नहीं। इससे हमको और कई संसद सदस्यों को विशेष असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ए० सी० सैकण्ड स्लीपर में रिजरवेशन कराने से स्थान सबको मिल जाता है। जाड़े का समय है और "आल आफ ए सडन" हम लोगों को यह पता लगता है कि ए० सी० बोगी लगी ही नहीं और बिस्तर भी हम नहीं ले जाते हैं तो विशेष असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों द्वारा असुविधाएं पैदा की जाती हैं। हम लोगों के लिए आरक्षण किया जाता है अचानक बोगी को बदला जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाए।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सवाल तो केवल नयी दिल्ली स्टेशन के बारे में है जो समाचार पत्र में छपा है।...(व्यवधान) इस तरह की जो भी शिकायत आयी, उसको दूर करने का प्रयास किया।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं और यह पूछना चाहता हूं कि जबसे जनता दल सरकार आई और उसके बाद जनता दल "एस" की सरकार आई है तो नयी दिल्ली स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए क्या सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। चूंकि यह मामला दिल्ली और नयी दिल्ली का है और दिल्ली में यातायात में बहुत असुविधायें बढ़ रही हैं। नयी दिल्ली में टयूब रेल कब से शुरू होगी जिससे यहां के यात्रियों को वह सुविधा उपलब्ध हो सके।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में यात्री कई जिलों से आते हैं। उनकी सुविधाओं के लिए 12 ट्रेन चलाई गई और प्रयास यह है कि स्टेशन पर जो यात्री आते हैं उनको असुविधा न हो। विशेषकर जो जरायम पेशा या यात्री सुविधाओं में कमियों के जो केस होते हैं तो उसके लिए दो टास्क फोर्स बनाए गए हैं जो रक्षा करने सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही करते है।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि जबसे यह सरकार बदली है और जनता दल "एस" की सरकार आई है तबसे अब तक यात्रियों को रेलवे की क्या सुविधाएं बढ़ाई हैं। दूसरा यह था कि दिल्ली की टयूब रेल कबसे स्टार्ट होगी।...(व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र : हमने बताया कि पिछले दिनों बारह गाड़ियां बढ़ाई गई और दो टास्क

फोर्स बनाए गए हैं ताकि रेलवे स्टेशनों पर जरायम अथवा यात्री सुविधाएं सम्बन्धी गड़बड़ी जो होती है, उनकी जांच करते रहे जिससे यात्रियों को सुविधा रहे।"...(व्यवधान)

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि गर्मी के दिनों में ज्यादा पेसेन्जर आए तो इसके लिए तकलीफ हुई। गर्मी के दिन तो हर साल आते रहते हैं। उत्तर में यह लिखा है—

[अनुवाद]

"पाई गई कमियों को ठीक करने और असामाजिक तत्वों के कार्यकलापों को रोकने आदि जैसे विभिन्न उपायों को तेज कर दिया गया है।"

[हिन्दी]

समय-समय पर ऐसा करते समय कहा है। कौन सी डेफीशियेन्सी आपके ध्यान में आई है और वह दूर करने के लिए कौन से प्रयास किए गए।

श्री अनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, गर्मी के उन दिनों में रेलवे पर काम करने वाली पुलिस थी उसका ध्यान विशेषकर के आतंकवादियों की तरफ चला गया था। उसके एक साल पहले गल्लू-धारा के दौरान एक बम विस्फोट नयी दिल्ली स्टेशन पर हुआ था, इस नाते रेलवे विभाग की तरफ से जरायम पेशा लोगों पर बन्दिश कम हुई है। इसका प्रयास किया जायेगा कि फोर्स को बढ़ाया जाए।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछली 2 जनवरी को लखनऊ रेलवे स्टेशन पर आरक्षण कराते समय तक माननीय संसद् सदस्य के साथ...

अध्यक्ष महोदय : आप संसद् सदस्य के बारे में कह रहे हैं, इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

श्री राजवीर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन संसद् सदस्य ने माननीय मंत्री को पत्र लिखकर भेजा है। मंत्री जी ने अभी तक उसपर क्या कार्रवाई की है?

श्री अनेश्वर मिश्र : हालांकि इस प्रश्न से यह उत्पन्न नहीं होता है फिर भी हमको यह रिपोर्ट मिली है और सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ : महोदय, रेल विभाग के यात्रियों को यथासम्भव सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। हमने यह भी पाया है कि उन्होंने कुछ स्टेशनों का आधुनिकीकरण भी किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जनजातीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रेलवे क्या कर रही है। मैं विशेषरूप से इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनेश्वर मिश्र : इसके लिए अलग से सूचना की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु। आप प्रश्न को देखकर पूछिये।

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु : महोदय, हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में विशेष रूप से चिन्तित हैं। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ऐसी ही सुविधायें अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी मुहैया कराई जानी चाहिए। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में एक प्रश्न पूछ रहा हूं। जब हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और टैक्सी स्टैंड या आटो स्टैंड पर जाते हैं, तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब सदस्यों को ऐसी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तो यह समझ सकते हैं कि आम लोग जब टैक्सी अथवा आटो लेने जाते होंगे, तो उन्हें कितनी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता होगा। पूर्वप्रदत्त किराये वाली टैक्सी और आटो सेवा शुरू की गई थी, जो अब भी चल रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह देखने को मिला है कि उनका भाड़ा बहुत अधिक है। जब भी मैं अपने निवास स्थान बाबा खड़क सिंह मार्ग से नई दिल्ली स्टेशन आटो से जाता हूं तो वे सात रुपये भाड़ा मांगते हैं, लेकिन जब कभी मैं पूर्वप्रदत्त भाड़ा वाले स्टैंड से आटो लेता हूं, तो आपने निवास स्थान तक आने के लिए मुझे 20 या 21 रुपये देने होते हैं, जोकि उससे तीन गुना है। उन यात्रियों और संसद सदस्यों की, जो नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हैं अथवा वहां जाते हैं, कठिनाईयों को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय किसी सरकारी अधिकारी, रेलवे अधिकारी अथवा किसी एजेंसी को इस बात पर निगाह रखने के लिए तैनात करेंगे कि आम लोगों तथा संसद सदस्यों को अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उचित भाड़ा देना पड़े।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जो दिक्कतें हैं, उसको मैं महसूस कर रहा हूं और उनकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया है। लेकिन रेल से उतरने के बाद टैक्सी और आटो की जिम्मेदारी रेल विभाग की नहीं है फिर भी दिल्ली प्रशासन से सम्पर्क करेंगे कि यात्रियो को असुविधा न हो। (व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै : महोदय, जब विमानपत्तन अधिकारी यात्रियों को पूर्वप्रदत्त भाड़ा वाली टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने में सहायता देते हैं, तो रेलवे विभाग यात्रियों को ऐसी सहायता क्यों नहीं दे सकता ?···(व्यवधान) रेलवे अधिकारी इस सम्बन्ध में कुछ कर सकते हैं। मंत्री महोदय हमेशा उत्तरदायित्व से बचना क्यों चाहते हैं ?···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तम्बि दुरै, मंत्री जी ने कहा है कि वे इस मामले पर ध्यान देंगे और समुचित व्यवस्था करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : यह एक महत्वपूर्ण सुविधा है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उनका उत्तर ठीक है। लेकिन वह ऐसा कब करेंगे ?···(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : मेरे विचार से पूरा सदन इस बात पर सहमत है कि रेल मंत्री को कोई सकारात्मक कदम उठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्रियों को नई दिल्ली स्टेशन पर परेशान न किया जाए। यह रेल मंत्री का कर्त्तव्य है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने कहा है कि वह इस पर ध्यान देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसी मांग है जिसका सम्बन्ध केवल सदस्यों से ही नहीं बल्कि जनता से भी है। मंत्रीजी इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : रेल मंत्री इस मुद्दे पर चुप नहीं रह सकते। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृष्ण यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी समाजवादी विचारधारा के पोषक हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि बिना रिजर्वेशन के गाड़ियों में यात्रा करने वाले हमारी माताएं और बहनें या डिसेबल्ड आदमी जो हैं, उनको बिना रिजर्वेशन के लाभ दिया जाएगा कि कम से कम एक सीट बैठने को उनको मिल सके ? आने वाले जमाने में क्या मंत्री महोदय की तरफ से यह आश्वासन दिया जाएगा कि बिना रिजर्वेशन के औरतों को या बूढ़ों को या बच्चों को बैठने की सीट मिलेगी, या इसके लिए कोई व्यवस्था की जाएगी ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष जी हमारा प्रयास है कि सब लोगों को सुविधा दी जाए। लेकिन अब यह देखा जाता है कि जो मजबूत शरीर का आदमी होता है वह कमजोर लोगों को बैठने नहीं देता और उसके बारे में कोई इन्तजाम करना मुश्किल है।

श्री आनन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अनेक सुझाव मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। 10-15 साल से मैं देख रहा हूं कि ट्रेन जो लखनऊ से दिल्ली आती है, तिलक ब्रिज पर किसी न किसी कारण से एक मिनट को रुक जाती है। चाहे चेन पुलिंग हो जाती है या जान के रोक दी जाती है। मेरा सुझाव यह है कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि तिलक ब्रिज को भी एक स्टेशन बना दिया जाए, उसे दिल्ली में आने वाली ट्रेनों का स्टापेज बना दिया जाए। इससे लोगों को सुविधा होगी और नई दिल्ली पर अधिक भीड़ भी नहीं होगी। इससे हम लोग जो साऊथ दिल्ली में रहते हैं उनको भी टैक्सी वगैरह सहूलियत से मिल जाएगी, वैसे तिलक ब्रिज भी उतनी ही दूर है जितनी नई दिल्ली है। और जब ट्रेन लेट होने लगती है तो जितना लेट वह तिलक ब्रिज तक आने में होती है, करीब-करीब उतनी ही लेट वह दूसरी ही ट्रेनों को नई दिल्ली तक आने में करती है। इसलिए अगर तिलक ब्रिज पर भी एक स्टापेज कर दें तो उससे ज्यादा सुविधा हो जाएगी और यात्री वहीं उतर सकेंगे। (व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र : यह एक बहुत अच्छा सुझाव है।

प्रो० महादेव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है कि यह जो नई दिल्ली स्टेशन पर पैसेंजर उतरते हैं तो वहां प्री-पेड टैक्सी और आटोरिक्शा वाले प्रायः अधिक दाम लेते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह हो चुका है।

प्रो० महादेव शिवनकर : उसका जवाब बराबर नहीं है। मेरा एक सवाल है कि प्री-पेड टैक्सी और आटोरिक्शा से यात्रियों को ज्यादा सुविधा नहीं हुई है। उसके कारण वहां अभी तक टैक्सी या आटोरिक्शा ठीक दाम पर नहीं मिलती। क्या रेलवे प्रशासन इसके बारे में कोई ध्यान देगा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया कि वह रेलवे का काम नहीं है।

प्रो० महादेव शिवनकर : मगर रेलवे के सम्बन्ध में सारी सुविधायें उत्पन्न करना रेलवे का काम है। (व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार-बार इस बात पर दबाव डाल रहे हैं कि रेल से उतरने के बाद उनको गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए भी रेलवे विभाग ही जिम्मेवार हो, लेकिन यह सम्भव नहीं है। यह सही है कि रेलवे स्टेशन पर जो टैक्सी और आटो स्टैंड होते हैं उन को संचालित करने के लिए सुचारु व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए दिल्ली प्रशासन से सम्पर्क करना पड़ेगा।

श्री तेज नारायण सिंह : अध्यक्ष जी, दिल्ली से हावड़ा के लिए डीलक्स ट्रेन चलती है और सुनने में आया है कि 24 तारीख से सरकार के द्वारा उसे बक्सर और पटना जाने से रोका जा रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस समय ये पटना गए थे उस वक्त उन्होंने बयान दिया था कि डीलक्स ट्रेन को बक्सर से पटना होकर ही हावड़ा भेजा जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर उस ट्रेन को बन्द कर दिया जाता है, अगर उसको गया होकर भेजा जाता है तो उस इलाके की जनता में बहुत असंतोष होगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि डीलक्स ट्रेन को पटना से ही होकर भेजा जाए। (व्यवधान) मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि बक्सर स्टेशन के विकास के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया वह इससे सम्बद्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हां, वह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जनेश्वर मिश्र : लेकिन डीलक्स गाड़ी के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है, वह विचाराधीन है।

एकलाखी-बलूरघाट रेलवे लाइन (पू० रे०)

[अनुवाद]

*62. डा० गुलाम यजदानी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे पर एकलाखी से बलूरघाट तक नई रेल लाइन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस रेल लाइन की कुल लम्बाई कितनी है और इस पर प्रस्तावित रेलवे स्टेशन कितने हैं; और

(ग) इसके लिए प्रतिवर्ष बजट में कितना प्रावधान किया जाता है ?

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 3 प्रतिशत।

(ख) कुल लम्बाई 87.1। कि० मी० है और प्रस्तावित स्टेशनों की संख्या बारह है।

(ग) परियोजना पर वर्ष-वार खर्च इस प्रकार है :—

	(लाखों रुपए में)
1983-84	101.00
1984-85	185.50
1985-86	45.93
1986-87	11.05
1987-88	(—) 43.10
1988-89	0.01
1989-90	0.07
1990-91	0.01

[अनुवाद]

डा० गुलाम याजदानी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि जैसाकि आपको विदित होगा कि विभाजन के पश्चात् पश्चिमी दिनाजपुर जिले में रेलवे सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। अत: यह विचार किया गया कि पश्चिमी दिनाजपुर में रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिए तथा आठ वर्ष पूर्व इकलाखा से बलूरघाट तक की रेलवे लाइन का प्रस्ताव किया गया था। परन्तु आठ वर्ष के पश्चात् भी इसमें क्या प्रगति हुई है ? यहां तक कि दो कि० मी० तक भी रेलवे लाइन का निर्माण नहीं हुआ है। माननीय मन्त्री जी द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार केवल तीन प्रतिशत कार्य ही किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि आठ वर्ष बीत जाने पर भी दो किलो मीटर से भी कम रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है। पिछले तीन वर्षों में 87 कि० मी० लाइन की परियोजना पर प्रत्येक वर्ष केवल 1,000 रु० ही व्यय किए गए हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे इस 87 कि० मी० लाइन को कब तक बनवाने जा रहे हैं तथा इस पर कुल कितना व्यय आएगा। क्या वे इस वर्ष के बजट में इस प्रयोजनार्थ कुछ राशि और बढ़ाएंगे अथवा नहीं ?

[हिन्दी]

श्री अनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जब रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उस समय तो काफी धनराशि दी गयी थी लेकिन इधर बजटरी हालात की तंगी के कारण प्रोजेक्ट को चलाया तो जा रहा है लेकिन उसके लिए अभी तक नई धनराशि तभी दी जायेगी जब बजट में हम धनराशि देने की स्थिति मे होंगे।

[अनुवाद]

डा० गुलाम याजदानी : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि इस समय वहां काम चल रहा है अथवा नहीं और यदि वहां काम चल रहा है तो इस काम में कितने मजदूर लगे हुए हैं। दूसरे, इस रेलवे लाइन को राजगंज होते हुए गजोल से गुंजुरिया तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था। अब आपने उस प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा है ?

[हिन्दी]

श्री अनेश्वर मिश्र : इस समय इस लाइन पर कोई काम नहीं हो रहा है ।

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा : महोदय, जहां तक इस रेलवे लाइन का सम्बन्ध है, माननीय मन्त्री जी द्वारा इस सम्बन्ध में बनाई गई स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है । 87.11 कि० मी० रेलवे लाइन के निर्माण में आठ वर्ष पहले ही व्यतीत हो चुके हैं तथा उत्तर के भाग (क) के अनुसार केवल तीन प्रतिशत ही कार्य किया गया है । क्या यह प्रगति रेलवे प्रशासन की सुव्यवस्था को दर्शाती है ? यह रेलवे लाइन बलूरघाट को ओड़ती है जोकि एक उपमंडल है तथा वहां काफी आबादी है । यह बंगल देश की सीमा पर स्थित है तथा एक अत्यन्त संकरी सड़क को छोड़कर वहां अन्य कोई संचार-साधन नहीं है । अत: मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष के बजट में इस प्रयोजनार्थ कुल कितना आबंटन किया गया है अथवा जब रेलवे प्रशासन ने इस रेलवे लाइन के निर्माण की दिशा में विचार किया था उस समय इसकी कुल अनुमानित लागत कितनी थी तथा उसमें से अब तक कितना धन व्यय किया गया है । इस वर्ष 1990-91 में कितना धन व्यय किया जाएगा ताकि वहां कुछ काम आरम्भ किया जा सके । इस रेलवे लाइन के लिए किसानों से काफी भूमि ले ली गई है । हमसे मदद मांगी गई थी तथा हमने रेलवे प्रशासन की सहायता की थी ताकि वे अपनी भूमि दे दें । परन्तु उन गरीब किसानों को अभी तक उनकी क्षतिपूर्ति-राशि प्रदान नहीं की गई है । मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि उन निर्धन कृषकों को तथा उन व्यक्तियों को जिनकी जमीन ले ली गई है रेलवे कब तक क्षतिपूर्ति-राशि दे देगा ।

[हिन्दी]

श्री अनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इस प्रोजेक्ट के लिए 1983-84 में जो अनुमानित लागत मानी गयी थी, वह 36.38 करोड़ रुपये थी । और जहां तक उस प्रोजेक्ट पर अभी तक हुए खर्चे का सवाल है, वह करीब 3 करोड़ 4 लाख रुपया खर्च हुआ है । जैसा मैंने शुरू में कहा, हमारे पास संसाधनों की कमी है ।

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा : संसाधनों की कमी क्या केवल इसी लाइन के लिए है ?

अध्यक्ष महोदय : अजीत जी, आपको उत्तर मिल गया है ।

[हिन्दी]

श्री अनेश्वर मिश्र : संसाधनों की कमी के कारण इस प्रोजेक्ट के लिये केवल सांकेतिक एलोकेशन किया जा सका ।

श्री वसुदेव आचार्य : अध्यक्ष जी, हमारे प्रश्न का ठीक जवाब नहीं आ रहा है । हमारा जो मूल सवाल था वह एकलाखी बलूरघाट रेलवे लाइन के बारे में था । इसके साथ साथ तीन-चार रेलवे लाइनें और महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि तामलुक-दीघा रेलवे लाइन, बज बज-नामखाना रेलवे लाइन, हावड़ा-आमटा रेलवे लाइन । इसके साथ और महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है, बलूरघाट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिमी बंगाल के दीनाजपुर जिले का यह मुख्यालय है और यह रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है इसीलिए यह प्रोजक्ट सैंक्शन हुआ था और उस पर काम भी शुरू हुआ था । वर्ष 1983-84 में इस पर लगभग एक करोड़ एक लाख रुपया खर्च हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब 1990 तक इन लाइन

की कोई प्रोग्रेस नहीं हुयी है। इसलिए मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पहले इसका सर्वे हुआ और एस्टीमेट बना था वह प्राइस एस्केलेशन के कारण अब बेकार हो गया है, तो क्या इस प्रोजेक्ट को कम्पलीट करने की मंशा सरकार की है या नहीं और इस लाइन का नया एस्टीमेट बनाया है और क्या नया सर्वेक्षण करवाया गया है ? यदि सरकार इस लाइन को कम्पलीट करना चाहती है तो उसका शेड्यूल क्या है, कब तक यह कम्पलीट हो जायेगी ? इन सब बातों पर सम्पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी मन्त्री महोदय सदन को दें क्योंकि हमारा जो अनुभव मेट्रो रेल के सम्बन्ध में है उसके अनुसार उसका एस्टीमेट बहुत बढ़ गया है। इसलिये इस पर रिवाइज्ड एस्टीमेट के अनुसार कितना पैसा खर्च होगा, बतायें ?

श्री जगनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष जी, इस प्रोजेक्ट का रिव्यू हुआ है और मैंने शुरू में ही कहा है कि संसाधनों के मिलने पर इसको भी पूरा किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि माननीय मन्त्री महोदय ने कह दिया है कि रिसोर्सेस की तंगी है और जब संसाधन होंगे, तो इस प्रोजेक्ट को भी पूरा किया जाएगा इसलिये मैं यह देख रहा हूं कि कोई नयी इन्फर्मेशन नहीं आ रही है। अतः मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। नैक्स्ट प्रश्न श्री शंकर सिंह बघेला।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : महोदय, यदि आप इस आधार पर अगले प्रश्न को लेना चाह रहे हैं कि इन मन्त्री महोदय के पास संसाधनों की तंगी है तो हमें कोई प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि प्रत्येक मन्त्री यही कहता है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है।

अध्यक्ष महोदय : राव जी, नहीं, नहीं कोई भी नई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राव जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कोई नई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। अतएव मैं चाहता हूं कि अगला प्रश्न लिया जाए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अब अगला प्रश्न श्री बघेला पूछेंगे।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और पूर्ति

+

*63. **श्री शंकरसिंह बघेला** :

श्री हरीश पाल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की महीने-वार मांग और सप्लाई कितनी थी;

(ख) क्या खाड़ी संकट के बाद से पेट्रोलियम उत्पादों, विशेषरूप से पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है;

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं और उनके अब तक क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) इस सम्बन्ध में और क्या उपाय करने का विचार है; और

(ङ) क्या डीजल की कमी से कृषि संबंधी कार्यों और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और मूल्य पर प्रतिशत प्रभाव पड़ा, यदि हां, तो कितना ?

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जनवरी-नवम्बर, 1990 के दौरान देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति और मांग की माहवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) अगस्त, 1990 में शुरू हुए खाड़ी संकट ने चालू वर्ष में देश में सामना की जा रही कठिन परिस्थितियों को और बदतर बना दिया है । कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में खाड़ी संकट के बाद तीव्र वृद्धि हुई है जिससे घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इनकी अधिक मात्रा का आयात करना कठिन हो गया है ।

(ग) खाड़ी संकट के कारण इराक-कुवैत से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में अगस्त, 1990 से बाधा पड़ी थी । सरकार ने कच्चे तेल/उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए अन्य स्रोतों से प्रबन्ध किए हैं । सरकार ने 8 अक्तूबर, 1990 से देश भर में खुदरा बिक्री केन्द्र को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर प्रतिबन्ध लगाने का भी निर्णय लिया है । पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को सीमित करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए विभिन्न कदमों का पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि को नियन्त्रित करने में असर पड़ा है जो अप्रैल-नवम्बर, 1989 के दौरान 6.3 प्रतिशत खपत की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 1990 के दौरान 2.6 प्रतिशत रही है ।

(घ) खुदरा बिक्री केन्द्रों के जरिए एच० एस० डी० की आपूर्ति पर 10 प्रतिशत कटौती को 26 नवम्बर, 1990 से उठा लिया गया है और अब इसकी आपूर्ति गत वर्ष की उसी अवधि में की गई आपूर्ति के स्तर पर की जा रही है । आगे और किये जाने वाले उपायों में यह होगा कि प्रतिबन्ध या तो हटा लिए जाएंगे अथवा कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये जाएंगे जो पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति-मांग की स्थिति पर निर्भर करेंगे ।

(ङ) राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके कृषि क्षेत्र, कृषि आधारित उद्योग और कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए डीजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी गई है । कृषि और अन्य आर्थिक कार्यकलापों पर तेल संकट के प्रभाव को न्यूनतम करने के प्रयास रहे हैं ।

विवरण

जनवरी-नवम्बर, 1990 के दौरान पेट्रोल (एम०एस०) और डीजल (एच०एस०डी०) की आपूर्ति और मांग का ब्यौरा

(आकड़े हजार मी० टन में)

	एम०एस		एच०एस०डी०	
	मांग (वास्तविक बिक्री)	आपूर्ति (उत्पादन + आयात)	मांग (वास्तविक बिक्री)	आपूर्ति (उत्पादन + आयात)
जनवरी, 1990	305	259	1897	1884
फरवरी	295	289	1697	1619

मार्च	323	332	1867	1999
अप्रैल	292	269	1833	1651
मई	336	332	1918	1829
जून	317	334	1824	1890
जुलाई	292	332	1648	1700
अगस्त	308	296	1698	1645
सितम्बर	280	266	1492	1518
अक्तूबर	278	300	1628	1664
नवम्बर	279	317	1752	1657

नोट : (1) जून 1990 तक सम्पूर्ण मांग पूरी की गई जबकि जुलाई, 1990 से मांग को सीमित कर दिया है।

(2) दिये गए किसी भी माह में मांग और आपूर्ति के बीच का अन्तर वस्तु सूची के माह-दर-माह उतार-चढ़ाव में परिलक्षित होता है।

श्री शंकरसिंह वघेला : अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम प्रोडक्ट देश की इकोनोमी की रीढ़ की हड्डी होती है। कहीं पर जब संकट आता है, चाहे देश में आये या खाड़ी में संकट आये प्राइस राइज और राशनिंग के अलावा कोई रास्ता और आपने नहीं निकाला। गुरुपदस्वामी जब आपकी जगह थे तो उन्होंने किसानों को जिन्दा मार डालना चाहा, क्योंकि किसान घंटो डीजल के लिए लाइन में खड़े रहते थे। आम उपभोक्ता चाहे वह ट्रांसपोर्ट वाला हो या किसान हो उनको मारने का काम आप खाड़ी संकट के नाम पर प्राइस राइज करके करने जा रहे हैं। मैंने प्रश्न "ख" में पूछा था कि क्या खाड़ी संकट के बाद से पेट्रोलियम उत्पादों विशेषरूप से पेट्रोल और डीजल की देश में कमी हो गई है ? क्या आप सिर्फ मोनोपली के हिसाब से ही ओ० एन० जी० सी० आदि अन्य संस्थाओं द्वारा ड्रिलिंग करते रहेंगे, अगर कमी हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है ? हमारे देश में लोकल प्रोडक्शन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनकी कमी हो गई है, अगर यह सही है तो इसका जिम्मेदार कौन है और क्या भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर को भी ड्रिलिंग के लिए प्रोत्साहित करने वाली है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : देश में पेट्रोल है इसकी कमी नहीं है। लेकिन डीजल की जरूर कमी है जिनकी कमी कृषि क्षेत्र में हमारे कृषक जरूर महसूस कर रहे थे। पिछली सरकार ने जो 8 प्रतिशत और बाद में 10 प्रतिशत की कटौती की थी उसको हमने 26 नवम्बर को वापस ले लिया। जहां तक माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न है उस पर विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री शंकरसिंह वघेला : महोदय, जब मुझे अपने पहले अनुपूरक प्रश्न का उचित उत्तर नहीं मिला है, अत: मैं अब दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछूंगा। स्थानीय उत्पादन कितना हुआ है ?

[हिन्दी]

देश में उसकी कमी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : वे कह रहे हैं कि पेट्रोल की कमी नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में तीन-चार चीजें आती हैं। पेट्रोल और डीजल भी आता है। जहां तक कुकिंग गैस की बात है उसमें भी कठिनाई है और मिट्टी के तेल में भी दिक्कत है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें अग्निहोत्री जी।

श्री शंकरसिंह बघेला : मैं इनसे निराश जरूर हुआ हूं। मेरा दूसरा सप्लीमेंट है कि अगर देश में फ्यूल की कमी है तो आप कितनी क्यूबेक घन मीटर गैस को जलाते हैं। क्या कोई राज्य सरकार की स्टेट ट्रांसपोर्ट के पास गैस को कंवर्ट करने की योजना है, क्योंकि कानपुर में 1974 में हमने इससे चलती हुई कार देखी थी। क्या पेट्रोलियम मिनिस्टर ने वैकल्पिक ईंधन व्यवस्था हेतु जिस स्टेट ट्रांसपोर्ट के पास गैस अवेलेबल है वहां उसमें कंवर्ट करने की अनुमति देने पर विचार किया है, अगर आप देंगे तो कब तक यह अनुमति देंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह सुझाव विभाग के पास आया है और बघेला जी ने जो सुझाव दिया है उस पर विचार किया जायेगा, यह सुन्दर विचार है।

[अनुवाद]

श्री शंकरसिंह बघेला : महोदय, मुझे दुःख है। इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। यह प्रस्ताव कई वर्षों से सरकार के पास लम्बित है।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ? उनका कहना है कि आपने एक सुझाव दिया है तथा वह इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

आपकी तकलीफ मैं समझता हूं, लेकिन पहले सवाल के जवाब में कह दिया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कमी है।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, जो डीजल की कमी है उसमें उन्होंने 10 प्रतिशत की रिसट्रिक्शन जो लगाई थी वह हट गई है तो किसानों पर राशनिंग क्यों हो रही है ? हमारे सारे इलाके में एक कार्ड दिया गया है और उस कार्ड में 100 लीटर एक महीने में एक ट्रैक्टर पर मिलेगा। क्या मंत्री महोदय समझते हैं कि आज गन्ने के सीजन में गन्ना डालकर, अपनी फसल बोकर, अपना पानी देकर 100 लीटर डीजल किसान के लिए काफी होगा ? यदि खेती नहीं लगी है तो फिर राशनिंग किस-लिए है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अध्यक्ष महोदय, जहां कृषकों को डीजल की सप्लाई का मामला है इसके लिए राज्य सरकार की हमारे विभाग के जो स्टेट कोआर्डीनेटर्स हैं उनको पूरा निर्देश है कि इस सिलसिले में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक सप्लाई की आपूर्ति का प्रश्न है वह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, राज्य सरकारें इसको अपने हिसाब से करेंगी।

[अनुवाद]

श्री अनन्तन पुजारी : महोदय, पैट्रो-रसायनिक उत्पादों की मांग पूर्ति के लिए मंगलोर में एक तेलशोधक कारखाना तथा एक पैट्रो-रासायनिक काम्पलैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। संयुक्त क्षेत्र में इसकी स्थापना की जानी थी तथा तीस करोड़ रुपए इस पर व्यय किए गए हैं। यह पी०आई०बी० के पास स्वीकृति हेतु आया था।

अब मुझे बताया गया है कि पैट्रो-रासायनिक काम्पलैक्स नहीं बल्कि केवल तेलशोधक कारखाना स्थापित करने के लिए निर्णय लिया गया है मैं मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वह इस बारे में विचार करें तथा इस सभा को बतायें कि क्या वह मंगलौर में केवल तेलशोधक कारखाना ही नहीं बल्कि एक पैट्रो-रासायनिक काम्पलैक्स की स्थापना करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह तो इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

[अनुवाद]

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

श्री के० एस० राव : माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य में कुल सप्लाई 17,172 हजार मीट्रिक टन तथा कुल मांग 17,357 मीट्रिक टन बताई गई है। इसका अभिप्राय है कि एक प्रतिशत से भी कम अन्तर है। मांग तथा आपूर्ति में एक प्रतिशत से भी कम अन्तर होने के कारण पूरे देश में तथा जनता को डीजल की कमी महसूस हो रही है तथा कालाबाजारी हो रही है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तव में डीजल की कमी नहीं है बल्कि कृत्रिम कमी के कारण ही ऐसा हो रहा है।

कृष्णा-गोदावरी डेल्टा में तेल के विशाल भण्डार को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह तेल निकालने में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों रिगों, की संख्या और बढ़ाएंगे तथा देशी प्रतिभा का भी सदुपयोग करके कृष्णा गोदावरी घाटी में से ज्यादा से ज्यादा तेल प्राप्त करेंगे ? क्या वह कृत्रिम तेल की इस कमी को रोकने के लिए कुछ कड़े उपाय करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि तेल उपलब्ध किया जा सके ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह एक अच्छा सुझाव है तथा मैं इस पर गौर करूंगा।

श्री रूपचन्द पाल : खाड़ी संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इससे पूर्व पिछले वर्ष अक्तूबर माह में प्रतिबन्ध लगाए थे तथा बाद में जिन्हें हटा लिया गया था। आज ये खबरें मिल रही हैं कि खाड़ी में हाल ही की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार गंभीरता से नियन्त्रित वितरण प्रणाली लागू करने का विचार कर रही है। कल सभा-सत्र का अन्तिम दिन है। अतः खाड़ी की हाल ही की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को देश में पैट्रोलियम तथा गैस की खपत के सम्बन्ध में एक विस्तृत वक्तव्य देना चाहिए।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पहले ही कोई योजना बना ली है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : हमने स्थिति पर विचार किया है। हम इस बारे में अत्यन्त गंभीर तथा चिन्तित हैं। परन्तु यहां पर अभी इसी समय इस सम्बन्ध में सब कुछ अत्यन्त विस्तार से पता पाना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा।

श्री सैफुद्दीन सोज : महोदय, पैट्रोलियम-उत्पादों की कमी के कारण हाल ही में कश्मीर घाटी में जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भारी हिमपात के कारण जम्मू तथा श्रीनगर के बीच का मार्ग कट गया था। ऐसा अकसर शीतकाल में होता है। मैंने इस प्रश्न को उठाया था तथा चाहता था कि मंत्री जी वह उस हिस्से को ठीक से पटवा दें।

यदि खाड़ी-संकट समाप्त नहीं हुआ तथा यदि यही स्थिति बनी रही तब मुझे देश में वास्तव में तेल की अत्यधिक कमी हो जाने का भय है तथा कश्मीर घाटी पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे घाटी में किसी स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त संग्रह करने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, विशेषकर डीजल तथा मिट्टी के तेल का, ताकि हम वहां पर किसी प्रकार की कमी का अहसास न करें ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : हम निश्चित रूप से इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अखबारों में प्रकाशित समाचार के अनुसार पेट्रोलियम पदार्थों की मांग में बढ़ोतरी को 1.5 प्रतिशत तक सीमित कर लिया गया है। मैं चाहता हूं कि पेट्रोलियम मंत्री इस समाचार की पुष्टि करें।

क्या पैट्रोलियम मंत्री महोदय के विभाग में यह बात है कि मांग में और कमी करने के लिए रेलवे को कम दूरी पर बैंगन तथा भार ले जाने के लिए कहा जाना चाहिए क्योंकि रेलवे द्वारा ट्रकों की अपेक्षा कम डीजल की खपत होती है ? इसी प्रकार, क्या वे भूतल परिवहन मंत्रालय को यह सुझाव देंगे कि शिपिंग सेवा को अधिक माल उठाने के लिए और मजबूत बनाया जाए क्योंकि शिपिंग में कम डीजल की खपत के साथ अधिक माल ढोया जा सकता है।

आपूर्ति पक्ष में, मुम्बई, आसाम तथा त्रिपुरा में उपलब्ध विशाल गैस संसाधनों जो इस समय जल रही है, के उपयोग के लिए क्या योजना बनाई गई है ? क्या उनके पास वाहनों में तेल पर आधारित इन्जनों के स्थान पर गैस पर आधारित इंजन लगाने का कोई सुझाव है ? क्या वह ऐसे उपाय अपनाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है। हमें रेल मंत्रालय से ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। यह राय तथा सुझाव देना रेल मंत्रालय का काम है, और हम उस पर विचार करेंगे।

जहां तक दो पूरक प्रश्नों का सम्बन्ध है, उसका उत्तर देने के लिए मुझे समय चाहिए।

श्री यादवेन्द्र दत्त : अध्यक्ष जी, अभी मैंने मालवीय जी की बात सुनी। उन्होंने कहा कि पैट्रोल की कमी नहीं है, डीजल की कमी है और केरोसिन की कमी है। ये सब क्रूड आयल से बनते है। एक स्रोत से ही तीनों चीजें बनती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने पेट्रोल अधिक उत्पादित किया और डीजल कम। यह जो गल्फ क्राइसिज अगस्त में शुरू हो गया था, इस बीच में आपने को आल्टेर्नेटिव सोर्स स्टैंड किया ? पैट्रोल, डीजल और क्रूड आयल के लिए जो मलेशिया, बर्मा और इंडोनेशिया देश हैं, वहां की सरकारों से आपने क्या इस बारे में सम्पर्क किया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक डीजल का प्रश्न है डीजल की खपत पैट्रोल से ज्यादा है। मैं मानता हूं कि पिछले दिनों में इसकी कमी थी।

[अनुवाद]

श्री यादवेन्द्र दत्त : उन्होंने मेरे पूरक प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय ; उन्हें उत्तर दे दिया है। श्री सूर्य नारायण यादव।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले दिनों डीजल कितनी मात्रा में मुहैय्या कराया गया, इसकी मंत्री जी ने कोई साफ उत्तर नहीं दिया है । इसके अलावा मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि डीजल की कमी है । क्या डीजल की कमी को देखते हुए देश के 80 परसेंट किसानों को वह डीजल मुहैय्या कराने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह मैंने शुरू में ही निवदन किया, अन्य पूरक प्रश्नों के उत्तर में कि हमारे विभाग की ओर से राज्य सरकारों को, जो हमारे कोआर्डीनेटर हैं, पूरे निर्देश हैं कि किसानों की डीजल की कमी शत-प्रतिशत पूरी की जाय । हां, इस डीजल की कमी को पूरा करने के सिलसिले में अगर राज्य सरकारों की ओर से कहीं पर कोई खामी है तो माननीय सदस्य मुझे इत्तला करेंगे तो मैं जरूर कार्यवाही करूंगा लेकिन हमारे विभाग की ओर से बराबर हर 15-15, 20-20 दिन पर राज्य सरकारों से सम्पर्क किया जाता है और स्टेट लेविल कोआर्डिनेटर हैं, वह भी राज्य सरकारों से निरन्तर अपना सम्पर्क बनाये हुए हैं ।

[इस समय दर्शक दीर्घा से कुछ नारे सुनाई दिए]

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : माननीय संसद के प्रथम दिन ही डीजल के अभाव का मुद्दा मैंने इस सभा के समक्ष उठाया था । मैंने यह भी निवेदन किया था कि केरल की स्थिति बड़ी विचित्र है । केरल राज्य सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है परन्तु, वहां पर खाद्यान्नों का अभाव है । उपभोग की सभी वस्तुएं त्रिवेन्द्रम और केरल में पड़ौसी राज्यों से आती हैं इसलिए उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है । अब एक किलो प्याज 11 रु० में मिलता है । त्रिवेन्द्रम शहर में जीवन-यापन व्यय सबसे अधिक है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि त्रिवेन्द्रम शहर जोकि केरल की राजधानी है में डीजल की आपूर्ति में आने वाली सभी रुकावटों को दूर करें ताकि जीवन यापन व्यय को अस्थाई रूप में कम किया जा सके ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : केरल और त्रिवेन्द्रम के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक दूसरा शहर और राज्य केरल की तरह भारत का हिस्सा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : अगर सरकार सचमुच लोगों में पैट्रोल बचाने के दृष्टिकोण को गम्भीरता से जगाना चाहती है, तो सबसे पहले उन्हें वर्तमान में विन्टेज कार रैली जैसे अनावश्यक आयोजनों को बन्द करना चाहिए आपको समाचारपत्रों में कार रैलियों के सबन्ध में एक विज्ञापन मिलेगा । आप जानते हैं कि विन्टेज कार रैलियों का आयोजन होता है जिसमें पुराने फैशन तथा पुराने माडल की कारें प्रदर्शित की जाती हैं । रैली में बड़ी संख्या में कारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ाया जाता है । यह बिल्कुल अनावश्यक है । उन्हें ऐसे आयोजनों के लिए पैट्रोल क्यों दिया जाता है ? आप लोगों में गम्भीर दृष्टिकोण जागृत करना चाहते हैं । यह एक छोटा मामला है । कृपया इस अभाव के समय में इन विन्टेज कार रैलियों तथा दूसरी कार रैलियों को बन्द करवा दीजिए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह एक बहुत ही बहुमूल्य सुझाव है और मैं अवश्य ही इस पर विचार करूंगा ।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, पैट्रोलियम पदार्थों के संकट के बारे में और

वितरण प्रणाली के बारे में काफी चिन्ता व्याप्त है। पैट्रोलियम पदार्थ डिपो पिछले 1984 में ऑइल इण्डस्ट्री के सैक्रिण्डरी फेज में सम्मिलित किया गया है। तत्कालीन रसायन मंत्री ने मुझे सूचित किया था, उस पर विचार करने के लिए किन्तु आज तक वह पैट्रोलियम पदार्थ डिपो स्थापित नहीं होने के कारण वहां पर गहरा संकट व्याप्त है। सारा का सारा पैट्रोलियम पदार्थ उज्जैन से होकर इन्दौर जाता है, पहले उज्जैन से इन्दौर जाकर फिर सप्लाई होकर फिर वापस इन्दौर से उज्जैन आता है। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि उज्जैन में आने वाले सिंहस्थ महापर्व की दृष्टि से, जबकि कुम्भ पर्व होने वाला है, उसकी सारी तैयारियां भी चली हुई हैं, उस दृष्टि से भी वहां पर पैट्रोलियम पदार्थ डिपो स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं, कृपया इस सम्बन्ध में कोई आवश्यक कार्यवाही करके शीघ्र प्रारम्भ करें जिससे कि पेट्रोलियम पदार्थ वहां अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकें और डिपो स्थापित हो सके।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : जो पहला प्रश्न है, इसका उत्तर देने के लिए तो मुझे समय चाहिए लेकिन जहां तक कुम्भ का महापर्व है, इसके सिलसिले में अवश्य ही कुछ न कुछ अधिक उपाय किए जायेंगे।

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, तेल की कमी की आपूर्ति के लिए खास तौर पर खाड़ी संकट को मद्देनजर रखते हुए पिछली सरकार ने प्रयास किया था, विभिन्न अन्य स्रोतों से भी इसकी आपूर्ति के लिए प्रयास किया था और सरकार के प्रतिनिधि विभिन्न देशों में गये थे। मैं जानना चाहता हूं कि अन्य देशों से इस सम्बन्ध में क्या रैसपोंस मिला है···(व्यवधान)···

[इस समय दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति सभा-भवन में कूद पड़ा]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए तथा शांति बनाए रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है, योजनाबद्ध ढंग से कहते हों।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, ऐसा दूसरी बार हुआ है इसकी जांच की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले की जांच करवा रहा हूं। आप कृपया अपनी जगह बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी कृपया अपनी जगह बैठिए। मैं मामले की जांच करवा रहा हूं।

[हिन्दी]

सं० अतिन्दरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इसलिए ऊपर से छलांग लगाई है, वे गिरे नहीं हैं, कि देश में हिन्दी भाषा को लागू किया जाए। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति यदि किसी माननीय सदस्य के सिर पर गिर जाता, तो क्या होता।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मामले की जांच हो रही है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, खाड़ी देशों में आए संकट के कारण ईन्धन की कमी हो रही है। उसकी आपूर्ति के सम्बन्ध में पिछली सरकार ने कुछ प्रयास किए थे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या उनको उन देशों से आश्वासन मिला है कि ईन्धन की आपूर्ति किस प्रकार होगी और क्या वे इसकी आपूर्ति के लिए विदेशों की यात्रा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अभी मेरा विदेश यात्रा करने का कोई इरादा नहीं है लेकिन जो अधिकारी गए हैं वे इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत अन्तिम चरण में है। इसलिए इस बारे में अभी कुछ बताया नहीं जा सकता।

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय मंत्री जी से मेरा यह सवाल है कि कैरोसीन की देश में कमी है, इसके कारण सरकार ने नया आदेश निकाला है, जिस व्यक्ति के घर में राशन कार्ड के ऊपर गैस कन्जूमर की स्टैम्प लिखी हुई है उसको कैरोसीन की सप्लाई नहीं की जाएगी। महानगरों में जिनके पास गैस का सिलेण्डर है, उसको गैस सिलेण्डर खत्म होने के बाद 21 दिन तक कोई दूसरा गैस सिलेण्डर नहीं रजिस्टर्ड होगा। इस प्रकार से शासन ने अपना आदेश निकाला हुआ है। यदि किसी के घर में 10 या 15 व्यक्ति रहते हों और एक सिलेण्डर उसके पास हो, वह अगर 15 या 18 दिन में खत्म हो जाता है तो उसको कैरोसीन भी नहीं मिलता और गैस भी सप्लाई नहीं होती। सरकार से हमने पूछा कि यदि अचानक खाड़ी युद्ध हो गया, तो उसके लिए आपने क्या उपाय किया है ? तो आपने उत्तर दिया कि प्रतिबन्ध के लिए हमने उपाय किया है, लेकिन उसके आल्टरनेटिव में, उसके उत्तर में कुछ नहीं बताया। यदि घर में गैस और कैरोसीन नहीं रहा तो लोग अपना खाना कैसे बनायेंगे ? इस विषय में आपने सोचा नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बम्बई जैसे महानगरों में जहां झुग्गी-झोंपड़ी में 50-60 लाख लोग रहते हैं उनको जो कैरोसीन की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। गैस की बहुत अनुपलब्धता है, उनको एक कुकिंग गैस कनैक्शन देकर गैस का उपयोग करने की दृष्टि से शासन ने कोई योजना बनाई है या नहीं ? दूसरा, मेरा कहना यह है कि पैट्रोल के भाव में वृद्धि होने के कारण सभी आवश्यक चीजों के दाम बढ़ गए हैं बम्बई में आलू 12 रुपए और प्याज 20 रुपए किलो बेचा जा रहा है। जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए क्या आपने कोई योजना बनाई है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यहां पर मूल्यवृद्धि पर जो चर्चा चल रही है उसका उत्तर मंत्री जी देंगे, लेकिन जहां तक एल०पी०जी०, गैस सिलेण्डर एक बार समाप्त हो जाता है, यह आदेश है कि 21 दिन के अन्दर गैस सिलेण्डर समाप्त होता है तभी दूसरा सिलेण्डर मिल पाएगा। इसके लिए मेरा निवेदन है कि कन्ज्यूमर उसको कम इस्तेमाल करने की आदत डालें जैसे लोग बार-बार चाय या काफी पीते हैं, वे कम पीएं। इससे खर्च में भी कमी होगी।

रसायनों का निर्यात

[अनुवाद]

*64. श्री बालगोपाल मिश्र : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रासायनिक हथियारों के निर्माण में उपयोग किए जा सकने वाले द्वि-उद्देशीय रसायनों का निर्यात नियन्त्रित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यात किए गए रसायनों का रासायनिक हथियारों के निर्माण के लिए चोरी छिपे उपयोग या अन्यत्र नहीं भेजा जाता है, सरकार ने दोहरे प्रयोजन के विभिन्न रसायनों के निर्यात पर नियन्त्रण की प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है। यह भी निर्णय किया गया है कि तीन रसायनों जैसे फास्फोरस आक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ट्रिक्लोराइड और थियोनाइल क्लोराइड को आयात-निर्यात नीति के ओ० जी० एल० नं० 3 के अन्तर्गत लाया जाए जिसके अधीन कुछ निर्धारित शर्तों पर निर्यात की अनुमति है।

[अनुवाद]

श्री बालगोपाल मिश्र : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे दोहरे प्रयोजन सिद्ध करने वाले कौन से रसायन हैं, जिनका विदेशों को निर्यात किया जाता है तथा उन आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं? इन रसायनों के आयात करने वाले देशों में उनके उपयोग पर निगरानी रखने के लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : रसायन विभाग ने थिनाईल क्लोराईड के निर्यात के लिए विदेश मंत्रालय के सुझावों के आधार पर अनुमति दी है।

श्री बालगोपाल मिश्र : महोदय, मैंने यह पूछा है कि इन रसायनों को आयात करने वाले कौन-कौन से देश हैं ?, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पहले प्रश्न का जवाब नहीं दिया है ।

श्री बालगोपाल मिश्र: नहीं सर ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह संतुष्ट नहीं हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उनका प्रश्न क्या है ?

श्री बालगोपाल मिश्र : मेरा प्रश्न यह है कि हमारे देश से इन द्विप्रयोजनों सिद्ध करने वाले रसायनों का आयात करने वाले देश कौन-कौन से हैं ? और इन रसायनों के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी इनके पास इसकी इनफोरमेशन उपलब्ध नहीं है, इसका जवाब मंत्री जी बाद में दे देंगे ।

श्री बालगोपाल मिश्र : इसके विरोध में मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न नहीं पूछूंगा । (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या द्विप्रयोजन सिद्ध करने वाले रसायनों का निर्यात, निर्यात संवर्धन एजेन्सी द्वारा यह जांच कर लेने के बाद ही किया जाता है कि निर्यात किए जाने वाले रसायन उसी उपयोग के लिए हैं, जोकि निर्यातक द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से मामले हमारे सामने आए हैं, जहां कि यह निर्यात जिन प्रयोजनों के नाम पर किए जाते हैं; वास्तव में यह ऐसे निर्यातों पर पर्दा डालने के लिए होते हैं; जिन पर कि प्रतिबन्ध लगा हुआ है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अगर यह पर्दा डालने के लिए किया जाता है, तो इसे रोकने के लिए प्रशासनिक कदम उठाए जायेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जलापुर-बांसपानी रेल लाइन का निर्माण

*65. श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जलापुर-बांसपानी रेल लाइन के दूसरे और तीसरे चरण के निर्माण कार्य में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का इस रेल लाइन का निर्माण-कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा करने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में किए गए प्रयासों का ब्योरा क्या है और इस कार्य पर कुल कितना खर्च किए जाने का विचार है; और

(घ) पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जबलपुर-दैतारी खंड को खोल दिए जाने के बाद दैतारी खानों से लौह अयस्क का प्रत्याशित यातायात प्राप्त नहीं हुआ था । इसके परिणामस्वरूप तथा संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण भी शेष भाग के निर्माण-कार्य को निर्माण कार्यक्रम से निकाल दिया गया था ।

(ख) और (ग) जी, हां । खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से लौह अयस्क के निर्यात के लिए पारादीप बन्दरगाह के विकास के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । दैतारी-बांसपानी रेल लाइन (143 कि० मी०) के निर्माण कार्य को 175.00 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया है । बहरहाल, रेलें उपर्युक्त परियोजना की प्रगति के अनुसार रेल लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक व्यवस्था कर लेंगी, लेकिन खनिज एवं धातु व्यापार निगम को भी समूची परियोजना के भाग के रूप में रेल लाइन के लिए धन की व्यवस्था करना जरूरी होगी । तदनुसार, उन्हें 175.00 करोड़ रुपये (इस कार्य की लागत में वृद्धि को छोड़कर) की राशि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है ।

(घ) पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए विकास के नए केन्द्र स्थापित करने या दूरस्थ क्षेत्रों के साथ सम्पर्क बनाने के लिए विकासात्मक लाइनों के रूप में ही नई लाइनों का निर्माण किया जाए ।

कोयला उद्योग में द्विपक्षीय वेतन समझौते

*66. **श्री अनिल बसु :**

श्री हराधन राय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग में द्विपक्षीय वेतन समझौते को अभी भी लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) द्विपक्षीय वेतन समझौते लागू न किए जाने के कारण श्रमिकों में बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-IV के वेतन, भत्तों आदि से संबद्ध उपबन्धों को क्रियान्वित कर दिया गया है । कल्याण उपायों जैसे आवासों का निर्माण-कार्य, जलापूर्ति, चिकित्सा सुविधाएं, आदि को क्रियान्वित किए जाने का कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है और राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद से उक्त सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है, जिसे नीचे दी गई स्थिति द्वारा स्पष्ट किया गया है :—

	राष्ट्रीयकरण के समय की स्थिति	1-4-90 की स्थिति के अनुसार
आवास	1,18,366	3,32,921
जलापूर्ति (1-5-73 की स्थिति के अनुसार)	16.62 मिलियन गैलन प्रतिदिन	79.12 मिलियन गैलन प्रतिदिन
अस्पताल	52	57
बिस्तर	1782	4776
डिस्पेंसरी	197	426
चिकित्सा	444	1548
एम्बुलेंस	42	568

किन्तु मजदुर संघ सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी लाभ योजना की शुरूआत किए जाने की मांग करते रहे हैं, जिसका उल्लेख राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-III की निष्कर्ष टिप्पणी में किया गया था। यह मामला सामान्य नीति के रूप में सरकार के विचाराधीन है। सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी के एक आश्रित को रोजगार प्रदान किए जाने सम्बन्धी एन० सी० डब्ल्यू० ए० III की धारा 9.4.4 में निहित अन्य उपबन्ध को क्रियान्वित नहीं किया जा सका, चूंकि इसको क्रियान्वित किया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 का उल्लंघन पाया गया। इसके अलावा, समझौते को क्रियान्वित किए जाने की कोयला उद्योग से सम्बद्ध संयुक्त द्विपक्षीय समिति तथा इसकी मानकीकृत समिति की बैठकों में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में पारेषण के दौरान बिजली की हानि

*67. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान पारेषण के दौरान वर्षवार बिजली की कितनी हानि हुई;

(ख) क्या इस स्थिति में अब कोई सुधार हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश एवं बिहार की विगत तीन वर्षों की पारेषण एवं वितरण हानियां निम्नवत् थी :—

	1987-88	1988-89	1989-90 (अनन्तिम)
उत्तर प्रदेश	26.83%	26.45%	26.10%
बिहार	51.64%	22.23%	21.50%

उत्तर प्रदेश एवं बिहार समेत राज्य बिजली बोर्डों को पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा कम करने के लिए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए गए हैं। उनको ऊर्जा लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्य करने तथा पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करने की सलाह दी गई है। तथापि, संसाधनों सम्बन्धी बाधाओं के कारण प्रणाली सुधार स्कीमों पर वे पर्याप्त निधियों का निवेश नहीं कर पाए हैं। चूंकि प्रणाली सुधार स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होना ही मुख्य बाधाएं रही है इसलिए विद्युत वित्त निगम, ग्राम विद्युतीकरण निगम आदि के माध्यम से इन स्कीमों के लिए भी राज्यों को अब निधियां उपलब्ध करायी जा रही हैं। प्रणाली सुधार स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय सहायता की व्यवस्था किए जाने के लिये भी प्रयास जारी हैं।

नए रेलवे डिवीजन

*68. श्री काशीराम राणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पश्चिमी और अन्य रेलवे जोनों में नए डिवीजन खोलने के सम्बन्ध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं;

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकार करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(घ) क्या अहमदाबाद में नए डिवीजन खोले जाने की कोई मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) रेल मंत्रालय को जनवरी, 1990 से लेकर अब तक 11 नए रेल मंडल मुख्यालयों का सृजन करने के लिए कुल 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5 प्रस्ताव पश्चिम रेलवे पर गांधीधाम तथा अहमदाबाद में दो नए मंडल मुख्यालयों के सम्बन्ध में है।

(ख) नांदेड़ में नए मंडल मुख्यालय के सृजन से सम्बन्धित प्रस्ताव को छोड़कर जिसे रेल मंत्रालय द्वारा पहले अनुमोदित किया गया था, इस समय नए मंडल मुख्यालय के सृजन का कोई अन्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) नये रेल मंडलों की स्थापना यातायात के आकार, कार्य-भार, वृद्धि तथा उसके स्वरूप और मितव्ययिता तथा कुशलता सम्बन्धी अपेक्षाओं के अनुरूप मौजूदा मंडलों की अन्य परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण रेल मंत्रालय फिलहाल किसी नए मंडल मुख्यालय के सृजन के बारे में विचार नहीं कर रहा है।

मूल्य नियन्त्रणाधीन आवश्यक औषधियां

*69. श्री लिकिहो सेमा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार की गई आवश्यक औषधियों की वर्तमान सूची में से कितनी औषधियां देश में मूल्य नियंत्रण सूची में शामिल हैं;

(ख) क्या सरकार शेष आवश्यक औषधियों को मूल्य नियंत्रण सूची में शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन की 266 प्रमुख औषधों की सूची में से वर्तमान में डी०पी०सी०ओ०, 1987 के अन्तर्गत 88 प्रमुख औषधें मूल्य नियन्त्रण में हैं।

(ख) से (घ) औषधों को मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत लाने का मानदण्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन की सूची में औषधों को शामिल करना/निकालना नहीं है, यह केवल एक आदर्श सूची है लेकिन यह केलकर समिति द्वारा निर्धारित औषधों को शामिल न करने के सिद्धान्तों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

सतना-रीवा रेल लाइन

*70. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में सतना से रीवा तक रेल लाइन के निर्माण के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या इस लाइन पर सतना और रीवा के बीच माधवगढ़ में तमस नदी पर बनाए जा रहे रेलवे पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) इस रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और इस पर रेलगाड़ियां कब तक चलने लगेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) इस परियोजना पर अभी तक 19.18 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इसके जून, 1991 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(घ) इस परियोजना के 31-3-1992 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

बंगलौर-त्रिवेन्द्रम सेक्शन पर अतिरिक्त रेलगाड़ियां

*71. श्री जोस फर्नान्डीज : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर और त्रिवेन्द्रम के बीच प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं;

(ख) सबरीमाला जाने वाले तीर्थ यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए क्या बंगलौर-त्रिवेन्द्रम मार्ग पर वर्तमान रेल सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का तीर्थ यात्रियों की भारी संख्या के लिए व्यवस्था करने हेतु इस रेल मार्ग पर अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) एक जोड़ी गाड़ियां । इसके अलावा, एक साप्ताहिक गाड़ी है जो इन दोनों स्टेशनों को सेवित करती है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) 18-12-90 से बेंगलूरु और कोल्लम के बीच सप्ताह में एक दिन एक विशेष गाड़ी चलाई जा रही है । यह व्यवस्था 16-1-1991 तक है । इसके अतिरिक्त, मद्रास से प्रति सप्ताह चार विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं ।

तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए योजनाएं

*72. **डा० सुधीर राय** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या खोज की वर्तमान गति को भविष्य में भी बनाए रखा जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) दीर्घ अवधि योजना के हिस्से के रूप में गहन तथा व्यापक अन्वेषणात्मक प्रयासों की योजना बनाई गई है । जिससे दोनों कच्चे तेल के उत्पादन में तुरन्त लाभों पर्याप्त संचय तथा भविष्य मे अन्वेषण में अग्रता स्थापित करने में आसानी होगी । श्रेणी I के गहन अन्वेषणा के फलस्करूप लगभग सभी प्रत्यक्ष तथा आसान प्रकार के हाईड्रोकार्बन ट्रैप को पहचानने तथा रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिली है । सूक्ष्म तथा भूवैज्ञानिकी तथा अधिक जटिल किस्म के कम्बीनेशन ट्रैप को पहचानने के लिए अधिक उन्नत सर्वेक्षण तकनीकों को प्रयोग में लाया जायेगा । गहरे पानी में बेधन और उत्पादन के लिए फ्रंटियर प्रौद्योगिकी के प्रयोग की भी योजना की गई है । राष्ट्रीय तेल कम्पनियों, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रयासों में सहयोग करने के लिए देश में प्रस्तुत किए गए ब्लाकों में अन्वेषण करने के लिए बोलियों के विगत तीन चरणों में अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को निमन्त्रित किया गया है ।

(ख) अन्वेषणा कार्य की गति को अगर बढ़ाया न जाए तो जारी रखना है ।

रेलवे खान-पान व्यवस्था गैर-सरकारी प्रबन्धकों को सौंपना

*73. **श्री बी० एन० रेड्डी** :

श्री धर्मन्ना मोण्डय्या सादुल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर तथा रेलगाड़ियों में खान-पान व्यवस्था गैर-सरकारी प्रबन्धकों को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर-सरकारी खान-पान प्रबंधक सस्ते मूल्यों पर बेहतर एवं कुशल सेवा प्रदान करें, क्या कदम उठाये जायेंगे?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग) भारतीय रेलों पर अधिकांश खान-पान यूनिटें निजी ठेकेदारों द्वारा चलायी जा रही हैं। केवल चुनिंदा स्टेशनों तथा गाड़ियों में ही विभागीय खान-पान व्यवस्था उपलब्ध है। विभागीय खान-पान व्यवस्था में हो रही वित्तीय हानि को कम करने के उद्देश्य से ऐसी कुछ यूनिटों का निजीकरण करने का निर्णय किया गया है, जिनमें निरन्तर हानि हो रही है।

उचित कीमतों पर खान-पान की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए दर सूची निर्धारित करने, निरीक्षण करने, जुर्माना लगाने, ठेका समाप्त करने आदि जैसी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध हैं और यह जारी रहेगी।

इंडियन एयरलाइन्स में क्लर्कों/टाइपिस्टों की नियुक्ति

*74. श्री दिलीप सिंह भूरिया :

श्री रामायण प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में ट्रैफिक असिस्टेंट और क्लर्क/टाइपिस्टों के पदों के लिए श्रेणी-वार कितने उम्मीदवारों का पेनल बनाया गया है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स द्वारा रिक्तियों को पेनल के उम्मीदवारों से भरने के बजाए दिहाड़ी के आधार पर भरा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भर्ती के इस तरीके को बन्द करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं या उठाने का विचार है; और

(घ) पेनल में दिए गए व्यक्तियों को उन पदों पर कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री [illegible]) : (क) चारों क्षेत्रीय कार्यालयों और दिल्ली (मुख्यालय) के लिए यातायात सहायकों और अन्य सहायक टाइपिस्टों के श्रेणीवार पदों हेतु इंडियन एयरलाइन्स में पेनल में शामिल उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है :—

श्रेणी	पश्चिमी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	दक्षिण क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली (मुख्यालय)
खान पान सहायक	11	—	4	40	—

परिचालन	12	20	10	33	—
सहायक					
यातायात सहायक	170	212	80	213	—
टाइपिस्ट (अंग्रेजी)	10	60	36	95	—
टाइपिस्ट (हिन्दी)	2	—	—	—	—
कार्यालय सहायक	13	32	42	32	—
लेखा/लेखा परीक्षा सहायक	15	96	61	61	5
सुरक्षा सहायक	39	3	46	30	—
लाइब्रेरी सहायक	2	—	5	—	—
भंडार और सप्लाई सहायक	13	44	48	45	—
द्विभाषी टाइपिस्ट	—	—	3	12	5
परिवहन सहायक	—	—	3	3	—
तकनीकी सहायक	—	—	5	—	—

इंडियन एयरलाइन्स में क्लर्क का कोई पद नहीं है और विभिन्न विभागों में सहायकों (अर्थात खानपान सहायक, परिचालन सहायक, कार्यालय सहायक, लेखा/लेखा परीक्षा सहायक, सुरक्षा सहायक लाइब्रेरी सहायता भंडार और सप्लाई सहायक, परिवहन और तकनीकी सहायक) द्वारा लिपिक कार्य किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सूची में नाम लिखे गए उम्मीदवारों में से ही नियमित रिक्तियां भरी जाती हैं। तथापि, रिक्त पदों और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम अवधि तथा तत्काल किस्म के अतिरिक्त कार्यों के मामले में इंडियन एयरलाइन्स नैमित्तिक/अस्थायी नियुक्ति का सहारा लेती है।

(घ) पैनलों से उम्मीदवारों की नियुक्ति पैनलों की वैधता के दौरान रिक्त पदों के उपलब्ध होने पर निर्भर करती है।

गुजरात में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

*75. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के लोगों को राज्य में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की अनुपलब्धता के कारण भारी कठिनाई हो रही है;

(ख) सरकार राज्यों के लिए पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल में की गयी 10 प्रतिशत की कटौती को कब समाप्त कर रही है;

(ग) क्या गुजरात सरकार से राज्य की आवश्यकतानुसार मांग पूरी करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) राज्यों को पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की आपूर्ति पर 10% की कोई कटौती नहीं है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दी गई मात्रा से 4% अधिक की मात्रा की इस समय आपूर्ति की जा रही है। इस समय डीजल की आपूर्ति की मात्रा वही है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान थी। राज्यों को एस० के० ओ० का आवंटन पिछले वर्ष के आवंटन में उपयुक्त वृद्धि करके दिया जाता रहा।

(ग) जी, हां।

(घ) एल० डी० ओ० की आपूर्ति पर से 10% की कटौती वापिस ले ली गई है और कृषि क्षेत्र की एल० डी० ओ० की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा किया जा रहा है। खुदरा बिक्री केन्द्रों से एच० एस० डी० की आपूर्ति में 10% की कटौती को भी 26 नवम्बर, 1990 से वापिस ले लिया गया है और अब आपूर्ति उसी स्तर पर की जा रही है जिस स्तर पर पिछले वर्ष की गई थी। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके कृषि पर आधारित उद्योगों की जरूरतें पूरी करने पर प्राथमिकता दी जा रही है।

लीनियर एल्काइल बेन्जीन का उत्पादन और मांग

*76. श्री आरिफ बेग : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में संश्लिष्ट डिटरजेंट पाउडर और संश्लिष्ट टिकियों की मांग कितनी थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष लीनियर एल्काइल बेंजीन की कितनी मांग थी; और

(ग) इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लीनियर एल्काइल बेंजीन की लाइसेंस प्राप्त/अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी और इसका वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) सिंथेटिक पाउडर और सिंथेटिक टिकियों (केक) की मांग प्रतिवर्ष लगभग 10-12% की दर से बढ़ रही है। डिटर्जेंट क्षेत्र के लिए देश में 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान लीनियर अल्कोइल बेंजीन की अनुमानित खपत: क्रमश: 1,17,698 टन 1,19,160 टन और 1,25,000 टन रही है।

(ग) इन तीन वर्षों के दौरान लीनियर अल्कोइल बेंजीन की लाइसेंस शुदा/अधिष्ठापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है :—

कम्पनी	लाइसेंस शुदा/ अधिष्ठापित क्षमता (टनों में)	अतिरिक्त क्षमता नयी/विस्तार (टनों में)
आई० पी० सी० एल०	30,000	—
तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लि०	60,000	20,000
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि०	60,000	20,000
हिन्दुस्तान लीवर लि०	—	80,000
निरमा प्रा० लि०	—	80,000
स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स लि०	—	80,000
कुल अधिष्ठापित + अतिरिक्त क्षमता		4,30,000
एल० ए० बी० का उत्पादन टनों में		
1987-88		50,698
1988-89		1,19,160
1988-90		1,25,570

एयरबस ए-320 विमान पुनः चलाना

*77. श्री प्रकाश ब्रह्मभट्ट :

श्री आर० कुंडू राव : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एयरबस ए-320 की उड़ानें पुन आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में दिल्ली-बम्बई-दिल्ली मार्ग पर चलाए जा रहे दो एयरबस ए-320 विमानों में तकनीकी खराबी उत्पन्न हो गई थी तथा अधिकारियों को उनके स्थान पर अन्य बोइंग विमानों का उपयोग करना पड़ा था;

(ग) यदि हां, तो अब तक खराबियों के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या बार-बार होने वाली खराबियों के कारणों का पता लगाने के लिए कोई विस्तृत जांच की गई है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) क्या यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस सम्बन्ध में किये गए निर्णय की पुनरीक्षा करने तथा इन विमानों की उड़ानें तब तक रद्द करने का है जब तक कि जांच समिति इसकी अनुमति नहीं दे देती; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हुमायूं कबीर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दो तकनीकी खराबियां—(1) कम्प्रेशर बेन वार्निंग और (2) ग्राउंड पावर कन्ट्रोल यूनिट के त्रुटि से सम्बन्धित थीं।

(घ) तकनीकी खराबियों और उनके कारणों पर निरन्तर नजर रखी जाती है और खराबियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) जी, नहीं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उड़ान भरने से पहले प्रत्येक विमान की पूरी तरह से जांच की जाती है। इसके अलावा ए-320 विमान के संबंध में न्यूनतम उपकरण सूची (एम० ई० एल०) के अन्तर्गत जिन त्रुटियों को अंकित (कैरी फारवर्ड) किया जा सकता है उसे कड़ा किया गया है और इसके अन्तर्गत दी अनुमति अवधि को 72 घंटे से घटाकर 48 घंटे कर दी गई है। इसके अलावा, बेस स्टेशनों से केवल उन्हीं विमानों को परिचालन की अनुमति दी जाती है जिनके कोई खराबी न हो। किसी भी विमान के परिचालन में सुरक्षा की दृष्टि से कोई ढील नहीं बरती जाती है।

डीजल और पेट्रोल के लिए राशन प्रणाली

*78. श्री चित्त बसु :

श्री पी० सी० चाको : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डीजल और पेट्रोल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का डीजल और पेट्रोल की सप्लाई के लिए राशनिंग प्रणाली आरम्भ करने का विचार है;

(ग) क्या राज्यों के लिए डीजल की सप्लाई में भारी कटौती की गई है; और

(घ) यदि हां, विभिन्न राज्यों को डीजल की समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) देश में पेट्रोल की कमी नहीं है। तथापि, देश के विभिन्न भागों से डीजल की कमी की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) खुदरा बिक्री केन्द्रों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री के राज्य सरकारों द्वारा विनियमित

किया जाना है विभिन्न राज्य सरकारों ने स्थानीय परिस्थितियों और प्रमुखताओं के आधार पर विभिन्न तरीके बनाए हैं।

(ग) फिलहाल 26 नवम्बर, 1990 से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्रों को डीजल की आपूर्ति गत वर्ष के तदनुरूपी अवधि के स्तर पर की जा रही है।

(घ) देशी उत्पादन को अधिकतम करने और आयातों को इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराए गए विदेशी मुद्रा के अनुरूप करने के सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

पाइलटों को फ्रांस में प्रशिक्षण

[हिन्दी]

*79. **श्री मदन लाल खुराना :**

श्री तेज नारायण सिंह : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 नवम्बर, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "आई० ए० पायलट्स सोर ओवर न्यू ट्रेनिंग प्लान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जो एयरबस ए-320 के कुछ पाइलटों को ए-320 के स्थान पर एयरबस-300 विमान उड़ाने के लिए नई प्रशिक्षण योजना के बारे में है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इनमें से कुछ पायलटों को प्रशिक्षणार्थ फ्रांस भेजा गया था तथा उन्हें एयरबस ए-320 विमान उड़ाने की अनुमति दी गई थी;

(घ) एक ही वर्ष की अवधि के भीतर इन प्रशिक्षित पायलटों को एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे प्रकार का विमान उड़ाने के लिए कहे जाने और इस प्रकार बार-बार परिवर्तन करके जन शक्ति को बेकार गंवाने के क्या कारण हैं;

(ङ) इन पायलटों के प्रशिक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई तथा कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई; और

(च) यात्रियों और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाये जा रहे उपचारी उपायों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार आधारहीन है।

(ग) और (घ) फरवरी, 1990 में विमानों को ग्राउण्ड किये जाने से पहले, 144 विमान-चालकों ने ए-320 विमानों के लिए टोलूस, फ्रांस में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। इनमें से दो को चिकित्सा की दृष्टि से अयोग्य पाया गया, एक ने आत्महत्या कर ली और एक ने स्वेच्छिक सेवा-निवृत्ति ले ली। इसलिए इंडियन एयरलाइन्स के पास ए-320 विमान के प्रशिक्षण पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए 140 विमानचालक रह गये। इनमें से 17 विमानचालकों को जो सह-पायलेट पुनश्चर्या पाठ्य-क्रम के लिए शेष 47 पायलेटों में से हैं, एयरबस ए-300 विमानों पर सह-विमानचालक के रूप में भेज दिया गया क्योंकि (क) ऐसा भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ और इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकवर्ग के बीच बनाई गई उनकी कैरियर प्रोमेशन योजना के अनुसार है

(ङ) ए-300 विमान की परिचालनात्मक आवश्यकताएं भी ऐसी हैं और (ग) ए-320 विमानों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण इन विमानचालकों के मामले में 6 से 7 महीनों से पहले नहीं किया जा सकता और उन्होंने फरवरी, 1990 में ए-320 विमान के ग्राउंडिंग के कारण अभी तक 9 महीनों की उड़ान भी नहीं भरी है।

एक विमान से दूसरे विमानन में बदले जाने से इस प्रकार के प्रशिक्षण पर किया गया खर्च अथवा जनशक्ति व्यर्थ नहीं गई है।

(छ) इन 17 विमानचालकों के प्रशिक्षण पर किया गया खर्च 84,400 अमरीकी डालर है।

(च) एक प्रकार के विमान से दूससे प्रकार के विमान पर विमानचालकों को लगाने से सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण और जांचों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, ही विमानचालकों को नये प्रकार के विमान को उड़ाने की अनुमति दी जाती है।

[अनुवाद]

देश के भीतर उड़ानों के लिए एयरबस ए-320 विमानों को उपयोग में लाना

*80. श्री भजमन बेहेरा :

श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयरबस ए-320 विमानों को देश के भीतर उड़ानों के लिए उपयोग में लाने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) एयरबस-320 विमान का पुन: उपयोग करने से पहले किन-किन संस्थाओं, निकायों से परामर्श किया गया और क्या सुरक्षा के बारे में संसद में व्यक्त किए गए विचारों को भी ध्यान में रखा गया है; और

(ग) अपनाए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है और इस विमान को किन-किन मार्गों पर चलाया गया है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) ए-320 विमानों को 3 दिसम्बर, 1990 से इंडियन एयरलाइन्स के अन्तर्देशीय सैक्टर पर पुन: लगाया गया है। पहले इनका उपयोग 7-9-90 से 10-10-1990 तक खाड़ी क्षेत्रों से हमारे राष्ट्रिकों को लाने के लिए किया गया था। ए-320 विमानों को 28-10-1990 से पुन: इन्डियन एयरलाइन्स के बाहरी सैक्टर पर लगा दिया गया था। इंडियन एयरलाइन्स, विमानचालकों और इन्जीनियरों के पुनःश्चर्या प्रशिक्षण, विमान के रख-रखाव, न्यूनतम उपकरण सूची (एम० ई० एल०) और रख-रखाव सुविधाओं के सम्बन्ध में राममास समिति द्वारा सुझाई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कदम उठा रही है। नागर विमानन के महानिदेशक भी इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रख रहे हैं।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स की उन यूनियनों/एसोसिएशनों के नाम निम्न प्रकार हैं जिनके साथ अन्तर्देशीय सैक्टर पर इन विमानों को लगाने से पहले विचार-विमर्श किया गया था :

1. वायु निगम कर्मचारी संघ
2. भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ
3. अखिल भारतीय विमान इन्जीनियर्स संघ
4. भारतीय विमान तकनीशियन संघ

उन्होंने ए-320 विमानों को पुनः सेवा में लगाये जाने पर सम्पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

(ग) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, उड़ान भरने से पहले प्रत्येक विमान की पूरी तरह से जांच की जाती है। इसके अलावा ए-320 विमानों के सम्बन्ध में न्यूनतम उपकरण सूची (एम० ई० एल०) के अन्तर्गत जिन त्रुटियों को अग्रेषित (कैरी फारवर्ड) किया जा सकता है, उसे कड़ा किया गया है और इस प्रकार की अग्रेषित अवधि को 72 घंटे से घटाकर 48 घण्टे कर दी गई है। इसके अलावा, बेस स्टेशनों से उन्हीं विमानों को परिचालन की अनुमति दी जाती है जिनमें कोई खराबी न हो। किसी भी विमान के परिचालन में सुरक्षा की दृष्टि से कोई ढील नहीं बरती जाती है।

7 जनवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स द्वारा निम्नलिखित मार्गों पर एयरबस ए-320 का परिचालन किया जा रहा है :

1. बम्बई-कराची-बम्बई
2. बम्बई-माले-बम्बई
3. बम्बई-गोवा-बम्बई
4. बम्बई-मद्रास-बम्बई
5. बम्बई-बंगलोर-बम्बई
6. बम्बई-दिल्ली-बम्बई
7. कलकत्ता-गुवाहाटी-कलकत्ता
8. कलकत्ता-ढाका-कलकत्ता
9. कलकत्ता-बैंकाक-कलकत्ता
10. कलकत्ता-काठमांडु-कलकत्ता
11. दिल्ली-गुवाहाटी-दिल्ली
12. दिल्ली हैदराबाद-दिल्ली
13. दिल्ली-लाहौर-दिल्ली
14. दिल्ली-कराची-दिल्ली
15. दिल्ली-काठमांडु-दिल्ली
16. हैदराबाद-बम्बई-हैदराबाद
17. हैदराबाद-बंगलोर-हैदराबाद
18. हैदराबाद-मद्रास-हैदराबाद

औषधों की उत्पादन लागत

694. श्री के० एस० बाबडा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य निर्धारण ब्यूरो ने 1974 की तुलना में 1990 में विभिन्न औषधों की औसत उत्पादन लागत में वृद्धि के प्रतिशत का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है;

(ग) वर्ष 1979 से 1990 के दौरान मूल्य नियंत्रण सूची के अन्तर्गत शामिल औषधों के औसत मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सरकार ने 1979 से 1990 की अवधि के दौरान सभी रिफेम्पिसिन के लागत सम्बन्धी मानदण्ड अधिसूचित किए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके प्रकाशन की तिथि क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) बी० आई० सी० पी० द्वारा इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्तमान में जो औषधें मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत हैं उनके संबंध में जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है।

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार के मानदण्ड अधिसूचित नहीं किए गए थे ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	प्रमुख औषध का नाम	इकाई	पूर्ववर्ती मूल्य (1979 और उसके बाद (रु०)	1990 तक संशोधित मूल्य, संशोधन की तारीख कोष्ठक में है (रु०)	मूल्य में प्रतिशत वृद्धि/ कमी
1	2	3	4	5	6
1.	एफीड्रिन एच० सी० एल०	किग्रा०	487.56	1300.00 (8-6-90)	(+) 166.63
2.	एसिटाजोलामाइड	किग्रा०	564.56	735.64 (14-4-90)	(+) 30.30

1	2	3	4	5	6
3.	थियोफिलीन	किग्रा०	224.36	300.00 (13-7-90)	(+) 33.71
4.	क्लोरेमफेनीकोल पाउडर	किग्रा०	644.00	1300.00 (23-10-90)	(+) 101.86
5.	एथाम्बुटोल एच०सी०एल०	किग्रा०	730.00	752.00 (27-6-90)	(+) 3.01
6.	एनल्जीन	किग्रा०	196.30	280.00 (1-6-90)	(+) 42.64
7.	पैरासीटामोल	किग्रा०	104.00	122.00 (24-5-90)	(+) 17.31
8.	मैबहाइड्रोलीन	किग्रा०	1132.28	1010.00 (9-8-90)	(+) 10.79
9.	प्रोमेथाजाइन एच०सी०एल०	किग्रा०	538.63	887.00 (23-10-90)	(+) 64.68
10.	आयडोक्लोरोहाइड्रोक्सी-क्विनोलिन	किग्रा०	134.00	309.00 (32-10-90)	(+) 130.60
11.	आक्सीटेट्रासाइक्लीन एच०सी०एल०	किग्रा०	650.00	750.00 (19-10-90)	(+) 15.38
12.	अमोडियाक्विन एच०सी०एल	किग्रा०	367.00	648.60 (9-8-90)	(+) 76.73
13.	क्लोक्सासीलिन सोडियम ओरल ग्रेड	किग्रा०	पहला मूल्य निर्धारण	2048.00 (12-10-90)	(—)
14.	एम्पीसिलीन सोडियम स्टेरिल	किग्रा०	वही	2941.00 (13-9-90)	(—)
15.	बेंजाथिन पेनिसिलीन	किग्रा०	1375.00	1873.00 (23-10-90)	(+) 36.22
16.	पोटेशियम पेनिसिलीन जी फर्स्ट क्रिस्टल	बीयू	649.00	695.00 (1-8-90)	(+) 7.09
17.	सोडियम पेनिसिलीन जी	बीयू	729.00	1207.00 (1-8-90)	(+) 65.57

1	2	3	4	5	6
18.	सोडियम पी० ए० एस०	किग्रा०	116.80	166.00 (27-6-90)	(+) 42.12
19.	एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जैल०	किग्रा०	12.50	29.13 (31-7-90)	(+) 133.04
20.	डी-क्लोरोटेट्रासाइक्लिन	किग्रा०	5890.00	4968.00 (9-8-90)	(—) 15.65
21.	स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट	किग्रा०	660.75	1154.00 (6-9-90)	(+) 74.65
22.	विटामिन ए एसीटेट (0.5 एम० आई० यू०/ग्रा०)	1000 एम० आई० यू०	730.00	2185.00 (21-9-90)	(+) 199.32
23.	विटामिन ए एसीटेट (1 एम० आई० यू०/ग्रा०)	1000 एम० आई० यू०	555.00	1545.00 (21-9-90)	(+) 178.38
24.	विटामिन ए पामीटेट	1000	1020.67	1541.00 (21-9-90)	(+) 50.98
25.	सल्फासिटामाइड सोडियम	किग्रा०	113.10	252.89 (1-10-90)	(+) 123.60
26.	सल्फासिटामाइड सोडियम (डी० आर० सी०)	किग्रा०	258.00	276.95 (1-10-90)	(+) 7.34
27.	सालबूटामोल सल्फेट	किग्रा०	35.65	7.20 (15-10-90)	(+) 79.80
28.	प्रेडनीसोलोन	किग्रा०	17100.00	28234.00 (12-6-90)	(+) 147.57
29.	प्रेडनीसोलोन एसीटेट	किग्रा०	17762.00	28556.00 (12-6-90)	(+) 60.77
30.	हाइड्रोकोर्टीसोन	किग्रा०	15513.00	22015.00 (13-9-90)	(+) 41.91
31.	हाईड्रोकोर्टीसोन एसीटेट	किग्रा०	14043.00	20209.00 (13-9-90)	(+) 43.91

1	2	3	4	5		6
32.	प्रोकैन पेनिसिलीन जी	बीयू	726.50	1127.00 (17-9-90)	(+)	55.13
33.	कूनैन सल्फेट गवर्नमेंट क्विन फैक्टरी (तमिलनाडु)	किग्रा०	1232.00	1518.00 (8-6-90)	(+)	23.21
34.	टेट्रासाइक्लिन एच०सी०एल०	किग्रा०	650.00	1022.00	(+)	57.23
35.	विटामिन सी ग्रेन	किग्रा०	154.69	272.00 (9-2-90)	(+)	75.84
36.	विटामिन सी कोटिड	किग्रा०	160.69	280.00 (9-2-90)	(+)	74.25
37.	सोडियम एसकोरबेट	किग्रा०	235.50	289.00 (9-2-90)	(+)	22.98
38.	सल्फाडायजिन	किग्रा०	171.00	461.00 (16-10-87)	(+)	169.60
39.	सयूडो एफीड्रिन एच०सी०एस०	किग्रा०	1400.00	1621.00 (7-12-87)	(+)	15.79
40.	सयूडो एफी-ड्रिन सल्फेट	किग्रा०	1321.00	1529.00 (7-12-87)	(+)	15.75
41.	सल्फाडिमीडाइन	किग्रा०	178.56	278.00 (27-6-89)	(+)	55.69
42.	कैल्शियम बी० पी० ए० एस०	किग्रा०	80.80	129.00 (16-2-88)	(+)	59.65
43.	क्लोरेमफेनीकोल पामीटेट	किग्रा०	679.50	1115.00 (8-6-90)	(+)	64.09
44.	क्लोरेमफेनीकोल मोनो स्टीरोयल ग्लाइकोलेट	किग्रा०	526.60	951.00 (8-6-00)	(+)	80.59
45.	थियासीटाजोन	किग्रा०	124.00	216.00 (5-4-88)	(+)	74.19
46.	डी-मिथाइल क्लोर-टेट्रासाइक्लिन	किग्रा०	1570.00	2382.00 (29-10-89)	(+)	51.72

1	2	3	4	5		6
47.	मेट्रोनिडाजोल	किग्रा०	428.77	482.00 (9-9-88)	(+)	12.41
48.	एस्प्रिन	किग्रा०	24.58	90.00 (26-10-89)	(+)	266.15
49.	एम्पीसिलीन ट्रिहाइड्रेट	किग्रा०	1391.68	1925.00 (21-3-89)	(+)	38.32
50.	एम्पीसिलीन एनहाइड्रस	किग्रा०	1953.00	2531.00 (21-3-89)	(+)	34.72
51.	एमोक्सीसिलीन ट्रिहाइड्रेट	किग्रा०	2229.00	2660.00 (21-3-89)	(+)	19.34
52.	डीहाइड्रोक्लेजाइन सल्फेट (नेपरीसोल)	किग्रा०	433.22	472.00 (20-9-88)	(+)	8.95
53.	बरालगन कीटोन	किग्रा०	1810.20	1926.00 (25-10-88)	(+)	6.40
54.	फैनीरामाइन मेलिएट	किग्रा०	809.00	726.00 (17-3-89)	(—)	20.26
55.	डीक्लोरो मेटाक्सीजेनोल	किग्रा०	—	211.00 (31-10-88)		—
56.	रिफेम्पीसीन	किग्रा०	3098.00	3500.00 (29-6-89)	(+)	12.98
57.	सेटरीमाइड	किग्रा०	156.63	137.23 (31-10-88)	(—)	12.39
58.	इबूप्रोफेन	किग्रा०	1060.00	502.00 (27-6-89)	(—)	52.64
59.	फ्रूसेमाइड	किग्रा०	1679.47	1911.00 (22-11-88)	(+)	13.79
60.	डेक्सामेथोसोन ट्रिमिथाइल एसीटेट	किग्रा०	6737.00	90557.00 (14-12-88)	(+)	34.42
61.	डेप्सोन	किग्रा०	250.00	259.00 (14-12-88)	(+)	3.60
62.	क्लोरहेक्सीडाइन ग्लूकोनेट	किग्रा०	611.04	681.00 (14-12-88)	(+)	11.45

1	2	3	4	5		6
63.	सिप्राइल सालिसाइलेट	किग्रा०	—	58.00 (14-12-88)		—
64.	क्लोरोक्विन फास्फेट	किग्रा०	476.00	833.00 (6-11-89)	(+)	75.00
65.	क्लोरोक्विन सल्फेट	किग्रा०	967.00	1013.00 (6-11-89)	(+)	4.76
66.	जाइलोकेन (लीडोकेन)	किग्रा०	175.00	410.10 (16-8-89)	(+)	134.29
67.	डेक्सामिथासोन ब्रोर	किग्रा०	92.62	92.00 (10-11-89)	(—)	0.67
68.	डेक्सामिथासोन 21-फास्फेट	किग्रा०	195.37	97.00 (10-11-89)	(—)	50.35
69.	एरिथ्रोमाइसिन टिओक	किग्रा०	2000.00	2983.00 (28-12-88)	(+)	49.15
70.	एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट	किग्रा०	1700.00	2489.00 (28-12-88)	(+)	46.41
71.	एरिथ्रोमाइसिन स्टीयरेट	किग्रा०	1006.00	2076.00 (28-13-88)	(+)	106.36
72.	एरिथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सीनेट	किग्रा०	—	3532.00 (28-12-88)		—
73.	ओक्सीटेट्रासाइक्लिन एम्फोटैरिक	किग्रा०	650.00	914.00 (2-12-88)	(+)	40.62
74.	बीटामेथासोन अल्कोहल	ग्रा०	134.28	144.19 (2-1-89)	(+)	7.38
75.	बीटामेथासोन वेलिरेट	ग्रा०	220.00	136.58 (2-1-89)	(—)	37.92
76.	बीटामेथासोन डी-सोडियम फास्फेट	ग्रा०	225.00	144.58 (2-1-89)	(—)	35.74
77.	प्रेटीनोल निकोटिनेट	किग्रा०	413.00	409.00 (11-9-89)	(—)	0.97

1	2	3	4	5		6
78.	सल्फासीटामाइड	किग्रा०	172.97	352.00 (20-6-89)	(+)	103.50
79.	आइसोनियाजिड	किग्रा०	174.00	252.00 (3-2-89)	(+)	44.83
80.	सल्फाफेनाजोल	किग्रा०	—	294.00 (7-3-89)	—	
81.	एफीड्रिन रेसीमेट	किग्रा०	347.00	579.00 (9-3-89)	(+)	66.86
82.	हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफिलीन (एचइटी)	किग्रा०	354.00	427.00 (26-10-89)	(+)	20.62
83.	हाइड्रोक्लोरथियाजिड	किग्रा०	198.15	489.00 (7-3-89)	(+)	146.78
84.	सोफालेक्सिन मोनोहाइड्रेड	किग्रा०	5000.00	4842.00 (6-9-89)	(—)	3.16
85.	एमिनोफिलीन	किग्रा०	240.00	253.00 (12-10-89)	(+)	5.42
86.	पाराक्लोरो मेटाक्सीलेनोल (पी० सी० एम० एक्स०)	किग्रा०	87.52	175.00 (24-4-89)	(+)	99.95
87.	डरेक्ट्राइड सल्फेट	किग्रा०	22660.00	23441.00 (12-10-89)	(+)	3.45
88.	डीलोक्साइड फ्यूरोएट	किग्रा०	445.67	472.00 (16-6-89)	(+)	5.91
89.	सीपामिसोल एच०सी०एल०	किग्रा०	—	2369.00 (16-6-89)		—
90.	क्लोरफेनीरामाइन मेलिएट	किग्रा०	1133.00	747.37	(+)	34.04
91.	स्पीरोनोलेक्टोन	ग्रा०	28.00	16.77	(—)	40.11
92.	डीक्साइल कारबामाजाइन सीट्रेट	किग्रा०	177.23	284.00 (11-8-89)	(+)	60.24

1	2	3	4	5	6
93.	फेनोबारबीटोन	किग्रा०	260.92	743.00 (11-8-89)	(+) 184.77
94.	फेनोबारबीटोन सोडियम	किग्रा०	510.00	970.00 (11-8-89)	(+) 90.20
95.	ओक्सीटोसिन	किग्रा०	—	5107.00 (6-9-89)	—
96.	फ्यूराजोलीडोन	किग्रा०	254.00	337.00 (11-9-89)	(+) 32.68
97.	डीगोक्सिन	ग्रा०	183.75	183.75	—
98.	सल्फामेथोक्साजोल	किग्रा०	517.00	390.00	(—) 24.56
99.	ट्रिमेथोप्रिम	किग्रा०	2587.00	996.00 (12-10-89)	(—) 61.50
100.	जैन्टामाइसिन सल्फेट	ग्रा०	35.67	12.50 (19-10-89)	(—) 64.96
101.	थियोफिलीन एथानोएट आफ पिप्राज़ाइन	किग्रा०	—	407.00 (12-10-89)	—
102.	पायराजिनामाइड	किग्रा०	734.00	1222.00 (13-10-89)	(+) 66.49
103.	क्लोफाजामाइन	किग्रा०	—	7108.00 (12-10-89)	—
104.	इन्सुलिन	एमयू	14970.00	13991.00 (6-3-90)	(+) 6.54

राजस्थान के ताप बिजली संयंत्र को मंजूरी

695. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 481.80 करोड़ रुपये की लागत के 2×210 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले ताप बिजली संयंत्र, जिसकी रिपोर्ट जून, 1984 में राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई थी, को मंजूरी के लिए अभी तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को इस बारे में कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी; और

(ग) इस परियोजना को चालू करने के लिए इसके कब तक तैयार होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयनराव ढाकणे) : (क) से (ग) 481.80 करोड़ रुपये की

लागत वाले 2×210 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को राजस्थान सरकार से कोई परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि 2×210 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाओं के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को 1984 में राजस्थान सरकार से प्राप्त हुए ब्यौरे तथा इनकी स्वीकृति सम्बन्धी स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम तथा क्षमता	प्राप्त होने की तिथि	लागत	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	सूरतगढ़ ताप विद्युत केन्द्र 2×210 मेगा-वाट	मई, 84	रु० 349.43 रु० 467.42 (संशोधित फरवरी, 86)	संशोधित स्कीम (2×250 मे०वा० चरण-I का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अक्तूबर, 90 में तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया गया था।
	संशोधित परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (2×250 मेगावाट)	अक्तूबर, 90	रु० 1003.15	बशर्ते कुछेक निवेश/स्वीकृतियां राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सुनिश्चित कर दी जायें। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सभी आवश्यक निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित किए जाने पर यथाशीघ्र स्कीम को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।
2.	चितौड़गढ़ ताप विद्युत केन्द्र (2×210 मेगा-वाट)	जून, 84	रु० 451.81	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से अनुरोध किया था कि वह जल एवं अन्य निवेश सुनिश्चित करने के लिए और भी अन्वेषण सम्बन्धी

1	2	3	4	5
				कार्य करे तथा अपेक्षित निवेश सुनिश्चित करने के पश्चात् संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। राजस्थान सरकार द्वारा चितौड़गढ़ ताप विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित किए जाने का कार्य अब निजी क्षेत्र में मैसर्स सैन्चुरी स्पीनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को सौंप दिया गया है लेकिन इस सम्बन्ध में कम्पनी ने अभी तक कोई परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

[हिन्दी]

राजस्थान में रसोई गैस के उपभोक्ता और एजेंसियां

696. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में शहर-वार और कस्बा-वार रसोई गैस के उपभोक्ताओं की और रसोई गैस एजेंसियों की संख्या क्या-क्या हैं;

(ख) राजस्थान में प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की महानगर-वार, नगर-वार और कस्बा-वार संख्या क्या-क्या है और उन्हें कनेक्शन देने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) राजस्थान में मंजूर की गई गैस एजेंसियों की संख्या क्या है और वे किन स्थानों पर खोली जायेंगी और एजेंसियां खोलने की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी; और

(घ) राजस्थान में किन-किन स्थानों पर नई गैस एजेंसियां खोले जाने की मांग की गई है और क्या सरकार ने इन स्थानों के लिए गैस एजेंसियां स्वीकृत करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) राजस्थान में एल० पी० जी० के उपभोक्ताओं, एल० पी० जी० एजेंसियों और प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना विवरण-I में दी गई है। देश भर में नए एल० पी० जी० कनैक्शन उपभोक्ताओं के नामांकन के वार्षिक कार्यक्रम के तहत एक चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं।

(ग) एल० पी० जी० की 20 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें, जो विवरण-II में दी गई है, आशय-पत्र जारी करने के पश्चात् आरम्भ होने के विभिन्न चरणों में है। गोदाम स्थल प्राप्त करने, सो-कम और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने आदि जैसे विभिन्न कदमों को देखते हुए यह बताना सम्भव नहीं है कि ये डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कब तक चालू होंगी।

(घ) स्थानीय मांग और तेल उद्योग द्वारा किये गये बाजार सर्वेक्षण के आधार पर नई एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए 20 स्थानों का पता लगाया गया है जिसकी सूचना विवरण-III में है। नये स्थानों को, जिन्हें चरणों में कार्यान्वित करना होता है, एल० पी० जी० विपणन योजना में शामिल किया जाता है।

विवरण-I

(1-11-1990 की यथास्थिति)

क्रम सं०	नहर/शहर	उपभोक्ताओं की लगभग संख्या	एल०पी०जी० वितरकों की संख्या	प्रतीक्षा सूची व्यक्तियों की लगभग संख्या
1.	जयपुर	1,35,056	28	1,69,398
2.	अजमेर	41,843	9	33,250
3.	जोधपुर	51,392	12	1,64,086
4.	बीकानेर	23,945	5	12,340
5.	कोटा	46,753	10	68,725
6.	सुजानगढ़	2,850	1	3,201
7.	श्रीगंगा नगर	12,591	3	7,492
8.	ब्यावर	7,490	2	7,685
9.	किशनगढ़	3,574	1	6,253
10.	हिण्डोन	3,064	1	1,504
11.	गंगापुर शहर	3,167	1	2,588
12.	करावली	1,897	1	1,441
13.	राजगढ़	1,921	1	957
14.	हनुमानगढ़	3,079	1	2,560
15.	दरीबामाइन्स	1,075	1	600
16.	चितौड़गढ़	4,546	1	4,201
17.	मकराना	3,275	1	3,195

1	2	3	4	5
18.	सोजत	1,243	1	2,348
19.	पाली	6,595	1	7,526
20.	माउन्ट आबू	2,854	1	388
21.	आबू रोड	3,805	1	1,443
22.	बाड़मेर	3,964	1	5,237
23.	बलोट्रा	4,111	1	3,131
24.	डॉब	3,690	1	3,389
25.	सवाई माधोपुर	5,386	1	1,963
26.	नीमा	1,652	1	2,500
27.	नागौर	4,375	1	2,338
28.	जैसलमेर	3,607	2	2,291
29.	रावत भाटा	4,792	1	685
30.	अलवर	3,386	1	2,275
31.	उदयपुर	44,494	7	412
32.	सिरोही	4,099	1	1,876
33.	डूंगरपुर	4,833	1	996
34.	बांसवाड़ा	4,138	1	781
35.	धौलपुर	3,513	1	2,000
36.	अलवर	22,655	5	3,359
37.	फतेहपुर	1,942	1	1,262
38.	चौमू	2,296	1	1,400
39.	रामगढ़	2,329	1	390
40.	खेतड़ी	7,270	2	2,296
41.	रणथम्भौर	1,673	1	2,400
42.	चिरावा	858	1	2,521
43.	सांगानेर	4	1	5,000
44.	झालरापाटन	1,657	1	196
45.	बारान	2,822	1	4,315
46.	झावारमाइन्स	3,942	1	141

1	2	2	4	5
47.	भरतपुर	13,549	3	5,514
48.	पलोड़ी	919	1	2,505
49.	बिलारा	1,100	1	1,327
50.	कूचामन	2,714	1	1,228
51.	भीलवाड़ा	8,026	2	10,250
52.	लक्ष्मणगढ़	1,820	1	384
53.	पिलानी	4,753	1	3,018
54.	नीम का थाना	1,092	1	2,316
55.	बैरी	769	1	1,492
56.	ब्यावर	752	1	2,085
57.	डीग	3,051	1	1,565
58.	रतनगढ़	1,535	1	1,793
59.	नसीराबाद	723	1	1,033
60.	नवलगढ़	571	1	528
61.	झुनझुनू	3,799	1	7,788
62.	सूरतगढ़	210	1	570
63.	बूंदी	7,221	1	1,652
64.	नीम्बाहेरा	4,403	1	1,843
65.	चूरू	4,079	1	2,522
66.	सरदारशहर	2,807	1	2,282
67.	दौसा	4095	1	2,175
68.	जालौर	4,212	1	1,179
69.	सीकर	8,311	1	462
70.	रावतसर	1,141	1	1,801
71.	सूरतगढ़	3,848	1	3,827
72.	राजसंमद	1,288	1	3,553
		योग : 55,92,291	149	6,12,020

विवरण-II

क्रम सं०	स्थान
1.	प्रतापगढ़
2.	सिरोही
3.	नसीराबाद
4.	भरतपुर
5.	जयपुर-क
6.	बीसा
7.	कोटा
8.	निवाओ
9.	सीकर
10.	उदयपुर
11.	जयपुर-ख
12.	अजमेर
13.	खेतड़ी
14.	भरतपुर-ख
15.	शाहपुरा
16.	अम्बर
17.	चाकसू
18.	जयपुर-ग
19.	जोधपुर
20.	सूरतगढ़

विवरण-III

क्रम सं०	स्थान
1.	नोहर
2.	बांदीकुई
3.	कोटा
4.	रिंगस
5.	भाद्रा
6.	उदयपुर

क्रम सं०	स्थान
7.	कोटपूतली
8.	अलवर
9.	डीडवाना
10.	बीकानेर
11.	लक्षीरी
12.	समरपुर
13.	पीपर
14.	नाथद्वारा
15.	मरटा
16.	लोडनू
17.	रामगंज मण्डी
18.	डूंगरगढ़
19.	संगवारा
20.	भिनमल

[अनुवाद]

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह की बिजली की आवश्यकता

697. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1990 को संघ राज्य अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की बिजली की कुल आवश्यकता कितनी थी और पिछले ग्यारह महीनों के दौरान, प्रति महिने बिजली का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) बिजली की कमी, यदि कोई है, को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है और बिजली के कम उत्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभाग के पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवंतराव डाक्ने) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां

698. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी, जयनगर, झंझारपुर और दरभंगा जिले के जाले नामक स्थानों पर खाना पकाने की गैस की नई एजेन्सियां खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) जी, नहीं। इन स्थानों पर पर्याप्त मांग क्षमता उपलब्ध नहीं है। जिससे कि इन स्थानों पर स्वतन्त्र एल० पी० जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का खोला जाना न्यायसंगत नहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्लास्टिक इन्जिनीयरी और प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार केन्द्र

699. **श्री मंगाराज मलिक** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय प्लास्टिक इंजिनीयरी और प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार केन्द्र स्थापित किए गए;

(ख) क्या सरकार का केन्द्रीय प्लास्टिक इन्जिनीयरी और प्रौद्योगिकी संस्थान में विद्यमान समिति के दर्जे के स्थान पर कुछ उत्पादन एककों सहित एक स्वायत्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय प्लास्टिक इंजिनीयरी और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में निर्यातोन्मुख उद्यमों पर और जोर दिए जाने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) 1990 में लखनऊ, हैदराबाद और भुवनेश्वर में सिपेट के विस्तार केन्द्रों से सम्बन्धित परियोजना कार्यकलाप पूरे किए गए थे।

(ख) (ग) और (घ) जी, नहीं। सिपेट वास्तव में एक प्रशिक्षण संस्थान है और इसके द्वारा किया गया कोई विकास अथवा उत्पादन कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आनुषंगिक है। वाणिज्यिक आधार पर किसी उत्पादन कार्य से उसके प्रशिक्षण के मूल लक्ष्य का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सिपेट द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्चा में निर्यातोन्मुखी उद्यमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निवेश शामिल हैं।

पनकी ताप विद्युत गृह

700. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पनकी ताप विद्युत गृह, कानपुर के विकास के लिए धनराशि प्रदान की है;

(ख) क्या संयंत्र ने इस धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप यह संयंत्र आयातित पुर्जे प्राप्त नहीं कर सका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम झाकड़े) : (क) जी हां, केन्द्र सरकार ने, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीम (फेज-I) के लिए 2514.00 लाख रु० की स्वीकृत राशि के तहत, केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में 1897.51 लाख रु० की राशि दी है।

(ख) संयन्त्र द्वारा निधि का उपयोग कर लिया गया है एवं मे० विद्युत वित्त निगम (वि० वि० नि०) नई दिल्ली द्वारा 5.02 करोड़ रु० की राशि का जारी किया जाना लम्बित है।

(ग) एवं (घ) आयातित पुर्जे केन्द्रीय ऋण सहायता स्कीम में शामिल नहीं है इसलिए केन्द्रीय ऋण सहायता राशि में से आयातित पुर्जों सम्बन्धी स्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात व पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस की सप्लाई

701. श्री एम० एम० पटेल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें बालिया और अहमदाबाद नगरों को पाइपलाइन के द्वारा 1.5 लाख सी० एम० डी० प्राकृतिक गैस की सप्लाई का आश्वासन दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने बालिया के गुजरात अल्कलीज ऐंड केमिकल्स लि० के लिए पहले ही 2 लाख घन मीटर गैस प्रतिदिन आवंटित की है। फिलहाल, बालिया अथवा अहमदाबाद शहरों के लिए और आवंटन की सम्भावना नहीं है।

[हिन्दी]

कोंकण रेलवे परियोजना

702. श्री हुर्रे चर्चंग।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेलवे परियोजना पर कितना व्यय होने की संभावना है और यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है और अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) इस परियोजना संबंध में 1 दिसम्बर, 1990 तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1989-90 के मूल्य स्तर पर अनुमानित लागत 1043 करोड़ रुपये है और इसके पूरा होने की संभावित तिथि अक्तूबर 1994 है।

(ख) इस परियोजना के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय द्वारा 70 करोड़ रुपये और भागीदारी राज्य सरकारों द्वारा 49 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से अभी तक कोंकण रेलवे निगम को 43 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। मंगलोर-उडुपी और रोहा-वासगांव खंड में मिट्टी सम्बन्धी कार्य और छोटे पुलों के लिए ठेके दे दिए गए हैं।

[अनुवाद]

विकसित देशों के साथ तेल के क्षेत्र में विनिमय समझौता

703. **श्री शांताराम पोटदुखे :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी संकट से उत्पन्न तेल की समस्या से निपटने के लिए उन विकसित देशों के लिए क्षेत्र में विनिमय समझौता करने की किसी योजना पर विचार किया है अथवा पता लगाया है जिनके पास उनकी तत्काल आवश्यकता से अधिक मात्रा में तेल भंडार उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे कितने विनिमय समझौतों अथवा पारस्परिक व्यापार समझौतों का पता लगाया है और इनसे कितनी मात्रा में तेल मिलने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) खाड़ी संकट के परिणामस्वरूप अगस्त, 1990 से इराक और कुवैत से कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा पड़ी है। अत: अगस्त, दिसम्बर, 1990 के दौरान विकसित देशों के साथ बिना किसी तेल विनिमय समझौते के इस कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति प्राप्त करना संभव हुआ है।

दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियों में यात्री सुविधाएं

704. **श्री ओकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :**

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों में उपलब्ध यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियों में मौजूदा मान दण्डों के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। यात्रियों के लिए सुख सुविधाओं के ग्रेड को ऊंचा करना और उनमें सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। हाल ही में गाड़ियों में जिन अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है उनमें दूसरे दर्जे के शयनयानों में गद्दी लगाना, कुछ गाड़ियों में प्रयोग के तौर पर जल शीतक लगाना, वातानुकूलित शयनयानों में बिस्तरों की व्यवस्था करना, कुछ सुपर फास्ट गाड़ियों में गार्ड अधीक्षकों की व्यवस्था, चुनिन्दा गाड़ियों में चल गाड़ी सफाई कर्मचारी, बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों में पानी की टंकी की क्षमता 1,272 लिटर से बढ़ाकर 1820 लिटर करना आदि शामिल हैं।

कानपुर में रसोई गैस एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें

705. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन कानपुर को "इन्डेन" घरेलू गैस उपभोक्ताओं से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) गत छः माह में इंडियन कारपोरेशन को कानपुर बाजार के एल० पी० जी० उपभोक्ताओं से करीब 91 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच की गई है और विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के अनुरूप समुचित कार्रवाई की गई है।

पाइप लाइनों से कच्चे तेल की चोरी

706. श्री जनार्दन पुजारी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाइप लाइनों से प्रति वर्ष चोरी किए जाने वाले कच्चे तेल की मात्रा का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मात्रा और कीमत का ब्योरा क्या है;

(ग) इस चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) कच्चे तेल की पाइप लाइनों से कच्चे तेल के छोटी-मोटी और छिटपुट क्षति/चोरी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पाइप लाइनों के रिसाव को रोकने के लिए निम्नलिखित नियामक उपाय किए गए हैं :

(1) होम गार्ड ग्राम रक्षा दल और सरपंचों की सेवाओं का उपयोग।

(2) तेल कम्पनी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा पैदल गश्त लगाना।

(3) स्थानीय पुलिस के साथ चल गश्त लगाना।

(4) चुने हुए आपराधिक क्षेत्रों में घुड़सवार पुलिस नियुक्त किया जाना।

(5) पाइप लाइनों की निगरानी हेतु हेलिकाप्टरों का उपयोग करना।

(6) सड़क क्रासिंग, रेल क्रासिंग आदि पर पाइप लाइनों की विशेष जांच करना।

पंजाब में पेट्रोकैमिकल काम्पलेक्स

707. श्री बाबा सुच्चा सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में एक पेट्रोकेमिकल्स काम्पलेक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह कहां स्थापित करने का विचार है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) यद्यपि 8वीं योजना अवधि में पंजाब में कोई पेट्रोरसायन काम्पलेक्स विचाराधीन नहीं है लेकिन पंजाब में ऐसा काम्पलेक्स स्थापित करने पर बाद में विचार करना संभव हो सकेगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में तेल और गैस की खोज

708. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के थार रेगिस्तान में किन-किन स्थानों पर आयल इंडिया लिमिटेड और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल और गैस की खोज की जा रही है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) इस परियोजना के लिए अगली योजना में क्या उपबंध किए गए हैं; और इसकी भावी सम्भावनाएं क्या हैं; और

(ङ) सरकार गैस का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में अन्वेषण-कार्य करता रहा है, यथा धोटार, मानहेड़ा टिब्बा, खराटर, भखरी टिब्बा, लांग, शाहगढ़, सत्तरवली, अख्तार, सुमारवली तलाई, डांगीवाला, भुआना, वांकिया, सादेवाला, मैजासर, लूनर और पेपरवाला टिब्बा क्षेत्र। आज की तारीख की स्थिति के अनुसार, 39 कूपों की ड्रिलिंग की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप, मानहेड़ा टिब्बा, धोटाड, खराटर, भाखरी टिब्बा और वांकिया में गैस मिली है।

आयल इंडिया लिमिटेड ने अभी तक 7 कूपों की ड्रिलिंग की है, यथा-3 तनात क्षेत्र में, रामगढ़ क्षेत्र में, 2 डांडेवाला क्षेत्र में और जलालवाला क्षेत्र में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान में खोदे गए सभी कूपों में गैस मिली है।

(ग) दिनांक 31-3-1990 तक तेल एवं गैस/प्राकृतिक आयोग ने 147.46 करोड़ रुपए खर्च किए है और आयल इंडिया लि० द्वारा किया गया खर्च 69.17 करोड़ रुपये है।

(घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान में अन्वेषण के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 122.96 करोड़ रुपए का अनन्तिम प्रावधान रखा गया है। आयल इंडिया लि० द्वारा उपलब्ध कराया गया ऐसा परिव्यय 131.68 करोड़ रुपए है। गैस भण्डारों की संभावित को देखते हुए "राजस्थान अन्वेषण परियोजना के भावी आसार काफी अच्छे दिख रहे हैं।

(ङ) राजस्थान में अभी तक प्राप्त हुई गैस का इस्तेमाल, राज्य सरकार की प्राथमिकताएं सुनिश्चित करने के बाद करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

धावनशालाओं की औसत राख का प्रतिशत

709. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला धावनशालाओं, विशेषकर सुदामडीह धावनशाला में भेजे जाने वाले कच्चे कोकिंग कोयले में और धोने के पश्चात, औसत राख का प्रतिशत और गैस साफ किए गए कोयले का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, कुकिंग कोयले के इस्तेमाल के लाभ के बारे में कोई कार्यक्रम चला रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) सुदामडीह वाशरी को आपूर्ति किए जाने वाले कच्चे कोयले में औसत राख की प्रतिशतता 31-32% के बीच है और धुले हुए कोयले में औसत राख की प्रतिशतता 18.7-18.9% है। भारत कोकिंग कोल लि० की अन्य वाशरी को आपूर्ति किए जाने वाले कच्चे कोयले की औसत राख प्रतिशतता 29.33% के बीच तथा धुले हुए कोयले की औसत राख प्रतिशतता 20% है । सुदामडीह वाशरी तथा भारत कोकिंग कोल लि० की अन्य वाशरीज को आपूर्ति किए जाने वाले फाइन कच्चे कोयले की औसत राख प्रतिशतता 24 से 26% के बीच है तथा परिष्कृत फाइन कोयले की औसत राख की प्रतिशतता 17 से 18 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) जी, हां । ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(i) सुदामडीह वाशरी में 20 टी० पी० एच० ओलिक्को फलोटेसन टेस्ट;

(ii) सी० एफ० आर० आई० और सुदामडीह वाशरी के बीच सहयोग से सुदामडीह वाशरी की फ्रोथ फलोटेसन यूनिट;

(iii) फाइन कोयले के परिष्करण और मिडलिंग्स के आयल एग्लोयरेशन किए जाने के लिए एक संयुक्त हैवी-मिडिया साईक्लोन ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जोगेश्वरी और गोरे गांव (मुम्बई) के बीच नया रेलवे स्टेशन

710. **श्री अशोक आनन्दराव देश मुख** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे उपनगरीय नेटवर्क, मुम्बई पर जोगेश्वरी और गोरे गांव के बीच एक नया उपनगरीय रेलवे स्टेशन की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जोगेश्वरी और गोरे गांव स्टेशनों के बीच एक नये स्टेशन की मांग की गयी है । इसकी जांच की गई है लेकिन इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया ।

मेट्रो रेलवे, कलकत्ता को पूरा करना

711. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में मेट्रो रेलवे का निर्माण-कार्य स्थगित करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने की सम्पूर्ण समय-सीमा पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है;

(घ) कितने समय तक यह स्थगित रहा; और

(ङ) मेट्रो रेल परियोजना के शेष कार्य को पूरा करने का कार्य इस समय किस स्थिति में है ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) 12-11-90 से ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने तथा तत्पश्चात हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 19-11-90 से तालाबंदी की घोषणा करने के कारण मैसर्स हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड द्वारा एस्प्लेनेड और बेलगछिया के बीच किए जा रहे सिविल इंजीनियरी कार्यों का निर्माण रुक गया है।

(ग) और (घ) चूंकि अभी भी हड़ताल/तालाबंदी जारी है, इसलिए इस समय यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि परियोजना के पूरा होने की अनुसूची किस हद तक प्रभावित होगी।

(ङ) एस्प्लेनेड और बेलगछिया के बीच कलकत्ता मेट्रो के शेष भाग में अभी भी लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूरा किया जाना है।

[हिन्दी]

राजस्थान में पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियां

712. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियां हैं;

(ख) क्या ये राज्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी भावी योजना क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक तहसील स्तर पर पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसी आवंटित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) :

(क) राजस्थान में 873 पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र और 149 एल०पी०जी० डिस्ट्री ब्यूटरशिपें हैं।

(ख) और (ग) तेल उद्योग खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विकास हेतु स्थानों का पता लगाने के लिए निरन्तर सर्वेक्षण करता है। मांग में अनुमानित वृद्धि के आधार

पर खुदरा बिक्री केन्द्रों के विकास हेतु एक चरणबद्ध तारीके से 62 नए स्थानों का पता लगाया गया है और एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए 40 स्थानों का पता लगाया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) तेल कम्पनियों द्वारा किए गए नियमित सर्वेक्षणों के आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) इनके प्रयोजनार्थ मात्र/दूरी सम्बन्धी निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्थापित किये जाते हैं। दूसरी ओर एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें 20000 या उससे अधिक के आबादी वाले शहरों/नगरों (1981 की जनगणना के अनुसार) में खोली जा रही हैं जहां डिस्ट्रीब्यूटरशिप को आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने की सम्भावना हो और उत्पाद उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

मुम्बई-नान्देड़ वायुदूत सेवा बन्द होना

713. **डा० वेंकटेश काबड़े** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई-नान्देड़ वायुदूत सेवा बन्द कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मार्ग पर मुम्बई-हैदराबाद वायुदूत सेवा चलाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) वायुदूत उसको हो रही भारी हानियों को कम करने और अपने विमान बेड़े का अधिक दक्षता पूर्ण उपयोग करने की दृष्टि से, अपने मार्गतंत्र को युक्तिसंगत बना रहा है। इसके परिणामस्वरूप, इसके मार्गतन्त्र में स्टेशनों की संख्या 104 से घटाकर अब 55 कर दी गयी है। वायुदूत को परिचालनों को युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से, नांदेड़ के लिए परिचालनों को बन्द कर दिया गया है।

(ग) बम्बई-औरंगाबाद/पूर्ण-हैदराबाद मार्ग पर वायुदूत को बेहतर लाभ प्राप्त हो रहा है।

विजयवाड़ा ताप विद्युत गृह को कोयले की सप्लाई

714. **श्री राममोहन रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा ताप विद्युत गृह को कोयले की समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा तापीय विद्युत गृह (वी०टी०पी०एस०) को शुरू में कोयले की आवश्यकताओं के लिए सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० (एस०सी०सी०एल०) के साथ संयोजित किया गया था। सिंगरेनी में कम उत्पादन होने के कारण सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० से संयोजन के कुछ भाग को तलचर कोयला क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया है। किन्तु रेलवे ने, विशेषकर व्यवस्था की स्थिति के दौरान, तलचर से वी०टी०पी० एस० को कोयले का संचलन किए जाने में कुछ क्षमता सम्बन्धी कठिनाइयों का उल्लेख किया है। वी० टी०पी०एस० को कोयले की आपूर्ति का सुचारू रूप से सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में निम्न-लिखित उपाय किए गए हैं :

(i) सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लि० से अधिक संयोजन ।

(ii) तलचर कोयला क्षेत्रों से प्रति मास न्यूनतम 10 रेकों की आपूर्ति ।

(iii) रेलवे तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श करके बी०टी०पी०एस० को कोयले का संचलन किए जाने में निकटतम निगरानी तथा समन्वय कार्य ।

गैर परम्परागत तरीकों से पूंजी जुटाना

715. **श्री बी० देवराजन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने सरकार द्वारा किये गये कम बजट आवंटन की समस्या से निपटने के लिए अपनी विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए नियत की गई राशि में कटौती कर दी है जबकि अधिक पूंजी जुटाने के लिए यह तरीका परम्परागत नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में अपर्याप्त बजटीय सहायता के कारण रेलों को भारतीय रेल वित्त निगम के माध्यम से बाजार से ऋण लेना पड़ा था ताकि योजना का समुचित आकार बनाये रखा जा सके। बजटीय कठिनाइयों को देखते हुए केवल कोंकण रेलवे के निर्माण के लिए बी०ओ०टी० (बिल्ड, आपरेट एन्ड ट्रांसफर) नामक नई योजना बनाई गई है । इस प्रयोजन के लिए "कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड" नामक सार्वजनिक क्षेत्र की एक कम्पनी की स्थापना की गई है ताकि बाजार ऋण के माध्यम से आवश्यक वित्त जुटाया जा सके ।

(ख) आठवीं योजना में बाजार ऋण की मात्रा बजटीय सहायता, योजना परिव्यय तथा यातायात के स्तर के आधार पर आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी ।

आरा में मरम्मत कार्यशाला की स्थापना

716. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरा (बिहार) में रेलवे यात्री डिब्बों की मरम्मत और रखरखाव के लिए एक मरम्मत कार्यशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) चल स्टाक अनुरक्षण शेडों की स्थापना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है अर्थात् इष्टतम परिचालनिक आवश्यकताओं, एक स्थान की तुलना में दूसरे स्थान पर सुविधा की लागत, अतिरिक्त निवेशों को कम करने के लिए कुछ मौजूदा सुविधाओं का परिवर्तन आदि । इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए आरा में किसी सुविधा की व्यवस्था किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया ।

आयल सेलेक्शन बोर्ड (दक्षिण) द्वारा साक्षात्कार

717. श्री बलवन्त मणवर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान आयल सेलेक्शन बोर्ड (दक्षिण) ने दक्षिण में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से एल०पी०जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कई उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और उन्होंने कितने उम्मीदवारों का चयन किया; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान कितने बेरोजगार इंजीनियरों अथवा अन्य व्यवसायी व्यक्तियों का चयन किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) पिछले वर्ष के दौरान तिरुपति में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन की एल०पी०जी० डिस्ट्री-ब्यूटरशिप के लिये तेल चयन बोर्ड (दक्षिण) द्वारा साक्षात्कार किये गये थे। उनके परिणाम अभी घोषित किए जाने हैं।

लकड़ी के स्लीपरों की बदलना

718. श्री एम० एम० पल्लम राजू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुल कितने लम्बे रेलमार्ग में लकड़ी के स्लीपरों को बदलकर कंकरीट स्लीपर लगा दिए गए हैं;

(ख) इन बेकार लकड़ी के स्लीपरों को किस प्रकार उपयोग में लाया जा रहा है;

(ग) अब तक लगभग कितनी स्लीपर लकड़ी एकत्र कर ली गई है;

(घ) कंकरीट स्लीपर लगाकर एक कि० मीटर लम्बे रेल मार्ग को बदलने पर औसतन कितनी लागत आती है; और

(ङ) निकट भविष्य में उक्त प्रतिस्थापन के लिये कितने परिव्यय का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) लगभग 2450 कि०मी० में।

(ख) विनमुंक्त उपयोगी स्लीपरों का यथा व्यावहारिक उपयोग, आकस्मिक नवीकरण, दुर्घटना सम्बन्धी मरम्मत और मी० ला० और छो० ला० के स्लीपरों को बदलने में किया जाता है। विनिमुंक्त बेकार स्लीपरों का उपयोग विभिन्न विभागीय कार्यों में भी किया जाता है। यदि कोई बेकार स्लीपर अवशेष रह जाते हैं तो विक्रय/नीलामी के जरिए उनका निपटान कर दिया जाता है।

(ग) अब तक लकड़ी के लगभग 32 लाख स्लीपर विनिमुंक्त किये गये हैं और अब तक उनके स्थान पर कंक्रीट के स्लीपर लगाये गये हैं और उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित कार्यों में उनका उपयोग किया जा रहा है।

(घ) बड़ी लाइन पर प्रति कि०मी० लगभग 15 लाख रुपये और मीटर लाइन पर प्रति कि०मी० लगभग 9 लाख रुपए।

(ङ) एक वर्ष से दूसरे वर्ष में रेलपथ नवीकरण शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धन-राशि पर परिव्यय की राशि निर्भर करती है।

हरिदासपुर से पारादीप तक रेल लाइन बिछाना

719. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक-पारादीप रेल लाइन को दोहरी लाइन में बदलने के स्थान पर हरिदासपुर से पारादीप तक एक नयी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में द्विभाषी कम्प्यूटर प्रणाली

720. **कुमारी उमा भारती** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के "केशव देव पेट्रोलियम अन्वेषण संस्थान देहरादून" में हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी कम्प्यूटर लगाये गए हैं;

(ख) यदि उपयुक्त कम्प्यूटरों का उपयोग हिन्दी में कार्य करने के लिए नहीं किया जा सकता, तो हिन्दी में कार्य करने के लिए किए गए उपायों का ब्योरा क्या है तथा निर्देशानुसार क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि कोई उपाय नहीं किये गये हैं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकार के आदेशों के अनुसार, भविष्य में हिन्दी और अंग्रेजी में केवल द्विभाषी कम्प्यूटर ही खरीदने का प्रस्ताव है।

(घ) वर्ष 1991 के दौरान एक कम्प्यूटर के लिए अतिरिक्त देवनागरी प्रिंटर और हिन्दी में प्रयोग के लिए साफ्टवेयर की खरीद करने का प्रस्ताव है। इस प्रिंटर और साफ्टवेयर के कार्य-निष्पादन के आधार पर आगामी वर्षों में अन्य कम्प्यूटरों में भी वही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भविष्य में खरीदे जाने वाले सभी कम्प्यूटर वे ही होंगे जिनमें द्विभाषी सुविधाएं होंगी।

[अनुवाद]

बम्बई-पालघर सैक्शन को उपनगरीय रेलवे प्रबन्ध व्यवस्था में शामिल करना

721. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई से पालघर तक के पश्चिमी रेल मार्ग को पश्चिम रेलवे की स्थानीय रेल-गाड़ियों के क्षेत्राधिकार में शामिल करने की जोरदार मांग की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) प्रौद्योगिकीय तंगियों के कारण विरार से पालघर से आगे स्थानीय सेवाओं का विस्तार व्यावहारिक नहीं पाया गया।

गोबर गैस का उपयोग

722. **श्री कुसम कृष्णमूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षित विद्युत उत्पादन में उपभोग किये जा रहे डीजल की खपत कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ख) गोबर-गैस का उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवंतराव ठाकरे) : (क) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विभाग ने कैप्टिव विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल में आने वाले डीजल की खपत में कमी लाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए हैं—

(i) कतिपय औद्योगिक यूनिटों को दी गई विशेष छूटों के अधीन तेल कम्पनियों से औद्योगिक यूनिटों को हाई स्पीड डीजल की सीधी सप्लाई के मामले में 1-7-1990 से पिछले तीन वर्षों की औसत खपत पर 10 प्रतिशत की कटौती लगाई गई है।

(ii) हाई स्पीड डीजल सप्लाई केवल इस उद्देश्य के लिए मुक्त रखी गई श्रेणियों को छोड़कर नए कैप्टिव डीजल इंजिन सैट्स के लिये 8-10-1990 से नहीं की जायेगी।

(ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग देश में पारिवारिक आकार तथा सामुदायिक व संस्थागत दोनों ही प्रकार के बायोगैस (गोबर गैस) संयंत्रों को प्रोत्साहित कर रहा है। हाल ही में पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों के लिए उठाए गए कदमों में केन्द्रीय वित्तीय सहायता की दरों में वृद्धि, टर्न-की जाब फीस, मरम्मत और रख-रखाव खर्च और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन तथा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है जिनमें महिला उपयोगकर्ताओं और स्थानीय मिस्त्रियों व तकनीशियनों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में कम्प्यूटरों द्वारा हिन्दी में कार्य

[हिन्दी]

723. **श्री नाथू सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में लगाये गये विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटरों की संख्या कितनी है तथा ये कब से लगाए गये हैं;

(ख) इनमें से कितने कम्प्यूटरों का हिन्दी में कार्य करने के लिए उपयोग किया जा सकता है तथा कितने कम्प्यूटर हिन्दी में कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार ये सभी कम्प्यूटर हिन्दी में कार्य करने के अनुकूल बनाए गए हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक सभी कम्प्यूटरों को हिन्दी में कार्य करने के अनुकूल बनाया जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अय प्रकाश) : (क) कम्प्यूटरों की किस्म कब से स्थापित हैं (अवधि) :

1.	3 (संख्या) मिनी	1. 1982-90—बैक्स 11/780-1982 सुपर 32/70-1987 इंटरग्राफ 380-1990
2.	6 (संख्या) मिनी/वर्क स्टेशन	2. 1985-89—2 (संख्या) मिनी-1985 2 (संख्या) डब्ल्यू/एस-1986 1 (संख्या) मिनी-1987 1 (संख्या) मिनी-1988
3.	105 (संख्या) पी० सी०	3. 1987-90

(ख) उपयुक्त पी० कम्प्यूटरों में से दो पहले से ही हिन्दी में कार्य कर रहे हैं तथा 13 अन्य कम्प्यूटर भी जिनके शीघ्र प्राप्त हो जाने की आशा है, हिन्दी में ही कार्य करेंगे।

(ग) जी, नहीं। तथापि, सरकारी आदेशों के अनुसार हिन्दी की सुविधाओं वाले कम्प्यूटर प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में 13 कम्प्यूटरों में हिन्दी सुविधा लगाने के लिए आदेश दिये हैं।

(घ) इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड बहुत ही तकनीकी क्षेत्रों में अधिकतर कम्प्यूटरों का प्रयोग कर रहा है, इनमें हिन्दी का प्रयोग हिन्दी में कम्प्यूरीकरण की सुविधाओं के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। जैसे ही सुविधाएं उपलब्ध होंगी, पुराने कम्प्यूटरों में हिन्दी का प्रयोग और अधिक करने के सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

बंगलौर में सर्कुलर रेलवे

724. **श्री जी० एस० बासवराज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सितम्बर, 1990 में कुछ रेल परियोजनाओं के सम्बन्ध में कर्नाटक सरकार से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगलौर के लिये सर्कुलर रेल बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) कर्नाटक में 1990-91 के दौरान और कौन सी रेल परियोजनाएँ स्वीकृत की जायेंगी ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, इस प्रकार का कोई औपचारिक विचार-विमर्श नहीं किया गया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 1990-91 का रेल बजट पेश करने के बाद कर्नाटक में कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बिजली के बिल

725. श्री सी० एम० लेगी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरोजिनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, आर० के० पुरम, गोल मार्केट, मन्दिर मार्ग, बी० के० एस० मार्ग, लोधी कालोनी, क्षेत्र में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के बिजली के बिल तैयार करने एवं उन्हें भेजने में नई दिल्ली नगर पालिका/डेसू कितना समय लेती है;

(ख) उन क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे उपभोक्ताओं/आबंटितियों की संख्या कितनी है जिन्हें जून, 1990 के तथा उससे पहले की अवधि के बिजली के बिल अभी प्राप्त होने शेष है;

(ग) उन्हें बिल न भेजने के क्या कारण है; और

(घ) इन बिलों को शीघ्र भेजने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलराव ढाकणे) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका/डेसू को अपने क्षेत्रों के लिए बिजली के बिल तैयार करने एवं उन्हें भेजने में सामान्यतया 45/60 दिन लगते हैं।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका/डेसू के अनुसार उक्त क्षेत्रों में बिजली के बिल नियमित रूप से भेजे जा रहे हैं।

(ग) एवं (घ) उपरिलिखित भाग (ख) का उत्तर मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अंगमलि-अचेनकोविल-मालाचोरा रेल लाइन

726. श्री पलाई के० एम० मैथ्यू : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अंगमालि-अचेनकोविल-मालाचोरा रेल लाइन बिछाने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब से शुरू होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केरल में अंगमालि-आचेनकोविल-मालाचोरा नई रेलवे लाइन के निर्माण की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल और गैस ड्रिलिंग कम्पनियों द्वारा क्षमता का आयोग

727. श्री वी० देवराजन :

श्री परसराम भरद्वाज : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख तेल कम्पनियों के लिए व्यापार के अवसर अचानक कम हो जाने के कारण तेल और गैस ड्रिलिंग कम्पनियों द्वारा सर्विस सेक्टर में 3000 करोड़ का पूंजी-निवेश खतरे में पड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 30 प्रतिशत क्षमता समुद्र तट से दूर क्षेत्र में एवं 40 प्रतिशत क्षमता समुद्र तट क्षेत्र में बेकार पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने केलकर समिति की सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन को शामिल करना आवश्यक समझा है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (च) सरकार द्वारा अनुमोदित स्वदेशीकरण कार्यक्रम में इस बात पर बल दिया गया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लि० अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोलियों के आधार पर खुदाई सेवाएं चार्टर किराए पर लेंगे और भारतीय कम्पनियों से अपेक्षित रिगों के देश में लगाये जाने की कोई गारंटी नहीं होगी। इन कम्पनियों के अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर प्रतियोगता पूर्ण होने और ऐसे रिगों के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कहीं और भीकोट दिये जाने की आशा है। इन परिस्थितियों में यह सही नहीं है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के खुदाई कार्यक्रम में कमी होने के कारण क्षमता को निष्क्रिय रखा जाएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का खुदाई कार्यक्रम स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करता है और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के खुदाई कार्यक्रम में किसी मामूली कमी होने से इन कम्पनियों के स्वदेशी व्यापार के अवसरों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा।

(ङ) और (च) स्वदेशीकरण पर केलकर समिति की सिफारिशें इस समय सरकार के विचाराधीन है।

कलकत्ता को दूसरा "पोर्ट आफ कॉल" बनाया जाना

728. श्री अमल दत्त : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में कलकत्ता को किसी भी विदेशी विमान कम्पनी के लिए दूसरे "पोर्ट ऑफ काल" के रूप विकसित करने पर विचार किया है और ऐसी पेशकश किसी विदेशी विमान

कंपनी के लिए की गयी है अथवा की जा रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) देश में एक ही उड़ान के दो बार अवतरण करने के लिए विदेशी विमान कम्पनियों को अनुमति देना एक सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया नहीं है। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है । तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कलकत्ता का सक्रिया रूप से संवर्धन किया जा रहा है और 21 विदेशी विमान कम्पनियों को भारत में अन्य स्थानों के अतिरिक्त कलकत्ता के लिये परिचालन करने के अधिकार दिए गए है ।

(ख) प्रश्न नहीं है ।

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

729. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि, उद्योग, ऊर्जा, निजी परिवहन आदि मेंपेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों की क्षेत्र-वार अनुमानित खपत कितनी है;

(ख) क्या तेल की बचत के लिए शुरू किए गये जन अभियान के परिणाम स्वरूप किसी भी क्षेत्र के खपत में कोई उल्लेखनीय गिरावट आयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो तेल यथा तेल-आधारित ऊर्जा की निजी खपत में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ख) जी, हां । जुलाई-नवम्बर, 1989 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में जो वृद्धि 9.4% थी, वह जुलाई-नवम्बर, 1990 के दौरान 1 5% घट गई है ।

(ग) सरकार द्वारा पहले से ही उठाए गए कदमों से पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करने में सहायता मिली है । स्थिति की आवश्यकता के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी ।

विवरण

विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की खपत निम्नलिखित हैं :

प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की क्षेत्रवार खपत

(आंकड़े हजार मि० टन में)

	1987-88	1988-89	1989-90
एल० पी० जी०			
घरेलू	1415	1592	1839
वाणिज्यिक/उद्योग	243	326	376
अन्य	28	43	51
जोड़	1686	1961	2266

मैपथा			
उर्वरक	2064	2373	2287
पेट्रो-रसायन	754	894	971
अन्य	34	66	77
जोड़	2852	3333	3335
डीजल			
रेलवे	1375	1440	1455
जल-मार्ग	152	152	188
अन्य परिवहन	13833	15126	16667
जिसमें कृषि शामिल है)			
विद्युत उत्पादन	209	134	126
उद्योग	1500	1345	1511
सभी क्षेत्र	17657	18704	20697
भट्ठी का तेल			
परिवहन	410	452	381
बागबानी/खाद्य	130	150	161
विद्युत उत्पादन	636	607	692
उद्योग	2765	3152	3052
अन्य	244	166	199
जोड़	4191	4527	4488

एस० एच० एच० एस०/एच० एस० एस०			
परिवहन	2	2	3
बागवानी/खाद्य	36	33	44
विद्युत उत्पादन	1659	1572	1630
उद्योग	2242	2231	2730
अन्य	14	11	19
जोड़	3953	3849	4426

नोट : वर्ष 1989-90 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

रेलवे सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश को आवंटित धनराशि

730. श्री जे० चोक्काराव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान "रेलवे सुरक्षा निधि" से आंध्र प्रदेश को कितनी धनराशि दी गयी; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है और इस निधि से प्राप्त राशि से किन-किन योजनाओं को आरम्भ किया गया है ?

रेल मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश को कोई राशि नहीं दी गई थी। तथापि, सातवीं योजना अवधि के दौरान उपचित राशि 69 लाख रुपये थी।

(ख) रेल संरक्षा कार्य निधि से राज्य सरकारों को धन, उनके द्वारा उनके महालेखा कारों के माध्यम से धन की प्रतिपूर्ति के लिए दावे प्रस्तुत करने पर, दिया जाता है। शुरू की गयी योजनाओं की जानकारी नहीं है।

मद्रास में 'मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम"

731. श्री इरा अन्नाराजू : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना निर्धारित समय में पूरी हो जाएगी;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) परियोजना की कुल लागत कितनी है; और

(घ) वर्ष 1990-91 के लिए इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) निम्नलिखित के कारण इस परियोजना के पूरा करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है :

1. संसाधनों की संगी

2. इस परियोजना के लिए अपेक्षित शेष भूमि का राज्य सरकार द्वारा न दिया जाना।

(ग) 108.21 करोड़ रुपये।

(घ) 14 करोड़ रुपये।

एयर इंडिया में नए पदों का सृजन करना

732. **श्री आर० मुथिया :** क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने गत छः महीनों के दौरान 200 करोड़ रुपये के घाटे के बावजूद वरिष्ठ प्रबन्धकीय संवर्ग, तकनीकी सलाहकार और इसी तरह के अनेक नये पद बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नये पदों का विभागवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या तकनीकी सलाहकार सहित इन सभी पदों को भरने के लिए कोई नियम बनाये गये थे;

(घ) यदि हां, तो क्या ये नियम उस समय लागू थे जब इन नए पदों पर नियुक्ति के लिए चयन किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन नये पदों को भरने के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया का ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान उप प्रबंध निदेशक अथवा उपनिदेशक या तकनीकी सलाहकार के किसी भी पद का सृजन नहीं किया गया है।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों का कार्य निष्पादन

733. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 दिसम्बर, 1990 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में "इरन्ट पी० एस० यू० चीफ फेस दि ऐक्स" शीर्षक से दिए गए समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो जिन उपक्रमों, के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा की जाएगी, उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या उन उपक्रमों, जिनका कार्य निष्पादन समीक्षाधीन है, ने भारत सरकार के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराव डाकणे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ऊर्जा मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कोल इंडिया लिमिटेड

तथा नेवेली लिग्नाइट निगम ऐसे उपक्रम हैं जो कि इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं और इन्होंने भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चूंकि कुल मिलाकर इन उपक्रमों का कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा है, इसलिए इन उपक्रमों के मुख्य कार्यपालकों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

बहराइच और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को रेलवे लाइन से जोड़ना

734. **श्री रघुनेन चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के बहराइच एवं नेपाल से लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी लाइन बिछाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल को केन्द्रीय पूल से विद्युत आवंटन

735. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वर्ष वार ब्यौरे सहित केरल को केन्द्रीय पूल से विद्युत की कुल कितनी मात्रा आवंटित की गई; और

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा विद्युत की कितनी मात्रा का उपयोग किया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराव डाकणे) : (क) और (ख) दक्षिण क्षेत्र के केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों में केरल का हिस्सा तथा 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान वास्तविक रूप में प्राप्त की गई विद्युत का ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)

	1987-88	1988-89	1989-90
(i) विद्युत पात्रता	1001	1372	1594
(ii) वास्तविक आहरण	1080	1270	1138

प्रदूषण रहित रेल गाड़ियों का विकास

736. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार को युगोस्लाविया में प्रदूषण रहित रेलगाड़ियों के विकसित किए जाने की जानकारी है;

(ख) क्या अनुसंधान, अभिकल्प तथा मानक संगठन के पास ऐसी कोई परियोजना है; और

(ग) क्या सरकार का नगर यात्री सेवाओं आदि के लिए इस तकनीक का प्रयोग करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जी नहीं।

नई औषध नीति

737. श्री कंकर मुंजारे : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि औषध कम्पनियां अपनी विभिन्न ब्राण्डों की औषधों की बिक्री बढ़ाने के लिए डाक्टरों को भी प्रेरित करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कम्पनियों द्वारा अपनाए जा रहे तरीकों पर रोक लगाने के लिए कोई उपाय करने पर विचार किया है अथवा विचार करेगी;

(ग) क्या सरकार का नई औषध नीति लागू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नई नीति कब तक घोषित कर दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) यह विभाग अलग-अलग कम्पनियों की विपणन नीतियों को मानीटर नहीं करता है। अनुसूचीबद्ध सूत्र योगों पर दिए जाने वाले एम० ए० पी० ई० (विनिर्माण पश्चात् अधिकतम अनुमत्य खर्च) में उत्पादकों के लाभ सहित बाजार खर्च शामिल होते हैं।

(ग) से (ङ) औषध नीति, 1986 की पुनरीक्षा जारी है।

मध्य रेलवे में रेल कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन

738. श्री राम नाईक : क्या रेल मंत्री मध्य रेलवे में रेल कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन देने के बारे में 4 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4267 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच मंगा ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 4-9-90 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 4267 के दिए गए उत्तर से संबंधित आश्वासन के संबंध में कार्यान्वयन रिपोर्ट से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नौवीं लोक सभा का तीसरा सत्र, 1990

पूरा करने की तारीख

रेल मंत्रालय

प्रश्न सं० और तारीख	विषय	दिया गया वचन	कब और कैसे पूरा किया गया	टिप्पणी
4-9-90 को श्री राम नाईक द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं० 4267	मध्य रेलवे में रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन पूछा गया था कि : (क) डिविजनल मैनेजर, मध्य रेलवे, वी० टी० मुम्बई (बम्बई) के पास रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं के पेंशन के कुल कितने आवेदन लंबित पड़े हैं, (ख) इनमें से ऐसे कितने आवेदन अक्तूबर, 1988 से लंबित हैं, और (ग) इन आवेदनों के निपटान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाने का विचार है और इसकी समयबद्ध कार्य योजना क्या है ?	(क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) 53 (ख) 2 (ग) दावा फार्मों को शीघ्रतिशीघ्र अन्तिम रूप दिए जाने के लिए विधवाओं को प्रशासन द्वारा आवश्यक सहायता दी जा रही है। उन मामलों, जिनमें कानून सम्बन्धी मुद्दे शामिल हों, को छोड़कर सभी लंबित मामलों को 90 दिन के भीतर निपटाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।	

मध्य प्रदेश को पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई

739. श्री राघव जी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश को क्रमशः वर्ष 1988, 1989 और 1990 में अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर महीनों के दौरान पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल को कितना-कितना कोटा जारी किया गया;

(ख) क्या वर्ष 1990 में मांग की तुलना में कम कोटा जारी किया गया; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी थी कि मुख्यतः इन महीनों में ही रबी की फसल बोई जाती है तथा सप्लाई में कमी किए जाने से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इन उत्पादों की कम सप्लाई किए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) जून, 1990 तक के मांग अनुसार 1990 में आपूर्तियां की गई थीं। विदेशी मुद्रा की कठिनाई की वजह से जुलाई, 1990 से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्तियों पर प्रतिबन्ध लगाए गए थे जो खाड़ी संकट के परिणामस्वरूप अगस्त, 1990 से और गंभीर हो गए हैं।

(ग) और (घ) 8 अक्तूबर, 1990 से समूचे देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्तियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए थे। चूंकि प्रतिबन्ध रबी की बुआई के मौसम के समय लगाए गए इसलिए तेल कम्पनियों को राज्य सरकार से परामर्श करके कृषि क्षेत्र, कृषि पर आधारित उद्योगों को डीजल की आपूर्तियों के लिए प्राथमिकता देने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे।

विवरण

मध्य प्रदेश को अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1988, 1989 और 1990 के दौरान दिया गया पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की मात्रा नीचे दी गई है :

(आंकड़े टी० एम० टी० में)

	1988			1989			1990		
	अक्तू०	नवम्बर	दिस०	अक्तू०	नवम्बर	दिस०	अक्तू०	नवम्बर	दिस०
पेट्रोल	11	12	12	13	13	13	12	13.5	—
डीजल	95	98	100	92	101	110	95	107.7	—
केरोसीन	29	32	31	30	30	34	27.4	33.8	—

पश्चिमी बंगाल को मिट्टी के तेल और डीजल की सप्लाई

740. **श्रीमती गांधी मुखर्जी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल को मिट्टी के तेल और डीजल की सप्लाई में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इनका कोटा बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) इस समय मिट्टी के तेल और डीजल की सप्लाई का राज्यवार और वस्तुवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) अप्रैल-नवम्बर, 1989 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 1990 की अवधि के दौरान पश्चिमी बंगाल को एच०एस०डी० और एस०के०ओ० की आपूर्तियों को क्रमश: 2.9% और 1.6% कम कर दिया गया है। यह मुख्यत: पहली जुलाई, 1990 से समूचे देश में लगाये गये पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्तियों पर प्रतिबन्धों की वजह से है।

(ग) और (घ) भुगतान संतुलन की सीमितताओं और खाड़ी संकट की वजह से हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता के सम्बन्ध में गतिरोध जारी है। स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और समग्र आपूर्ति-मांग स्थिति के आधार पर समय-समय पर आपूर्तियां नियमित की जाती हैं।

पश्चिमी बंगाल सहित सभी राज्यों को गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि पर उपयुक्त वृद्धि देकर एस०के०ओ० का आवंटन किया जाना जारी है। फिलहाल समूचे देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों को एच० एस०डी० की आपूर्ति गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के समान स्तर पर की जा रही है।

रायचूर ताप विद्युत केन्द्र को सप्लाई किए गए कोयले पर भाड़ा प्रभार

741. **श्री सी० पी० मुडाल गिरियप्पा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से रायचूर ताप विद्युत केन्द्र को सप्लाई किये गये कोयले पर भाड़ा प्रभार में कमी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रायचूर ताप बिजलीघर के लिये कोयले की मांग बढ़ जाने के कारण सिंगरेनी कोयला खानों के भद्राचलम शाखा लाइन क्षेत्र से अतिरिक्त कोयले की ढुलाई करने हेतु व्यवस्था करनी पड़ी। इस संचलन के लिये काजीपेट-वाडी के रास्ते सबसे छोटा मार्ग संतृप्त होने के कारण इस कोयले की ढुलाई विजयवाडा-रेणिगुंटा युक्तिसंगत लम्बे मार्ग के रास्ते करनी पड़ी तथा तदनुसार माल भाड़ा प्रभार वसूल किए गये।

इस कोयले की लम्बे मार्ग से ढुलाई करने के कारण कर्नाटक सरकार को स्पष्ट कर दिये गये हैं।

आरक्षण नीति का पालन

742. **श्री के० एस० राव** : क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) संसदीय कार्य मंत्रालय में पदों की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या पदों को विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति/भर्ती और पदोन्नति सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार की जाती हैं; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित कुछ खाली स्थान उपयुक्त अर्हताप्राप्त उम्मीदवार न मिलने के कारण खाली पड़े हैं; और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
वर्ग क	1	—
वर्ग ख	5	3
वर्ग ग	11	6
वर्ग घ	8	3

(ख) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का संसदीय कार्य मन्त्रालय पालन कर रहा है।

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित उपयुक्त अर्हताप्राप्त उम्मीदवार न मिलने के कारण कोई भी स्थान खाली नहीं है। तथापि सहायक ग्रेड में सीधी भर्ती कोटे में अनुसूचित जाति के लिए एक रिक्ति को विशेष भरती अभियान के अधीन कर्मचारी चयन आयोग को सूचित कर दिया है :

मिराज-बंगलौर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

743. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मिराज-बंगलौर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का विचार है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) 1984 में प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था और सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर परियोजना लाभप्रद नहीं पाई गई थी। लगातार मांग करने पर 1984 की सर्वेक्षण रिपोर्ट को पुन: 1989 में अद्यतन किया गया और उसके बाद भी प्रस्ताव लाभप्रद नहीं पाया गया।

उड़ीसा की कोयला खानों के लिए अलग कम्पनी

744. **श्री समरेन्द्र कुण्डु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा क्षेत्र में स्थित कोयला खानों के लिए अलग से कम्पनी खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा और इस बारे में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नई कम्पनी कितनी रकम के कोयले का कारोबार करेगी;

(घ) क्या उड़ीसा में नई कोयला खानों को कोयला उत्पादन आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इनके नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) और (ख) उड़ीसा में इब घाटी तथा तलचर कोलफील्ड्स और मध्य प्रदेश में मांड-रायगढ़ कोलफील्ड के लिए एक नई कोयला कम्पनी, जिसका मुख्यालय उड़ीसा में होगा, बनाने का एक प्रस्ताव कोल इंडिया लि० से प्राप्त हुआ है। सरकार द्वारा प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित नई कोयला कंपनी द्वारा कोयले की मात्रा की जाने वाले संभावित वृद्धि को नीचे दिया गया है :

(मिलियन टन में)

कोलफील्ड	1990-91	91-92	92-93	93-94	94-95
तलचर	8.87	9.31	10.30	11.96	14.22
इब घाटी	5.73	6.28	7.19	8.80	10.93
मांड-रायगढ़	0.09	0.01	0.01	0.01	0.01
जोड़ :	14.609	15.54	17.50	20.77	25.22

(घ) और (ङ) तलचर कोलफील्ड्स में भरतपुर ओपेनकास्ट परियोजना और इब घाटी कोलफील्ड में 4 परियोजनाएं, अर्थात बालपहाड़ ओपेनकास्ट, सिलारी ओपेनकास्ट, ओरिएंट नं० 3 मेक० भूमिगत और हिंगीर रामपुर भूमिगत, को अनुमोदित कर दिया गया है।

कालीकट के लिए एयर बस सेवा शुरू करना

745. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट हवाई अड्डे से एयरबस विमानों को उड़ाने की संभावना का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण/अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कालीकट से खाड़ी के देशों के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स राइट्स ने अक्तूबर, 1989 में एयरबस-300 विमानों के परिचालन हेतु 300 फुट तक इस धावनपथ का विस्तार करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया था। इससे पता चला है कि इस प्रयोजन के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। इसमें अधिक लागत और संसाधन की कमी तथा कतिपय परिचालनात्मक समस्याओं को देखते हुए यह परियोजना शुरू नहीं की जा सकी।

(ग) जी, हां।

(घ) परिचालनात्मक और वाणिज्यिक कारणों से कालीकट से खाड़ी क्षेत्र के देशों को सीधी उड़ान शुरू करना व्यवहार्य नहीं है।

विद्युत संयंत्रों की क्षमता

746. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न पनबिजली, ताप विद्युत, पवन चक्की तथा सौर ऊर्जा संयंत्रों के नाम क्या हैं; प्रत्येक की क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक संयंत्र की औसतन कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया;

(ख) उक्त विद्युत उत्पादन प्रणालियों की क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मानक क्या है; और

(ग) देश में क्षमता उपयोग की प्रतिशतता को अन्तर्राष्ट्रीय मानक के स्तर तक लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भागलपुर, दुमका आदि को विमान सेवा द्वारा पटना से जोड़ना

747. **श्री जनार्दन यादव** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भागलपुर, दुमका, देवगढ़ और गोंडा को वायुदूत सेवाओं द्वारा पटना से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) वायुदूत के पास विमानों की उपलब्धता और वायुदूत के परिचालनों की आर्थिक साध्यता इतनी नहीं है कि वह नई सेवाओं को शुरू कर सके।

गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण

748. **श्री जग्रेश पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जामनगर व अन्य जिलों के कुछ गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में जिलावार किन-किन गांवों में बिजली नहीं है; और

(ग) इन सब गांवों का विद्युतीकरण कब तक होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार फरवरी, 1989 के अन्त तक गुजरात में शतप्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तथापि 222 गांवों का विद्युतीकरण जलमग्न होने, गैर-आबाद तथा स्पेशल फारेस्ट रिहैबिटेशन स्कीम की वजह से व्यवहार्य नहीं है। ऐसे गांवों की जिलेवार संख्या निम्न प्रकार है :

बुलसार	2
भरूच	24
बड़ौदा	14
पंचमहल	23
सबरकंठा	18
मेहसाणा	2
कच्छ	21
भावनगर	2
जामनगर	3
जूनागढ़	113
जोड़ :	222

कर्नाटक में उद्योगों को कोयले की सप्लाई

749. **श्री एच० डी० श्रीकान्तय्या** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कोयले की कम सप्लाई होने के कारण उद्योगों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सप्लाई में कमी करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्नाटक को कोयले की ढुलाई करने हेतु रेल माल डिब्बों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक में कोयले की सप्लाई में सुधार लाने के सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ग) कोयले की पर्याप्त आपूर्ति के सम्बन्ध में कर्नाटक के उपभोक्ताओं से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दक्षिणी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति में कमी का मुख्य कारण — सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में उत्पादन की कमी और हड़ताल तथा कानून और व्यवस्था की अस्त-व्यस्त की स्थिति रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (वे० को० लि०) और साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (सा० ई० को० लि०) से दक्षिणी क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति करने के वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए थे। क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत कोयले को लम्बी दूरी तक ले जाना पड़ता है, इसलिए रेलवे ने विशेषकर व्यस्तता की अवधि के दौरान कुछ क्षमता सबंधी कठिनाइयों का उल्लेख किया है।

(घ) कर्नाटक और अन्य दक्षिणी राज्यों के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति पर कोयला कम्पनियों तथा रेल मंत्रालय के परामर्श से गहन निगरानी रखी जा रही है।

भोपाल गैस त्रासदी के शिकार व्यक्तियों को सहायता

750. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अक्टूबर, 1990 के "हिन्दू" में प्रकाशित "मिनिस्टर एक्यूजेज सेंटर आफ नेगलेक्टिंग गैस विक्टिम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस हादसे के शिकार व्यक्तियों की राहत के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि कोई सहायता दी गई है तो वह क्या है; और

(ग) गैस हादसे के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा देने में अत्यधिक के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को गैस पीड़ितों को राहत और पुनर्वास पर होने वाले खर्च निर्वहन के लिए अर्थोपाय अग्रिम राशि और मध्यावधि ऋणों के रूप में 101.62 करोड़ रुपये दिए हैं। सरकार ने 1984 से 1989 तक राज्य सरकार को भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में दिए गए 91.62 करोड़ रुपए के मध्यावधि ऋणों को ब्याज सहित बट्टे खाते में डालना भी सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।

सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 14/15 फरवरी, 1989 का समझौता आदेश जिसमें यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० को सभी दावों के पूर्ण निपटान के लिए कुल 470 मिलियन डालर की राशि का भुगतान करने का निदेश दिया गया है,

विभिन्न पुनरीक्षा याचिकाओं का विषय है और सरकार इन पुनरीक्षा याचिकाओं का समर्थन कर रही है। यह मामला इस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

मुआवजे की अदायगी पर निर्णय होने तक केन्द्र सरकार ने भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के समय भोपाल के गंभीर रूप से प्रभावित 36 म्युनिसिपिल वार्डों के सभी व्यक्तियों को 1-4-1990 से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 200/- रुपए की दर से अन्तरिम राहत का भुगतान करने के लिए 360 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं।

दिनांक 17 दिसम्बर, 1990 को अन्तरिम राहत की स्थिति निम्न प्रकार है :

(1) लाभ ग्राहियों की जारी नोटिसों की सं०	:	7,89,518
(2) दिए गए नोटिसों की सं०	:	5,09,470
(3) पहचाने गए लाभग्राहियों की सं०	:	4,00,323
(4) खोले गए खाते	:	3,99,110

ग्रुप "बी" रेलवे अधिकारियों की शिकायतें

751. **श्री राजवीर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रुप "बी" रेलवे अधिकारियों की शिकायतें दूर करने तथा उनके संवर्ग की समीक्षा करने के लिए हाल ही में कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री अनेडकर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रेल ग्रुप "बी" के अधिकारियों की मुख्य शिकायतें इस प्रकार हैं :

(i) वेतनमानों के मामले में ग्रुप "ए" और ग्रुप "बी" के अधिकारियों के बीच भेदभाव को समाप्त करना;

(ii) ग्रुप "बी" और उच्चतम ग्रुप "सी" संवर्ग के लिए वेतनमानों के आबंटन के मामले में अनियमितताओं को दूर करना;

(iii) वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिए कांकर्डेन्स टेबल को पुन: लागू करना;

(iv) भारतीय रेल के ग्रुप "बी" (श्रेणी-II) के राजपत्रित अधिकारियों के संवर्ग की पुनर्संरचना और उनकी भावी प्रगति के लिए योजना बनाना; और

(v) ग्रुप "ए" संवर्ग की संख्या में उपयुक्त भागीदारी दे करके चौथे वेतन आयोग के पैरा 23.11 के अन्तर्गत दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करना।

इन सभी मुद्दों की समय-समय पर जांच की गयी है और फेडरेशन को स्थिति से अवगत करा दिया गया है। ये सभी मामले केन्द्रीय सरकार के निर्णयों से सम्बद्ध हैं जो सभी सरकारी विभागों पर समान रूप से लागू होते हैं।

विजयवाड़ा-विशाखापतनम रेल लाइन का विद्युतीकरण

752. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा-विशाखापतनम रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पेट्रोल/डीजल पम्प

753. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस वर्ष कितने पेट्रोल/डीजल पम्प खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इनके आबंटन के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, स्वतन्त्रता सेनानियों आदि के लिए कोई आरक्षण प्रदान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान उक्त प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों को कितने पेट्रोल/डीजल पम्प आबंटित किए गए ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) महाराष्ट्र में 82 नए पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपों की योजना बनाई गई है। तथापि, किसी खुदरा बिक्री केन्द्र को शुरू करने से पहले उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों की दृष्टि से यह बताना सम्भव नहीं है कि इनमें से कितने 1990-91 में वास्तव में स्थापित हो जाएंगे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सूचना निम्नलिखित है :—

श्रेणी	संख्या
अनु० जा०/अनु० ज० जा०	10
शारीरिक रूप से विकलांग	08
स्वतन्त्रता सेनानी	शून्य

[अनुवाद]

बकरेश्वर विद्युत संयंत्र को सोवियत संघ की सहायता

754. **श्री हुम्मान मोल्लाह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत विशेषज्ञों ने हाल ही में बकरेश्वर विद्युत संयन्त्र का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बकरेश्वर परियोजना को सोवियत संघ द्वारा सहायता दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (घ) एक सोवियत प्रतिनिधि-मण्डल ने जिसमें मुदा मैकेनिक्स, संरचनात्मक इंजीनियरिंग विशेषज्ञ तथा हाइड्रो डायनामिक्स विशेषज्ञ शामिल थे, 14 दिसम्बर, 1990 को एक दिन के लिए बक्रेश्वर स्थल का दौरा किया था। इस दौरे का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना (3×210 मेगावाट) के सम्बन्ध में कार्य स्थल पर किए गए कार्य का जायजा लेना था। कीमतों समेत विस्तृत परियोजना रिपोर्टें, जोकि सम्बन्धित सोवियत एजेंसियों द्वारा तैयार की जा रही हैं, के आधार पर फाइनल कान्ट्रेक्ट पर सोवियत प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना के लिए सोवियत सहायता पश्चिमी बंगाल सरकार को उपलब्ध करा दी जायेगी।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस को जलाना

755. **डा० चिन्ता मोहन।**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री फूलचन्द वर्मा :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री मनोरंजन सुर :

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1989 से आज तक प्रतिदिन, अलग-अलग, देश के विभिन्न भागों में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की प्राकृतिक गैस जलाई गई तथा गत तीन वर्षों के दौरान जलाई गई गैस की तुलना में यह कितना है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने प्राकृतिक गैस को जलाना बन्द करने तथा इसका अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए हाल में 2002 करोड़ रुपये की योजनाएं बनाई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा ये प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन हैं; और

(घ) देश में तेल संकट को ध्यान में रखते हुए इन्हें कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) 1 दिसम्बर, 1989 से 30 नवम्बर, 1990 के बीच देश के विभिन्न भागों में वहन की गई गैस

की मात्रा करीब 5400 मि० घ० मी० है और इस गैस का अनुमानित आर्थिक मूल्य करीब 1421.40 करोड़ रुपए है। गत तीन वर्षों में दहन की गई गैस की मात्रा और इसका आर्थिक मूल्य निम्न प्रकार से है :—

क्रम संख्या	वर्ष	दहन की गई गैस की मात्रा (मि० घ० मी०)	आर्थिक मूल्य (करोड़ रुपए)
1.	1987-88	3518	984.00 लगभग
2.	1988-89	3838	1040.00 लगभग
3.	1989-90	5460	1420.00 लगभग

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) गैस के दहन को समाप्त करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से हैं :

(1) 1122 करोड़ रुपये की लागत पर बम्बई हाई के दक्षिण में एस० एच० जी० प्रोसेस कम्प्लेक्स और एस० एच० जी०-बी० पी० बी० पाइपलाइन। इसे 1994 के मानसून के पूर्व तक पूरा हो जाने की आशा है।

(2) 575 करोड़ रुपए की लागत पर बम्बई हाई के उत्तर में एन० ग्यू० पी० प्रोसेस कम्प्लेक्स। इसके 1994 के मानसून के पूर्व तक पूरा होने की सम्भावना है।

(3) 347 करोड़ रुपए की लागत पर आई० सी० पी० हीरा पाइपलाइन। इसके 1993 के मानसून के पूर्व तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को उपयोग में लाना

756. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल के महीनों में यह खोज निकालने का निर्णय किया था कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकेगा;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई खोज का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस प्रकार की खोज प्रक्रिया की मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयनराव ढाकणे) : (क), (ख) तथा (ग) आठवीं योजना के लिए अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें इस क्षेत्र के बारे में प्रस्ताव दिए गये हैं। इस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें हैं — बायोगैस, उन्नत चूल्हों, पवन तथा सौर ऊर्जा, मिनी तथा माइक्रो जल विद्युत के क्षेत्रों में कार्यक्रमों के विस्तार करने का प्रस्ताव। इसके लिए लगभग 7000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की जरूरत होगी।

कलकत्ता में भूटान से बिजली की सप्लाई

757. **डा० देवी प्रसाद पाल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में पिछले अनेक वर्षों से बिजली की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने भूटान सरकार से उसकी फालतू बिजली को भारत को देने के बारे में अनुरोध करने के लिए बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) 1974 में भारत और भूटान के बीच हस्ताक्षर हुए समझौते की शर्तों के अनुसार, भारत द्वारा भूटान की चुखा जल-विद्युत परियोजना, चरण-I से उत्पादित और भूटान की आवश्यकता से अधिक ऊर्जा का आयात किया जा रहा है। भूटान से उपलब्ध इस अतिरिक्त ऊर्जा को पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। भूटान में चुखा जल-विद्युत परियोजना चरण-2 तथा 3 की स्थापना हेतु अन्वेषण-कार्य आरम्भ किए जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं भूटान की शाही सरकार के बीच हाल ही में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन परियोजनाओं के चालू होने पर उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत का भी पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आयात किया जाएगा।

कोंकण रेलवे में सुरंग

758. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रस्तावित कोंकण रेल परियोजना में सात किलोमीटर लम्बी सुरंग का निर्माण किया जायेगा, और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) प्रस्तावित सुरंग की लम्बाई 6.44 किलोमीटर है। यह सुरंग कोंकण रेलवे लाइन के रतनागिरि टाउन के पूर्वोत्तर 15 किलोमीटर में बनाई जाएगी। सुरंग के निर्माण की अनुमानित लागत 12 करोड़ रुपए है।

राजस्थान में विद्युत संयंत्रों की स्थापना

759. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन० एल० सी०) को राजस्थान में ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विद्युत संयन्त्र की अनुमानित लागत और क्षमता कितनी है; और

(ग) यह संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा और इस संयंत्र के कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) इस संबन्ध में नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन तथा राजस्थान सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) 583.73 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2×120 मे० वा० क्षमता के एक विद्युत संयन्त्र को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) विद्युत गृह को राजस्थान के बिकानेर जिले के बारसिंगसर ग्राम में स्थापित किया जाएगा। विद्युत गृह को 56 महीने की अवधि में चालू कर दिया जाएगा।

मुम्बई में दैनिक यात्री रेल सेवा

760. प्रो० राम गजेश कापसे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई की "मुम्बई बचाओ समिति" ने उनको "मुम्बई महानगर दैनिक यात्री सेवा रेलवे की स्थिति—कुछ मुद्दे और विकल्प" (स्टेटस पेपर आन इंडियन रेलवेज—सम इश्यूस एन्ड आप्शन्स) के बारे में 5 मार्च, 1990 और 12 मार्च, 1990 को दो अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन पर क्या कार्यवाई की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री अमेश्वर सिंह) : (क) और (ख) जी हां, मुम्बई में उपनगरीय सेवाओं में सुधार लाने के सम्बन्ध में सचिव, मुम्बई बचाओ समिति से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर विचार किया गया लेकिन संसाधनों और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता की राय जानने लिए भारतीय रेलों पर स्थिति-पत्र जारी किया गया था और प्राप्त राय से दीर्घकालिक नीति निर्धारण में मदद ली जाएगी।

[हिन्दी]

रेलवे सुरक्षा बल के लिए भर्ती

761. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे सुरक्षा बल के लिए किन केन्द्रों पर भर्ती की गई;

(ख) इन केन्द्रों पर, वर्ष-वार कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई; और

(ग) इस भर्ती के लिए क्या मापदंड अपनाए गये ?

रेल मंत्री (श्री अमेश्वर सिंह) : (क) और (ख) रेल सुरक्षा बल में कांस्टेबलों की भर्ती का विवरण संलग्न है।

(ग) अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता और शारीरिक स्तर वाले उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा, लिखित और बुद्धिमता परीक्षा ली जाती है और उन्हें योग्यता के आधार पर कांस्टेबल रंगरूट के रूप में चुना जाता है।

विवरण

रेलवे	1987		1988		1989	
	केन्द्रों के नाम	भर्ती किए गये	केन्द्रों के नाम	भर्ती किए गये	केन्द्रों के नाम	भर्ती किए गये
मध्य	मनमाड नागपुर	26	पुणे सतना अहमदनगर बीना शोलापुर भोपाल झांसी जबलपुर मथुरा	395	मनमाड नागपुर भोपाल ग्वालियर	219
पूर्व	बानापुर पतरातू कंचरापाडा	307	कुछ नहीं	कुछ नहीं	दुमका बानापुर धनबाद मुगलसराय कांटापुकुर सूरी बर्धमान कंचरापाड़ा	734
उत्तर	लखनऊ पालमपुर जोधपुर	272	लखनऊ अम्बाला भिजपुर	267	मुरादाबाद	78
पूर्वोत्तर	इज्जतनगर सीतापुर	138	कुछ नहीं	कुछ नहीं	गोरखपुर सोनपुर	220
पूर्वोत्तर सीमा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कटिहार अलीपुर द्वार	100
दक्षिण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	हरिहरी	40	मैसूर बैंगलोर पोदनूर तिरुचिलापल्ली	390

1	2	3	4	5	6	7
दक्षिण मध्य	विजयवाड़ा औरंगाबाद सिकन्दाबाद	302	सिकन्दराबाद	357	सिकन्दराबाद	97
दक्षिण पूर्व	कुछ नहीं	कुछ नहीं	रांची शालीमार सम्बलपुर बिलासपुर जगदलपुर कोरापुर भुवनेश्वर बालासोर वाल्टेक्र नागपुर	222	खड़गपुर	169
पश्चिम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	चित्रगढ़ ककंरिया नंदुरबार अजमेर कोटा दाहोद बलसाद	423	भरतपुर बाहोद पालमपुर बालसाड	283
रेल सुरक्षा विशेष बल	बैंग्लोर नलगोंडा हुबली दिल्ली	378	ग्वालियर मुरैना मुलुण्ड साबरमती आसनसोल गुवाहाटी पांडिचेरी	465	जयपुर भुवनेश्वर दिल्ली	306

[अनुवाद]

कारसेवा के अवसर पर गाड़ियों को रद्द करना

762. श्री लाल कृष्ण आडवाणी :
श्री० राम गणेश कापसे :
श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :
श्री राघव जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली 30 अक्तूबर को अयोध्या में कार सेवा के अवसर पर वहां यातायात को रोकने के लिए रद्द की गई अथवा बीच रास्ते में रोकी गई गाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में कितने दिनों तक इन्हें रद्द किया गया/बीच रास्ते में रोक कर रखा गया;

(ग) इसके फलस्वरूप रेल विभाग को कुल कितना घाटा हुआ; और

(घ) यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए इन गाड़ियों को उनके मूल स्टेशनों पर ही न रोके जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान नागरिक अशांति के कारण रद्द की गई अथवा बीच रास्ते में रोकी गई गाड़ियों के ब्यौरे से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

(ख) एक दिन से लेकर 17 दिनों के बीच भिन्न-भिन्न दिन।

(ग) यद्यपि नुकसान की सही-सही मात्रा बताना संभव नहीं है, फिर भी लगभग 25 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) जहां तक गाड़ियों को रद्द करने तथा गन्तव्य से पहले समाप्त करने की योजना बनाई जा सकती थी और इसकी घोषणा की जा सकती थी, ऐसा किया गया था। उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए गाड़ी सेवाओं को दिन-प्रतिदिन के आधार पर विनियमित करना पड़ा था।

विवरण

कार सेवा के कारण रद्द की गई अथवा रास्ते में रोकी गई गाड़ियों का ब्यौरा

खंड	पूर्णत: रद्द की गई गाड़ियां	समयावधि	अंशत रद्द की गई गाड़ियां	समयावधि	जिन गाड़ियों का मार्ग बदल गया	समयावधि
वाराणसी-फैजाबाद लखनऊ	4	17 दिन	7	17 दिन	5	17 दिन
इलाहाबाद-सुल्तानपुर फैजाबाद	1	17 दिन	3	17 दिन	—	—
लखनऊ-सुलतानपुर वाराणसी	4	17 दिन	—	—	—	—
लखनऊ-गोरखपुर	6	17 दिन	—	—	—	—
मनकापुर-कटरा	3	17 दिन	—	—	—	—

उपर्युक्त के अलावा आंदोलनकारियों द्वारा अयोध्या की ओर जा रही गाड़ियों को बाधा पहुंचाए जाने के कारण मार्ग मिलने में कठिनाई की वजह से दिन-प्रतिदिन के आधार पर निम्नलिखित गाड़ियों को रोकना पड़ा था।

(क) 24-10-1990 को आगरा क्षेत्र में मार्ग मिलने में कठिनाई के कारण आगरा के रास्ते होकर गुजरने वाली 10 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों और 2 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियों को बीच रास्ते में रोकना पड़ा था।

(ख) 27-10-1990 को मार्ग मिलने में कठिनाई के कारण झांसी और भटनी के रास्ते होकर गुजरने वाली 23 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों को रद्द करना पड़ा था।

(ग) 28-10-1990 को, 1-11-90 तक मार्ग मिलने में कठिनाई के कारण भटनी और सहारनपुर के रास्ते होकर गुजरने वाली 15 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों को रद्द करना पड़ा था।

(घ) 29-10-1990 को मार्ग मिलने में कठिनाई के कारण झांसी-आगरा खंड से होकर गुजरने वाली 14 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों को बीच रास्ते में रोकना पड़ा था। अन्य 4 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों का भोपाल-नागदा और सूरत-अलगांव खंडों के रास्ते मार्ग बदलना पड़ा था। ये प्रबन्ध 1-11-90 तक जारी रहे।

"पेट्रोकेमिकल इन्टरमीडियरीज" के आयात के लिए कच्चे माल के भण्डार

763. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से पेट्रोकेमिकल उद्योग स्थापित करने के लिए निकट पूर्व एवं अन्य देशों से "पेट्रोकेमिकल इंटरमीडियरीज" आयात करने तथा उसे इस प्रयोजन के लिए गठित किए गए कार्यकारी ग्रुप को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कच्चे माल के भंडार स्थापित करने के प्रस्ताव के संबंध में तत्सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा राज्य सरकार पहले ही अपनी रिपोर्ट दे चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) पारादीप में पेट्रोरसायन टर्मिनल स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा तैयार प्रस्ताव पर एक समिति द्वारा विचार किया गया है जिसमें सुझाव दिया है कि पारादीप पत्तन पर ऐसी टर्मिनल सुविधा संभव है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि जो संगठन ऐसी पत्तन सुविधा स्थापित करना चाहता है उसे डाउनस्ट्रीम एककों से मांग का पता लगाना पड़ेगा और निवेश का निर्णय लेने से पहले विस्तृत तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन भी करना पड़ सकता है। समिति की सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए उड़ीसा सरकार को उपलब्ध करा दी गई हैं। राज्य सरकार से भी परिवहन मंत्रालय से संपर्क करने के लिए अनुरोध किया गया है, जो पत्तनों के लिए विकास से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

गुजरात के सूरत डिवीजन में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

765. **श्री सी० डी० गामित** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सूरत डिवीजन में इंडो-बर्मा पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन आयल कारपोरेशन के मिट्टी तेल, डीजल और पेट्रोल की मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जनवरी, 1990 से नवम्बर, 1990 की अवधि के दौरान प्रत्येक महीने के लिए स्वीकृत कोटा तथा वास्तव में आबंटित कोटे का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केवल मिट्टी के तेल का थोक आबंटन ही करता है। जिलावार आबंटन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। पूरे देश में खुदरा बिक्री केन्द्र को इस समय उसी स्तर पर हाई स्पीड डीजल दिया जा रहा है जिस स्तर पर पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दिया जा रहा था। इस समय पूरे देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों को जो मोटर स्पिरिट दिया जा रहा है उसका स्तर पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान सप्लाई की गई मात्रा के स्तर से 4% अधिक है। जनवरी-नवम्बर, 1990 के दौरान सूरत जिले में एम० के० ओ० के आबंटन तथा उसकी तुलना में उठान के संबंध में एक विवरण-I संलग्न है।

जनवरी-नवम्बर, 1990 के दौरान सूरत जिले में पेट्रोल और डीजल की बिक्री के सम्बन्ध में एक विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

महीना	आबंटन	उठान				कुल उठान
		आई० ओ० सी०	बी० पी० सी०	एच० पी० सी०	आई० बी० पी०	
जनवरी	7911	6428	513	471	505	7917
फरवरी	7911	6386	605	482	505	7978
मार्च	7305	6092	433	473	414	7412
अप्रैल	7305	5979	491	448	414	7332
मई	7305	5979	434	475	416	7308
जून	7305	5974	481	431	419	7305
जुलाई	7244	5977	570	332	348	7227
अगस्त	7244	5987	529	374	348	7238
सितम्बर	7244	5982	520	366	348	7216
अक्तूबर	7244	5983	478	496	347	7304
नवम्बर	8190	6596	557	547	545	8245

विवरण-II

महीना	पेट्रोल					डीजल				
	आई०ओ० सी०	बी०पी० सी०	एच०पी० सी०	आई०बी० पी०	योग	आई०ओ० सी०	बी०पी० सी०	एच०पी० सी०	आई०बी० बी०	योग
जनवरी	2292	1398	1340	560	5590	5921	1376	1539	1295	10131
फरवरी	2065	1241	1233	453	4992	5833	1320	1488	1114	9755
मार्च	2371	1317	1360	471	5519	6676	1239	1502	1121	10538
अप्रैल	2355	1277	1292	461	5385	6077	1413	1451	1284	10225
मई	2352	1380	1353	512	5597	5988	1574	1454	1297	10313
जून	2426	1306	1145	479	5356	5251	1467	1497	1044	9259
जुलाई	2075	1228	1250	394	4947	4277	1195	1193	963	7628
अगस्त	2088	1244	1256	481	5069	4242	1864	1028	778	7912
सितम्बर	1871	1203	1021	406	4501	4323	1067	1017	887	7294
अक्तूबर	2119	1351	1059	475	5010	4916	1203	1256	999	8882
नवम्बर	1878	1125	1348	478	4828	5113	1350	1386	1033	8802

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड की कोयला खानों पर बकाया धनराशि

766. **श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल :**

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड की राज्य में कोयला खानों पर खानवार कितनी-कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) कोयला खानों द्वारा इस धनराशि का भुगतान करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त धनराशि का भुगतान करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ग) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल की कमी

767. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नागपुर और विदर्भ क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या नागपुर में डीजल और पेट्रोल की भारी कमी के कारण संपूर्ण वाणिज्य कारोबार, व्यापार और उद्योग ठप्प हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने नागपुर में डीजल और पेट्रोल की कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) इस समय महाराष्ट्र में नागपुर और विदर्भ क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल की भीषण कमी होने की कोई सूचना नहीं है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता । इस समय खुदरा बिक्री केन्द्रों को पेट्रोल उसे गत वर्ष की अवधि में सप्लाई की गई मात्रा में 4% की वृद्धि दे करके मुहैया कराया जा रहा है । हाई स्पीड डीजल गत वर्ष की उसी अवधि में सप्लाई की गई मात्रा के समान स्तर पर सप्लाई की गई ।

[हिन्दी]

मद्रास और बोकारो के बीच चलने वाली रेल सेवा को गया तक बढ़ाना

768. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और बोकारो के बीच चलने वाली रेल सेवा को गया तक बढ़ाने की मांग है;

(ख) यदि यदि हां, तो इसका विस्तार कब किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगियों के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

[अनुवाद]

पंजाब में रेलगाड़ियों पर हमले

769. श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में आतंकवादियों ने नवम्बर, 1990 में चलती रेलगाड़ियों पर गोलियां चलाई थीं और रेलपटरियों को उड़ा दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) आतंकवादियों द्वारा रेलगाड़ियों पर हमले के कारण कितने रेलवे कर्मचारी मारे गए या घायल हुए और अनुमानत: कितनी रेलवे सम्पदा को नुकसान हुआ; और

(घ) रेलयात्रियों को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी, हां ।

(ख) गाड़ियों पर गोलियां चलाने के छः मामले और रेल पथ को उड़ाने के दो मामले हुए हैं । इस संबंध में एक विवरण संलग्न है । जिसमें ब्यौरा दिया गया है ।

(ग) रेल सम्पत्ति को हुआ नुकसान लगभग 7,400 रुपये है । इन घटनाओं के दौरान न तो कोई रेल कर्मचारी मारा गया और न ही घायल हुआ । जहां तक अन्य व्यक्तियों का सम्बन्ध है, इस तरह की सूचना रेलों के पास उपलब्ध नहीं है । इस सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार द्वारा रखी जाती है ।

(घ) गाड़ियों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पंजाब राज्य सरकार की है और जो रेल प्रशासन के सहयोग से दैनिक यात्रियों की सुरक्षित यात्रा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है :

1. रेलपथ गश्त तेज कर दी गई है ।

2. जिन क्षेत्रों की संवेदनशील और कम संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है वहां गश्त की जा रही है ।

3. यात्री गाड़ियों का रा० रे० पु०/पुलिस होम गार्ड द्वारा यथा सम्भव मार्गरक्षण किया जा रहा है ।

4. स्टेशनों पर गाड़ियों के पहुंचने से पहले और प्रस्थान के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा निगरानी रखा जाना ।

5. महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सूंघ कर पता लगाने वाले कुत्तों द्वारा गाड़ियों की जांच ।

6. प्लेटफार्मों पर रेकों को लगाने से पहले मरम्मत लाइनों/यार्डों में इनकी पूर्णतः जांच की जा रही है।

7. संवेदनशील खंडों में रेलपथ पर गश्त लगाने के लिए गश्त इंजन चलाया गया है।

8. हर ठहराव स्टेशन पर और मार्ग में गाड़ियों के ठहराव के समय गाड़ियों में चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए मार्गरक्षी गार्डों को अनुदेश दिए गए हैं।

9. गाड़ी कंडक्टर को अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए कहा गया है।

विवरण

(क) 1. गाड़ियों पर गोलियां चलाने के मामले

1. 1-11-90 को लगभग 22.30 बजे कुछ उग्रवादियों ने बटाला और चीना स्टेशनों के बीच कि०मी० 42/43 पर गश्त स्पेशल पर गोलियां चलाई थीं किसी भी व्यक्ति के घायल या हताहत होने की खबर नहीं मिली थी। रा० रे० पु०/पठानकोट ने एक मामला दर्ज किया है।

2. 6-11-90 को लगभग 17.15 बजे जब 5 ए० के० पैसेंजर गाड़ी रूरे असल और तरन-तारन के बीच चल रही थी तब कुछ शरारती व्यक्तियों ने उस पर गोली चलानी शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप जुगल किशोर, कांस्टेबल/पंजाब पुलिस (आफ ड्यूटी) की मृत्यु हो गयी। अमृतसर में जांच करने पर इस गाड़ी के इंजन के टेंडर पर गोलियों के 8 निशान पाए गए थे। रा० रे० पु० अमृतसर ने एक मामला दर्ज किया है।

3. 6-11-1990 को लगभग 18.30 बजे जब बुटारी और ब्यास रेलवे-स्टेशनों के बीच कि० मी० 475-476 पर गाड़ी सं० 350 चल रही थी तब कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गोली चलानी शुरू कर दी थी। किसी भी व्यक्ति के हताहत या घायल होने की खबर नहीं मिली थी। रा० रे० पु० अमृतसर ने एक मामला दर्ज किया है।

4. 6-11-90 को लगभग 20.45 बजे जब बुटारी और ब्यास रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे समपार फाटक सं० 43-ए पर से होकर गाड़ी सं० 2904 डाउन गुजर रही थी तब कुछ अज्ञात शरारती व्यक्तियों ने गाड़ी पर गोली चलाई। किसी भी व्यक्ति के हताहत या घायल होने की खबर नहीं मिली थी। रा० रे० पु०/अमृतसर ने एक मामला दर्ज किया है।

5. 5-11-90 को लगभग 19.40 बजे जब कानपुर हाल्ट और लोहियां खास स्टेशनों के बीच पुल सं० 141 के निकट कि० मी० सं० 59/60 पर 5 एल० एल० पैसेंजर गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी तब कुछ अज्ञात शरारती व्यक्तियों ने गोली चलाई। रा० रे० पु०/जालंधर ने एक मामला दर्ज किया है।

6. 20-11-90 को लगभग 18.22 बजे तरनतारन और गोहलवल वरपाल स्टेशनों के बीच कि०मी० सं० 19/90 पर 5 ए०के० पैसेंजर गाड़ी चल रही थी तब कुछ शरारती व्यक्तियों ने गोली चलाई। रा० रे० पु० अमृतसर ने एक मामला दर्ज किया है।

2. रेल पथ को उड़ाने के मामले

7. 5-11-90 को घरयाला और खेमकरन स्टेशनों के बीच कि०मी० 68/12-69/1 पर विस्फोट करके रेलपथ को उड़ा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 4 फुट लम्बी लाइन का टुकड़ा उड़ गया तथा 5 स्लीपरों, 9 सी० एस० टी० प्लेटों और 2 टाई-बारों को क्षति पहुंची। रा० रे० पु०, अमृतसर ने एक मामला दर्ज किया है।

8. 20-11-90 को खेमकरन और घरयाला के बीच कि०मी० 61/5-6 पर पूर्व की ओर 3 फुट रेलपथ और पश्चिम की ओर 2.71 मीटर रेलपथ को पूर्णत: उड़ा हुआ पाया गया। उपर्युक्त विस्फोट के परिणामस्वरूप 5 स्लीपरों को पूर्णत: और 200 स्लीपरों को अंशत: क्षतिग्रस्त पाया गया था। रा० रे० पु० अमृतसर ने एक मामला दर्ज किया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में रसोई गैस ढुलाई करने वाले व्यक्तियों द्वारा हड़ताल

770. श्री शिव शरण वर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में रसोई गैस ढुलाई करने वाले व्यक्तियों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिनांक 11 अगस्त, 1990 को हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) उनकी मांगों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल और डीजल की कमी

771. श्री युवराज : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल और मिट्टी के तेल की भारी कमी है और वहां उपलब्ध तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में तेल कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल और मिट्टी के तेल की गम्भीर कमी होने और इनके मूल्यों में वृद्धि होने की कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि, देश के विभिन्न भागों से डीजल की कभी-कभार कमी होने की सूचना मिली है।

(ख) इस समय देशभर में खुदरा बिक्री केन्द्रों को हाई स्पीड डीजल गत वर्ष की उसी अवधि के समान स्तर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी

का तेल गत वर्ष में किए गये आबंटन में उचित वृद्धि करके उपलब्ध कराया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का केवल थोक आबटन करती है। आगे इसके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरण के बारे में निर्णय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा स्थानीय मांग और प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

इण्डियन ड्रग्स एन्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की सहायक कम्पनियों द्वारा उत्पादन

772. **श्री अनादि चरण दास** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन ड्रग्स एन्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की तीन सहायक कम्पनियों द्वारा उत्पादन के लिए आबंटित औषधियों, रसायनों, फार्मास्युटिकल और फारमुलेशन के नाम क्या हैं;

(ख) उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, भुवनेश्वर के उत्पादन और उसके विक्रय में कमी होने के क्या कारण हैं तथा इनमें सुधार के लिए तथा इसमें उत्पादन के लिए ऐसी औषधियों/रसायनों को आबंटित करने के लिए जिनकी बहुत अधिक मांग होने के कारण यह कम्पनी चलती रहे, क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड का चार यूनिटों में विस्तार करने का प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से मंजूरी के लिए लम्बित पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके विस्तार/विविधीकरण के प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान को केन्द्रीय बिजलीघरों से बिजली की सप्लाई

773. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** ; क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बिजलीघरों से बिजली की सप्लाई करने के मानदंड मांग के बजाए पिछले वर्षों के दौरान हुई खपत और केन्द्रीय सहायता के आधार पर निर्धारित किए गए हैं; यदि हां, तो नए और पिछले मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नये मानदंडों के कारण बिजली की कमी वाले राज्यों के हिस्से की बिजली में कमी नहीं की गयी है; यदि हां, तो नये और पुराने मानदंडों के आधार पर राज्यों के कोटे का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप राजस्थान का कोटा 15 प्रतिशत से घटाकर $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत नहीं किया गया है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का कम बिजली पैदा करने वाले राज्यों को केन्द्रीय परियोजनाओं से और अधिक कोटा आवंटित करने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार का रिहन्द, नरौरा, अन्टा और औरैया परियोजनाओं में राजस्थान का कोटा बढ़ाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत के वितरण/आवंटन के लिये वर्तमान मानदंड का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से राजस्थान राज्य को आवंटित की गई विद्युत का हिस्सा निम्नानुसार है :—

केन्द्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)	राजस्थान का हिस्सा
सिंगरौली	2050	15%
आर०ए०पी०पी०	440	100%
रिहन्द	1000	9.5%
औरैया	652	9.2%
अन्टा	413	19.8%
एन०ए०पी०पी०	470	9.6%

सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र की विद्युत का आवंटन निम्न अवधारणाओं पर आधारित था क्योंकि विद्युत के आवंटन के बारे में उस समय कोई फार्मूला अस्तित्व में नहीं था :—

(1) 1983-84 तक की उत्तरी क्षेत्र के राज्यों की विद्युत की प्रक्षेपित मांग;

(2) कोयला क्षेत्रों से दूरी;

(3) विद्युत उत्पादन के लिए अन्य वैकल्पिक स्रोतों की उपलब्धता;

(4) विद्युत के विकास हेतु संसाधनों सम्बन्धी निवेश के लिए राज्य द्वारा स्वयं किए गए प्रयास; और

(5) जल विद्युत सम्बन्धी ऊर्जा का निर्धारण किए जाने के लिए ताप विद्युत की आवश्यकता।

इसी प्रकार एक विशेष मामले के रूप में आर०ए०पी०पी० की समग्र विद्युत राजस्थान को आवंटित की गई थी। तथापि, रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-एक, औरैया, अन्य तथा एन०ए० पी० पी० से विद्युत का आवंटन, अनुबन्ध में उल्लेख किए गए फार्मूले पर आधारित था।

(च) और (ङ) सरकार के विचाराधीन इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत के आबंटन के लिए मानदण्ड

केन्द्रीय क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाएं

(क) 15% विद्युत, केन्द्र के अधिकार-क्षेत्र में अनाबंटित रूप में रखी जाती है ताकि क्षेत्र में स्थित राज्यों की समय-समय पर आवश्यक मांग को पूरा किया जा सके।

(2) जिस "गृह राज्य" में विद्युत केन्द्र स्थित होता है, उस राज्य को 10% विद्युत आबंटित की जाती है।

(3) शेष 75% विद्युत "गृह राज्य" सहित क्षेत्र में स्थित लाभभोगी राज्यों के बीच वितरित की जाती है, जिसका निर्धारण पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा ऊर्जा उपभोग और उन्हें प्रदान की गई केन्द्रीय योजना सहायता के आधार पर किया जाता है। संघ शासित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित मात्रा में विद्युत का आबंटन किया जाता है।

केन्द्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाएं

(क) विद्युत उत्पादन क्षमता का 15% भाग, समग्र मांग के आधार पर सम्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत बाहरी क्षेत्र में वितरित करने हेतु "अनाबंटित" रूप में केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखा जाता है।

(ख) विद्युत केन्द्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा में से 12% विद्युत निःशुल्क क्षेत्र के उन राज्यों (उस राज्य समेत जिस राज्य में जल विद्युत परियोजना स्थित है) जिनमें किसी निवेश स्थल पर परियोजना की स्थापना किए जाने के कारण इनको विपदा यथा जलमग्न होने आबादी का विस्थापन होने का सामना करना पड़ा है, विद्युत का आबंटन इस प्रकार की विपदा की तीव्रता के अनुपात में की जाती है। इस उद्देश्य के लिए "ऊर्जा उत्पादन" सम्बन्धी आंकड़ों की गणना बस-बार स्तर पर की जाती है, अर्थात् गौण उपभोग की कटौती के पश्चात् लेकिन पारेषण लाइन सम्बन्धी हानियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। 12% निःशुल्क विद्युत आबंटित किए जाने के प्रयोजनार्थ विपदा की तीव्रता की मात्रा का मूल्यांकन, सम्बन्धित राज्यों के परामर्श से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

(ग) शेष विद्युत (73%) को क्षेत्र में स्थित राज्यों के बीच पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता और विगत के पांच वर्षों के दौरान क्षेत्र के राज्यों द्वारा बिजली के उपभोग के आधार पर वितरित किया जाता है। इन दोनों घटकों को समान महत्व दिया जाता है।

[अनुवाद]

बिल्ली-बल्लामार एक्सप्रेस को सादात स्टेशन पर रोकना

774. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-बलामऊ एक्सप्रेस (उत्तर रेलवे) को नगरिया तहसील में सादात रेलवे स्टेशन पर रोकने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह कब तक इस स्टेशन पर रुकनी शुरू हो जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एयरबस-320 को चलाया जाना

775. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**

श्री समरेन्द्र कुण्डू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से भारतीय और विदेशी दोनों तकनीशियनों और विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए उपायों को ध्यान में रखते हुए सभी ए-320 एयरबसों की जांच कर ली गई है और उन्हें पुन: चलाये जाने के लिए पूर्णरूप से उपयुक्त पाया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाएं रोकने के लिए ऐसे सभी विमानों का चलाना बन्द करके इसकी पुन: पूरी जांच करने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं है ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तेल खोज सम्बन्धी कार्यों में कमी

776. **प्रो० रूपचन्द पाल :**

श्री सुधीर गिरि :

श्री जनक राज गुप्त : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की तेल खोज सम्बन्धी कार्यों में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे तेल के मामले में देश की आत्मनिर्भरता सम्बन्धी योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसाय मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को पेट्रोल पम्पों की स्वीकृति

777. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1990 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को कितने पेट्रोल पम्प स्वीकृत किए गए?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): 1 जनवरी, 1990 से 30 नवम्बर, 1990 की अवधि के दौरान तेल कम्पनियों ने आ० जा०/आ० ज० जा० श्रेणी के अधीन 57 आशय पत्र निर्गत किए हैं। तेल कम्पनियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को दी जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपों के अलावे अन्य व्यक्तियों की जाति और वर्ग के अनुसार अलग से कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

केरल का कायमकुलम विद्युत संयंत्र

778. **प्रो० पी०जे० कुरियन :**

श्री रमेश चेन्नीथाला :

श्री पलाई के०एम० मैथ्यू :

श्री के० मुरलीधरण : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कायमकुलम में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की प्रस्तावित परियोजना कब तक चालू हो जाएगी;

(ख) क्या सार्वजनिक पूंजी निवेश बोर्ड ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे निर्धारित समय पर चालू करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम झाखड़): (क) से (ग) सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने 210-210 मेगा० वा० की दो यूनिटों वाली कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना को निवेश सम्बन्धी अनुमोदन हेतु संस्तुत कर दिया है। परियोजना की प्रथम यूनिट को मुख्य संयंत्र एवं उपस्कर का ठेका देने की तारीख से 48 महीने के अन्दर तथा दूसरी यूनिट को उसके छः महिने बाद चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

लघु औद्योगिक एककों को कोयले की सप्लाई

779. **श्री बसन्त साठे : क्या ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला विभाग ने भारी संख्या में लघु औद्योगिक एककों को पेट्रोलियम उत्पादों की कमी से उत्पन्न समस्या का समाधान करने हेतु कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए एक त्वरित कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कोयला कम्पनियों और उनकी सहायक कम्पनियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कोयला खनन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण कोयला उत्पादन में कमी हुई है और प्रत्येक कोयला सहायक कम्पनी में अनुमानतः कितना-कितना घाटा हुआ तथा इसे पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) और (ख) घरेलू और लघु उद्योग उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम

के अन्तर्गत राज्य सरकारें घरेलू और लघु उद्योग उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति को बेहतर बनाए जानेकेलिए अगले एक वर्ष में एक सौ नये कोल स्टाकयार्डों स्थापित करने में सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त, उदारीकृत वितरण योजना के अन्तर्गत अधिक कोयला प्रदान किया गया है। उदारीकृत वितरण योजना के अन्तर्गत विभिन्न कोलियरियों/सेटलाइट स्टाकयार्डों से 6 मिलियन टन कोयला उपलब्ध कराया गया है, जिसके अधीन कोई भी योजना उपभोक्ता एक समय में 1000 टन तक कोयला प्राप्त कर सकता है। योजना के अधीन अक्तूबर, 1990 और नवम्बर, 1990 के दौरान कोयले का उठान क्रमश: 1,19,780 टन तथा 2,04,143 टन किया गया।

(ग) कोल इंडिया लि० की सहायक कम्पनियों में भारी वर्षा के कारण कोयला के उत्पादन में हुई अनुमानित गिरावट को नीचे दर्शाया गया है—

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	4.17 लाख टन
भारत कोकिंग कोल लि०	6.20 लाख टन
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	4.15 लाख टन
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	0.69 लाख टन
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	14.30 लाख टन
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	0.30 लाख टन
जोड़ :	29.81 लाख टन

इस समस्या से निपटने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं—

(1) खानों में पर्याप्त पम्पिंग क्षमता की स्थापना;

(2) ग्रिड से बिजली की आपूर्ति फेल हो जाने की अवधि के दौरान बिजली की आपूर्ति करने हेतु कैपटिव पावर जनरेटिंग यूनिटों की स्थापना; और

(3) खानों में वर्षा के पानी को भरे जाने पर रोक लगाने के लिये एहतिहास बरतना।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रेल सह-बस आरक्षण व्यवस्था

780. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ शहरों में रेल-सह-बस में आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यवस्था क्या है; और

(ग) इसे कब से लागू किया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जी नहीं। बहरहाल, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय

क्षेत्रों में रेल एवं सड़क आरक्षण की सुविधाओं के बारे में विचार किया जा सकता है बशर्ते मानक शर्तों और निबन्धनों के अनुसार एजेंसी ठेके लेने के लिए उपयुक्त ठेकेदार उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

गुजरात में रेलवे क्रासिंग का निर्माण

781. श्री जी० एम० ठाकुर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में दमनगंगा, कर्जन, देव, सुखी और गुहाई परियोजनाओं की नहरों पर रेलवे क्रासिंग के निर्माण कार्य गत कई वर्षों से लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनका निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) दमन गंगा परियोजना के 4 समपारों और करजन परियोजना के 9 समपारों पर रेलवे के हिस्से के निर्माण कार्य पहले ही पूरे कर लिए गए हैं। दमन गंगा पर शेष 3 समपार-गुहाई, सुखी और देव परियोजनाओं पर एक-एक तथा करजन परियोजना पर 3 समपारों के निर्माण कार्य प्रगति विभिन्न चरणों में है।

[हिन्दी]

अहमदाबाद-दिल्ली रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

782. श्री गुमान मल लोढ़ा :

प्रो० रासा सिंह रावत : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद-दिल्ली रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कुछ वर्ष पहले एक योजना घोषित की गई थी और इसके लिये सर्वेक्षण भी कराया गया था;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी लाइन न होने के कारण अहमदाबाद में यात्रियों को असुविधा होती है और व्यापार प्रभावित होता है; और

(ग) क्या सरकार का उक्त रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और वहां दोहरी लाइन बिछाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन एक महत्वपूर्ण ट्रंक मार्ग है जो पूर्णतः संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। इसे उन्नत किया गया है ताकि 100 कि०मी० प्र० घं० की अधिकतम अनुमेय रफ्तार से यात्री गाड़ी चलायी जा सके। दिल्ली-रेवाड़ी, जयपुर-दुर्ई और मदू-मोटेदाऊ-साबरमती के बीच नाजुक खंडों पर दोहरी लाइनें मौजूद हैं। गढ़ी-हरसरू और खलीलपुर के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य भी प्रगति पर है। इस लम्बे मार्ग को बड़ी लाइन में बदलने पर बहुत अधिक निवेश करना होगा और इसका देश के उत्तरी और पूर्वी भागों को दक्षिण से जोड़ने वाली मीटर

लाइन के महत्वपूर्ण कनेक्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। रेलें आमान परिवर्तन के लिये संसाधनों की अत्यधिक तंगी का सामना कर रही हैं। अत:, इस मार्ग का आमान परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

25 अप/26 डाउन और 29 अप/30 डाउन रेलगाड़ियों का पुन: चलाया जाना

783. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धुबरी और गुवाहाटी के बीच चलने वाली 25 अप/26 डाउन और 29 अप/30 डाउन रेलगाड़ियों को अप्रैल 1990 से बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन रेलगाड़ियों को पुन: चलाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। गुवाहाटी और धुबड़ी के बीच चलने वाली 25 अप/26 डाउन पैसेंजर गाड़ी और बोंगाईगांव और धुबड़ी के बीच चलने वाली 29 अप/30 डाउन पैसेंजर गाड़ियों 17-4-90 से रद्द कर दी गई हैं।

(ख) जैसा कि असम सरकार ने सूचित किया है, राज्य के कुछ हिस्सों में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारण 14-4-90 से रात्रि के समय गाड़ियां चलाना रद्द कर दिया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) असम सरकार से सम्पर्क किया गया है और उनके परामर्श से समय में संशोधन करके 1-1-1991 से न्यू बोंगाईगांव और धुबड़ी के बीच 29 अप/30 डाउन पैसेंजर गाड़ी पुन: चला दी गयी है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा रात्रि में गाड़ियों के चालन पर लगायी गयी रोक जारी है इसलिए अगली सूचना तक, 25 अप/26 डाउन गुवाहाटी-धुबड़ी पैसेंजर रद्द रहेगी।

काला भाटा (गाजियाबाद) के निकट उपरिपुल

784. **श्री के०सी० त्यागी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काला भाटा (गाजियाबाद) के निकट एक रेलवे उपरिपुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपरिपुल का निर्माण-कार्य आरम्भ करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस परियोजना का कार्य निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कौन-से सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। काला भाटा से लगभग 2 कि० मी० की दूरी पर समपार सं० एस 100/ए-3 के बदले एक ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ) ठेकेदार की विफलता के कारण पुल खास पर रेलवे के हिस्से के कार्य की प्रगति में बाधा आई है।

शेष कार्य को पूरा करने के लिए एक नई एजेंसी लगाई गयी है जिसके जून, 1991 तक पूरा किये जाने की आशा है।

तेल परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब किया जाना

785. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अक्तूबर, 1990 को "दक्कन हेराल्ड" में "कमीशनिंग डिले एस्केलेट्स कास्ट आफ आयल प्रोजेक्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजनाओं को अब तक चालू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) काम्बे बेसिन पेट्रोलियम विकास परियोजना, एस०पी०जी० फेज-III के लिए विपणन सुविधाएं और हीरा क्षेत्र फेज-III का विकास जैसे अनुमोदित योजनाओं को चालू करने में विलम्ब के कारणों में विश्व बाजार में चार्टर दरों में गिरावट को प्राप्त करने के लिये पुनः निविदा देना, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं से मुख्य डेकों की प्राप्ति में देर, एक परियोजना स्थान पर औद्योगिक संबंधों की समस्या और ठेकेदारों द्वारा देर शामिल हैं।

बी-सी-के पाइपलाइन परियोजना करनाल परियोजना से जुड़ी हुई है जिस पर एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट को अभी अनुमोदित किया जाना है।

तेल का आयात

786. **श्री कल्पनाथ राय** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी क्षेत्र में राजनैतिक संकट के कारण इन देशों से तेल आयात में कितनी कमी होने का ब्यौरा क्या है;

(ख) हमारी संकट की घड़ी के लिये इस मूल्यवान उत्पाद के संरक्षण हेतु सरकार की भविष्य क्या कार्य योजना है; और

(ग) देश में तेल की कमी को पूरा करने के लिये सोवियत संघ, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया आदि से कितनी मात्रा में कच्चे पेट्रोलियम और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) खाड़ी क्षेत्र में संकट के परिणामस्वरूप इराक और कुवैत से कच्चे तेल की आपूर्ति में अगस्त, 1990 से बाधा पड़ी है। आगे इराक-कुवैत युद्ध के कारण अब यू०एस०एस० आर० को एस०एन०ई० आवधिक संविदा के अन्तर्गत सोवियत ब्लैण्ड के कच्चे तेल की आपूर्ति कर रही है।

(ङ) पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण हेतु विभिन्न उपाय किये गये हैं। इसमें निम्न-शामिल हैं :—

(1) ईंधन कुशल वाहनों का निर्माण करने के लिये प्रौद्योगिकी को उन्नत करना और ईंधन कुशल मानकों में संशोधन करना।

(2) बस की चेसियों और बस के डिजाइन का मानकीकरण।

(3) तेल से जलने वाले अकुशल बायलरों के स्थान पर कुशल बायलरों को लगाना।

(4) अधिक कुशलता से कार्य करने के लिए औद्योगिक एककों में और राज्य परिवहन प्रतिष्ठानों में ईंधन तेल उपयोगिता अभ्यवेक्षण करना।

(5) प्रमुख खपत उद्योगों में एकीकृत ऊर्जा आडिट को क्रियान्वित करना।

(6) मिट्टी के तेल/एल०पी०जी० स्टोवों जैसे ईंधन कुशल उपकरणों/उपस्करों और स्नेहकों का विकास करना।

(7) डीजल से चलने वाले पम्प सेटों को ठीक करना।

(8) पेट्रोलियम उत्पादों का कुशलता से इस्तेमाल करने और इनकी बर्बादी को रोकने के लिए लोगों में किफायतसारी का माहौल पैदा करना और उनमें जागरूकता लाना।

(च) फिलीपीन्स और इण्डोनेशिया कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कोई आपूर्ति नहीं होती हैं। यू०एस०एस०आर० ने भी इस कमी को पूरा करने के लिए आवधिक संविदा के तहत कच्चे तेल, और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा नहीं बढ़ाई हैं।

राज्यों को पेट्रोलियम उत्पादों का आवंटन

787. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1990 से विभिन्न राज्यों को प्रत्येक महीने डीजल, पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल की कितनी-कितनी मात्रा आवंटित की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : सितंबर 1990 से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए मिट्टी के तेल के माहवार आवंटन के सम्बन्ध में एक विवरण-पत्र संलग्न है।

केन्द्रीय सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पेट्रोल और डीजल का आवंटन नहीं करती है। सितम्बर, 1990 तक खुदरा बिक्री केन्द्रों द्वारा पेट्रोल और डीजल की मांग को पूर्णतः पूरा किया जा रहा था। तत्पश्चात खाड़ी संकट की वजह से 8 अक्तूबर, 1990 से समूचे देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों द्वारा हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति पर 8% की कटौती और पेट्रोल की आपूर्ति पर 6% की कटौती लगाई गई। तदनंतर कटौती को उठा लिया गया और उस समय खुदरा बिक्री केन्द्रों को हाई स्पीड डीजल की आपूर्तियां गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के स्तर पर की जा रही हैं। इस समय खुदरा बिक्री केन्द्रों को पेट्रोल की आपूर्ति गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में की गई आपूर्तियों पर 4% की वृद्धि देकर की जा रही है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल के आबंटन को दिखाता हुआ विवरण

(आंकड़े टन/प्रति माह में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सितम्बर-अक्तू० 1990	नवम्बर 1990	दिसम्बर 1990	जनवरी 1991
1.	अंडमान और निकोबार	313	313	310	309
2.	आंध्र प्रदेश	46440	55430	54826	54669
3.	असम	19541	23188	23183	23117
4.	बिहार	39297	40479	40080	39727
5.	गुजरात	60887	72351	71562	71358*
6.	हरियाणा	12397	13472	13325	13287
7.	हिमाचल प्रदेश	3071	3571	3524	3524
8.	जम्मू और कश्मीर	5061	6675	6602	6486
9.	कर्नाटक	35638	41199	40750	40633
10.	केरल	21529	24604	24349	24283
11.	मध्य प्रदेश	29504	34862	34510	34419
12.	महाराष्ट्र	122058	154753	133285	132404
13.	मणिपुर	1508	2068	2046	2040
14.	मेघालय	1246	1398	1383	1379
15.	मिजोरम	345	649	642	640
16.	नागालैंड	762	956	945	943
17.	उड़ीसा	12671	14290	14148	14111
18.	पंजाब	27258	27570	27270	27192
19.	राजस्थान	21118	24870	24618	24553
20.	सिक्किम	384	1034	1023	1019
21.	तमिलनाडु	53464	59578	58929	58761
22.	त्रिपुरा	1436	2314	2289	2282
23.	उत्तर प्रदेश	76441	78588	77795	77590

1 2	3	4	5	6
24. वैस्ट बंगाल	57410	65854	65153	64947
25. अरुणाचल प्रदेश	679	917	907	905
26. चंडीगढ़	1697	2007	1985	1980
27. दादर और नागर हवेली	312	313	310	309
28. दिल्ली	18778	22819	22570	22505
29. गोवा	2337	2509	2482	2475
30. पांडिचेरी	1068	1487	1471	1467
31. लक्षद्वीप	71	68	67	67
32. दमन और द्वीप	239	257	254	253

*390 टन छोड़ कर

विमान सेवाओं का निलम्बन

788. **श्री मनोरंजन भुर :** क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निलम्बित अथवा रद्द की गई विभिन्न विमान सेवाएं पुन: आरंभ कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा बन्द की गयी अथवा रद्द की गयी सभी उड़ानों को पूर्ण रूप से पुन: आरम्भ नहीं किया गया है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स की बन्द की गयी/रद्द की गई सेवाओं और बहाल की गई सेवाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

बी-737 10-11-1989 से बंगलौर-मंगलौर-बंगलौर सेवा बन्द कर दी गई है और 16-7-90 से बहाल कर दी गई है।

बी-737 5-3-89 से दिल्ली और गोरखपुर सेवा बन्द कर दी गई है और 1-1-91 से इसे बहाल कर दिया गया है।

ए-320 19-2-90 से दिल्ली-गुवाहाटी-इम्फाल (दैनिक) सेवा को बन्द कर दिया गया और इसे 16-2-90 से बी-737 के साथ सप्ताह में तीन बार की सेवा कर दिया गया था।

19 फरवरी, 1990 से ए-320 बेड़े को ग्राउन्ड किये जाने से सैक्टरों पर इनकी सेवाओं को बन्द किये जाने के फलस्वरूप उनकी जगह या तो ए-300/बी-737 विमान लगाये गए उनकी आवृत्तियां

घटा दी गई। 3 दिसम्बर, 1990 को अन्तर्देशीय सैक्टर पर इन्हें पुन: लगाने के बाद ए-320 सेवाएं इस समय निम्नलिखित मार्गों पर चलाई जा रही है :

दिल्ली/बम्बई/दिल्ली

दिल्ली/गुवाहाटी/दिल्ली

दिल्ली/हैदराबाद/दिल्ली

बम्बई/गोवा/बम्बई

बम्बई/मद्रास/बम्बई

बम्बई/बंगलोर/बम्बई

बम्बई/हैदराबाद/बम्बई

हैदराबाद/बंगलोर/हैदराबाद

हैदराबाद/मद्रास/हैदराबाद

कलकत्ता/गुवाहाटी/कलकत्ता

(ग) 3 दिसम्बर, 1990 से चरणबद्ध रूप से ए-320 विमानों को अन्तर्देशीय सैक्टर में पुन: लगा दिया गया है। ए-320 विमानों को पूरी तरह से लगाये जाने में कई महीने लग जायेंगे। इसके अतिरिक्त, सेवाओं को पुन: चलाना यातायात सैक्टर में यातायात की मांग पर निर्भर करेगा क्योंकि इण्डियन एयरलाइन्स के परिचालनों का प्रमुख उद्देश्य उच्च यात्री भार गुणक प्राप्त करना है।

अमृतसर-लुधियाना यात्री रेलगाड़ी को शटल रेलगाड़ी में बदलना

789. **श्री कृपाल सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लाखों दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए अप/डाउन अमृतसर लुधियाना रेलगाड़ी को शटल रेलगाड़ी में बदलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

आंदोलन के कारण रेलवे संपत्ति को क्षति

790. **श्री कमल चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल 1990 से आज की तारीख तक आतंकवादी और अन्य असामाजिक गतिविधियों तथा आरक्षण-विरोधी आंदोलन के कारण पंजाब, हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में क्षतिग्रस्त हुए रोलिंग स्टाक सहित रेलवे स्टेशन भवनों और अन्य रेलवे संपत्ति का राज्यवार, स्थान-वार और माह-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) संपत्ति-वार कितनी-कितनी क्षति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें चल स्टाक सहित पंजाब,

हरियाणा और संघ शासित प्रदेश दिल्ली में रेलवे स्टेशन की इमारतें क्षतिग्रस्त हुई तथा अन्य रेल संपत्तियों का ब्यौरा दर्शाया गया है।

(ख) क्षति की सम्पत्ति-वार कुल लागत नीचे दी गई है :

बिजली	43,19,492,00
यांत्रिक	5,52,07,491,00
सिगनल	1,28,84,800,00
इन्जीनियरी	49,09,558,00
	7,73,21,341,00

विवरण

(1) पंजाब

सितम्बर 90

नूरपुर	4 पी० बी०, 5 पी० बी० और 2 जे० पी० ए० के रेल क्षतिग्रस्त हुए।
जवांवाला शहर	तलवाड़ा 4 पी० बी० का रेक क्षतिग्रस्त हुआ।
फतुही	समपार फाटक को क्षति हुई।
भटिंडा	सवारी डिब्बा सं० 4587 और स्टेशन की इमारत क्षतिग्रस्त हुई।
होशियारपुर	पहले दर्जे के सवारी डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए।
बरनाला	स्टेशन का फर्नीचर क्षतिग्रस्त हुआ।
धुरी	4587 के 3 सवारी डिब्बे और इन्जन को आग लगाई गई।
कोटकपूरा	फाटक सं० 25-ए को आग लगाई गई।
पटियाला	कारखाने के अन्दर रेल संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई।
लुधियाना	पूर्वी पश्चिमी और सी० केबिनें तथा सिगनल एवं दूरसंचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए।
मोगा	फाटक क्षतिग्रस्त हुआ।
बटाला	स्टेशन की इमारत क्षतिग्रस्त हुई।
जालंधर	लेखा कार्यालय और पार्सल कार्यालय क्षतिग्रस्त हुए।
फतुही	336 डाउन के सवारी डिब्बे और नियंत्रण दूरभाष क्षतिग्रस्त हुए।

अक्तूबर 90

फिरोजपुर	टेलीफोन एक्सचेंज क्षतिग्रस्त हुआ।

बुडलाडा	रेलपथ क्षतिग्रस्त हुआ ।
होशियारपुर	एक पार्सल क्षतिग्रस्त किया गया ।

(2) हरियाणा

जून 90

बल्लभगढ़	स्टेशन की इमारत को आग लगाई ।

अगस्त 90

सोनीपत	4647 अप के 2 सवारी डिब्बे और इन्जन तथा स्टेशन की इमारत क्षति-ग्रस्त हुई ।
समालखा	स्टेशन की इमारत क्षतिग्रस्त की गई।
जींद	अप बी० टी० आई० लोड के इन्जन के गतिमापक को क्षति पहुंचाई गई ।
बहादुरगढ़	रेलवे स्टेशन क्षतिग्रस्त हुआ ।
असौदा	सिगनल उपस्कर और स्टेशन क्षतिग्रस्त हुआ ।
सांवल कलां	जे० एन० बाक्स और टेलीफोन क्षतिग्रस्त हुआ ।
सोनीपत	337 अप का रेक तथा फाटक सं 26-सी और 27 क्षतिग्रस्त हुआ ।
राजलूगढ़ी	4 डी० पी० के खिड़की के शीशे क्षतिग्रस्त हुए ।
नरवाना	सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए ।
रोहतक	सिगनल उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए ।
सांपला	34 अप का सवारी डिब्बा सं० 4659 जलाया गया ।
जयजयवंती	स्टेशन की संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई और सवारी डिब्बा सं० 8557 जी० एस० को आग लगाई गई ।
बसई धनकोट	सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर और फाटक सं० 28 क्षतिग्रस्त हुआ ।
कोसली	सिगनल एवं रिले रूप क्षतिग्रस्त हुआ।
टोहाना	स्टेशन की इमारत क्षतिग्रस्त हुई ।
राठधना	होम सिगनल क्षतिग्रस्त हुआ ।
हरसन कलां	8102 का सवारी डिब्बा सं० 7198 में आग लगाई गई ।
बराड़ा	कोयला रेक का इन्जन क्षतिग्रस्त हुआ ।
अम्बाला	1 एस० यू० एन० गाड़ी के सवारी डिब्बों में आग लगाई गई ।
हिसार	सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुआ ।
गढ़ी हरसरू	नियंत्रण फोन क्षतिग्रस्त हुआ ।
हांसी	सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए ।

पाटली	सिग्नल उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए ।
टोहाना	दोनों ओर के केबिन क्षतिग्रस्त हुए ।
कलायत	स्टेशन फर्नीचर जलाया गया ।
खरावड़	पंजाब मेल और आभा एक्सप्रेस के होस पाइप क्षतिग्रस्त हुए ।
जगाधरी	बुकिंग कार्यालय और फाटक क्षतिग्रस्त हुए ।
मोहिंदरगढ़	सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए ।
पटौदी	फाटक सं० 45 बी क्षतिग्रस्त हुआ ।
अटोला जोड़ी सांप का	सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए ।
रेवाड़ी	60 होस पाइपों को जला दिया गया ।
धरौंदी	स्टेशन रिकार्ड को आग लगा दी गई और समपार फाटक क्षतिग्रस्त हुआ ।
टोहाना	सिगनल एव दूर संचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुआ ।
जाखल	इन्जन सं० 10543, विश्राम कक्ष और पूर्व तथा पश्चिमी केबिन क्षतिग्रस्त हुए ।
गोहाना	के० एम० सं० 40/14-15 का रेल पथ क्षतिग्रस्त हुआ ।
शाहबादमारकंडा	डी० एस० एल० पावर सं० 10945 क्षतिग्रस्त हुआ ।
तरावड़ी	फाटक सं० 78 सी क्षतिग्रस्त हुआ ।
बेजिदा जाटान	स्टेशन का फर्नीचर क्षतिग्रस्त हुआ ।

सितम्बर 90

बासी	स्टेशन इमारत क्षतिग्रस्त हुई ।
रोहतक दोघवाली	ब्लाक खंड में 4085 अप के 6 सवारी डिब्बों को आग लगाई गई ।
किनाना	पूर्वी केबिन जला दिया गया ।
गुड़गांव	26 होस पाइप क्षतिग्रस्त हुए ।
रेवाड़ी	40 होस पाइप क्षतिग्रस्त हुए ।
नरवाना	सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर और पूर्वी छोर के गेट बैरियर क्षतिग्रस्त हुए ।
जाखोद खेड़ा	सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर और सहायक स्टे० मा० कार्यालय के दरवाजों को क्षति पहुंची ।
धरौंदी	फाटक सं० 143 के सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए ।
अम्बाला	होम सिगनल के सिगनल उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए ।

घासो	स्टेशन की इमारत/सिगनलों को आग लगाई गई।
उचाना	स्टेशन की इमारत को आग लगाई गई।
चमतान साहिब	पुल सं० 242 को आग लगाई।
कालका	केबिन क्षतिग्रस्त हुए।
रामपुरा फूल	4588 डाउन के डी० एस० एल० पावर क्षतिग्रस्त हुआ।
बरसोला	स्टेशन की इमारत को आग लगाई गयी।
सिरसा	फाटक सं० 143/144 के सिगनल एवं दूरसंचार क्षतिग्रस्त हुए।
भट्ट	सिगनल एवं दूरसंचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए।
कुतुबपुर हाल्ट	4 जे० एन० के० का एक सवारी डिब्बा जला दिया गया।
घग्गर/चंडीगढ़	गाड़ी सं० 8603 अप के खिड़की के शीशे क्षतिग्रस्त हुए।
ढींग	नियंत्रण फोन क्षतिग्रस्त हुआ।
सिरसा	सिगनल उपस्कर क्षतिग्रस्त हुआ।
मंडी आदरपुर	सिगनल उपस्कर क्षतिग्रस्त हुआ।
कालका	के० एम० सं० 269/5 पर चक्रानुक्रमित सवारी डिब्बा सं० 1783 क्षतिग्रस्त हुआ।
जगाधारी	नियंत्रण प्रणाली के सिगनल उपस्कर क्षतिग्रस्त हुआ।
जगाधरी वर्कशाप	सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए।
कुरुक्षेत्र	बुकिंग कार्यालय, पार्सल कार्यालय और स्टेशन को आग लगाई गई।
थानेसर	फाटक सं० 63, 64, 65 क्षतिग्रस्त हुए।
ढोला माजरी	स्टेशन की इमारत को क्षतिग्रस्त हुई।
दरांजपुर	स्टेशन की इमारत को आग लगाई गई।
भट्ट	स्टेशन के फर्नीचर को आग लगायी गयी।
सोनीपत	4678 डाउन के सवारी डिब्बों को आग लगायी गई।
अम्बाला छावनी	स्टेशन की इमारत को आग लगायी गई।
अम्बाला शहर	339 अप के सवारी डिब्बों को आग लगाई गई।
हिसार	स्टेशन की इमारत और उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए।
आदमपुर	स्टेशन की इमारत और फर्नीचर क्षतिग्रस्त हुए।
गन्नौर	सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए।
मोहड़ी	नियंत्रण फोन क्षतिग्रस्त हुआ।

आदमपुर	बिजली संबंधी उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए।
हिसार	बिजली की फिटिंग क्षतिग्रस्त हुई।
गरौंडी	स्टेशन की इमारत क्षतिग्रस्त हुई।
खैरांती	स्टेशन की इमारत को आग लगायी गई।
इस्माइला	1 टी० आर० के 14 सवारी डिब्बे और इसके इन्जन क्षतिग्रस्त हुए।
सांपला	इन्जन सं० 17982 और 345 अप के सवारी डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए।
सोनीपत	231 अप के इन्जन को आग लगाई गई।
जयजयवंती	स्टेशन की इमारत को आग लगायी गई।
सिवाह	सहायक स्टे० मा० के कार्यालय को आग लगाई गई।
मुस्तफाबाद	केबिन क्षतिग्रस्त हुआ।
गन्नौर	फाटक सं० 35 के फाटक हटको आग लगाई गई।
अम्बाला	मुरी एक्सप्रेस सं० जी० एस० 5471 के सवारी डिब्बों को आग लगाई गई।
बरौदी	345 अप क्षतिग्रस्त हुई।
गुड़गांव	मालगाड़ी के होस पाइप क्षतिग्रस्त हुए।
जाटूसाना	स्टेशन की इमारत क्षतिग्रस्त हुई।
पलवल	लैंस रेलपथ लीडवायर के 2 गेट क्षतिग्रस्त हुए।
असावटी	सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए।
फरीदाबाद	ई० जी० किस्म के फाटक ताले, सिगनल एवं दूर संसार उपस्कर और सिविल इन्जीनियरी सामग्रियां क्षतिग्रस्त हुई।
फरीदाबाद	सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए।
न्यू टाउन	सिगनल एवं दूर संचार और सिविल इन्जीनियरी की संपत्ति, विभाग प्रमुख के कार्यालय क्षतिग्रस्त हुआ और बिजली गाड़ी सवारी डिब्बे जलाए गए।
असावटी विलेज	
ए० बी० एच खंड	सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए।
धन्धी-शोलका	सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए।
शोलका	सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर एवं सिविल/इन्जीनियरी सामग्रियां क्षतिग्रस्त हुई।
डाबरा	रिपीटर स्टेशन को आग लगाई गई।
अक्तूबर 90	
सोनीपत	इन्जन सं० 17982 क्षतिग्रस्त हुआ।

कैथल	के० एम० 27/15-14 पर पुल सं० 37 को आग लगाई गई।
जींद-बिसनपुरा	पुल सं० 163 को आग लगाई गई।
बजीदा जाटान	सहायक स्टे० मा० के कार्यालय, रिले रूम आदि को आग लगाई।
कालका	डी० एस० एल० पावर सं० 159 को आग लगाई गई।
भिवानी	बिजली संबंधी फिटिंग क्षतिग्रस्त हुई।
भट्टू	बिजली संबंधी फिटिंग क्षतिग्रस्त हुई।
जाखोद खेड़ा	बिजली संबंधी फिटिंग क्षतिग्रस्त हुई।
कलांवली	बिजली संबंधी फिटिंग क्षतिग्रस्त हुई।
कालका	स्टेशन की इमारत और रनिंग रूम आदि को आग लगाई गई।
रोहतक	2 जे० पी० आर० के सवारी डिब्बा सं० 11052 को आग लगाई गई।

(3) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली

अगस्त-90

नरेला	1057 अप की डायनामों बेल्ट को काट कर अलग कर दिया गया।
घेवरा	सिगनल ग्लासों और संसूचक अथवा समपार फाटक क्षतिग्रस्त हुए।
बिजवासन	फाटक सं० 21-सी० क्षतिग्रस्त हुआ।
पालम	पश्चिमी कैबिन के गेट सं० 15 और सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए।

सितम्बर-90

दिल्ली क्विन्स रोड—4792 के रेक के 10 सवारी डिब्बों के खिड़की के शीशे क्षतिग्रस्त हुए।

दिल्ली सराय रोहिल्ला	2915 अप के 30 होस पाइप क्षतिग्रस्त हुए।

दिल्ली क्विन्स रोड—फाटक सं० 16/17 के सिगनल एवं दूरसंचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए।

नरेला	2916 के रेक के खिड़की के शीशे क्षतिग्रस्त हुए।
नरेला	सवारी डिब्बा सं० एफ सी० 587 को आग लगाई गयी।
सरोजनी नगर	स्टेशन की इमारत क्षतिग्रस्त हुई।
पालम	सहायक स्टेशन मास्टर और बुकिंग कार्यालय को आग लगाई गई।

होलंबी कला-बादली-कि० मी० सं० 8/14 पर 2312 डा० के सवारी डिब्बों को आग लगाई गई।

विवेक बिहार	सिगनल सं० 1, 2 और 3 क्षतिग्रस्त हुआ।
कड़कड़डूमा	आरक्षण कार्यालय क्षतिग्रस्त हुआ।
पालम	सहायक स्टे० मा० कार्यालय, पश्चिमी कैबिनी, फाटक सं० 15-सी क्षतिग्रस्त हुआ।
बिजवासन	फाटक सं० 21 सी के सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए।

अक्तूबर-90

दिल्ली मेन	एक सवारी डिब्बा जलाया गया।
निजामुद्दीन	निकासी गेट के शीशे तोड़े गए।

[हिन्दी]

791. प्रो० यदुनाथ पाण्डेय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के बहुत से क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने का प्रस्ताव है और तदनुरूप सर्वेक्षण करा लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो बिहार के उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं जो अब तक रेल मार्गों से जुड़े नहीं हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष वार इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या सरकार सर्वेक्षण कराने और हजारीबाग को रामगढ़ या कोडरमा से जोड़ने के लिए मास्टर योजना/आक्कलनों को स्वीकृति देने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है;

(घ) यदि हां, तो हजारीबाग जिला मुख्यालय को कब तक रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा; और

(ङ) उस पर अनुमानत: कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री जगेश्वर मिश्र) : (क) बिहार में नई रेल लाइनों के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण कार्य किए गए हैं :

1. सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर
2. मुजफ्फरपुर-दरभंगा
3. रकसौल-बीरगंज (नेपाल)
4. निरमली-सरायगढ़
5. लौकाहा बाजार-लौकाही
6. दौरम माधेपुरा-सिमेश्वर अस्थान
7. सहरसा-तारापीठ महेशी
8. सिमरी बक्तियार-बिहारीगंज
9. पीरपैंती-लालमटिया
10. पैमर-राजगीर
11. आरा-सासाराम (पुनर्स्थापन)
12. मन्दार हिल-बैद्यनाथ धाम
13. मन्दार हिल-दुमका
14. मधुपुर-दुमका
15. दुमका-रामपुर हाट
16. दुमका-सैंथिया

17. रांची-गिरीडिह बरास्ता हजारी बाग-कोडरमा

18. बरवाडीह-विश्रामपुर

19. टोरी-कोरबा

परियोजनाएं अर्थक्षम नहीं पाई गई थी इसलिए इन पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

दीहरी-आन-सोन-भवनाथपुर के लिए सर्वेक्षण हाल ही में पूरा हुआ है।

कोडरमा-मानिकपुर नई लाइन के लिए 1990-91 में सर्वेक्षण अनुमोदित किया गया है;

(ख) से (ङ) औरंगाबाद, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग तथा दुमका जिला मुख्यालय रेल द्वारा नहीं जुड़े हुए है। विगत में रांची, हजारीबाग के लिए किए गए सर्वेक्षण को अद्यतन करने का काम शुरू किया गया है, सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अगली कार्रवाई निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

बिजली उपक्रमों द्वारा अल्पावधि जमा-राशि

792. श्री एस० बी० चोरट : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जैसे एन० टी० पी० सी०/आर० ई० सी०/सी० आई० एल०/टी० एच० डी० सी० तथा इनकी सहायक कम्पनियां और उनके मंत्रालय के अधीन अन्य निगम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं में अल्पावधि धनराशि जमा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1990 को उपर्युक्त निगमों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से प्रत्येक द्वारा विभिन्न बैंकों की शाखाओं में इस प्रकार जमा कराई गई अल्पावधि धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह अग्रिम कृषा पात्र शाखाओं को देने में कुछ अनियमितताओं का सरकार को पता चला है; और

(घ) क्या सरकार का ऐसी अल्पावधि जमा-राशि देने में एक सुस्पष्ट मानदंड एवं युक्तिसंगत प्रक्रिया तैयार करने का विचार है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अजनराव ढाकणे) : (क) और (ख) ऊर्जा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराई गई अल्पावधि धनराशियों की 31-3-90 के अनुसार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी अधिशेष राशि कहीं भी जमा किये जाने के लिए निर्णय लिए जाने हेतु आंतरिक रूप से स्वतन्त्र होते हैं। ऐसे निर्देश पहले से ही विद्यमान है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने लेखे-जोखे केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व इसके सहायक बैंकों सहित अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में ही रखने चाहिए।

विवरण

विद्युत विभाग

(रुपए लाखों में)

1. विद्युत वित्त निगम लि०

बैंक का नाम जहां पर निक्षेप जमा	21-3-90 को राशि
कारपोरेशन बैंक, अंसल चैम्बर्स-I, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली ।	25.00
पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक 38-39, इण्डस्ट्रीयल एरिया; नारायणा, नई दिल्ली ।	25.00
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, रीगल बिल्डिंग, नई दिल्ली ।	25.00
बिकानेर एण्ड जयपुर बैंक जी-72 कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।	25.00
इण्डियन बैंक । जी-41, कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।	25.00
ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स, ए-30/33, कनाट प्लेस, नई दिल्ली ।	25.00
इण्डियन अवरसिज बैंक, जीवन दीप, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।	75.00
विजय बैंक, पालिका केन्द्र, रीगल बिल्डिंग, नई दिल्ली ।	75.00
आन्ध्र बैंक, एम-35, कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।	75.00
यूनियट बैंक ऑफ इण्डिया, 52, सुन्दर नगर, नई दिल्ली ।	75.00
बैंक ऑफ इण्डिया, 54, जनपथ, नई दिल्ली ।	187.00
इलाहबाद बैंक, 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।	262.50

2. भाखरा नांगल पावर कारपोरेशन लि०

बैंक का नाम जहां पर निक्षेप जमा है	(लाख रुपयों में (राशि)
केनरा बैंक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।	215.70
न्यू बैंक ऑफ इण्डिया, कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।	53.20

इण्डियन बैंक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली।	750.00
कारपोरेशन बैंक भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली ।	200.00
3. राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि०	
पंजाब नेशनल बैंक, ई० सी० ई० हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली ।	14000.00
4. उत्तर-पूर्वी विद्युत निगम	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शिलांग	650.00
बैंक ऑफ इण्डिया, शिलांग	50.00
केनरा बैंक, शिलांग	100.00
यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, शिलांग	100.00
सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शिलांग	25.00
बैंक ऑफ बड़ौदा, शिलांग	100 00
5. टिहरी जल विद्युत विकास निगम, लि०	
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कैपिटल मार्केट लि०	1200.00
केन बैंक फाइनैंसियल सर्विजि	1389.5
6. ग्राम विद्युतकरण निगम	
(क) राज्य विद्युत बोर्डों को इन्वेंन्ट्री लोन उपलब्ध करना	
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।	50.00
ओरियण्टयल बैंक ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली ।	50.00
इलाहबाद बैंक, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ।	50.00
बैंक ऑफ इण्डिया, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।	100.00
सिण्डीनें बैंक, नेहरू प्लेस नई दिल्ली ।	50.00
स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।	50.00
यूको बैंक, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ।	50.00
सैंन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।	50.00
इण्डियन बैंक, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।	50.00
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावांकोर, आर० के० पुरम, नई दिल्ली।	50.00
(ख) ग्रांण्ड मंजूर करते समय बैंक की शर्तों के अनुसार	
आंध्र बैंक, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	100.00
कारपोरेशन बैंक, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली ।	12.50
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एन० डी० एस० ई०, नई दिल्ली	25.00

बैंक ऑफ सौराष्ट्र, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली,	100.00
पंजाब नेशनल बैंक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली	8540.00
(ग) आयकर (सरचार्ज स्कीम), 1983-84के अनुसार आई० डी० बी० आई०, ससद मार्ग, नई दिल्ली ।	90.9
(घ) निधि के प्रत्यावर्तन के लिए गारन्टी प्राप्त करने के सम्बन्ध में बैंक ऑफ बड़ौदा, ससद मार्ग, नई दिल्ली ।	50.00
7. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि०	
बैंक आफ इण्डिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट	100.00
सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	38.00
सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बदरपुर, नई दिल्ली	9.00
देना बैंक, स्कोप कम्प्लेक्स	37.00
इंडियन ओवरसिज बैंक, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ।	55.00
इण्डियन, बैंक, साऊथ एक्सटेंसन	2330.00
ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ।	1215 00
पंजाब नेशनल बैंक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।	934.00
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्कोप कम्प्लेक्स ।	400 00
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सी० डब्ल्यू० सी० पालाम	6·00
सिण्डीकेट बैंक, नेहरू प्लेस	48.00
यूको बैंक, आर० के० पुरम,	67.00
विजया बैंक, नेहरू प्लेस	100.00
8. राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम लि०	
—	शून्य
ठेकेदार धाटी निगम	
इलाहबाद बैंक, कलकत्ता मेन ब्रांच	25.00
इलाहबाद बैंक, पार्क स्ट्रीट ब्रांच	15.00
आंध्र बैंक, कलकत्ता मेन ब्रांच	4९.39
आंध्र बैंक, कारावा ब्रांच	10.00
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू अलीपुर ब्रांच	35.00
बैंक ऑफ इण्डिया, पंचेत बिहार	5.00
बैंक ऑफ बड़ोदा, किद्दरपुर ब्रांच	25.00
बैंक ऑफ बड़ोदा, जोधपुर पार्क ब्रांच	17.70
केनरा बैंक, किद्दरपुर ब्रांच	3060
कारपोरेशन बैंक, धरमोतोला ब्रांच	136.87

इण्डियन बैंक, अलीपुर ब्रांच	15.00
इण्डियन बैंक, हावड़ा ब्रांच	10.00
इण्डियन बैंक, सेल ब्रांच	27.00
इण्डियन बैंक, स्ट्राण्ड रोड ब्रांच	10.00
ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स आशुतोष रोड ब्रांच	93.67
पंजाब नेशनल बैंक, साउथरिज पारा रोड ब्रांच	25.00
पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, कलाकार स्ट्रीट ब्रांच	50.00
ब्रांच	30.00
पंजाब एण्ड सिंध बैंक, लिडसे स्ट्रीट ब्रांच	119.57
पंजाब एंड सिंध बैंक, ओल्ड कोर्ट हाऊस स्ट्रीट ब्रांच	30.00
यूनियन बैंक आफ इंडिया, साल्टलेक ब्रांच	5.00
यूनिट बैंक आफ इण्डिया, हाजरा ब्रांच	90.02
यूको बैंक, खालासीटोला ब्रांच	50 00
यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, पार्क स्ट्रीट ब्रांच	50.00
यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, अलीपुर ब्रांच	4.00
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओल्ड कोर्ट हाऊस स्ट्रीट बाजार	25.00
विजया बैंक, हेस्टिंग्ज पार्क रोड ब्रांच	75.00
विजया बैंक, रविन्द्रा सारानी ब्रांच	15.00
विजया बैंक, ओल्ड कोर्ट हाऊस स्ट्रीट ब्रांच	20.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	200.00
10. कोल इंडिया लिमिटेड (कोयला विभाग)	
पंजाब नेशनल बैंक, बी० आर० बी० बी० रोड कलकत्ता	11500.00
केन बैंक फाईनेंसियल सर्विसिज लिमिटेड, रूस्सल स्ट्रीट कलकत्ता	1000.00
11. नैवेली लिग्नाईट निगम	
कैनरा बैंक, ब्लाक 6, नैवेली	50.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्लॉक 2, नैवेली	152.50
12. अपार परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	
इंडियन रिन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आई० आर० डी० ए०)	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, प्रगति बिहार बाजार, नई दिल्ली	642.17

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और कोयले का व्यापार

793. श्री बलेश्वर यादव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पेट्रोलियम और डीजल की कमी को ध्यान में रखते हुए इनका आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में पेट्रोल और डीजल का किन-किन देशों से आयात किया जायेगा; और

(ग) इन वस्तुओं के आयात मूल्य और अन्य शर्तों का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1990-91 में पेट्रोल के आयात का कोई कार्यक्रम नहीं है । परन्तु, स्पाट बाजार से खरीदने के अलावा, दिसम्बर, 1990 से मार्च, 1991 के दौरान सोवियत रूस, यू० ए० ई० और बहराइन से लगभग 1.940 मि० टन डीजल आयात करने का प्रस्ताव है ।

(ग) आवधिक और स्पाट खरीद के अधीन ली जाने वाली कीमत बाजार सापेक्ष होती है । इन स्रोतों से डीजल का आयात करने के लिये कोई अन्य शर्त नहीं है ।

मुम्बई वी० टी० और पनवेल के बीच सीधी रेल सेवा

794. **श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई वी० टी० और पनवेल के बीच सीधी रेल सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक आरम्भ किया जा सकेगा ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"बाम्बे हाई" की जलाकर नष्ट की जाने वाली प्राकृतिक गैस का उपयोग

795. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बाम्बे हाई" से निकलने वाली प्राकृतिक गैस, जिससे 25 लाख सिलेंडर भरे जा सकते हैं, प्रतिदिन जलाकर नष्ट की जा रही है;

(ख) क्या कुछ उद्योगपतियों ने "बाम्बे हाई" की गैस को पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में उपयोग करने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने औद्योगिक एककों की इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) पश्चिमी अपतट में फिलहाल करीब 10 मिलियन घन मीटर गैस का प्रतिदिन दहन किया जाता है ।

(ख) से (घ) पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। सरकार ने अंतर-ईंधन प्रतिस्थापन के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करने हेतु गेल के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में एक अन्तर अनुशासनिक समिति स्थापित की है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि

796. **प्रो० महादेव शिवनकर :**

श्री विद्याधर गोखले : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में प्रतिवर्ष मद-वार कितनी वृद्धि हुई है और वर्ष-वार इस पर कितना खर्च किया गया; और

(ख) आगामी तीन वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादन में वृद्धि का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में रिफाइनरियों में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में हुई वृद्धि और उस पर हुआ व्यय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	वास्तविक उत्पादन (मि० टन)	पिछले वर्ष में हुई वृद्धि (मि० टन)	कच्चे तेल की लागत सहित पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन पर हुआ कुल अनुमानित व्यय (करोड़ रुपए)
1987-88	44.7	1.9	10522.41
1988-89	45.7	1.0	10716.38
1989-90	48.7	3.0	12018.87

प्रत्येक पेट्रोलिम उत्पाद के उत्पादन पर हुए व्यय के मदवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

भावी उत्पादन के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि हर वर्ष तैयार किए गए तेल अर्थ बजट के लिए इनको अंतिम रूप दिया जाता है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई

797. **श्री एस० सिंगारावेलीवेल :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के तंजावूर जिले में कावेरी बेसिन मे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) तंजावूर में कोवेरी बेसिन में उपलब्ध तेल संसाधनों को पूर्णरूप से उपयोग में लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवी) : (क) तमिलनाडु के तंजावूर जिले के कोवेरी बेसिन में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का औसत दैनिक उत्पादन में निम्नलिखित है :—

कच्चा तेल	875 टन
प्राकृतिक गैस	24000 मी०

(ख) तमिलनाडु के तंजावूर जिले के नरीमनम में क्रूड आसवन इकाई स्थापित करने के मद्रास रिफाइनरीज लि० के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) तंजावूर जिले के नरीमनम, कोविलकल्लप्पल और आदियमंगलम में विकासात्मक ड्रिलिंग कर ली गई है।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास

798. **श्री प्रताप सिंह :**

श्री बी० वेंकटरामन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ईंधन लकड़ी के स्थान पर प्रयोग हेतु अब तक विकसित किए गए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के क्या नाम हैं;

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अब तक सप्लाई किए गए सुधरी किस्म के चूल्हों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है और आठवीं योजनावधि में उन्नत किस्म के चूल्हों के लिए प्रस्तावित योजना क्या है;

(ग) देश में अब तक बेचे गए सौर कुकरों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में बेहतर चूल्हों और सौर कुकरों की किस-किस मूल्यों पर सप्लाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) रेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में जलावन लकड़ी के स्थान पर इस्तेमाल करने के लिए अब तक विकसित की गई ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर आधारित विभिन्न युक्तियों में सौर जल तापन प्रणालियां, सौर वायु तापक, सौर फसल शुष्कक, सौर काष्ठ भट्ठे, सौर कुकर, उन्नत चूल्हे, बायोगैस संयन्त्र आदि शामिल हैं।

(ख) राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम व्यापक रूप से फैला हुआ एक कार्यक्रम है तथा इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कोई सीमा-निर्धारित नहीं है। मार्च, 1990 तक की उन्नत चूल्हों की राज्यवार उपलब्धि विवरण-I में दी गई है तथा आठवीं योजना के लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) देश में अब तक (नवम्बर, 1990 तक) बेचे गए सौर कुकरों की संख्या 1,57,740 है और राज्यवार विवरण-II में दिया गया है।

(च) (i) सौर कुकर : एल्यूमिनियम से बने सौर कुकर की कीमत 750/- रुपए है तथा एफ० आर०पी० के सौर कुकर की कीमत 825/- रुपये है। उपभोक्ता को प्रति सौर कुकर 150/- रुपये की केन्द्रीय आर्थिक सहायता उपलब्ध है। कुछ राज्य सरकारें केन्द्रीय आर्थिक सहायता के अतिरिक्त प्रति सौर कुकर 100 से 250 रुपये तक राज्य आर्थिक सहायता भी प्रदान करती हैं। इसलिए अलग-अलग राज्यों में उपभोक्ताओं के लिए सौर कुकर की शुद्ध कीमत भिन्न-भिन्न होती है।

(ii) उन्नत चूल्हे : उन्नत चूल्हों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों अर्थात स्थिर चूल्हों और सफरी चूल्हों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(क) 42/- रुपये से 95/- रुपये प्रति चूल्हे की लागत सीमा में विभिन्न प्रकार के स्थिर चूल्हे हैं जो खाना पकाने की विभिन्न आवश्यकताओं पर आधारित हैं। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के अन्तर्गत, एक लाभार्थी को एक स्थिर चूल्हे की सामग्री लागत के लिए केवल 5 रुपए प्रति चूल्हा और निर्माण लागत के लिए प्रति चूल्हा 5 रुपए स्व-रोजगार कर्मी को देना होता है।

(ख) भिन्न-भिन्न सामग्री विनिर्देशनों और आकार वाले विभिन्न प्रकार के सफरी चूल्हे हैं जिनकी लागत प्रति चूल्हा 110 रुपये से 165 रुपए के बीच है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए, सरकारी आर्थिक सहायता चूल्हे की लागत का 50 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जाति/जन-जाति/पहाड़ी क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए सरकारी आर्थिक सहायता चूल्हे की लागत का 75 प्रतिशत है।

विवरण-I

31-3-1990 तक स्थापित किए गए उन्नत चूल्हों का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थापित किए गए चूल्हों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	657,221
2.	अरुणाचल प्रदेश	4,042
3.	असम	61,357
4.	बिहार	422,691
5.	गोवा	38,379
6.	गुजरात	439,263
7.	हरियाणा	490,579
8.	हिमाचल प्रदेश	303,940
9.	जम्मू एवं कश्मीर	123,476
10.	कर्नाटक	357,807
11.	केरल	152,048
12.	मध्य प्रदेश	685,000

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	521,286
14.	मणिपुर	15,576
15.	मेघालय	10,209
16.	मिजोरम	5,194
17.	नागालैंड	7,000
18.	उड़ीसा	247,283
19.	पंजाब	418,995
20.	राजस्थान	904,711
21.	सिक्किम	14,175
22.	तमिलनाडु	632,378
23.	त्रिपुरा	4,361
24.	उत्तर प्रदेश	997,591
25.	पश्चिम बंगाल	248,300
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	8,260
27.	चंडीगढ़	8,498
28.	दादरा व नगर हवेली	3,979
29.	दिल्ली	89,632
30.	लक्षद्वीप	3,278
31.	पांडिचेरी	12,732
32.	दमन एवं दीव	—
33.	अन्य	501,056
	योग :	8,390,288

विवरण-II

11 नवम्बर, 1990 तक बेचे गए सौर कुकरों का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संचयी योग
1.	अरुणाचल प्रदेश	1255
2.	बिहार	575
3.	दिल्ली	20324
4.	गुजरात	20883
5.	हिमाचल प्रदेश	3502
6.	हरियाणा	1789
7.	केरल	188
8.	मध्य प्रदेश	41164
9.	कर्नाटक	188
10.	महाराष्ट्र	17896
11.	उड़ीसा	874
12.	पंजाब	4566
13.	राजस्थान	22810
14.	तमिलनाडु	1070
15.	जम्मू एवं कश्मीर	124
16.	उत्तर प्रदेश	16308
17.	पश्चिम बंगाल	1100
18.	मेघालय	600
19.	गोवा	362
20.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	19
21.	चंडीगढ़	656
22.	आंध्र प्रदेश	1430
23.	पांडिचेरी	50
	योग :	157740

कोचीन हाई में ड्रिलिंग

799. **प्रो० के० वी० थामस :**

श्री रमेश चेन्नीथाला : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कोचीन हाई में तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : केरल कोंकण बेसिन में कुल 5 अन्वेषी कूप खोदे गए हैं। दो विदेशी तेल कम्पनियों यथा मैं० शैल और बी० एच० पी० ने बोलियों के तीसरे दौर में उनको सौंपे गए अपतटीय ब्लाकों में क्रमशः दो और एक कूप खोदे। अभी तक तेल की वाणिज्यिक खोज नहीं की गई है।

केरल में रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण

800. **श्री रमेश चेन्नीथाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) स्टेशनों की इमारतों का पुनर्निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है जो आयु एवं हालत के आधार पर और यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो। तदनुसार, अंगमाली, एर्णाकुलम जं०, पच्चनूर और तिरूवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन की इमारतों का पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, अवनीश्वरम, चेंगन्नूर, इरिंजाल कुडा स्टेशनों पर भी अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया करवा कर सुधार किया जा रहा है।

चल-टिकट परीक्षकों के लिए बक्से

801. **श्री के० मुरलीधरन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चल-टिकट परीक्षकों द्वारा ड्यूटी के दौरान व्यवहार में लाये जाने वाले बक्से अत्यधिक पुराने हो गये हैं; और

(ख) क्या सरकार का इस समय विद्यमान बक्सों के स्थान पर आधुनिक ब्रीफ केस प्रदान करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) रेलों द्वारा चल टिकट परीक्षकों को बक्से सप्लाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः उनको बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी के लिए एक पैनल का गठन

802. **श्री यशवंतराव पाटिल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने हेतु कोई पैनल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय मंजूरी के लिए कितनी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं और इन पर कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवन्तराव डाकणे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 86 विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं । विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दिए जाने हेतु जिन अपेक्षाओं को पूरा किया जाना होता है उनमें विस्तृत रूप से तैयार परियोजना रिपोर्ट, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग की विभिन्न टिप्पणियों/अपेक्षाओं के सम्बन्ध में परियोजना प्राधिकारियों का प्रत्युत्तर, ईंधन संयोजन (लिंकेज) जल की उपलब्धता एवं पर्यावरण तथा वन दृष्टि से, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण आदि से स्वीकृति आदि जैसे विभिन्न अत्यावश्यक निवेशों की उपलब्धता, जल संसाधन के बंटवारे के संबंध में यदि कोई अन्तर्राज्यीय विवाद हों तो उसका समाधान एवं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के प्रावधानों का अनुपालना आदि शामिल है । सभी संगत अपेक्षाएं पूरीहोने के बाद ही इन परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित किए जाने हेतु विचार किया जा सकता है ।

दौसा-तमलुक रेल लाइन

803. **श्री सुधीर गिरि :**

डा० देवी प्रसाद पाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के लिए दौसा-तमलुक रेल लाइन बिछाने के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(ख) उक्त रेल लाइन के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष में 3.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है ।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1.72 करोड़ रुपये की राशि उपयोग में लाई जा चुकी है ।

नवम्बर 90 तक कुल वास्तविक प्रगति 9.65% है ।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा कानूनी मामलों पर खर्च की गई राशि

804. **डा० असीम बाल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने कर्मचारियों से संबंधित कानूनी मामलों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) ऐसे कुल कितने मामले हैं तथा उक्त अवधि के दौरान इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इन मामलों पर गत तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई धनराशि तथा विभिन्न खातों में दर्शायी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोल और डीजल की खपत

805. श्री चिरंजी लाल शर्मा :

श्री राजवीर सिंह :

श्री यशवंतराव पाटिल :

श्री ए० चार्ल्स : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1989 और 30 दिसम्बर, 1989 के बीच तथा 1 दिसम्बर, 1989 और 1 नवम्बर, 1990 के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की कितनी खपत हुई;

(ख) 1 दिसम्बर, 1989 और 10 नवम्बर, 1990 को डीजल और पेट्रोल की दरें क्या थी;

(ग) क्या पेट्रोल और डीजल की दरों में वृद्धि करने तथा इनकी सप्लाई में कटौती करने का इनकी खपत पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इनकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई है तथा सरकार को मूल्य वृद्धि से कितनी अतिरिक्त आय हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) पेट्रोल तथा डीजल की दरें नीचे दी गई है।

रु०/कि०लि०

	पेट्रोल	डीजल
1 दिसम्बर, 1989	7694.07	3095.55
10 नवम्बर, 1990	11180.09	4541.91

यह मूल्य भण्डार स्थल पर हैं तथा इसमें स्थानीय कर तथा उगाहना इत्यादि शामिल नहीं है।

(ग) तथा (घ) ऐसे बहुत से घटक हैं जो कि पेट्रोल तथा डीजल की खपत पर प्रभाव डालते हैं, अतएव बढ़े हुए मूल्यों को पृथक करना कठिन है। जुलाई से नवम्बर तक की अवधि की खपत में हुई वृद्धि नीचे दी गई है :

(प्रतिशत वृद्धि)

	जुलाई-नवम्बर 1989	जुलाई-नवम्बर 1990
पेट्रोल	16.5%	0%
डीजल	14.4%	1.6%

विवरण

पेट्रोल और डीजल की खपत

(1) 1 जनवरी, 1989 से 30 दिसम्बर, 1989 की अवधि के लिए

मात्रा : हजार मी० टन

	पेट्रोल	डीजल
जनवरी 89	265	1680
फरवरी 89	263	1632
मार्च 89	276	1796
अप्रैल 89	260	1759
मई 89	308	1823
जून 89	288	1748
जुलाई 89	276	1590
अगस्त 89	279	1479
सितम्बर 89	279	1535
अक्तूबर 89	294	1691
नवम्बर 89	291	1795
दिसम्बर 89	290	1801

(2) 1 दिसम्बर 1989 से 1 नवम्बर 1990 की अवधि के लिए

मात्रा : हजार मी० टन

	पेट्रोल	डीजल
दिसम्बर 89	290	1801
जनवरी 90	305	1901
फरवरी 90	295	1677
मार्च 90	326	1907
अप्रैल 90	292	1832
मई 90	336	1918
जून 90	317	1824
जुलाई 90	292	1648
अगस्त 90	308	1698
सितम्बर 90	280	1492
अक्तूबर 90	279	1628

इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में आरक्षण की कठिनाइयां

806. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या **नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों में सीटों की कमी के कारण यात्रियों को आरक्षण प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) जी, हां। 3-12-90 से इण्डियन एयरलाइन्स के अन्तर्देशीय मार्गतंत्र में चरणबद्ध रूप से एयरबस ए-320 विमानों को पुन: सेवा में लगा दिए जाने के साथ, सीटों की उपलब्धता में क्रमश: शनै: सुधार हो जाएगा।

कच्छ में तेल की खोज

807. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आठवीं योजना के दौरान कच्छ जिले में और कच्छ के निकट समुद्र तथा रण में तेल की खोज के लिए कोई योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) तथा (ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पूर्व में ही कुछ जिलों में तथा निकट समुद्र तथा कच्छ के रन में अन्वेषण संचालित करता रहा है। आठवीं योजना अवधि के दौरान ओ० एन० जी० सी० अपतट क्षेत्रों में 5000 एस० एल० के० 2 डी सीसमिक सर्वेक्षण तथा 8000 एल० के० 3 डी सर्वेक्षण पर विचार कर रहा है। कच्छ अपतट के 10 अन्वेषणात्मक कुओं में 40000 मीटर के मीटरेज के साथ ड्रिलिंग का भी प्रस्ताव है।

कोंकण रेलवे परियोजना (गोवा खंड)

808. **प्रो० गोपाल राव मायकर** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे के गोआ खंड पर कार्य शुरू हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कार्य शुरू करने और परियोजना का कार्यक्रम पूरा करने की प्रस्तावित तिथि क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) भूमि का अधिग्रहण, मिट्टी की जांच और ठेकों को अन्तिम रूप देने आदि जैसे प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर हैं। ठेकेदारों द्वारा वास्तव में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

(ख) पहले जिस प्रारम्भिक संरेखण को अंतिम रूप दिया गया था उससे राज्य सरकार के सहमत न होने के कारण विलम्ब हुआ था। राज्य सरकार द्वारा एक नया संरेखण स्वीकृत किया गया है।

(ग) आशा है यह कार्य फरवरी, 1991 तक शुरू हो जाएगा और अक्तूबर, 1994 तक इस परियोजना के पूरा हो जाने की संभावना है ।

विदेशी कंपनियों द्वारा तेल की खोज

809. **श्री आर० एन राकेश :**

श्री मालिकराव होडल्या गावित : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के चुने हुए क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, इन क्षेत्रों और कंपनियों के नाम क्या हैं एवं इसके लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) भारत में तेल के अन्वेषण के लिए अभी तक किसी भी विदेशी तेल कम्पनी को कोई नया आमंत्रण नहीं दिया गया है । तथापि, बोली के तीसरे दौर में भारत के 9 अपतटीय ब्लाकों में तेल के अन्वेषण के लिए वर्ष 1987 और 1988 में निम्नलिखित पांच विदेशी तेल कम्पनियों के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे :

	कम्पनी का नाम	ब्लाक का नाम
1.	शेवरॉन-टैक्साको	के०जी०-ओ०एस०-1, पी०-ओ०एस-2
		के०जी०-ओ०एस०-7, एम०वेन०-ओ०एस०-1
2.	शैल	के०के०-ओ०एस०-2, के०के०-ओ०एस०-4
3.	आई०पी०सी०	के०जी०-ओ०एस०-4
4.	बी०एच०पी०	के०के०-ओ०एस०-6
5.	अमोको	के०जी०-ओ०एस०-5

तीसरे दौर में हस्ताक्षरित संविदाओं की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

1. विदेशी तेल कम्पनी पेट्रोलियम के लिए अन्वेषण कार्य अपने जोखिम और लागत पर करेगी ।
2. यदि वाणिज्यक खोज होती है तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/ऑयल इंडिया लि० को खोज के विकास और उत्पादन में चालीस प्रतिशत की भागीदारी का विकल्प होगा ।

3. यदि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इण्डिया लि० इसमें भाग लेने का निर्णय करता है तो वह वर्तमान विकास तथा उत्पादन लागतों का चालीस प्रतिशत अदा करेगा और शेष साठ प्रतिशत विदेशी तेल कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा।

4. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इण्डिया लि० को अपनी भागीदारी के अनुरूप उत्पादित पेट्रोलियम में से अपना हिस्सा पाने का हक होगा।

5. जब तक भारत स्वयं कुशलता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक विदेशी तेल कम्पनी के हिस्से का तेल सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत पर उपलब्ध होगा।

6. लागत की वसूली के बाद ठेकेदार परिवर्तनीय स्केल के आधार पर सरकार के साथ पेट्रोलियम में अंश प्राप्त करेगा। परियोजना की अर्थव्यवस्था में सुधार होने पर सरकार के पेट्रोलियम की हिस्सेदारी में वृद्धि होगी।

7. ठेकेदार अपने लाभ पर पचास प्रतिशत की दर से कर अदा करेगा।

(ग) और (घ) तीसरे दौर के अधीन अपतटीय क्षेत्र के लिए निजी भारतीय कंपनियों को भाग लेने की तथा बोली लगाने की छूट थी जिसे उत्पादन-अंशदान आधार पर प्रस्तावित किया गया था। भारतीय कंपनियों को पर्याप्त वित्तीय सक्षमता तथा आवश्यक तकनीकी सहायता प्राप्त करनी थी और यह माना गया था कि तीसरे दौर में उनकी भागीदारी से कोई विदेशी मुद्रा बाहर नहीं जाएगी क्योंकि तीसरे दौर का मुख्य लक्ष्य भारत में तेल के अन्वेषण में विदेशी जोखिम पूंजी को आकर्षित करना था तीसरे दौर में किसी भारतीय कंपनी से कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता में परिक्रमा रेल सेवा

810. **डा० विप्लव दास गुप्त** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में परिक्रमा रेल सेवा को मजारहाट तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) कलकत्ता परिक्रमा रेल सेवा को मजारहाट तक बढ़ाने का अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औषध कम्पनियों संबंधी विशेष दल के निष्कर्षों की जांच

811. **श्री कल्पनाथ सोनकर** :

श्री बी० एन० रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय से प्रभावित औषध कंपनियों की देयताओं का पता लगाने के लिए नियुक्त विशेष दल के निष्कर्षों की जांच के आदेश दिये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो गई है; और

(ग) जांच के निष्कर्ष क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पुनरीक्षा के पश्चात् 31-12-1983 तक अस्थाई देनदारियों का निर्धारण पहले ही किया जा चुका है। 1-1-1984 के बाद की देनदारियां निर्धारित की जा रही हैं। विशेष दल द्वारा निर्धारित देनदारियां और पुनरीक्षा के बाद निर्धारित देनदारियां बताने वाला एक विवरण संलग्न है। सम्बन्धित कम्पनियों को उनकी तरफ बकाया राशियां सरकार को देने के लिए पहले ही कहा जा चुका है।

विवरण

क्र० सं०	कंपनी का नाम	विशेष दल द्वारा 31-12-83 तक निर्धारित अस्थाई राशि (लाख रु०)	पुनरीक्षा के बाद 31-12-83 तक निर्धारित अस्थाई राशि (लाख रु०)
1.	मे० ह्वाचस्ड (इण्डिया) लि०	458.10	2491.05
2.	मे० साइनामिड	389.06	536.91
3.	मे० मेरिन्ड	138.79	781.58
4.	मे० जान यथ एंड जैक्सरी मैनजर्स	161.83	206.04
5.	मे० पफिजर लि०	48.21	87.61
6.	मे० फ्रेनको इण्डिया एंड मे० प्रिफ्लोन लैब्स	11.02	14.02
7.	मे० एथनोर लि०	8.15	10.19
8.	मे० तमिलनाडुडावा	15.59	37.97
9.	मे० अनिल स्ट्रार्च	11.61	11.61
10.	मे० ए० जी० फार्मास्युटिकल्स	114.30	205.36
	कुल :	1356.72	4382.34

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में हमीरपुर और जालौन जिलों में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई

812. श्री गंगा चरण लोधी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और जालौन जिलों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कम सप्लाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन जिलों की कुल मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खाड़ी संकट और विदेशी मुद्रा की जिन कठिनाइयों का देश सामना कर रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए समस्त देश में मांग को फिलहाल सीमित स्तर पर पूरा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अधिक क्षमता वाले रसोई गैस सिलेन्डर

813. डा० सी० सिलवेरा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं उपयोग के लिए अधिक क्षमता वाले रसोई गैस सिलिंडर सप्लाई करने आरम्भ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और संबंधित तेल कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं को ऐसे सिलिंडर सप्लाई करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तीन एस० पी० जी० विपणन कम्पनियों अर्थात् इण्डियन आयल कारपोरेशन भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन से 19 किलोग्राम से अधिक क्षमता के एल०पी०जी० सिलिंडर चलाये हुए हैं। ऐसे सिलिंडर व्यापारिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे और वे उन उपभोक्ताओं को दिए जा रहे 14.2 कि०ग्रा० के सिलिंडरों के बदले में होंगे।

राजस्थान में रेल परियोजनाएं

814. श्री कैलाश मेघवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में नये रेल मार्गों या इस समय राजस्थान से गुजरने वाले रेल मार्गों के सुधार, उनमें नये रेल मार्ग जोड़ने और नए रेल मार्गों के निर्माण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह काम कब आरम्भ किया गया था और क्या यह कार्यक्रमानुसार पूरा हो गया/होगा और कब तक यह काम पूरा होने की संभावना है;

(ग) स्वीकृति के समय इन योजनाओं के कुल अनुमानित व्यय, अब तक किए गए व्यय और इस अनुमानित राशि में की गयी या होने वाली वास्तविक बढ़ोतरी का योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित उन योजनाओं और उन पर किए जाने वाला अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) आठवीं योजना के प्रथम वर्ष में निम्नलिखित आमान परिवर्तन परियोजनाएं शामिल की गई हैं :

1. फुलेरा-बीकानेर (लालगढ़) और मेड़ता रोड
2. जोधपुर-भिलड़ी
3. सवाई माधोपुर-जयपुर और जोधपुर से फुलेरा तक समानांतर बड़ी लाइन।

राजस्थान की और परियोजनाओं को आठवीं योजना में शामिल किया जाना संसाधनों की उपलब्धता और समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी०)	अनुमोदन का वर्ष	अनुमोदित लागत	प्रत्याशित लागत	1990 तक व्यय	टिप्पणी
नई लाइनें							
1.	माधुर-अलवर	120	1983-84	24.35	69.43	10.35	(राजस्थान में 90 कि०मी०)
2.	कोटा-चित्तौड़गढ़ लीमच	222	1980-81	41.07	160.00	155.00	(राजस्थान में 206 किमी०) 31-10-90 को यह लाइन खोल दी गई है।
आमान-परिवर्तन							
1.	फुलेरा-बीकानेर (लाखगढ़ और मेड़ता रोड)	430	1991-91	325.87	325.87	0.20	
2.	जोधपुर-भिसड़ी	303	वही	867.83	267.83	—	
3.	सवाई माधोपुर जयपुर और जयपुर से फुलेरा तक समानांतर बड़ी लाइन	187	वही	179.73	179.73	0.10	

थोक मूल्य सूचकांक और औद्योगिक मूल्य

815. श्री के० एस० चावड़ा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 से थोक मूल्य सूचकांक और औद्योगिक मूल्यों में वर्ष-वार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) वर्ष 1974 में निर्धारित एवं अधिसूचित किए गए रूपांतरण लागत और पैकिंग प्रभार के अनुरूप इनका निर्धारण करने के लिए विभिन्न मुख्य आदानों के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि की गई और वर्ष 1990 में तत्सम्बन्धी वास्तविक मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी गजट में विभिन्न प्रकार के पैकिंग के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री की लागत सम्बन्धी मानदण्डों को कभी अधिसूचित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकारी गजट में प्रकाशन सम्बन्धी सामग्री क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) औषधों और भेषजों का थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष के रूप में 1970-71 को 100 के बराबर मानते हुए 1979-80 में 135.2 से बढ़कर 1988-89 में 271.6 हो गया। औद्योगिक मूल्य सूचकांक 215.8 से बढ़कर दिसम्बर, 1989 में 407.4 हो गया।

(ख) संपरिवर्तन लागत में वेतन और मजदूरी, मरम्मत और रख-रखाव, मूल्यह्रास और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल होते हैं। पैकिंग प्रभारों में मजदूरी लागत, मूल्यह्रास, उपरि खर्चे आदि शामिल है। ये लागतें कंपनी दर कम्पनी, स्थान दर स्थान भिन्न-भिन्न होती हैं। इन लागतों के लिए मानदण्ड समय-समय पर अधिसूचित किये जाते है और ये औषध विनिर्माताओं के अलग-अलग वर्गों का गहराई से अध्ययन पर आधारित होते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बल्क औषधों और फार्मूलेसनों के मूल्य निर्धारित करना

816. श्री के० एस० चावड़ा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 और 1987 के लागू होने की अवधि के दौरान बल्क औषधों तथा फार्मूलेसनों के मूल्य निर्धारण के लिए कितने-कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और बल्कि औषधों तथा फार्मूलेसनों के मूल्य निर्धारण आदेशों के पुन: विचार के लिए कितने-कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इस अवधि के दौरान अलग-अलग प्रकार के कितने-कितने आवेदन पत्रों का निपटान किया गया; और

(ग) शेष आवेदन पत्रों पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) डी० पी० सी० ओ०, 1979 के अन्तर्गत 350 से अधिक प्रपुंज औषधों मूल्य नियंत्रण में थी और डी० पी० सी० ओ०, 1987 के अन्तर्गत मूल्य नियंत्रित औषधों की संख्या 143 है। दोनों सूचियों के अन्तर्गत सूत्रयोग हजारों की संख्या में हैं। 1987 तक डी० पी० सी० ओ०, 1979 लागू था। अत: डी० पी० सी० ओ०, 1979 के प्रचालित रहते समय प्राप्त हुए अभ्यावेदनों और पुनरीक्षा आवेदनों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है और पूछे गए ब्यौरों को संकलित करने में लगाने वाला समय और श्रम प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। डी० पी० सी० ओ०, 1987 के सम्बन्ध में, ब्यौरे जो भी उपलब्ध होंगे, एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को गैर-परम्परागत ऊर्जा सेटों की सप्लाई

8117. श्री मनोरंजन भक्त : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को गैर-परम्परागत ऊर्जा के कितने सैट सप्लाई किए गए और इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई तथा इन्हें कहां-कहां स्थापित किया गया;

(ख) क्या ये सभी सैट चालू हालत में हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें सामान्य चालू स्थिति में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवंतराव डाकणे) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर/स्थापित की गई प्रणालियों और युक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) स्थापित की गई अधिकांश प्रणालियां कार्यशील अवस्था में होने की रिपोर्ट मिली है। कार्य न कर रहे संयंत्रों को कार्यशील बनाने के लिए उठाए गए कदमों में स्पेयर पार्टस की सप्लाई तथा मरम्मत सुविधाएं शामिल हैं।

विवरण

(I) सौर तापीय

	वर्ष	नाम	क्षमता	मंजूर/स्थापित किए गए/(सं०)	स्थान
(क)	1989-90	सौर जल तापन प्रणालियां	1000 लि०प्र०दि०	1(1)	जी०बी० पंत अस्पताल पोर्ट ब्लेयर
(ख)	1989-90	सौर जल तापन प्रणालियां	500 लि०प्र०दि०	1(1)	राजकीय बालिका विद्यालय, पोर्ट ब्लेयर

(ग) 1989-90	सौर जल तापन प्रणालियां	100 लि०प्र०दि०	15(15)	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(घ) 1989-90	सौर जल तापन प्रणालियां	2-3 लि०प्र०दि०	4(4)	पोर्ट ब्लेयर

कुल व्यय : 4.294 लाख रुपये

(II) सौर प्रकाश वोल्टीय

1. घरेलू रोशनी प्रणालियां	300	अण्डमान व
2. सड़क रोशनी प्रणालियां	235	निकोबार द्वीप
3. जल पंपन प्रणालियां	23	समूह
4. सामुदायिक टेलीविजन/रोशनी प्रणालियां	12	
5. वी०एल०पी०टी० (बहुत कम क्षमता के विद्युत ट्रांसमीटर)	7	
6. सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	12	11 स्थापित किए जा रहे हैं

कुल व्यय: 265.00 लाख रुपये

(III) पवन ऊर्जा	मंजूर किए गए/ स्थापित	स्थान
(क) पवन बैटरी चार्जर 4 कि०वा०	2(2)	राज भवन, पोर्ट ब्लेयर और चेथम
(ख) पटन बैटरी चार्जर 250 वा०	3(शून्य)	द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर
(ग) पवन बैटरों चार्जर 50 वा०	10(5)	द्वीप समूह में विभिन्न स्थानों पर

कुल व्यय : 4.6 लाख रुपये

(IV) बायोमास

	मंजूर किए गए	स्थान
वैसीफायर प्रणालियां (जल पंपन) 5 अश्व शक्ति	10	द्वीप समूह में विभिन्न स्थानों पर

स्टर्लिंग इंजिन (जल पंपन)	1	इस द्वीप समूह के छोटम
5 अश्व शक्ति		पावर हाउस में कुछ प्रणालियां भी स्थापित की गई हैं।
गैसीफायर विद्युत उत्पादन 20 कि० वा०	2	
गैसीफायर विद्युत उत्पादन 40 कि० वा०	2	
गैसीफायर विद्युत उत्पादन 100 कि०वा०	1	

कुल व्यय 6.43192 लाख रुपये

(V) छग्गत चूल्हे

वर्ष	लक्ष्य/उपलब्धि
1987-88	1000/1200
1988-89	2000/2000
1989-90	5000/5060
1990-91	5000/2340 (नवम्बर 1990 तक)

कुल व्यय 1.30 लाख रुपये

(VI) बायोगैस संयंत्र

1987-88	19
1988-89	15
1989-90	11
1990-91	20 (लक्ष्य)

उपरोक्त पर अभी तक किया गया
कुल व्यय 2.35 लाख रुपये

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में पेट्रोल पम्प

818. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में केवल तीन पेट्रोल पम्प हैं;

(ख) क्या इस द्वीपसमूह के सभी स्थानों में पेट्रोल/डीजल आसानी से उपलब्ध कराने के लिए और अधिक पेट्रोल पम्प खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । तथापि तेल उद्योग द्वारा किए गए बाजार सर्वेक्षण से रंगत द्वीप में एक खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) खोलने की मांग संभाव्यता स्थापित हुई है ।

समस्तीपुर डिवीजन में रेल सेवाएं पुन: चालू करना

819. श्री योगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में विशेष रूप से समस्तीपुर-लोकाहा, समस्तीपुर-जयनगर, दरभंगा-जयनगर, समस्तीपुर-दरभंगा-रक्सौल रेल मार्ग पर चल रही किन-किन गाड़ियों को गत छः महीनों के दौरान रद्द किया गया है;

(ख) कितनी रेलगाड़ियों को अभी तक पुन: चालू नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रद्द की गई सभी रेलगाड़ियों को कब से पुन: चालू कर दिया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) 41 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां ।

(ख) 11 जोड़ी गाड़ियां जो अधिक लोकप्रिय नहीं थीं ।

(ग) इन गाड़ियों को पुन: चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पेट्रो-रसायन उद्योग के विकास की नीति

820. श्री मंगाराम मलिक : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) देश में पेट्रो-रसायन उद्योग के विकास के सम्बन्ध में सरकार ने क्या नीति बनाई है;

(ख) क्या आठवीं योजना-अवधि के दौरान उड़ीसा में कुछ पेट्रो-रसायन उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र से इसकी संगतता को मद्देनजर रखते हुए पेट्रो-रसायन उद्योग को विकास का प्रमुख क्षेत्र माना जा रहा है ।

(ख) और (ग) उड़ीसा में निम्नलिखित प्रमुख पेट्रो-रसायन परियोजनाओं के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं जिनको 8वीं योजना अवधि में कार्यान्वयन के लिए शुरू करने की सम्भावना है ।

(1) मेसर्स उड़ीसा सिन्थेटिक्स लि० को जिला ढेनकनाल में विविधीकरण के भाग के रूप में 6000 टन की पॉलियस्टर फिलामेंट यार्न परियोजना स्थापित करने की अनुमति दी गई है । आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और परियोजना का कार्यान्वयन-चरण है ।

(2) मेसर्स एल० के० पॉलीफाइबर्स को उड़ीसा के एक पिछड़े जिले में 15000 टन पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न के निर्माण के लिए आशय पत्र जारी किया गया है।

(3) मेसर्स इपिकोल को उड़ीसा में एक लाख टी० पी० ए० कैपोलेक्टम के निर्माण के लिए जून, 1989 में आशय पत्र प्रदान किया गया है।

आसनसोल-बर्धमान लोकल/यात्री गाड़ी की बारम्बारता

821. **श्री हाराधन राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल-बर्धमान लोकल/यात्री की बारम्बारता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खनन उद्योग में आस्ट्रेलिया द्वारा निवेश

822. **श्री हाराधन राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में कोयला खनन उद्योग में निवेश हेतु हाल ही में आस्ट्रेलिया के साथ कोई सहयोग समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे ही अन्य सहयोग समझौते भी विद्यमान हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (घ) कोयले पर भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना जुलाई, 1986 में हुई थी। पिपरवार कोयला परियोजना को आस्ट्रेलिया की सहायता प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया था। कार्यकारी दल की प्रथम बैठक आस्ट्रेलिया में 31 जुलाई से 4 अगस्त, 1989 की अवधि में आयोजित की गई थी। कोयले पर भारत-आस्ट्रेलियाई संयुक्त कार्यकारी दल की दूसरी बैठक 22-23 नवम्बर, 1990 में दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें चालू परियोजनाओं की समीक्षा तथा कोयले के क्षेत्र में भविष्य में सहयोग किए जाने के लिए संभावित परियोजना का विनिर्दिष्टकरण किया गया।

2. पिपरवार एकीकृत खान-एवं-कोयला परिष्करण परियोजना को "टर्न-की" आधार पर क्रियान्वित किए जाने के लिए एक करार 23 सितम्बर, 1989 को कोल इण्डिया लि० को ब्लाइट इंडस्ट्रीज आस्ट्रेलिया लि० के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। इस परियोजना की स्वीकृत लागत 542.43 करोड़ रु० है जिसमें 223.89 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा शामिल है। सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा की लागत को रियायती आस्ट्रेलियाई ऋण से वित्त-पोषित किए जाने पर सहमति हो गई है।

3. हाल ही में सम्पन्न संयुक्त कार्यकारी दल की बैठक में दोनों पक्षों ने कोयला उद्योग में भविष्य में सहयोग प्राप्त करने के संभावित क्षेत्रों का भी पता लगाया। भारतीय कोयला खानों में

क्रियान्वयन के लिए विनिर्दिष्ट कुछ नई प्रौद्योगिकी, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कोयला खानों में स्पोर्ट की रूफ बोल्टिंग प्रणाली, बांगवाली खनन प्रणाली तथा फाइन कोयले की धुलाई की प्रौद्योगिकी शामिल है। सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० ने एक भूमिगत खान (इन्क्लाइन सं० 5) में बांगवाली भूमिगत प्रणाली की शुरूआत किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है जिसमें निरन्तर खनिकों तथा इससे सम्बद्ध अन्य उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। कोल इंडिया लि० ने भी अपनी विभिन्न सहायक कम्पनियों की 14 भूमिगत खानों को भूमिगत खानों में बेहतर सुरक्षा स्थिति उत्पन्न करने के लिए विनिर्दिष्ट किया है। इसके अलावा, कोल इण्डिया लि० ने कुछ और खानों को भी विनिर्दिष्ट किया है ताकि इनमें कोयले का उत्खनन किए जाने के लिए आस्ट्रेलियाई बांगवाली प्रणाली की शुरूआत की जा सके। भारत कोकिंग कोल लि० की पुटकी, बलिहारी, भूमिगत परियोजना तथा कलिंगा ओपनकास्ट खान, जिसमें कोयला परिष्करण संयन्त्र शामिल है, को भी आस्ट्रेलियाई सहायता के साथ विकसित किए जाने की समीक्षा की जानी है।

"बाम्बे हाई" से प्राकृतिक को पीपावव लैंडफाल पाइन्ट तक ले जाना

823. **श्री काशीराम राणा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने "जीरो फ्लेयरिंग" कार्यक्रम के अन्तर्गत "बाम्बे हाई" से 17 एम० सी०एम०डी० अतिरिक्त प्राकृतिक गैस को तट पर लाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने इस गैस को पीपावव लैंडफाल पाइंट के पास तक लाने के लिए अभ्यावेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र से प्राप्त प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक लाभकारी उपयोग पर विचार करते समय पूर्व में किए गए निर्णयों के उपयोग को अधिकतम करने, इस गैस की उपलब्धता पर आधारित डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं को पहले ही की गई वचनबद्धता और समग्र राष्ट्रीय हित में अन्य ऐसे विचारों को ध्यान में रखा जाना है। राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सुझावों को भी जैसा कि एक संदर्भित है ध्यान में रखा जाता है।

मीटर गेज रेलवे लाइनों को बड़ी रेलवे लाइनों में बदलना

824. **श्री काशीराम राणा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे विभाग को मीटर गेज रेलवे लाइनों को बड़ी रेलवे लाइनों में बदलने के सम्बन्ध में में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकार करने योग्य पाया गया है; और

(ग) किन मानदण्डों के आधार पर ये प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य पाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल आमान परिवर्तन की 11 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

(ग) वार्षिक, परिचालनिक और सामरिक आधार पर।

बाम्बे हाई में खोजी कुआं एक्सप्लोरेटरि बेल का परित्याग

825. श्री लालाराम पोटवुजे :

श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बाम्बे हाई के बी०-50-1 ब्लॉक में स्थित खोजी कुएं का जिसमें कुछ दिन पहले उच्च दबाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, परित्याग किए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति की कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) इस कुएं का परित्याग करने के परिणामस्वरूप ब्लॉक में स्थित भौगोलिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों की क्षति होने के अलावा कितनी धनराशि खर्च होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) कूप-बी०-50-1 को ड्रिलिंग करते समय 3507 मीटर की गहराई में दबाव असामान्य रूप से उच्च पाया गया। कूप को नियन्त्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कूप का भविष्य इन प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) जी, हां। जांच शुरू कर दी गई है।

(घ) अभी इस कूप को छोड़ा नहीं गया है। तथापि, यदि अंततः इस कूप को छोड़ देने का निर्णय भी ले लिया जाता है तो किसी "स्थान-विशेष पर भूगर्भीय हाइड्रोकार्बन भंडार" की हानि नहीं होगी।

बीदर और बंगलौर के बीच सीधी रेल सेवा शुरू करना

826. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बीदर और बंगलौर के बीच सीधी रेल सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तीन नई ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

827. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री के० मुरलीधरन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तीन नये ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सार्वजनिक निवेश बोर्ड से हाल ही में स्वीकृति प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो और प्रत्येक परियोजना की क्षमता और उसमें भारतीय और विदेशी कम्पनियों की भागेदारी से सम्बन्धित विवरण सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवंतराव डाकणे) : (क) से (ख) हाल ही में सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की निम्नलिखित तीन नई ताप विद्युत परियोजनाओं के के सम्बन्ध में निवेश सम्बन्धी अनुमोदन हेतु सिफारिश की गई है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता
1.	कायमकुलम सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-I	2×210 मेगावाट
2.	मंगलौर सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-I	2×210 मेगावाट
3.	यमुनानगर ताप विद्युत परियोजना	4×210 मेगावाट

दामोदर घाटी निगम की मैथान ताप विद्युत परियोजना (4×210 मेगावाट) सहित कायमकुलम एवं मंगलौर परियोजनाओं को द्विपक्षीय सोवियत सहायता हेतु निर्दिष्ट किया गया है और इस उद्देश्य के लिए 770 मिलियन रूबल के एक ऋण-समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं की शेष लागत का वित्त-पोषण स्वदेशी स्रोतों से किए जाने का प्रस्ताव है। यमुनानगर परियोजना वित्त-पोषण के स्वरूप के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली और टाटानगर के बीच द्रुतगामी गाड़ी

828. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामुद्दीन/दिल्ली और टाटानगर के बीच आगरा-ग्वालियर-बिलासपुर तथा राउरकेला के रास्ते एक द्रुतगामी गाड़ी चलाने का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह गाड़ी उस मार्ग पर कब तक चलायी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वीकृति के लिए लम्बित तेल परियोजनाएं

829. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए स्वीकृति हेतु अनेक परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं का निर्माण हो जाने पर कच्चे तेल का उत्पादन प्रतिवर्ष कितना होने की आशा है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) कच्चे तेल के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं की फिलहाल सरकार द्वारा जांच की जा रही है:—

1. नीलम क्षेत्र का विकास

2. मुक्ता क्षेत्र का विकास

3. बम्बई हाई क्षेत्र (एल-III) इनफिल के लिए तेल की बढ़ी हुई प्रतिप्राप्ति।

4. बम्बई हाई उत्तर में एल-II का विकास

5. बंधार क्षेत्र का विकास

6. राधा अपतटीय क्षेत्र का समेकित विकास।

(ग) आठवीं योजना अवधि के अन्तिम वर्ष तक कच्चे तेल का वार्षिक उत्पादन 50 मि० टन प्रतिवर्ष हो जाने का अनुमान लगाया जाता है।

(घ) ये सभी योजनाएं सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं।

ब्रह्मपुर-भुवनेश्वर संभाग में रेल सेवा

830. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा के ब्रह्मपुर और भुवनेश्वर एवं भुवनेश्वर और ब्रह्मपुर के बीच कोई तेज गति की गाड़ी, चलाने तथा इन दो स्थानों के बीच चलने वाली मौजूदा गाड़ियों की बारम्बारता बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को लागू करने के बारे में क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली स्टेशन पर माल गोदाम से चोरी

831. श्री मदन लाल खुराना : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्टेशन पर स्थित वाणिज्यिक माल गोदामों से सामान की नियमित रूप से चोरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के कितने मामले ध्यान में आए हैं; और

(ग) सामान की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं। चोरी और उठाईगीरी कभी-कभार होती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 23-12-1990 तक चोरी/उठाईगीरी के दर्ज किए गए मामले नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की सं०	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1988	1	1
1989	4	18
1990 (23.12.90 तक)	3	1

(ग) वाणिज्यिक माल शेड में अपराध रोकने के लिए रेल सुरक्षा बल द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय किए जाते हैं :—

1. माल शेड की नियमित गश्त और निगरानी की जा रही है।

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा निरन्तर जांच की जाती है।

घाटकोपर (मुम्बई) में ऊपरी सड़क पुल

832. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में घाटकोपर रेलवे स्टेशन के दक्षिण में विद्यमान ऊपरी सड़क पुल के साथ एक नया ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पुल का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई नगर पालिका ने रेलवे द्वारा सिलेप लाईनों पर मौजूदा सड़क पुल के पास एक नए ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया है।

(ग) चूंकि निर्माण कार्य का प्रस्ताव प्रारम्भिक चरण में है, इसके पूरा होने का अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

पनवेल, खोपोली और करजत के बीच रेल दुर्घटनाएं

833. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई के चारों ओर पनवेल, खोपोली और करजत के बीच रेलवे संपर्क स्थापित करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) 1990-91 के दौरान 2.20 लाख रुपये की लागत पर पनवेल से करजत तक नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं।

एअर इंडिया द्वारा "लग्जरी कारों" का आयात

834. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इण्डिया ने कुछ समय पहले "लग्जरी कारों" का आयात किया था; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है;

(ख) इन कारों को आयात करने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सौदे की पुनरीक्षा करने तथा इन कारों का लाभप्रद उपयोग करने के विषय पर भी विचार करने का है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) एअर इण्डिया ने अति विशिष्ट व्यक्तियों/सी०आई०पी० के परिवहन के लिए 1986 में 2.55 लाख रुपये (जापानी येन 4.23 मिलियन) की लागत से दो टोयाटा कारों की खरीद की। इन कारों को पुरानी मर्सीडीस बेंज कारों के स्थान पर खरीदा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं है।

लोडरों/ट्रांसपोर्टरों के काम के लिए मशीन लगाने की एअर इण्डिया की परियोजना

835. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इण्डिया ने कुछ समय पूर्व लोडरों/ट्रांसपोर्टरों के काम के लिए मशीन हेतु 12 करोड़ रुपए लागत की एक परियोजना बनाई थी; ताकि वर्तमान ढांचे में सुधार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान था और यह मशीन कितनी उपयोगी रहेगी तथा इसे किस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार वर्तमान भारी आर्थिक संकट और एअर इंडिया के खाड़ी देशों से प्राप्त होने वाले यातायात में हुई कमी के संदर्भ में इस परियोजना की व्यवहारिता पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) जी, हां। पूर्ण रूप से सुसज्जित स्थितियों में कुछ यूनिटों को आयात करने की परियोजना की प्रारम्भिक लागत लगभग 1.2 करोड़ रुपए है। बाद में ऐसी पार्टियों को रुपए अनुदान करने का प्रस्ताव किया जाता है जो

इन यूनिटों के चरणबद्ध तरीके से निर्माण करने का कार्य शुरू कर सकें। ये उपकरण बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डों पर लगाए जाएंगे।

(ग) और (घ) इस समय जो उपकरण विमान के ग्राउण्ड हैंडलिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं वे पुराने हो गए हैं और उसकी उपयोगिता भी पुरानी हो गई है। अत: इन यूनिटों को बदलना आवश्यक है।

चावल की पुआल से विद्युत उत्पादन

836. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की पुआल से विद्युत उत्पादन के लिए कोई अध्ययन किया गया है अथवा कोई प्रायोगिक संयन्त्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कोयले और तेल के संरक्षण के एक उपाय के रूप में सरकार चावल के पुआल के उपयोग पर विचार करके विद्युत उत्पादन के लिए कृषि सम्बन्धी व्यर्थ वस्तुओं के उपयोग में एक सराहनीय कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवन्तराव डाकणे): (क) जी हां। किए गए अध्ययनों के आधार पर धान के अतिरिक्त पुआल से 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए एक प्रायोगिक संयन्त्र जल-खेड़ी, जिला पटियाला पंजाब में स्थापित किया जा रहा है। संयन्त्र की स्थापना का कार्य पूरा होने वाला है।

(ख) और (ग) इस संयन्त्र को कमीशन किए जाने के बाद ही इसके परिणामों के बारे में पता चलेगा तथा विद्युत उत्पादन के लिए अतिरिक्त कृषि अपशिष्टों और अवशिष्टों को उपयोग में लाने हेतु ऐसे और संयन्त्रों की स्थापना पर इसके बाद विचार किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे लाइनें

837. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उदयपुर-डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जिलों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पर्याप्त रेल सुविधाएं देने का विचार है; जहां कि खानों के, औद्योगिक विकास के साथ-साथ आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए भी रेल सुविधाओं का होना अनिवार्य है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में रेल सेवाएं कब तक प्रदान कर दी जाएंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलवे नेटवर्क का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रतिवर्ष नई लाइनों का कार्य शुरू किया जाता है। राजस्थान के उदयपुर-डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में रेल सुविधाओं की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में तेल की खोज के लिए छिद्रण कार्य

838. श्री राजमोहन रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में किन-किन स्थानों पर तेल भंडार है और इसके दोहन के लिए छिद्रण कार्य प्रगति पर है; और

(ख) इस सम्बन्ध में छिद्रण कार्य का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आंध्र प्रदेश में कृष्णा और पूर्वी गोदावरी जिले में निम्नलिखित स्थानों पर तेल की खोज की है :—

1. लिंगल : कुल तीन कूप खोदे गए हैं और सभी तीनों कूपों में तेल होने के संकेत मिले हैं। फिलहाल एक कूप की खुदाई चल रही है।

2. बंटुमिल्ली : खोदे गये कुल तीन कूपों में से एक कूप में तेल होने का संकेत मिला है।

3. कायकालूर : खोदे गये सात कुओं में से दो में तेल होने की सम्भावना है।

4. मोरी : केवल एक ही कुआं खोदा गया है जिसमें तेल होने की सम्भावना है।

फिलहाल तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने लिंगल, कायकालूर और मोरी नामक स्थानों पर रेखांकन खुदाई करने के कार्य को हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है।

ऊर्जा की बचत और निगरानी करने की प्रणाली

839. श्री बी० देवराजन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऊर्जा की खोज और बचत के सम्बन्ध में एक व्यापक कार्यक्रम तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऊर्जा की समुचित बचत और निगरानी करने की प्रणाली विकसित करने और अपनाने हेतु कोई सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग) आठवीं योजना के दौरान ऊर्जा मांग के प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण के अनेक व्यापक कार्यक्रम चलाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए गये हैं। ऊर्जा लेखा एवं प्रबोधन हेतु देश के विभिन्न भागों में ऊर्जा लेखा परीक्षा करने, ऊर्जा आडिट दलों को व्यवस्थित करने, विशिष्ट ऊर्जा खपत हेतु लक्ष्य निर्धारित करने, मानकों में आशोधन एवं लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने जैसे विभिन्न उपाय अपनाए जाने का प्रस्ताव है।

तेल उत्पादन, तेलशोधन तथा पूंजी-निवेश को बढ़ाने की योजना

840. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान संकट स्थिति को देखते हुए तेल उत्पादन, तेलशोधन तथा पेट्रो-रसायन उद्योगों में वृद्धि करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय पूंजी निवेश, इससे प्राप्त लाभ तथा इस तरह की स्थिति में उपयोग में लाये जा सकने वाले तेल भंडारों की स्थिति क्या है; और

(ग) स्वदेशी क्षमता से राष्ट्र की कितनी प्रतिशत मांग को पूरा किया जा सकता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां। सरकार देश में तेल उत्पादन को बढ़ाने उसका शोधन करने और पेट्रोरसायन उद्योग का विस्तार करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

(ख) तेल अन्वेषण के प्रयासों के परिणामतः 20.6 बिलियन टन के अनुमानित भंडारों में से 5.7 बिलियन टन के भूगर्भीय भंडारों को उन्नत बनाया गया है। यद्यपि आठवीं योजना के दौरान इस क्षेत्र के लिए परिव्यय को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है यद्यपि मौजूदा संकट इन भंडारों से इष्टतम उत्पादन करने और इन्हें काम में लाने के लिए उत्पादन के अनुपात में भंडारों का अधिकतम उपयोग करने हेतु खोजे गए तेल क्षेत्रों का विकास करने के लिए परियोजनाओं को निष्पादित किया जा रहा है।

(ग) कच्चे तेल में आत्मनिर्भरता की मौजूदा प्रतिशत लगभग 59% है।

"पैलेस आन व्हील्स" रेलगाड़ी के लिए रेकों का निर्माण

841. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दूसरी "पैलेस आन व्हील्स" रेलगाड़ी के लिए वातानुकूलित रेकों का निर्माण कर रही है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम किस अनुपात में इसमें पूंजी निवेश करते हैं और आय को आपस में बांटते हैं;

(ग) "पैलेस आन व्हील्स" के संबंध में पिछले तीन वर्षों के पूरे किए गए वित्तीय रिकार्डों के आधार पर आय, खर्चा और लाभ संबंधी आंकड़े क्या हैं; और

(घ) यात्री डिब्बों में आंतरिक सज्जा, अन्य तकनीकी सुधारों और रेकों के मार्डलों के नये डिजाइनों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) "पैलेस आन व्हील्स" रेलगाड़ी के मौजूदा रेक को जिसने अपनी सेवा की निर्धारित अवधि पूरी कर ली है, बदलने के लिए एक नये वातानुकूलित रेक का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) इस रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के बीच आमदनी में हिस्से का अनुपात 65 : 35 है। नये रेक के लिए यह अनुपात 72 : 28 रखने का प्रस्ताव है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम और पर्यटन विभाग दोनों इस नये रेक में कोई निवेश करने के लिए सहमत नहीं हुए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान "पैलेस आन व्हील्स" रेल गाड़ी के संबंध में रेलवे के हिस्से की आमदनी, खर्च और लाभ/हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	1987-88	1988-89	1989-90
		(लाख रुपयों में)	
1. आमदनी	91.25	121.80	150.57
2. खर्च			
1. पूर्णतः वितरित लागत	113.76	128.82	153.17
2. प्रत्यक्ष/हानि	77.752	81.44	97.86
3. लाभ/हानि			
1. पूर्णतः वितरित लागतों के आधार पर	(—) 22.51	(—) 7.02	(—) 2.60
2. प्रत्यक्ष लागतों के आधार पर	(+) 13.73	(+) 40.36	(+) 52.71

(घ) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के परामर्श से नये रेक के आन्तरिक परिसज्जा करने का विनिश्चय किया गया है और इस कार्य के लिए वस्तुकार-एवं-आन्तरिक परिसज्जक नियुक्त किया गया है ताकि इसे सुन्दर और आकर्षक बनाया जा सके।

कच्चे तेल से प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्माण

842. **श्री बरसराम भारद्वाज** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बुनियादी प्लास्टिक और प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्माण में अत्याधिक ऊर्जा की खपत होती है और बुनियादी प्लास्टिक के निर्माण की मुख्य सामग्री कच्चा तेल है जिसकी कि भारी कमी है;

(ख) क्या सरकार ने खाड़ी क्षेत्र के संकट और तेल के मूल्यों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क), (ख) और (ग) मूल प्लास्टिक सामग्री हाइड्रोकार्बन से और गैर-हाइड्रोकार्बन जैसे अल्कोहल से भी तैयार की जा सकती है तथापि पहला तरीका अधिक मितव्ययी है। प्लास्टिक के निर्माण में ऊर्जा-अंश परम्परागत सामग्रियों जैसे धातु की अपेक्षा कम होता है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के परियोजना प्रबंधन दल का पुनर्गठन

843. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अपनी विभिन्न परियोजनाओं को अधिक सुचारु ढंग से कार्यान्वित करने के लिए अपने परियोजना प्रबंधन दल का हाल पुनर्गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) अपनी परियोजनाओं को और प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग से परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न ग्रुपों के बीच गहरा सामंजस्य और नेटवर्क स्थापित करने के लिए बहुआयामी एकीकृत प्रस्ताव अपनाकर परियोजना प्रबन्धन प्रणाली का जीर्णोद्धार कर दिया है । नई व्यवस्था से उम्मीद की जाती है कि यह परियोजना प्रबन्धन में संलग्न विभिन्न ग्रुपों के बीच सूचना के आदान-प्रदान में सहायता करेगी और परियोजना की बैचारिकता और उनकी क्रियान्विति के बीच लगने वाले समय को कम करेगी ।

गुजरात के पनन्धरों में ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना

844. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात खनिज विकास निगम पनन्धरों (कच्छ) में लिग्नाइट पर आधारित 110 मेगावाट के एक नये ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय होगा;

(ग) क्या परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(घ) प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; इसके लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी और इसमें कितनी बिजली पैदा होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवंतराव डाकणे) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को पनन्धरों (कच्छ) में नई लिग्नाइट पर आधारित 110 मे० वा० के ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए गुजरात खनिज विकास निगम से कोई परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

गुजरात में तेल शोधक कारखाना

845. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने जामनगर में वडिनार में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन हेतु मैसर्स एस्सार ग्रुप द्वारा मैसर्स बैकटेल इंक, यू० एस० ए० के सहयोग से वाडीनार में 1900 करोड़ रुपए की लागत पर 9 मि० टन प्रति वर्ष क्षमता का एक 100% निर्यातोन्मुख एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विमान किराए में वृद्धि

846. श्री बालगोपाल मिश्र :

श्री ए० के० ए० अब्दुल समद : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन तिथियों को घरेलू विमान किराये में वृद्धि की गई है;

(ख) प्रत्येक बार कितनी-कितनी और कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क), से (ग) गत 3 वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस के अंतर्देशीय किरायों में वृद्धि इस प्रकार थी :—

(1) 1988 : किरायों में कोई वृद्धि नहीं हुई।

क्रमांक	कुल किराए का वृद्धि प्रतिशत	कारण
(2) 1989 :		
(1) 16-2-89	1.6%	500 कि० मी० की दूरी तक कम क्षेत्र के परिचालन की ऊंची लागत को प्रति-संतुलित करने के लिए।
(2) 9-7-89	13.6%	एविएशन टर्बाइन फ्यूल के अलावा परिचालन लागत में वृद्धि को प्रति-संतुलित करने के लिये।
(3) 1990		
(I) 11-4-90	15.7%	एविएशन टर्बाइन फ्यूल के मूल्य में अत्याधिक वृद्धि को प्रतिसंतुलित करने के लिए।
(II) 26-9-90	10%	खाड़ी क्षेत्र में लोगों को लाने के लिए अधिभार।

इसके अलावा भारत सरकार से 1-7-89 से मूल किराये का 10% इंडियन एयर ट्रैवल कर लुक किया है। कर की दर में 15% तक वृद्धि की गई थी और 1 जुलाई, 1990 से इसे कुल किराये पर लागू किया गया था। यह कर भारत सरकार को प्राप्त होता है और न कि इंडियन एयरलाइंस को।

तेल की बचत

847. श्री रामगोपाल सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रति वर्ष करोड़ों लीटर तेल की बचत करने के यंत्रों का आविष्कार करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिससे विदेशी मुद्रा बचाई जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ईंधन क्षमता वाले योगजों/उपायों का मूल्यांकन करता है। यह इंडियन आयल कारपोरेशन (शोध और विकास) के फरीदाबाद, देहरादून के इंडियन इंस्टिट्यूट आफ पेट्रोलियम और बम्बई के लुब्रीफाल इंडिया लिमिटेड की प्रयोगशाला में किया जाता है। इस के मूल्यांकनों के परिणामों से यह प्रदर्शित होता है कि तीन योगजों में करीब 2-3% की ईंधन बचत करने की क्षमता है। इनकी बचत को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यों में इनका मूल्यांकन किया जाना है।

[हिन्दी]

अनधिकृत कालोनियों का विद्युतीकरण

848. श्री हरीश पाल :

श्री कंकर मुंजारे : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान दिल्ली में किन-किन अनधिकृत कालोनियों का विद्युतीकरण किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) उन कालोनियों का ब्योरा क्या है, जिनका वर्ष 1990-91 के दौरान विद्युतीकरण किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को दिल्ली में शाहदरा में लोनी रोड पर स्थित जगजीवन नगर, रामनगर, भगवानपुर खेड़ा के विद्युतीकरण के लिए ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इनका कब तक विद्युतीकरण किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) अनधिकृत कालोनियों के विद्युतीकरण के लिए अपनाये गये मानदण्ड का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) ब्योरा क्रमशः विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार शाहदरा जिले में लोनी रोड पर स्थित जगजीवन विहार, रामनगर तथा भगवानपुर खेड़ा कालोनियों का पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ङ) किसी भी कालोनी का विद्युतीकरण किया जाना सम्बन्धित कोलोनाइजिंग एजेंसी की

जिम्मेदारी होती है। केवल वही अनधिकृत कालोनियां जोकि 1-1-81 तक तक अस्तित्व में थी विद्युतीकरण किये जाने के लिए उपयुक्त मानी गई हैं बशर्ते टाउन प्लानर, दिल्ली नगर निगम से इस सम्बन्ध में प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया हो। 12 रुपये प्रति वर्ग गज (14.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर) की दर से निर्धारित विकास प्रभार कम से कम 25% प्लाट धारकों द्वारा जमा कराये जाने तथा उपकेन्द्र के लिए भी उपयुक्त भूमि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सौंपे जाने के पश्चात् विद्युतीकरण सम्बन्धी स्कीम दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा जारी की जाती है।

विवरण-I

वर्ष 1989-90 के दौरा जिन अनधिकृत कालोनियों का विद्युतीकरण किया गया उनके नाम

पूर्व परिमंडल

1. छज्जूपुर कालोनी
2. काबुल नगर
3. "डी" ब्लाक उत्तर प० अशोक नगर, मंडोली रोड
4. मधु विहार
5. चन्द्र विहार

उत्तर पूर्व परिमंडल

6. नई बस्ती बेंकमेर
7. न्यू गुप्ता कालोनी

पश्चिम परिमंडल

8. इन्दिरा पार्क विस्तार पार्ट-I, पालम
9. विन्दापुर विस्तार, पालम
10. दुर्गापुरी
11. दशरथ पुरी सी-ब्लाक
12. टी-एक्स्टेंशन ब्लाक
13. सुभाष पार्क
14. इंदिरा पार्क, पार्ट-II, पालम
15. महावीर एन्कलेव, जी एण्ड एम ब्लाक का हिस्सा जिसे शामिल नहीं किया गया है।
16. अनूप विहार का हिस्सा जिसे शामिल नहीं किया गया है।
17. संजय एन्कलेव का हिस्सा जिसे शामिल नहीं किया गया है।
18. ई-ब्लाक, साध नगर, पार्ट-2
19. महिन्द्रा पार्क, पंखा रोड
20. विजय एन्कलेव

21. चाणक्या प्लेस

22. जी० आई० ब्लाक विस्तार, उत्तम नगर

23. वशिष्ठ पार्क का हिस्सा जिसे शामिल नहीं किया गया है।

24. क्यू० ब्लाक विस्तार, विकास विहार

25. डाबरी विस्तार पूर्व

26. रवि नगर विस्तार

27. भगत एन्कलेव, उत्तम नगर

28. गीतांजलि पार्क पार्टली शिव पुरी

29. पटेल गार्डन (नीयर ककरोला मोड़)

30. स्वर्ण पार्क, रोहतक रोड़

31. बैंगाली कालोनी

32. विनोभा एन्कलेव

33. आई०-ब्लाक एण्ड मोहन ब्लाक पश्चिम सागरपुर

34. शिव राम पार्क, नांगलोई

35. क्यू ब्लाक, विकास विहार

36. महावीर एन्कलेव का हिस्सा जिसे शामिल नहीं किया गया है।

दक्षिण परिमंडल

37. दुग्गल कालोनी

38. सी एण्ड डी ब्लाक, मोलर बाद

39. डी-ब्लाक, कृष्णा पार्क, देवली रोड

40. मोलर बैंड विस्तार का हिस्सा जिसे शामिल नहीं किया गया है।

41. हरिजन बस्ती मसूदपुर का विद्युतीकरण

42 डाट पाटर्स बस्ती हौस रानी, मालवीय नगर का विद्युतीकरण

43. बी-ब्लाक, गांव मोलर बैंड

विवरण-II

दिल्ली में वर्ष 1990-91 के दौरान जिन अनधिकृत कालोनियों का विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है इनके नाम

पूर्व परिमंडल

1. भागीरथी विहार

2. कबीर नगर

3. विश्वास नगर, ब्लाक 28-29

4. नार्थ स्कूल ब्लाक, मंडावली फाजलपुर

5. एफ-ब्लाक प० विनोद नगर
6. ई-ब्लाक प० विनोद नगर
7. ए-ब्लाक प० विनोद नगर
8. डी-ब्लाक, प० विनोद नगर
9. संजय मोहल्ला "डी" ब्लाक, भजनपुरा
10. "ई"-ब्लाक, पार्ट सुभाष मोहल्ला
11. गली न० 1 से 8 जाकरिया मस्जिद
12. "ई" ब्लाक, खजूरी खास

उत्तर पूर्व परिमण्डल

13. शिव मन्दिर मोहल्ला, गांव बांदली
14. फ्रेंड्स एन्क्लेव सैक्टर 5 व 6, सुल्तानपुरी रोड़
15. पार्ट आफ बुद्ध विहार (विद्युतीकृत)।

पश्चिम परिमण्डल

16. डाबरी विस्तार
17. क्यू-ब्लाक, विस्तार उत्तम नगर
18. टी-ब्लाक, उत्तम नगर
19. प्रेम नगर फेज-1, 2 व 4
20. राजापुरी व विश्वास पार्क, उत्तम नगर में
21. एफ-ब्लाक, साध नगर पाट-2, पालम कालोनी
22. जेo ब्लाक, पश्चिम सागरपुर का जिसे शामिल नहीं किया गया है।
23. जनकपुरी कालोनी, नीयर गांव बींदापुर
24. दुर्गा पार्क कालोनी का हिस्सा जिसे शामिल नहीं किया गया है।
25. डी-ब्लाक, दशरथपुरी, पालम रोड
26. रघु नगर, पंखा रोड का हिस्सा जिसे शामिल नहीं किया गया है।
27. बींदापुर विस्तार, उत्तम नगर
28. राजनगर, पालम का हिस्सा जिसे शामिल नहीं किया गया है।
29. गीतांजलि का हिस्सा जिसे शामिल नहीं किया गया है।
30. गीतांजलि विस्तार, पश्चिम सागरपुर
31. प्रताप गार्डन, बींदापुर विस्तार
32. राज नगर पार्ट-2 विस्तार पालम कालोनी
33. सीतापुरी विस्तार डाबरी विस्तार का हिस्सा जिसे शामिल नहीं किया गया है।
34. सेवक पार्क शिवपुरी व जी-ब्लाक का विद्युतीकरण

35. पालम विहार कालोनी माटियाला रोड

36. रोशनपुरा विस्तार नजफगढ़ का विद्युतीकरण

37. जी एल ब्लाक, ऊषा पार्क, हरी नगर

38. अमर कलोनी, नांगलोई

39. अरविन्द एन्कलेव, नांगलोई

40. रतन पार्क, नांगलोई

उत्तर परिमण्डल

41. इंदिरा विकास कालोनी (ढाका जोहर कालोनी)

दक्षिण परिमण्डल

42. विश्वकर्मा कालोनी

43. पुलपहलादपुर कालोनी का विद्युतीकरण

44. बाटला हाऊस

45. अब्दुल फजल एन्कलेव

46. बुद्ध विहार, ताजपुर पहाड़ी

47. महिपालपुर का हिस्सा जिसे शामिल नहीं किया गया है।

48. हरी नगर विस्तार जैतपुर

49. बाटला हाऊस, 544 ममीन स्ट्रीट ओखला का हिस्सा जिसे शामिल नहीं किया गया है।

50. नूर नगर विस्तार ओखला

51. न्यू कालोनी बस्ती (हरिजन बस्ती) ओखला का विद्युतीकरण

52. हरी नगर विस्तार सौरभ विहार, जैतपुर का विद्युतीकरण

53. बी, सी, डी, एवं ई ब्लाक, जवाहर पार्क, देवली रोड का विद्युतीकरण

54. दुर्गा विहार, देवली रोड का विद्युतीकरण

55. आई-ब्लाक, हरी नगर विस्तार का विद्युतीकरण।

[अनुवाद]

केरल में रेल मार्गों को दोहरा करना

849. श्री पी० सी० थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष केरल में कितनी रेल लाइनों को दोहरा किया जा रहा है और प्रत्येक परियोजना पर निर्माण कार्य किन चरणों में चल रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल में और अधिक रेल यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) एर्णाकुलम और कायनकुलम के

बीच एक वैकल्पिक बड़ी लाइन के निर्माण का प्रस्ताव है। इसमें से एर्णाकुलम से अल्लेप्पी तक (57 कि०मी०) की रेल लाइन 15-10-89 को पहले ही चालू कर दी गई है। अल्लेप्पी से कायनकुलम (43 कि०मी०) तक कार्य चल रहा है तथा इसे 1991-92 में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। जब यह पूरी हो जाएगी तब इससे परम्परागत दोहरी लाइन की बजाय एर्णाकुलम और कायनकुलम के बीच दो एकल लाइनों की व्यवस्था हो जाएगी एक अल्लेप्पी के रास्ते तथा दूसरी मौजूदा मार्ग अर्थात् कोट्टयम के रास्ते कायनकुलम कोल्लम (41 कि० मी०) में दोहरी लाइन बिछाने के काम को 1989-90 के बजट में अनुमोदित किया गया था। भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है तथा मिट्टी बिछाने, छोटे पुलों तथा कर्मचारी क्वार्टरों से संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया है। 30-11-90 को यथा विद्यमान स्थिति के अनुसार प्रगति 8% है। कोल्लम और तिरुवनन्तपुरम सेन्ट्रल (65 कि०मी०) के बीच दोहरी लाइन बिछाने का काम 1990-91 के बजट में शामिल कर लिया गया था तथा भूमि पर संरेखण संबंधी कार्य करने के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। तथापि इस वर्ष ऐसे टुकड़े को पूरा करना संभव नहीं है जिस पर गाड़ियां चलाई जा सकें।

(ख) और (ग) अतिरिक्त गाड़ी सुविधाओं की व्यवस्था करना/चलाना एक सतत् प्रक्रिया है जो परिचालनिक व्यावहारिकता, संसाधनों की उपलब्धता तथा यातायात के औचित्य पर निर्भर करता है।

गुरुवयूर-मंगलोर रेलवे लाइन

850. श्री पी०सी० थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित गुरुवयूर-मंगलोर रेलवे लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस रेलवे लाईन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) इस परियोजना की अस्थाई योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग) कुट्टिप्पुरम और मंगलौर के बीच एक रेलवे लाईन पहले से मौजूद है। कुट्टिप्पुरम-त्रिचूर (गुरुवायूर के रास्ते) रेलवे लाइन के निर्माण के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। इसमें से त्रिचूर-गुरुवायूर का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके लिए 1990-91 के दौरान 8.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। गुरुवायूर से कुट्टिप्पुरम (शोरवण्णूर-मंगलौर पर) तक रेलवे लाईन के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुसूचित जाति/जनजाति का पिछला बकाया

851. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के विभिन्न जोनों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित पदों के लिए पिछले बकाया का निपटान किया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने पिछले बकाये को भरने के लिए विशेष कर अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित उन्हीं पदों पर भर्ती के बकाये के निपटान के लिए कोई कार्य योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) क्षेत्रीय रेलों द्वारा नियन्त्रित पदों पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे में भर्ती के पिछले बकाया को पूरा कर दिया गया है सिवाय कुछ क्षेत्रीय रेलों पर कुछ संवर्गों के, विशेषकर तकनीकी कोटियों में ग्रुप सी के पदों के जिन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न होने, कुछ क्षेत्रों में अज्ञाति के कारण चयन प्रक्रिया पूरी न हो पाने, रिक्तियां उपलब्ध न होने आदि के कारण नहीं भरा जा सका है।

(ग) और (घ) उच्चतर संवर्गों में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते है। पदोन्नति कोटियों में कुछ पिछला बकाया है जिसे पूरा करने के उपाय किए जा रहे हैं। तथापि कुछ कठिनाइयां हैं यथा (i) पोषक कोटियों में उपयुक्त उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना तथा (ii उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों/स्थगन आदेशों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध जिनके कारण रेल प्रशासन ऐसे संवर्गों में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं कर सकते हैं जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति के मामले में संवर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या का 15% तक तथा अनुसूचित जनजाति के मामले में $7\frac{1}{2}$% तक पहुंच गया है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की परियोजना को मंजूरी एवं उत्पादन लक्ष्य

853. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1990-91 के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या सरकार को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग से बाम्बे हाई के एल-II और एल-III क्षेत्राओं का विकास करने और आयोग के दक्षिण बेस से हजीरा तक अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाने के लिए कोई निवेश प्रस्ताव मिला है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान कच्चे तेल के लिये एवं प्राकृतिक गैस आयोग का उत्पादन लक्ष्य निम्नलिखित है—

(मि०मी० टन)	
कच्चा तेल	32.12
एन०जी०एल०	0.88
	33.00

वर्ष 1990-91 के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन लक्ष्य 17.316 बी० सी० एम० है।

(ब) से (ङ) बम्बई हाई के एल-2 और एल-3 रिजर्वायरों के विकास के प्रस्ताव की सरकार जांच कर रही है। साउथ बेसिन से हाजिरा तक अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव अभी तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

बदरपुर में "ऐश बांध परियोजना" में दरार पड़ने के कारण किसानों को हुआ नुकसान

854. **श्री तेज नारायण सिंह :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 नवम्बर, 1990 के "जनसत्ता" में "किसानों को मुआवजा देने का निर्देश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्राधिकारियों को जारी किए गए निर्देशों के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के ऐश बांध में दरार पड़ने के कारण जिन किसानों को फसलों का नुकसान हुआ है, उन्हें अभी तक पूरे मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराव डाकणे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रभावित किसानों को मुआवजे के भुगतान के संबंध में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम/बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र को दिल्ली के उपराज्यपाल से कोई विशिष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। क्षति का मूल्यांकन करने और मुआवजे की दर का निर्धारण करने आदि के बाद ही संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मुआवजे का भुगतान किया जा सकता है, दिल्ली प्रशासन द्वारा इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है। इस बीच, दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रभावित किसानों को "सहायता" के रूप में 1000/- रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से राशि जारी की जा रही है।

[अनुवाद]

इराक का कच्चा तेल मुफ्त सप्लाई करने का प्रस्ताव

855. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक सरकार ने भारत को न केवल 1990 के लिए बल्कि 1991 के लिए भी प्रभार मुक्त कच्चे तेल की सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा किस सीमा तक स्वीकार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) इराक ने भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति का प्रस्ताव किया था। सुरक्षा परिषद संकल्प 661

के तहत इराक पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबन्धों की दृष्टि से इराक से तेल का आयात करना संभव नहीं है।

राजधानी एक्सप्रेस में खान-पान

856. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी के टिकट में शामिल खान पान शुल्क के रूप में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन और "स्नेक्स" के लिए समान धनराशि वसूल की जाती है;

(ख) क्या सरकार का विचार राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में शाकाहारी भोजन और 'स्नेक्स' के प्रभार में कमी करने का है यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग) राजधानी एक्सप्रेस के किराए में खान पान प्रभार शामिल है। निरामिष तथा सामिष भोजनों के मूल्यों में मामूली अन्तर है। इसके अलावा एक ही गंतव्य के लिए एक ही गाड़ी के एक ही दर्जे के लिए भिन्न-भिन्न किराए लेना वांछनीय नहीं है। अत: मौजूदा प्रणाली में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान की नई बिजली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

858. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में नए ताप, पन, परमाणु और सौर विद्युत उत्पादक एककों की स्थापना और उनके वित्तपोषण के लिये क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) राजस्थान में इन विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सहायता और गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के अंशदान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विद्युत की वर्तमान उपलब्धता और अनुमानित आवश्यकता से इसकी कमी के बारे में, राज्यवार, ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम झाखड़) : (क) एवं (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। राजस्थान में स्थापित की जाने वाली नयी विद्युत परियोजनाओं का विवरण एवं उनके वित्त पोषण के स्वरूप के बारे में केवल आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही पता चल पायेगा।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

(आंकड़े मि० यू० में निवल)

क्षेत्र/राज्य प्रणाली	नवम्बर, 90				अप्रैल, 90-नवम्बर, 90			
	आवश्यकता	उपलब्ध	कमी	(%)	आवश्यकता	उपलब्ध	कमी	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
चंडीगढ़	42	42	0	0.0%	403	403	0	0.0%
दिल्ली	590	587	3	0.5%	5840	5796	44	0.8%
हरियाणा	6704	643	27	4.0%	5920	5831	89	1.5%
हिमाचल प्रदेश	122	122	0	0.0%	974	974	0	0.0%
जम्मू व कश्मीर	315	259	56	17.8%	1947	1844	103	5.3%
एन० एफ०एफ० सहित पंजाब	990	986	4	0.4%	11224	11075	149	1.3%
राजस्थान	1020	1006	14	1.4%	7170	7065	105	1.5%
उत्तर प्रदेश	2500	2220	280	11.2%	19255	17245	2010	10.4%
जोड़ (उत्तरी क्षेत्र	6249	5865	384	6.1%	52733	50233	2500	4.7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिमी क्षेत्र								
गुजरात	2000	1946	54	2.7%	14660	14181	479	3.3%
मध्य प्रदेश	1700	1643	57	3.4%	11236	11036	200	1.8%
महाराष्ट्र	3290	3185	105	3.2%	24820	23916	904	3.6%
गोआ	53	53	0	0.0%	396	396	0	0.0%
जोड़ (प० क्षेत्र)	7043	6827	216	3.1%	51112	49529	1583	3.1%
दक्षिणी क्षेत्र								
आन्ध्र प्रदेश	1700	1667	33	1.9%	13835	12688	1147	8.3%
कर्नाटक	1550	1200	350	22.6%	12320	9538	2782	12.6%
*तमिलनाडु	1800	1571	229	12.7%	14500	13677	823	5·7%
जोड़ दक्षिणी क्षेत्र	5609	4997	612	10.9 %	45096	40344	4752	10.5%
*केरल	559	559	0	0.0%	1441	1441	0	0%
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	565	408	157	27.8%	4400	3240	1160	26.4%
दामोदर घाटी निगम	620	464	156	25.2%	4890	3986	904	18.5%
उड़ीसा पश्चिमी	750	578	172	22.9%	5525	4315	1210	21.9%
बंगाल	830	729	101	12.2%	6763	6187	578	8.5%
जोड़ (पूर्वी क्षेत्र	2765	2179	586	21.2%	21580	17728	3852	17.8%
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	260	252	8	3.1%	1982	1890	92	4.6%
अखिल भारत	21926	20120	1806	8.2%	172503	159724	12779	7-3%

विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशें

859. **श्री जी० एस० वासवराज** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) क्या कर्नाटक ने देश में इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय के रूप में एक क्षेत्रीय विद्युत टैरिफ सलाहकार समिति की स्थापना का सुझाव दिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों ने ये सिफारिशें मान ली हैं; और

(घ) उन्हें कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) जी, हां ।

(ख) देश के बिजली बोर्डों की परिसमापन स्थिति में सुधार करने हेतु एक उपाय के रूप में क्षेत्रीय विद्युत टैरिफ सलाहकार समिति की स्थापना किए जाने के संबंध में कर्नाटक सरकार द्वारा कोई सुझाव नहीं दिया गया था । तथापि 11 और 12 सितम्बर, 1990 को नई दिल्ली में हुए राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में क्षेत्रीय टैरिफ सलाहकार समितियों की स्थापना किए जाने की सिफारिश की गई थी ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त सिफारिश के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

आठवीं योजना के दौरान पवन चक्कियों की स्थापना

860. **श्री ओकांत वत्स नरसिंहराज वाडियर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान कितनी पवन चक्कियां लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा इस बारे में, राज्यवार, क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) किन राज्यों में ये पवन मिलें स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है और विभिन्न राज्यों को अब तक राज्यवार कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में लगाई जाने वाली पवन चक्कियों की संख्या आठवीं योजना के आबंटनों पर निर्भर करेगी ।

(ग) पवन ऊर्जा संस्थापनाओं के लिए स्थानों का पता लगाने हेतु 19 राज्यों में पवन सर्वेक्षण किए जा रहे हैं । गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और महाराष्ट्र में पवन की अच्छी सम्भावनाओं का पता चला है । यह उम्मीद की जाती है कि वर्तमान समय में चल रहे सर्वेक्षणों के आधार पर अन्य राज्यों में भी उपयुक्त स्थानों का पता लगा लिया जाएगा ।

(घ) विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता विभिन्न राज्यों में विशिष्ट स्थानों की व्यवहार्यता और आठवीं योजना के आबंटनों पर निर्भर करेगी ।

विल्लुवाक्कम और अन्नानगर के बीच रेलवे लाइन

861. **श्री इरा अन्बारासु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विल्लुवाक्कम और अन्नानगर के बीच रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के पूरा करने के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है; और

(ग) परियोजना का कार्य इस समय किस चरण में है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एयरबस ए-320 की खरीद

862. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** :

श्री समरेन्द्र कुन्डू : क्या नागर विमानन मन्त्री एयरबस ए-320 की खरीद के बारे में 13 मार्च, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक हुई प्रगति का नवीनतम ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : मामले की अभी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

दिल्ली में कुछ पेट्रोल पम्पों के डीलरों द्वारा अधिक दाम वसूल करना

863. **श्री राम सागर (सेंवपुर)** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 12 महीनों के दौरान दिल्ली में पेट्रोल पम्पों के डीलरों द्वारा मोबिल आयल के टिनों पर मुद्रित मूल्यों से अधिक मूल्य लेने के कितने मामलों का पता चला है; और

(ख) इन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) टिनों में मोबिल तेल की आपूर्ति में अधिक कीमत लिए जाने के सम्बन्ध में किसी मामले का पता नहीं चला है। तथापि, खुले मोबिल तेल की आपूर्ति से सम्बन्धित एक मामले का पता चला था।

(ख) सम्बन्धित खुदरा बिक्री केन्द्र को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और उसकी बिक्री 15 दिनों के लिए रोक दी गई थी।

गुजरात में ज्वार ऊर्जा का उत्पादन

864. **श्री शंकर सिंह वघेला** :

श्री ए० के० पटेल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ज्वार विद्युत परियोजना की तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए किये गये अग्रेतर अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ख) फ्रांस में प्रति यूनिट ज्वार ऊर्जा और जल ऊर्जा की तुलनात्मक लागत कितनी-कितनी है; और

(ग) भारत में ज्वार ऊर्जा और जल ऊर्जा की प्रति यूनिट तुलनात्मक लागत कितनी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवंतराव डाकणे) : (क) गुजरात में ज्वारीय ऊर्जा परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर परीक्षण एवं अध्ययन किये गये हैं :

— हंसथाल संकरी खाड़ी में, जहां मुख्य ज्वारीय बराज बनाया जायेगा, जल के अन्दर "कोरड्रिलिंग"।

— नवीबात एवं हडकिया संकरी खाड़ियों से होकर संशोधित संरेखण अन्तरित करने हेतु भूमिका सर्वेक्षण।

— हडकिया संकरी खाड़ी के दोनों किनारों पर 30 मी० गहरे "बोर" छिद्रों की "ड्रिलिंग"।

— शुष्क गोदी क्षेत्र में 50 मी० गहरे "होल" की खुदाई।

— सथसाइडा पेंटी के तटबन्ध पर संशोधित संरेखण के समानान्तर 10 मी० गहरे आरंभिक छिद्र की खुदाई।

(ख) फ्रांस में प्रति यूनिट ज्वारीय ऊर्जा एवं प्रति यूनिट जल विद्युत के लागतों के बीच के तुलनात्मक नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उपलब्ध इस सम्बन्ध में साहित्य से संकेत मिलता है कि 1973 में फ्रांस के लारेंस ज्वारीय विद्युत संयंत्र से प्राप्त प्रति-यूनिट ज्वारीय ऊर्जा एवं फ्रांस के हीएई० डी० एफ० जल विद्युत संयंत्रों से प्राप्त प्रति यूनिट जल विद्युत ऊर्जा की तुलनात्मक लागत निम्नवत् थी :

(1) लारेंस ज्वारीय विद्युत संयंत्र : 9.67 सेन्टाईम प्र० कि० वा० घं०

(2) ई० डी० एफ० जल विद्युत संयंत्र : 4.7 सेन्टाईम कि० वा० घं० से 8.0 सेन्टाईम प्रति कि० वा० घं०

(ग) दिसम्बर, 1987 की कीमतों पर लगाये गये अनुमानों के अनुसार गुजरात में प्रस्तावित कंचन ज्वारीय विद्युत संयंत्र के लिए विद्युत ग्रह बस-बारों पर ऊर्जा के उत्पादन की लागत 96 पैसे प्रति कि० वा० घं० होने का अनुमान लगाया गया है। परम्परागत जल विद्युत परियोजनाओं की औसत उत्पादन लागत के० बि० प्रा० द्वारा हाल ही में मूल्यांकित परियोजनाओं के आधार पर 50 पैसे से 85 पैसे प्र० कि० वा० घं० है।

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री और माल यातायात

865. श्री बालमोवाल सिंह : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर जनवरी से नवम्बर, 1990 तक की अवधि के दौरान यात्री यातायात की ढुलाई और माल का महीने-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त हवाई अड्डे पर अर्जित लाभ 1988 और 1989 की तत्सम्बन्धी अवधि की तुलना में अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन सिंह) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जबकि इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अप्रैल, 90 से नवम्बर, 1990 तक की अवधि के लिए अनन्तिम लाभ 1989 की इसी अवधि के लाभ की तुलना में कम है परन्तु यह 1988 की इसी अवधि की तुलना में अधिक है।

(ग) लाभ के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(लाख रुपयों में)

अप्रैल से नवम्बर, 90	अप्रैल से नवम्बर, 89	अप्रैल से नवम्बर, 88
2686.74	2887.58	2564.47

विवरण

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री और कार्गो यातायात
(जनवरी से नवम्बर, 1990)

माह	यात्री (लाख में)			कार्गो (हजार टनों में)		
	अन्तर्राष्ट्रीय	अन्तर्देशीय	कुल	अन्तर्राष्ट्रीय	अन्तर्देशीय	कुल
जनवरी, 90	2.57	2.91	5.48	7.9	3.1	11.0
फरवरी, 90	2.32	2.66	4.98	7.5	2.6	10.1
मार्च, 90	2.54	2.69	5.23	8.1	3.2	11.3
अप्रैल, 90	2.24	2.65	4.89	9.0	2.6	11.6
मई, 90	2.10	2.79	4.89	8.2	2.7	10.9
जून, 90	2.16	2.76	4.92	8.0	2.9	10.9
जुलाई, 90	2.25	2.38	4.63	8.0	2.7	10.7
अगस्त, 90	2.42	2.91	5.33	7.1	3.0	10.1
सितम्बर, 90	2.21	2.93	5.14	7.3	3.2	10.5
अक्तूबर, 90	2.46	3.35	5.81	8.2	3.3	11.5
नवम्बर, 90	2.44	2.63	5.07	7.6	2.8	10.4
कुल	25.71	30.66	56.37	86.9	32.1	119.0

टिप्पणी : अगस्त से नवम्बर, 1990 तक के आंकड़े अनन्तिम हैं।

दिघा में गंगा पर पुल

866. श्री बालगोपाल मिश्र : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिघा (बिहार) में गंगा पर रेल पुल के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित पुल के निर्माण का अनुमानित व्यय कितना है; और

(घ) इस पुल का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) पटना के निकट गंगा नदी पर रेल पुल के लिए इन्जीनियरी-एवं यातायात सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है ।

(ग) सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ही प्रस्तावित पुल की अनुमानित लागत का पता चल सकेगा ।

(घ) परियोजना पर आगे कार्रवाई करना सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

तेल और गैस भंडारों का पता लगाना

867. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल ही में तेल और गैस के अपार भन्डारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल ही में जिन तेल भंडारों का पता लगाया गया है उनमें कितनी मात्रा में तेल प्राप्त होने का अनुमान है; और

(घ) इन तेल भंडारों में तेजी से खनन कार्य करने के बारे में क्या कदम उठाए गए है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हाल में ऐसी कोई खोज नहीं की गई है जिसे बहुत बड़ा कहा जा सके ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) त्रिघण मूल्यांकन वेधन को पूरा करने के बाद ही तेल भन्डारों का अनुमान लगाया जा सकता है । इस कार्य को तेज कर दिया गया ।

पेट्रोलियम की स्थिति में सुधार

868. श्री अनिल बसु : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रोलियम की स्थिति में कोई सुधार हुआ है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) देश में पेट्रोलियम की स्थिति मध्य-पूर्व में चल रही गतिविधियों पर निर्भर करती है जिसका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य और उनकी उपलब्धता पर प्रभाव पड़ता है। मौजूदा इराक-कुवैत विवाद के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तेल बाजार में निरन्तर अनिश्चितता बनी हुई है। तथापि, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अड़चनों को देखते हुए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का अधिकतम आयात करके पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से वसूल की जाने वाली कोयले की कीमत

869. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की ओर उसे विभिन्न खानों से उपलब्ध कराये गए कोयले की कीमत के रूप में कितनी राशि बकाया है; और

(ख) बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के प्रारम्भ में, कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कोल इन्डिया लि० को देय कुल राशि को नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपए में)

की स्थिति के अनुसार	कुल राशि
1-4-88	183.16
1-4-89	388.56
1-4-90	600.56
1-11-90	503.92

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा देय राशि का भुगतान न करने का मुख्य कारण—उक्त बोर्ड के सामने वित्तीय कठिनाई था। बकाया राशि को वसूल करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

(i) राज्य बिजली बोर्ड से बकाया राशि को वसूलने के लिए को० इ० लि० और उसकी सहायक कम्पनियों द्वारा नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई किया जाना।

(ii) सभी राज्य बिजली बोर्डों को यह सलाह दी गयी थी कि भविष्य में आपूर्ति को चालू रखने के लिए वे कोयला कम्पनियों के पक्ष में "लेटर आफ क्रेडिट" खोलें। परन्तु अभी तक उनका उत्तर असंतोषजनक रहा है। इसलिए दिनांक 1-4-90 से दो महीनों के बिल के बराबर देय बकाया राशि के उत्तरोत्तर अग्रिम भुगतान से सम्बद्ध बिजली बोर्ड को कोयले की आपूर्ति किए जाने की एक पद्धति शुरू की गई है। यदि बिजली बोर्ड इस शर्त का अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो कोयला कम्पनियां बिजलीघरों को कोयले की आपूर्ति कम करने अथवा कोयले की आपूर्ति बन्द करने, जैसे कठोर कदम उठाने के लिए स्वतन्त्र होंगी।

गुजरात में नया अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

870. श्री काशीराम राणा :

श्री एम० एम० पटेल : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में नए अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के स्थान के चयन अथवा उसके निर्माण हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) से (ग) गुजरात में नए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। तथापि अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों को पूरा करने के लिए अहमदाबाद के मौजूदा हवाई अड्डे का उन्नयन किया जा रहा है। 26 जनवरी, 1991 से अहमदाबाद से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव है।

गन्धार में गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र

871. श्री काशीराम राणा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गन्धार में गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र की स्थापना हेतु गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराव डाकणे) : (क) गंधार में 615 मेगावाट के गैस आधारित संयुक्त साइकिल संयंत्र की प्रतिष्ठापना हेतु गुजरात बिजली बोर्ड से प्राप्त प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 573.73 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर, कुछ शर्तों के अधीन, तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित किया जा चुका है। परियोजना को राज्य क्षेत्र में स्थापित किए जाने का विचार किया गया है। राज्य प्राधिकारी, योजना आयोग से निवेश संबंधी अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही इस परियोजना को क्रियान्वित कर सकते हैं।

दीमापुर हवाई अड्डे पर सुविधाओं का अभाव

872. श्री शिखिहो सेमा : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दीमापुर हवाई अड्डे में यात्री विश्राम गृह पर जेनरेटर, पंखे पेयजल आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की असुविधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) दीमापुर को उड़ानें केवल दिन के दौरान ही परिचालित की जाती हैं और इसलिए टर्मिनल भवन के लिए जिनरेटर की व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि, जिनरेटर केवल परिचालन आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध किया जाता है। स्थानीय जल सप्लाई अनियमित है। जल कुंओं से निकाला जाता है और यात्रियों के उपयोग

के लिए पात्रों में रखा जाता है। अक्सर-कदा इस्तेमाल होने वाले इस सांचे की छत नीची है इसलिए छत के पंखों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है लेकिन गर्मी के महीनों के दौरान पैडस्टल पंखों की व्यवस्था की जाती है।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक नए टर्मिनल कम्प्लेक्स का निर्माण करने की योजना बना रहा है बशर्ते कि भूमि उपलब्ध हो। नए टर्मिनल कम्प्लेक्स में यात्रियों के लिए अपेक्षित सुविधाएं होंगी।

अमोक्सीसिलिन ट्राइहाइड्रेट का लागत अध्ययन

873. श्री सिकिहो सेमा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लायत और मूल्य ब्यूरो से अमोक्सीसिलिन ट्राइहाइड्रेट का लागत अध्ययन करने को कब कहा गया था;

(ख) किन-किन यूनिटों के उत्पादों का अध्ययन किया गया था और कब; और

(ग) ब्रल्क औषध और फार्मूलेशन के बारे में ब्यूरो की सिफारिशें क्या हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) डी० पी० सी० ओ०, 1987 के प्रख्यापन के बाद बी० आई० सी० पी० के लिए सभी नियंत्रित प्रमुख औषधों के लागत ढांचे का अध्ययन करना अपेक्षित था।

(ख) और (ग) बी० आई० सी० पी० द्वारा मंत्रालय को जानकारी में लाया गया है कि किसी भी विनिर्माता ने अमोक्सीसिलिन ट्राइहाइड्रेट के लागत अध्ययन के लिए उनको ब्योरे नहीं भेजे हैं। इस प्रकार स्वतः के आधार पर औषध का मूल्य निर्धारित करने पर सरकार ध्यान दे रही है।

मूल्य नियंत्रणाधीन फार्मूलेशन

874. श्री सिकिहो सेमा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम 120 फार्मूलेशनों में से कितने फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अधीन आप्रेशनल रिसर्च ग्रुप को भेजे गए हैं;

(ख) क्या शेष फार्मूलेशनों, जिनकी बिक्री प्रतिवर्ष 50.00 लाख से अधिक है, को मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ) औषधों का मूल्य नियन्त्रण केलकर समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों पर आधारित है और सूत्रयोगों के कारोबार के आधार पर न होकर प्रमुख औषधों के कारोबार पर आधारित होता है। मंत्रालय में स्थाई समिति 50 लाख रुपए से अधिक कारोबार वाले प्रमुख औषधों के सम्बन्ध में स्थिति की पुनरीक्षा कर रही है।

कोहिमा और दीमापुर में रसोई गैस एजेंसियां

875. **श्री सिकिहो सेमा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोहिमा और दीमापुर में मौजूदा रसोई गैस एजेंसियां रसोई गैस की मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोहिमा और दीमापुर में रसोई गैस एजेंसियां मंजूर करने हेतु कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार का नागालैंड में किन-किन जिला मुख्यालयों को नए रसोई गैस डीलरशिप आवंटित करने का विचार है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ) तेल उद्योग द्वारा इस क्षेत्र में किए गए विपणन सर्वेक्षण से कोहिमा और दीमापुर प्रत्येक में एक-एक एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने की आवश्यकता स्थापित हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, दीमापुर में एक एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू किए जाने की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

सतना और भोपाल के बीच सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाना

876. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना और भोपाल के बीच दैनिक रेल सेवा नहीं है जिसके फलस्वरूप विन्ध्य क्षेत्र की जनता को राज्य की राजधानी तक पहुंचने में भारी कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सतना और भोपाल के बीच एक दैनिक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग) 1027/1028 वाराणसी-वावर एक्सप्रेस के साथ चलने वाला दूसरे दर्जे का एक ग्री टियर स्लिप कोच /1657/1658 परसिया-भोपाल पैंच वैली फास्ट यात्री गाड़ी सतना और भोपाल के बीच एक दैनिक रात्रि सेवा उपलब्ध कराती है। सप्ताह में दो दिन चलने वाली 1171/1172 इन्दौर-हवड़ा क्षिप्रा एक्सप्रेस भी सतना को भोपाल से सीधा जोड़ती है। इस खंड पर कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

बंगलौर शहर में पेट्रोल/डीजल पम्प

877. **श्री जोस फर्नान्डीज :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में कितने पेट्रोल/डीजल पम्प हैं;

(ख) क्या इन पेट्रोल पम्पों में मिलावट रोकने के लिए कोई ऐजेंसी है;

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित एजेंसी ने कितने पेट्रोल पम्प/डीजल पम्पों की जांच की है; और

(घ) जांच के क्या निष्कर्ष हैं और दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) बंगलोर शहर में 41 खुदरा बिक्री केन्द्र केवल पेट्रोल, 6 केन्द्र केवल डीजल और 99 केन्द्र दोनों पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री करते हैं।

(ख) से (घ) इन खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण अलग-अलग संबंधित तेल कम्पनियों के अधिकारियों द्वारा तथा साथ ही संयुक्त रूप से और संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। वर्ष 1990 के दौरान, लुब्रिकेंट में मिलावट के एक मामले का और माप एवं तौल की मोहरों की हेरा-फेरी में एक मामले का पता चला था। "विपणन अनुशासन मार्गदर्शी सिद्धांतों" के अनुसार संबंधित बिक्री केन्द्रों को क्रमशः 15 तथा 6 दिनों के लिए सभी उत्पादों की बिक्री/आपूर्ति रोक दी गई थी।

लेजिस्लेटर्स होम, बंगलोर में रेलवे आरक्षण काउन्टर

878. **श्री जोस फर्नान्डीज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेजिस्लेटर्स होम, बंगलोर में विधायकों के लिए शयिकाओं (बर्थ) के आरक्षण हेतु एक रेलवे आरक्षण काउन्टर है;

(ख) यदि हां, तो वहां से विभिन्न रेलगाड़ियों में विधायकों को आवंटित शयिकाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विधायकों के लिए वर्तमान शयिकाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सीमित स्थानों की उपलब्धता और अन्य कोटा वाले स्टेशनों पर कोटा के पूरी तरह उपयोग को देखते हुए फिलहाल कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

गाड़ी सं० तथा नाम		वाता० 2 टियर	पहला वर्ग	द्वितीय शयनयान
1		2	3	4
2627	कर्नाटक एक्सप्रेस	2	2	8
6530	उदयन एक्सप्रेस	2	—	4
6530	उदयन एक्सप्रेस (गुलबर्गा के लिए)	—	—	6
6008	मद्रास मेल	—	2	4
6526	नागरकोइल एक्सप्रेस	—	—	4

1		2	3	4
2604	तिरुवनंतपुरम-राजकोट एक्सप्रेस	—	—	4
2612	बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस	—	—	3
2673	बेंगलुरु-गुवाहाटी एक्सप्रेस	—	—	3
7086	बेंगलुरु-हैदराबाद एक्सप्रेस	2	—	4
6592	बेंगलुरु-होसपेट हम्पी एक्सप्रेस	—	2	4
7807	बेंगलुरु-मिरज किस्तूर एक्सप्रेस	—	2	4
6201	बेंगलुरु-वास्को मेल	—	2	4
6286	बेंगलुरु-मंगलौर एक्सप्रेस फास्ट पैसेंजर	—	2	—
6583	बेंगलुरु-तलगुप्पा मलनाड एक्सप्रेस/पैसेंजर	—	4	—
6583	बेंगलुरु-तलगुप्पा मलनाड एक्सप्रेस पैसेंजर (सिमोगा टाउन के लिए)	—	4	—
2638	कोच्चिन-अहमदाबाद एक्सप्रेस	—	—	—
2603	राजकोट-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस	—	—	2

बंदेल-कटवा सेक्शन का विद्युतीकरण तथा दोहरा किया जाना

879. डा० सुधीर राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के बंदेल-कटवा सेक्शन के विद्युतीकरण तथा दोहरा किये जाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) बंदेल-कटवा खंड के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक खंड के विद्युतीकरण का सम्बन्ध है; व्यावहारिकता और आर्थिक लाभप्रदता संबंधी अध्ययन प्रगति पर है।

दिल्ली और हावड़ा के बीच नई यात्री रेलगाड़ी चलाना

880. डा० सुधीर राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली/दिल्ली और हावड़ा के बीच तेज रफ्तार वाली नई यात्री रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण। तथापि इस समय भिवानी और दादापुर के बीच चल रही गाड़ी सं० 3213/3214 — 3283/3284 गंगा यमुना एक्सप्रेस को दिल्ली और सियालदाह के बीच अतिरिक्त सेवा की व्यवस्था करके 25-1-1991 से सियालदाह तक बढ़ाया जा रहा है।

रेल यात्री डिब्बों के निर्माण हेतु नये कारखाने स्थापित करना

881. श्री बी० एन० रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में देश के विभिन्न भागों में रेल यात्री डिब्बे बनाने के कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कारखाने की स्थापना के लिए हैदराबाद का चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, हां।

(ख) अतिरिक्त सवारी डिब्बों के निर्माण की आवश्यकता की जांच की जा रही है। यह कई अन्य मुद्दों से जुड़ा हुआ है जिनमें कुछ इस प्रकार हैं :

— भावी और मौजूदा क्षमता की आवश्यकताओं का प्रक्षेपण,

— प्रतियोगी आवश्यकताओं के लिए संसाधनों का इष्टतम उपयोग,

— पिछड़े क्षेत्रों का विकास,

— मौजूदा रेल कारखानों आदि में फालतूपन। अभी तक इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वही, जैसा कि भाग (ख) का उत्तर है।

कैलीफोर्निया ऊर्जा आयोग द्वारा विद्युत संयंत्रों को सहायता की पेशकश

882. श्री बी० एन० रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैलीफोर्निया ऊर्जा आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल देश में विद्युत संयंत्रों की स्थापना की सम्भावना का पता लगाने के लिए हाल ही में भारत की यात्रा पर आया था; और

(ख) यदि, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त

करने की दृष्टि से कैलोफोर्निया ऊर्जा आयोग के प्रतिनिधि ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी।

उक्त बैठक के दौरान, विद्युत संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया था।

लिनियर एल्काइल बेंजीन की उत्पादन क्षमता

883. **श्री आरिफ बेग:** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिनियर एल्काइल बेन्जीन के निर्माण के लिए आशय-पत्र धारी कुछ कम्पनियों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से इस परियोजना के वित्तपोषण करने की अनुमति दी जा रही है;

(ख) देश में इस समय लिनियर एल्काइल बेन्जीन के निर्माण की अनुज्ञप्त और अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) क्या देश में लिनियर एल्काइल बेंजीन की मांग पूरा करने के लिए विद्यमान क्षमता पर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो देश में और अधिक कंपनियों को लिनियर एल्काइल बेन्जीन के निर्माण की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): (क) जिन कम्पनियों के पास वैध आशय-पत्र होते हैं वे वित्तीय सहायता के लिए आवेदन देती हैं और ऐसे आवेदनों पर वित्तीय संस्थानों द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

(ख) लीनियर अल्काइल बेन्जीन की विद्यमान संस्थापित और अनुमोदित क्षमता निम्न प्रकार है :—

	लाइसेंसशुदा संस्थापित क्षमता (मी० टनों में)	अतिरिक्त क्षमता नई/विस्तार (मी० टनों में)
आई० पी० सी० एल०	30,000	—
तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि०	60,000	20,000
रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि०	60,000	20,000
हिन्दुस्तान लीवर लि०	—	80,000
मेसर्स निरमा प्रा० लि०	—	80,000
मेसर्स स्ट्रा प्रोडक्टस लि०	—	80,000
कुल संस्थापित/अनुमोदित क्षमता	4,30,000	—

(ग) और (घ) विद्यमान क्षमता न्यूनाधिक रूप में लीनियर अल्काइल बेंजीन की वर्तमान मांग के अनुरूप है। तथापि अनुमानित भावी मांग और परियोजना के लागू होने में संभावित विलम्ब को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

ए-320 एयर बसों को न उड़ाने के कारण हुई हानि

884. श्री मदन लाल खुराना :
श्री एम० एम० पल्लम राजू :
श्री एल० के० आडवाणी :
श्री प्यारे लाल कंडेलवाल :
श्री बी० एस० वासवराज :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री हरीश रावत :
प्रो० रासा सिंह रावत :
श्री ए० के० ए० अब्दुल समद :
श्री उत्तम राठौड़ :
प्रो० के० वी० थामस :
श्री एस० डेनिस :
श्री वसवन्त राव पाटिल : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर विमान दुर्घटना के बाद सभी ए-320 विमानों का उड़ान बन्द कर दिया गया था;

(ख) इसके परिणामस्वरूप इण्डियन एयरलाइन्स को कुल कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या उक्त विमानों को फिर से चलाना शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन विमान सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां।

(ख) चालीस सप्ताह तक विमानों को ग्राउण्ड किये जाने के कारण इस अवधि में इंडियन एयर लाइन्स को हुई कुल हानि का अनुमान 171.60 करोड़ रुपए लगाया गया है।

(ग) 7 सितम्बर और 10 अक्तूबर, 1990 के बीच कुछ ए-320 विमानों का प्रयोग खाड़ी क्षेत्रों से हमारे राष्ट्रकों को लाने के लिए किया गया था। 28 अक्तूबर, 1990 से इन विमानों को इंडियन एयरलाइन्स के बाहरी सैक्टर पर पुनः सेवा में लगाया गया था और 3 दिसम्बर, 1990 से इन्हें अन्तर्देशीय सैक्टर पर लगाया गया है। इन्हें उड़ान सेवा में चरणबद्ध रूप से लगाया जा रहा है।

(घ) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, उड़ान भरने से पहले प्रत्येक विमान की पूरी तरह से जांच की जाती है। इसके अलावा ए-320 विमान के सम्बन्ध में न्यूनतम उपकरण सूची (एम०ई०एल०) के अन्तर्गत जिन त्रुटियों को अग्रेषित (केरी फारवर्ड) किया जा सकता है, उसे कड़ा किया गया है और इस प्रकार की अग्रेषित अवधि को 72 घंटे से घटाकर 48 घंटे कर दी गयी है। उसके अलावा, वैसे स्टेशनों से उन्हीं विमानों को परिचालन की अनुमति दी जाती है जिनमें कोई खराबी न हो। किसी भी विमान के परिचालन में सुरक्षा की दृष्टि से कोई ढील नहीं बरती जाती है।

विद्युत उत्पादन और मांग

885. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में विद्युत का वर्षवार उत्पादन और मांग का ब्योरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान विद्युत के उत्पादन और मांग का ब्योरा क्या है; और

(ग) विद्युत की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

वर्ष	ऊर्जा का उत्पादन (मि० यू०)	ऊर्जा की आवश्यकता (मि० यू०)
1985-86	170,037	170,746
1986-87	187,605	192,356
1987-88	201,894	210,993
1988-89	221,125	223,194
1989-90	245,141	247,762
1990-91	170,476	172,503

(अप्रैल-नवम्बर)

(ग) विद्युत उपलब्धता में सुधार हेतु किये जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं, नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्पनिर्माणावधि वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, संचारण एवं वितरण हानियां कम करना, मांग प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को क्रियान्वित करना और ऊर्जा अधिशेष वाले क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों की ऊर्जा के अन्तरण की व्यवस्था करना ।

औषध कम्पनियों के नाम बकाया धन राशि

886. **श्री हर्ष वर्धन** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध मूल्य समकरण लेखा के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1984 से 31 दिसम्बर, 1989 की अवधि में विभिन्न औषध कम्पनियों की ओर बकाया धन राशि का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है;

(ख) उक्त धन राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1983 तक दोषी उन औषध कम्पनियों से यह धनराशि वसूल न किए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) मांगे गए ब्योरे बताने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) बकाया राशि की वसूली से संबंधित मामला संबंधित कम्पनियों के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है ।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	समीक्षा के बाद 31-12-83 की अवधि के लिए गणना की गयी अस्थायी राशि (रु० लाखों में)	अब तक जमा की गयी राशि (रु० लाखों में)	शेष देय राशि (रु० लाखों में)
1	2	2	4	5
(क)	उच्चतम न्यायालय मामले			
1.	मै० सिनामिड इंडिया लि०	536.91	100.00	436.91
2.	मै० हैक्स्ट इंडिया लि०	2491.05	312.10	2178.95
3.	मै० जान येथ इंडिया लि० और मै० ज्योफरी मैनर्स लि०	177.64 28.37	55.00	132.67
4.	मै० एथनोर लि०	10.19	10.19	—
5.	मै० फ्रेंको इंडियन फार्मास्युटिकल्स लि० और मै० ग्रीफोन लि०	14.02	1.43	12.59
6.	मै० फाइजर लि०	87.61	19.90	67.71
7.	मै० अनिल स्टार्च प्रोडक्टस लि०	11.61	कुछ नहीं	11.61
8.	मै० एस० जी० फार्मास्युटिकल्स	205.36	कुछ नहीं	205.36
9.	मै० तमिलनाडु डाडा फार्मास्युटिकल्स	37.97	कुछ नहीं	37.97
10.	मै० मेरीन्ड लि०	781.58	कुछ नहीं	781.58
(ख)	डी०पी०सी०ओ०, 1979 के पैरा 7(2) के अन्तर्गत निर्धारित और वसूली योग्य राशि के अस्थायी ब्यौरे			

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	अन्तर्ग्रस्त अवधि	निर्धारित राशि (रु० लाखों में)	अब तक जमा की गयी राशि (रु० लाखों में)	शेष देय राशि (रु० लाखों में)
1	2	3	4	5	6
रिफैम्पिसीन					
1.	मै० बायोकैम फार्मास्युटिकल्स	3/79 से 3/84	34.28	—	34.28
2.	मै० लायका लैब्स	4/79 से 3/84	57.57	5.70	51.87
3.	मै० एस्ट्रा आई०-डी० एम० लि०	82/83 से 5/84	24.11	2.41	21.70
4.	मै० मिकरो लैब्स	79/80 से 82/83	2.24	—	2.24
5.	मै० केमिस कैमिकल्स लि०	82/83 से 93/84	36.31	—	36.31
6.	मै० एलेम्बिक कैमिकल्स लि०	81/82 से 83/84	38.73	3.80	34.93
7.	मै० बाम्बे ड्रग हाउस	80/81 से 83/84	1.73	—	1.73
8.	मै० फार्मेड प्रा० लि०	79/80 से 83/84	66.01	—	66.01
9.	मै० डोलफिन लैब्स	19/79 से 1983	18.11	—	18.11
10.	मै० अल्बर्ट डेविड लि०	11/81 से 9/83	3.91	3.91	कुछ नहीं
11.	मै० फार्मा एंड केमिकल इंड	80/81 से 82/83	87.99	—	87.99
12.	मै० केडिला लैब्स प्रा० लि०	79/80 से 83/84	76.52	7.50	69.02
13.	मै० साराभाई केमिकल्स	82/83 से 83/84	4.14	2.00	2.14
14.	मै० लूपिन लैब्स	8/80 से 3/84	215.89	21.60	194.29
15.	मै० रेम्बेक्सी लैब्स	4/79 से 6/84	36.23	3.63	32.60
16.	मै० वालेस फार्मास्युटिकल्स	4/82 से 2/84	2.82	0.29	2.53

1	2	3	4	5	6
17.	मै० एथीको ड्रग एंड केम. मेन्यु. कं०	5/82 से 3/84	140.98	—	140.98
18.	मै० इंडियन ड्रग्स फार्मा० लि०	12/80 से 1/86	2.18	—	2.18
19.	मै० हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०	81/82 से 83/84	36.66	—	36.66
			886.41	50.84	835.57
डीमायरिडामोल					
1.	मै० जर्मन रेमिडीज	4/79 से 7/84	59.95	59.95	कुछ नहीं
क्लैंडामाइसिन					
1.	मै० फुलफोर्ड इंडिया लि०	79/80 से 2/84	194.62	50.00	144.62
2.	मै० बायोकेम फार्मा लि०	79/80 से 3/84	33.88	—	33.88
3.	मै० लायका लैब्स लि०	7/79 से 3/84	17.47	1.75	15.72
4.	मै० निकोलास लैब्स	79/80 से 3/84	53.03	10.00	43.03
			299.00	61.75	237.25
सालबूटामोल					
1.	मै० खंडेलवाल लि०	79/80 से 81/82	0.15	—	0.15
2.	मै० बीडल सायर प्रा० लि०	4/79 से 3/83	142.74	—	142.74
			142.89		142.89
क्लोफाजामाइन					
1.	मै० एस०जी० फार्मा-स्युटिकल्स	4/79 से 3/84	5.01	—	5.07
एमोक्सीसीलीन और एम्पीसिलीन					
1.	मै० बायोकैम फार्मा० लि०	79/80 से 83/84	11.80	—	11.80

1	2	3	4	5	6
आक्सीफेनाबूटाजोन					
1.	मै० टेबलेट इंडिया लि०	79/80 से 83/84	9.49	—	9.49
मेट्रोनिडाजोल					
1.	मै० बूटस कं० लि०	79/80 से 83/84	62.17	47.91	14.26
2.	मै० स्मिथस्टेनिस्ट्रीट फामा० लि०	79/80 से 83/84	7.82	—	7.82
3.	मै० के०एस०डी०पी०एल०	79/80 से 83/84	5.50	—	5.50
4.	मै० खंडेलवाल-लैब्स	79/80 से 83/84	1.33	—	1.34
5.	मै० आई०डी०पी०एल०	79/80 से 3/84	20.33	—	20.33
			97.16	47.91	49.25
सल्फामेथोक्साजोल					
1.	मै० बरोज वेलकम	1970/80 से फरवरी 1984	441.27	—	441.27
ट्रीमेथोप्रिम					
1.	मै० जर्मन रेमिडीज	2/82 से 5/86	8.25	8.25	कुछ नहीं
	पलूसिनोलोन एसीटोनाइड				
1.	मै० लायका लैब्स	1979/80 से 25 अगस्त 1987	678.73	—	678.73
(ग)	**उच्च न्यायालय के मामलों में वसूल राशि**				
1.	मै० साराभाई एम कैमिकल्स		उपलब्ध नहीं	20 00	—
2.	मे० ग्लैक्सो		6635.00	819.00	5816.00
(घ)	**अधिक वसूली के विरुद्ध देय राशि**				
1.	मै० वार्नर हिन्दुस्तान लि० अब मै० पार्के डेविस		106.36	55.49	50.87
2.	मै बोहरिंगर मान लि०		97.74	—	97.74
3.	मै० आई०डी०पी०एल०		336.454	कुछ नहीं	336 454
4.	मै० ए०पी०कैमिकल्स		25.43	कुछ नहीं	25.43
5.	मै० मलाडी ड्रग्स		116.30	कुछ नहीं	116.30
6.	मै आई०डी०पी०एल० (सल्फाडिमीडाइन		37.30	कुछ नहीं	37.40
7.	मै० क्रूपा ट्रेडर्स		20.48	कुछ नहीं	20.48
			740.06	55.49	684.57

ए-320 एयरबस की उड़ानों का रद्द किया जाना

887. श्री हर्ष वर्धन :

श्री के०डी० सुल्तानपुरी : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ए-320 एयरबसों को पुनः उड़ाने का निर्णय लिए जाने के बाद कितनी ए-320 एयरबस की उड़ानें कुछ तकनीकी खामियों के कारण रद्द करनी पड़ी; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन खामियों के कारण क्या थे ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) 4-12-1990 को दिल्ली-बम्बई सैक्टर पर एयरबस ए-320 विमान से परिचालित की जाने वाली आई०सी०-805 को अनुसूचित उड़ान का परिचालन "कम्प्रेसर वेन चेतावनी" के कारण नहीं किया जा सका। ग्राउंड पावर कंन्ट्रोल यूनिट में खराबी आ जाने के कारण, ए-320 वैकल्पिक विमान का भी उड़ान नहीं किया जा सका। तथापि, उड़ान संख्या-805 का परिचालन एक बी-733 विमान से किया गया था।

इंडियन एयरलाइन्स ने 28 अक्तूबर, 1990 और 6 जनवरी, 1991 के बीच अपने मार्गतंत्र पर बाहरी और अन्तर्देशीय क्षेत्रों पर 1064 अनुसूचित/वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन किया। इसके अतिरिक्त किसी भी ए-320 उड़ान को रद्द नहीं किया गया।

[अनुवाद]

इब्राहिमपुर और मुद्दनूरु (आंध्र प्रदेश) में विद्युत संयंत्र

888. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश इब्राहिमपुर (विजयवाड़ा) में अपने ताप बिजलीघर का विस्तार करने की योजना बना रहा है;

(ख) क्या मुद्दनूरु (कुड्डापाह) में कोई नया ताप-संयंत्र चालू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम झाकड़) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के इब्राहिमपत्तनम गांव के समीपस्थ विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र के विस्तार जिसके अन्तर्गत चरण-II के तहत 210-210 मेगावाट की दो यूनिटें प्रतिष्ठापित किए जाने का विचार है, से संबंधित व्यवहार्यता रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 5,85.76 करोड़ रु० के अनुमानित लागत पर तकनीकी आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित की गई है। इस विस्तार परियोजना पर कार्य योजना आयोग से निवेश संबंधी निर्णय होने के बाद ही आरम्भ किया जा सकता है।

योजना आयोग द्वारा चरण-I के तहत मंजूर की गई रायल सीमा (मुद्दानुर) ताप विद्युत परियोजना की 210-210 मेगा० की यूनिट-I एवं यूनिट-II आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (आ० प्र० रा० बि० बो०) के क्रियान्वयनाधीन हैं। इन यूनिटों को 1993-94 में चालू किए जाने की प्रत्याशा की गई है। चरण-II के तहत 210-210 मेगा० की दो यूनिटों की प्रतिष्ठापना के संबंध में के० वि० प्रा० को सितम्बर, 1990 में आ० प्र० रा० बि० बो० से व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस प्रस्ताव का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन, जल एवं कोयला की उपलब्धता

आदि जैसे सभी अत्यावश्यक निवेश सुनिश्चित किए जाने एवं राज्य प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति सहित आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

मद्रास ऐरोमैटिक परियोजना

889. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास ऐरोमैटिक परियोजना, जिसकी मंजूरी की घोषणा सितम्बर, 1990 में भूतपूर्व प्रधानमन्त्री द्वारा की गई थी, की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) सितम्बर, 1990 में इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी थी तथा इसकी वर्तमान लागत कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) मद्रास में एक ऐरोमैटिक काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए मद्रास रिफाइनरीज लि० को 6 फरवरी, 1987 को एक आशय पत्र जारी किया गया था। उसके बाद मैसर्स नेशनल एरोमेटिक्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० के नाम से एक नई कम्पनी को संयुक्त क्षेत्र में परियोजना को लागू करने के लिए निगमित किया गया है। कम्पनी ने राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदन निवेश और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त कर ली है। विदेशी सहयोगी का भी पता लगा लिया है। कम्पनी द्वारा बताई गई यथासंशोधित अनुमानित परियोजना लागत 1433 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

लड़कियों को मुफ्त रेल यात्रा सुविधा

890. श्री हरीश पाल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सोलह वर्ष तक की आयु की लड़कियों को गाड़ियों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पार्सलों की बुकिंग में भ्रष्टाचार

891. श्री हरीश पाल : क्या रेल मन्त्री 4 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4310 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पार्सलों की बुकिंग में भ्रष्टाचार के बारे में आवश्यक जानकारी अब एकत्र कर ली गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) पार्सल कार्यालय में कदाचार के केवल एक मामले की रिपोर्ट मिली है। यह पार्सलों की बुकिंग में होने वाली अनियमितताओं से संबंधित है। आरोप सिद्ध होने पर उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

ऊर्जा संकट को हल करने के लिए आयोजित सेमिनार

892. श्री हरीश पाल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा संकट को हल करने के लिए सितम्बर, 1990 में ऊर्जा आयोजना प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा दक्षिण एशियाई सेमिनार आयोजित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस सेमिनार में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऊर्जा संकट को हल करने के लिए की गई मुख्य सिफारिश क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवराव डाकवे) : (क) से (ग) दक्षिण एशियाई देशों के लिए टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा नई दिल्ली में सितम्बर 10-15-1990 के दौरान ऊर्जा आयोजना प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बंगला देश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा भारत ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में औपचारिक रूप से किसी भी प्रकार की सिफारिशें नहीं जाने की सूचना है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

893. श्री चलाई के० एम० चंम्यू : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाड़ी संकट शुरू होने के समय देश में पैट्रोलियम की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों का भंडारण कर सकती थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब पेट्रोलियम उत्पादों की अत्यधिक कमी के क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा ईंधन के मूल्य बढ़ाते समय तथा राज्यों के कोटे में कमी करते समय विरोध प्रकट किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) जब खाड़ी संकट शुरू हुआ था उस समय पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टाक था। इस समय पेट्रोलियम उत्पादों की वास्तव में कोई अत्यन्त कमी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कृषि क्षेत्र, मत्स्य पालन क्षेत्र की मांग पूरी करने के लिए और सबरिमाला तीर्थयात्रा सीजन के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के अतिरिक्त आबंटन के संबंध में केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए थे।

त्रिवेन्द्रम् को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करना

894. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू :**

प्रो०पी०जे० कुरियन :

श्री रमेश चेन्नीथाला :

श्री ए० विजयराघवन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिवेन्द्रम् को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) इसे पूर्ण स्तर के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में कब तक बदल दिया जायेगा;

(घ) किसी हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए वहां किन-किन सुविधाओं का होना आवश्यक है; और

(ङ) क्या राज्य सरकार ने उसके लिए अपेक्षित सभी शर्तों को पूरा कर लिया है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) से (ग) 1-1-91 से भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 के अधीन त्रिवेन्द्रम को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में दिनांक 6 नवम्बर, 1990 के भारतीय राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन, सीमा-शुल्क और स्वास्थ्य क्लीयरेंस सुविधाएं प्रदान की जानी होती है। ये सुविधाएं त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर पहले ही उपलब्ध हैं क्योंकि यहां से अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं पहले ही परिचालित की जा रही हैं।

(ङ) केन्द्रीय सरकार के पास किसी भी हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए पूरा अधिकार है और इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी भी शर्त को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।

केरल को पेट्रोलियम उत्पादों का आबंटन

895. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू :**

श्री रमेश चेन्नीथाला : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को जनवरी से अक्तूबर, 1990 के दौरान महीने-वार किन-किन पेट्रोलियम उत्पादों का आबंटन किया गया है;

(ख) नवम्बर, 1990 के दौरान किये गए आबंटन का उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन महीनों में हरियाणा और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों की तुलना में केरल के लिए निर्धारित आबंटन में कोई कमी की गई थी;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सबरीमाला तीर्थयात्रा मौसम के दौरान केरल को एक विशेष मामले के रूप में अधिक कोटा आबंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) तथा (ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) तथा (ङ) सबारीमाला तीर्थ यात्रा समय के दौरान की मांग को पूरा करने के लिए जनवरी 1991 में केरल के लिए 2500 के० एल० अतिरिक्त एच० एस० डी० जारी किया गया है ।

विवरण

जनवरी से नवम्बर 1990 के दौरान पैट्रोल/डीजल तथा मिट्टी के तेल का जारी किया जाना/बिक्री नीचे दी गई है

महीना	एम०एस०	एच०एस०डी०	एस०के०ओ०
जनवरी, 90	18925	77902	18250
फरवरी, 90	17414	68946	18080
मार्च, 90	19006	78834	15918
अप्रैल, 90	17332	66205	15719
मई, 90	19175	80420	15731
जून, 90	17702	68817	15774
जुलाई, 90	17310	63516	15907
अगस्त, 90	17908	71388	16738
सितम्बर, 90	17184	64774	16738
अक्तूबर, 90	16765	66906	16595
नवम्बर, 90	17621	70013	18911

[हिन्दी]

बाम्बे हाई से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

896. श्री हरिशंकर महाले : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, बाम्बे हाई और अन्य स्थानों से 50 प्रतिशत प्राकृतिक गैस महाराष्ट्र को आबंटित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गैस की आपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) महाराष्ट्र के यूनिटों को अधिक प्राकृतिक गैस के आबंटन के लिए समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग) उपलब्धता के आधार पर महाराष्ट्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए लगभग 18.55 एम० एम० एस० सी० एम० डी० गैस की वचनबद्धता दी गई है। इसके विवरण संलग्न हैं। इनमें से कुछ उपभोक्ताओं को पहले ही गैस की आपूर्ति प्राप्त हो रही है। अन्य को इसकी आपूर्ति का संबंध उनके गैस के प्राप्त करने और इसका इस्तेमाल करने के लिए उनके तैयार होने और पूरा होने से सम्बन्धित है।

विवरण

महाराष्ट्र में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

उपभोक्ता	मात्रा (मि० घन मीटर प्रतिदिन)
1. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, ट्राम्बे	1.80
2. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, थाल	3.00
3. हैवी वाटर प्रोजेक्ट, थाल	0.15
4. दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि०, तलोजा	0.60
5. भारत इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन, तलोजा	0.03
6. टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी, ट्राम्बे	1.50
7. महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड, उरान	3.00
8. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड	0.01
9. महाराष्ट्र गैस क्रैकर काम्पलेक्स, नागोथाने	0.60
10. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	0.05
11. सी 2/सी 3 प्रोजेक्ट	1.15
12. एल० पी० जी० प्लांट	1.00
	12.89

उपर्युक्त के अलावा, महाराष्ट्र राज्य में बनती आ रही विभिन्न परियोजनाओं को 5.66 एम०एम०एस०सी०एम०डी० गैस का वचन दिया गया है। विवरण निम्नलिखित है:

उपभोक्ता	मात्रा (एम०एम० एस०सी०एम०डी०)
1. महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, उरान	1.50
2. बाम्बे सिटी डिस्ट्रीब्यूशन	1.00*
3. ग्रासिम	0.75
4. कल्याणी स्टील	0 75
5. निप्पन डेनरो	1.00
	5.00

* और अधिक आबंटन पर विचार 9वीं योजना में किया जाना है।

मालेगांव, नासिक में "रेलवे आउट-एजेंसी" की स्थापना

897. **श्री हरिशंकर महाले :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालेगांव (नासिक) में एक "रेलवे आउट-एजेंसी" स्थापित करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में रेल प्रशासन ने निविदा के लिए आवेदन-पत्र आमन्त्रित किया है। जैसे ही इस आउट-एजेंसी को चलाने के लिए कोई उपयुक्त ठेकेदार मिल जाता है वैसे ही यह कार्य करना शुरू कर देगी।

[अनुवाद]

हल्दिया पैट्रोकेमिकल परियोजना

898. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में हल्दिया पेट्रोकेमिकल परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) 10 अगस्त, 1990 को हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन की स्थापना के लिए जिसमें एक नैफ्था क्रेकर और विभिन्न डाउन स्ट्रीम एकक शामिल हैं जो निर्धारित न्यूनतम आर्थिक आकार के अनुरूप हैं, वेस्ट बंगाल इण्डस्ट्रीयल डिवलपमेंट कारपोरेशन लि० (डब्लू बी० आई० डी० सी०) को 10 अगस्त, 1990 को एक नया आशयपत्र जारी किया गया है। डब्लू० बी० आई० डी० सी० योजना को लागू करने के लिए कदम उठा रहा है।

हावड़ा बर्गाचिया खंड पर रेल सेवा

899. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वी रेलवे में हावड़ा-बर्गाचिया, ई०एम०एस० खंड पर रेलगाड़ियों की संख्या के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) जी हां, स्थानीय यात्री एसोसिएशन ने हावड़ा-बड़गछिया खंड पर इस समय चल रही चार (4) जोड़ी गाड़ियों की बजाय अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) जांच करने पर प्रस्ताव परिचालनिक और संसाधनों की तंगियों के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

पेट्रोल और डीजल का मूल्य

900. श्री हन्नान मोल्लाह :

डा० चिन्ता मोहन :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री छीतुभाई देवजीभाई गामित :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री फूल चन्द वर्मा :

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री उत्तम राठोड़ :

श्री वामनराव महाडीक :

प्रो० के०वी० थामस :

श्री एन० डेनिस :

श्री कोडिक्कुनील सुरेश :

श्री आर० एन० राकेश :

श्री मानिकराव होडल्या गावित :

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम के मूल्यों में कमी की प्रवृत्ति को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब और किस सीमा तक;

(ङ) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाये गए खाड़ी अधिशुल्क को हटाने का है और यदि हां, तो कब तक;

(च) क्या पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) सरकार का विचार खाड़ी संकट से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) दुबई कच्चे तेल के मासिक स्पाट मूल्य जो 1-8-1990 के 18.24 अमरीकी डालर प्रति

बैरल से बढ़कर 28-9-1990 को 37 अमरीकी डालर प्रति बैरल तक पहुंच गये थे अब फिर से कम होकर 21-12-1990 को 22.41 अमरीकी डालर प्रति बैरल पर आ गये हैं।

(ग) से (ङ) यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य गिर गये हैं तथापि ये खाड़ी संकट से पूर्व, जब ये 15-36 अमरीकी डालर प्रति बैरल थे, की तुलना में अभी काफी ऊंचे हैं। स्थिति अभी भी अस्थिर और अनिश्चितता बनी हुई है और अभी निकट भविष्य में इनके संभावित मूल्य के रुख का आकलन करना संभव नहीं है। अतः पेट्रोलियम उत्पादों पर लगा खाड़ी अधिभार उठाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। अब पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को कम करने का भी प्रस्ताव नहीं है।

(च) पेट्रोल और डीजल सहित पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति को बनाए रखा जाता है।

(छ) खाड़ी संकट से उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने अग्रिम सुपुर्दगी के लिए और कच्चे तेल की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति करने के लिए सभी आवधिक सप्लायरों से संपर्क किया है। आवधिक सप्लायरों से कच्चे तेल की अतिरिक्त आपूर्ति की संभावनाओं का भी पता लगाया गया है और खाड़ी संकट शुरू होने के बाद सरकार आवधिक सप्लायरों से कच्चे तेल की अतिरिक्त आपूर्तियां प्राप्त करने में सक्षम थी।

[हिन्दी]

पायलटों को फ्रांस में प्रशिक्षण

901. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पायलटों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितने पायलट प्रशिक्षणार्थ फ्रांस भेजे गये; और

(ग) इस सम्बन्ध में, वर्ष-वार, कितनी धनराशि खर्च की गई ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) प्रशिक्षण के लिए विमान चालकों को विदेशों में भेजे जाने के लिए अपनाया जाने वाला मानदण्ड उस विमान के प्रकार जिस पर निर्माताओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना है और प्रशिक्षण के स्वरूप पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) फ्रांस में भेजे गए विमानचालकों की संख्या और पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया द्वारा प्रशिक्षण पर किया गया खर्च नीचे बताया गया है :—

भेजे गए विमान चालकों की संख्या/उनके प्रशिक्षण पर खर्च किया गया व्यय

वर्ष	इण्डियन एयरलाइन्स		एयर इण्डिया	
	विमानचालकों की संख्या	व्यय रुपए	विमानचालकों की संख्या	खर्च (रुपए)
1988	—	—	128	156.36 लाख
1989	142	133.12 लाख	—	—
1990	10	9.90 लाख	—	—
जोड़ :	152	143.02 लाख	128	156.36 लाख

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई पट्टियों का निर्माण

902. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी हवाई पट्टियों का निर्माण करने और एअर टैक्सी सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में किसी नयी विमानपट्टी के निर्माण की कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) नये हवाई अड्डे के निर्माण और इनके रख-रखाव में काफी पूंजी निवेश अन्तर्ग्रस्त है। ये यातायात की मांग और आर्थिक साध्यता पर निर्भर करते हैं।

इंडियन एयरलाइन्स, पूर्वी क्षेत्र में इन्जीनियर-हैल्परों की नियुक्ति

903. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार इण्डियन एयरलाइन्स के पूर्वी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल कितने प्रत्याशियों को इन्जीनियर-हैल्परों को पदों पर नियुक्त किया गया;

(ख) जुलाई, 1991 में समाप्त होने वाली नाम सूची में से 31 दिसम्बर, 1990 तक कुल कितने प्रत्याशियों की नियुक्ति की गई;

(ग) बाकी बचे लोगों की अब तक नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्तमान सूची में बाकी बचे हैल्पर, जिनका चयन वर्ष, 1988 में आयोजित परीक्षाओं के आधार पर किया गया था, कब तक नियुक्त किये जायेंगे ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पूर्वी क्षेत्र में इन्जीनियर-हैल्पर के रूप में नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या नीचे बताई गई है :—

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1988	—	—
1989	17	5
1990	7	4

(ख) 19 दिसम्बर, 1890 तक पैनल में से (जो जुलाई, 1991 तक वैध है) 104 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है।

(ग) रिक्त पदों के न होने के कारण अन्य उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की जा सकी।

(घ) शेष बचे हुए उम्मीदवारों की नियुक्ति पैनल की वैधता के दौरान रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

रसोई गैस के स्थान पर प्राकृतिक गैस का उपयोग

904. डा० चिन्ता मोहन :

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रसोई गैस के स्थान पर प्राकृतिक गैस का उपयोग अधिक सुविधाजनक और किफायती हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के महानगरों में इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) कुछ शर्तों और परिस्थितियों के अधीन एल० पी० जी० के स्थान पर प्राकृतिक गैस का उपयोग ज्यादा सुविधाजनक और लाभकारी हो सकता है ।

(ख) और (ग) बड़ोदा, भरुच, अंकलेश्वर, सिवसागर, दुलियाजान और मोरन में घरेलू ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है । अगरतला बम्बई और सूरत में नगर आपूर्ति योजना के लिए भी प्राकृतिक गैस की वचनबद्धता की गई है । दिल्ली, नोएडा और कानपुर के सम्बन्ध में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए गेल द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

मुम्बई-दादर-मनमाड सेक्शन पर अतिरिक्त रेल सेवाएं

905. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के मुम्बई-दादर-मनमाड सेक्शन पर भारी यातायात और उक्त सेक्शन पर चलने वाली लम्बी दूरी की गाड़ियों में सभी यात्रियों को स्थान न मिलने को देखते हुए सरकार का विचार इस सेक्शन पर अतिरिक्त रेल गाड़ियां चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) फिलहाल बम्बई-दादर-मनमाड खंड पर कोई अतिरिक्त गाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल ऐसा करना व्यवहारिक नहीं है ।

गोवा एक्सप्रेस तथा कर्नाटक एक्सप्रेस को बेलापुर स्टेशन पर रोका जाना

906. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के बेलापुर रेलवे स्टेशन पर गोवा एक्सप्रेस तथा कर्नाटक एक्सप्रेस को रोके जाने की निरन्तर मांग की जाती रही है; और

(ख) निकट भविष्य में वहां उक्त गाड़ियों के रोके जाने की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच की गयी थी लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

1001/1002 पंचवटी एक्सप्रेस में अतिरिक्त डिब्बे

907. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1001/1002 पंचवटी एक्सप्रेस में प्रथम दर्जे के 'चेयर कार' की विद्यमान क्षमता कितनी है;

(ख) क्या प्रथम दर्जे के 'चेयर कार' की विद्यमान क्षमता अपर्याप्त है और इस रेलगाड़ी में दो अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाने की मांग है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) 1001/1002 पंचवटी एक्सप्रेस के पहले दर्जे के कुर्सी यान की वर्तमान क्षमता साठ सीटों की है ।

(ख) जी हां । पहले दर्जे के लिए अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था करने हेतु कुछ मांगें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) रेलों पर ऐसे सवारी डिब्बों की सीमित उपलब्धता के कारण फिलहाल इस गाड़ी में पहले दर्जे का और कुर्सी यान लगाना व्यावहारिक नहीं है ।

नौकरी से निकाले गए रेल कर्मचारियों की बहाली

908. **श्री ए० के० राय** :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री जी० एस० बासवराज :

प्रो० रूपचन्द पाल :

श्री मनोरंजन सुर :

श्री रामेश्वर प्रसाद :

श्री जे० चोक्का राव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) नियम के नियम 14(दो) के अधीन नौकरी से निकाले गए रेल कर्मचारियों को बहाल करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसे लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या रेल कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों द्वारा सरकार को कोई सूची भेजी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) नियम 14(ii) के अधीन जोन-वार नौकरी से निकाले गये कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(च) कितने कर्मचारियों को बहाल करने पर विचार किया जा रहा है तथा इसका सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा ?

रेल मंत्री (श्री जगेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी नहीं, पूर्ववर्ती सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया था। बहरहाल, इस समय समूचा मामला विचाराधीन है।

(ग) और (घ) रेल कर्मचारियों के कुछ संगठनों से सूचियां प्राप्त हुई हैं। लेकिन इन सूचियों में सभी रेलों से सम्बन्धित पूरी सूचना नहीं दी गई है।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

(च) इसका प्रश्न तभी उठेगा जब समूचे मामले पर विचार कर लिया जाएगा।

विवरण

रेलवे	1-4-1980 से और इसके बाद ट्रेड यूनियन आन्दोलन में भाग लेने के कारण रेल सेवक (अनुशासन और अपील नियम 14(ii) के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त किए गए भूतपूर्व रेल कर्मचारियों की संख्या
पूर्व	80
उत्तर	162
पूर्वोत्तर	74
पूर्वोत्तर सीमा	2
दक्षिण	5
दक्षिण मध्य	48
दक्षिण पूर्व	40
पश्चिम	3
जोड़ :	414

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और खपत

909. श्री ए० के० राय :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश मे पेट्रोलियम उत्पादों की खपत एवं इनका स्वदेशी उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में होने वाले उत्पादन से पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी प्रतिशत मांग पूरी हो रही है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हुई खपत का ब्यौरा क्या है;

(घ) आगामी वर्षों में इन उत्पादों का उत्पादन और इनकी खपत के अन्तर को पूरा करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी;

(ङ) विभिन्न उपायों को अपनाने के बाद इनकी खपत में कितने प्रतिशत की बचत हुई है;

(च) क्या कोई ऐसा अध्ययन अथवा आकलन किया गया है कि यदि देश में यातायात प्रबन्ध दोनों में सड़कों को अच्छी हालत में रखा जाये तो ईंधन में कितनी बचत होगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) विवरण I संलग्न है।

(ख) 1989-90 के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद की 93 प्रतिशत मांग घरेलू उत्पादन से पूरी की जाती थी।

(ग) विवरण II संलग्न है।

(घ) वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अनिश्चित प्रचलित स्थिति के कारण, आने वाले वर्षों में कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पाद के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की मांग को बिठाना कठिन है।

(ङ) जुलाई-नवम्बर 1989 की अपेक्षा जुलाई-नवम्बर, 1990 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खपत की वृद्धि में 9.4 प्रतिशत की अपेक्षा 1.5 प्रतिशत की गिरता आई है। जुलाई-नवम्बर 90 की अवधि के दौरान अतिरिक्त 1.7 मि० टन पेट्रोलियम उत्पाद की खपत हुई होती, यदि खपत की वृद्धि का स्तर पूर्व के वर्ष के अनुकूल रहा होता।

(च) तथा (छ) वर्ष 1982 में पूरे हुए "सड़क प्रयोग मूल्य अध्ययन" से पता चलता है कि सड़क की हालत में सुधार लाने से निम्नलिखित ईंधन बचत को प्राप्त किया जा सकता है।

सुधार का प्रकार	ईंधन बचत
(1) सिंगल लेन पट्टरी को मध्यवर्ती चौड़ाई तक चौड़ा कर इसकी चढ़ाई की किस्म को सुधारना	5%
(2) सिंगल लेन पटरी को दो लेनों में चौड़ा करना तथा चढ़ाई की किस्म में लघु सुधार	6%
(3) सिंगल लेन पटरी को दो लेनों में चौड़ा करना, पटरी को मजबूत करना तथा चढ़ाई की किस्म में सुधार	10%
(4) कमजोर बिटुमेनयुक्त पटरी को मजबूत करना तथा उच्च बिटुमेनयुक्त सतह उपलब्ध कराना	5%

विवरण-I

देश में पिछले 3 वर्षों की वर्षानुसार पेट्रोलियम उत्पादों की खपतनीचे दी गई है :—

वर्ष	खपत (एम०एम०टी०)
1987-88	46.4
1988-89	50.1
1989-90	54.1

पिछले तीन वर्षों से रिफाइनरियों से देशी उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उत्पादन (एम०एम०टी०)
1987-88	45.6
1988-89	46.8
1989-90	50.1

विवरण-II

विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों की खपत नीचे दी गई है :

मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों की क्षेत्रवार खपत

(आंकड़े टी०एम०टी०)

	1987-88	1988-89	1989-90
1. एल० पी० जी० घरेलू	1415	1592	1839

		1987-98	1988-89	1989-90
वाणिज्यिक/उद्योग		243	326	376
अन्य		28	43	51
	योग	1686	1961	2266
2. नैफ्था				
खाद		2064	2373	2287
पेट्रो-रसायन		754	894	971
अन्य		34	66	77
	योग	2852	3333	3335
3. डीजल				
रेलवे		1375	1440	1455
जलमार्ग		152	152	184
अन्य परिवहन (कृषि सहित)		13833	15126	16667
विद्युत उत्पादन		209	134	126
उद्योग		1500	1345	1511
सभी क्षेत्र		17657	18704	20697
4. भट्टी का तेल				
परिवहन		416	452	381
प्लांटेशन/खाद्य		130	150	161
विद्युत उत्पादन		636	607	692
उद्योग		2765	3152	3055
अन्य		244	166	199
	योग	4190	4527	4488

	1987-88	1988-89	1989-90
5. एल०एस०एच०एस०/एच०एच०एस०			
परिवहन	2	2	3
प्लांटेशन/खाद्य	36	33	44
विद्युत उत्पादन	1659	1572	1630
उद्योग	2242	2231	2730
अन्य	14	11	19
योग	3953	3849	4426

विशेष : 1989-90 के आकड़े अस्थायी हैं।

नीलम तेल क्षेत्र का विकास

910. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को मुम्बई के दक्षिण-पश्चिम में स्थित नीलम तेल क्षेत्र को विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : जी, हां।

(ख) आशा की जाती है कि नीलम क्षेत्र से 21 वर्षों की अवधि में 63.19 मिलियन टन तेल 8.558 बिलियन घन मीटर गैस प्राप्त होगी। छः वर्षों की अवधि के लिए उत्पादन की प्लेट दर 4 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी।

(ग) नीलम क्षेत्र को विकसित करने का कारण यह है कि यह देश में तेल और गैस के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान करेगा।

बंगलौर में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर बस ए-320 की जांच न्यायालय की रिपोर्ट

911. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर** :

श्री वसन्त साठे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच न्यायालय ने दिनांक 14 फरवरी, 1990 को दुर्घटनाग्रस्त हुए एयरबस ए-320 के बारे में अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है;

(ग) एयरबस ए-320 की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप अब तक दर्ज किए गए और निपटाए गए दावों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट 3 दिसम्बर, 1990 को प्राप्त हुई थी और यह इस समय सरकार के विचाराधीन है।

(ग) एयरमार्शल एम० एस० रामदास की अध्यक्षता में नियुक्त तकनीकी समिति ने ए-320 बेड़े के सुरक्षा परिचालन हेतु कतिपय सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं :

(1) विमानचालकों का प्रशिक्षण।

(2) "क" और "ख" इन्जीनियरों का प्रशिक्षण।

(3) आधारभूत सुविधाओं का अनुरक्षण।

(4) अनुरक्षण/परिचालन प्रक्रिया और न्यूनतम उपकरण सूची (एम० ई० एल०) का उपयोग।

(5) नोट की गई कमियों के सुधार से संबंधित सभी क्रियाकलापों के समन्वय के लिए एकीकृत प्रबंध प्रणाली।

इंडियन एयरलाइंस ने इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए समुचित कदम उठाए हैं।

(घ) मृत यात्रियों और घायल यात्रियों के संबंधितों से 99 दावे प्राप्त हुए हैं। इनमें से 316.37 लाख रुपये की राशि के 85 दावों का निपटान कर दिया गया है।

इन्जीनियरिंग प्लास्टर के उत्पादन के लिए अमरीकी सलाहकारों की नियुक्ति

912. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत इंजीनियरिंग प्लास्टर की उत्पादन लागत के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाने हेतु अमरीकी सलाहकारों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी सरकार का व्यापारिक विकास कार्यक्रम अपनी नियुक्तियों हेतु वित्तपोषण करने के लिए सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) भारत में इन्जीनियरी प्लास्टिक के उत्पादन के विस्तार और उपयोग की संभाव्यता के

अध्ययन के लिए अपेक्षित सेवाओं की लागत के वित्त पोषण के लिए अमरीकी व्यापार विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 290,000 अमरीकी डालर की सहायता के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशों को विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना

913. डा० बीलतराव सोनूजी अहेर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का कुछ विदेशों को विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह तकनीकी जानकारी किन-किन देशों को उपलब्ध कराई जाएगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने पहले तंजानिया, मौरीशस, सिशिलेस, बेलिजे (केन्द्रीय अमरीका) को पेंटोलियम अन्वेषण के क्षेत्र में सुविज्ञता प्रदान की है और आबू धाबी, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों को परामर्शी-सेवाएं प्रदान की है। आबू धाबी राष्ट्रीय तेल कम्पनी के अनुरोध पर उन्हें परामर्शी सेवाएं दिया जाना जारी है। सिशिलेस राष्ट्रीय तेल कम्पनी ने भी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग से भू-भौतिकी के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ मांगा है।

आठवीं योजना में कोयला परियोजनाओं का आधुनिकीकरण और उन्हें शुरू करना

914. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ नई कोयला परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करने एवं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन कोयला खानों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ग) कितनी नई कोयला खानों को शुरू करने का विचार है;

(घ) आधुनिकीकरण और शुरू करने के कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक नई कोयला खानों के आधुनिकीकरण एवं कार्यान्वयन से कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ङ) कोयला और लिग्नाइट पर कार्यदल की रिपोर्ट के आधार पर, कोल इंडिया लि० ने आठवीं योजना के दौरान नई परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं को पुनर्गठित/आधुनिकीकृत किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया है। आठवीं योजना के दौरान आधुनिकीकृत किए जाने वाली विनिर्दिष्ट 39 परियोजनाओं के नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं। आठवीं योजना के दौरान शुरू की जाने वाली अन्य 99 नई कोयला परियोजनाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है। ये चालू आधुनिकीकृत योजनाओं तथा कार्यान्वयन के अधीन नई परियोजनाओं

से अलग हैं। इन परियोजनाओं से आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष में लगभग 28 मि० ट० अतिरिक्त कोयले के उत्पादन के होने की सम्भावना है। चूंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए इन परियोजनाओं के लिए अपेक्षित धनराशि अभी निर्धारित की जानी है।

विवरण

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

1. टोलाबोनी
2. शंकरपुर
3. नकराकोंडा
4. कुमारडीही
5. भारतचक
6. न्यू निघाई
7. हरीपुर
8. पुरुषोत्तमपुर
9. श्रीपुर
10. चोरा फेस-II
11. अस्वाद
12. बम्बारा

भारत कोकिंग कोल लि०

13. मुनइडीह विस्तार
14. कुस्टोरे
15. गोपालीचक-IX स्पेश०
16. धर्मबंद योजना
17. केशलपुर ओ० का०

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०

18. टोपा ओ० का०
19. केडला ओ० का०
20. झारखंड ओ० का०
21. गिडी "ए" ओ० का०
22. के० डी० विस्तार ओ० का०

23. करकट्टा ओ० का०
24. कारमली ओ० का०
25. बोकारो-चलकारी ओ० का०
26. कथारा फेस-II
27. सोंदा "डी" भू० ग०
    नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
28. दुधीचुआ विस्तार
    वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
29. राजूर भू० ग०
30. नकोडा भू० ग०
31. इग्ग भू० ग०
32. पिपला भू० ग०
    साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
33. नावापारा भू० ग०
34. विसनपुर भू० ग०
35. काचांदी भू० ग०
36. जगन्नाथ फेस विस्तार
    नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
37. लेडो
38. टिपांग
39. बारागोलाई विस्तार

राजस्थान में पटरियों को बदलना

915. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में रेल पटरियों को बदलने का निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धि क्या रही है; और

(ख) भविष्य में राजस्थान में रेलवे लाइनों को दोहरा करने के लिए कौन-सी प्रायोजित योजना तैयार की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगत वरण दास) : (क) सातवीं योजना के दौरान भारतीय रेलों पर रेलपथ नवीकरण का समग्र लक्ष्य 18,500 कि० मी० रखा गया था चूंकि लक्ष्य रेलवे-वार

निर्धारित किए जाते हैं न कि राज्य वार। राजस्थान के लिए कोई अलग से लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया था। सातवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान में कुल 1244 कि० मी० रेल पथ का नवीकरण कर दिया गया है।

(ख) फिलहाल, राजस्थान में दोहरी लाइन बिछाने के लिए 28 कि० मी० लम्बे रेलपथ को स्वीकृति दी गई है।

राजस्थान में पेट्रोरसायन उद्योग लगाने का प्रस्ताव

916. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर सरकारी और निजी क्षेत्रों में कुछ पेट्रोरसायन उद्योग लगाने के प्रस्ताव मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार के समक्ष विभिन्न चरणों पर लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(ग) किन विभिन्न चरणों पर ये प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों के शीघ्र मंजूरी के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ) राजस्थान में स्थापित किए जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं सहित विभिन्न पेट्रो-रसायनों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन समय-समय प्राप्त होते हैं। सतत प्रक्रिया के रूप में और विद्यमान नीतियों के अनुसार तकनीकी-आर्थिक आधार पर इनकी जांच और निर्णय किया जाता है।

रेल दुर्घटनाएं

917. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1990 और 31 अक्तूबर, 1990 के बीच कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं; और

(ग) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाये गये कदमों का ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) 1-1-90 से 31-10-90 तक की अवधि के दौरान 468 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) दुर्घटनाएं मुख्यतः कर्मचारियों की गलती, रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों की गलती तथा उपस्करों की खराबी के कारण हुई थीं।

(ग) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) मानवीय तत्व की सहायता के लिए तकनीकी यंत्रों का उपयोग।

(ii) कारखानों के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार।

(iii) संवेदनशील संस्थापनाओं का गहन तथा बार-बार निरीक्षण ।

(iv) ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर आदि जैसी नाजुक संरक्षा कोटि के कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखना ।

(v) परिचालनिक कोटियों के कर्मचारियों को, मनोवैज्ञानिक जांच सहित गहन प्रशिक्षण देना ।

(vi) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोकथाम करने के लिए अचानक जांच ।

(vii) बिना चौकीदार वाले पहुंच मार्गों पर सीटी देने से सम्बन्धित बोर्ड लगाना/गति अवरोधकों, सड़क चिन्हों की व्यवस्था करना तथा सड़क उपयोगकर्ताओं और गाड़ी ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार ।

[हिन्दी]

समस्तीपुर-दरभंगा रेलवे लाइन

918. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर-दरभंगा बड़ी रेलवे लाइन बिछाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में आबंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य स्थानों तथा मदों पर यह धनराशि खर्च की गई है अथवा खर्च की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) निर्माण कार्य शुरू करने से संबंधित प्राथमिक कार्य यथा यार्डों और पुलों के विस्तृत नक्शे और अभिकल्प तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। चालू वर्ष के लिए आबंटित 4.09 करोड़ रुपयों में से सितम्बर, 1990 के अन्त तक 4 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं ।

[अनुवाद]

छितौनी-बाघा पुल

919. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**

श्री हर्षवर्धन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेल पर छितौनी-बाघा पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) इस परियोजना के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा इस पर 30 नवम्बर, 1990 तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, हां ।

(ख) इसके 1993-94 में पूरा होने की सम्भावना है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो जिसमें चालू वर्ष में और आने वाले वर्षों में सह-भागीदार यथा जल संसाधन मन्त्रालय और उत्तर प्रदेश तथा बिहार की राज्य सरकारों से समय पर प्राप्त अंशदान शामिल है।

(ग) 1990-91 के लिए आबंटित 13.03 करोड़ रुपये की धनराशि में से नवम्बर, 90 तक 6.4 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर दी गई है।

(घ) 154.65 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना

920. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बेलथेरा रोड पर दो ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के बारे में उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इन संयंत्रों पर कुल कितनी राशि के खर्च होने की सम्भावना है; और

(घ) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवन्तराव डाकणे) : (क) से (घ) बलिया जिले में बेलथेरा रोड पर 982.2 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत पर एक ताप विद्युत परियोजना (3 × 210 मे०वा०) की प्रतिष्ठापना किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (उ० प्र० रा० बि० बो०) से दिसम्बर, 1988 में व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। 250 मेगावाट जितनी बड़ी यूनिट के तकनीकी-आर्थिक लाभ को मद्देनजर रखते हुए उ० प्र० रा०बि०बो० ने व्यवहार्यता रिपोर्ट में प्रस्तावित केन्द्र की क्षमता संशोधित करके 3 × 250 मेगावाट करने का वचन दिया है। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु उ० प्र० रा० बि० बो० से संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जा सकेगा। प्रस्तावित स्कीम से 1995-2000 के दौरान लाभ मिलना अभिनिर्धारित किया गया है।

रेलगाड़ियों के रद्द किए जाने और आंदोलन के कारण हानि

921. **श्री ओपत सिंह मक्कासर :**

श्री जी० एस० वासवराज :

श्री राजमोहन रड्डी :

श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

श्री कल्पनाथ राय :

श्री उत्तम राठौड़ :

श्री यशवन्तराव पाटिल :

श्री जे० चोक्का राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडल विरोधी और अन्य आंदोलनों के कारण रेलवे को हुई हानि और राजस्व के घाटे के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और रेलगाड़ियों को रद्द किए जाने और रेलवे सम्पदा को हुई कुल हानि का अलग-अलग, ब्योरा क्या है;

(ग) आंदोलन के फलस्वरूप कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गई;

(घ) स्थिति में कहां तक सुधार हुआ है; और

(ङ) रेलवे को हुई हानि को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) यद्यपि नुकसान की सही मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, फिर भी यह लगभग 100/- करोड़ रुपये है।

(ग) आरक्षण विरोधी आंदोलन के कारण 5502 गाड़ियां रद्द की गयी थीं।

(घ) फिलहाल इस कारण से कोई गाड़ी रद्द नहीं की गई है।

(ङ) अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में कमी

922. श्री उत्तम राठौड़ :

श्री राजबीर सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में जून, 1990 से गिरावट आई है जब सरकार ने खाड़ी संकट से काफी पहले पेट्रोलियम उत्पादों की बचत के लिए कई उपाय किए थे;

(ख) यदि हां, तो मद-वार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की मांगों में हुई कमी के कारण कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत की वृद्धि में जुलाई, 1990 से कमी आई है। जुलाई-नवम्बर, 1990 में 1.5% की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में जुलाई-नवम्बर 1989 में यह वृद्धि 9.4 प्रतिशत थी।

(ग) यदि यह वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि के स्तर पर हुई होती तो जुलाई-नवम्बर, 1990 के दौरान लगभग 1.7 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों की और अधिक खपत हुई होती। विगत समय में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में काफी अधिक उतार-चढ़ाव होने की वजह से विदेशी मुद्रा की बचत का पूरी तरह से अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

विद्युत उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागेदारी

923. **श्रीमती डी० मनेम्मा :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री राजमोहन रेड्डी :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु अट्ठाईस फर्मों ने अपने प्रस्ताव पेश किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन विद्युत परियोजनाओं पर केन्द्रीय सरकार ने विचार किया है और उन्हें स्वीकृत किया है;

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र के उन संगठनों की संख्या और नाम क्या हैं जो देश में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के इच्छुक हैं;

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1990-91 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र की इन विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने की अनुमति दी जाएगी;

(च) क्या विद्युत उत्पादन क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की भागेदारी का देश के विद्युत उत्पादन स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलराव डाकणे): (क) से (छ) अनेक निजी क्षेत्र केउद्यमियों ने विद्युत परियोजनाएं प्रतिष्ठापित किए जाने के लिए इच्छा व्यक्त की है जिसकी सूची विवरण में दी गई है। विद्युत परियोजनाओं के लिए केवल 8 (आठ) व्यवहार्यता रिपोर्टें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई हैं। इनमें से 4 (चार) परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये जी० आई० पी० सी० एल० (144 मेगावाट), ए० ई० सी० ओ० (बतवा) 99 मेगावाट सी० ई० एस० सी० सदर्न जनरेटिंग स्टेशन (135 मेगावाट), ए० पी० गैस पॉवर कारपोरेशन, विजयेश्वरम् (99 मेगावाट) हैं जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। चार अन्य परियोजनाएं हैं : टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी सी० सी० जी० टी० ट्राम्बे 180 मेगावाट तथा भीरा पम्पई स्टोरेज 150 मेगावाट एवं महाराष्ट्र में बम्बई सबर्बन इलैक्ट्रिक सप्लाई क्षेत्र 500 मेगावाट और पश्चिम बंगाल कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी बज-बज 500 मेगावाट जिनकी तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है।

यह आशा की जाती है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से विद्युत उत्पादन एवं वितरण के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाये जा सकेंगे जिससे विद्युत की उपलब्धता में अभिवृद्धि होगी और विद्युत उत्पादन में कमी को यथा सम्भव पूरा किया जा सकेगा।

विवरण

ग्यारह राज्यों में निजी क्षेत्र में ताप विद्युत, कोयला, लिग्नाइट, तेल, गैस एवं जल विद्युत केन्द्रों की स्थापना के लिए अट्ठाइस फर्मों की विद्युत परियोजनाओं का विवरण

क्र० सं०	राज्य	क्षेत्र	अभिकरण	प्रकार	मे० वा०	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्थान	उत्तर क्षेत्र	सी०एस०एम० चित्तौड़गढ़	कोल	420	एफ०आर०एन०एस
2.	हिमाचल	उ० क्षेत्र	कुसम, कुसम ज० वि०	हाइडल	300	एफ०आर०एन०एस०
3.	उ० प्रदेश	उ० क्षेत्र	हिंडालको ता० वि० के०	कोल	600	एफ०आर०एन०एस०
4.	महाराष्ट्र	प० क्षेत्र	टाटा, भीरा वि० के०	हाइडल	150	अन्डर टी०ई०सी०
5.	महाराष्ट्र	प० क्षेत्र	बी०एस०ई०एस० धानू	कोल	500	अन्डर टी०ई०सी०
6.	महाराष्ट्र	प० क्षेत्र	सी०एस०सी०पी०एस०, शिप/बारज	तेल	110	एफ०आर०एन०एस०
7.	महाराष्ट्र	प० क्षेत्र	लयओडस, जी०बी०एस०	गैस	330	एफ०आर०एन०एस०
8.	महाराष्ट्र	प० क्षेत्र	नीपोन, डेन्डरो	कोल	420	एफ०आर०एन०एस०
9.	महाराष्ट्र	प० क्षेत्र	बलारपुर इंडस्ट्री	कोल	500	एफ०आर०एन०एस०
10.	महाराष्ट्र	प० क्षेत्र	टाटा ट्राम्बे	गैस	180	अन्डर टी०ई०सी०

1	2	3	4	5	6	7
11.	मध्य प्रदेश	प० क्षेत्र	मार्टिन, टी०पी०एस०	कोल	500	एफ०आर०एन०एस०
12.	गुजरात	प० क्षेत्र	एन०डी०डी०बी०,	गैस	236	एफ०आर०एन०एस०
13.	गुजरात	प० क्षेत्र	जी०आई०पी०सी०आई०, सी०सी०जी०टी०	गैस	144	टी०ई०ए०/ओ०जी०
14.	गुजरात	प० क्षेत्र	ए०ई०सी०ओ०, बटवा, सी०सी०जी०टी	गैस	99	टी०ई०ए०/ओ०जी०
15.	आ० प्रदेश	द० क्षेत्र	रिबमैन, सिल्क जी०बी०एस०	गैस	एन० आई०	एफ०आर०एन०एस०
16.	आ० प्रदेश	द० क्षेत्र	एम०एफ०पी०सी०, संचेती जी०बी०एस०	गैस	एस० आई०	एफ०आर०एन०एस०
17.	कर्नाटक	द० क्षेत्र	एल०के०पी०सी०, कोल टी०पी०एस०	कोल	250	एफ०आर०एन०एस०
18.	ता० नाडु	द० क्षेत्र	एस०ई०डी०सी०ओ०, कोल टी०पी०एस०	कोल	420	एफ०आर०एन०एस०
19.	ता० नाडु	द० क्षेत्र	जी०एम० स्वामी एंड एसोसिएट, एल०टी० पी० एस०	लिग-नाइट	210	एफ०आर०एन०एस०
20.	तमिलनाडु	द० क्षेत्र	जी०एम० स्वामी एंड एसोसिएट, एल०टी० पी०एस०	गैस	1000	एफ०आर०एन०एस०

1	2	3	4	5	6	7
21.	आंध्र प्रदेश	द० क्षेत्र	ए०पी०जी०पी०सी०, विजयवरम	गैस	99	टी०ई०ए०/जो०जी०
22.	आंध्र प्रदेश	द० क्षेत्र	ए०पी०एन०, कृष्णा गोदावरी	गैस	150	एफ०आर०एन०एस०
23.	पश्चिम बंगाल	पूर्वी क्षेत्र	सी०ई०एस०सी०, बज बज	कोल	500	अन्डर टी०ई०सी०
24.	उड़ीसा	पूर्वी क्षेत्र	इंडाल, टी०पी० एस०	कोल	67.5	एफ०आर०एन०एस०
25.	उड़ीसा	पूर्वी क्षेत्र	एच०के०पी०बी० ड्राइट्री टी०पी०एस०	कोल	260	एफ०आर०एन०एस०
26.	पश्चिम बंगाल	पूर्वी क्षेत्र	सी०ई०एस०बी०. एस० जेनरेशन स्कीम	कोल	135	टी०ई०ए०/जो०जी०
27.	एन०आई०	एन० आई०	डी०सी०एच०, कोल या गैस	एन०आई०	एन०आई०	एफ०आर०एन०एस०
28.	एन०आई०	एन०आई०	एस०एफ०बी०सी०, गैस आधारित पी०पी०	गैस	एन०आ०	एफ०आर०एन०एस०
					कुल :	8480.50

टिप्पणी : एफ०आर०एन०एस० : व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई ।
एन०आई० : उल्लेख नहीं किया गया है ।
टी०ई०जी० के अन्तर्गत : तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के अन्तर्गत ।
टी०ई०ए० : तकनीकी आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित ।
जो०जी० : निर्माणाधीन

12.00 मध्याह्न

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि लोक लेखा समिति (1986-87) के इकसठवें प्रतिवेदन के बारे में 1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 3323 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से 4 जनवरी, 1991 को एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें लोक सभा के महासचिव को कहा गया है कि वह उक्त रिट याचिका गृहीत किये जाने के विरुद्ध कारण बताने के लिए स्वयं या वकील के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हों।

सभा की सुस्थापित प्रथा और परिपाटी के अनुसार लोक सभा के महासचिव को कहा गया है कि वह इस नोटिस का प्रत्युत्तर न दें। विधि और न्याय मंत्री से अनुरोध किया जा रहा है कि वह उच्च न्यायालय को सही संवैधानिक स्थिति तथा सभा की सुस्थापित परिपाटियों की जानकारी देने के लिए ऐसी कार्यवाही करें जैसी वह उचित समझें।

— — — —

12.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता संशोधन नियम, 1990 तथा भारतीय निर्यात प्रत्यय गारंटी निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा।

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता संशोधन नियम, 1990, जो 21 जुलाई, 1990 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 426 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1993/91]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय निर्यात प्रत्यय गारंटी निगम लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय निर्यात प्रत्यय गारन्टी निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1994/91]

प्रकाशस्तम्भ (प्रक्रिया) केन्द्रीय सलाहकार समिति संशोधन नियम, 1990 तथा दिल्ली मोटर यान कराधान अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अधिसूचना आदि

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रकाशस्तम्भ अधिनियम, 1927 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रकाश-स्तम्भ (प्रक्रिया) केन्द्रीय सलाहकार समिति संशोधन नियम, 1990, जो 17 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 977(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1995/91]

(2) दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन अधिनियम, 1989 की धारा 2 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ई० सी० ई० (3)/90/टी० पी० टी०/88, जो 25 जनवरी, 1990 के दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की प्रवाही तिथि 1 फरवरी, 1990 नियत की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1996/91]

(3) दिल्ली मोटर यान कराधान अधिनियम, 1962 की धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) नियम, 1989, जो 25 जनवरी, 1990 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस. ई. सी. ई. (3)/89/टी. पी. टी./171 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (2) और (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1997/91]

(5) (एक) सीमेन्स भविष्य निधि संगठन मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सीमेन्स भविष्य निधि संगठन मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) सीमेन्स भविष्य निधि संगठन, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(छ) (एक) आयल इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आयल इण्डिया लिमिटेड का वर्ष 1999-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2007/91]

(3) लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) विवरण संख्या 26—चौदहवां सत्र, 1984 — सातवीं

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2008/91] — लोक

(दो) विवरण संख्या 16—पन्द्रहवां सत्र, 1984 — सभा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2009/91]

(तीन) विवरण संख्या 15—चौथा सत्र, 1985

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2010/91]

(चार) विवरण संख्या 29—पांचवां सत्र, 1986 — आठवीं

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2011/91] — लोक सभा

(पांच) विवरण संख्या 27—छठा सत्र, 1986

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2012/91]

(छः) विवरण संख्या 26—सातवां सत्र, 1986

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2013/91]

(सात) विवरण संख्या 26—आठवां सत्र, 1987

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2014/91]

(आठ) विवरण संख्या 23—आठवां सत्र, 1987 का दूसरा भाग

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2015/91]

(नौ) विवरण संख्या 22—नौवां सत्र, 1987

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2016/91]

(दस) विवरण संख्या 20—दसवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2017/91]

(ग्यारह) विवरण संख्या 16—ग्यारहवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2018/91]

(बारह) विवरण संख्या 13—बारहवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2019/91]

(तेरह) विवरण संख्या 12—तेरहवां सत्र, 1989

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2020/91]

(चौदह) विवरण संख्या 9—चौदहवां सत्र, 1989 आठवीं

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2021/91] लोक सभा

(पन्द्रह) विवरण संख्या 7—पहला सत्र, 1989

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2022/91]

(सोलह) विवरण संख्या 6—दूसरा सत्र, 1990 नौवीं

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2023/92] लोक सभा

(सत्रह) विवरण संख्या 2—तीसरा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2024/91]

कैंसर संस्थान, मद्रास, पास्चर इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया, कूनूर तथा हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (डा० शकीलुर्रहमान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कैंसर संस्थान, मद्रास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर संस्थान, मद्रास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2025/91]

(2) (एक) पास्चर इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया, कूनूर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पास्चर इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया, कूनूर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2026/91]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का वर्ष 1980-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2027/91]

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 188-89 और 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : श्रीमती मेनका गांधी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) (एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2028/91]

(दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) (एक) पद्मजा नायडू हिमालयन जुअलाजीकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) पद्मजा नायडू हिमालयन जुअलाजीकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2029/91]

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण विनियम, 1989; अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के 7 अगस्त, 1990 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण और एयर इंडिया, मुम्बई का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 40 के अन्तर्गत राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (विमानपत्तनों का प्रबन्ध) विनियम, 1989, जो 10 जनवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सैक० 9-2-4 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2030/91]

(2) पवन हंस लिमिटेड के वर्ष 1986-87 से 1989-90 और वायुदूत लिमिटेड के वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनें की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2031/91]

(3) राष्ट्रीय एयरलाइन्स कम्पनियों की लाभ/हानि के बारे में सर्वश्री अशोक आनन्दराव देशमुख, गोपीनाथ गजपति, गंगा चरण लोधी तथा ए० विजयराघवन, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के 7 अगस्त, 1990 को दिए गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2032/91]

(4) (एक) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा(2) के अन्तर्गत एअर इंडिया, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एअर इंडिया, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2033/91]

(5) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा(4) के अन्तर्गत एअर इण्डिया, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2034/91]

(6) (एक) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 24 की उपधारा (4) और धारा 25 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2035/91]

(7) (एक) बंगलौर में 14 फरवरी, 1990 को इंडियन एयरलाइन्स एयरबस ए-320 एयरक्राफ्ट वी० टी०-ई० पी० एन० की दुर्घटना के बारे में जांच अदालत के प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी संस्करण)

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) बंगलौर में 14 फरवरी, 1990 को इण्डियन एयरलाइन्स एयरबस ए-320 एयरक्राफ्ट वी०टी०-ई० पी० एन० की दुर्घटना के बारे में जांच अदालत के प्रतिवेदन के हिन्दी संस्करण को अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2036/91]

भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1656 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2037/91]

सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र का वर्ष 1989-90 का वार्षिक और कार्यकरण की समीक्षा तथा संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानेष गोवर्धन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी० 2038/91]

(2) (एक) संगीत नाटक अकादमी के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2039/91]

(3) (एक) विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, नागपुर के वर्ष 1989-90 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, नागपुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2040/91]

(4) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिलचर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिलचर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2041/91]

(6) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2042/91]

(8) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2043/91]

(10) (एक) शिक्षा प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षा प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2044/91]

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग एंड न्यूट्रीशन वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखती हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2045/91]

(2) (क) (एक) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 2046/91]

(दो) मुम्बई के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2046क/91]

(तीन) इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेकनोलोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, मद्रास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2047/91]

(चार) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेकनोलोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2048/91]

(पांच) इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेकनोलोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, श्रीनगर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2049/91]

(छः) इन्स्ट्रीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, अहमदाबाद के वर्ष 1988-89 वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2050/91]

(सात) इन्स्ट्रीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेकनोलोजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रीशन, बंगलौर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2051/91]

(आठ) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेकनोलोजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रीशन, भोपाल के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2052/91]

(नौ) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेकनोलोजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रीशन, भुवनेश्वर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2053/91]

(दस) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेकनोलोजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रीशन, हैदराबाद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2054/91]

(ग्यारह) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेकनोलोजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रीशन, गोवा के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2055/91]

(बारह) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेकनोलोजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रीशन, लखनऊ के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2056/91]

(तेरह) फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़ के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2057/91]

(चौदह) फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट गुवाहटी के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2058/91]

(पन्द्रह) फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ग्वालियर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2059/91]

(सोलह) फूड क्राफ्ट इंस्ट्रीट्यूट शिमला के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2060/91]

(सत्रह) फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट विशाखापटनम के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2061/91]

(अठारह) नेशनल काउंसिल फार होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेकनोलोजी, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2062/91]

(ख) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेकनोलोजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रीशन, नई दिल्ली, मुम्बई, मद्रास, कलकत्ता, श्रीनगर अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, हैदराबाद, गोवा और लखनऊ तथा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, अलीगढ़, गुवाहाटी, ग्वालियर शिमला और विशाखापत्तनम के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2063/91]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2064/91]

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2065/91]

केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2066/91]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा राष्ट्रीय सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक परिसंघ लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री अयंतीलाल वीरचन्द भाई शाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 332 (अ), जो 18 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 29 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या का०आ० 271(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(दो) का० आ० 397(अ) जो 22 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 12 फरवरी, 1990 की अधिसूचना संख्या का०आ० 140(अ) के हिन्दी संस्करण का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(तीन) का० आ० 404(अ), जो 23 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 21 अक्तूबर, 1990 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1160(अ) के अंग्रेजी संस्करण का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(चार) उर्वरक नियन्त्रण (चौथा संशोधन) आदेश, 1990, जो 31 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 675(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) का० आ० 716(अ), जो 14 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उर्वरक निरीक्षकों के रूप में कतिपय अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में है।

(छः) का० आ० 1034(अ), जो 21 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विभिन्न राज्यों के नियंत्रकों के रूप में अधिकारियों की नियुक्तियों के बारे में है।

(सात) का० आ० 2546, जो 29 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विभिन्न राज्यों के नियंत्रकों की नियुक्ति के बारे में हैं।

(आठ) का० आ० 956(अ), जो 24 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 14 सितम्बर, 1990 की अधिसूचना संख्या का० आ० 716(अ) के हिन्दी संस्करण का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(नौ) का० आ० 957(अ), जो 24 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 23 मई, 1990 की अधिसूचना संख्या का० आ० 403(अ) के हिन्दी संस्करण का शुद्धिपत्र दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2067/91]

(2) मध्य प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम, भोपाल के वर्ष 1983-84 से 1989-90 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2068/91]

(3) भारतीय राज्य फार्म निगम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2069/91]

(4) (एक) राष्ट्रीय सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक परिसंघ लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) राष्ट्रीय सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक परिसंघ लिमिटेड मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक परिसंघ लिमिटेड मुम्बई के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2070/91]

(5) राष्ट्रीय बीज निगम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2071/91]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 1988-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2072/91]

(ख) (एक) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2073/91]

(ग) (एक) असम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गुवाहटी के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गुवाहटी का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2074/91]

(7) उपर्युक्त मद संख्या (6) के (ख) और (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2073-74/91]

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त डोगरे) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2075/91]

मेंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड तथा मेटलर्जिकल एण्ड इन्जीनियरिंग कंसलटेंट (इण्डिया) के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा द्वारा समीक्षा कार्यकरण की समीक्षाएं आदि

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपसारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(क) (एक) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड) लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2076/91]

(ख) (एक) मेटेलूरजिकल एण्ड इन्जीनियरिंग कंसलटेंट (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेटेलूरजिकल एण्ड इन्जीनियरिंग कंसलटेंट (इंडिया) लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2077/91]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रेक्शन लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रेक्शन लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2078/91]

(ब) (एक) भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 2079/91]

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं श्री राम बहादुर सिंह की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं –

(1) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2080/91]

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1988-89 के प्रतिवेदन – संघ सरकार (1990 का संख्या 16) (सिविल) – ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 2081/91]

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, मंडया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड, के वर्ष 1989-90 वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री वसंत चौधरी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (क)(एक) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2082/91]

(ख) (एक) मंडया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) मंडया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2083/91]

(ग) (एक) टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2084/91]

(घ) (एक) भारत यंत्र निगम लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत यंत्र निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2085/91]

(2) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के 30 जून, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के 30 जून, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के 30 जून, 1987 और 30 जून, 1988 को समाप्त हुए वर्षों के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2086/91]

(4) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2087/91]

(6) पंजीकृत कम्पनियों के बारे में श्री काली प्रसाद पाण्डेय द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5172 के 29 मार्च, 1988 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2088/91]

(6) एक) केन्द्रीय हस्त औजार संस्थान, जालंधर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय हस्त औजार संस्थान, जालंधर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2089/91]

(8) (एक) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2090/91]

(9) (एक) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2091/91]

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा काफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं आदि

[हिन्दी]

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जातिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 16 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 929(अ) जो 4 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कतिपय वस्तुओं को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2092/91]

(2) (एक) काफी बोर्ड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) काफी बोर्ड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2093/91]

(3) (एक) रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2094/91]

(4) (एक) निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरण के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन (खंड-एक) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरण के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (खंड-एक) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2095/91]

(5) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2096/91]

(6) (एक) जेम-कूट सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) जेम-कूट सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2097/91]

हिमथ स्टेनीस्ट्रीड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट, फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट, फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2098/91]

(ख) (एक) बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड का वर्ष 1989-90 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2099/91]

(ग) (एक) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2100/91]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2101/91]

(ङ) (एक) इन्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2102/91]

— — — —

सभापति महोदय : जो मंत्री उपस्थित नहीं हो पाते, उनको लिखकर देना चाहिये।

12.03 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त हुए निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 9 जनवरी 1991 को हुई अपनी बैठक में लोक दायित्व बीमा विधेयक, 1991, जिसे लोक सभा द्वारा 7 जनवरी, 1992 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था, पर बिना कोई संशोधन किए सहमत हुई ।"

— — — —

12.05 म० प०

प्राक्कलन समिति

बारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : महोदय, मैं उद्योग मन्त्रालय—भारी इन्जीनियरी उद्योग में क्षमता से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं ।

— — — —

12.05½ म० प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

नौंवा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ठेके की शर्तों के बाहर विदेशी ठेकेदार को 89.06 लाख रुपये किए गए परिहार्य भुगतान के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का नौंवा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की उससे संबंधित बैठकों का कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं ।

— — — —

12.06 म० प०

रेल अभिसमय समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (दुर्ग) : मैं रेल अभिसमय समिति के "चल स्टाक कार्यक्रम (सवारी और माल डिब्बों की उपलब्धता)" से संबंधित 14वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

12.06½ म० प०

याचिका समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, मैं याचिका समिति की चौथी, छठी और आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

———

अध्यक्ष महोदय : श्री सूर्य नारायण सिंह।

श्री सूर्य नारायण सिंह (बलिया) : महोदय, उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रेजेन्ट करना है, सारी लाइन नहीं पढ़नी चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सूर्य नारायण सिंह, आपको पूरी याचिका नहीं पढ़नी, आप इसे प्रस्तुत कर दीजिए, इतना ही काफी है।

———

12.08 म० प०

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम में श्रमिक ठेका प्रणाली के उन्मूलन तथा बिहार, उड़ीसा आदि में पल्लेदारों को पत्तनों और पत्तन वाले नगरों में पल्लेदारों के बराबर मजदूरी देने के बारे में याचिका

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण सिंह (बलिया) : मैं, भारतीय खाद्य निगम में श्रमिक ठेका प्रणाली के उन्मूलन तथा बिहार, उड़ीसा आदि में पल्लेदारों को पत्तनों तथा पत्तन वाले नगरों में पल्लेदारों के बराबर मजदूरी आदि के संबंध के बारे में आल इण्डिया पल्लेदार (हैंडलिंग) वर्कर्स फैडरेशन के अध्यक्ष श्री के० एल० महेन्द्रा तथा महासचिव श्री अमर सिंह भाटिया तथा अन्यों नई दिल्ली, द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

———

12.09 ब० प०

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा कराधान के बारे में "फाइनेंशियल टाइम्स, लंदन" को दिए गए साक्षात्कार के बारे में

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दंडवते।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ने इस सभा में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि···(व्यवधान) महोदय, क्या मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अवश्य मेरा ध्यान आकृष्ट करिये और मैंने आपको बुलाया है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उस दिन प्रधान मन्त्री ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि फाइनेंशियल टाइम्स, लन्दन में छपे डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के साक्षात्कार के बारे में रिपोर्ट···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह समाप्त हो चुका है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्योंकि प्रधानमन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि ऐसा कोई साक्षात्कार नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने फाइनेंसियल टाइम्स, लन्दन के संपादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी है क्योंकि यह गंभीर मामला है। यदि साक्षात्कार बिल्कुल भी नहीं हुआ और प्रधानमन्त्री कहते हैं कि डा० स्वामी की सूचना के आधार पर ही वह सभा को सूचित कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में फाइनेंसियल टाइम्स, लन्दन के संपादक की यह भारी भूल है। इसलिए मैंने नियम 223 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की सूचना दी है। नियम 222 के अन्तर्गत, मैंने फाइनेंसियल टाइम्स के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए आपकी अनुमति मांगी है। महोदय, यह सभा प्रधानमन्त्री तथा विधि मन्त्री की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसलिए, मुझे यह प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आठ तारीख को नियम 223 के अन्तर्गत फाइनेंशियल टाइम्स के लन्दन के जो एडीटर हैं, उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के बारे में प्रिविलेज मोशन आपको दिया है ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रिविलेज मोशन को इजाजत नहीं दी है, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भी बात सुनूंगा, श्री कुमारमंगलम।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मामला उसी वक्त समाप्त कर दिया गया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह मामला समाप्त कर दिया है, मेडम आप तो जानती हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुभाविनी अली (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने फाइनेंसियल टाइम्स में 27-12-1990 को छपे साक्षात्कार के बारे में मामला उठाया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी आप बैठ जायें, मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव को इजाजत नहीं दी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती सुभाविनी अली : अध्यक्ष महोदय, मैंने 27-12-1990 को प्रकाशित साक्षात्कार के संबंध में एक मुद्दा सदन में उठाया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, वह मुद्दा समाप्त हो चुका है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुभाविनी अली : कृपया मेरी बातों को सुनें। प्रधान मंत्री ने कहा कि साक्षात्कार तथा समाचारपत्र में जो कुछ प्रकाशित हुआ सही नहीं था। वे सब झूठ थे। बाद में, दिल्ली स्थित श्री फाइनेंसियल टाइम्स संवाददाता श्री डेविड हाउसगो ने भारत के दो प्रसिद्ध दैनिक समाचारपत्रों को दिए गए अपने साक्षात्कार में कहा है कि जो कुछ प्रकाशित हुआ वह पूर्णतया सही है वह अपनी रिपोर्ट पर अडिग हैं। यह एक बहुत ही गम्भीर स्थिति है। लेकिन प्रधानमन्त्री अपने सहयोगी के बचाव में कहते हैं कि समाचारपत्र में जो कुछ प्रकाशित हुआ है गलत है जबकि संबंधित समाचारपत्र के संवाददाता का कहना है कि प्रकाशित समाचार पूर्णतया सही है। (व्यवधान) यह एक विशिष्ट साक्षात्कार का विशिष्ट मामला है। (व्यवधान) संवाददाता अपने विवरण पर अडिग है। इस सन्दर्भ में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप संबंधित मंत्री, डा० स्वामी को बुलाकर यह कहने को कहें कि उन्होंने संवाददाता से क्या कहा और क्या नहीं। क्या यह सच है या गलत ? (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : हमने भी इस समाचार पत्र, संपादक तथा संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचनाएं दी थीं मैं नहीं जानता कि उन सूचनाओं का क्या हुआ। इस संबंध में आपने हमें कुछ भी सूचित नहीं किया। यहां एक समाचार पत्र ने मंत्री महोदय के मुंह से सरकारी नीतियों के बारे में अनेक टिप्पणियां बदलवाई है जिन्हें बाद में प्रधान मन्त्री ने सभा में बिल्कुल असत्य बताया है और कहा है कि ऐसा कभी नहीं कहा गया। उन्होंने सभा में ऐसा कहा है। आपने उन्हें ऐसा कहते हुए सुना होगा कि यह रिपोर्ट गलत है। इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन फिर भी समाचार-पत्र ने मंत्री महोदय द्वारा दिये गए सभी उद्धरणों के सही होने का दावा किया है। यदि समाचारपत्र ने कोई मनगढंत बात कही है और तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया है तो उनकी खिंचाई की जानी चाहिए। वे इस तरह से सभा के विशेषाधिकार का हनन नहीं कर सकते (व्यवधान) कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख सकता और इससे साफ मुकर सकता है ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गोपाल सिंह मक्कासर (बीकानेर)। वे ऐसे ही गलतबयानी करते रहेंगे तो फिर आगे क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय। आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुभाषिनी अली, आपको आपस में बोलने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, जब यहां सभा में यह कहा गया कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने सभा में यह कहा था कि आयात शुल्क बबराहट में लगाया गया था और इसे वापस लिया जाएगा तो मंत्री महोदय ने कहा था "यह बिल्कुल असत्य है। यह लोक सभा के ही कार्यवाही वृतान्त के अनुसार है (व्यवधान) तत्पश्चात माननीय प्रधान मंत्री ने यहां तक कहा कि मंत्री महोदय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, किसी भी मामले में ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया है (व्यवधान) मैंने दि फाइनेंसियल टाइम्स और दि फाइनेंसियल टाइम्स के संवाददाता से इसकी पुष्टि की है। मैंने इस सम्बन्ध में आपको लिखा भी है। दि फाइनेंसियल टाइम्स के संवाददाता ने स्पष्ट तौर पर मुझे सूचित किया है कि ऐसा साक्षात्कार दिया गया है और मंत्री महोदय ने 'घबराहट में' शब्दों का प्रयोग किया और मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण मिलने के पश्चात वह सभी ऐसी शुल्कों को रद्द करवा देंगे तथा अन्ततः दि फाइनेंसियल टाइम्स के दिल्ली स्थित संवाद-दाता ने निश्चयपूर्वक और स्पष्ट रूप से कहा है कि दि फाइनेंसियल टाइम्स अपनी रिपोर्ट पर पूर्णतया अडिग है। माननीय प्रधान मन्त्री ने उस अवसर पर बोलते हुए कहा था कि सदस्यगण तथ्यों का सत्यापन किए बिना समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों पर अनावश्यक रूप से विश्वास कर लेते हैं। (व्यवधान) यह एक बहुत ही विलक्षण स्थिति है। (व्यवधान) देश के प्रधानमन्त्री ने एक वक्तव्य का खंडन किया है। लंदन का दि फाइनेंसियल टाइम्स इस पर अडिग है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री के कहने के बाद अब कुछ बाकी नहीं रह जाता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : मैं चाहता हूं कि स्वयं मंत्री महोदय प्रत्युत्तर दें। यह एक आह्वान की बात है। प्रधान मन्त्री कह रहे थे कि उन्हें मंत्री महोदय द्वारा सूचित किया गया था। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि यह उनका वक्तव्य था। अन्यथा उन्हें ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : किसी भी मंत्री को जाने या अनजाने में सभा का उपहास उड़ाने के लिए आह्वान नहीं करना चाहिए। यह एक बहुत गंभीर मामला है। किसी को यह मामला स्पष्ट करना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वसन्त साठे।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, ऐसे मामले में किसी माननीय मंत्री द्वारा किसी समाचार पत्र में कही गई किसी बात के बारे में सभा कुछ भी सोच सकती है। परन्तु हमारा विश्वास है कि प्रधान मंत्री इस सभा के और इस देश के नेता हैं। क्या हमारा यह कहना है कि फाइनेंसियल एक्सप्रेस के संवाददाता द्वारा पुनः पुष्टि करने के पश्चात हम प्रधानमन्त्री का विश्वास नहीं करते हैं···(व्यवधान) जहां तक हम संसद सदस्यों का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि प्रधान मन्त्री द्वारा अपने सहयोगी द्वारा कही गई बात की जिम्मेवारी लेने और यह कहने के पश्चात भी कि उन्हें अपने सहयोगी में विश्वास है और फाइनेंसिएल एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार झूठा है, यदि हम प्रधान मन्त्री का विश्वास नहीं करते तो फिर हमें प्रधान मन्त्री के विरुद्ध प्रस्ताव पेश कर देना चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : हम प्रधान मन्त्री पर विश्वास करते हैं, मन्त्री महोदय पर नहीं। (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : हम एक ही सदन से यह नहीं कह सकते कि हम प्रधान मन्त्री पर विश्वास करते हैं और फिर भी हम यह चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए। जब एक बार प्रधान मंत्री पर विश्वास कर लिया तो फिर प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा वह अन्तिम है और मामला समाप्त हो जाता है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : साठे जी, मैं प्रधान मन्त्री के कथन से सहमत हूं। हम प्रधानमन्त्री की बात स्वीकार करते हैं। परन्तु विशेषाधिकार प्रस्ताव फाइनेंसिएल एक्सप्रेस के विरुद्ध है। ···(व्यवधान)··· हम प्रधानमन्त्री का कथन स्वीकार करते हैं और इसीलिए मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना फाइनेंसियल एक्सप्रेस के विरुद्ध दी है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरा तो एक ही निवेदन है कि मैंने अण्डर 223 में जो

दिया है, उसके बाद जैसा भी कहा गया, मेरा तो साफ कहना है कि अगर कोई और मिनिस्टर होता और उसके बारे में प्रधान मन्त्री कहते तो मान लेते जिस ढंग की भाषा फाइनेंसियल एक्सप्रेस में छपी है वह भाषा केवल इन्हीं की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती है। डा० स्वामी ने उस भाषा का उपयोग किया है जिस तरह की भाषा ये बोलते हैं। मेरा निवेदन है कि फाइनेंसियल एक्सप्रेस के कारस्पोंडेंट के बाद या तो डा० स्वामी यहां पर अपना स्पष्टीकरण दें कि वह क्या है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मैरिट पर न जाईये।

श्री मदन लाल खुराना : उसमें डा० स्वामी ने कहा कि राजीव गांधी और चन्द्रशेखर को नजदीक लाया हूं। यह आमतौर पर वे कहते रहते हैं कि चन्द्रशेखर और राजीव गांधी को मैं ही नजदीक ले आया हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसन्त साठे : कृपया विषय से बाहर चर्चा करके सभा का समय बर्बाद न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। श्री सैफुद्दीन चौधरी। ...मैंने श्री चौधरी को बोलने की अनुमति है। तत्पश्चात मैं इस मुद्दे का समाधान करूंगा। कृपया बैठ जाएं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, हमें प्रधान मंत्री के वक्तव्य की सत्यता पर सन्देह नहीं करना चाहिए।...(व्यवधान) परन्तु फाइनेंशियल एक्सप्रैस के संवाददाता ने इस बात को दोहराया है कि उसने जो कुछ कहा है वह उस पर अडिग है। यह बात प्रधान मंत्री के वक्तव्य को दी गई चुनौती है और इससे यह मुद्दा सभा में फिर से उठाया गया है। अतः इस मामले में पूरी ईमानदारी से, प्रो० दण्डवते और श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा समाचार-पत्र के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर और आगे कुछ बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभा में प्रधान मंत्री के खण्डन के पश्चात मैं मामले को समाप्त हुआ मानता हूं। सभा इस बात को स्वीकार करे।

श्री बसन्त साठे (वर्धा) : मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। इसका सम्बन्ध पूरे देश से है।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्य को अपने संसदीय दायित्व का निर्वहन करने से रोका गया। मैं अपने निवास साउथ अवेन्यू से विजय चौक होते हुए संसद में आ रहा था। अध्यक्ष

महोदय, जब मैं आ रहा था तो मुझे वहां पर एक पुलिस अधिकारी ने जोकि तीन सितारा थे, उन्होंने रोका। मैंने कहा कि मुझे संसद में 10 बजे से पहले नोटिस देना है और मुझे कृपा करके जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाने देते। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात हो गई जिसके कारण आप नहीं जाने देते ? उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते। मैंने कहा कि मैं संसद सदस्य हूं और मुझे आवश्यक नोटिस देना है जिसके लिए मुझे 10 बजे से पहले जाना है। कृपा करके मुझे जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर आपको जाना है तो दूसरे रास्ते से जाइए। उस तीन सितारा अधिकारी ने यह भी कहा कि हम तुमको सबक सिखा देंगे, तुम अपने आपको संसद सदस्य बताते हो। इस प्रकार मुझे मेरे कर्त्तव्य पालन में बाधा पहुंचाई गई है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय कुमार मल्होत्रा।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : गृह मंत्रालय की कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग थी। वह 11 बजे खत्म हुई और मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि मुझे 11 बजे हाउस में जाना है, 11 बजे प्रश्नोत्तरकाल शुरू हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : किससे कहा आपने ?

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यहां पर जो पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि वी० आई० पी० मूवमेंट हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर को जाना है इसलिये आप नहीं जा सकते।

अध्यक्ष जी, अगर प्राइम मिनिस्टर को कहीं जाना है तो मीटिंग जल्दी खत्म कराएं। यह नहीं हो सकता कि सब मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट को रोक दिया जाये और वे यहां पहुंच ही न सकें और वी० आई० पी० मूवमेंट की वजह से मेम्बर्स पार्लियामेंट में न आ सकें। अध्यक्ष जी, इससे हमारे संसद के प्रति कर्त्तव्य में बाधा पहुंचती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, भगत जी इसी विषय पर बोलने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भगत जी इसी पर बोलेंगे। आप बैठिए। यह सारे संसद सदस्यों के अधिकार का सवाल है। आप सुनिए तो। ये भी पुलिस के बारे में कह रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इससे कोई लाभ प्राप्त करना नहीं चाहता क्योंकि मैं सत्ता पक्ष के साथ बैठा हूं अथवा हम उनका समर्थन कर रहे हैं। हम कोई अनुग्रह नहीं चाहते। मैं आपके

माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि हमने दिल्ली में कीमतों में हो रही वृद्धि के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया था और उस रास्ते में···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात सुनने दीजिए । असहनशील न होएं ।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, उस रास्ते से भारतीय जनता पार्टी की रैली सहित अनेक रैलियों को गुजरने की अनुमति दी गई थी । हमें भी रैली निकालने के लिए कहा गया था। पुलिस हमारी रैली के आगे-आगे गयी और हम इसके पीछे थे । इसके पश्चात केवल कांग्रेस के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया । (व्यवधान)

मैं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध शिकायत नहीं कर रहा हूं । मुझे प्रसन्नता है कि पुलिस ने उन्हें रैली निकालने की अनुमति दी । मेरी आपत्ति यह है कि पुलिस ने उन्हें जाने दिया । उन्हें गुजरने दिया और उनके विरुद्ध मामला दर्ज नहीं किया परन्तु दिल्ली पुलिस ने यह रवैया अख्तियार किया और कांग्रेस दल के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया । मैं निवेदन करता हूं कि मामला वापस लिया जाना चाहिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा हूं कि जटिया साहब, आपकी जो समस्या है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए । कुमारमंगलम जी इसी मैटर पर बोल रहे हैं ।

[अनुवाद]

श्री कुमारमंगलम उसी मुद्दे पर बोल रहे हैं ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब संसद सदस्यों को 10 बजे नोटिस देने होते हैं अथवा 11 बजे संसद भवन पहुंचना होता है तो वे देखते हैं कि अति विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर पुलिस कारों और अन्य वाहनों को रोक देती है । मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर मामला है और इसकी जांच की जानी चाहिए । यह इस प्रकार नहीं छोड़ा जा सकता अन्यथा अनेक अन्य नामों के नाम पर संसद सदस्यों को रोका जायेगा और हमारे अधिकारों और विशेषाधिकारों का हनन होगा । यही समय है कि सभा इस पर गम्भीरता से विचार करे अन्यथा संसद सदस्य अपना कार्य नहीं कर सकते । हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वह इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भी इसी प्वाइन्ट पर बोलना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने बोल तो दिया, अब क्या रह गया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसी बात पर बोल रहे हैं क्या । आप बैठिए ।

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : अध्यक्ष जी, मुझे पुलिस वालों ने तीन जगह रोका और मुझसे कहा गया कि इधर से नहीं जा सकते।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। बस काफी हो गया। आप ही चिन्तित नहीं है। सब चिन्तित हैं।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर : घण्टों तक रास्तों को रोके रखना, सड़कों को रोकना, पार्लियामेंट के मैम्बर्स को पार्लियामेंट में न आने देना क्या यह एक समाजवादी प्रधानमंत्री को शोभा देता है। आखिरकर मामला क्या है यह। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, उसके बावजूद हम लोगों को घण्टों तक रोके रखना, पार्लियामेंट में नहीं आने दिया जाता, आखिर किस बात के लिये आप सड़कों को रोकते हैं, किस अधिकार के तहत आप रोकते हैं। हमने देखा है कि ये ही समाजवादी प्रधानमंत्री जब सत्ता में नहीं थे तो जनता के बीच पैदल चल कर जाते थे, आज वे ही सत्ता में आने के बाद, मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में आने से रोक रहे हैं। आखिर किस बात के लिये हमारा रास्ता रोका जाता है। आखिरकार कोई तो व्यवस्था होगी, आप हमें बताइये।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। अटिया जी आपको जो समस्या है, यह सब घटना ऐसी है...

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मुझे भी अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट असैम्बली के बाहर रोका गया, जानते हुये, मुझे लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वी० आई० पी० ट्रीटमेंट के कारण मुझे वहां रोक दिया गया।

अध्यक्ष महोदय। आप बैठिये, नाथू सिंह जी, आप बैठिये।

श्री कालका दास (करोल बाग) अध्यक्ष जी, यह हमारी प्रोटैक्शन का मामला है, हमारी इम्यूनिटी पर रोक लगायी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। मेरा कहना है कि बार-बार कहने की क्या जरूरत है। क्या आप भी इसी पर बोलना चाहते हैं। ठीक, दिनेश सिंह जी। जोशी जी, आप बैठिये। श्री दिनेश सिंह।

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्यों को सदन आते हुए और स्वयं सदन में भी अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, इस बारे में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यहां उठाया गया है। महोदय, मुझे एक अवसर की याद है और मैं समझता हूं कि आप भी उस समय सदन में उपस्थित थे। उस समय श्री लोहिया ने यह मामला उठाया था कि जब वे संसद में प्रवेश कर रहे थे तो प्रधान मंत्री की कार बाहर जा रही थी और उन्हें रोक दिया गया। तब प्रधान मंत्री जी ने सभा में खड़े होकर उनसे क्षमा मांगी थी और उन्हें बताया कि सभा में सभी सदस्य समान है और प्रधान मंत्री किसी अन्य सदस्य पर अपने विशेषाधिकार का दावा नहीं करेगा।

श्री ए० अशोक राज (पैरम्बलूर) : तमिलनाडु की सरकार और 'लिट्टे' के बीच घनिष्ठ संपर्क हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर जाइये।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैंने माननीय सदस्यों को सुना है। मैं प्रधानमन्त्री जी को सभी बातों से अवगत करा दूंगा। मैं समझता हूं कि प्रधानमन्त्री इन सभी बातों का उत्तर देंगे। (व्यवधान)

श्री कावम्बुर एम० आर० जनार्दनन : अध्यक्ष महोदय, आप कृपा करके इस समाचार को देखिए। तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री प्रधानमन्त्री के वक्तव्य की खिल्ली उड़ा रहे हैं और वह यह कह रहे हैं और यह एक नई कल्पना है।...(व्यवधान)

श्रीएच० के० एल० भगत : यह केवल तमिलनाडु के संसद-सदस्यों की ही भावना नहीं है अपितु यह सारी कांग्रेस पार्टी की भावना है।

श्री कावम्बुर एम० आर० जनार्दनन : हम यह कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में जवाब देना चाहिए। असम के पुलिस अधीक्षक के हत्यारे श्री पवन बरुआ को बल्लोर के हस्पताल से जाया गया है। (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमन्त्री को माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत करा दूंगा। (व्यवधान)

श्री कावम्बुर एम० आर० जनार्दनन : यह एक राष्ट्र विरोधी सरकार है ...(व्यवधान)

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : हर चाहते हैं कि प्रधानमन्त्री यहां उपस्थित हों। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हम चाहते हैं कि प्रधानमन्त्री जी यहां उपस्थित हों। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री ने आपको बताया है कि वह इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री को अवगत करा देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें दिक्कत क्या है ?

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : करुणानिधि सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। आप कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या अपने स्थान पर बैठेंगे ? प्रधानमन्त्री जी यहां उपस्थित हैं। यदि वह जवाब देना चाहते हैं तो वह···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। श्री दिनेश सिंह जी, आप बोलिए।

श्री दिनेश सिंह(प्रतापगढ़) : महोदय, आपको याद होगा कि उस दिन मैंने यह मामला उठाया था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम धन (लाल गंज) : ये वहां की सरकार को गिराने की साजिश है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह : महोदय, आपको याद होगा कि मैंने अन्य दिन तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम की सरकार के बारे में यह प्रश्न उठाया था। प्रधानमन्त्री ने पहले ही वक्तव्य दिये हैं जिनमें यह कहा गया है कि 'उल्फा' और 'लिट्टे' के बीच सांठ-गांठ है और 'उल्फा' विद्रोहियों को तमिलनाडु में 'लिट्टे' द्वारा प्रशिक्षण मिल रहा है। यह एक गम्भीर मामला है यहां लिट्टे नाम की एक विदेशी एजेंसी है, जो हमारे लोगों को प्रशिक्षण दे रही है, उन्हें बागी बनाने के लिए प्रशिक्षण दे रही है। यह साधारण मामला नहीं है। यदि सरकार को यह मालूम है अर्थात विदेशी एजेंसी और राज्य में हमारे विद्रोहियों के बीच कोई सांठ-गांठ है तो राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। राज्य सरकार कानून और व्यवस्था बनाये रखने में, संविधान के अधीन कार्य करने में सक्षम नहीं है और इसलिए इसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। (व्यवधान)

अब यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा दी गई जानकारी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। श्रीमान कुप्पुस्वामी जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान बनातवाला जी, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय। मैं सदस्यों से कहूंगा कि वह स्पीकर को एड्रेस करके बोलें।

[अनुवाद]

कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि वे एक-दूसरे से बात-चीत न करें।

(व्यवधान)

श्री विनेश सिंह : यह भी कहा गया है कि इस मामले के बारे में राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सूचना लिट्टे को दी जा रही है। यह और भी गंभीर स्थिति है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त करने में क्या कठिनाई है ? (व्यवधान)

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन : मुझे बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।··· (व्यवधान)

श्री आर० मुथिया (पेरियाकुलम) : किसी ने हैडफोन हम पर फेंका है।

डा० तम्बि दुरै (करूर) : किसी से यह हैडफोन फेंका हैं। सभा की कार्यवाही का संचालन ऐसा ही होता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री तम्बि दुरै, क्या कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? श्री बसुदेव आचार्य क्या आप कृपया अपनी स्थान ग्रहण करेंगे ? क्या कृपया आप भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हैडफोन जो माननीय सदस्य के ऊपर फैंका गया है, यह खराब बात है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप परेशानी को ओर भी बढ़ा रहे हैं। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सूर्य नारायण यादव क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

[हिन्दी]

आप बैठ जाएं। मैं देख रहा हूं, वह भी कह रहे हैं कि फैंका है। बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को अपनी बात कहने की अनुमति दे रहा हूं। प्रधानमन्त्री जी आ गए हैं। इस प्रकार से यह···फेंकना माननीय सदस्यों को शोभा नहीं देता। किसी ने यह फैंका है। श्री नीतीश कुमार ने भी यह दिखाया है।

[हिन्दी]

जो भी इस काम को कर रहा है।

[अनुवाद]

इस प्रकार के काम करना संसद सदस्यों के लिए शोभा नहीं देता। मुझे नहीं पता कि यह किसने किया है। परन्तु जिन्होंने भी ऐसा किया है, जो ऐसा कर रहे हैं उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री जनार्दनन, अध्यक्ष को सम्बोधित करने की बजाय आप उनको सम्बोधित कर रहे हैं तथा वे भी आपको सम्बोधित कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं ? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में सबको उन लोगों की भर्त्सना करनी चाहिए जो ऐसा काम कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश सिंह जी ने जो भी विचार व्यक्त किए हैं मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। सामान्य सी बात यह है कि इस बात का सबूत है कि प्रधानमन्त्री ने यह कहा है कि उल्फा तथा लिट्टे के बीच कोई संपर्क है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है तथा यह एक ऐसा मामला है जिसमें दलगत तथा राजनैतिक हैसियत नहीं आते हैं क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है।

इससे सम्बन्धित दो पहलू और हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। उल्फा एक स्वयं घोषित विद्रोही संगठन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अलगाववादी।

श्री जसवन्त सिंह : हां, अलगाववादी; खुले रूप से, प्रकट रूप में, घोषित रूप में अलगाववादी। चूंकि हम इसके पश्चात असम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं इसीलिए मैं उल्फा की गतिविधियों के सम्बन्ध में बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता। लिट्टे के कारण हमने भारत में बहुत नुकसान उठाया है। यदि सरकार तथा प्रधान मन्त्री ने यह कहा है कि उल्फा तथा लिट्टे के बीच कोई संधि है, दूसरे यदि यह समाचार मिला है कि उल्फा कैम्पों पर छापों में कागजात बरामद हुए हैं तथा तीसरे यदि यह है कि उल्फा के शीर्ष नेता पवन बरुआ – पवन जिनका छद्म नाम है—ने वेल्लोर अस्पताल में शरण ली थी उन्होंने वेल्लोर अस्पताल में शरण ली थी या उपचार के लिए वहां गये थे हमें नहीं पता। (व्यवधान)

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन : उन्होंने शरण ली थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान ग्रहण करें। आप कागजों को इस तरह से क्यों दिखा रहे हैं ? माननीय सदस्य निवेदन कर रहे हैं। आपको उनकी बातें सुननी चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह : यदि केन्द्रीय सरकार के पास इसकी सूचना थी कि पवन बरुआ ने वेल्लोर अस्पताल में शरण ली अथवा वेल्लोर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, तो यह हम सभी के लिए चिंता की बात है—फिर चाहे यह सरकार हो या पिछली सरकार—उसने इस संबंध में क्या किया ?

मैं माननीय प्रधानमन्त्री से अन्त में यह अनुरोध करता हूं कि सरकारों को बर्खास्त करने के विवाद में पड़ने के बजाय, राष्ट्रीय को खतरा होने की स्थिति में केन्द्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को निदेश जारी कर सकती है। यदि केन्द्र सरकार के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मसला है तो केन्द्र सरकार तथा प्रधानमन्त्री से मैं अनुरोध करता हूं कि सम्बन्धित सरकार को निदेश जारी किये जाएं जो इस मामले में तमिलनाडु सरकार है। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार का यह दायित्व तथा कर्त्तव्य है कि वह तमिलनाडु सरकार को इस आशय के निदेश जारी करे कि जहां तक 'लिट्टे' की गतिविधियों या 'उल्फा' और 'लिट्टे' के बीच साठ-गांठ का सम्बन्ध है, तमिलनाडु सरकार अमुक पांच या सात कदम, एक निश्चित समयावधि के अन्तर्गत उठाये क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। केन्द्र सरकार तमिलनाडु सरकार को अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत इस आशय के निदेश जारी कर सकती है।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : लेकिन वे इस पर ध्यान नहीं देते। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मेरे माननीय मित्र, मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं क्योंकि उन्होंने यह मुद्दा उठाया है। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि तमिलनाडु सरकार ने निदेशों का उल्लंघन किया है। (व्यवधान) चूंकि यह प्रश्न उठाया गया है और माननीय श्री वसंत साठे का यह कहना है कि निदेश जारी किये गये हैं और राज्य सरकार न केवल निदेशों का पालन ही नहीं कर रही है अपितु वह उन निदेशों का उल्लंघन भी कर रही है ··(व्यवधान) संविधान में यह उपबंध है कि यदि अनुच्छेद 246 का उल्लंघन किया गया तो अनुच्छेद 356 का उपयोग किया जा सकता है। मैं प्रधानमन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि वे कौन से निदेश है जो जारी किये गये हैं तथा किन निदेशों का उल्लंघन किया गया तथा संविधान को पूरी तरह शून्य कैसे बनाया जा सकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमन्त्री की बात सुनिये।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपको हमारी बात भी सुननी चाहिए। उनकी बात सुनने के बाद आप हमारी बात भी सुनें।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, यह एक वाद-विवाद बनता जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : जब आपने अन्य लोगों को बोलने की अनुमति दी है, तो कृपया हमें भी इसकी अनुमति दें। (व्यवधान)

श्री काव्वुर एम० आर० जनार्दनन : कृपया हमें भी बोलने की अनुमति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दनन जी, आपको बोलने की अनुमति दी जा चुकी है। अब आप क्यों व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। श्री कुमारमंगलम और श्री दिनेश जी इस विषय पर विशिष्ट रूप से बोले थे। अब मैं श्री आचार्य जी को बोलने के लिए आमन्त्रित करता हूं।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, 'उल्फा' और 'लिट्टे' के बीच साठ-गांठ का मामला एक गम्भीर बात है। इस सभा में हम सभी इस बात से सहमत हैं कि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है··· (व्यवधान) इसका समाधान किया जाना चाहिए। महोदय, इस सम्बन्ध में आप हमारी और वामपंथी

दलों के विचारों से अवगत हैं। हम इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। इस मामले का समाधान राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को एक साथ मिलकर करना चाहिए। हमें इसकी जानकारी नहीं है कि वर्तमान सरकार द्वारा इस दिशा में क्या निर्देश जारी किये गये तथा निर्देशों को कैसे उल्लंघन किया गया। प्रधानमन्त्री ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार के निर्देश का उल्लंघन किया है। वे राज्य सरकार द्वारा 'लिट्टे' के मुद्दे से निपटने की आलोचना कर सकते हैं। हमारे विचार से इस मुद्दे का केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मिलकर समाधान किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन : महोदय, वह गम्भीर बातों को हल्के तौर पर ले रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दनन जी, आप व्यवधान क्यों पैदा कर रहे हैं ?

श्री वसुदेव आचार्य : ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा अस्थिरता की स्थिति पैदा करने जैसा मुद्दा नहीं उठाया जाना चाहिए। यहां आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकार के हाथों को कैसे मजबूत किया जाय जिससे कि वह सरकार ढंग से स्थिति का सामना कर सके...(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी निवेदन कर रहे हैं। कृपया उन्हें बाधा न डालें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : हमें इसकी जानकारी है कि अन्नाद्रमुक मुनेत्र कषगम दल ने इस अवधारणा को समर्थन देने के लिए यह एक शर्त रखी है...(व्यवधान)

श्री कादम्बुर एम०आर० जनार्दनन : इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए...(व्यवधान)। वह बात के महत्व को कम कर रहे हैं तथा उससे हट रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? मैं श्री तम्बि दुरै को बाद में बुलाऊंगा।

श्री वसुदेव आचार्य : वह खालिस्तान के उग्रवादियों से वार्ता कर रहे हैं। हमने अपने जिला पुरुलिया में अनुभव किया है कि इन उग्रवादियों ने कल और परसों क्या किया है। उन्हें खालिस्तान के उग्रवादियों से वार्ता किये जाने पर प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। धनबाद में उन्होंने क्या किया ? उन्होंने धनबाद के पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दी। वे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री वसुदेव आचार्य : इसे राज्य सरकार को गिराने का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। अब जो बात आवश्यक है, वह यह है कि केन्द्रीय सरकार पूरा समर्थन दे ताकि तमिलनाडु सरकार इस एल० टी० टी० ई० मुद्दे का समाधान कुशलतापूर्वक निकाल सके। (व्यवधान)

1.00 म० प०

डा० तम्बि दुरै : सर्वप्रथम मैं श्री आचार्य द्वारा लगाये गये इस आरोप को पूरी तरह अस्वीकार करता हूं कि हमने इस सरकार को इस शर्त पर समर्थन दिया है कि डी० एम० के० सरकार गिराई जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

डा० तम्बि दुरै : जब हमारे दल के खिलाफ आरोप लगाया जाता है तो मेरा कर्त्तव्य है कि मैं उसका खंडन करूं क्योंकि हम इस सरकार को इस शर्त पर समर्थन नहीं दे रहे हैं कि वह डी०एम०के० सरकार को गिराये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। वे बोल रहे हैं। इसमें बाधा न डालें। श्री विप्लव, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री विप्लव, आपको सहनशील होना चाहिए।

डा० तम्बि दुरै : मार्क्सवादी सदस्यों सहित प्रत्येक सदस्य तमिलनाडु में एल०टी०टी०ई० की गतिविधियों और 'उल्फा' के साथ उनके सम्बन्धों एवं वे किस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं आदि से चिन्तित हैं। जब प्रधानमन्त्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि तमिलनाडु में एल० टी० टी० ई० और 'उल्फा' की गतिविधियों एवं प्रशिक्षण शिविरों के बीच सम्बन्ध हैं तो तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री ने उनके वक्तव्य का उपहास किया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमन्त्री ने यह नई बात गढ़ी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री करुणानिधि की बात ठीक है अथवा प्रधानमन्त्री की जैसा कि हमारे सदस्यों ने कहा है, चूंकि डी०एम०के० सरकार ने केन्द्रीय सरकार के निदेशों का उल्लंघन किया है, को केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है कि वह अनुच्छेद 356 का प्रयोग करे और डी०एम०के० सरकार को बर्खास्त करे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

डा० तम्बि दुरै : आठवीं लोक सभा में भी हमारे वामपंथी मित्रों सहित सदन के सभी वर्गों ने एल०टी०टी०ई० की गतिविधियों के प्रति अपनी चिन्ता अभिव्यक्त की थी। कोई भी उस बात से इन्कार नहीं करता है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अब अपनी बात समाप्त करेंगे ? आप उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

डा० तम्बि दुरै : श्री वी० पी० सिंह की सरकार के कार्यकाल के दौरान जब भारतीय शान्ति सेना श्री लंका से वापस आई थी तो उस समय मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे तमिलों के हत्यारे हैं। क्या इससे हमारे देश का अपमान नहीं होता ? जब हमारे अनेक सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी तो क्या यही तरीका है कि एक मुख्यमंत्री ऐसा वक्तव्य दे ? मैंने इस मामले को उस समय भी उठाया था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय के सम्पूर्ण क्षेत्र पर प्रकाश न डालें।

डा० तम्बि दुरै : मुख्य मंत्री ने हमेशा केन्द्रीय सरकार के निदेशों का उल्लंघन किया है। सम्पूर्ण तमिलनाडु केन्द्रीय सरकार से आशा करता है कि वह डी०एम०के० सरकार को बर्खास्त करें।

[हिन्दी]

श्री के० सी० त्यागी (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री कुमार-मंगलम साहब ने बहुत गंभीर मसला उठाया है। पिछले दस पन्द्रह वर्षों से इस देश की एकता और अखंडता के साथ कुछ विदेशी शक्तियां साजिश के तहत यहां की अलगाववादी शक्तियों को पनाह दे रही है। यह एक दो दिन का मामला नहीं है। इससे पहले त्रिपुरा के अन्दर जब वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी तो वहां भी इस तरह की अलगाववादी शक्तियों को इन लोगों ने हवा देने का काम किया था···(व्यवधान) उसके बाद पश्चिम बंगाल में श्री ज्योति बसु के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। उनको भी अस्थिर करने का काम कुछ विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर देशी ताकतों ने किया था। इसी तरह का अलगाव पंजाब और जम्मू-कश्मीर के अन्दर हुआ था. मैं यह कहना चाहता हूं कि कुमारमंगलम साहब ने जो सवाल उठाया है, यह कोई मामूली सवाल नहीं है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि खुली बहस करें तो अच्छा होगा। उल्फा और एल० टी० टी० इ० की गतिविधियों के बारे में जो सवाल उठाया है, वह देश की एकता और अखण्डता से जुड़ा हुआ सवाल है। पूरे सदन को विश्वास में लें और खुली बहस करें। मैं चाहता हूं कि आप अवश्य समय देंगे। जबसे हमारे बड़े भाई श्री चन्द्र शेखर जी देश के प्रधान मन्त्री बने तो खासकर तमिलनाडु की सरकार को गिराने का एक प्रयास है समाचार पत्रों के जरिए किया जा रहा है। जो तथ्य हैं उनको सामने रख रहा हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी बहुत व्यवहार कुशल प्रधान मन्त्री हैं। वे तमिलनाडु की यात्रा पर गए और शिष्टाचार के नाते वे जयललिता को मिलने के लिए गए और दोनों के बीच में बातचीत हुई···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। समय की पाबंदी है इसलिए आप बैठ जाएं।

श्री के० सी० त्यागी : मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं इसलिए ज्यादा समय दें। तमिलनाडु के सारे समाचार पत्रों में यह खबर छप रही है कि श्री चन्द्र शेखर और जयललिता जी के बीच में श्री करुणानिधि की सरकार को गिराने की घोषणा के बारे में चर्चा हुई। उसके बाद जय-ललिता जी दिल्ली आती हैं और उनके बीच में बातचीत होती है, लिट्टे और उल्फा की गतिविधियों के बारे में। जो देश के बार्डर पर आया हुआ संकट है वह गंभीर मसला है तो उसके लिए हरेक सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है। ···(व्यवधान) मैं प्रधान मंत्री जी को एक बात याद कराना चाहता हूं। कलकत्ता में विपक्षी दलों की सर्वदलीय बैठक हुई थी। श्रीनगर में फारुख अब्दुल्ला की रहनुमाई में एक बैठक हुई थी। उसमें सरकारिया कमीशन को लेकर के केन्द्र और राज्यों के संबंधों के मामले में प्रधानमन्त्री जी ने सुझाव दिया था···(व्यवधान) जो काम 1982-83 में कांग्रेस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर के साथ किया···(व्यवधान) मैं जिम्मेदारी के साथ सदन में कह रहा हूं कि फारुख अबदुल्ला की सरकार को गिराने के बाद कश्मीर भुगत रहा है और माननीय प्रधानमन्त्री जी के जरिए तमिलनाडु सरकार को गिराने की साजिश हुई तो एक ओर पंजाब और कश्मीर को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री इन्द्रजीत गुप्त।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं समझता हूं कि उन व्यक्तियों को भी बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए जो तमिलनाडु के अतिरिक्त अन्य स्थानों से जीत कर आये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सभी संसद के सदस्य और राष्ट्र के नेता हैं। प्रत्येक व्यक्ति को बातों का अधिकार है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस देश में विभिन्न पृथकतावादी ग्रुपों की बढ़ती गतिविधियों के बारे में पूरा देश चिंतित है और यह चिंता सही है। खालिस्तानी गुट है, उल्फा है, कश्मीर में भी ऐसा ही संगठन है। ये सभी ऐसे संगठन हैं जो भारत से देश के कुछ भागों को अलग करने की मांग कर रहे हैं। यह राष्ट्र की अखंडता का प्रश्न है और मेरे विचार से आप इन गुटों की गतिविधियों और मांगों की तुलना लिट्टे के क्रियाकलापों से नहीं कर सकते हैं। आप हिंसा के लिए लिट्टे की भर्त्सना कर सकते हैं, आप अवैध हथियारों का प्रयोग करने आदि के लिए उनकी भर्त्सना कर सकते हैं परन्तु यह निश्चित है कि वे भारत या तमिलनाडु के किसी भाग को अलग करने की मांग नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) वे मुझे बोलने नहीं देंगे। वह कहते हैं 'सहन करो, सहन करो' परन्तु वह स्वयं सबसे अधिक असहनशील हैं। (व्यवधान)

ये लोग 'ईलम' के लिए श्रीलंका में तथाकथित मुक्ति युद्ध चलाने के लिए भारतीय भू-क्षेत्र का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। कई वर्षों से यही हो रहा है, नई बात कुछ नहीं है। (व्यवधान) श्रीलंका से भारतीय शांति सेना को वापस बुला लेने के पश्चात अब हम यह नहीं चाहते कि श्रीलंका में लिट्टे युद्ध के लिए भारत के किसी भू-भाग का प्रयोग पृष्ठ प्रदेश के रूप में किया जाए। इसलिए यह सभी के लिए चिंता का विषय है। मैं इस इतिहास में जाना नहीं चाहता कि 'लिट्टे' किस प्रकार अस्तित्व में आया, किसने उसे पैसा दिया। किसने उसे शस्त्र दिए, किसने उसे प्रोत्साहन दिया। क्या अब ये सब बातें करना ठीक है ? मैं उन बातों में पड़ना नहीं चाहता। (व्यवधान)

मैं करुणानिधि जी की आलोचना करना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि वह तमिलनाडु की जनता की भावनाओं के दबाव में आ सकते हैं। जब भारतीय शांति सेना श्रीलंका में बड़ी संख्या में हताहत होने के पश्चात वापस भारत पहुंची तो श्री करुणानिधि ने बन्दरगाह पर जाकर उनका स्वागत करने से इन्कार कर दिया। (व्यवधान)

श्री आर० मुथिया : उन्होंने कहा था कि 'हत्यारी' सेना आ रही है, इसलिए मैं उसका स्वागत करने के लिए नहीं जा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री इन्द्र जीत गुप्त : आप एक-एक शब्द पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्या आप इस सभा का एकाधिकार चाहते हैं ?

श्री आर० मुथिया : आप उनके प्रेस वक्तव्य के बारे में पूछिये। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं वही पूछूंगा जो मैं पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

महोदय, मैं कह रहा हूं कि ये सभी बातें बहुत क्षुब्ध करने वाली हैं और इसके लिए राजनीतिक दबाव बढ़ाना बहुत आसान है कि एक निर्वाचित सरकार को केन्द्र द्वारा बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वह ऐसे कार्यकलापों जिनके बारे में मुझे विश्वास है कि प्रधान मन्त्री हमें बताएंगे, को प्रोत्साहन दे रही है, उकसा रही है या उनके विरुद्ध कार्यवाई करने से इन्कार कर रही है। उस दिन

मुझे उनसे कुछ सुनने का अवसर मिला परन्तु वह एक निजी वार्तालाप था और मैं इस व्यक्ति के बारे में यहां वह बात कहना नहीं चाहता।

परन्तु मैं एक बात कह रहा हूं और वह यह कि किसी निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करने के लिए हमारे संविधान के इस उपबन्ध का अत्यधिक सावधानी और विवेक से प्रयोग किया जाना चाहिए इसका प्रयोग लापरवाही से नहीं किया जा सकता। महोदय, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। असम सरकार को हटा दिया गया है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। अब, असम के राज्यपाल ने गत सप्ताह एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि 'हम अभी भी साक्ष्य की तलाश कर रहे हैं, परन्तु अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि असम गण परिषद सरकार का उल्फा से सीधा सम्बन्ध हैं।' (व्यवधान) जी हां, ये मेरे शब्द नहीं हैं, यह राज्यपाल ने कहा है। उन्होंने कहा है, 'हो सकता है संबंध हो, अभी भी साक्ष्य की तलाश कर रहे हैं परन्तु अभी तक अन्तिम रूप से यह सिद्ध नहीं हुआ है कि असम गण परिषद की सरकार का 'उल्फा' से सीधा सम्बन्ध था।'

मुझे नहीं पता, यह ठीक भी हो सकते हैं, वह गलत भी हो सकते हैं। अतः, मेरा यह कहना है कि हमें इन मामलों में सावधान रहना चाहिए और यहां अब प्रधान मन्त्री हमें निश्चित रूप से यह बताएं कि तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था तथा प्रशासनिक स्थिति संभालने के लिए द्रविड़ मुनेत्र कझगम सरकार को क्या निर्देश दिए गए थे। वह हमें यह भी बताएं कि क्या तमिलनाडु के राज्यपाल से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मेरा विश्वास है कि निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने से पूर्व, सामान्यतः हम राज्यपाल की किसी रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया होता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठप्प हो गई है और सामान्य प्रशासन नहीं चलाया जा सकता, को भी देखते हैं। सामान्यतः विगत में, अनेक वर्षों में इस सभा में अनेक बार हमने देखा है कि यहां राज्यपाल की रिपोर्ट उपलब्ध रहती है और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

क्या इस समय एक भी ऐसा कोई मामला है ? ऐसे कौन-से निर्देश हैं जिनका द्र० मु० क० सरकार ने उल्लंघन किया हो ? हम जानना चाहते हैं और तत्पश्चात मुख्यमंत्री से सीधे बात की है। हम जानना चाहते हैं कि इस बारे में आपकी संपूर्ण धारणा क्या है। क्या ऐसी बात है कि द्र० मु० क० सरकार ने इन लोगों पर ऐसी गतिविधियां भारत से जारी रखने पर रोक लगाने से एकदम मना कर दिया है। लेकिन जहां तक भारत का संबंध है ये कोई पृथकतावादी गुट नहीं है; हो सकता है वे श्रीलंका के कुछ भाग को लेकर उसे ईलम में बदलना चाहते हों। यही उनका दृष्टिकोण हो। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश का इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाए। उन्हें आप अन्य पृथकतावादी गुटों की श्रेणी में न रखें जो हमारे देश में क्रियाशील हैं। अतः मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह जो भी तथ्य उनके पास है, उन्हें हमें बताएं। लेकिन उन्हें निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान में दी गई शक्तियों का उपयोग करने पहले 20 बार सोचना चाहिए। वहां के लोगों ने उस सरकार को चुना है। (व्यवधान)

श्री आर० मुथिया : उन्होंने उसे यहां क्यों नहीं चुना है ? क्या वे यहां प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुथिया जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इन्द्रजीत गुप्त जी, आप अध्यक्ष को सम्बोधित करके अपना भाषण जारी रखें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मुझे क्षमा करें। लेकिन मेरे पीछे शोर-शराबा हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस निर्वाचित सरकार को तुरन्त बर्खास्त किए जाने के लिए लोक सभा और राज्य सभा में राजनैतिक दबाव डाला जा रहा है। मुझे उम्मीद है श्री चन्द्रशेखर आसानी से इस बात को नहीं मानेंगे। उन्हें इस सम्बन्ध में अत्यन्त जागरूक रहना होगा, और केन्द्र सरकार के उन निदेशों जिन्हें प्रशासन को उचित रूप से कार्य करने तथा वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी समझा गया है, का द्र० मु० क० सरकार द्वारा पालन किए जाने के लिए हर सम्भव उपाय किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, इस सदन में इस सारी बहस से ऐसा लगता है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करें या न करें, इसके ऊपर शुरू हो गया है। अध्यक्ष जी, मामला काफी सीरियस है। इस दृष्टिकोण से यह गम्भीर है कि उल्फा, एल० टी० टी० ई० द्वारा मिलजुलकर टैरेरिस्ट एक्टीविटीज चलाने की बात सामने आ रही है। ऐसे भी समाचार आए है कि पंजाब के टैरेरिस्ट्स, कश्मीर के टैरेरिस्ट्स कुछ विदेशी सरकारें, एल० टी० टी० ई० और उल्फा के साथ मिलकर अर्थात हिन्दुस्तान के जितने टैरेरिस्ट्स है वो यहां पर अपनी कार्यवाहियां चलाना चाहते हैं, ये सब इकट्ठे होकर हिन्दुस्तान की यूनिटी और इंटिग्रेटी को तोड़ना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही सीरियस मामला है और इसलिए जब कभी थोड़ा भी इम्प्रेशन आता कि उन्हें सहन करने की बात है—चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट करे या सैण्ट्रल गवर्नमेंट करे, उसके नतीजे खराब होते हैं। पंजाब के टैरेरिस्ट्स बंगाल तक पहुंच गये और बंगाल के अन्दर उन्होंने हत्याकांड कर डाला और फिर वहां से बिहार में चले गए। बिहार में एक एस० पी० को मार डाला। पंजाब के टैरेरिस्ट्स के हौंसले इतने बढ़ते जाते हैं और अब आज वह एल० टी० टी० ई० और उल्फा के साथ मिलकर हिन्दुस्तान को तोड़ना चाहते हैं तो सैण्ट्रल गवर्नमेंट को इसको हर हालत में नोटिस में लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, प्राईम मिनिस्टर को जैसे ही मान साहब से बातचीत हुई, उसके बाद पंजाब में कुछ इस तरह के सिगनल गए कि उसकी वजह से इन टैरेरिस्ट्स के हौंसले बढ़ गए हैं और हत्याओं पर हत्यायें कर रहे हैं मैं यह प्राईम मिनिस्टर ने जो यहां कहा, मैं उसके हक में हूं कि इलेक्टेड गवर्नमेंटस को तोड़ने का यह आखिरी मामला होना चाहिए लेकिन उसके पहले तमिलनाडु सरकार को डायरेक्शंज दी जानी चाहिएं। यदि वे डायरेक्शन्ज नहीं मानते हैं और कोई प्रदेश सरकार टैरेरिस्ट्स एक्टीविटीज को बढ़ावा देगी तो फिर आखिरी कदम के रूप में उसको तोड़ना ही पड़ता है परन्तु प्रश्न यह है कि उससे पहले क्या प्राईम मिनिस्टर ने उनको डायरेक्शन्ज दी हैं। उन्होंने कल की मीटिंग में यह कहा था कि जो सीक्रेट इन्फारमेशन और डायरेक्शन्ज यहां से जाती हैं, वे एल० टी० टी० ई० के हाथ में पड़ जाती हैं। तो इस बात की हर हालत में इन्क्वायरी होनी चाहिए यह कैसे हो रहा है ? अगर स्टेट गवर्नमेंट का उसमें हाथ है तो स्टेट गवर्नमेंट को चेतावनी देनी चाहिए।

यह कोई स्टेट गवर्नमेंट और सेण्ट्रल गवर्नमेंट के आपस का झगड़ा या उसको तोड़ने का मामला नहीं है, यह हिन्दुस्तान के अस्तित्व का सवाल पैदा हो गया है, हिन्दुस्तान की सिक्यूरिटी का सवाल पैदा हो

गया है और इस समय प्राईम मिनिस्टर कितना सीरियसली इस मामले को ले रहे हैं और क्या कदम उन्होंने उठाए हैं, वह हाऊस को इसके बारे में विश्वास में लें।

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : अध्यक्ष महोदय, यहां हम तमिलनाडु में विद्यमान स्थिति की ओर माननीय प्रधानमन्त्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है। मैं सबसे पहले इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगा। कांग्रेस (आई) और अ० भा० अ० द्र० मु० क० ने माननीय प्रधानमन्त्री श्री चन्द्रशेखर की सभी भी सशर्त समर्थन नहीं दिया। जब यह प्रश्न किया गया था कि कांग्रेस (आई) को विपक्ष में रहना चाहिए अथवा नहीं, तब उन्हीं लोगों ने दलील दी थी कि चूंकि कांग्रेस (आई) ने सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया है इसलिए कांग्रेस (आई) विपक्ष में बने रहने के लिए पात्र नहीं है। अब यही लोग दूसरी तरह की बातें कर रहे हैं।

अब वयोवृद्ध तथा अनुभवी सांसद श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने यह कहा है कि···

अध्यक्ष महोदय : वह वयोवृद्ध नहीं अपितु एक वरिष्ठ और पुराने संसद सदस्य हैं वह युवा हैं।

श्री के० राममूर्ति : उन्होंने कहा था कि श्रीलंका में लड़ाई के कारण 'लिट्टे' को विशेषकर तमिलनाडु में इस प्रयोजन के लिए भारतीय भूमि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि तमिलनाडु पुलिस और प्रशासन का 'लिट्टे' के साथ संपर्क है। यही हमारा आरोप है। दो महीने पहले भी तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री ने एक अवसर पर कहा था कि तमिलनाडु भारत के नक्शे पर नहीं रहेगा। 'लिट्टे' और तमिलनाडु में कुछ असंतुष्ट तत्व अखंड तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, अर्थात पृथक ईलम और उसके साथ तमिलनाडु को मिलाकर एक देश बनाना।

मेरे कुछ मित्रों ने यह कहते हुए माननीय प्रधान मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाये हैं कि वह अ० भा० अ० द्र० मु० क० की महासचिव कुमारी जय ललिता के साथ चाय पीने के लिए तमिलनाडु गए। यदि यह गुनाह है तो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का भी करुणानिधि जी के घर जाने को क्या कहा जाएगा। तर्क के नाम पर आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन उन्हें कारण के बारे में जानना चाहिए। वह वहां पर अपनी सरकार को उनकी पार्टी द्वारा समर्थन दिए जाने के लिए हार्दिक धन्यवाद देने गए थे। इसमें गलत क्या है ?

इसके अलावा तमिलनाडु अब हथियारों का बाजार बन गया है। केवल 'उल्फा' के साथ ही नहीं 'लिट्टे' के भी खालिस्तान आंदोलन और आन्ध्र प्रदेश में पी० डब्ल्यू० जी० के साथ भी सम्पर्क बन गये हैं। उनके सम्पूर्ण देश में लोगों को हथियार और गोलाबारूद सप्लाई करने वाले के रूप में अन्य आतंकवादी तत्वों के साथ सम्बन्ध हैं। तमिलनाडु को बारूदी सुरंगों का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

तमिलनाडु का चाफना क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में उनके अपने सैनिकों के लिए वर्दी सीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य ने कहा है कि यह बड़ी चिन्ता

की बात है। यहां तक कि जब विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जब मद्रास आए तो उन्होंने तमिलनाडु में विद्यमान स्थिति पर दुख और चिन्ता व्यक्त की। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपना पद ग्रहण करने के दिन से ही कहा है कि 'लिट्टे' और कुछ अन्य तत्वों के बीच सम्पर्क स्थापित होना तमिलनाडु में एक गम्भीर स्थिति है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है। हो सकता है कि वह इसे यहां न बताना चाहें। परन्तु यह एक गंभीर स्थिति है तथा उन्हें इस मामले को अधिक महत्व देना पड़ेगा तथा तुरन्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। अन्यथा, श्री करुणानिधि के अनुसार, तमिलनाडु भारतीय उप महाद्वीप में नहीं रहेगा। मैं यह बात कहना चाहता था।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है तथा इसका सम्बन्ध केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से है। यह केवल तमिलनाडु सरकार तथा भारत सरकार के बीच सम्बन्धों का ही प्रश्न नहीं है। परन्तु इसका सम्बन्ध हमारे देश में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के समस्त विषय से है। मेरी पहली आपत्ति यह है कि इस सभा में कुछ सदस्य इस सभा को जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को गिराने का हथियार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री आर० मुथिया : इसमें क्या गलत है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

श्री चित्त बसु : मैं आपको तथा प्रधान मंत्री जी को यह कह रहा हूं कि संसद केवल संसद है। संसद के अपने कृत्य हैं। इसीलिए मैं दृढ़ रूप में यह महसूस करता हूं कि इस संसद का उपयोग न तो निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए किया जाना चाहिए तथा न ही इसका एक राज्य विधान मंडल के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : परन्तु क्या आप अलगाववाद को सहन कर पाएंगे? (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : इस स्थिति को हमारे देश में संविधान में पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। कानून और व्यवस्था केवल राज्य सरकार का विषय है सामान्यत: भारत सरकार किसी राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करती तथा न ही उसे करना चाहिए। आकस्मिकता की स्थिति से निबटने के लिए संविधान के अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत कुछ उपबन्ध किए गए हैं। संघ को विदेश जारी करने का अधिकार है। (व्यवधान) तमिलनाडु सरकार कोई शत्रु की सरकार थोड़े ही है। यह कोई शत्रु का क्षेत्र नहीं है। यह विदेशी सरकार नहीं है। तमिलनाडु की सरकार भी तमिल लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कादम्बुर जनार्दनन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, श्री निर्मलकांत चटर्जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये, श्री वक्कम पुरुषोत्तमन।

(व्यवधान)

श्री चित बसु : तमिलनाडु सरकार मैंने तो निर्वाचित की नहीं। ये तमिलनाडु के लोग हैं जिन्होंने तमिलनाडु सरकार निर्वाचित की है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री चित बसु : मुझे अपना भाषण पूरा करने दीजिये। क्या मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या हमारे देश के संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत तमिलनाडु की सरकार को कोई विशिष्ट निदेश दिये गये थे ?

दूसरे, किस प्रकार से इन निदेशों का उल्लंघन किया गया है ?

तीसरे, इस बारे में राज्यपाल की रिपोर्ट क्या है ? (व्यवधान)

वह एक संवैधानिक निकाय है। इसीलिये यदि निदेशों का उल्लंघन हुआ है तो तमिलनाडु के राज्यपाल की क्या रिपोर्ट है क्योंकि तमिलनाडु का राज्यपाल तमिलनाडु सरकार का एक अंग है। (व्यवधान)

यहां तक कि जरकारिया आयोग ने भी यह सिफारिश की है कि राज्यों में अनुच्छेद 356 का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। आज मैं देखता हूं कि सदस्य कह रहे हैं कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के साथ मिलकर कार्य नहीं कर रही है। यदि कोई विवाद है तो मामला अन्तर्राज्यीय परिषद को भेजा जा सकता है। इस मामले में मैं चाहता हूं कि यह सरकार जो केन्द्र एवं राज्य के बीच अच्छे सम्बन्ध कायम करना चाहती है, उसे यह भी देखना चाहिये कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अविवेकपूर्ण ढंग से न किया जाये। इस बारे में एक अन्तर्राज्यीय परिषद है। अन्तर्राज्यीय परिषद गठित की गयी है। (व्यवधान)

अन्तर्राज्यीय परिषद को सक्रिय नहीं किया गया है। अन्तर्राज्यीय परिषद केन्द्र और राज्यों के बीच तनावपूर्ण सम्बन्धों को कम करने का एक महत्वपूर्ण तन्त्र है। मैं माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे अन्तर्राज्यीय परिषद को सक्रिय बनाएंगे और इस मामले को अन्तर्राज्यीय परिषद के पास भेजेंगे ताकि समस्या का समाधान किया जा सके।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस प्रश्न में अनेक असम्बद्ध मामले शामिल कर दिये गये हैं। मैं उन सभी के बारे में बात नहीं करूंगा। परन्तु मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक बहुत ही विचित्र बात प्रस्तुत किया है जिससे मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि एल० टी० टी० ई० अलगाव की बात नहीं कर रहा है परन्तु वह दूसरे देश में आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहा है और इस प्रकार उनकी तुलना दूसरे उन संगठनों से नहीं करनी चाहिए जो विद्रोह में अन्तर्ग्रस्त हैं। यदि यह एक तकनीकी प्रश्न है तो मैं उनकी बात से सहमत हूं, इन दो संगठनों का क्या दर्जा होना चाहिये। परन्तु यहां तो इस देश की एकता और अखण्डता का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि यह एक और अधिक गम्भीर मामला है क्योंकि भारत से बाहर के व्यक्ति यहां आते हैं और समस्याएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उसे बर्दाश्त किया भी नहीं जाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें वापस भेज दीजिये।

श्री चन्द्र शेखर : मैं अपने मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त के समान यह बात कहने के लिए इतना

स्वतन्त्र नहीं हूं कि भविष्य की योजनाएं क्या हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार को कुछ जानकारी है, मुझे खेद है कि हम उस जानकारी से इस सभा को अवगत नहीं करा सकते क्योंकि इसमें एक बाहरी देश के मामले जुड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने भी वही बात कही है।

श्री चन्द्र शेखर : इस मामले से इस देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। परन्तु मैं फिलहाल यही संकेत देना चाहता हूं कि मामला अत्यधिक गम्भीर है। मेरे कुछ साथी यह कहने का प्रयास कर रहे थे कि यह आल इण्डिया अन्ना द्रमुक और जनता दल-समाजवादी के बीच सरकार बनाने के लिए एक साठ-गांठ है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रचार इस देश के राजनैतिक क्षेत्र के उन कुछ तत्वों द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने कभी भी अवसरवादिता के अतिरिक्त और कुछ नहीं सीखा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ ? कृपया बैठ जाइए।

श्री चन्द्र शेखर : अतः अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड को ठीक करने के लिए मैं सभा की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि जब मैं इस सदन का एक साधारण सदस्य ही था तो मैंने भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री को एक नोट भेजा था जिसमें तमिलनाडु में एल० टी० टी० ई० के विद्रोहियों अथवा उग्रवादियों की गतिविधियों का विवरण और उस समय तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्य मंत्री की प्रतिक्रिया का भी विवरण दिया गया था। दुर्भाग्य की बात है कि तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा उस पत्र की प्राप्ति की सूचना तक नहीं दी गई। अब इस देश में उस प्रकार की स्थिति नहीं है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरा दृष्टिकोण कुछ और ही है। परन्तु मैं स्वयं अपने ही दृष्टि-कोण से कार्य नहीं करता हूं जैसा कि मेरे मित्र श्री चित्त बसु और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है। मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने से पूर्व सैंकड़ों बार इस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि मुझे इसकी व्यक्तिगत रूप से जानकारी है। परन्तु मेरी इस जानकारी की सूचना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को दे दी गयी है। मेरे मन में यह बात स्पष्ट है कि यदि संविधान के अनुच्छेद के अन्तर्गत एक बार निदेश जारी कर दिया गया तो इसकी वापसी का कोई प्रश्न ही नहीं है। अतः, मैंने संविधान के अनुच्छेद के अन्तर्गत कोई निदेश जारी नहीं किया है परन्तु श्री करुणानिधि को भारत सरकार के दृष्टिकोण और देश के उस भाग में व्याप्त स्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया है। मैं दो या तीन बातें सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। यह सच है जैसा कि मेरे मित्र श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा है, कि 'उल्फा' और 'लिट्टे' के बीच केवल सम्पर्क ही नहीं बल्कि इन दोनों के बीच पूर्ण सहयोग बना रहा है। तमिलनाडु में 'उल्फा' के छह केन्द्र हैं। मैं नहीं जानता कि ये केन्द्र तमिलनाडु सरकार की मिलीभगत से बने हैं कि नहीं, किन्तु यह एक वास्तविकता है। यह भी सही है कि 'उल्फा' के दो नेता वेल्लोर अस्पताल से गिरफ्तार किये गये थे और ये दोनों ही 'उल्फा' के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। (व्यवधान)

मैं नहीं जानता। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। उनसे पूछताछ की गयी थी और उन्होंने जो सूचना दी है वह काफी चिन्ताजनक है। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तमिलनाडु में ए० के०-47 राइफलें सबसे कम दामों में मिलती हैं। और आंध्र से नक्सलवादियों, पंजाब के आतंकवादियों तथा 'उल्फा' के लोगों के लिए भी ए० के०-47 राइफलें खरीदने का यह मुख्य केन्द्र है। यह ऐसी जानकारी है जो सरकार के रिकार्ड में है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैंने इन सभी बातों के बारे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से कहा तो उन्होंने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। कुछ माननीय सदस्यों ने सरकारिया आयोग—राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के बीच सम्बन्ध का उल्लेख किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तथा सभा की सलाह के अनुसार कार्य करूंगा। यदि मैं किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कोई बात कहता हूं तो क्या यह सही है कि वह मुख्य मंत्री ऐसा वक्तव्य दे कि मुझे देश के प्रधान मंत्री के दबाव में आकर कोई कार्यवाही करनी पड़ी है। मेरे विचार में राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने का यह कोई तरीका नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अब हम यह सोचने पर विवश हैं कि किसी राज्य सरकार को किस प्रकार की जानकारी दी जाये और कौन सी जानकारी न दी जाये क्योंकि मेरे पास ऐसी सूचना है कि मुख्यमंत्री को जो जानकारी दी गयी थी वह न केवल तमिलनाडु में बल्कि जाफना में 'लिट्टे' के मुख्यालय तक पहुंच गयी। यह बहुत बावजूद गम्भीर मामला है। इसके मैंने बार-बार यह कहा है कि···सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं किया जायेगा···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम जेठमलानी (लालगंज) : गवर्नमैंट आफ इंडिया ने इनफार्मेशन दी है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर : ठीक है। कुछ माननीय सदस्यों के अपने-अपने विचार है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। क्या केन्द्रीय सरकार ने 'लिट्टे' को यह सूचना दी है, ठीक है। लेकिन मेरे कुछ मित्र यह नहीं जानते कि सूचना किस प्रकार एकत्र की जाती है और किस प्रकार दी जाती है। इस बात का ठोस प्रमाण है कि सूचना किस प्रकार एकत्र की जा रही है और इस बारे में मैं सभा को कुछ नहीं बता सकता। यदि आप चाहते हैं तो मैं यह सारी बातें आपके तथा विपक्षी दलों के नेताओं के सम्मुख रख सकता हूं। इस सभा में कोई बात कहने में गैर-जिम्मेदारी की भी कोई सीमा होनी चाहिए। हम बहुत ही गम्भीर मसले पर विचार कर रहे हैं।

मेरे मित्र मार्क्सवादी नेता श्री आचार्य ने बताया कि मैं खालिस्तानियों के साथ बात कर रहा हूं। मैंने किसी खालिस्तानी के साथ बात नहीं की। उनके मन में कोई खालिस्तानी होगा। जब कोई खालिस्तान ही नहीं है तो खालिस्तानी नागरिक कहां से हो सकता है। वे सभी भारतीय हैं। हम खालिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कह चुका हूं कि हम केवल भारतीयों से बात करेंगे और देश की एकता तथा अखण्डता के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र श्री आचार्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि श्री मान के साथ मेरी जो बातचीत हुई थी और श्री मान या उनके अन्य साथियों से जो सूचना मिली थी वह सभी मैं उनके नेताओं को देख चुका हूं और यदि उनके नेताओं ने उन्हें सूचित नहीं किया है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कोई बात चोरी-छिपे नहीं कर रहा हूं। जो कुछ भी किया जा रहा है वह देश में तथा सभा में महत्वपूर्ण दलों के नेताओं की पूर्ण जानकारी से किया जा रहा है। मैं कोई भी बात गुप्त रूप से नहीं करना चाहता। यदि कोई बात होगी तो सभा के जिम्मेदार नेताओं तथा सभा से बाहर के जिम्मेदार नेताओं को उसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन मैं ऐसी किसी जानकारी को उन लोगों को नहीं दे सकता जो अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। मुझे खेद है, मैंने उन्हें वही महत्व दिया है जिसके वे पात्र हैं। इस बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं।

मेरे मित्र श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने बताया है कि श्री मान के साथ हुई मेरी बातचीत के कारण कुछ लोगों को गलत संकेत मिल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा हो सकता है। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन इस सभा के माध्यम से मैं उन तत्वों को सचेत करना चाहता हूं कि यदि उन्हें ऐसा कोई संकेत मिला है कि हम हिंसा तथा निर्दोष व्यक्तियों की हत्याओं को बर्दाश्त करेंगे तो वे गलती पर हैं। मैंने बातचीत के दौरान श्री मान को बताया था कि सरकार की सर्वप्रथम जिम्मेदारी है कि वह पंजाब के या पूरे देश के लोगों में सुरक्षा की भावना बनाये। पंजाब में हुई निर्दोष व्यक्तियों की हत्याओं के बाद हमने कुछ कदम उठाये हैं। मेरे मन में किसी प्रकार के बदले या निरंकुशता की भावना नहीं है। लेकिन राज्य का शासन स्थापित करने के लिए हर सम्भव कार्यवाही की जाएगी। और हमें इसमें कोई संकोच नहीं होगा कि जनता में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिये सरकार की पूरी शक्ति का उपयोग किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और आपके माध्यम से अपने मित्र श्री विजय कुमार मल्होत्रा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि सरकार की किसी कार्यवाही से यह गलत धारणा बनी है तो मेरे यहां बोलने के 24 घंटे के अन्दर वह गलत धारणा दूर कर दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सरकार का श्री करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त करने का कोई इरादा नहीं है लेकिन इस सम्बन्ध में उस सरकार की कार्यवाही संतोषजनक नहीं है और मैं आशा करता हूं कि श्री करुणानिधि को भारत सरकार को चुनौती देने चाहिये। आज सुबह उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि वे इसका जवाब देंगे। मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न नहीं करना चाहता। लेकिन अब वे दिन नहीं रहे हैं जब भारत सरकार मद्रास से चलाई जाए। यह सरकार इस सभा से और इस संसद से चलाई जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : अब मध्याह्न भोजन के लिए 2.40 म० प० पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.42 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.40 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.45 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.45 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री बनवारीलाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कन्टीन्यूअस नोटिस दे रहा हूं। विदर्भ डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में प्रश्न है। मेरे रीजन के डेवलपमेंट का सवाल है। उस एग्रीटेशन के लिए मुझे चार दिन जेल में डाला गया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा राइट है, उसके बारे में कहने का। कम से कम दो दिन कन्टीन्यूअस एफर्ट करने के बाद मुझे समय नहीं दिया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पांच मिनट का समय दे दीजिए। विदर्भ मराठवाड़ा की गरीब जनता का प्रश्न है, बैकवर्ड रीजन का प्रश्न है। डवेलपमेंट बोर्ड का इशू है। आप कृपया मुझे पांच मिनट दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कल कर दीजिएगा।

श्री जनवारीलाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, बर्निंग प्राब्लम है। मेरी प्रधान मंत्री जी से डिमांड है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने प्रामिस किया था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा में घोषणा कर रहा हूं कि कल आपको समय दिया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, उसके साथ कल मुझे भी समय दीजिएगा। उसी विषय पर कल मैंने कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कल कह दिया। रोज-रोज कहेंगे।

प्रो० महादेव शिवनकर : अगर सरकार ध्यान नहीं देगी···

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, कल।

2.46½ म० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

हाल में किया गया अफगानिस्तान का दौरा

[अनुवाद]

वाणिज्य मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : माननीय उपाध्यक्ष जी,

मैंने अफगानिस्तान सरकार के वाणिज्य मन्त्री के नियन्त्रण पर दिनांक 30 दिसम्बर, 1990 से 1 जनवरी, 1991 तक वहां का दौरा किया। यह श्री चन्द्रशेखर के किसी मन्त्री का किसी मित्र राष्ट्र का पहला दौरा रहा है।

मेरे साथ भारत-अफगान व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों से जुड़े भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल भी अफगानिस्तान गया था।

मैंने अफगानिस्तान के महामहिम वाणिज्य मन्त्री श्री जाकिम शाह तथा उप-प्रधानमन्त्री-सह-योजना मन्त्री और लघु उद्योग व खाद्यान्न मन्त्री से विस्तृत बातचीत की थी।

बातचीत हार्दिक एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई। दोनों पक्षों ने भारत तथा अफगान प्रतिनिधि-

मण्डलों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सच्चे प्रयासों की प्रशंसा की कि उन्होंने उभयनिष्ठ हितों के उन क्षेत्रों का पता लगाया है जिनमें दोनों देश एक-दूसरे के लाभ हेतु आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध बना सकते हैं। दोनों पक्षों ने इस बात पर भी सन्तुष्टि व्यक्त की कि विगत वर्षों के दौरान उनके द्विपक्षीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई है और उन्होंने निकट भविष्य में उसमें और अधिक वृद्धि करने पर सहमति व्यक्त की। भारत द्वारा अधिक आयात हेतु ताजे फलों तथा मेवों, मूल्यवान रत्नों, खालों तथा चमड़ियों आदि जैसी मदों पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा।

भारतीय पक्ष ने संयुक्त उद्यमों, परामर्श और ऋण व्यवस्थाओं के जरिए अफगानिस्तान की आर्थिक उन्नति और विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की। दोनों पक्षों द्वारा दूरसंचार अवस्थापना के विकास में सहयोग का भी पता लगाया गया। अफगान-पक्ष ने औद्योगिक एस्टेट की स्थापना और विकास में भारतीय सहायता प्राप्त करने में रुचि दिखाई। उन्होंने चर्म-शोधन, टैक्सटाइल राल-संसाधन आदि जैसे उद्योगों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की भी इच्छा व्यक्त की। भारतीय पक्ष ने इस सम्बन्ध में विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने में अपनी उत्सुकता व्यक्त की।

अफगान पक्ष ने भारत द्वारा अफगानिस्तान को सप्लाई की गई बसों की क्वालिटी पर अपना पूर्ण संतोष व्यक्त किया और भारत से और बसें आयात करने की अपनी इच्छा दोहराई।

दोनों पक्षों ने खनन क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया, जिसमें भारत ने सक्रिय रूप से अपना अनुभव और निपुणता प्रदान करने की पेशकश की।

दोनों पक्षों ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के जरिए संयुक्त उद्यमों और परियोजनाओं को अपनाकर और सरल बनाकर औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता का पता लगाया। इस बात पर सहमति हुई कि व्यापार और औद्योगिक सहयोग में द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में भारतीय पक्ष, जितनी जल्दी हो सके, अफगानिस्तान को प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए भारत में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय करने को राजी हो गया।

दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बेहतर वातावरण बनाने के उद्देश्य से व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर सहमत हो गए। इस उद्देश्य के लिए काबुल तथा दिल्ली में भारत-अफगान व्यापार पर एक संयुक्त व्यापार सलाहकार समिति की स्थापना पर सहमति हुई।

मैंने अफगानिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम, डा० नजीबुल्लाह से भी भेंट की तथा भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के साथ-साथ आपसी हित के अन्य मामलों के संबंध में नवीनतम स्थिति पर उनके साथ विचारों का आदान-प्रदान किया। मैंने अफगानिस्तान के प्रधानमन्त्री महामहिम एफ० खालियार तथा अफगानिस्तान के विदेश मन्त्री महामहिम श्री वकील से भी मुलाकात की। सभी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि जम्मू तथा कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और बना रहेगा। इस सम्बन्ध में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने अफगानिस्तान के आन्तरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि मन्त्रियों के दौरे से दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी मित्रता और मजबूत होगी।

———

2.50 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड सहित दवा बनाने वाली एक सौ आठ प्रसिद्ध फर्मों का अनुमोदित सूची से पंजीयन रद्द करना

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (बदायूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाणिज्य, विधि और न्याय मन्त्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

"पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय तथा रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड सहित एक सौ साठ सुविख्यात औषध फर्मों को मंजूरशुदा औषध सप्लायरों की सूची से हटा देने, जिससे औषधियों की पूर्ति अविश्वसनीय औषध फर्मों के हाथों में रह गई है, के समाचार से उत्पन्न स्थिति तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए उपाय"।

[अनुवाद]

वाणिज्य मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : महोदय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डी० जी० क्यू० ए०), रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय उन दवा/औषध निर्माता फर्मों की क्षमता के निर्धारण के लिये नोडल एजेंसी है जो सरकारी विभागों/मंत्रालयों को दवाओं/औषधियों की पूर्ति का काम करती है। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डी० जी० एस० एंड डी०) के पास दवाओं औषधियों के क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ नहीं हैं। डी०जी०क्यू०ए० की सिफारिशों के आधार पर दवा/औषध निर्माता फर्मों को सरकारी विभागों/मंत्रालयों, जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है, को पूर्ति करने के लिए पंजीयित किया जाता है। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के साथ पंजीयित दवा/औषध निर्माता सभी फर्मों की क्षमता का पुनर्निर्धारण अपने ढंग से डी० जी० क्यू० ए० द्वारा किया गया। इससे उन्होंने उत्तम निर्माण उपयोगिता (जी० एम० पी०) का परिचय दिया जिन्हें जून, 1988 में फर्मों के लिये लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक शर्त बना दिया गया। क्षमता के पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप डी० जी० क्यू० ए० ने पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के साथ पंजीयित कुल 298 फर्मों के पंजीयन को रद्द करने की सिफारिश की। आरम्भ में सूची में मैसर्स आई० डी० पी० एल०, हैदराबाद यूनिट को शामिल किया गया परन्तु बाद में उसे सूची से हटा दिया गया।

2. डी० जी० क्यू० ए० की सिफारिशों पर औषधियों की उच्चाधिकार-युक्त समिति (एच० पी० सी०डी०) ने 25-10-90 को हुई अपनी बैठक में विचार किया। यह बताया जाता है कि स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डी०जी० एच० एस०), भारत के औषध नियन्त्रक, दिल्ली में स्थित विभिन्न अस्पतालों के प्रतिनिधि तथा रक्षा मंत्रालय एच० पी० सी० डी० के सदस्य है। एच० पी० सी० डी० ने अपनी बैठक में उक्त मुद्दे पर ब्यौरेवार चर्चा की और यह सिफारिश की कि जहां तक रक्षा मंत्रालय की पूर्तियों का संबंध है, डी० जी० क्यू० ए० द्वारा की गई सिफारिशें ही लागू होंगी। सिविल सैक्टर के अन्य उपभोक्ताओं के लिए तीन माह की अवधि तक यथास्थिति रह सकती है। इस दौरान पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय फर्मों रद्द करने के सम्बन्ध में

सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लेगा और एच० पी० सी० डी० को पुन रिपोर्ट करेगा। इन सिफारिशों को सरकार द्वारा विचार के लिए पुन: प्रस्तुत किया जाएगा।

3. एच० पी० सी० डी० की उपयुक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और उन्हें स्वीकार कर लिया गया। तथापि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा किसी भी फर्म का पंजीयन औपचारिक रूप से रद्द नहीं किया गया केवल उन फर्मों के निवेदों पर रक्षा मांगकर्ताओं/आवश्यकताओं के लिए विचार नहीं किया जा रहा है जिनके पंजीयन को रद्द करने के लिए डी० जी० क्यू० ए० ने सिफारिश की थी।

4. यह कहना सत्य नहीं है कि पूर्तियां अविश्वसनीय फार्मेस्युटिकल फर्मों के हाथों में दे दी गई हैं क्योंकि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के पास 138 पंजीयित फर्में अभी भी हैं और इन्हें विश्वसनीय माना गया है और उनकी क्षमता दुबारा जांचने पर भी वे योग्य पाई गई हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त इन 160 फर्मों, जिनका पंजीयन रद्द करने के लिए डी० जी० क्यू० ए० ने सिफारिश की थी, में से किसी का पंजीयन औपचारिक रूप से रद्द नहीं किया गया है, केवल उनके निवेदों पर रक्षा मांगकर्ताओं/आवश्यकताओं के लिए विचार नहीं किया गया है। इन फर्मों को, औपचारिक रूप से पंजीयन रद्द करने से पहले, अपनी स्थिति स्पष्ट करने का उचित/पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, एक तो यह अधूरा है। डी० जी० एस० एण्ड डी० के बारे में राजीव सरकार ने भी और एन एफ गवर्नमेंट ने भी फैसला कर लिया था। जो खरीदी का केन्द्रीयकरण है, जिसमें अरबों रुपए का घपला होता है और जिस पर लगातार इस सदन में बहसें होती रही हैं, एक तो यह जो पालिसी मैटर था, जिसको एन एफ गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि विभागों के केन्द्रीय खरीद के केन्द्रीयकरण को खत्म करना चाहिए और अपने विभागों को अलग-अलग एजेंसियों से खरीदने का काम करना चाहिए मैंने यह जो मामला उठाया है डी० जी० क्यू० ए० का, इन्होंने एक बार भी प्रयास नहीं किया, इन्होंने एन एफ गवर्नमेंट के चलते इस बात का लगातार प्रयास किया। यह जो डी० जी० क्यू० ए० है, इसके अधिकार क्षेत्र क्षमता का मूल्यांकन है और जिन फर्मों को रजिस्ट्रेशन मिलता है, उन फर्मों को रजिस्ट्रेशन तब मिल सकता है जब डी०जी० क्यू०ए० का सर्टीफिकेट हो, सिर्फ यह इनका अधिकार क्षेत्र है, क्षमता के आकलन के लिए। गुड मैन्यूफेक्चरिंग प्रेक्टिसेस हैं, इसके लिए स्टेट लेवल पर स्टेचूटरी पावर्स है वहां स्टेट ड्रग कंट्रोलर भी हैं, वे लाइसेंस देते हैं लाइसेंस की कैपेसिटी डी. जी. क्यू. ए. तय करता है, लेकिन यह कैपेसिटी मूल्यांकन का काम डी. जी. क्यू. ए. को पहले करना चाहिए, तभी उनको लाइसेंस मिलता है गुड प्रेक्टिसेस नाम को आश्वर्य करने के लिए उनकी स्टेचूटरी पावर्स हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है, उनको अधिकार है। इसमें सीधी बात यह है कि जो 160 फर्में हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय रेपूटेशन की फर्में हैं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें दवाएं सप्लाई करने की अनुमति मिली हुई है और जिन फर्मों के बारे में इस पार्लियामेंट में बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे, तो 5 फर्मों का नाम लेकर बताया गया था कि ये फर्में गड़बड़ी करती हैं, इनकी दवाओं की कैपेसिटी सेटिसफेक्टरी नहीं है, ये फर्में ब्लैक-लिस्ट में आती हैं और 138 फर्मों को सप्लाई करने का लाइसेंस दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इनमें दो फर्में हैं, एक तो फरीदाबाद की "चावसन फार्मास्यूटीकल" फर्म है, जिसके बारे में अखबारों में आया था कि जय प्रकाश नारायण अस्पताल में बड़े पैमाने पर फंगस वाली बाटल्स इस फर्म ने सप्लाई

की थीं, इसको आपने नंबर एक दिया है सप्लाई के लिए इसे डी० जी० क्यू० ए० ने सर्टिफिकेट दिया। नम्बर दो एक इंवीर की फर्म है "अनेस्ट", इस फर्म के ऊपर भी आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जब एक व्यक्ति एनस्थेसिया का इंजेक्शन देने से मर गया और हाईकोर्ट में मामला गया तो इस फर्म को भी इस लिस्ट में लिया गया। वाणिज्य मंत्री जी, यही प्रयास जब एन एफ गवर्नमेंट का था तो डी० जी० क्यू० ए० ने डायरेक्टर जनरल सप्लाई एण्ड डिसपोजल्स से मिलकर इस प्रयोजन को आगे

3.00 म० प०

बढ़ाने का काम किया। और जब यह ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर पूर्ति विभाग में आया तो वहां के जो आपके सेक्रेटरी है उन्होंने डी. जी. एस. एंड डी. की हरकतों के बारे में हाईली आब्जेक्शन किया उन्होंने प्रपोज किया था कि इन सब फर्मों को डी-रजिस्टर किया जाए। उन्होंने बाकायदा नोटिंग की कि यह आपके अधिकार क्षेत्र मे यह बात नहीं आती। उन्होंने बाकायदा पांच पैराग्राफ लिखे जिसमें कहा कि यह गैर-कानूनी है और असंवैधानिक है और डी० जी० के अधिकार के बाहर क्षेत्र की है। इसको कोई अधिकार नहीं हैं। यह क्षेत्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं और जो इनके अधिकार में है उसको पूरी तरह लागू कर सकते हैं। आपकी सरकार आई और लगातार इस साल पांच पैराग्राफों में ज्वाइंट सेक्रेटरी की डायरी में नोट है। डी० जी० एम० एंड डी० और डी०जी० क्यू० ए० की तरफ प्रेशर बना जो कि दोनों की मिलीभगत से हुआ यह पता नहीं कि कहां असर पड़ा। छठे पैराग्राफ में आपकी नोटिंग है और छठे पैराग्राफ में इन्सर्ट किया गया जबकि पांच पहले में "जय महात्मा गांधी —जय महात्मा गांधी" और छठे पैराग्राफ में आपने लिखा है "मुर्दाबाद महात्मा गांधी" और एकदम उल्टा। बाकायदा आपके आफिस में नोट है। पूर्ति विभाग के अधिकारियों की फाइलों पर जो नोट है, इसका आपको जवाब देना है। यह नोट कैसे बदला गया। जो चीज आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ने बाकायदा यह कहा कि डी० जी० क्यू० ए० के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। यह स्टेट ट्रेड्स कंट्रोल के अधिकार क्षेत्र का मामला है। डी० जी० क्यू० ए० को आपकी क्षमता द्वारा आंकलन करने का अधिकार है। यह जो 160 फर्मों और आइ० पी० पी० एस० का जो हुआ है वह आपने कर दिया है और फिर से आपने उसको ले लिया। फाइजर यानी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय लेवल की फर्में हैं और जिनकी एक बार शिकायत नहीं।

इन भ्रष्ट फर्मों को लेकर के अन्तर्राष्ट्रीय करना चाहते हैं। जो 160 फर्में हैं उनके बारे में आपके पास कोई शिकायत नहीं है। सी० बी० आई० की इंक्वायरी उनके खिलाफ है और हाईकोर्ट ने उनके बारे में स्ट्रीकचर पास किया। उन फर्मों को···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिकिहो सेमा (नागालैंड) : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय सदस्य स्पष्टीकरण मांग रहे हैं या सूचना दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां मैं आपको नियम पढ़कर सुनना चाहूंगा। इसके अनुसार :

"ऐसा विवरण जिस समय दिया जायेगा उस समय इस पर चर्चा नहीं होगी अपितु ऐसा प्रत्येक सदस्य जिसके नाम से यह मद कार्यसूची में दी गई है, अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा···"

अत: आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं दोनों चीज कह रहा हूं। कालिंग अटेन्शन में अकेला मेरा नाम है। मेरा

निवेदन यह है कि बाकायदा डायरी में नोट है। जो पांच पैराग्राफ लिखे गए तो छठा पैराग्राफ दबाव डालकर एड किया गया। पांच फर्मों का संसद के प्रश्नों में सरकार ने जवाब दिया है। पांच फर्में निकम्मी, बेकार और ब्लैक लिस्टेड हैं और जो दो फर्में मैंने कही हैं उनको भी इसमें दे दिया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि इसमें डेढ़ दो गुनी कीमतों पर सप्लाई होगी। जो प्रतिस्पर्धा टेण्डर सिस्टम की है उसको किल किया गया है। उसको किल इसलिए किया गया है। मेरा यह कहना है कि इसमें कौन आदमी है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं यह जो फाइल की नोटिंग बदली जाती रही वह किस दबाव में हुई है। 5 पैराग्राफ दूसरे हैं और 6 पैराग्राफ बिल्कुल दूसरा है, यह बात किस दबाव से आई? आपके विभाग की डायरी नोटिंग कैसे बदली गई, इसके क्या कारण थे। निश्चित तौर पर डी० जी० क्यू० ए० के अधिकार क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन करना और स्थिति का आकलन करना है, लेकिन यह उन्होंने अपनी स्थिति से बाहर जाते हुए कार्य किया है। बंगलौर के होटलों में ये लोग ठहरे थे, इनके चैक नम्बर मेरे पास हैं जो इनको कम्पनीज द्वारा दिए गए, मैं आपको वह देने को तैयार हूं। इन 160 फर्मों के साथ सौदा नहीं हो पाया और 138 फर्में जिनके फंगस इंजेक्शन से लोग मर गये जिनके बारे में हाई कोर्ट से स्ट्रिक्चर पास है उनको आपने रिप्यूटेड कहा है और इसमें सीधे-सीधे सौ करोड़, दो सौ करोड़ का फायदा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने जवाब दिया है वह जवाब जो मैंने सवाल पूछे उनके बिल्कुल विपरीत है। मेरा नम्बर एक कहना यह है कि डी०जी० क्यू० ए० के अधिकार क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन करने की तो बात आती है, लेकिन डी० रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार उन्हें नहीं है उन्होंने अपने अधिकारों का इंक्रोचमेंट किया है और उस इंक्रोचमेंट में आपके विभाग के लोगों ने इतना रिजीस्ट किया कि इतने विरोध पत्र आपके मंत्रालय में रखे हुए हैं और उसमें कहा गया है कि डी० जी० क्यू० ए०, क्वालिटी वाला जो है उस पर आक्षेप लगाकर कहा है कि यह काम ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि किसके दबाव में और क्यों यह काम हुआ है? 160 कम्पनीज जो सही कम्पनीज हैं ओम जिनके बारे में कोई शिकायत नहीं थी उनको प्रतिस्पर्धा से अलग करना, बगैर नोटिस के नहीं कर सकते थे, लेकिन किया बगैर नोटिस के तो यह काम असंवैधानिक है। इसमें निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का शक और शंका पैदा होती है और दबाव के तहत यह काम किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार सारे सवालों का मुमकिन तरीके से जवाब दे।

[अनुवाद]

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, माननीय सदस्य ने की गई अनियमितताओं के संबंध में अनेक आरोप लगाए हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उसकी निश्चय ही छानबीन करूंगा। जहां तक पंजीयन समाप्त करने के इस मामले का सम्बन्ध है, इस संबंध में मैं मात्र इतना ही कहना चाहूंगा कि गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, जो रक्षा मन्त्रालय का एक अंग है, रक्षा मंत्रालय को दवाईयों की पूर्ति के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम है। परन्तु जहां तक फाईल में दर्ज टिप्पणियों आदि का संबंध है, मुझे जो कागजात सौंपे गए उनको मैंने पढ़ा है और मैं यह बताना चाहूंगा कि पहली बार एक निर्णय अच्छी विनिर्माण व्यवहार मानदों के अनुसार लिया गया था और गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय ने दिनांक 3-7-1990 के एक पत्र द्वारा अपनी अनुशंसाएं उस समय प्रस्तुत की थीं जब माननीय सदस्य तत्कालीन मंत्री परिषद में एक मंत्री थे। उन्होंने कहा है कि बाद में फाइलों के संचलन में तेजी आई। यह सभी कुछ 25 अक्तूबर, 1990 के पहले हुआ। जहां तक आपूर्ति विभाग के अन्तिम निर्णय का संबंध है, तो यह निचले अधिकारी स्तर पर हस्ताक्षर के लिए 30 नवम्बर को आया। अतः, इन प्रश्नों का उत्तर मैं दो भागों में दूंगा।

जहां तक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय का सम्बन्ध है, वह निर्णय लेने में पूर्णतया सक्षम है। अत: मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि उन्हें ऐसा निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है तथा उन्होंने अनधिकार हस्तक्षेप किया है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : यह मैं नहीं कह रहा हूं। आपके अधिकारियों ने लिखा है। आपकी फाइलों पर नोटिंग है। मैं दोनों सप्लाई करने को तैयार हूं। निश्चित तौर पर पता लगाइये कि यह क्या हो रहा है ? इस पर डिबेट होनी चाहिये। इसमें वैधानिक काम हुआ है या नहीं हुआ है, आपके नोटिस में नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि माननीय सदस्य ने इस मामले में उतनी ही रुचि ली होती जितनी कि मंत्री ने तो इसका समाधान स्वयं सरकार के भीतर ही हो गया होता क्योंकि फाईल पर सभी महत्वपूर्ण टीका-टिप्पणी उसी दौरान हुई जब पिछली सरकार सत्ता में थी। परन्तु, इस पर भी, चूंकि उन्होंने यह मामला उठाया है तो मैं गड़बड़ी जैसाकि वह कहते हैं, का पता लगाने के लिए इसकी जांच करवाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि किन-किन को लाभ पहुंचने की संभावना है, इस जांच से भले ही किसी को ठेस पहुंचे।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट थी या इनकी गवर्नमेंट थी। मैंने यही कहा कि नेशनल फ्रंट की सरकार के जमाने में यह डायरी पर नोट है और आप कहते हैं कि यह गलत है। मैं आपको इसलिए देने को तैयार हूं। (व्यवधान)

यह साफ-साफ मामला है। आप थोड़ा इस पर मुतमईन होकर देखिए। निश्चित तौर पर यह मामला साफ-साफ है। आप इंक्वायरी कराइए। इस बात से काम नहीं चलेगा। यह साफ कहा है···

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने इंक्वायरी के लिए हां कह दी है।

———

3.12 म०प०

नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री तरित बरण तोपदार।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, 28 दिसम्बर, 1990 को मेरी अनुपस्थिति में श्री अजीत कुमार पांजा, संसद सदस्य द्वारा जो कुछ कहा गया और मेरे विरुद्ध कतिपय आरोप लगाने का प्रयास किया गया, उसके बारे में मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के रूप में निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहूंगा।

मुझे यह कहना है कि जे० ए० आर० आई० मजदूर संघ का अध्यक्ष होने के नाते मुझे कुछ अवसरों पर नीलगंज, बैरकपुर स्थित सी० आर० आई० जे०ए०एफ० (तत्कालीन जे०ए०आर०आई०) परिसर में जाने का अवसर मिला और मैंने संबंधित लोगों के साथ चर्चा और वार्ता में भाग लिया तथा कुछ द्वार बैठकों को सम्बोधित किया।

अनेक अवसरों पर, संस्थान के निदेशक अपने कुछ सहयोगियों के साथ अनेक संगत समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए मेरे पास आए।

मैंने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया कि कोई द्वेष-भाव है।

निदेशक द्वारा बिना कोई कारण बताए और 12 मास का समय बीत जाने के पश्चात् भी आज तक कोई आरोपपत्र दिए बिना कुछ कर्मचारियों को मनमाने ढंग से निलम्बित करने के विरुद्ध काफी समय से आन्दोलन चल रहा है।

वहां खेतिहर मजदूर और कर्मचारी वृन्द (1) गैर-कानूनी निलम्बन; (2) एक विधा के वैज्ञानिकों का दूसरी विधा में ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रतिशोधात्मक स्थानांतरण करने जिसकी उनके विषय से कोई सम्बद्धता नहीं है; (3) संस्था के विनाशक कार्यों और (4) कुछ अधिकारियों द्वारा धन की हेराफेरी के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशों के आंशिक कार्यान्वयन, आदि के विरुद्ध नारे लगाकर केवल अति प्राथमिक स्तर पर शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक आन्दोलन चला रहे हैं।

एक मजदूर संघ के नेता और संघ के अध्यक्ष के रूप में मेरी भूमिका की व्यापक सराहना हुई थी परन्तु मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि कुछ प्रबन्धकों द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।

मुझे यह जानकर दुःख हुआ है कि श्री अजीत कुमार पांजा जैसे माननीय सदस्य, जो कभी मन्त्रिपरिषद् के सदस्य भी रह चुके हैं, ने भी मेरे विरुद्ध आरोप लगाए हैं।

श्री पांजा ने मुझ पर आरोप लगाए हैं मैं इनका दृढ़ता से खंडन करता हूं।

———

3.14 म० प०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1987-88

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री यशवंत सिन्हा।

श्री जसवंत सिंह (जोधपुर) : महोदय, हमें आज प्रातः से यह सूचित किया गया है कि प्रधान मंत्री खाड़ी स्थिति के बारे में एक वक्तव्य जारी करेंगे। पहले यह बताया गया कि वह अपना वक्तव्य 3 बजे के आस-पास देंगे। हम यह निश्चित रूप से जानना चाहते हैं कि क्या आज वह वक्तव्य दिया जाएगा या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानकारी एकत्र करूंगा। अब श्री यशवंत सिन्हा।

श्री जसवन्त सिंह : मैं आपका आभारी हूंगा, ताकि हम अपना कार्य तदनुसार निर्धारित कर सकें।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं वर्ष 1987-88 के लिए बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[पटल पर रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2103/91]

3.15 म० प०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—1987-88

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : मैं वर्ष 1987-88 के लिए बजट (रेल) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[पटल पर रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2104/91]

3.15½ म० प०

शिशु दुग्ध खाद्य, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक*

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्तन पोषण के संरक्षण और संवर्धन और शिशु खाद्य के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से शिशु दुग्ध खाद्य, पोषण बोतल और शिशु खाद्य के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्तन पोषण के संरक्षण और संवर्धन और शिशु खाद्य के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से शिशु दुग्ध खाद्य, पोषण बोतल और शिशु खाद्य के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 10-1-1991 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

3.17 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आन्ध्र प्रदेश में अमोनिया/यूरिया संयन्त्र स्थापित किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापत्तनम) : कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करने के लिए उर्वरक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आदान है जिससे किसानों को उचित पैदावार प्राप्त होती है। दक्षिण क्षेत्र में नाइट्रोजनी उर्वरक की सबसे अधिक कमी आंध्र प्रदेश में है और यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक और संयन्त्र स्थापित नहीं किये जाते आन्ध्र प्रदेश में यूरिया की वर्तमान कमी लगभग 10 लाख टन की है जिसे देखते हुए नए यूरिया संयंत्र की स्थापना करना न्यायसंगत है। वस्तुत: उर्वरक विभाग के कार्यकारी दल ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उर्वरक की बढ़ती हुई कमी को पूरा करने के लिए तीन बड़े अमोनिया यूरिया सयंत्र स्थापित किए जाने की सिफारिश की है। आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और यूरिया की भारी मांग को देखते हुए वहां अमोनिया/यूरिया का एक बड़ा संयंत्र स्थापित किया जाना पूर्णत: न्यायसंगत है। आन्ध्र प्रदेश के किसान और सहकारी संस्थाएं इस बात की इच्छुक हैं कि एक बहुराज्य सहकारी समिति तथा उर्वरक का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाली कम्पनी 'इफको' को आन्ध्र प्रदेश में अमोनिया/यूरिया संयंत्र स्थापित करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए ताकि उनकी मांग शीघ्र पूरी की जा सके।

(दो) लघु कपास तेल निष्कर्षण संयंत्रों को लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दिए जाने की मांग

श्री पी० नरसा रेड्डी (आदिलाबाद) : भारत सरकार ने वर्ष 1987 में अधिसूचित किया था कि लघु क्षेत्र के अन्तर्गत बिनौले से तेल निकालने वाले खाद्य तेल संयंत्रों को भारत सरकार से लाइसेंस लेना चाहिए। इस अधिसूचना के होते हुए भी आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में लघु क्षेत्र के अन्तर्गत बिनौले से तेल निकालने वाले संयन्त्रों को मंजूरी तथा ऋण दिए हैं। बहुत से संयंत्रों ने तो उत्पादन भी शुरू कर दिया है। आदिलाबाद में बिनौले के तेल का उत्पादन लगभग डेढ़ लाख विवटल है ये सभी संयंत्र उत्पादन का मुश्किल से 5 प्रतिशत उपभोग करते हैं। इससे पहले सरकार ने राज्य के छोटे उद्यमियों पर रोक लगा दी थी जिसके कारण भारी कठिनाई उत्पन्न हुई। छोटे उद्यमियों के हित में आपसे अनुरोध करता हूं कि बिनौले से तेल निकालने वाले लघु संयंत्रों को भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दी जाए। भारत सरकार छोटे उद्यमियो को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए दिल्ली आने और भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भागदौड़ करने में उन्हें होने वाली कठिनाई को भलीभांति समझ सकती है।

(तीन) गंजम जिले में बाढ़ से हुई क्षति को पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार को अधिक केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की मांग

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर) : मैं हाल में आई बाढ़ के कारण उड़ीसा के गंजम जिले में हुई भारी जन हानि, पशुधन एवं फसलों को हुए नुकसान की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभूतपूर्व बाढ़ के कारण उड़ीसा के गंजम जिले के दक्षिणी कृषि क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब हो गई है जिसके परिणामस्वरूप इसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है।

763 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के उपरांत जल-प्रलय से 600 बहुमूल्य जानें गई। अधिकारिक तौर पर लगभग 1000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने की सम्भावना है। केन्द्रीय सरकार ने जो सहायता दी है वह अपर्याप्त है। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से लोगों को अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है।

गंजम जिले में तूफानी बाढ़ के परिणामस्वरूप हुए अभूतपूर्व विनाश के कारण इस घटना को एक "अत्यन्त भयंकर आपदा" माना जाना चाहिए तथा नौवें वित्त आयोग द्वारा सुझाई गई वित्तीय सहायता के अलावा विशेष प्रबंध किये जाने चाहिए। चूंकि विपदा सहायता कोष के अन्तर्गत उपलब्ध पूंजी का पूर्णतया उपयोग किया जा चुका है, इसलिए भारत सरकार द्वारा कम से कम 100 करोड़ रुपये दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकार निर्बाध रूप से सहायता तथा पुनरुद्धार कार्य जारी रख सके। इसके अलावा विश्व बैंक के दल के प्रारम्भिक दौरे के बाद 792.27 करोड़ रुपये के परिव्यय की "गंजम पुनर्निर्माण परियोजना" की रिपोर्ट भारत सरकार के पास भेज दी गई है। परियोजना शीघ्र मंजूर की जाए और इसे वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को अग्रसारित किया जाए।

(चार) राजस्थान के विभिन्न भागों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पीपल्दा, पिपलेट और इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने की मांग

[हिन्दी]

डा० किरोड़ी लाल मीना (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देता हूं कि राजस्थान व मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र सवाई माधोपुर एवं धौलपुर के करीबन 150 कि०मी० लम्बाई में होकर चम्बल नदी निकलती है। राजस्थान का सवाई माधोपुर इलाका कृषि प्रधान होने के कारण सिंचाई साधनों में काफी आवश्यकता महसूस करता है। चम्बल के सरफेस वाटर का उपयोग सवाई माधोपुर में किए जाने के लिए पीपल्दा एवं पिपलेट लिफ्ट योजना 1982 से केन्द्रीय जल आयोग को भेजी हुई है। इसी प्रकार इंदिरा लिफ्ट योजना, जो कि एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, के द्वारा सवाई माधोपुर में ही रामेश्वर घाट के पास चम्बल से पानी लिफ्ट कर समूचे सवाई माधोपुर भरतपुर एवं धौलपुर के कुछ हिस्से को संचित किये जाने की योजना है जिससे 94000 हैक्टेयर भूभाग सिंचित हो सकेगा। इस योजना की टैक्नीकल फिजीबिलिटी व सर्वे रिपोर्ट भी तैयार हो गयी है किन्तु उक्त तीनों योजनाओं को केन्द्रीय जल आयोग ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। सारा क्षेत्र सूखा पड़ा है। पीने तक को पानी नहीं है। यह क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ-साथ कृषि प्रधान क्षेत्र है। मेरा आग्रह है कि पीपल्दा, पिपलेट एवं इन्दिरा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजैक्ट को अविलम्ब स्वीकृत कर चम्बल के पानी का सदुपयोग किया जाना चाहिए।

(पांच) उत्तरी बिहार के सहरसा जिले को वायुदूत सेवा से जोड़े जाने की मांग

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार के सहरसा जिला साल के 6 माह बाढ़ के पानी से घिरा रहता है और आवागमन के सारे रास्ते बन्द हो जाते हैं। साथ ही नेपाल की तरफ से जो भी नदियां आती हैं, उनका सारा पानी बरसात के मौसम में सहरसा को चारों तरफ से घेर लेता है। सहरसा की जनता में इस बात का काफी रोष है कि सहरसा एक कमिश्नरी क्षेत्र होते हुए भी, इसे देश की वायु सेवा के मानचित्र में

अभी तक नहीं लाया गया है जबकि यहां पर काफी सरकारी कार्यालय एवं कृषि पर आधारित छोटे-छोटे उद्योग हैं।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि सहरसा जिले को वायुयुत सेवा से दिल्ली, पटना, कलकत्ता व अन्य स्थानों से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि यहां की जनता को परेशानियों से बचाया जा सके।

(छह) बिहार के गन्ना उत्पादकों के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की मांग

श्री दाऊ मंगल सिंह (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि सारे देश में जहां चीनी मिलें हैं, गन्ना की कीमत तय हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में गन्ना की कीमत तय नहीं कर पाई है, जबकि चीनी मिल आज एक माह पूर्व से चल रही है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में जिस किसी मिल में बिहार का गन्ना जाता है; उसका उचित दाम भी उत्तर प्रदेश की चीनी मिल यह कहकर नहीं दे रही है कि बिहार सरकार ने गन्ने का दाम अभी तक तय नहीं किया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कुछ चीनी मिलें पुराने रेट से ही गन्ने का दाम गन्ना काश्तकारों को दे रही हैं। कुछ मिलें कीमत नहीं मिल रही है। बिहार सरकार गन्ना का दाम तय न कर सकी है। ऐसी परिस्थिति में, भारत सरकार से आग्रह है कि वह इस दिशा में पहल करके किसानों के गन्ने का दाम शीघ्र तय बिहार सरकार से कराए या अपने आप खुद तय करके किसानों के गन्ने का दाम शीघ्र चुकता करा दे।

(सात) राजस्थान में गंगा नगर, बीकानेर और नागौर के ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे फाटकों का निर्माण किए जाने की मांग

श्री ओमप्रकाश मक्कासर (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जिला गंगानगर, बीकानेर व नागौर के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां से रेल लाइन गुजर रही है, रेल विभाग ने किसानों के खेतों-खलिहानों व गांवों के रेल पर से गुजरने वाले रास्तों पर समपार न बनाकर अवरोध खड़े कर दिए या खड्डे खोदकर रास्ते बन्द कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में जब भी किसान अपनी ऊंट गाड़ी, बैल गाड़ी या ट्रैक्टर ट्राली लेकर रेल लाइन पर से गुजरने की कोशिश करता है तो रेल गाड़ी से गम्भीर दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है।

इससे अनेक लोगों को जान-माल से हाथ धोना पड़ा है। सांसद व एक विधायक के रूप में अनेकों बार मैंने इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्र व राज्य सरकार से कोशिश की है मगर कुछ भी नतीजा नहीं निकला है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि अनमैंड समपार बनाकर इस समस्या का समाधान करे ताकि लाखों किसानों को एक भयंकर परेशानी से मुक्ति मिल सके।

(आठ) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में नागोथाने स्थित महाराष्ट्र गैस कंक्रीट कार्म्पलेक्स में हुई आग दुर्घटना की न्यायिक जांच कराने और प्रबंधकों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : 5 नवम्बर, 1990 को एक भीषण आग दुर्घटना हुई जिसके

परिणामस्वरूप रायगढ़ जिले में नागोथाने स्थित महाराष्ट्र गैस क्रैकर्स काम्पलैक्स में विस्फोट हुआ जिससे 30 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा लगभग 30 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की हानि हुई।

प्रबन्धक कारखाने को चालू करने से पूर्व केन्द्र द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे। राज्य सरकार ने भी सम्बन्धित कार्य अधिकारी को यह संकेत देते हुए चेतावनी दी थी कि वे 'लीक' बंद करने तथा यदि आग की घटना अथवा संकट के कारण कोई जन हानि हुई हो तो वे इसके उत्तरदायी होंगे।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए और उन्हें निदेश दिए जाने चाहिए कि वे मृतकों के परिवारों को श्रीराम फूड्स एण्ड फर्टिलाईजर्स, नई दिल्ली के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप आवश्यक मुआवजा दें।

चूंकि कारखाना सरकारी उपक्रम का है इसलिए संयंत्र को पुनः आरम्भ करने से पूर्व एक न्यायिक जांच के आदेश दिये जाएं।

(नौ) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में फरीदपुर से वायुदूत सेवा आरंभ किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बरेली पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख केन्द्र है। महानगर होने के नाते कई बड़े औद्योगिक संस्थान जैसे इफको उर्वरक कारखाना, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मण्डल रेल कार्यालय, पूर्वोत्तर रेल तथा चीनी मिलें आदि हैं। बरेली के महत्व को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा इसे काउण्टर मैगनेट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। बरेली जिलान्तर्गत फरीदपुर एवं समस्त क्षेत्रीय जनता की भारी मांग है कि फरीदपुर में एक हवाई अड्डा यथाशीघ्र बनवाया जाए जिसके लिए क्षेत्र का सर्वे भी किया जा चुका है। किन्तु अभी तक यहां पर वायुदूत सेवा प्रारम्भ नहीं की जा सकी है।

मेरा माननीय नागरिक उड्डयन मन्त्री से अनुरोध है कि क्षेत्रीय एवं जिले की विशेषता को देखते हुए फरीदपुर में वायुदूत सेवा शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने का कष्ट करें।

(दस) महाराष्ट्र के नासिक जिले से अंगूरों की ढुलाई के लिए अधिक बैंगन उपलब्ध कराए जाने की मांग

श्री हरि शंकर महाले (मालेगांव) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में अंगूर की सर्वाधिक फसल होती है। यहीं से अधिकतर प्रान्तों में अंगूर की सप्लाई होती है जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। किन्तु खेद की बात है कि इसकी सप्लाई हेतु समय पर बैंगस (बोगियां) नहीं मिलतीं।

यह एक नष्ट होने वाला, खटाव होने वाला फल है। समय पर इसकी डिलीवरी न होने से किसानों को लाखों का नुकसान हो जाता है। व्यापारियों को घाटा होता है। अब इसके सप्लाई का समय नजदीक आ रहा है। अतः नासिक जिले के निफाड़, लासलगांव, मनमाड, नासिक स्टेशनों पर जहां से इसे भेजते हैं, पर्याप्त मात्रा में बैंगंस शीघ्र उपलब्ध करायें व किसानों को लाखों के नुकसान से बचायें यही निवेदन है।

(ग्यारह) जगदीशपुर में पावर ग्रिड के निर्माण के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के भोजपुर जिला के जगदीशपुर अंचल में भारत सरकार के द्वारा एक पावर ग्रीड बैठाने की स्वीकृति हुई है, कई एक लाख रुपया खर्च भी हुआ, उसकी चार दिवारी भी हो गई है। बिहार सरकार के मुख्य मन्त्री भी चाहते हैं कि वह ग्रीड जल्द से जल्द बन जाए लेकिन भारत सरकार धनया नहीं देने के चलते जगदीशपुर अंचल में पावर ग्रीड जल्द में जल्दी तैयार नहीं हो रहा है। इसलिए भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार जल्द से जल्द 4 करोड़ 85 लाख 30 हजार रुपए भेजे, जिससे कि वह शीघ्र बन कर तैयार हो जाए।

(बारह) 'एक रैंक एक पेंशन' योजना तुरन्त शुरू किए जाने की मांग

प्रो० प्रेम कुमार धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश भर में लाखों भूतपूर्व सैनिकों की "एक रैंक एक पेंशन"—वन रैंक वन पेंशन—की मांग कई वर्षों से चली आ रही है। संसद के अन्दर और संसद के बाहर यह मामला कई बार उठाया जा चुका है। एक अक्टूबर, 1990 को संसद में हो रही बहस के दौरान जब मैंने यह मुद्दा उठाया था, तो तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने बहस में हस्तक्षेप करते हुए घोषणा की थी कि विभिन्न भूतपूर्व सैनिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श के बाद सूबेदार मेजर तक के रैंक के भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन का निर्णय लिया जा चुका है और इस प्रकार लगभग 85 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों को लाभ पहुंचेगा तथा शेष 15 प्रतिशत के विषय में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

परन्तु आज तक इस विषय में तदर्थ पेंशन वृद्धि के समाचारों के बावजूद और कुछ नहीं किया गया है। इससे देश भर में लाखों भूतपूर्व सैनिकों के अविश्वास और असंतोष फैल रहा है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन का निर्णय तुरन्त लागू किया जाए।

———

3.32 म० प०

वित्त (दूसरा संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 34 और 35 पर एक-साथ चर्चा की जायेगी। अब श्री गिरधारी लाल भार्गव सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा 15 अक्तूबर, 1990 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित वित्त (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 8) का निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने देश में कराधान के बारे में 810 करोड़ रुपए के नए टैक्स लगाने के बारे में जो अध्यादेश लागू किया है, उसको अस्वीकार करने का प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। मेरा इस सम्बन्ध में विनम्र निवेदन यह है कि प्रधानमन्त्री जी ने अध्यादेश के केवल दो दिन पूर्व यह घोषणा की थी कि बजट से पूर्व कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा और दो दिन के बाद ही इस भारत वर्ष की गरीब जनता पर 810 करोड़ रुपए के नए करों की घोषणा कर दी। इससे सरकार पर जनता का विश्वास कम हो गया है और साथ ही यह लगने लगा है कि कहीं प्रधानमन्त्री जी, उनका सचिवालय और उनका वित्त मंत्रालय इन तीनों में कहीं आपस में तालमेल का अभाव तो नहीं है। मेरा यहां पर निवेदन करना यह है कि यदि यह बात थी, तो 7 अक्टूबर, 1990 को सब हुआ था, तब यह कानून बन सकता था। इसके कारण क्या होगा, विदेशी कंपनियों पर अधिभार इसमें नहीं बढ़ाया गया है, एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा, विदेशी कम्पनियों को अप्रत्यक्ष लाभ तो होगा ही, इंपोर्ट बढ़ायेंगे और बैलेंस-आफ-फॉरन एक्सचेंज इससे बिगड़ेगा। यहां पर मुझे सिर्फ यह निवेदन करना है कि मूल जो बात कही गई है, वह यह कही गई है कि खाड़ी में जो भारतीय फंसे हुए थे, उनको निकालने में हमारा बहुत खर्च हो गया है। इसके कारण हमको बजट पूर्व यह 810 करोड़ रुपए के टैक्स लगाने पड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाड़ी के नाम पर आने वाले भारतीयों के बारे में, आए तो भारतीय एक ही बार है, कितनी बार टैक्स लगायेंगे। खाड़ी में रहने वाले भारतीयों के नाम पर इनकम टैक्स में 8 प्रतिशत अधिभार लगाया। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 25 परसेंट बढ़ोतरी भी खाड़ी संकट के नाम पर की, हवाई जहाज के किराये में वृद्धि और भाड़ा तथा ठण्डे पेयजल, अन्य बहुत सी चीजों में भी आपने खाड़ी संकट के नाम पर बढ़ोतरी की। माननीय मन्त्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार हम लोक सभा के मेंबर हैं, आप कृपा करके हमको ये तो जानकारी दीजिये, आपने आर्डीनेंस तो निकाल दिया और उसके मार्फत एक-दो के नहीं 810 करोड़ रुपए के भयंकर टैक्स लगा कर गरीब जनता को पीसना और चूसना चाहते हैं सरकार नेइस मद पर खाड़ी संकट के नाम पर, भारतीयों को लाने के नाम पर कितना खर्च किया कम से कम आप हमें इसका ब्यौरा तो दीजियेगा, जिससे हमको इसकी जानकारी तो हो जाए और हम जाकर लोगों को बता सकें कि इसलिए हमने इस बिल का समर्थन किया है। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : जिस समय आपकी पार्टी सरकार का समर्थन कर रही थी, उस समय यह टैक्स लगाये गये थे। (व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अब यह तो कोई अर्थ नहीं होता कि जिस समय हमारी पार्टी थी उस समय टैक्स लगाये गये। (व्यवधान) लेकिन आर्डीनेंस आज आया है। चन्द्र शेखर जी की सरकार ने, जिसका कि आप समर्थन कर रहे हैं उन्होंने ये टैक्स नहीं लगाये। जब हम समर्थन कर रहे थे तो मैं समझता हूं कि उस समय सरकार ने टैक्स नहीं लगाये थे। इसलिए रावत साहब जी कृपा करके इसमें आप करेक्शन कर लीजियेगा। (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि सरकार ने इस मद पर कितना खर्च

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

किया, कितने भारतीयों को खाड़ी से लाया गया, कितनों का पुनर्वास किया गया और कितने व्यक्तियों का अभी पुनर्वास होना है। कम से कम ये जानकारी तो हमको सदन में मिलनी चाहिए। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक आर्थिक संकट का प्रश्न है तो पहले राजनीतिक प्रयासों में प्रावधान कर दिया गया और पेट्रोल की कीमत 40 डालर प्रति बैरेल तक पहुंच जाएगी, ये संभावना थी। पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई लेकिन पेट्रोल की कीमत यहां तक पहुंची नहीं और कीमत नीचे आ गई, तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने कीमत कम कर दी कम नहीं की गई। इसलिये मेरा निवेदन है कि खाड़ी मुद्दे पर किसी भी प्रकार से नए टैक्स लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है यह आर्डीनेंस ला करके इस प्रकार जहां तक बढ़ाए गए अधिकार का प्रश्न है, इस प्रक्रिया को आप तो जानते ही हैं क्योंकि आप कई वर्षों से इस सदन में सदस्य हैं। ये बजट की प्रक्रिया, बजट में जिस प्रकार से अधिभार का प्रश्न उठाया जाता है, जिसमें करदाता को विश्वास दिलाया जाता है कि वर्ष के दौरान आयकर कानून में किसी भी प्रकार की तबदीली नहीं होगी, ये सारी बातें की जाती हैं। एक तरफ हम लम्बी अर्थ-नीति की बात करते हैं और दूसरी तरफ वर्ष के मध्य में आय-कर नीति को बदल कर बजट प्रक्रिया की महत्ता को समाप्त कर रहे हैं। मैं समझता हूं ऐसी प्रक्रिया कभी इमर्जेन्सी के दिनों में भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की होगी, आपातकालीन स्थिति में भी। इसलिये बजट के पहले इस प्रकार से अधिभार को आपको नहीं बढ़ाना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

इसके बाद आपने डेप्रीसिएशन की सीमा को वर्ष के मध्य में बदल कर जो उद्योग लगे हुए हैं उनके साथ आपने विश्वासघात किया है। जिन उद्योगों में 1 अप्रैल, 1990 के बाद यह विनियोजन हुआ है, उन सब की आर्थिक स्थिति भी डावांडोल हो जायेगी। इसीलिए अप्रवासी भारतीय अथवा विदेश कम्पनियां देश में पूंजी विनियोजन से कतराने लगेंगी और प्रवासीय भारतीयों को आकर्षित करने के बारे में जितने भी आज तक हम प्रयास कर रहे थे, वे सब फेल हो जायेंगे। मुझे एक बात आपसे और निवेदन करनी है कि करों को बार-बार बढ़ा देने से कर-चोरी को बढ़ावा मिलता है और व्यक्तिगत आधार पर अधिभार आपने 8 से 12 परसेंट करके चोरी की संभावनायें और बढ़ा दी हैं क्योंकि 75000 रुपए अधिक आय होने पर 75,000 रुपए तक के कर पर भी अधिभार बढ़ेगा। इससे देश में काला धन बढ़ेगा। मेरा निवेदन यह है कि 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का कालाधन इस देश में पैदा होता है। यदि हम 10 परसेंट भी उस कालेधन की रोकथाम कर लें तो मैं समझता हूं कि हमको इस गरीब जनता पर नए टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं, मैं आपका अनुयायी हूं। इन सब बातों को देखते हुए मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय वित्त मन्त्री इस अध्यादेश के मार्फत भारत की गरीब जनता पर 8 या 10 करोड़ रुपए के टैक्स लगा रहे हैं और देश के प्रधानमन्त्री जी ने बार-बार कहा है कि इस बजट के पहले में एक नए पैसे का टैक्स भी नहीं लगाऊंगा। प्रधानमन्त्री जी ने भारत की जनता को वचन दिया था, मगर इसके दो दिन पश्चात ही उन्होंने भारत की जनता पर 810 करोड़ रुपए के टैक्स लगा दिए। इसलिए कृपा करके आप इन टैक्सों को वापस लें। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्त अधिनियम, 1990 और आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

महोदय, माननीय सदस्यों को जानकारी होगी और मैं माननीय सदस्य श्री भार्गव को यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सभा के सामने प्रस्तुत विधेयक के दो भाग हैं । एक तो अध्यादेश का विनिवर्तन करना है जिसे पिछली सरकार ने 15 अक्तूबर, 1990 को स्वीकृत अथवा पारित किया था, जिसमें कुछ कर लगाये गए थे और दूसरे में कुछ अन्य कर हैं जिन्हें अब इस सरकार द्वारा लगाये जाने का प्रस्ताव है । इसके स्पष्टत: दो भाग है । मेरे मित्र श्री हरीश रावत उन्हें यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि अध्यादेश आपके दल द्वारा समर्थित सरकार द्वारा पारित किया गया था और इसलिए अब उनके द्वारा पीछे हट जाना तथा यह कहना कि वे उस अध्यादेश के विनियमन एवं इसको अधिनियम बनाए जाने का विरोध करते हैं, यह बात मुझे उलझन में डालने वाली लगती है ।

महोदय, माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी कि खाड़ी में संकट के परिणाम-स्वरूप भारत सरकार ने उस क्षेत्र में काम कर रहे भारतीयों को वहां से निकालने तथा उन्हें राहत प्रदान करने के लिए भारी प्रयास किए हैं । इस कार्य में हुए खर्च को अंशत: पूरा करने के लिए सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त साधन जुटाने का निर्णय किया जिसमें स्वदेशी कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले आय-कर के अधिभार में वृद्धि करना है । चूंकि उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था और संसाधनों में वृद्धि करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक था, अत: राष्ट्रपति ने 15 अक्तूबर, 1990 को वित्त (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1990 की उद्घोषणा की थी। इस अध्यादेश के अन्तर्गत स्वदेशी कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान 75,000 रु० से अधिक की आय पर देय अधिभार को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया था । अध्यादेश में यह उपबन्ध था कि 15 प्रतिशत की इस ऊंची दर से अधिभार किसी स्वदेशी कम्पनी को किये जाने वाले भुगतानों से स्रोत पर कर कटौती करते समय ही किया जायेगा जहां ऐसी कटौती आय-कर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 1990 के अनेक उपबन्धों के अन्तर्गत की जाती है । अध्यादेश में यह भी उपबन्ध था कि मानव उपभोग के लिए अनकोहलीय मदिरा (भारत निर्मित विदेशी मदिरा के अतिरिक्त) के व्यापार अथवा वन उत्पादों में लगी स्वदेशी कम्पनी के स्रोत के कर की वसूली तथा वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान दिए जाने वाले अग्रिम कर की राशि की गणना करते समय अधिभार की बढ़ी हुई दर लगाई जाएगी । चूंकि अग्रिम कर की प्रथम किस्त की देय तिथि 15 सितम्बर, 1990 अध्यादेश की उद्घोषणा से पूर्व ही निकल चुकी थी और सरकार का इरादा संसाधनों में तुरन्त वृद्धि करना था, इसलिए अध्यादेश में यह प्रावधान किया गया था कि अग्रिम कर की 15 सितम्बर, 1990 को देय किस्त के सम्बन्ध में अधिभार का भुगतान 15 नवम्बर, 1990 तक किया जा सकता है ।

इससे लगभग 400 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होगी ।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

इस विधेयक का एक उद्देश्य वित्त (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1990 के उपबन्धों को प्रतिस्थापित करना है।

वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभालने के पश्चात् देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की थी। खाड़ी संकट के परिणामस्वरूप आयातों और उत्पाद-शुल्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा देश की आंतरिक गड़बड़ी के कारण उत्पादन और सामान की ढुलाई पर प्रभाव पड़ा, यदि राजकोषीय खाते में संतुलन बनाए रखने के लिए शीघ्र प्रयास नहीं किए गए तो बजट घाटा चिन्ताजनक स्थिति में पहुंच सकता है। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति के रूप में इस विधेयक द्वारा व्यक्तिगत आय-कर पर अधिभार की वर्तमान 8 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 12 प्रतिशत करना है। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत अनिवासी अनिगमित करदाताओं को जिनकी वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान कर योग्य आय, 75000 रुपए से अधिक है, आय-कर पर वर्तमान 8 प्रतिशत की दर के मुकाबले 12 प्रतिशत की दर से अधिभार देना होगा। अतिरिक्त अधिभार आय के स्रोत से कर की कटौती करते समय लगाया जाएगा बशर्ते कि इस प्रकार की कटौती की अदायगी इस विधेयक के अधिनियम बनने तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलने की तारीख के बाद की जाती है। ठीक इसी प्रकार बढ़ी हुई दर से अधिभार आय-कर अधिनियम के कतिपय विशेष उपबन्धों के अन्तर्गत लगाया जाएगा, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वर्तमान आय का निर्धारण किया जाना है और ये निर्धारण इस तिथि के बाद किए जाएंगे।

ऐसे नान-कार्पोरेट रेजीडेंट कारदाताओं को जिन्हें चालू वित्त वर्ष के दौरान अग्रिम कर का भुगतान करना है, उन्हें अपने अग्रिम कर का हिसाब लगाते समय अधिभार की बढ़ी हुई दर को भी हिसाब में लेना होगा। उन्हें 15 मार्च, 1991 को देय अन्तिम किश्त का भुगतान करते समय पहली दो किश्तों में किए गए भुगतान की कमी को पूरा करना होगा। चालू वित्त वर्ष की बाकी अवधि के दौरान वेतन के रूप में आय का भुगतान करने वाले व्यक्तियों को भी ऐसी आय में से कटौतियों का समायोजन करना होगा ताकि पूरे वर्ष के लिए बढ़ी हुई दर पर अधिभार की वसूली की जा सके।

इस प्रस्ताव से पूरे वर्ष में एक सौ चालीस करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान साठ करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए विधेयक में जो एक और प्रस्ताव किया गया है वह व्यापार के क्षेत्र से संबंधित है। इस समय व्यापार के प्रयोजन से इस्तेमाल किये जाने वाले संयन्त्र तथा मशीनरी की बाबत मूल्यह्रास की गणना 33.33 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की दर से की जाती है। अन्य परिसंपत्तियां, जैसे भवन, फर्नीचर तथा का मूल्यह्रास पांच प्रतिशत और 20 प्रतिशत के बीच की दरों पर किया जाता है। इस विधेयक का उद्देश्य व्यापार या व्यवसाय के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले संयन्त्र, मशीनरी तथा अन्य परिसंपत्तियों की बाबत मूल्यह्रास के आधार पर की जाने वाली कटौती की सीमा को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विहित मूल्यह्रास की दरों पर परिकलित धनराशि के 75 प्रतिशत पर निर्धारित करना है। इससे वर्ष 1991-92 के कर-निर्धारण के लिए व्यापार

करने वाले करदाताओं के कर-आधार को पूरे वर्ष में लगभग 2400 करोड़ रुपयों तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें से लगभग 750 करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष के दौरान वसूल किए जा सकेंगे।

विधेयक के अन्य उपबन्ध पारिणामिक प्रकार के हैं।

विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने के बाद सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि मूल्यह्रास में दी जाने वाली छूट पर प्रस्तावित सीमा-निर्धारण से छोटे व्यापारों को, जो सामान्यतः भागीदारी फर्मों या सांपत्तिक प्रतिष्ठानों के रूप में चलाए जा रहे हैं, काफी कठिनाई होगी। इस बात को स्वीकार करते हुए, मैं इस विधेयक में सरकार की ओर से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि मूल्यह्रास में दी जाने वाली छूट पर प्रस्तावित प्रतिबन्ध गैर-निगमित कर दाताओं पर लागू नहीं होंगे।

श्रीमान, मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को सभा का निर्विरोध समर्थन प्राप्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा 15 अक्तूबर, 1990 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित वित्त (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 8) का निरनुमोदन करती है।"

"कि वित्त अधिनियम, 1990 और आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

कुछ सदस्यों ने प्रस्तावों में संशोधनों की सूचना दी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे उन संशोधनों को प्रस्तुत करने में रुचि रखते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 2 अप्रैल, 1991 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए।" (3)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक को उस पर 5 अप्रैल, 1991 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए। (4)

प्रो० राजा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि विधेयक को उस पर 9 अप्रैल, 1991 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए। (7)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री राघव जी बोलें। राघवजी, आपके दल को अठारह मिनट का समय आवंटित किया गया है। मैं समझता हूं कि आपके दल की ओर से केवल आप ही बोलेंगे क्योंकि मुझे केवल एक ही नाम प्राप्त हुआ है। इसलिए कृपया अपना भाषण उक्त समय के भीतर ही समाप्त कर दें।

श्री काशीराम छबीलदास राणा (सूरत) : महोदय, मैंने भी अपना संशोधन दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर अभी विचार किया जा रहा है। आपने किसी एक खंड के लिए संशोधन दिया होगा। राघवजी, अब आप बोलिए।

[हिन्दी]

श्री राघवजी (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह फरमा रहे थे कि जब आपकी सरकार ने समर्थन किया उस समय आर्डिनेंस जारी हुआ था। माननीय मंत्री जी को यह मालूम होना चाहिए कि आर्डिनेंस जारी होने के तीन दिन के बाद अपना समर्थन वापिस ले लिया था और समर्थन वापिस लेते समय केवल राम जन्म भूमि का मुद्दा नहीं था बल्कि महंगाई और अन्य लगाए टैक्स भी थे। माननीय मन्त्री जी अपनी भूल को ठीक कर लें।...(व्यवधान)...आपने संशोधन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि नान कारपोरेट टैक्स पर डेप्रीशियेशन वाली बात लागू नहीं होगी, मैं उसका स्वागत करता हूं और मूल बिल का विरोध करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। प्रधान मंत्री जी ने कलकत्ता में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि था कि बजट के पूर्व नये टैक्स नहीं लगाए जायेंगे किन्तु एक भी सप्ताह बीत नहीं पाया था और नये टैक्स आर्डिनेंस के अलावा लागू कर दिए गए। माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि 750 करोड़ रुपया डेप्रीशियेशन की इकोनोमी की वजह से और साठ करोड़ रुपया सरचार्ज बढ़ाकर कुल मिलाकर 810 करोड़ रुपए के नये टैक्स लगाए गए है। वास्तव में इस वर्ष की आमदनी जो चालू वर्ष है, यह टैक्स इतना नहीं है, बल्कि एक हजार करोड़ डेप्रीशिएशन की वजह से बढ़ेगा और 160 करोड़ रुपये सरसार्ज की वजह से बढ़ेंगे। यह अलग बात है कि इसमें डाई सौ करोड़ रुपये की वसूली 31 मार्च के बाद होगी। लेकिन यह सारा का सारा 31 मार्च 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित है। इसलिए यह गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है कि हमने केवल 750 करोड़ रुपए के और 60 करोड़ रुपए के टैक्स लगाए हैं। वास्तव में यह 1160 करोड़ रुपए के लगे हैं। यह जो 1160 करोड़ रुपए के टैक्स हैं यह बजट के ठीक पूर्व में लगाए गए हैं। प्रत्यक्ष कर लगाने की कभी ऐसी परम्परा नहीं रही, लेकिन इस बार सरकार ने एक नई प्रथा को शुरू किया और सरचार्ज के नाम पर, डेप्रीशिएशन के क्लेम कम करने पर जो सीधे टैक्स लगाने की प्रथा शुरू की यह उचित नहीं है। जो लोग व्यापार करते है वे टैक्स का स्ट्रिक्चर देखकर अपनी प्लानिंग करते हैं। आपने 25 प्रतिशत कर दिया डेप्रीसिएशन का, जिन लोगों ने प्लानिंग की होगी डेप्रीसिएशन की, उसी हिसाब से मशीनें लगाई होंगी, उसके साथ व्यापार शुरू किया होगा उनके साथ यह धोखाधड़ी की है जो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। कभी घाड़ो संकट के नाम से टैक्स लगाये जाते हैं, कभी वहां से बाशियों को वापस लाने के लिए टैक्स लगाये जाते है। सरचार्ज के नाम पर जनता के साथ और करदाताओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। 80 करोड़ की आबादी का यह देश है और इसमें इस तरह की घटनाएं तो होती ही रहेंगी। अगर इनके नाम पर आप सरचार्ज औरटैक्स बढ़ाते रहेंगे तो यह बात ठीक नहीं है। इसको जितना डिसक्लेज किया जाए उतना किया जाना चाहिए।

यह 1160 करोड़ रुपए के टैक्स और इसके अतिरिक्त कस्टम और एक्साइज ड्यूटी के लगभग 400 करोड़ के टैक्स और कार्पोरेट सेक्टर का 200 करोड़ का टैक्स, ये सब मिलाकर 2000 करोड़ रुपए के टैक्स होते है। ये जो टैक्स लगाए गए हैं हिन्दुस्तान के करदाताओं के साथ और

मतदाताओं के साथ खिलवाड़ है चार-पांच वर्ष पूर्व जब बजट प्रस्तुत हुआ था तब यह नीति लगभग तय हो गई थी कि अधिकतम सीमा कर की पचास फीसदी से ऊपर नहीं होगी। क्योंकि पचास फीसदी से ज्यादा लगाने से इवेजन की प्रवृत्ति बढ़ती है और कालाधन जन्म लेता है। उस वक्त सबसे ऊपर की दर पचास फीसदी थी, लेकिन उसके बाद धीरे से उसको पचपन फीसदी कर दिया गया, अब यह सर-चार्ज बढ़ने से बासठ फीसदी हो गई। इसमें भी अब कोई फर्म में भागीदार रहेगा तो भागीदारी फर्म का टैक्स अलग लगेगा पहले प्रोफेशनल 250 रुपए अधिकतम सीमा थी, अब उसको 2580 रुपए कर दिया है। यह सब मिलकर एक व्यक्ति को अपनी आमदनी पर 75-80 प्रतिशत टैक्स जमा करना पड़ता है तो क्यों नहीं इवेजन की प्रवृत्ति बढ़ेगी और उसी से कालाधन जन्म लेता है और आगे भी लेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त करें, आपकी तरफ से बोलने वाले काफी सदस्य हैं।

श्री राघवजी : मैं उनका समय नहीं ले रहा हूं, मैं तो अपना समय ले रहा हूं और बोलने वाला भी मैं इधर से अकेला हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संबद्ध विषय पर ही बोलें। यदि आप इस तरह बोलेंगे तो दूसरों को समय देना कठिन हो जाएगा।

श्री राघवजी : श्रीमान मैं संगत मुद्दों पर ही बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे दूसरों सदस्यों को भी समय देना।

[हिन्दी]

श्री राघवजी : इस प्रकार से यह धोखाधड़ी को जन्म देने वाली परम्परा समाप्त होनी चाहिए। राज्य सरकारों के साथ भी धोखाधड़ी है, क्योंकि सरचार्ज में से राज्य सरकारों को हिस्सा नहीं जाता है, जबकि राज्य सरकारों की भी भागीदारी होनी चाहिए। मैं एक बात पर और जोर देना चाहता हूं कि वास्तव में इन टैक्सेज को लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। आपने अनुमान किया था कि इतना टैक्स इकट्ठा होगा, उसमें कमी क्यों हुई है, इस पर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं थोड़े से आंकड़े देना चाहता हूं, डाइरेक्ट टैक्स के अनुसार अप्रैल से लेकर नवम्बर यानि आठ महीने में जो टैक्स इकट्ठा होना चाहिए था जितना हुआ है वह मैं बताना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, 11515 करोड़ रुपया टैक्स के लिए कलेक्ट होने में बजट में अनुमान था। सालभर के पिछले 8 महीनों में जो हिसाब बनता है वह 7680 करोड़ रुपया डायरेक्ट टैक्सेज के रूप में था लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कुल 3234 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। इसका मतलब यह कि 4446 करोड़ रुपए की कमी हुई है। इसी प्रकार से कस्टम टैक्स 14306 करोड़ रुपये का एस्टीमेट था, उसमें केवल 12468 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। कमी है 1938 करोड़ और एक्साईज में जहां 16780 करोड़ रुपया होना चाहिए था, वह यह 14860 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। कमी है 1920 करोड़ रुपए की। इस प्रकार कुल मिलाकर 8 महीनों में 8304 करोड़ रुपए की टैक्स के संग्रह में कमी हुई है। यह क्यों हुआ है? इसके बारे में कारण जानने की कोशिश नहीं की गयी है। सालभर में यह कमी

[श्री राघवजी]

11 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में एक बात भी नहीं की है। अगर कर संग्रह ठीक हो जाता तो नए टैक्स लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम टैक्स लाज में संशोधन तो करते ही रहते हैं लेकिन आज तक उसके सरलीकरण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इनकम टैक्स और वैल्थ टैक्स का सरलीकरण होना बहुत आवश्यक है। कानून इतना पेचीदा बना दिया है कि उसका सरलीकरण करना आवश्यक है। वह होना ही चाहिए। छोटे-छोटे और तकनीकी कारणों से जुर्माने लगाए जाते हैं। एक धारा 272ए है जिसमें प्रतिदिन का 200/- रुपए जुर्माना का प्रावधान है और वह जुर्माना इस बात के लिए है कि वह फार्म प्रस्तुत नहीं कर पाता है। हालांकि टैक्स जमा किया हुआ है, टैक्स काटा हुआ है, इसके बाद भी केवल फार्म प्रस्तुत नहीं करने पर 200/-रु० प्रतिदिन का जुर्माना लगता है जो आकर लाख रुपए तक पहुंचता है। इस धारा को समाप्त करना चाहिए ताकि करदाता का सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी बात मैं और कहना चाहता हूं। प्राय: सभी पार्टियों ने अपने राजनैतिक घोषणा पत्र में यह कहा है कि हम सेल्ज टैक्स समाप्त करेंगे। सेल्ज टैक्स आयकर के साथ जुड़ा हुआ है। एडीशनल एक्साईज ड्यूटी आप लगा दीजिए तो बहुत सी वस्तुओं पर विक्रय कर कम किए जा सकते हैं। ऐसी बहुत सी वस्तुएं जो कारखानों में निर्मित होती हैं, जिनपर एडीशनल एक्साईज लगी हुई है जिनके ऊपर सेल्जटैक्स लगता नहीं है। इसका दायरा काफी विस्तृत किया जाकर और इस दायरे में कई अनेक वस्तुओं का समावेश करने से सेल्सटैक्स का दायरा मिनीमाईज कर सकते हैं। इससे काले की प्रवृत्ति कम होगी और जहां काले धन की प्रवृत्ति कम होगी, वहां एकनामी पर अच्छा असर पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी निवेदन के साथ मैं माननीय मन्त्री द्वारा जो भारी भरकम टैक्स लगाए हैं; इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कांग्रेस दल को इकतालीस मिनट का समय दिया गया है। उनके दल से मेरे पास तीन नाम आये हैं। कृपया अपने दल के लिए आवंटित किये गये समय में ही अपनी बात समाप्त कर लें।

डा० देवी प्रसाद पाल।

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकता उत्तर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं अपने दल की ओर से कराधान (संशोधन) विधेयक, 1990 का समर्थन कर रहा हूं लेकिन मेरे विचार में यह कराधान काफी चिन्ता का विषय है। मुझे वित्त मन्त्री को, जो इस विधेयक को प्रस्तुत कर रही हैं, इस बात से सावधान करना है कि ऐसा लगता है कि आज काले धन संबंधी उपाय केवल इस प्रयोजन से किये जाते हैं कि सरकारी कोष के लिए राजस्व प्राप्ति के साधनों में वृद्धि की जा सके। और इन

उपायों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव अनदेखा कर दिया जाता है। वर्तमान सरकार ने वित्तीय दिवालियेपन की स्थिति में सत्ता संभाली है। और यह स्थिति श्री वी० पी० सिंह की सरकार ने बनाई थी। जब श्री वी० पी० सिंह की सरकार का बजट प्रस्तुत किया गया था तब मैंने यह चेतावनी दी थी कि उन्होंने अपने बजट में जो घाटा दिखाया था वह भ्रामक था इसका और अधिक व्यापक प्रभाव पड़ेगा और वित्त वर्ष के अन्त में आपका घाटा और अधिक बढ़ जायेगा क्योंकि आपने कुछ प्रकार के व्यय के कुछ आंकड़े जनता को गुमराह करने के लिए दिए हैं जिनसे सरकार की देयता का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह बात सच साबित हुई है।

वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पूर्व ही पिछली सरकार ने सत्ता छोड़ने से पूर्व एक अध्यादेश जारी किया था।

4.00 अ० प०

इस अध्यादेश के द्वारा वे राजस्व में और वृद्धि करना चाहते थे। अब इस विधेयक में इस आधार पर नए कर लगाने का प्रावधान है कि कुवैत से लोगों को स्वदेश लाने में तथा खाड़ी संकट के फलस्वरूप व्यय में वृद्धि हो रही है।

प्रश्न यह है कि यदि खर्च किया जाना है तो क्या सरकार ने ऐसे कदम उठाये हैं जिनके द्वारा राजस्व में वृद्धि की जा सके तथा व्यय को भी एक उपयुक्त स्तर तक कम किया जा सके। वर्तमान कराधान संशोधन विधेयक के तहत मुख्यतः दो आधार पर कर लगाये जाने की मांग की गई है। एक गैर-निगमित निर्धारितियों के अधिभार को बढ़ाकर 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करना। सरकार को आशा है कि वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में राजस्व में 60 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। और दूसरा सरकार द्वारा अधिभार लागू करने का प्रयास करना है जो कि सामान्य मूल्यह्रास को जो निगमित क्षेत्र को संयंत्र और मशीनरी पर उपलब्ध है, वापस लेकर इस प्रकार के सामान्य मूल्यह्रास में 25 प्रतिशत कमी करने का अप्रत्यक्ष उपाय है। यदि आप गैर-निगमित क्षेत्र के अधिभार में वृद्धि करते हैं तो इससे निर्धारिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। पिछली सरकार के ग्यारह महीनों के शासन के दौरान हुई अभूतपूर्व मुद्रा-स्फीति से फलस्वरूप लोग परेशान हैं। अत्यधिक मुद्रा-स्फीति के फलस्वरूप वे लगभग टूट चुके हैं और यदि गैर-निगमित व्यष्टिक निर्धारितियों पर यह अधिकार पुनः लगाया गया तो इससे उन पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह वृद्धि उन गैर-निगमित निर्धारितियों के लिए होगी जिनकी वार्षिक आय 75,000 रुपये से अधिक है।

श्री युसुफ बेग (मिर्जापुर)। जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग इससे प्रभावित होंगे ?

डा० देवी प्रसाद पाल : वे मध्यम वर्ग के लोग हैं। 6,000/- रुपये का महत्व अब उतना नहीं है जितना दस वर्ष पूर्व था। उच्च पदों पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की आय भी 6,000/- रुपये से बहुत अधिक है।

जहां तक निगमित क्षेत्र का संबंध है यह एक बहुत ही गम्भीर बात है। पिछली सरकार ने अपने शासन के वित्तीय कुप्रशासन के दौरान निगमित क्षेत्र को दी जाने वाली पूंजी निवेश की छूट को वापस लेने की कोशिश की थी। कम्पनियों को निवेश में छूट उनके संयंत्र और मशीनरी के विकास के

[डा० देवी प्रसाद पाल]

लिए दी जाती है। निवेश-छूट नये संयंत्र और मशीनरी के लिए प्रदान की जाती है जिससे कि देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके। पिछली सरकार ने निवेश-छूट को पूर्णत: वापस ले लिया जो कि सामान्यत: साल की कुछ अवधि के लिए दी जाती थी। उद्योगों को भी बिना कोई सूचना दिए उन्होंने एकाएक इसे वापस ले लिया जिसके परिणामस्वरूप कम्पनियां अत्याधिक प्रभावित हुई क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार का उद्देश्य निवेश-छूट वापस लेकर 800 करोड़ रुपये वसूल करना था। सभा में उस मुद्दे पर चर्चा के समय मैंने कहा था कि कम्पनियों को सात सालों से दी जा रही निवेश छूट यदि आप वापस लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको उपयुक्त सूचना पहले देनी चाहिए थी। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि सामान्य मूल्यह्रास को 25 प्रतिशत कम किया जाए। इसका कराधान पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? सरकार को आशा है इसके परिणामस्वरूप निगमित क्षेत्र से 800 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। लेकिन किस कीमत पर ? बहुत पुराने संयंत्र और मशीनरी को बदलने के लिए मूल्यह्रास की छूट दी जाती है।

4.05 म० प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

निगमित क्षेत्र मूल्यह्रास के लिए राशि की व्यवस्था के द्वारा आन्तरिक रोकड़ प्रवाह उधार लिए बिना आन्तरिक पूंजी उत्पन्न करता है जिसका औद्योगिक विकास के लिए उपयोग किया जाता है। अब निवेश भत्ता को वापिस लेने से अपने औद्योगिक विकास को पूर्णतया अवरुद्ध कर दिया है तथा सामान्य मूल्यह्रास में और 25 प्रतिशत वापस ले लेने के फलस्वरूप उद्योग निगमित क्षेत्र को अपने आन्तरिक पूंजी प्रवाह को, जिसके द्वारा वे अपने उद्योगों को विकसित कर सकते हैं, उत्पन्न करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके परिणामस्वरूप उद्योगों को बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से ज्यादा उधार तथा ज्यादा ऋणग्रस्त रहने के लिए निर्भर रहना पड़ेगा, इसके परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। ये जो दो भार लगाए गए हैं उनके फलस्वरूप न केवल औद्योगिक विकास अवरुद्ध होगा अपितु कीमतों में और ज्यादा वृद्धि होगी क्योंकि अब कम्पनियों को उधार पर निर्भर रहना पड़ेगा।

दूसरा, मैं वित्त मंत्रालय से यह स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहना चाहूंगा कि यदि कोई कंपनी सामान्य 100 रुपये का मूल्यह्रास पाने की हकदार है तो आप उसे 75 रुपये दे रहे हैं। अत: अगले वित्त वर्ष में ह्रासित खाता मूल्य की गणना की क्या स्थिति होगी। वास्तविकता यह है कि कम्पनी इस 25 प्रतिशत से पूर्णतया वंचित हो जाएगी। ह्रासित खाता मूल्य का निर्धारण करने के लिए वास्तविक तौर पर दिये गये मूल्य ह्रास को ध्यान में रखना होगा, यदि ह्रासित खाता मूल्य का पता लगाने के लिए 100 प्रतिशत का सामान्य अवमूल्यन को कम किया जाता है तो अप्रत्यक्ष तौर पर कम्पनियों के ऊपर और कर लगाना होगा तथा यह उपाय एक कठोर उपाय होगा।

महोदय, इन दो भार को लगाकर हम राजस्व की प्राप्ति के उपाय कर रहे हैं। जैसाकि विदित है कि कुल 2991 करोड़ रुपयों में से 1560 करोड़ रुपए की प्राप्ति निगमित क्षेत्र से उद्योगों के विकास को अवरुद्ध करके की जा रही है। राजकोषीय उपाय का आशय न केवल राजस्व के स्रोत

को बढ़ाना है। इसमें संतुलन लाना होगा और राजकोषिय वृद्धि और आर्थिक न्याय के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा। इन करों को लगाते समय ऐसा कुछ भी नहीं सोचा गया। पिछली सरकार द्वारा बजट पेश करने के दौरान हमने उसे सावधान करते हुए कहा था कि राजकोषीय नीति में घाटे की वित्त व्यवस्था अन्तर्निहित है। आप जनता को खुश करने के उपाय कर रहे हैं। आप इस बात को सोचे बिना कि इसका अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, केवल वोट प्राप्त करने के उपाय कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कृषि को दिया जाने वाले ऋण। कृषि ऋण को माफ करने की शुरूवात पिछली सरकार द्वारा की गई थी। हमने सरकार को सावधान करते हुए कहा था कि इस उपाय का उद्देश्य निर्धन किसानों की समस्याओं को हल करना नहीं है, तथा सरकार इस पर पहले ही 4,000 करोड़ रुपये व्यय कर चुकी है और यदि इसे पूरी तरह से व्यवहार में लाया गया तो इस पर कम से कम 7,000 रुपए व्यय होंगे। क्या वर्तमान सरकार पिछली सरकार के नीतियों को चालू रखते हुए 10,000 रुपये तक की कृषि ऋण माफ करेगी ? इस संबंध में पिछले वित्त मन्त्री द्वारा सभा में इस बात का आश्वासन दिया गया था कि जिन बैंकों और सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण दिया गया था उसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। क्या वित्त मंत्री इस बात का स्पष्टीकरण देंगे कि उन बैंकों को जिन्होंने ऋण समाप्त करने के लिए अग्रिम राशि प्रदान की थी, उसकी प्रतिशतें कर दी गई हैं। मुझे मिली सूचना के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सहकारी संस्थाओं जिन्हें ऋणों की माफी के लिए अग्रिम धन देना पड़ा था उन्हें अब तक कुछ भी प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप जिन बैंकों और सहकारी संस्थाओं ने जनता को खुश करने के उपायों के तहत ऋण को माफ कर दिया था उन्हें सरकार द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की गई जिससे कीमतों में और वृद्धि होना निश्चित है। यदि चाहे की वित्त व्यवस्था थी, यदि सरकारी राजस्व की स्थिति ऐसी खराब थी। तो पिछली सरकार को उत्पाद कर की वापसी का उपाय जोकि उनका एक बहुत बड़ा घपला था लागू करने की क्या आवश्यकता थी। यदि सरकार के पास धन की कमी थी तो सरकार ने उत्पाद शुल्क की वापसी का मामला क्यों शुरू किया जिसका विवाद न्यायालय में लम्बित पड़ा है ? (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : आप एक जानकार व्यक्ति है। आप जानते हैं कि उत्पाद कर की वापसी पिछले चालीस सालों से चल रही है। (व्यवधान)

डा० देवी प्रसाद पाल : फिर रक्षा व्यय भी है। पहले ही लिये गये कर्ज का ब्याज 28,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है और रक्षा व्यय 15,000 करोड़ रुपये है। इसके साथ-साथ राजसहायता और अन्य निर्यात अभिवृद्धि पर व्यय 8,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का है। गैर-योजना व्यय का सत्तर प्रतिशत भाग कर्ज से वहन किया जाता है, जोकि मूल राजकोषीय सिद्धान्त के विरुद्ध है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप अपना वक्तव्य समाप्त करें।

मैं अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का मौका देना चाहता हूं क्योंकि 5 म० प० पर हमें दूसरा मुद्दा लेना है।

डा० देवी प्रसाद पाल : घाटे की वित्त व्यवस्था पिछली सरकार की देन है। उन्होंने सार्वजनिक व्यय को काम करने का कोई उपाय नहीं किया। पिछली सरकार द्वारा सभा में यह घोषणा की

[डा० देवी प्रसाद पाल]

गई थी कि सरकार की नीति सार्वजनिक व्यय को नियन्त्रित करना है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय को नियन्त्रित करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं। एक ओर तो सार्वजनिक व्यय में बिना कोई रोक या नियन्त्रण के वृद्धि हुई है। सरकार इस विधेयक में उपबन्ध करके किसी भी स्रोत से राजस्व में वृद्धि करना चाहती है। उदाहरण के तौर पर सरकार अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3710 करोड़ रुपये का ऋण लेने का प्रयास कर रही है। इसका देश की मुद्रा-स्फीति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। दयनीय आर्थिक आवश्यकताओं और जरूरतों के लिए ही वित्त मन्त्री द्वारा पुरःस्थापित इस विधेयक का मैं समर्थन कर रहा हूं। उन्हें लोक राजकोष में वृद्धि करने के लिए कतिपय संसाधन खोजने होंगे। लेकिन जो बातें उन्हें विरासत में मिली हैं उनका तथा उनके द्वारा किए गये इन वित्तीय उपायों के वास्तविक दुष्प्रभावों का पता लगाना होगा तथा उनका उन्मूलन करना होगा। पूर्ववर्ती सरकार की नीति के कारण यह बीज बोया गया है। अब तक यह सरकार अपने आपको उस नीति से दूर नहीं रखती है और कतिपय रचनात्मक उपाय नहीं करती है तब तक इस देश की आर्थिक समस्या का समाधान इस विधेयक को पुरःस्थापित करने से नहीं निकलेगा।

[हिन्दी]

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : चेयरमैन साहब, इस बिल पर बहुत बात हो चुकी है लेकिन हर गवर्नमेंट जो अपोजीशन से पोजीशन में आती है, अपोजीशन में उसकी बोली और होती है और पोजीशन में आने के बाद दीगर हो जाती है। अब तक गल्फ क्राइसेस के ऊपर कितनी दफा टैक्स लगेंगे और उसका फायदा कब तक हम उठाते रहेंगे।

इसके अलावा जिन लोगों के पास कुछ देने के लिए है, उनसे वसूल करने के लिए हमें क्या मैजर्स अख्तियार करने चाहिए, इस बात के मुताल्लिक तो कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आता। सिर्फ यही होता है कि हर दफा टैक्स बढ़ाने के लिए किसी न किसी ऐसी फर्जी दास्तान को सामने रखा जाता है जिसका असल में कोई वजूद नहीं होता। मुझे इस पर बहुत ज्यादा एवीडैंस की दलील के साथ बात करने की तो जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो अपोजीशन की तरफ से उसके जायज होने के मुताल्लिक शिकायात और दीगर बातें आती हैं लेकिन वह सब किसी न किसी मफलूजा की बिना पर रिजेक्ट कर दी जाती हैं तो मैं इस टैक्स को, जो प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से आया है, इसकी मुखालफत इसलिए करता हूं कि जिन्दगी तो यूं ही दुश्वार हो रही है और दुश्वार इस तरह से हो रही है कि जीना भी मुश्किल हो गया है और जो गवर्नमेंट आती है, यह नारा देकर आती है कि हम लोगों को जीने के लिए अच्छे मौके देंगे, अच्छे हालात देंगे लेकिन यह सारा कुछ इस तरह की झूठी बात और इस तरह की कसमें होती है कि "खाई है वह कसक जो कि खाई हुई सी है" यह कही हुई बात है, इसको बार-बार कहे जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं इस मौके पर सदन का ज्यादा समय न लेकर इस टैक्स प्रपोजल की मुखालफत करता हूं।

आपकी बहुत मेहरबानी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री सुशान्त चक्रवर्ती बोलेंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना भाषण संक्षेप में दें क्योंकि मंत्री जी को 4.30 म० प० पर उत्तर देना है और 5.00 म० प० पर हम पंजाब पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : झाड़ी संकट पर चर्चा का क्या हुआ ?

सभापति महोदय : आपने कार्य-सूची देखी है और उसी के अनुसार हम चलेंगे।

श्री संघुहीन चौधरी (कटवा) : सरकार ने कहा था कि प्रधान मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

सभापति महोदय : यदि ऐसा है तो वह अवश्य देंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : कार्य मंत्रणा समिति ने झाड़ी संकट, पंजाब और बोफोर्स इन तीन मामलों पर चर्चा करने का निर्णय लिया है। इस पर आम सहमति है। इन पर चर्चा कैसे की जायेगी ?

सभापति महोदय : हम 5.00 म० प० पर पंजाब पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : वक्तव्य का क्या होगा ?

सभापति महोदय : मैं इस बारे में पता करूंगा।

श्री सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : सभापति महोदय, सीमाशुल्क और उत्पादशुल्क में हाल की भारी वृद्धि के पश्चात् वित्त मन्त्री ने कराधान विधि संशोधन विधेयक, 1990 प्रस्तुत किया है। अब सरकार का इस कानून के माध्यम से दो प्रत्यक्ष कर लगाने का प्रस्ताव है। सबसे पहले सरकार कॉरपोरेशन क्षेत्र में आय-कर पर अधिभार की दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करना चाहती है। सरकार को आशा है कि वह इससे 60 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लेगी। दूसरे, सरकार का इरादा मूल्य ह्रास कटौती को सामान्य मात्रा के 75 प्रतिशत तक सीमित करने का है। सरकार का तर्क है कि कम मूल्यह्रास से अधिक कर लाभ मिलेंगे तथा इसके परिणामस्वरूप अधिक मात्रा में कर वसूली होगी। इससे सरकार को 750 करोड़ रुपए मिलेंगे।

सरकार का तर्क है कि पिछली सरकार द्वारा पैट्रोलियम पदार्थों पर लगाया गया अधिभार तथा निगम कर पर लगाया गया टी० पी० एस० अधिभार आवश्यक कदम है; लेकिन ये तेल संकट के प्रभाव को निष्प्रभावी करने में पर्याप्त नहीं है। इसलिए सरकार ने ये दो नए कर लगाने का प्रस्ताव किया है।

अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार का यह विचार है कि देश में वर्तमान वित्तीय संकट केवल झाड़ी संकट के कारण ही है अथवा इसके कुछ अन्य कारण हैं। केवल झाड़ी संकट ही आयात बिल में वर्तमान वृद्धि का कारण नहीं है। यदि आप इसके कारणों के बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आपको पूंजीगत माल के बढ़ते हुए आयात, बिचौलियों तथा उनकी कम्पनियों को ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि हम अकेले पूंजीगत माल को लें, तो 1989-90 में कुल निर्यात में उनका हिस्सा

[श्री सुशान्त चक्रवर्ती]

1985-86 में 21.8 प्रतिशत से बढ़कर 1989 में 24.9 प्रतिशत हो गया। यह स्पष्टत: आठवें दशक के मध्य में, विशेष रूप से यहां श्री राजीव गांधी ने सत्ता संभाली थी, के समय में आरम्भ की गई मुक्त आयात की नीति का ही परिणाम है। यदि इन संकेतों को नजरअन्दाज कर दिया जाए तो सरकार द्वारा कोई अर्थपूर्ण नीति तैयार नहीं की जा सकती। मेरा वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे इस तथ्य की ओर ध्यान दें कि देश में इस प्रकार के संकट में मुक्त आयात नीति का काफी योगदान रहा है।

दूसरे, जब भी सरकार भारी मात्रा में कर लगाना चाहती है तो वह यह आशा करती है कि अधिक कर एकत्र होगा परन्तु जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि सरकार अधिक कर लगाकर अधिक राजस्व एकत्र करने में असफल रही है। इस वर्ष अक्तूबर तक प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 474.90 करोड़ रुपए की गिरावट आई है अर्थात् यह राशि जो इसी गत वर्ष अवधि में 3238.48 करोड़ रुपए एकत्र हुई थी गिरकर 2763.68 करोड़ रुपए रह गई है। इस सरकार को इसका ध्यान रखना है।

तीसरे, केन्द्रीय सरकार आय-कर पर सदैव अधिभार लगाती रहती है क्योंकि अधिभार अविभाज्य है। कर तथा अन्य वित्तीय उपायों के सम्बन्ध में सरकार की नीतियां ऐसी है कि इन नीतियों का भार राज्य सरकारों को वहन करना पड़ता है। किन्तु केन्द्रीय सरकार इस प्रकार से अपने कोष में वृद्धि करती रहती है तथा राज्यों को भूखा मारती रहती है। इन नीतियों का पहले भी हमने विरोध किया है तथा हम अब भी उनका विरोध करते हैं। अप्रत्यक्ष करों पर सरकार की इस बढ़ती निर्भरता का हमने सदैव इस सम्माननीय सभा में उल्लेख किया है तथा हम उसका समर्थन नहीं करते। दिसम्बर 1985 में घोषित की गई दीर्घकालीन वित्तीय नीति जो सातवीं योजना के साथ समाप्त होगी में यह वायदा किया गया है कि अप्रत्यक्ष करों पर सरकार की निर्भरता को कम किया जाएगा। परन्तु सचाई यह है कि सरकार उस नीति का अनुपालन नहीं कर रही। इस मामले में मैं वित्त मन्त्री जी का स्वागत करता हूं कि उन्होंने कम से कम कुछ सीमा तक प्रत्यक्ष करों की राशि में वृद्धि की है। अपने वक्तव्य में मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि वे अधिक राशि एकत्र करने का प्रयास करेंगे तथा वे निगरानी रखेंगे। परन्तु बात यह है कि देश में वित्तीय अनुशासन खतरे में है। वर्ष 1988-89 के वित्तीय लेखे इसका पर्याप्त सबूत है कि सरकार इस बड़े घपले की ओर कतई ध्यान नहीं दे रही। मैं केवल इसके दो उदाहरण दे सकता हूं। यदि लेखों पर विश्वास किया जाए तो सरकार द्वारा किए गए चैक अकेले गत वर्ष में जारी किए गए चैकों की राशि से 284 करोड़ रुपए की राशि के लिए भुनाए गए है। यह बोफोर्स मामले में दलाली के रूप में दी गई राशि से भी शायद दोगुना है। लगभग 2000 करोड़ रुपए की राशि के सरकार के चैक उनकी वैधता की अवधि के समाप्त होने के काफी समय बाद भी भुनाए नहीं गए हैं किस प्रकार का वित्तीय अनुशासन हम ला रहे हैं। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

चौबे, डा० देवी पाल ने अपने भाषण में मूल्यह्रास की मात्रा तथा उन बातों पर जिनसे उद्योगों की प्रगति पर कुप्रभाव पड़ेगा अपनी चिन्ता व्यक्त की है। मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं शत प्रतिशत

मूल्यह्रास से सहमत हूँ परन्तु क्या श्री पाल 75 प्रतिशत की कर छूट पर सहमत होंगे ? यदि वे इससे सहमत हैं तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने उद्योगों के लिए भी चिन्ता व्यक्त की है। परन्तु जिन्हें मूल्यह्रास का लाभ मिल रहा है उन्हें अपने देश का भी ख्याल रखना चाहिए उन्हें देश के लिए कुछ करना चाहिए तथा यही एक प्रगतिशील कदम है तथा एक प्रगतिशील विचार है। हमें पता है कि डा० पाल तथा उनके दल ने यह स्थिति उत्पन्न की है। इस संदर्भ में मैं यह सुझाव दूंगा तथा जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उन छूटों तथा रियायतों पर विचार करेगी जो धर्मार्थ न्यासों आदि के नाम पर दी जाती हैं तथा क्या सरकार उन कमियों को दूर करने के लिए तैयार है या नहीं ? मुझे विश्वास है कि यदि वे इन कमियों को दूर कर दें तो वे अधिक राजस्व एकत्र करने में सफल होंगे मुझे यह कहना चाहिए कि योजना आयोग ने वायदा किया था कि वह काले धन पर एक पत्र तैयार करेगा। हमें यह नहीं पता कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ। बाजार में काला धन है। सरकार को काले धन को बाहर निकालने के बारे में विचार करना चाहिए। सरकार को इसे अधिक गम्भीरता से लेना चाहिए। (व्यवधान) अन्ततः सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने पर विचार कर रही है। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितनी राशि सहायता के रूप में लेगी न ही हमें यह जानकारी है कि इसकी युक्तताएं क्या-क्या है परन्तु हमें कांग्रेस सरकार के शासनकाल में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिये गए ऋण की शर्तयुक्तताओं के बारे में जानकारी है। हमें इस बात की जानकारी है कि इससे श्रमिक वर्ग को किस प्रकार का कष्ट होगा। यदि यह ऋण प्राप्त किया जाता है तो पिछले शासनकाल के समान ही इसका बोझ भी श्रमिक वर्ग पर पड़ेगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने की शर्तयुक्तता से अवगत कराये।

श्री एम० एम० पल्लम राजू (काकीनाडा) : सभापति महोदय, मैं कराधान विधि (संशोधन) विधेयक की आलोचना करता हूं, जैसा कि मैं समझता हूं कि यह राजकोषीय असन्तुलन के कारण अव्यवस्थाओं में अतिरिक्त कर लगाना है और क्योंकि यह व्यापक आर्थिक समाधान का कोई तरीका नहीं है। सरकार द्वारा हाल ही में लगाये गये 1,340 करोड़ रुपए के अप्रत्यक्ष करों की एक अलग राशि है और यह वर्ष 1990-91 के मद बजट में लगाये गये 1,225 करोड़ रुपए के करों से अधिक है।

मेरे विचार से राजकोषीय असन्तुलन पर इस प्रकार के सांकेतिक प्रभाव से लाभ की तुलना में नुकसान अधिक होगा और यह स्पष्टतः एक अल्पकालिक उपलब्धि है। इन अतिरिक्त करों को सम्पूर्ण भावी आर्थिक स्थिति पर उनके गुणों एवं दोषों का विचार करने के बाद ही लगाया जाना चाहिए था।

यद्यपि इस समय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और सी० सी० एफ० एफ० से 3.5 बिलियन अमेरिकी डालर के ऋण का समझौता किया गया है, तथापि खाड़ी युद्ध की बढ़ती वास्तविकता तथा सरकारों, मुख्य रूप से राज्य स्तर की सरकारों, की ऐसे जनवादी उपायों को निरन्तर प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति, जिनसे अजाने तेजी से खाली हो जाते हैं और राज्यों की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है, को देखते हुए देश की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी दिखाई नहीं पड़ती है। इससे राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो जाती है तथा ऐसी नाजुक हालत में वे अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाती हैं।

[श्री एस० एम० पल्लम राजू]

उदाहरण के रूप में मैं उस स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड काम कर रहे हैं।

वर्तमान संकटपूर्ण भुगतान सन्तुलन की स्थिति तथा राजकोषीय स्थिति के इस संकट के समाधान के लिए कुशल प्रबन्ध की आवश्यकता है जबकि हम हम केवल असंगत बातों की ओर ध्यान देते हैं।

इन अतिरिक्त अप्रत्यक्ष करों का व्यापक प्रभाव एक ऐसी अर्थव्यवस्था में लागतों तथा कीमतों पर होगा जो पहले से ही दो अंकों वाली मुद्रा-स्फीति से प्रभावित हो रही है। इससे अन्ततः आम आदमी पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि करों में वृद्धि से निश्चय ही समानान्तर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।

ऐसे समय में, जबकि हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह दिखाना है कि हम संकट पूर्ण समय में अपने खर्च कम कर सकते हैं, इस प्रकार की असंगत बातों की ओर ध्यान देने से संकट का समाधान करने की हमारी क्षमताओं के प्रति आत्म-विश्वास में कमी होगी। इसके स्थान पर सरकार को यह दिखाना चाहिए था कि वह उचित क्षेत्रों में मितव्ययिता के गम्भीर उपाय कर सकती है।

इस राजस्व प्रक्रिया के द्वारा मुद्रा-प्रसार के मूल प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है जिससे इस समय व्याप्त दो अंकों वाली मुद्रा-स्फीति हो रही है। अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग की स्थिति में इससे पहले लागत बढ़ेगी और बाद में कीमतों में और भी वृद्धि होगी।

इस राजस्व प्रक्रिया से राजकोषीय संकट का समाधान करने में भी मदद नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं कि हर वर्ष किया जाने वाला यह हमेशा-हमेशा के लिए नहीं चल सकता क्योंकि प्रश्न यह है कि यह सरकार वर्ष प्रतिवर्ष अतिरिक्त कर लगा कर कितने करोड़ रुपये जुटाएगी जब तक कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी कोई और आश्वासन न दे दें क्योंकि ये अतिरिक्त अप्रत्यक्ष कर तो अब लगे ही रहेंगे। सरकार के लिए कटु सत्य तो यह है कि वह यह समझे कि उसे अपने व्यय पर प्रतिबन्ध लगाना है। मैं इस समय सरकार से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा।

व्यय में कमी करने के प्रयास किये गए हैं ? योजना-इतर व्यय में क्या कटौतियां की गई हैं ? क्या सरकार ने तेल के वैकल्पिक संसाधनों की खोज में तेजी की है ? क्या देश में ही तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं ? निर्यात बढ़ाने के लिए क्या पहल की गई है ? और अधिक मुद्रा-स्फीति के दुष्प्रभावों से सरकार गरीब जनता को किस प्रकार अप्रभावित रखने का विचार रखती है ? राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ाने तथा औद्योगिक अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? गरीब जनता को मूल्यवृद्धि से अप्रभावित रखने के लिए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस प्रकार व्यापक बनाना चाहती है ? मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

अन्त में मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हां कठोर कदम अवश्य उठाने चाहियें परन्तु वे ऐसे नहीं होने चाहिये कि सम्पूर्ण व्यवस्था ही बिखर जाए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, आपका अधिक समय न लेते हुए मैं सबसे पहले बजट-पूर्व नीति का विरोध करता हूं। इसे एक अन्य तरीके से बजट की संज्ञा दी सकती है जैसाकि पिछले कई वर्षों से किया जाता रहा है। वास्तविक बजट से पहले ही जनता पर कराधान का भारी बोझ डाल दिया जाता है। मैं इस विधेयक की विषय वस्तु का विरोध नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं इस तरीके की आलोचना कर रहा हूं। यह तरीका मौखिक या लिखित परम्परा का रूप धारण करता जा रहा है तथा हमें यह उम्मीद थी कि नये वित्त मन्त्री तथा नई सरकार द्वारा इस परम्परा का अनुकरण नहीं किया जायेगा परन्तु अब यह आशा भी समाप्त हो गई है। बल्कि इस परम्परा के अनुपालन द्वारा वित्त मन्त्री और यह सरकार पुरानी आर्थिक नीति का अनुपालन करने जा रही है। हमने यह आशा की थी कि इस नीति के कतिपय पहलुओं का अनुपालन नहीं किया जाएगा। आयकर अधिभार जारी है। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं क्योंकि यह कुछ ईमानदार अधिकारियों के एक वर्ग पर लगाया गया है जिन्हें कुछ अधिक भुगतान करना होगा; परन्तु गुप्त तरीकों से अर्जित आय पर कर नहीं लगाया जा सकता। सरकार उस आय पर कर लगाने में सक्षम नहीं है। इसलिए विधेयक की विषय वस्तु का जहां तक संबंध है, मैं 76 हजार रु० से अधिक की वार्षिक आय पर अधिभार के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु मैं इस तरीके का विरोध करता हूं। इस सन्दर्भ में, मैं वित्त मन्त्री की राय जानना चाहता हूं कि क्या वे इस सभा तथा देश को इस बारे में आश्वस्त करेंगे कि आगामी बजट में वह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों को कम-से-कम 50:50 के अनुपात में सन्तुलित करेंगे। इस समय मैं इतने अनुपात की आशा नहीं करता हूं। वे उसी दल में थे जिसका हमने गत वर्ष समर्थन किया था। उस सरकार ने 73 प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर लगाये थे जिससे अधिकांश आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी और मुद्रास्फीति बढ़ गई थी इसीलिए वह असफल आर्थिक नीति थी। क्या यह सरकार उस नीति में कुछ परिवर्तन करेगी ताकि 50:50 के अनुपात में इसे सन्तुलित किया जा सके? मेरे मित्रों का कहना है कि इसे 60:40 भी किया जा सकता है। मैं उसे इतने अधिक की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं। शुरूआत के तौर पर इसे 50:50 किया जा सकता है ताकि आगामी वर्ष में इसका अर्थव्यवस्था पर कुछ प्रभाव पड़ सके।

दूसरा मुद्दा काले धन का है। हम काले धन तथा समानांतर अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तारपूर्वक बात करते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाए जाते। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मन्त्री काले धन का पता लगाने के लिए एक हजार रुपये तथा इससे अधिक के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण, सोने, चांदी और अन्य धातुओं की जमाखोरी को रोकने जैसे कुछ कदम उठाने के बारे में विचार कर रहे हैं ताकि यदि समस्त काले धन को नहीं, तो उसके कुछ भाग को, जोकि अनुत्पादक है, उत्पादक उद्देश्यों के लिए सुलभ कराया जा सके। सोने को जमीन में दबा दिया जाता है जिससे देश की धन-सम्पदा में कुछ वृद्धि नहीं होती तथा जमाखोरों का धन बढ़ता जाता है। मैं वित्त मन्त्री से जानना चाहता हूं कि वह काले धन का पता लगाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं?

इसके अतिरिक्त, निजी थोक व्यापारियों को बैंक ऋणों को उपलब्ध कराये जाने का मुद्दा भी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या निजी थोक व्यापारियों को बैंकों द्वारा कोई वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाएगा क्योंकि यह पूर्णतः अनुत्पादक है, नकारात्मक है। थोक विक्रेताओं को यदि पैसा मिल जाता है तो वह हमारे पैसे से वे अपने गोदामों में वस्तुएं जमा कर देते हैं जबकि उपभोक्ताओं को सामान नहीं मिलता। उन्हें गोदामों में बंद नहीं किया जाता। तत्पश्चात आदम स्मिथ और मार्शल के आर्थिक

[श्री भोगेन्द्र झा]

सिद्धांत लागू हो जाते हैं। बाजार में वस्तु की कमी और उपभोक्ताओं के आधिक्य के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तथा अमानवीय भारी लाभ कमाते हैं। मैं फुटकर व्यापार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निजी थोक व्यापार को दी जाने वाली अग्रिम राशि को वह पूर्णतया बन्द करने के लिए कुछ करने जा रहे है तथा उस राशि को राज्य व्यापार निगम आदि को उधार देकर प्रयोग करने को सोच रहे हैं।

मैं उनसे एक और स्पष्टीकरण जानना चाहूंगा। वर्ष 1987 के दौरान उत्तरी बिहार में बाढ़ के कारण 90 या 100 प्रतिशत तक हुई फसल नुकसान के मामले में मैंने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से स्वयं बात की थी और वहां कृषकों को 10,000 रुपये तक का दिये गए ऋण को समाप्त करने को कहा था। उन्होंने मेरे मौजूदगी में ही यह निर्देश दिया कि तीन वर्षों, 1986 से 2 अक्तूबर, 1989 तक कोई भी व्यक्ति का एक साल की हुई फसल नुकसान के कारण 10,000 रुपए तक की ऋण के माफी का हकदार हैं। उन्होंने आम लोगों के सूचनार्थ इसका प्रचार और विज्ञापित करने का भी निर्देश दिया था। मुझे इस संबध में बैंक के विभिन्न शाखाओं से पूछ-ताछ करने पर यह जानकारी मिली कि उन्हें अभी तक कोई ऐसी संशोधित निर्देश नहीं प्राप्त हुए है। मैं इस सम्बन्ध में स्थिति जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : माननीय सभापति महोदय, चूंकि समय कम है इसलिए मैं कोई आंकड़े पेश नहीं करना चाहता और इस टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन इस सदन में यह प्रथा बहुत गलत पड़ गई है कि बजट से पहले लोगों के ऊपर टैक्सों को थोप दिया जाता है। पिछले 11 महीनों की उस सरकार पर मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन मैं नये वित्त मंत्री से जरूर अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रथा को बदलने की कोशिश करें। आप देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं, आप खुद गुमराह हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इस तरह की कोशिश भविष्य में न की जाये 8 प्रतिशत से 15 प्रतिशत अधिभार बढ़ाने के सवाल का मैं समर्थन करता हूं लेकिन पिछले 11 महीनों में जो महंगाई बढ़ी है और देश की अर्थव्यवस्था चूर-चूर हो गई आप इस टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल पर यह गारंटी दीजिए कि मोनोपलिस्ट हाउसेज और केपिटलिस्ट हाउसेज पर यह अधिभार बढ़े और इसके बढ़ने पर बाजार में मध्यम श्रेणी और गरीब लोगों पर अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर नहीं पड़ेगा।

मैं आपसे इतना चाहता हूं कि आप कम से कम मनोपलीज हाउसेज पर यह प्रतिबन्ध लगाइये। दूसरा मैं इशारा करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र के इंडियन टोबैको कम्पनी जो इम्पीरियलिस्ट कम्पनी थी, हर साल बजट से पहले कोई सौ करोड़ रुपये टैक्स की चोरी करती है। आपकी गवर्नमेंट आफ इण्डिया के अफसरों को मालूम है कि उनका घोटाला कहां है ? इसके साथ ही आई०टी०सी० कम्पनी अपने पिछले ऐरियर्स के मामले में कोर्ट में गयी। कोर्ट ने गवर्नमेंट के पक्ष में जजमेंट दे दिया। दो-ढाई सौ करोड़ रुपया उनके ऊपर बाकी है, आप क्यों नहीं वसूल करते ? ऐसी देश में एक नहीं,

पचासों-सैकड़ों कम्पनियां हैं जिन पर करोड़ों रुपये का ऐरियरर्स बाकी है। मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि यह टैक्स लगाने के पहले आप उन कम्पनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, उससे आपको हजारों करोड़ रुपया मिल जाएगा। उनकी तरफ सरकार का ध्यान कम जाता है। मैं नहीं जानता कि आपके ब्यूरो क्रेट्स या आपके लोग उनके साथ सम्मिलित हैं। आप उनसे वसूल करने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अगले सत्र में अर्थात बजट सत्र में एक संशोधन आप लाइये कि जो कम्पनी या जो बिग हाउसेज या बड़े लोग हैं, गवर्नमेंट के एरियरस के सम्बन्ध में कोर्ट में जायेंगे तो जाने से पहले उससे 50 प्रतिशत धनराशि सरकार को जमा करानी चाहिये, बाद में वह कोर्ट में जाए। कोर्ट में जाने के बाद मामला 10-20 साल तक चला जाता है और गवर्नमेंट को एक भी रुपया नहीं मिल पाता है। इसलिए आप इस तरह का एक संशोधन लाइये और कम्पनी को कोर्ट में जाने से रोकने के लिए उससे 50 प्रतिशत धनराशि कर के रूप में वसूल कीजिये।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मैं नहीं जानता कि वी०पी० सिंह की सरकार ने 250 करोड़ रुपये के बादाम अमरीका से खरीदे इस तरीके का खर्च भारत सरकार को इस वक्त जब आर्थिक अवस्था काफी खराब है, नहीं करना चाहिये था। पता नहीं भारत सरकार ने अमरीका के दबाव में आकर या किसी दूसरे देश के दबाव में आकर यह खर्च कर डाला। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कामर्स मिनिस्टर को एक पत्र लिखा है जिसमें हमारे देश में इस समय सोडा एश काफी मात्रा में प्राडक्शन किए जाने का उल्लेख किया है। जो हम इम्पोर्ट करते हैं, उसको बंद कर दें तो 233 करोड़ रुपये की इनकम हो जाएगी। यही मैं फाइनेंस मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि सोडा एश का आप इम्पोर्ट बन्द करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति जी, आज मेरा निवेदन यह है कि अभी तक हुआ क्या है? रोना तो मार्च में पड़ेगा जब अरबो रुपयों के टैक्स इस नई सरकार को अनिवार्य रूप से लगाने पड़ेंगे। मुझे सरकार से यही निवेदन करना है कि वह और टैक्स न लगाये क्योंकि आम आदमी की कमर पहले ही टूट चुकी है। खाने का तेल 40 रुपये किलो, गेहूं साढ़े चार-पांच रुपये किलो मिल रहा है और फिर ये टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। सरकार आखिर क्या करना चाहती है इस देश के साथ?

सभापति महोदय, अभी जो आपने कर लगाये हैं और जिसके बारे में हम कठोर शब्दों में आलोचना कर रहे हैं, हम सदन में बैठे हुए सदस्य रोयेंगे। इस प्रकार के भारी टैक्स यह नई सरकार लगायेगी वरना सरकार का चलना मुश्किल हो जाएगा। सरकार को वास्तव में मित-व्ययता के लिए कोई सोच प्रकट करना चाहिए। मैं मित-व्ययता के बारे में हमारी राजस्थान सरकार का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां एक कमेटी बनाई गयी है। क्या मंत्री महोदय केन्द्र में भी इस प्रकार की कोई कमेटी बनायेंगे और यह सोचेंगे कि यदि दान करता है तो घर से प्रारम्भ करेंगे। मित-व्ययता प्रकट

[श्री बाबू दयाल जोशी]

करें तो मंत्री स्तर से करें तो आम जनता पर भी असर पड़े। हमारे समाजवादी प्रधानमंत्री पांच कारों के घेरे में चलते हैं। श्रीमन्, चन्द्रशेखर जी ने पद यात्रा की थी और पद यात्रा करने वाले चन्द्रशेखर जी को 5-5 कारों के घेरे में चलना पड़े तो इससे बड़ी लज्जा की बात नहीं हो सकती है।

माननीय सभापति जी, मैं यह विवेदन करना चाहूंगा कि पद-यात्रा करने वाला प्रधान मन्त्री अपने चुनाव क्षेत्र में जब जाए और वह कार से, जीप से नीचे न उतरे, तो इससे बड़ी और हेय बात नहीं हो सकती। अगर आपका सरकार को वास्तव में चलाने का मन हो, और अगर आप मितव्ययिता की ओर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से देश का कल्याण होगा, वरना देश टूटने की स्थिति में आ जाएगा।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं समय की कमी से अवगत हूं। मैं कुछ मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। सर्वप्रथम, मैं अधिभार के सम्बन्ध में चर्चा करूंगा। एक मुद्दा यह उठाया गया कि हमारी अर्थव्यवस्था को देखते हुए, क्या यह 75,000 रुपये से अधिक का अधिभार न्यायोचित है। इस सम्बन्ध में हमारा पूरा 'समर्थन' है। इस सम्बन्ध में हमारी एक आपत्ति है। उसकी भी मैं चर्चा करूंगा।

जिनकी कर योग्य आय 75,000 रुपये है—जिसके सम्बन्ध में डा० देवी पाल को शायद जानकारी नहीं थी या उनके द्वारा शायद इसका उल्लेख नहीं किया गया या उनके द्वारा छिपाया गया हम जानते हैं कि उनकी वास्तविक आय एक लाख रुपये से अधिक है 80क प्रावधान के अन्तर्गत 13,000 रुपये तक की छूट है; और यदि वह एक वेतनभोगी है, तो उसकी मानक कटौती के साथ यह आय एक लाख रुपये से अधिक होगी। हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक है। हमारी अर्थव्यवस्था को देखते हुए ऐसी स्थिति में अधिभार का अतिरिक्त भार पूर्णतया न्यायोचित है।

लेकिन एक दूसरा मुद्दा भी है। यह अधिभार न केवल संग्रह का साधन है, अपितु यह राज्य को धन से वंचित करने का भी एक साधन है। अतः हमारी तरजीह यह होनी चाहिए कि अधिभार को कर-दर में विलय कर दिया जाए। यह एक मुद्दा है जिसे मेरा, मेरे दल और समूचे वामपंथी दल के सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। (व्यवधान) निश्चय ही, सम्पूर्ण वामपंथी दल, केवल कांग्रेस को छोड़कर जोकि कभी-कभी अपने आप को वामपंथी समझती है। (व्यवधान)

इस सम्बन्ध में तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहूंगा कि अधिभार में उत्तरोत्तर वृद्धि की संभावनाएं हैं। यदि 75,000 रुपये से अधिक की राशि पर यह 12 प्रतिशत है तो आप क्यों नहीं दो लाख रुपये की आय पर इसे 15 प्रतिशत कर सकते हैं ? मैं इस ओर उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

अन्य बातों का वह पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। एक और सुझाव मेरा यह है कि सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का बहु-उद्देश्य होता है। एक उद्देश्य समाजवादी का होता है, तथा दूसरे का

प्रभाव कीमतों पर पड़ता है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत आय में कमी कर उनकी मांग को प्रभावित करना है। लेकिन ऐसा करने के भी तरीके होते हैं। अपना वक्तव्य समाप्त करने के पहले मैं उन्हें बताना चाहता हूं।

एक अन्य क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के बृहत वित्तीय संस्थान है जहां बड़े और मध्यम वर्ग के उद्योगों में निवेश को तरजीह दी जाती है। कल एक अन्य चर्चा में मैंने यह सुझाव दिया था कि आप इस धनराशि का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रम लगाने में कर सकते हैं—न कि बड़े यूनिटों को मजबूत करना है जिनके धन का मुख्य स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानें हैं – तथा इससे कीमतों में उत्तरोत्तर वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। यह भी एक उद्देश्य है जिससे इसके द्वारा पूर्ति होगी।

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमें भी बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं कितने सदस्यों को बोलने के लिए बुला सकता हूं ? मैं दो सदस्यों को पहले ही बुला चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन हमने इसको जानने के लिए एक नोटिस दिया था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने केवल एक संशोधन दिया है।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं उन सभी सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। इस समय देश में जो स्थिति है और मैं जिस स्थिति में हूं उसके प्रति उन्होंने जो सूझ-बूझ दिखाई है उससे मेरी हिम्मत काफी बढ़ी है। मुझे उनकी मंत्रणा से भी काफी लाभ हुआ है। मैं यह मानता हूं कि जो आलोचना हुई है उससे मैं प्रभावित हुआ हूं।

कोई भी सरकार जो सत्ता में है ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो लोकप्रिय नहीं है। कोई भी सरकार कर लगाना नहीं चाहेगी क्योंकि कर लगाने, नए कर लगाने का मतलब होगा अलोकप्रियता हासिल करना। मैं इस तथ्य से भी अवगत हूं कि बजट से कुछ माह या सप्ताह पहले कर लगाना एक बुरी प्रथा है। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम निरन्तर इसकी आलोचना करते रहे हैं और हम इस प्रथा के अचानक समर्थक नहीं बन सकते। लेकिन यह कहने के पश्चात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उस विकट स्थिति को देखते हुए जिसमें यह देश था और अब भी है, मैं भविष्य में आने वाली भयानक कठिनाइयों के बारे में उल्लेख नहीं कर रहा हूं – यह एक ऐसी स्थिति थी जिसको हल करने के लिए अलोकप्रिय कदम उठाने हेतु बड़े निश्चय की जरूरत थी। मुझे इस सभा में समर्थन मिला है क्योंकि सदस्य उस विकट परिस्थिति से परिचित हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

(व्यवधान) नहीं, मुम्बई वालों ने भी इसका समर्थन किया है। लेकिन जिस पद्धति और रीति से ये कर लगाये गये हैं उनकी आलोचना की गई है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इसके दो भाग हैं। पहला यह कि खाड़ी संकट को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकार ने जो कुछ किया है उसका इस देश पर प्रभाव पड़ा है और दूसरा यह कि हमने समीक्षा के पश्चात क्या किया। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह तदर्थ उपाय नहीं हैं, यह उपाय इस अर्थ में तदर्थ नहीं हैं कि हमने थोड़ा-थोड़ा करके इनके बारे में नहीं सोचा है जब हम सत्ता में आए तो हमने स्थिति का जायजा लिया, और हमने निर्णय किया कि हमारी अर्थव्यवस्था की अवनति या अधोमुखी प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें इन कदमों को उठाना चाहिए। यह बिल्कुल स्पष्ट था प्रधानमंत्री की उद्घोषणा के सम्बन्ध में एक बात यह कही गई थी कि कलकत्ता में प्रधानमन्त्री द्वारा यह कहे जाने के बावजूद कि नये कर नहीं लगाये जाएंगे, हमने इसके तुरन्त बाद कर लगाने का प्रस्ताव किया। समझने में फर्क रहा है। यह फर्क इसलिए रहा है क्योंकि हम सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, आय कर प्रभार तथा मूल्यह्रास पर अधिभार जैसे सभी करों के बारे में निर्णय ले चुके थे। इन सभी बातों पर एक साथ निर्णय लिया गया। चूंकि संसद का सत्र बुलाया जा चुका था इसलिए हमारे लिए यह लाजिमी था कि हम इस विधान को संसद में लाने के लिए इंतजार करें। संसद सरकार की इस बारे में पहले ही प्राधिकृत कर चुकी है। हमने उत्पाद और सीमा शुल्क लगाने के लिए तैयारी शुरू की और ये कर लगाये। प्रधानमन्त्री की इस देश के शीर्षस्थ उद्योगपतियों के साथ अनेकों बार चर्चायें हुयी क्योंकि हम उनको अंधेरे में नहीं रखना चाहते थे। हमने उन्हें स्पष्टरूप से बता दिया था कि देश की स्थिति ऐसी है कि उन्हें विशेषरूप से इस भार को अनिवार्य रूप से वहन करना होगा और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था तथा मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि इस देश के औद्योगिक क्षेत्र ने अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे इस भार का कुछ भाग वहन करने को तैयार हैं। हमने यह बात इस सन्दर्भ में कही थी कि सारे उपायों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमन्त्री ने कहा था कि अब के बाद कोई नया कर नहीं लगेगा। हम इस वचनबद्धता को निभायेंगे। आम आदमी और स्फीतिकारी प्रवृत्तियों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो सरकार नवम्बर के महीने में सत्ता में आई और जिसके वित्तीय वर्ष के आठ माह निकल चुके हों और केवल चार माह बचे हों, कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके पास पर्याप्त समय हो। हम पहले से ही तंगी में हैं। हम चारों तरफ से कसे हुए हैं। इसमें उपाय करने के लिए बहुत ही कम गुन्जाइश है, हमारे विकल्प बहुत ही सीमित हैं। इस प्रकार की स्थिति में आप सुव्यवस्थित परिवर्तनों की घोषणा नहीं कर सकते; यह कोई अवसर नहीं है। सुव्यवस्थित परिवर्तन करने के लिए, ठोस परिवर्तन करने के लिए तथा दीर्घकालीन परिवर्तन करने के लिए बजट होगा तथा मुझे विश्वास है कि इस सभा में जब बजट प्रस्तुत किया जाएगा इस सभा को उससे थोड़ा सा संकेत मिलेगा कि हमारे दिमाग में क्या है।

श्री भोगेन्द्र झा : जो आपने तीन महीने में करना था वह पिछली सरकार 11 महीने में भी नहीं कर पाई।

श्री यशवन्त सिन्हा। उस सरकार ने जो एक महीने में किया उसकी कमी हम एक दिन में पूरा

करेंगे यदि सत्ता में रहे तो। इसीलिये हमारे विकल्प बहुत ही सीमित है। यह आग बुझाने का उपाय है। मुझे ऐसा कहने में कतई संकोच नहीं है। व्यापार बजट घाटे को देखते हुए, भुगतान सन्तुलन की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए तथा मुद्रास्फीति की दर दो अंकों से भी अधिक होने के कारण वित्तीय स्थिति पर नियन्त्रण पाने के लिए कुछ उपाय करना हमारे लिए अनिवार्य था। अब विकल्प क्या था? हमने वास्तव में क्या किया है? यह कहा गया है कि हमें सरकारी व्यय को कम करना चाहिए। यह एक सामान्य बुद्धि वाला दृष्टिकोण है तथा उस बुद्धि की आप कम से कम मेरे से आशा कर सकते हैं कि यह बात मेरे दिमाग में आ गई कि हमें सरकारी व्यय कम करने का प्रयास करना चाहिए। हमने यह कर दिया है तथा सरकारी व्यय को हम केवल अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ही नहीं देख रहे। हम देश में आवश्यक कदम उठाने पर भी विचार कर रहे हैं तथा इसीलिए हम अर्थव्यवस्था तथा संयम दोनों की ही दृष्टि से बात कर रहे हैं। क्योंकि हर तरह से हम पैसा बचाना चाहते हैं। सभी प्रकार के दिखावटी खर्च को हम समाप्त करना चाहते हैं तथा इसीलिये हमने बड़े ही कड़े अनुदेश दिये हैं तथा हमने किफायत बरतने के बड़े ही कड़े अनुदेश दिये हैं। सभा को मुझे यह सूचित करते हुये प्रसन्नता है कि किफायत के इन उपायों के कारण 1990-91 के बजट प्राक्कलनों के विरुद्ध हम लगभग 1850 करोड़ रुपये बचा पाएंगे जो मेरे विचार से आने वाले उन कुछ महीनों में जो अवधि हमारे पास बची है उसको देखते हुये यह कोई कम उपलब्धि नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैंने सुझाव दिया था कि मंत्रियों तथा संसद सदस्यों को सरकारी खर्च पर पांच सितारा होटलों में नहीं ठहरना चाहिये तथा इस बारे में शुरुआत की जानी है। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : जैसाकि मैंने कहा है किफायत तथा संयम बरतने के बारे में हमने विस्तृत अनुदेश जारी कर दिए हैं। जहां तक संसद सदस्यों का सम्बन्ध है उन्हें स्वयं अपने विवेक तथा समझदारी से काम लेना है। (व्यवधान)

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : सरकार हमारे होटलों में ठहरने का खर्च नहीं दे रही है।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री पांच सितारा में नहीं ठहरते हैं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : आप बता रहे हैं कि 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की आप बचत कर रहे हैं तो क्या आप इससे सदन को भी अवगत कराएंगे कि किन-किन चीजों में कितनी कितनी बचत हुई?

श्री यशवन्त सिन्हा : हम सब चीजों में कमी कर रहे हैं, यह बताऊंगा मैं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : क्या आप सदस्यों के लाभ तथा जानकारी के लिए उन विभिन्न उपायों के बारे में बताएंगे जो सरकार ने किए हैं?

श्री यशवन्त सिन्हा : अब दूसरी चीज यह है कि यह कहा गया है कि इस वर्ष एकत्रित किए गए राजस्व में गिरावट आई है। अब, गत वर्ष एकत्र किए गए राजस्व की तुलना में कोई गिरावट नहीं

[श्री यशवन्त सिन्हा]

आई है परन्तु बजट प्राक्कलनों की तुलना में गिरावट आई है तथा यह सबसे पहली समस्या है जो मेरे समक्ष उस समय आई जब मैं वित्त मन्त्रालय में गया तथा इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले में काफी रुचि ले रहा हूं ताकि हमारा राजस्व बजट अनुमानों के अनुरूप हो। मैं पहले ही इस बारे में कलकत्ता तथा मुम्बई का दौरा कर चुका हूं तथा देश के इन दोनों वाणिज्यिक केन्द्रों में मैंने वरिष्ठ कर अधिकारियों से बात-चीत की है। इस सत्र के पश्चात् मेरा अन्य नगरों में जाने का विचार है। इस प्रकार से मैं व्यक्तिगत रूप से कर एकत्र करने वाले अधिकारियों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूं कि वे अपना अधिकतम प्रयास करें ताकि बजट प्राक्कलनों के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके यदि वे इस वर्ष के भीतर कर इनसे अधिक न भी एकत्रित न किया जा सके तथा यह कि राजस्व में जो कमी आ गई है हम उस पूरा करें। (व्यवधान)।

कर अधिकारियों को क्या करना है इस बारे में उन्हें विस्तृत अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कर एकत्र करने के क्षेत्र तथा लम्बित पड़े मामलों का निपटान करना भी सम्मिलित है।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या कोई प्रोत्साहन दिया गया है।

श्री यशवन्त सिन्हा : प्रोत्साहनों के लिए पहले से ही एक योजना है। (व्यवधान) स्पष्टीकरण के लिए अवसर मिलेगा। अन्यथा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सरकारी व्यय में किफायत बरतने के उपाय किए जाने के बाद भी, एकत्र की गई कर की धनराशि में वृद्धि करने के उपाय किए जाने के बाद भी यहां तक कि उस वित्तीय घाटे को कम करने के लिए जिसका सामना हमें वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् करना पड़ सकता है हमारे लिए कुछ शुल्क लगाना आवश्यक हो सकता है। अब वे उपाय क्या हैं? मैं स्पष्टतः बता देना चाहता हूं कि इन उपायों का मुद्रास्फीति पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। सीमा शुल्क केवल एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है जो हमने सभी वस्तुओं पर बढ़ाया है, अन्य कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई जो सभी वस्तुओं पर हो। अन्य उत्पाद शुल्क उत्पादों के हिसाब से है। उनसे मूल्यों में वृद्धि तो होगी परन्तु केवल उन कुछ उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि होगी जो गरीबतम वर्गों द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाते बल्कि सम्पन्न वर्गों द्वारा किए जाते हैं।

5.00 म० प०

इस विधेयक में हमने विशेषरूप से प्रत्यक्ष कर में वृद्धि करने का निर्णय किया है। श्री भोगेन्द्र झा अप्रत्यक्ष करों और प्रत्यक्ष करों के बीच सन्तुलन के बारे में कह रहे थे। मुझे उन्हें सूचित करते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि इस विशेष मामले में सरकार ने प्रत्यक्ष बारे में वृद्धि करने के लिए एक उपलब्ध किया है। मुझे इस बात से अत्यधिक प्रसन्नता है कि श्री निर्मल बाबू ने इसका समर्थन किया है। हमने 75,000 रुपए की कर योग्य आय पर लगने वाले अधिभार में केवल 4 प्रतिशत की वृद्धि की है, उनके अनुसार जिसका तात्पर्य प्रतिवर्ष कुल आय 1,00,000 रुपये से ऊपर बैठती है। इस देश में कितने व्यक्ति यह दावा कर सकते हैं कि उनकी आय प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये से अधिक है? क्या उन्हें निर्धन वर्ग में रखा जा सकता है? क्या वे इस देश में आम आदमी हैं? निश्चय ही नहीं। यदि प्रत्येक व्यक्ति यह कहे कि 'मैं तो अत्यधिक विशेष वर्ग का हूं। मैं अंशदान नहीं कर सकता' तो इस देश के खजाने में कौन अंशदान करेगा।

दूसरी बात अवमूल्यन के सम्बन्ध में है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अवमूल्यन कर नियमित क्षेत्र में लगाया गया है। गणना करते समय उसमें केवल 25 प्रतिशत कम कर दिया जाता है। मैंने अपने भाषण के आरम्भ में ही कहा है कि यह एक बार ही लगाया जाता है। इसकी वसूली बाद में वर्षों में करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और इस बात को विशेषरूप से नोट किया जाना चाहिए कि नियमित क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ गैर-सरकारी क्षेत्र भी शामिल हैं। यदि मेरी जानकारी सही है तो सरकारी क्षेत्र पर इसका भार 300 करोड़ रुपये के आस-पास तथा गैर-सरकारी क्षेत्र पर लगभग 400 से 450 करोड़ रुपये के आसपास होगा।

सभापति महोदय : मैं सभा की राय जानना चाहता हूं। हमें सायं 5 बजे पंजाब पर चर्चा करनी है। यदि सभी सदस्यगण इससे सहमत हैं तो हम इस विधेयक के बाद पंजाब पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : मुझे लगता है कि यह दो या तीन मिनट में पूरा हो जावेगा।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (तमिल) : हम पंजाब पर चर्चा कल ठीक दो बजे कर सकते हैं। इस विधेयक के बाद आज हम अनुपूरक अनुदानों (असम) की मांगें तथा असम के सम्बन्ध में अन्य कार्यों को पूरा करेंगे।

सभापति महोदय : हमने कल के लिए पहले ही दो मदें निर्धारित कर रखी हैं, एक 3 बजे तथा दूसरी 5 बजे। यदि आप पंजाब पर चर्चा कल करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए समय निर्धारित करना होगा। यदि आप सभी उससे सहमत हैं तो हम पंजाब पर चर्चा को एक घंटे में पूरा कर सकते हैं, तब इसे कल 2 बजे ले सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवानी (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, सवाल यह है कि पंजाब की चर्चा अनिवार्य है और उस पर चर्चा हम छोड़ नहीं सकते हैं। पंजाब की जो स्थिति है, उसके कारण पंजाब पर चर्चा तो हमको करनी है और चर्चा अभी पांच बजे होनी चाहिए। मुझे अभी बताया गया है कि असम का जो एप्रोप्रिएशन बिल है, वह हमको कल राज्य सभा में भेजना जरूरी है। इसीलिए आज उसे यहां पर पारित करना आवश्यक है। इसके कारण मैंने कहा कि अगर अनिवार्य ही है, तो मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूं कि अभी जो पांच बजे पंजाब पर चर्चा होनी है, वह कल प्रातःकाल दो बजे हो जाए। मैं इसको स्वीकार करने को तैयार हूं। अभी फिर असम पर प्रैजीडेंट्स रूल और एप्रोप्रिएशन बिल दोनों पर चर्चा हो जाएगी। लेकिन कल दो बजे निश्चित रूप से पंजाब पर चर्चा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

महोदय, आखिरकार यह आयोजना सरकार द्वारा निश्चित की जानी चाहिए। और यदि गैर-सरकारी सदस्य सरकार के साथ सहयोग करते हैं तो उसके कारण पंजाब जैसे विषय पर महत्वपूर्ण वाद-विवाद स्थगित नहीं होना चाहिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, मैं विपक्ष के नेता की बात से पूरी तरह सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, नियम 193 के तहत डीफोर्स पर चर्चा होनी थी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह चर्चा कल होगी। क्योंकि हम इस विधेयक पर चर्चा को ही पुनरारम्भ कर रहे है। इस विधेयक के बाद हम असम के सम्बन्ध मे अनुदानों की अनुपूरक मांगों तथा अन्य उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। पंजाब पर चर्चा कल 2 बजे होगी।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं श्री आडवाणी का इस बात के लिए अत्यधिक आभारी हूं कि उन्होंने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

जैसाकि मैं कह रहा था, इस विधेयक में अवमूल्यन पर चर्चा के दौरान हमें कौन सी बात ध्यान में रखनी है। उस समय यह बात कही गयी कि इससे उद्योग को नुकसान होगा, भारतीय उद्योग तथा अन्य सभी चीजों को नष्ट कर देगा। महोदय, भूतपूर्व वित्त मन्त्री यहां मौजूद हैं। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब उन्होंने पिछला बजट पेश किया था तो उन्होंने निगमित कर को 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया था और साथ ही साथ उन्होंने पूंजी निवेश भत्ते को समाप्त कर दिया था। अब कुछ वर्गों ने एक सामान्य सिद्धान्त बनाया कि यदि कर कम किये जाए तो कर अधिक होंगे और कर संग्रह अधिक होगा। इस विशेष मामले में वह सिद्धान्त पूरी तरह असत्य सिद्ध हो गया है। अत: निगमित क्षेत्र को 40 प्रतिशत की कम कर की दर की सुविधा प्राप्त है। अत: यदि हम उनसे कुछ ज्यादा भुगतान करने के लिए कहें तो इससे भारतीय उद्योग को कोई क्षति नहीं होगी··· (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : प्रभावी दर 40 प्रतिशत की भी नहीं है। निगमित क्षेत्र के लिए प्रभावी दर 28 प्रतिशत है क्योंकि उसे अनेक प्रकार की छूट प्राप्त हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा। इसलिए, इस प्रकार की बातें कहना कि सरकार द्वारा किए गए नये कराधान उपायों से मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा अथवा आम आदमी या उद्योग को नुकसान होगा, मैं नहीं समझता कि ये बातें सही हैं। अत: मैं विनम्रतापूर्वक सभा से निवेदन करता हूं कि वह इन उपायों को पारित कर दे जोकि इस समय देश के हित में हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव। माननीय, सभापति जी, मैंने जैसा प्रारम्भ में निवेदन किया था कि देश के प्रधान मन्त्री जी ने अध्यादेश के दो दिन पहले घोषणा की थी कि बजट में नये टैक्स नहीं लगाए जायेंगे। मुझे लगता है उन्होंने इस कथन को तो सत्य कर दिया है, बजट में टैक्स नहीं लगाएगे। बल्कि बजट से पहले टैक्स लगा करके देश में महंगाई उन्होंने बढ़ा दी। दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि फाइनेंशल बर्डन रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। क्या मंत्री जी ने जो यह टैक्स लगाये हैं इनको वे 1 अप्रैल से लागू कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आप यह भी देख लीजियेगा कि फाइनेंशल

बर्डन जो लगा रहे हैं, क्या आप इनको लगा सकते हैं ? इसकी भी आप जांच कर लीजियेगा । ये टैक्स बजट के हैं, यह एक प्रकार से संसद को धोखा है ।

मैं यहां पर यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि टैक्स अधिक लग जाने से वस्तुओं की बिक्री कम होगी और आप वस्तुओं की बिक्री कम होगी तो आमदनी कम होगी, आमदनी कम होगी तो वस्तुओं का उत्पादन भी कम होगा । इसलिए इन टैक्सों को लग जाने के कारण जो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार यह मान रही है कि हमको बहुत ज्यादा आमदनी होगी, यह सोचना उनका गलत है । आमदनी अधिक नहीं होगी बल्कि वस्तुएं कम बिकेंगी और इस कारण से वस्तुओं का उत्पादन भी कम हो जायेगा । इसलिए ये बात सबने मान ली है कि बजट प्रक्रिया की महत्ता को, बजट से पहले टैक्स लगाकर, आप उसको समाप्त कर रहे हैं । मेरा यहां पर निवेदन है कि 75 परसेंट डेमोक्रिएशन में सम्मिति कर देने से उद्योग के विकास का रास्ता रुक जाएगा और आज हालत यह है कि 14 जो आपके राष्ट्रीयकृत बैंक है, उनमें से 8 राष्ट्रीयकृत बैंक तो आपके दीवाला निकाल चुके हैं, यह आपकी आर्थिक पालिसी है । बाकी 14 में से 8 की हालत आज खराब है । इसलिए आपने गाड़ियों की दर में भी $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत को घटाकर 20 परसेंट कर दिया है, अब इस कारण से यह 15 प्रतिशत हो जाएगा । इस कारण से कार उद्योग भी ठप हो जाएगा और व्यावसायिक विशेष कर भार जो है, उन सबको भी नुकसान होगा ।

इसलिए सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, दुनिया का उसूल है कि जितना टैक्स कम होगा, जितना टैक्स आप कम लगाएंगे, उतनी आपकी आमदनी बढ़ेगी । आप यहां पर टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं इससे आपकी आमदनी घटेगी, उत्पादन घटेगा । मेरा तो कहना आपसे यह है कि रिट्रोस्पेक्टिव, इस प्रकार के टैक्स को आप नहीं लगा सकते हैं । इसलिए मैंने इस प्रस्ताव को रखा है । मुझे उम्मीद है कि माननीय वित्त मन्त्री जी रिट्रोस्पेक्टिव न लगाएं, इसको कम दर पर लगाएंगे तो आमदनी भी ज्यादा होगी, बिक्री और उत्पादन भी ज्यादा होगा । इस सम्बन्ध में आपको विचार करना चाहिए ।

श्री यशवन्त सिन्हा : सर, मैंने पहले ही अपनी सारी बात कह दी है, जो इन्होंने अभी बिन्दु उठाए थे या शुरू में इनका जो वक्तव्य था, उसमें जो बिन्दु उठाए थे । उसमें इन बातों की समीक्षा मैंने कर दी है । मैं पुन: आग्रह करता हूं कि उस बात को देखते हुए वे अपना संशोधन वापस लें ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप अपने संकल्प को वापस ले रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं विथड्रा करता हूं ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या श्री गिरधारी लाल भार्गव को अपना संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सांविधिक संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : श्री गुलाब चन्द कटारिया, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : महोदय, मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को उस पर 2 अप्रैल, 1991 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नहीं, महोदय।

सभापति महोदय। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को उस पर 5 अप्रैल, 1991 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : श्री रावत, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

प्रो० रासा सिंह रावत : जी, नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को उस पर 9 अप्रैल, 1991 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्त अधिनियम, 1990 और आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा में विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया जाएगा।

खण्ड—2 धारा 2 में संशोधन

श्री गिरधारी लाल भार्गव : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 1, —

"पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर "बारह प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए" (1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 5, —

"बारह प्रतिशत" के स्थान पर "दस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए । (2)

श्री० रासा सिंह रावत : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 1, —

"पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर "तेरह प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए । (14)

पृष्ठ 2, पंक्ति 5, —

"बारह प्रतिशत" के स्थान पर "नौ प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए । (15)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 1, —, —

"पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर "दस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए । (24)

पृष्ठ 2, पंक्ति 5, —

"बारह प्रतिशत" के स्थान पर "दस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए । (25)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, मेरा फिर से यही निवेदन है कि मेरे द्वारा दिए गए अमेंडमेंट पर विचार कर लें । पेज नं० 1, लाईन नं० 15-16 में 15 परसेंट की जगह 12 परसेंट और पेज नं० 2 की लाईन नं० 3 में 12 परसेंट की जगह 10 परसेंट कर दिया जाए ।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हिन्दुस्तान का अर्थशास्त्र बताता है कि टैक्स जितने कम होंगे, चीजें उतनी ज्यादा बिकेंगी, चीजें ज्यादा बिकेंगी तो इससे उत्पादन ज्यादा होगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि टैक्सेस ज्यादा न बढ़ाएं और ये जो 810 करोड़ रुपए के टैक्स बढ़ाए गए हैं, इनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, लोगों की हालत बहुत खराब हो रही है, इससे गवर्नमेंट की भी बहुत बदनामी हो रही है । गवर्नमेंट का शुभचिंतक होने के नाते मैं निवेदन कर रहा हूं कि टैक्स ज्यादा नहीं बढ़ाने चाहिए । अगर सरकार टैक्स कम करेगी तो इससे उसकी भी जनता में वाह-वाही होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, बिक्री भी बढ़ेगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार टैक्सेस ज्यादा न बढ़ाए ।

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं चाहता हूं कि टैक्स की वृद्धि की गई है, उसमें कमी की जाए और सिनेमा एक्टरों के पास करोड़ों रुपए के टैक्सों की वसूली बाकी है, उनको वसूल किया जाए। सरकार को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बारह सौ करोड़ रुपए का काला धन उन लोगों से सारा धन निकाला जाए। दस प्रतिशत निकल जाए तो और टैक्स नहीं बढ़ाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि करों में वृद्धि को रोका जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कम से कम टैक्स बढ़ाने की वृद्धि अध्यादेश के माध्यम से बनी है। यह वास्तव में देश के लोकतन्त्र के लिए खतरनाक बन रही है और यही प्रथा राज्यों में चल रही है। क्या हम इतना धैर्य नहीं रख सकते कि इसको सदन में लाकर के पास कराएं। हमने राष्ट्रपति के माध्यम से उसको प्रारम्भ कर दिया और सदन के लिए मजबूरी कर दी। जब इसको पास करना पड़ेगा तो यह स्थिति लोकतन्त्र के लिए कभी भी ठीक नहीं हो सकती। जिस प्रकार का टैक्स आपने लगाया और यह भी कहा कि 75 हजार के बाद उसमें छूट थी। 75 हजार की छूट उसके अन्तर्गत दी थी उसको भी काउन्ट कर लेंगे। इस कारण से आदमी निश्चित रूप से चोरी करना प्रारम्भ करेगा। वह जानता है कि इस समय इतना टैक्स देना पड़ेगा तो उसको वापिस लेने के लिए वह अपना फर्जी रिकार्ड तैयार करेगा। आप कुछ टैक्स प्राप्त करने वाले थे तो वह टैक्स प्राप्त नहीं होगा। टैक्स के बारे में संसद में विचार करें। जितना सरलीकरण करेंगे, आसान करेंगे उतना ही ज्यादा टैक्स जमा होगा। सरकार ऐसे कानून बनाती है जिसके कारण टैक्स की चोरी ज्यादा होती है। आज यह स्थिति हो गई है कि हिन्दुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि टैक्स की चोरी नहीं कर रहे हैं। हमने जानबूझकर ऐसे कानून बना लिए हैं जिससे टैक्स की चोरी कर रहे हैं। जिस प्रकार का डेप्रीशिएशन बना दिया है तो उससे हालत खराब होगी। जिन संस्थाओं से उन्होंने लोन लिया है तो उनमें कितना जमा करेंगे या नहीं या उसके बाद वे किस्तें जमा कर पाएंगे। बैंकों की क्या स्थिति बनेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए था। इस सदन के माध्यम से आपने मजबूर कर दिया तो क्या वह इस पर छाप है।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैंने पहले ही कहा है कि अध्यादेश यह सरकार नहीं लायी थी जबकि पिछली सरकार लायी थी जिसका समर्थन आपकी पार्टी कर रही थी। उस समय डेप्रीशिएशन में इस सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा था। वह जायज परिस्थिति थी। सरकार के पास कोई चारा नहीं था। तुरन्त कुछ न कुछ व्यवस्था करनी थी इसलिए वह इस अध्यादेश को लायी थी। हमने संसद के सामने टैक्स लगाए हैं। हम चोरी-छिपे अध्यादेश के माध्यम से नहीं करना चाहते। उस वक्त मूल्य वृद्धि की बात की गई, गरीबों की बात की गई और डायरेक्ट टैक्स लगाए। डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं तो हम मार्किट से पैसा मोप-अप करते हैं और उससे मूल्य वृद्धि में कमी लानी चाहिए। उससे बढ़ोत्तरी नहीं होगी। अगर हम यह कहें कि एग्रीकल्चरीस्ट और इंडस्ट्रीयलिस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगाएं और कोई कहे कि अरबन के ऊपर नहीं लगाए तो जाएं तो कहां जाएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री भार्गव, क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव । मैं विवेक कर रहा हूं।

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री के कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : नाजुक समर्थन को नाजुक समय पर वापस लिया गया है । (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव, क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जी, हां ।

सभापति महोदय । क्या माननीय सदस्य को अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ।

कुछ माननीय सदस्य । जी, हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिए गए ।

सभापति महोदय । प्रो० रावत, क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं ?

प्रो० रासा सिंह रावत । मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपने संशोधन वापस लेने के लिए की अनुमति है ।

कुछ माननीय सदस्य । जी, हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

सभापति महोदय : श्री कटारिया, क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरी बात को ध्यान में रखा जाए और मैं इसको वापिस लेता हूं ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 पहली अनुसूची में संशोधन किया गया संशोधन।

पृष्ठ 2, पंक्ति 27,—

"1990" के स्थान पर "1991" प्रतिस्थापित किया जाए। (18)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

सभापति महोदय :प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 4 धारा 32 में संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 3, पंक्ति 14 से पंक्ति 16 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"परन्तु यह भी कि किसी कंपनी की दशा में, 1 अप्रैल, 1991 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के बारे में इस खंड के अधीन किसी आस्ति समूह के सम्बन्ध में कटौती, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1990 के।"

(16)

पृष्ठ 3, पंक्ति 29—

"1990" के स्थान पर "1991" प्रतिस्थापित किया जाए।

(19)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

(खंड 5-धारा 234ग में संशोधन)

संशोधन किए गए

पृष्ठ 3, पंक्ति 29 —

"1990" के स्थान पर '1991" प्रतिस्थापित किया गया।

(20)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6 और 7

सभापति महोदय : खंड 6 और 7 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है।

"कि खंड 6 और 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1 संक्षिप्त नाम

संशोधन किए गए।

पृष्ठ 1, पंक्ति 4—

"1990" के स्थान पर "1991" प्रतिस्थापित किया जाए।

(17)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खंड संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय। प्रश्न यह है।

"कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.24 म० प०

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि आज और कल, दोनों दिनों की कार्यसूची में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए इन दोनों दिन 7.00 म० प० के पश्चात भी बैठक जारी रखने के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

सभापति महोदय। मैं आशा करता हूं कि सभा इस प्रस्ताव से सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : हम सहमत हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा संशोधन है कि सभा की बैठक 7.00 म०प० के पश्चात लेकिन 12.00 म० प० के पहले तक जारी रहे।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

5.26 म० प०

असम राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (असम), 1990-91

सभापति महोदय : अब सभा में (एक) असम राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और (दो) अनुपूरक अनुदानों की मांगों (असम), 1990-91 पर चर्चा तथा मतदान पर संयुक्त रूप से चर्चा की जाएगी, जिसके लिए दो घंटों का समय आवंटित किया गया है।

सभा में उपस्थित ऐसे माननीय सदस्य, जिनके अनुपूरक अनुदानों की मांगों (असम) पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनके क्रमांक पर्चियों पर लिखकर 15 मिनट के अन्दर सभा पटल पर भेज दें। उन कटौती प्रस्तावों को ही प्रस्तुत किया गया माना जायेगा।

प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों का क्रमांक बताने वाली सूची शीघ्र ही सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई असंगति दिखाई दे तो वह कृपया सभा पटल अधिकारी को अविलम्ब उसकी सूचना देने का कष्ट करे।

अब श्री सुबोध कान्त सहाय की ओर से श्री मोरारका प्रस्तुत करेंगे।

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : श्री सुबोध कान्त सहाय की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं···

श्री भवानी सिंह (जोधपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। असम पर इस चर्चा को प्रत्याशा में लगभग एक सप्ताह पूर्व मैंने लिखित रूप में एक व्यवस्था का प्रश्न दिया था।

5.27 अ० प०

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

बहुत संक्षेप में मैं जो बात कहना चाहता हूं, वह भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों को राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखने से सम्बन्धित हमारे संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के प्रवर्तन के निलम्बन से संबंधित है।

मैंने 3 जनवरी, 1991 को लिखित रूप में निवेदन किया था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ये रिपोर्टें राज्य के राज्य पाल के माध्यम से विधानमण्डल के समक्ष रखी जाती हैं और अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के प्रवर्तन न होने के परिणामस्वरूप उन रिपोर्टों को सभापटल पर न रखे जाने से इसके गम्भीर दुष्परिणाम होंगे। इसके कारण नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्टें निरर्थक अपभावी तथा असंगत हो रही हैं। इसके परिणामस्वरूप इससे भी अधिक हानिकर बात यह है कि इसके कारण कार्यपालिका का लोक उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में यदि मुझे पंजाब राज्य में विधान परिस्थितियों का उल्लेख करने की अनुमति दी जाए जहां वर्ष 1983 से राज्य विधान मण्डल प्रायः निष्प्रभावी है और जिसके फलस्वरूप नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कोई भी रिपोर्ट विधान मण्डल के सभापटल पर नहीं रखी गई क्योंकि विधानमण्डल नहीं है और इस प्रकार संसद को भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखा जा रहा मैंने जो लिखित रूप में दिया है, उसे मैं यहां पूरी तरह पढ़ूंगा। संविधान के ऐसे अनेक अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति की उद्घोषणा के माध्यम से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निलम्बित हैं। मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि राष्ट्रपति की अधिसूचना में उनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 169 तथा 193(2) के अतिरिक्त अधिकांश अनुच्छेद राज्य विधानमण्डल तथा उसके मन्त्रि परिषद के कार्य करण से अत्यधिक संबंधित हैं। तथापि, विधानमण्डल के कार्यकरण एवं उसकी शक्तियों से संबंधित

[श्री जसवन्त सिंह]

अनेक उपबन्धों वाले अनुच्छेद 199(1), 201, 202 से 207 सहित ऐसे अनेक अनुच्छेद हैं जो अभी भी प्रवाभी हैं। संविधान के इन उपबन्धों के अन्तर्गत उपलब्ध कार्यों, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों को संसद या उसके प्राधिकरार द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है।

मेरा निवेदन तथा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब संसद कतिपय मामलों में राज्य विधान-मण्डल को प्रतिस्थापित कर सकती है तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों को सभा पटल पर रखने के बारे में ऐसा प्रतिस्थापन क्यों नहीं किया जा सकता ?

मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद 356 के खण्ड 1 के अनुसार राष्ट्रपति केवल उन्हीं उपबन्धों को निलम्बित कर सकते हैं जो राज्य के प्राधिकार से संबंधित हैं। तथापि, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक जिससे संविधान का अनुच्छेद 151 संबंधित है, उस उपबन्ध के कार्यक्षेत्र नहीं आता है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इससे पहले कि माननीय मंत्री आगे प्रस्ताव करें इस उद्घोषणा और उसके अन्तर्गत इस चर्चा, दिनांक 27 नवम्बर, 1990 के राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत अनुच्छेद 151 के खण्ड 2 के निलम्बन को रद्द किया जाए। इसके अतिरिक्त, संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत उपयुक्त अधिसूचना जारी करके नियंत्रक महालेखापरीक्षक की असम राज्य से संबंधित रिपोर्टों को संसद के सभा पटल पर रखवाने की व्यवस्था की जाए।

पंजाब पर चर्चा के समय हम बाद में इस मुद्दे को उठाएंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : महोदय, मेरे सहयोगी ने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है जिसकी विधि मंत्रालय द्वारा जांच की जानी चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 151 के अनुसार एक राज्य के मामले में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट विधान सभा में रखे जाने के लिए राज्यपाल को पेश की जानी होती है। इसे संसद के समक्ष नहीं रखा जा सकता। इसका अनिवार्य तत्व तो यह है कि इसे विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और चूंकि वहां विधान सभा नहीं है, इस अनुच्छेद को निलम्बित किया जा रहा है क्योंकि इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। जब अनुच्छेद 356 प्रयोग में होता है तो प्राय: हम कुछ कदम उठाये जाने की अपेक्षा करते हैं और ऐसा एक कदम है कतिपय अनुच्छेदों का निलम्बन करना।

लेकिन यह इसका परिणाम ही है कि जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा पंजाब में वर्षों से विधान सभा न होने के कारण नियंत्रक-महालेखा परीक्षक और उसकी रिपोर्ट की किसी ने जांच नहीं की है और न ही इसे संसद के समक्ष रखा गया है। मेरा निवेदन यह है कि संविधान में या आगे जारी की जाने वाली उद्घोषणा में उपयुक्त संशोधन करने से पहले सरकार इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रख दें। यद्यपि संविधान के तहत यह अनिवार्य नहीं है क्योंकि वहां विधान सभा नहीं है।

मेरा कहना यह है कि मेरे माननीय सहयोगी की बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार स्वयं यह निर्णय ले कि असम में जब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है तब तक असम से संबंधित नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सभी रिपोर्टें संसद के सभा-पटल पर रखी जाएंगी।

मैं यह चाहूंगा कि आगे यह कार्यवाही की जाये कि जो त्रुटियां बताई गई हैं वित्त मंत्रालय उनकी ओर ध्यान देते हुए उपयुक्त संशोधन करे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, इस संबंध में मैं एक ठोस सुझाव देना चाहता हूं जिस पर सरकार ध्यान दे सकती है।

सर्वप्रथम, जहां तक उठाये गए व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध है नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी वित्तीय मामलों की ठीक ढंग से छानबीन की जाये तथा उनका सही प्रबन्ध किया जाये लेकिन वास्तव में जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है तो ऐसी स्थिति में अन्य अनुच्छेदों के साथ-साथ अनुच्छेद 151(2) भी निलम्बित हो जाता है जो लोग राष्ट्रपति शासन का हमेशा विरोध करते हैं उनका एक तर्क यह होता है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमारी राज्य व्यवस्था का सम्पूर्ण संघीय ढांचा ही नष्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, इस तथ्य के बावजूद कि इस कार्य के लिए कुछ संवैधानिक उपबन्ध है कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो समर्थकारी उपबन्धों का प्रावधान करते हैं। यहां इसका भी कोई उपबन्ध नहीं है। श्री आडवाणी जी ने ठीक ही कहा है कि किसी भी अनुच्छेद में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा जाना अनिवार्य है लेकिन यह केन्द्रीय सरकार का काम है कि वह संसद को आश्वस्त करे कि जब तक सरकार इस समस्या की आगे जांच पूरी नहीं हो जाती और सावधानी के तौर पर जब तक संभावित संशोधन नहीं कर लिये जाते तब तक संविधान के उपबन्धों के अनुसार कोई दायित्व न होते हुए भी वित्तीय मामलों में अवाछनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार सभा को यह आश्वासन दे सकती है कि वह इस राज्य से सम्बन्धित नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखेंगी क्योंकि समर्थकारी कार्य करने पर कोई रोक नहीं है।

मैं कह सकता हूं कि ऐसा करने में कोई बाध्यता नहीं है।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन इसके बावजूद यदि वे आश्वासन देते हैं तो मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा सुरक्षा साधन होगा और सरकार इस सुझाव पर विचार कर सकती है।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं यह कहना चाहूंगा कि 12 वर्ष का संसद का छोटा-सा अनुभव मुझे यह बताता है कि विगत में किसी राज्य सरकार के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संसद के सभा पटल पर नहीं रखा गया है। लेकिन जो प्रश्न उठाया गया है वह बिल्कुल प्रासंगिक है क्योंकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में राज्य सरकारों की वित्तीय अनियमितताओं या कार्य-निष्पादन के बारे में विचार किया जाता है यदि ऐसा किया जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस समय इस सभा को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह कोई संशोधन करे। सरकार इस पर विचार कर सकती है और भविष्य में इस बारे में निर्णय ले सकती है। लेकिन उस चर्चा अथवा विषय-वस्तु, जिस पर चर्चा की जानी है, को किसी भी तरह रोका नहीं जाना चाहिए। सरकार को इस सुझाव पर भविष्य में विचार करना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : चर्चा को रोकने के बारे में कोई सुझाव नहीं है। हमने इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है। हम केवल ठोस और सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं। चूंकि यह एक समर्थनकारी सुझाव है इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी। उन्हें प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने से कोई नहीं रोकता है। वे इस पर विचार कर सकते हैं।

डा० विप्लव दास गुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : एक युक्तिसंगत प्रश्न किया गया है। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि सरकारों की जनता के प्रति जवाबदेही केवल इसलिए समाप्त नहीं होगी क्योंकि कतिपय आपातकालीन उपबंध किये गये हैं। अतः यह बिल्कुल ठीक है कि केन्द्र सरकार को अपने आप नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सभा पटल पर रख देना चाहिए। मेरे दल की ओर से जो सुझाव दिया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सरकार भी इस बारे में अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेगी?

श्री कमल मोरारका : महोदय, जनता के प्रति जवाबदेही तथा नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की संसदीय संवीक्षा—चाहे यह विज्ञान मण्डल हो या संसद—हम सभी को स्वीकार्य है। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि यह अनुच्छेद 356 संविधान के आपातकालीन ढांचे का एक भाग है। जब संविधान बनाया गया था तब इस बात का ध्यान रखा गया था कि इस अनुच्छेद का कभी कभार इस्तेमाल किया जाएगा और विधान सभा को अक्सर बहाल किया जाएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : डा० अम्बेडकर ने कहा था कि यह एक समाप्त अध्याय माना जायेगा। लेकिन यह अभी भी बना हुआ है। (व्यवधान)

श्री कमल मोरारका : शायद इसीलिए यह प्रथा रही है कि जब किसी विधान सभा को पुनर्जीवित किया जाता है, किसी निर्वाचित विधान सभा को 6 महीने में अथवा एक वर्ष के भीतर एक बार बहाल किये जाने के पश्चात, तो शायद विशेषरूप से इस बात की आवश्यकता न पड़े कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखा जाए।

लेकिन इस सुझाव का और इसके समस्त प्रभावों का जैसा कि आडवाणी जी ने बिल्कुल सही कहा है—विधि मंत्रालय द्वारा उसके परिणामों सहित अध्ययन किया जाना चाहिए। नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने से ही काम नहीं चलेगा क्योंकि इन्हें केन्द्रीय सरकार को और बाद में लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को भेजा जाता है। इसमें कुछ और भी कार्य सम्मिलित है। विधि मंत्रालय द्वारा सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए जैसाकि श्री दण्डवते जी ने आशान्वित होकर कहा है कि इस अध्याय को समाप्त समझा जाना चाहिए। लेकिन इसका वास्तविक उत्तर यह है कि अनुच्छेद 356 का कभी कभार इस्तेमाल किया जाना चाहिए पंजाब में यह स्थिति पिछले तीन या चार वर्षों से है। किसी ने भी नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को नहीं देखा है। यदि सभी का यही विचार है तो विधि मंत्रालय इस मामले को जांच कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपको इस चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : बिल्कुल नहीं।

सभापति महोदय : जो प्रश्न किया गया है वह बिल्कुल तर्कसंगत है।

संविधान इस मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्ट है। अनुच्छेद 151(2) में कहा गया है :

"भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की किसी राज्य के लेखाओं सम्बन्धी रिपोर्टों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको उस राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखवाएगा।"

जो कुछ यहां पर किया जा रहा है वह संवैधानिक उपबन्ध या नियमों का उल्लंघन नहीं है। मैं समझता हूं कि जो कुछ सुझाव दिए गए हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए और जैसा कि आडवाणी जी, दासमुंशी जी, सन्तोष मोहन देव जी और अन्य सदस्यों ने भी कहा है इन सुझावों की विधि विभाग द्वारा जांच कराई जा सकती है। अब हम चर्चा शुरू कर सकते हैं।

श्री कमल मोरारका : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा असम राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 27 नवम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

असम के राज्यपाल की रिपोर्ट तथा उद्घोषणा की प्रतियां सभा पटल पर रख दी गई हैं।

असम के राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति को सम्बोधित 26-11-1990 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) ने असम को भारत संघ से स्वतन्त्र कराने के लिए एक सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया है और वह एक स्वतन्त्र प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य की स्थापना करने में लगा हुआ है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसने चुनिंदा लोगों की हत्या करके लोगों में आतंक उत्पन्न करने तथा सशस्त्र के धनाढ्य वर्ग से रुपया ऐंठने के लिए आतंक का इस्तेमाल करने हेतु दो तरह की नीति अपनाई है।

राज्यपाल ने कहा है कि उल्फा द्वारा 113 निर्दोष लोगों को गोली मार कर हत्या कर दी गई है। अति हिंसा और चलाते हुए उल्फा उग्रवादियों ने उन पुलिस अधिकारियों तथा राजनैतिक नेताओं की योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी है जिन्होंने उनके उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न की। गत तीन वर्षों के दौरान 58 राजनैतिक कार्यकर्ता तथा 19 अधिकारियों की हत्या की जा चुकी है।

राज्यपाल ने यह भी कहा है कि उल्फा द्वारा अपहरण करने तथा फिरौती का भुगतान करके उन्हें रिहा करने का तरीका प्रायः प्रयोग किया गया है। पैसा ऐंठने की प्रक्रिया से शायद ही कोई बचा हो। व्यापारियों, अधिकारियों, चाय कम्पनियों को फिरौती देने के लिए डराया-धमकाया गया है। किसी भी ओर से विरोध न प्रकट करने तथा शायद राज्य सरकार द्वारा कारगर कदम न उठाने के कारण जान से मारने तथा पैसा ऐंठने की प्रक्रिया सम्भव हो सकी है।

राज्यपाल ने यह भी कहा है कि 'उल्फा' उग्रवादियों ने कार्यपालिका, प्रशासन तथा न्याय-

[श्री कमल मोरारका]

पालिका के कृत्यों को अपने हाथ में लेकर लखीमपुर, तिनसुखिया और डिब्रूगढ़ में समान प्रशासन की स्थापना कर ली है।

राज्यपाल ने आगे यह भी कहा है कि 'उल्फा' ने नियमित 'उल्फा' सेना में लोगों को भर्ती करके तथा उन्हें प्रशिक्षण देकर भारत सरकार के विरुद्ध जंग का कार्य शुरू कर दिया है। इस उद्देश्य के अनुसरण में उल्फा ने प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना की है तथा हथियार खरीदे हैं। 'उल्फा' की इन गतिविधियों के बावजूद भी पुलिस द्वारा मामलों की पूर्ण रूप से जांच नहीं की जा रही है तथा गिरफ्तार किए गये अभियुक्तों को राज्य सरकार द्वारा बिना किसी विरोध के जमानत पर रिहा किया जा रहा है। जमानत आतंकवादी तथा विध्वंसक क्रियाकलाप अधिनियम (टी०ए०डी०ए०) के अन्तर्गत बिना कोई शर्त लगाए दी जा रही है। इन अभियुक्तों को रिहा करने के मामले राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय जैसे उच्च न्यायालयों में भी नहीं उठाए जा रहे हैं। अखिल असम छात्र संघ (ए०ए०एस०यू०) तथा उनके समर्थकों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का आयोजन करके उल्फा उग्रवादियों के विरुद्ध किसी भी पुलिस कार्यवाही का विरोध किया जा रहा है जिससे जांच अभिकरणों को कार्यवाही करने में परेशानी आ रही है। व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा।

वस्तुतः राज्यपाल ने कहा है कि राज्य में डर का वातावरण बना हुआ है। सरकारी अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तथा सांविधिक प्राधिकरण अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो गए हैं।

राज्यपाल ने संक्षेप में यह कह कर अपनी बात समाप्त की कि राज्य सरकार प्रशासन की सामर्थ्यता तथा विश्वसनीयता में लोगों की आस्था इतनी कम हो गई है कि 'उल्फा', 'आसु' तथा 'अगप' में किसी स्तर पर जो अन्तर विद्यमान था वह अब बिल्कुल समाप्त हो गया है। राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इससे स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि राज्य का प्रशासन सरकार द्वारा भारत के संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।

केन्द्रीय सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट तथा असम की स्थिति पर विचार किया तथा वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी करने तथा राज्य विधान सभा को निलम्बित रखे जाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की गई। राष्ट्रपति द्वारा 27 नवम्बर, 1990 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की गई थी।

जो परिस्थितियां मैंने अभी बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं यह सिफारिश करता हूं कि असम राज्य के सम्बन्ध मे संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 27 नवम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा का इस सम्माननीय सभा द्वारा अनुमोदन किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।—

"कि यह सभा असम राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 27 नवम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां असम राज्य, की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।

"मांग संख्या 6, 10, 11, 14, 17, 20, 26, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 39, तथा 58।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1990-91 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (असम)

मांग संख्या	मांग का नाम	लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
6	भूमिराजस्व और भूमि की उच्चतम सीमा	1,42,36,000	—
10	अन्य राजकोषीय सेवाएं	2,10,000	—
11	सचिवालय और संलग्न कार्यालय	16,00,000	—
14	पुलिस	18,73,34,000	60,00,000
17	प्रशासनिक और कार्यात्मक इमारतें	—	1,36,20,000
20	सिविल रक्षा और होमगार्ड	20,00,000	—
26	शिक्षा	14,65,000	—
29	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	12,00,000	—
32	आवास योजना	83,74,000	—
33	रिहायशी इमारतें	—	19,55,000
34	शहरी विकास	—	19,74,000
37	खाद्य, भंडारण, गोदामघर और नागर पूर्ति	39,00,000	—
38	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,00,000	—
39	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और पोषाहार	10,00,000	—
58	उद्योग	8,05,70,000	—

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 36 और 37 पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय रखा गया है। श्री जसवन्त सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : क्या इस अवस्था में मुझे विधेयक को पुरःस्थापित करना होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : विनियोग विधेयक बाद में आएगा। इन मांगों के चर्चित होने के बाद आप विनियोग विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

श्री० रासा सिंह रावत (बाड़मेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पुलिस के बारे में 19,33,34,000 रुपये से अनधिक अनुपूरक अनुदान की मांग की राशि में 100 रुपये कम किए जायें।"

असम में 'अल्फा' की आतंकवादी गतिविधियों को रोकथाम की आवश्यकता। (6)

"कि पुलिस के बारे में 19,33,34,000 रुपये से अनधिक की अनुपूरक अनुदान की मांग की राशि में 100 रुपये कम किए जाएं।"

असम में शान्ति बनाये रखने के लिए पुलिस बल को मजबूत करने की आवश्यकता। (7)

श्री बिरबारी लाल खटनंब (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पुलिस के बारे में 19,33,34,000 रुपये से अनधिक की अनुपूरक अनुदान की मांग की राशि में 100 रुपये कम किए जाएं।

असम में सामान्य स्थिति बहाल करने की दृष्टि से राज्य में पुलिस बल को मजबूत करने की आवश्यकता।

(8)

"कि पुलिस के बारे में 19,33,34,000 रुपये से अनधिक की अनुपूरक अनुदान की मांग की राशि में 100 रुपये कम किए जाएं।"

'अल्फा' की गतिविधियों से असम के लोगों की रक्षा करने की आवश्यकता।

(9)

"कि पुलिस के बारे में 19,33,34,000 रुपये से अनधिक की अनुपूरक अनुदान मांग की राशि में 100 रुपये कम किए जाएं।"

असम में गैर-असमिया नागरिकों की संरक्षा के लिए विशेष बल गठित करने की आवश्यकता।

(10)

"कि पुलिस के बारे में 19,33,34,000 रुपये से अनधिक की अनुपूरक अनुदान की मांग की राशि में 100 रुपये कम कम किए जायें।"

असम पुलिस के कार्मिकों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता। (11)

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि पुलिस के बारे में 19,33,34,000 रुपये से अनधिक की अनुपूरक अनुदान की मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

'उल्फा' की गतिविधियों पर नियन्त्रण करने के नाम पर असम के निर्दोष लोगों पर किए जा रहे पुलिस दमन को रोकने की आवश्यकता। (16)

श्री मुलायम चन्द डंडारिया (उदयपुर) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि पुलिस के बारे में 19,33,34,000 रुपए से अनधिक अनुदान की मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

असम में 'उल्फा' जैसे आतंकवादी दलों का सफाया करने के लिए असम पुलिस बल को मजबूत करने की आवश्यकता। (17)

"कि पुलिस के बारे में 19,33,34,000 रुपए से अनधिक अनुदान की मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

असम में व्यापारी वर्ग को पूर्ण संरक्षण देने की आवश्यकता। (18)

"कि पुलिस के बारे में 19,33,34,000 रुपये से अनधिक की अनुपूरक अनुदान की मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

असम में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पृथक् पुलिस बल का गठन करने की आवश्यकता। (19)

श्री अजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना एक खुशी की बात नहीं होती। मेरा दल, जोकि लोकतन्त्र के प्रति तथा लोगों की इच्छा स्वतन्त्र रूप से जाहिर करने के प्रतिबद्धबद्ध है, वह जब कभी ऐसे अवसर आते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सरकार की सराहना करनी हो या समर्थन देना हो तो कभी चूक नहीं होता।

[श्री जसवन्त सिंह]

असम के मामले में, जिससे मेरा व्यक्तिगत और अपने दल के एक सदस्य के रूप में कई वर्षों से घनिष्ठ संबंध है, मैं अपने दल की ओर से यहां राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का समर्थन करना तथा अनुच्छेद 356 के अधीन की गई ऐसी कार्यवाही चाहे वह देर से ही क्यों न की गई हो, की सराहना करना अपना कर्तव्य समझता हूं।

मैं यह स्पष्ट करता हूं कि लोकतांत्रिक मानदंडों के प्रति हमारी स्पष्ट वचनबद्धता के बावजूद हम यह क्यों आवश्यक समझते हैं कि की गई कार्यवाही के लिए इस सरकार की सराहना करें। असम राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें हैं। ये विशेष बातें तथ्यात्मक और मूल मुद्दों से सम्बन्धित है।

जहां तक वास्तविक मुद्दे का संबंध है, इस सम्बन्ध में माननीय श्री कमल मोरारका ने केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री की ओर से एक संकल्प पेश करते हुए राज्यपाल की रिपोर्ट का हवाला दिया था। राज्यपाल की उस रिपोर्ट को संसद के सभी सदस्यों में बांटा गया था तथा मैं यहां राज्यपाल की उस रिपोर्ट में से उद्धरण नहीं देना चाहता। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें बहुत निन्दा की गई है, जिसमें पिछली सरकार पर अभ्यारोपण लगाया गया है, तथा इससे गम्भीर बात कोई और नहीं हो सकती।

राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में यह कहना आवश्यक समझा है कि जबसे उन्होंने 2 मई, 1990 को राज्यपाल का पद सम्भाला है तभी से उन्होंने असम की स्थिति काफी चिन्ताजनक पाई तथा यह कि वह असम की स्थिति की ओर तत्कालीन सरकार का ध्यान बार-बार आकर्षित करते रहे। उन्होंने इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाया कि जहां तक 'उल्फा' का सम्बन्ध है, वर्ष 1987 तक यह एक सुव्यवस्थित संगठन बन चुका था। अतः प्रश्न यह उठता है कि वर्ष 1987 से 1990 तक 'उल्फा' के संबंध में सरकार क्या कर रही थी। राज्यपाल ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा था कि 'उल्फा' की रणनीति थी [उद्देश्य प्राप्त करने की थी—चुनिन्दा स्थानों पर लोगों की गोली मार कर हत्या करके उनमें आतंक पैदा करना तथा इस प्रकार से उत्पन्न किए गए आतंक का भारी मात्रा में पैसा ऐंठने के लिए फायदा उठाना। तत्पश्चात् राज्यपाल ने स्थिति को विस्तार से स्पष्ट करते हुए कहा कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई तथा उन्होंने किस तरह से असम सरकार को इस स्थिति के बारे में सलाह देने के लिए बार-बार कार्यवाही की। राज्यपाल ने जो भी कहा मैं उसकी हर बात दोहराना नहीं चाहता—यह एक पांच पृष्ठ का दस्तावेज है तथा इन पांच पृष्ठों में राज्यपाल ने स्पष्ट तौर पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा असम का शासन चलाने में हुई गलतियों का ब्योरा दिया है।

मैं जब इस घटना के महत्वपूर्ण पहलू की ओर दृष्टिपात करता हूं तो मुझे इस बात पर दुख होता है कि इससे पूर्व केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी जिसमें असम गण परिषद एक घटक था। और राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार तथा असम गण परिषद की सरकार होने के बावजूद उनके द्वारा नियुक्त राज्यपाल ने अपने पांच पृष्ठ के दस्तावेज में राज्य सरकार पर अनेक गम्भीर अभियोग लगाये।

जब हम असम में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने पर विचार करते हैं तो इसमें हमें एक विरोधाभास सा लगता है। असम में शीघ्र चुनाव होने थे और इन चुनावों के समय वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। आपको 1982-83 की अवधि का स्मरण होगा, उस समय भी असम में चुनावों के पहलू का आकलन करने और उस पर विचार करने योग्य हालात थे। 1982-83 की उस अवधि के दौरान भारत सरकार चुनाव कराने के लिए दबाव डाल रही थी और असम की जनता इसका विरोध कर रही थी क्योंकि उनके अनुसार चुनाव कराना एक धोखा था। आज हम देखते हैं कि 1990-91 में स्थिति इसके विपरीत है। आज असम सरकार कह रही है कि वे चुनाव कराना चाहते हैं। और भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि असम में चुनाव नहीं कराये जा सकते। इस प्रत्यक्ष विरोधाभास के बावजूद भी इसमें समानता है, और समानता यह है कि चुनाव केवल उद्देश्य प्राप्ति का बहाना मात्र है, चुनाव कराना अपने आप में उद्देश्य की प्राप्ति नहीं है। ऐसा करके हम सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा असम में इसकी उचित कार्य प्रणाली में भ्रम पैदा कर रहे हैं। मैं इस सरकार की प्रशंसा किस बात के लिए करूं? इस सरकार ने असम में चुनाव नहीं कराये जबकि अब से कुछ महीने बाद ही चुनाव होने थे, मैं इसके लिए सरकार की सराहना क्यों करूं?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विनम्रतापूर्वक मैं इस सदन की इस परम्परा को आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जब किसी मन्त्री महोदय द्वारा कोई प्रस्ताव अथवा कोई विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है और विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा उस पर चर्चा आरम्भ की जाती है तो कम से कम उस प्रस्ताव अथवा विधेयक को प्रस्तुत करने वाले मन्त्री को इस चर्चा को सुनने के लिए सदन में उपस्थित रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस परम्परा को बनाये रखा जाना चाहिए।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : वह अभी आ रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे व्यक्तिगत रूप से श्री मोरारका से कोई शिकायत नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : वह अभी आ रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : परन्तु आप अच्छी तरह जानते हैं कि परम्परा यही है। उन्हें स्वयं उपस्थित रहना चाहिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : वह अभी आ रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं चुनावों की बात कर रहा था। चुनावों तथा लोकतान्त्रिक जीवन पद्धति में हमारे दल का पूरा विश्वास होने के बावजूद भी हम असम में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का समर्थन कर रहे हैं। जैसाकि मैंने निवेदन किया था, यह इसलिए है क्योंकि चुनाव अपने आप में उद्देश्य की पूर्ति नहीं हैं। वे तो केवल साधनमात्र है। यदि हम यह सोचें कि जो कुछ 1982-83 में हुआ वही 1990-91 में भी होगा और चुनाव करना ही लोकतन्त्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम नहीं है तो हमें न चाहते हुए भी सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का समर्थन करना होगा।

[श्री जसवन्त सिंह]

महोदय, असम राज्य आज से ही नहीं, बल्कि गत दशक अथवा उससे भी पूर्व से सामाजिक दृष्टि से एक अपखण्डित राज्य रहा है। यह एक ऐसा राज्य है जो सांस्कृतिक दृष्टि से अलग-थलग रहा है और आज यह एक ऐसा राज्य है जिसका राजनैतिक दृष्टि से अपहरण किया जा रहा है। राज्यपाल की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट वास्तविक तथ्यों और मेरे द्वारा संक्षेप में बताए गए तथ्यों पर असम की भौगोलिक दूरी तथा गत दशक में असम राज्य के भावात्मक अलगाव के संदर्भ में विचार करें तो पता चलेगा कि हमें इन्हीं के कारण देश के उस भाग में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि इस समय यह मेरा कर्तव्य है और उनका पता लगाना आवश्यक है। मैं इस वाक्यांश को अत्यधिक सावधानी से प्रयोग करता हूं कि उन अपराधियों का पता लगाओ जिन्होंने भारत के इस सुन्दर राज्य को अराजक राजद्रोह के चंगुल में पड़ने दिया। इस बारे में सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस दल की भर्त्सना करता हूं जिसने कम से कम 1960 से चुनावी शोषण, सांस्कृतिक प्रभुत्व तथा लोकतांत्रिक अस्थिरता के कारण असम राज्य को इस स्थिति में पहुंचा दिया है। महोदय, आपको ज्ञात होगा और मेरे साथियों को भी ज्ञात होगा कि असम के इस प्रसिद्ध वाक्यांश का कांग्रेस दल द्वारा विशेष रूप से प्रयोग किया गया—

[हिन्दी]

"अली, कुली और बंगाली, भाड़ में जाए असामी"

[अनुवाद]

यही बात आचार संहिता बन गयी, वही चुनावी मुद्दा बना और आज हम जो कुछ असम में देख रहे हैं वह सभी कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है। मेरे अनुसार कांग्रेस दल की दूसरी बड़ी गलती थी 1982-83 में असम में चुनाव कराना। इस चुनाव से असम के लोगों में इस प्रकार का मतभेद तथा उनके मनों में ऐसी दरार उत्पन्न हो गयी कि आज हम जो कुछ भी असम में देख रहे हैं इसका कारण 1982-83 का चुनाव है। मैं असम समझौते को तीसरी युगान्तरकारी घटना मानता हूं। मैं समझता हूं कि वह असम समझौता दोषपूर्ण है; और इसे निष्ठा से नहीं किया गया है और न ही इसे निष्ठा से अमल में लाया जा रहा है। 1985 के असम समझौते को इसके असन्तोषजनक और अधूरा होते हुए भी सत्यनिष्ठा और उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्यान्वित किया गया होता, तो मुझे विश्वास है कि हमें आज असम मे जो स्थिति देखने में आ रही है वह हमारे देखने में न आती। वह भी कांग्रेस पार्टी की ही जिम्मेदारी है। असम में सरकारी तौर से उद्दीप्त किए गए आन्दोलनों तथा अस्थायीकरण की इस नीति के लिए मैं कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवार मानता हूं। जो मैं कह रहा हूं उसको स्पष्ट करने के लिए मुझे केवल बोडो आन्दोलन का उदाहरण देना है।

दूसरे, तथा बहुत ही संकोच के साथ मुझे यह बताना है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में क्या दोष थे क्योंकि कल तक वे हमारे अन्तरंग मित्र थे तथा हम इस सरकार में थे तथा उस सरकार का एक अंग थे। मैं ऐसा बहुत संकोच के साथ कह रहा हूं क्योंकि हम उस सरकार का एक अंग थे यद्यपि हमने—मैंने व्यक्तिगत रूप से—हर सम्भव प्रयास किया तथा मैं उन दृष्टान्तों को बताऊंगा जब-जब

हमने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के साथ पहल की है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के विरुद्ध मेरा प्रथम आरोप यह है कि पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में विद्यमान अन्तरिम चिन्ताजनक अव्यवस्था, आन्ध्र प्रदेश में बढ़ता नक्सलवाद, तमिलनाडु में इस प्रकार की ही सम्भावित स्थिति, असम में ऐसा ही होने देना अत: सम्पूर्ण पूर्वोत्तर में स्थिति को यहां तक पहुंचने देना राष्ट्र के विरुद्ध एक अक्षम्य बदतर देशद्रोह है तथा आपराधिक किस्म की कायरता का कृत्य है। हमें राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की निन्दा नहीं करनी है। इस समय असम में जो स्थिति है तथा असम में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं उन्हें देखते हुए राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की निन्दा करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। राज्यपाल की रिपोर्ट राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की लगातार निष्क्रियता की पुष्टि करती है, कम से कम मई, 1990 से जब से इस राज्यपाल ने सत्ता सम्भाली है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनेक पहल की गई थीं। स्वयं मैंने विभिन्न अवसरों पर केन्द्रीय गृह मन्त्री से मिलने की पहल की। असम में राजस्थानी मूल के विभिन्न लोगों की दशा से दुःखी होकर राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने पहल की। हमारी अनेक बैठकें हुई। लोगों की भावनाओं को शान्त करने के लिए मेरे दल के अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मण्डल असम भेजने के लिए बनाया। इनमें से किसी बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ा तथा तत्कालीन केन्द्रीय गृह मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री दोनों के ही साथ मेरे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार हस्तक्षेप करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा इस तथ्य के बावजूद भी हमने अनेक बार सतर्क किया कि असम में स्थिति इतनी गंभीर है कि वहां एक दिन भी विलम्ब करने की नहीं सोच सकते।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार पर मैं फिर यह आरोप लगाता हूं जैसाकि मेरे दल के अध्यक्ष श्री एल० के० आडवाणी ने कहा है कि जब भी हम पंजाब या जम्मू-कश्मीर की दशा पर विचार करते हैं तो सदैव यह कहते हैं कि पंजाब के या जम्मू-कश्मीर के आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के शिविर पाकिस्तान में स्थित हैं तथा इनकी यदि किसी ने अनुमति दी है तो वह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ही है। यह केवल असम के संदर्भ में है कि विद्रोहियों के प्रशिक्षण के लिए पहचान कर लिए गए 40 शिविर असम की भूमि पर, भारत की भूमि पर स्थापित किए गए हैं। यह असम गण परिषद तथा राष्ट्रीय मोर्चा सरकार दोनों की ही जानकारी है। राष्ट्रीय मोर्चा में सरकार के नेताओं के प्रति मेरा अपना आदर-सम्मान जैसा भी हो परन्तु यदि मैं यह नहीं कहता कि इस जानकारी के बावजूद भी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इन शिविरों के असम की भूमि पर अत: भारत की भूमि पर स्थापित होने की अनुमति दी तो वे राष्ट्र के प्रति देशद्रोह के दोषी हैं, तो मैं अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ रहता हूं। मैं अपने मित्र तथा सहयोगी प्रो० मधु दण्डवते से क्षमा चाहता हूं यदि जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया है उसमें कोई कटुता हो परन्तु उसको बताते हुए जो इन 40 शिविरों में हुआ है जिनकी उनको जानकारी थी, मैं इससे चिन्तित हूं। मुझे प्रसन्नता होगी यदि वह मुझे इस बारे में अधिक बता सकें कि उस समय राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की।

अब फिर मैं स्वयं असम गण परिषद सरकार पर आता हूं। मेरे सम्बन्ध अखिल असम छात्र संघ तथा असम गण परिषद सरकार से उस समय से हैं जब से आठवें दशक से असम आन्दोलन शुरू हुआ क्योंकि उस समय असम आन्दोलन के पीछे मूल प्रेरणा राष्ट्रवादी प्रेरणा थी जब यह आन्दोलन

[श्री जसवन्त सिंह]

शुरू हुआ, इसे राष्ट्रीय प्रशंसा तथा राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ। असम गण परिषद सरकार असम के लोगों के प्रति विश्वास-घात की दोषी है।

6.00 म० प०

यह राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचाने की दोषी है तथा यह उस राष्ट्रीय समर्थन को ठेस पहुंचाने की दोषी है जो इन्हें 1982-83 की अवधि में प्रचुर मात्रा में मिला था। मैं उनकी निन्दा एक अनुभव-हीन छात्र नेता जिन्हें अचानक सत्ता मिल गई के रूप में कर सकता था परन्तु वह केवल उनकी ही निन्दा होती क्योंकि वे राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के एक अंग थे तथा यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की जिम्मेवारी थी कि वह इनका मार्गदर्शन करती। इसीलिए हमारे इस राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने या इसका समर्थन करने से पूर्व मेरे कुछ प्रश्न हैं जिन्हें मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यह कहने के लिए माफी चाहता हूं कि महोदय मैं यहां किसी परेशानी में हूं तथा जैसाकि माननीय मित्र प्रो० मधु दण्डवते ने कहा है कि ये विशिष्ट प्रश्न हैं जिनके उत्तर की मैं सरकार से आशा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या संसदीय कार्य मन्त्री कृपया यह देखेंगे कि जिस मन्त्री ने यह विधेयक पेश किया है वह इस सभा में हैं?

श्री जसवन्त सिंह : ये विशिष्ट तथा सारवान प्रश्न हैं। मेरा सर्वप्रथम प्रश्न यह है कि 'उल्फा' का जन्म 1985 से पूर्व हुआ तथा जैसाकि स्वयं राज्यपाल की रिपोर्ट में कहा है कि 1987 तक यह एक पूर्ण रूप से विकसित संगठन बन चुका था तो इस 'उल्फा' पर नियन्त्रण पाने के लिए 1985-91 की अवधि में क्या किया गया? 1987-91 की अवधि में क्या किया गया जबकि विशेष रूप से यह सरकार की जानकारी में था कि न केवल शिविरों का आयोजन किया गया बल्कि उन्हें चल भी विदेशी सहायता मिल रही है?

मेरा दूसरा प्रश्न आज सुबह माननीय प्रधान मन्त्री जी से भी किया गया था।

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : आपके प्रश्नों का कौन जवाब देगा?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से श्री मालवीय जी प्रश्नों को नोट कर रहे हैं तथा उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले के पास एक संदेश भेजा है।

श्री जसवन्त सिंह : मैंने आज सुबह प्रधान मंत्री से यह प्रश्न किया था कि 1985-91 के दौरान या कम से कम 1990-91 के दौरान जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार सत्ता में थी तो क्या उनके द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 के अधीन राज्य सरकार को कोई निर्देश दिए गए थे? क्या वहां कोई घटना हुई, या वहां कोई कैम्प स्थापित किया जा रहा था? जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार सत्ता में थी तो क्या उसने असम गण परिषद की सरकार को कोई निर्देश दिये थे? क्या सरकार को ऐसी कोई जानकारी है कि 1987 से आगे असम सरकार को कोई निर्देश दिए गए थे? यदि ऐसा कोई निर्देश दिया गया था तो मैं जानना चाहूंगा कि उस निर्देश का क्या हुआ तथा उसके क्या परिणाम हुए? आज सुबह हमने 'उल्फा' और 'सिट्टे' के बीच सम्बन्धों के बारे में चर्चा

की । अब मैं 'उल्फा' और नागा नेशनल आर्मी के बीच सम्बन्धों के बारे में कहना चाहूंगा । इस संबंध में सरकार के पास जो सूचना उपलब्ध है उसके बारे में हम विस्तार से जानना चाहेंगे । आज सुबह मैंने प्रधानमंत्री से एक प्रश्न किया था जिसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया । 'उल्फा' तथा 'लिट्टे' के बीच स्थापित सम्बन्धों का विस्तृत ब्यौरा क्या है ? वे दो नेता कौन थे जिन्हें पकड़ा गया था ?

श्री ए० के० राय : क्या आप हमें यह बताएंगे कि उस समय ए० ए० एस० यू० द्वारा विदेशियों के विरुद्ध चलाये जाने वाले आन्दोलन तथा प्रान्तीयता आन्दोलन को किसने बढ़ावा दिया था ? क्या यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किया गया था ?

श्री असवन्त सिंह : मुझे उस प्रश्न का उत्तर देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है । मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र श्री राय बिल्कुल सही हैं । मुझे इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है तथा इसके लिए मैं किसी तरह का बचाव नहीं कर रहा । निश्चय ही, मैंने खुद तथा भारतीय जनता पार्टी ने ए० ए० एस० यू० तथा असम गण परिषद को, इसके बनने से पहले तथा विद्यार्थी आन्दोलन का भारी समर्थन दिया था । हमने उन्हें अपना समर्थन इसलिये दिया था क्योंकि हमें विश्वास था और अभी भी विश्वास है कि ए० ए० एस० यू० ने उस समय जो मुद्दा उठाया था । वह बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा था । और यदि वही मुद्दा पुनः उठाया जाता है, वही मुद्दा असम की राजनीति को वैसे ही प्रभावित करता है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुझे उसका समर्थन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी । क्योंकि वह मुद्दा एक प्रान्तीय मुद्दा न होकर राष्ट्रीय मुद्दा है ।

श्री ए० के० राय : क्या प्रान्तीयतावाद एक राष्ट्रीय मुद्दा है ?

श्री असवन्त सिंह : 1985 में किया गया असम समझौता वास्तव में उस समय उठाये गए मुद्दे को मान्यता प्रदान करता है तथा 1981, 1982, 1983 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कुछ कहा गया उ ही सरकार ने अन्ततः 1985 में असम समझौता के द्वारा इसे मान्यता प्रदान की तथा इसे शासकीय विश्वसनीयता मिली ।

मैं वेल्लोर अस्पताल में पकड़े गये दो व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानना चाहूंगा । वे कौन थे ? वे वेल्लोर अस्पताल में क्या कर रहे थे ? इस सम्बन्ध में दो मत है । एक मत यह है कि वे उपचार के लिए वेल्लोर अस्पताल गए थे तथा दूसरा मत यह है कि वे वेल्लोर अस्पताल में इसलिए थे क्योंकि वहां उन्हें संरक्षण प्राप्त था । केवल इतना कहना ही काफी नहीं है कि 'उल्फा' और 'लिट्टे' के बीच कोई सांठ-गांठ है तथा उनमें आपस में निकट का संपर्क बना हुआ है । हम इस सम्बन्ध में विस्तार से जानना चाहेंगे ।

अब मैं हत्याओं और अपहरण की घटनाओं के सम्बन्ध में विस्तार से जिक्र करूंगा । इस संबंध में राज्यपाल और माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए आंकड़े में अन्तर है इस सम्बन्ध में हमें कुछ नहीं मालूम । अचानक वहां अनेक कब्र मिली हैं तथा उनकी खुदाई की गई है । हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आपराधिक गतिविधियों जैसे हत्याओं, अपहरणों, फिरौती तथा बन ऐंठने आदि के मामलों में 'उल्फा' का कहां तक हाथ है क्योंकि राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार 'उल्फा' ने करीब चार से पांच

[श्री जसवन्त सिंह]

सौ करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस तरह कितना धन एकत्र किया गया है।

ये सब प्रश्न राष्ट्रपति शासन लागू होने के पहले की अवधि के बारे में हैं। अब मैं राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात की अवधि के बारे में कुछ प्रश्न करूंगा। हम आपरेशन बजरंग के प्रश्न पर आते हैं। इस सम्बन्ध में हम सरकार से स्पष्टीकरण चाहेंगे। राज्यपाल की यह विशेष रिपोर्ट 26 नवंबर की है और 27 नवम्बर को वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। आपरेशन बजरंग शुरू करने में थोड़ा समय लगता है। मैं जानना चाहूंगा कि आपरेशन बजरंग शुरू होने में यह अन्तराल कैसे आया।

मैं सुरक्षा के अभाव, आपरेशन बजरंग के दौरान वास्तव में किए गए कार्य, गिरफ्तारियों, कुल जब्त किये गए हथियारों तथा इन सबसे महत्वपूर्ण जो प्राप्त की गई उसके सम्बन्ध में जानना चाहूंगा। मैं इस बात से चिन्तित हूं कि आपरेशन बजरंग के दौरान 'उल्फा' के किसी नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं सरकार से इस पर टिप्पणी करने का अनुरोध करूंगा। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या 'उल्फा' का नागालैण्ड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल तथा बर्मा के कुछ तत्वों के साथ सांठगांठ है क्या इस दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर या द्विपतीय स्तर पर बर्मा सरकार से कोई बार्ता की गई है?

उत्तर पूर्व के समीपवर्ती राज्यों में की गयी कार्यवाही के विवरण क्या है? और यदि तमिलनाडु में उल्फा के छिपने के स्थान है, जैसाकि प्रधानमन्त्री ने सुझाव दिया है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये स्थान कहां हैं और क्या कार्यवाही की गयी है।

मैं सरकार से कुछ विशेष सिफारिशें करने के बाद अपनी बात समाप्त कर दूंगा और इसमें मुझे एक मिनट से अधिक का समय नहीं लगेगा। सर्वप्रथम तो मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि सरकार को सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की जनसांख्यिकीय कठिनाईयों के कारण बंगलादेश के साथ की गयी सन्धि के दायित्वों की पुनरीक्षा करने पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मुझे सन्धि के दायित्वों, जो द्विपक्षीय आधार पर बंगलादेश के साथ हैं, के विशेष पहलुओं का जिक्र नहीं करना है परन्तु उनके कारण भारी कठिनाई हो रही है और अब समय आ गया है कि उनकी पुनः जांच की जाए।

दूसरे, मैं इस सरकार की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि इसने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। यह एक अत्यधिक रूढ़िवादी रिपोर्ट है और प्रत्येक बात की केन्द्र को सौंपने मात्र से हम इस समय देश के समक्ष इस ज्वलन्त समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने में क्या अड़चन है? उस रिपोर्ट को स्वीकार कीजिए। उसे स्वीकार करने से राज्यों के सम्बन्ध में आज अनुभव की जा रही अनेक बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

तीसरे, महोदय, मुझे विश्वास है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सम्बन्ध में, और मैं भी इस बात का समर्थक हूं, कि इस क्षेत्र को सात राज्यों में विभाजित करना एक गलती थी। सरकार के लिए अब उचित समय है कि वह उत्तर-पूर्वी विकास परिषद को पुनर्जीवित करे। वर्तमान उत्तर-पूर्वी

विकास परिषद एक ऐसी एजेंसी है जिसके माध्यम से अनेक अच्छे कार्य किए जा सकते हैं परन्तु दिल्ली से दूर होने के कारण और उत्तर-पूर्वी विकास परिषद से उसकी शक्तियां छीन लेने के कारण यह केवल एक नौकरशाही संगठन बनकर रह गयी है। यदि सरकार उत्तर-पूर्वी विकास परिषद को वास्तव में सशक्त बनाए तो हम सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की समस्याओं का स्थायी समाधान अच्छी प्रकार से कर सकते हैं।

महोदय, मैं संक्षेप चार सुझाव और देना चाहता हूं। मैंने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था हम पंजाब एवं जम्मू-कश्मीर में ऐसी घटनाएं देख रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं अब असम में भी हो रही हैं। मैं समझता हूं कि अब इस बात के लिए उचित समय है कि हमें आपस में मिलकर अनुच्छेद 357क (क) के अधीन एक संसदीय सलाहकार समिति का गठन करने पर विचार करना चाहिए जो केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बफर का कार्य करे। पंजाब के संदर्भ में वहां गत 7 अथवा 8 वर्षों से किसी निकाय का चुनाव नहीं हुआ है। ऐसा ही हम जम्मू-कश्मीर में देख रहे हैं। ईश्वर न करे यदि भारत में इस प्रकार की स्थिति और अधिक गम्भीर हो जाए तो इसका समाधान करने के लिए हमें नई व्यवस्था करनी होगी।

असम के बारे में मेरा अन्य सुझाव यह है कि सरकार को 1991 की जनगणना का कार्य करना चाहिए। असम में 1971 के बाद से जनगणना नहीं हुई है और किसी राज्य में 20 वर्षों से जनगणना न कराने की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार को पहले जनगणना का कार्य पूरा करना चाहिए, उसके बाद चुनाव कराने चाहिए।

महोदय, सेना का लगातार उपयोग किए जाने की भी कुछ सीमाएं हैं। मैं कोई अथोरिटी न रहने के बारे में चिन्तित हूं। यदि आप असम पर सेना सौंप देते हैं तो इससे सेना के नैतिक अधिकार का हनन होगा। कृपया इस पर विचार कीजिए क्योंकि सरकार के पास केवल यही हथियार रह गया है।

महोदय, इस सरकार से एक बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। अनेक दशकों से हम असम में पनप रहे असंतोष को देख रहे हैं और अब असम में अनेक दशकों की उपेक्षा एवं असंवेदन शील कुप्रशासन के खिलाफ जनाक्रोश चरम पर पहुंच गया है। दिल्ली और दिसपुर की बेवकूफियों का हर्जाना असम की जनता को देना पड़ रहा है और अब भारत को इसका हर्जाना देना पड़ेगा। क्या मैं अपने मित्र श्री कमल मोरारका, जो इस विधेयक को ला रहे हैं, से कह सकता हूं कि इसमें अब तक हमारी प्रतिक्रिया अकल्पनात्मक रही है। यह विधेयक नीरस है क्योंकि यह सामान्य सा है और सामान्य कानून एवं व्यवस्था से सम्बन्धित है। असम की चुनौती बहुआयामी है। असम की विशिष्ट कृपया स्थिति की पहचान कीजिए अन्यथा हम सभी को इतिहास का अपमान वर्दाश्त करना पड़ेगा।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं असम में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा और अनुपूरक मांगों पर चर्चा का समर्थन करता हूं।

इस सदन के एक माननीय सदस्य की एक बात सुनकर मुझे गहरा आघात एवं दुख हुआ। मैं असमी,

[श्री सन्तोष मोहन देव]

कुमी और बंगाली का सम्मिलित रूप हूं। मैं असम में रहने वाला एक बंगाली हूं। यदि अली, कुली और बंगाली के बारे में, जिन्होंने युगों से कांग्रेस का समर्थन किया, उनका कटाक्ष और आरोप राजनैतिक कारणों से है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और अगर इसका तात्पर्य यह है कि अली, कुली और बंगाली ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनैतिक निर्णय करने में सक्षम नहीं हैं तो मैं कहूंगा कि श्री जसवन्त सिंह, जो राजस्थान से चुनकर आये है, को भारत के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मुझे तो उनसे ऐसी आशा नहीं थी कि वह सभा में ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे।

वह इस सभा में अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से एक हैं। सच्चाई सामने है। उनके भाषण से मेरे भाषण का सम्पूर्ण सार ही गड़बड़ा गया है। वह कांग्रेस को एक अपराधी करार देना चाहते हैं जो असम की वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी है। परन्तु असम का हत्यारे तो उन बेंचों पर बैठा है यह भारतीय जनता पार्टी है। मुझे पता है कि किस प्रकार लोग दिल्ली से नोटों के थैले भरकर असम ले जाया करते थे, और पुलों को जलाने, नेल्ली में लोगों को, मुख्यत: मुसलमानों को मारने आदि के लिए उन लड़कों में बांटते थे जो आज के उल्फा बने हुए हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। जब वहां चुनाव थे तो वे भृगु फुकन और प्रफुल्ल महंत से मिलने जेल तक में गए और उनसे चुनावों का बहिष्कार न करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए और वे अपने उद्देश्य के लिए चुनाव लड़ेंगे। यह उद्देश्य क्या है ? पूर्वी पाकिस्तान या बंगलादेश से आए लोगों के बारे में उन्होंने आवाज उठाई कि हिन्दू रह सकते हैं, मुसलमान वापस जाएं। अत: यह मुसलमानों के बारे में उनकी अप्रसन्नता है। जो बंगाली उनका समर्थन करते हैं वे वास्तविक बंगाली हैं और भारतीय बंगाली हैं और संतोष मोहन देव जैसे व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करते वे 'अली, कोल्ली और बंगाली' हैं और वे इस सभा में भी अवमानना के पात्र हैं।

महोदय, हम बिल्लियों और कुत्ते नहीं हैं। जन्म से हम भारतीय है और हम अविभाजित भारत के पक्ष में हैं। उनके नेताओं ने इस राष्ट्र को विभाजित किया है। जब हम इस देश में आए थे तो इस देश के नेताओं ने एक वचन दिया था कि हमें यहां रहने का अधिकार होगा। और उसी अधिकार से हम रह रहे हैं न कि असम गण परिषद, प्रफुल्ल महंत या भृगु फुकन की मेहरबानी से और न ही 'हिन्दू, हिन्दी, हिन्दुस्तान' के नारे वाली भारतीय जनता पार्टी की दया से। मैं उनसे घृणा करता हूं। मैं उन्हें बता रहा हूं कि आज के बाद से उन्हें असम से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। विशेषकर जब वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे तो उन्हें 'अली, कोल्ली और बंगाली' का जवाब मिलेगा और मैं देखूंगा कि लोगों के मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यह बहुत दु:ख की बात है कि उनके स्तर का नेता इस प्रकार की टिप्पणी करता है।

महोदय, आज हम राष्ट्रपति शासन पर चर्चा कर रहे है। जसवन्त सिंह ने बिलकुल ठीक कहा है कि राज्यपाल की रिपोर्ट में 2 मई, 1990 की तारीख का उल्लेख है। मई, 1990 को कौन-सी सरकार थी। हां, वी० पी० सिंह की सरकार ने प्रयास किया था और मुझे इसकी व्यक्तिगत जानकारी है। जैसे श्री जसवन्त सिंह ने गृह मंत्री और प्रधानमन्त्री से बात की है वैसे ही मैंने भी की है। उनके

श्रेय के लिए मैं यह कहता हूं कि उन्होंने भी असम सरकार को कतिपय जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करने तथा उल्फा की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सेना तैनात करने की सलाह दी थी। परन्तु राज्य का सत्ताधारी दल इससे सहमत नहीं हुआ और इसीलिए वे ऐसा नहीं कर सके। ठीक है, वर्तमान सरकार ने यह कर दिया है और ऐसा करने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। अखिल असम छात्र संघ जो बाद में असम गण परिषद बन गया, को आंदोलन जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने असम में 3,000 लोगों की हत्याएं की। उन्होंने पुल जलाए। उन्होंने स्कूल जलाए। उन्होंने वहां कमीशनर श्री पार्थसारथी की हत्या की। इस पूरे समय के दौरान भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन कर रही थी। मैं माननीय मन्त्री श्री कमल मोरारका से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपका राज्यपाल या आपके सलाहकार निरंतर यह कह रहे हैं कि आज तक उन्हें अखिल असम छात्र संघ असम गण परिषद और उल्फा के बीच सम्बन्ध का पता नहीं चला है। मैं आपसे केवल एक प्रश्न का उत्तर देने का अनुरोध करता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि लाखी पत्थर शिविर डिगबोई पुलिस थाना से केवल 8 कि० मी० दूर स्थित था। क्या यह सच नहीं है कि सरायपुंग शिविर फोरेस्ट चेक गेट और असम सरकार के फोरेस्ट बीट आफिस से केवल एक कि० मी० दूर था ? मकम जो केवल 2 कि० मी० दूर था। उनका दूसरा लड़ाई का मुख्यालय था। इन स्थानों में आरक्षित वन थे। उस समय वन मंत्री कौन थे ? श्री प्रफुल्ल कुमार महंत जो उस समय असम के गृह मंत्री थे, वन मंत्री भी थे उस समय उल्फा उग्रवादियों द्वारा एक शिविर चलाया जा रहा था। जब मुख्यमन्त्री और गृह मंत्री से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की। मैं जानना चाहता हूं, कैसे ? क्या यह धोखाधड़ी नहीं है ? उल्फा के नेता श्री बोरा प्रत्येक शनिवार को तिनसुकिया पुलिस थाना आया करते थे और चावल, आटा, दाल, धन की अपनी आवश्यकता बताया करते थे और यह सब कुछ उन्हें लखीपथार पुलिस थाना में मिल जाया करता था। मैंने तत्कालीन गृह मन्त्री और देश के प्रधानमन्त्री का भी ध्यान इस ओर दिलाया था। उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की ? अब आप कांग्रेस को इन सबका उत्तरदायी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं।

अखिल असम छात्र संघ और उल्फा के बीच सम्बन्ध था। मैं यहां एक साक्षात्कार उद्धृत करना चाहूंगा जो श्री भृगु फुकन ने इकनामिक डाइजस्ट कलकत्ता को दिया था। एक प्रश्न पूछा गया था "क्या असम गण परिषद के उल्फा से कोई सम्बन्ध थे ?" उन्होंने कहा : "जी हां। मेरे पास इस सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य हैं। अनेक सहयोगियों ने प्रायः मुझसे उल्फा लड़कों को गिरफ्तार न करने का आग्रह किया था। परन्तु इस बात का ध्यान रखें कि मैं अपने दल के विरुद्ध आरोप नहीं लगा रहा हूं। तथ्य यही है कि ये लड़के हमारे ही भाई हैं और वे नाराज हैं।

हमें एक दूसरे पर आरोप न लगाकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहिए।"

श्री चित्त बसु (बारसाट) : यह वक्तव्य कब दिया गया था ?

श्री सन्तोष मोहन देव : यह वक्तव्य 11 दिसम्बर, 1990 को राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद दिया गया था।

अभी भी राज्यपाल तथा उनके सलाहकार जो इस कार्य के लिए सक्षम नहीं हैं—देश को

[श्री सन्तोष मोहन देव]

बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। यदि आप भृगु फूकन अथवा प्रफुल्ल महन्त को गिरफ्तार नहीं करना चाहते तो यह निर्णय आपका है। हम इसके पक्ष में नहीं हैं। परन्तु आपको यह नहीं कहना चाहिए कि आप असम गण परिषद तथा 'उल्फा' के बीच के सम्बन्ध के बारे में अनभिज्ञ हैं। केवल यही नहीं, 'उल्फा' ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के बारे में संवाददाताओं से भेंट-वार्ता भी की गई थी। लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 'उल्फा' के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। 'उल्फा' के लिए ऐसी भेंट-वार्ता किसने की थी ? वह अभी भी गुवाहाटी के एक होटल में रह रहा है। असम पुलिस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैंने उसके सही निवास-स्थान के बारे में राज्यपाल को बताया था। परन्तु उन्होंने उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। वह वहां खुले, आम घूम रहा है। आज असम में क्या हो रहा है ? पुलिस अधीक्षक एवं उपायुक्त अभी भी 'उल्फा' के विरुद्ध कार्यवाही करने से डरते हैं। वे बर्मा में नहीं गये हैं। वे मणिपुर में भी नहीं गये हैं। वे असम के लोगों में ही घुल-मिल गये हैं। कतिपय परिवार वहां बलपूर्वक रह रहे हैं। लेकिन उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक यह कह रहे हैं कि सेना के असम से चले जाने के बाद उनका क्या होगा। उनके ए० के० 47 राइफलें हैं। उन्हें भीड़ को फौन आदि के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया है। एक मैनेजर को जोरहाट से जाया गया था और 15 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। उसने उन्हें कहा कि वह डिब्रूगढ़ में 5 लाख रुपये पहले ही दे चुका है। उन्होंने कहा, 'नहीं', हम इसकी पुष्टि करेंगे। एक मिनट के अन्दर ही उन्होंने अपने कैंप से इसकी पुष्टि कर ली। उन्होंने कहा तुमने 5 लाख रुपए दे दिए हैं और अब 10 लाख रु० और देने हैं। असम राज्य में उनका इस प्रकार का संचार तंत्र है। हमें लड़ाई के स्थान पर देश की ऐसी बर्बादी से निपटना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि वह लोगों से जबरन पैसा ऐंठ रहे हैं। वे लोगों को मार रहे हैं। वे प्रशासन को अपने हाथ में ले रहे थे। उस समय असम गण परिषद की कोई सरकार नहीं थी। असम में 'उल्फा' ही सरकार चला रही थी।

इस सभा में तत्कालीन गृह मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वे सख्त कार्यवाही करेंगे। अभी तक 33 लोगों के शव प्राप्त हो चुके हैं। श्री जसवन्त सिंह ने एक प्रश्न पूछा था कि ये कौन लोग हैं ? मैं उनके नाम बता रहा हूं; उनके सम्बन्धियों ने उनकी पहचान की है। उनके नाम हैं: दीपू चौधरी, राजा अहमद, कुलबहादुर क्षत्री, दिम्बेश्वर गगोई, राधेश्याम लाहोटी और राजा गोस्वामी। इन्हें 21 अक्तूबर से 23 अक्तूबर के बीच गोलाघाट से अपहृत किया गया था। पुलिस को सूचना दी गई थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि राज्य सभा के एक सदस्य ने यह कहा था···(व्यवधान)···मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता—और उनके मेता ने ऐसे के बारे में यह वक्तव्य दिया था जो शव सेना ने बरामद किये थे परन्तु उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के शव हैं जो सेना द्वारा मार दिए गये थे और जो रासायनिक तरीके से सड़ा दिए गए हैं। लेकिन यदि वे लोग सेना द्वारा मारे गए हैं तो उन्हें अक्तूबर में अपहृत क्यों किया गया था ? आप 'उल्फा' तथा असम गण परिषद के संबंधों के बारे में और क्या साक्ष्य चाहते हैं ?

अब एक हौवा खड़ा किया गया है और वह भी एक नहीं—वस्तुतः दो—एक असम में किया गया और वह है—एक प्रचार कि बंगालियों तथा मारवाड़ियों द्वारा असम के लोगों का शोषण किया जा रहा है। (व्यवधान)

असम में क्षेत्रीयता को लेकर बहुत शोर किया जा रहा है और क्षेत्रीयता के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन यह सच नहीं है। मुझे आज यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि गुवाहाटी में स्वतन्त्रता सेनानी तथा श्री विजय चन्द्र भगवती अखिल भारतीय स्तर के नेता, जो कभी केन्द्रीय सरकार में मन्त्री थे, कि अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ था। उस बैठक में उन्होंने राष्ट्रपति शासन के सम्बन्ध में एक दृष्टिकोण अपनाया। भारतीय सेना विश्व की सर्वाधिक अनुशासनात्मक सेनाओं में से एक है। मुझे रक्षा मन्त्रालय में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं भारतीय सेना के बारे जानता हूं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी प्रशासनिक व्यवस्था ठप्प हो जाने पर सेना को मदद के लिए बुलाया जाता है तो कतिपय राजनैतिक पार्टियां तथा नेता सेना पर आक्षेप लगाते हैं। परन्तु एक असमवासी होने के नाते मुझे इसका गर्व है। दिनांक 15 दिसम्बर को हुए सम्मेलन में प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी श्री विजय चन्द्र भगवती, 'दी सेन्टिनेल' के सम्पादक श्री डी० एन० बेजबरुआ, अधिवक्ता श्री सैलेन मेधी तथा अन्य वक्ताओं ने भाषण दिए थे। वहां उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने प्रेस के एक वर्ग की इस बात के लिए आलोचना की कि वह सेना के अत्याचारों को बढ़ा-चढ़ाकर जनता की भावना भड़काते हैं और उन्होंने कहा कि इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए।

असम के लोगों का ऐसा मत है और वे राष्ट्रपति शासन का स्वागत कर रहे हैं। 'द सेन्टिनल' 'असम ट्रिब्यून' तथा अन्य समाचारपत्रों सहित असम के एक छोटे से वर्ग ने इसका समर्थन किया है। यह सच है कि असम में प्रत्येक व्यक्ति यही कह रहा है कि राज्यपाल-शासन अधिक समय तक नहीं जारी रहना चाहिए क्योंकि इसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। हमने पंजाब तथा कश्मीर के मामलों में यह देखा है। इसे देखते हुए अपनी पार्टी की ओर से मैं भी शीघ्र चुनावों की मांग करता हूं।

परन्तु मैं श्री जसवन्त सिंह के इस कथन से सहमत हूं कि वर्ष 1971 से 1990 के बीच असम में कोई जनगणना नहीं की गई थी और जन गणना रिपोर्ट के अभाव में हमें बहुत कठिनाई हो रही है। जनगणना के तुरन्त बाद असम में चुनाव कराये जाने चाहिएं। हम अन्य राष्ट्रीय दलों तथा असम के अन्य राजनैतिक दलों की इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्रपति शासन एकमात्र विकल्प नहीं है। वहां एक लोकप्रिय सरकार होनी चाहिए और वह लोकप्रिय सरकार उस राज्य में चुनावों के पश्चात् बननी चाहिए।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है : मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। प्रो० मधु दंडवते यहां हैं। राष्ट्रीय मोर्चे की केन्द्रीय समिति की बैठक थी। उस समिति में अखिल असम छात्र संघ और असम गण परिषद के दबाव में आकर उन्होंने यह कहते हुए संकल्प को पारित करने से इन्कार कर दिया कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है; और यह संकल्प समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है।

उल्फा क्या है ? उल्फा एक संगठन है जो 1979 में नागगढ़ में बनाया गया था। जी हां; यह सच है कि जब हम सत्ता में थे यह धीरे-धीरे बढ़ रहा था।

श्री जसवन्त सिंह ने एक प्रश्न पूछा था : उल्फा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? उल्फा के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी ? परन्तु उल्फा आतंकवादी को, जो श्री पार्था सारथी शर्मा की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था, असम गण परिषद की सरकार में मन्त्री बनाया। वहां यह स्थिति थी। असम

[श्री सन्तोष मोहन देव]

गण परिषद सरकार ने जिस दिन कार्य भार सम्भाला उसी दिन श्री सैकिया के हत्यारे को पदाकड़ किया गया। जब वह मुख्य मन्त्री थे तो उन पर प्राणघातक हमला हुआ और उनके हत्यारे को मौके पर ही पकड़ लिया गया; उसे जेल से निकालकर पदाकड़ किया गया। बैठक में श्री प्रफुल्ल महंत ने कहा, "हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाला क्षेत्रीय दल है।" असम के लोग इससे बहुत प्रसन्न थे। उसके पश्चात वे असफल हो गए दस वर्षों तक कोई जनगणना नहीं हुई। छह वर्षों तक यहां आंदोलन चलता रहा। पांच वर्षों तक वहां कुशासन रहा। परन्तु असम में कोई विकास नहीं हुआ। अत: मैं भारत सरकार, जिसके हाथ में अब असम का शासन है से अनुरोध करूंगा कि उल्फा के विरुद्ध कार्रवाई करने मात्र से आप वहां सामान्य स्थिति नहीं ला सकते हैं। आपको साथ-साथ विकास कार्य भी आरम्भ करना होगा, दोनों चीजें साथ-साथ चलनी चाहिए। आप उल्फा के विरुद्ध कार्यवाही कीजिए परन्तु विकास कार्यक्रम के बारे में क्या हुआ ? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, जब आप जवाब देते हैं कि नौगांव में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई० आई०टी०) के बारे में क्या हुआ ? सिल्चर में असम विश्वविद्यालय के बारे में क्या हुआ ? मैं जानना चाहता हूं कि असम में बड़क डैम के बारे में क्या हुआ ? असम विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालय के बीच कुछ विरोध था। एक जनसभा में पूर्व प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह आश्वासन दिया था कि एक दूसरे केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने यह निर्णय लिया था।

मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि असम की संस्कृति प्रथा विरासत को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ? असम की संस्कृति तथा विरासत को सुरक्षित रखने का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों की संस्कृति तथा दूसरों की विरासत को नष्ट कर दें। पश्चिम बंगाल की भाषा तथा साहित्य से आपको सीखना है। अन्य राज्यों से वे अन्य लोगों को आकर्षित करती है। यदि आप अपने धर्म, अपनी विरासत तथा अपनी भाषा को बनाए रखना चाहते हैं तो आप दूसरों को यह नहीं कह सकते की आप इस भाषा को सीखिए। आपको उन्हें अपनी सम्बद्धता से आकर्षित करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में पंजाबी लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। दक्षिण भारत के लोग बंगाली भाषा बोलते हैं उन्होंने अन्य परिवारों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए हैं। असम में क्या हो रहा है ?

इस सभा में पांच मारवाड़ियों के बारे में एक बात उठाई गई थी। उनसे यह पूछा गया था कि उनकी कितनी पुत्रियां हैं ? उन्होंने कहा था "तेरह पुत्रियां"। फिर उनसे पूछा गया "प्रत्येक पुत्री के विवाह पर वे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं ?" उन्होंने कहा "प्रत्येक पर एक लाख रुपया।" फिर उनसे कहा गया, "यदि आप यह पैसा उल्फा के पास जमाकर दें तथा यदि आप आपकी पुत्री का विवाह किसी असम के लड़के के साथ कर दें तो वह किसी पैसे की मांग नहीं करेगा।" क्या यह एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ आत्मसात नहीं है ? क्या यह एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के साथ आत्मसात है ? श्री जसवन्त सिंह जो आपने असम के बारे में बहुत कुछ कहा है तथा अब आप यह कह रहे हैं कि हम इसके लिए जिम्मेवार हैं। मैं यह कहता हूं कि आप जिम्मेवार है।

वे प्रजातन्त्र की बात करते हैं। असम गण परिषद सरकार द्वारा करबी अंगलोंग तथा एन० सी० हिल्स की निर्वाचित निकाय को भंग कर दिया गया। मैं केन्द्रीय सरकार, प्रधानमन्त्री तथा असम

के राज्य पाल को उस स्थिति को वास्तविकता में लाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

हम सभी यह सुनते हैं कि असम समझौते को कार्यान्वित नहीं किया गया है।

मैं श्री जसवन्त सिंह जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के समर्थक थे, से पूछना चाहूंगा—राजीव गांधी को भूल जाइए, बूटा सिंह को भूल जाइए, संतोष मोहन देव को भूल जाइए परन्तु इस सभा में देश के गृह मंत्री ने जो आपके द्वारा समर्थित दल के हैं, कहा था कि असम समझौते के सभी खण्ड लागू कर दिए गए हैं। अब इससे अधिक आप और क्या चाहते हैं? जब 14 अगस्त, 1985 को उन्होंने उस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे तो वह यह बात भूल गए थे कि समझौते पर हस्ताक्षर करके उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान या बंगलादेश से आए 30 लाख बंगालियों और हिन्दूओं को नियमित कर दिया है। यह एक सच्चाई है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिये और वे उन लोगों को रखने को तैयार हो गए हैं जो 1 जनवरी, 1966 और 31 मार्च, 1971 के बीच आए थे और इस न्यायाधिकरण के माध्यम से वे केवल 992 लोगों की पहचान कर पाए हैं।

श्री प्रफुल्ल कुमार महंती ने एक पुस्तक प्रकाशित की है और उस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि "हम 30 लाख लोगों को वापस भेजेंगे।"

श्री चित्त बसु : वह पहले की बात है।

श्री सन्तोष मोहन देव : जी नहीं, मुख्य मन्त्री बनने के बाद एक पुस्तक प्रकाशित की है और उस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि "30 लाख लोगों को हम वापस भेज रहे हैं।" परन्तु अब वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं और आप उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं।

मैंने महारानी सिंधिया जी का भाषण सुना है। उन्होंने कहा है कि उन सभी लोगों को, जिनकी इस देश में कोई जड़ नहीं है और जो देश के लिए खतरा बन गए हैं, भारत से बाहर भेजना होगा। उनका तात्पर्य मुसलमानों से है। हमारी कांग्रेस पार्टी आपके इस सिद्धांत से सहमत नहीं है। आप इस सिद्धांत को भुनाने का प्रयास कर सकते हैं; आप राजस्थान में भुना सकते हैं, मध्य प्रदेश में भुना सकते हैं, परन्तु यह असम में नहीं भुनेगा।

मैं इस केन्द्रीय सरकार को एक बात कहना चाहता हूं। अब हर व्यक्ति चुनाव चाहता है और वह भी बहुत शीघ्र। हर व्यक्ति चाहता है कि सेना जल्दी से जल्दी वापस बुला ली जाए। परन्तु इसके साथ-साथ असम के सभी राजनीतिक दल यह जानना चाहते हैं कि आपकी कार्य योजना क्या होगी क्योंकि निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दल असम चुनाव लड़ना चाहेंगे। इस चुनाव की घोषणा से पूर्व मैं देश के प्रधानमन्त्री, जो गृह मन्त्री भी हैं, से अपील करना चाहूंगा कि सभी राष्ट्रीय दलों के नेताओं को बुलाया जाए और संवेदनशील क्षेत्रों और संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों का पता लगाने तथा अर्ध-सैनिक और पुलिस के बारे में उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के बारे उनसे चर्चा की जाए। मेरा विश्वास है कि यदि असम प्रशासन और असम पुलिस को पर्याप्त हथियार प्रदान किए जाए तो वे अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। आपने पंजाब और कश्मीर में सुरक्षा बलों को आधुनिकतम हथियार दिए हैं परन्तु असम में नहीं दिए। असम में क्यों नहीं दिए आप उन्हें कुछ हथियार क्यों नहीं देते हैं? मुझे नहीं पता कि अन्य स्थानों पर क्या स्थिति है। जब कभी भी मैं जाता हूं तो मुझे एक रक्षक दिया

[श्री संतोष मोहन देव]

जाता है, रक्षक सड़क पर रह जाता है और आप आगे चले जाते हैं। राष्ट्रपति शासन खत्म करने के बाद की यही स्थिति है।

श्री चित्त बसु : कभी-कभी रक्षक को रक्षा करनी पड़ती है ।

श्री संतोष मोहन देव : जी हां, धन के मामले में, लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। राज्यपाल ने कहा है कि 500 करोड़ रुपए वसूल किये गए हैं और यह धनराशि व्यापारियों और उद्योगपतियों से वसूल की गई है। पहले तो वे गैर-आसामी लोगों से धन लेते थे परन्तु अन्ततः उन्होंने असमी लोगों से भी लेना शुरू कर दिया। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मेरे पास कागजात हैं जिनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि टाटा टी लिमिटेड, मेक्नील एण्ड मेजर लि०, बारन टी लिमिटेड, वि असम टी कम्पनी लिमिटेड, डूमडूमा टी कम्पनी लिमिटेड और स्टेवार्ड हाल कम्पनी लि० जैसी इन सभी कम्पनियों ने पांच-छह करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि दी है और जब भी उन्होंने धनराशि दी है, तभी उन्होंने असम सरकार को सूचित किया है। मैं इस सभा में असम के मुख्य मन्त्री को चुनौती देता हूं जिन्होंने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि उन्हें सूचित नहीं किया जाता। मेरे पास पत्र मौजूद हैं और मैं उन्हें सभा पटल पर रख सकता हूं। चाय उद्योग ने मुख्य मन्त्री को, पुलिस अधीक्षक को, उपायुक्त को लिखा है कि उन्हें 'उल्फा' कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में बुलाया गया था और उन्हें मुख्य सचिव के निर्देशों पर बैठक में आना पड़ा। उन्होंने असम सरकार को सूचित किया है।

चाय उद्योग असम का मुख्य आर्थिक आधार है। देश के चाय निर्यात में इसका दो-तिहाई योगदान है और इसलिए उद्योग का संरक्षण किया जाना चाहिए। वहां बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से गए लगभग 5 लाख मजदूर हैं। परन्तु हमें नहीं भूलना चाहिए और उन्हें विदेशी कहकर राज्य से बाहर निकलने के लिए नहीं कहना चाहिए। वे वहां पांच पीढ़ियां पूर्व गये थे। उन्हें यह भी पता नहीं है कि वे उत्तर प्रदेश के किस भाग या किस जिले के हैं आज अचानक आप उन्हें विदेशी नहीं कह सकते और वहां से जाने के लिये नहीं कह सकते। यह न्याय नहीं है। उन्होंने असम की अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है और उसी की बदौलत असम और देश खुशहाल हुआ है।

श्री चित्त बसु : उन्होंने असम का निर्माण किया है ।

श्री संतोष मोहन देव : अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं सरकार को विनम्रतापूर्वक यह बताना चाहता हूं कि यह असम जातीय वाहिनी उदयाचल परिषद क्या है ? यह परिषद अभी भी असम में कार्यरत है। ये 'उल्फा' से भी आगे निकल गये हैं। ये 'उल्फा' के निर्देशों पर असम के विभिन्न भागों में जाते हैं और कैसेटें दिखाते हैं तथा भाषण देते हैं या वे असम में चाय के क्षेत्रों में कार्यरत कर्मकारों को सम्बोधित करते हैं; और इस प्रकार लोगों का मनोबल गिराते हैं। इसे रोका जाना चाहिये। मैं अपने पूरे सम्मान और विनय के साथ यह कहना चाहता हूं कि मैं असम के राज्यपाल और असम के उच्चाधिकारों से सहमत नहीं हूं। 'उल्फा' के कट्टर कार्यकर्ता भूमिगत नहीं हुए हैं। 'उल्फा' के चीफ कमांडर खुलेआम मौजूद हैं। वे अभी भी बिक्री आ रहे हैं। वे असम के विभिन्न भागों में घूम रहे हैं।

उनके नाम श्री पी० के० महन्त और श्री भृगु फुकन हैं। यदि आप में हिम्मत है तो उन्हें पकड़ कर दिखायें, उनसे पूछताछ करके दिखायें। आपको हरचीज मिलेगी। यदि आपमें हिम्मत नहीं है तो आप ऐसा न करें लेकिन आप यह न कहें कि असम के अलगाववादी और 'उल्फा' के अलगाववादी भूमिगत हो गये हैं वे एकदम खुलेआम मौजूद हैं। मैं मांग करता हूं कि 'उल्फा' आतंकवादियों को वर्गीकृत दस्तावेजों के विषय में पता चल जाने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराई जानी चाहिए। अनेक दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। जब 'उल्फा' ने जंगल में प्रशिक्षण शिविर लगाये थे तब असम सरकार ने छापा क्यों नहीं मारा? मैं यह मांग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भविष्य में असम गण परिषद फिर से सत्ता में आ सकती है और वे ये कहेंगे कि 'हमें कुछ नहीं होगा और हम वही करेंगे।' भविष्य में चुने जाने वाले निकाय को सबक सिखाने के लिए आपको यह देखने हेतु जांच करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की बातें न हों।

मैं यह कहना चाहूंगा कि असम में मतदाता सूची एक मुद्दा था। सौभाग्य से इस बार सभी राजनैतिक दलों ने मतदाता सूची को स्वीकार कर लिया है। इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन निर्वाचन आयोग तथा प्रधानमन्त्री को दिया गया है। 'आसु' ने कहा था कि उन्होंने केवल इस चुनाव के लिए मतदाता सूची को स्वीकार किया है और अगले चुनाव के समय वे फिर आन्दोलन शुरू करेंगे यह आंदोलन असम के हित के लिए नहीं है। यह आंदोलन असम के कुछ वर्गों के लोगों की आय और जीविका तथा भोग-विलास का साधन बन गये हैं। इस आन्दोलन को रोका जाना चाहिए। समझौते की एक शर्त यह भी थी कि यदि समझौता हो जाता है तो आन्दोलन हो जायेगा।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से आपकी सरकार को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन देता हूं। आप विद्रोहियों से बात करना चाहते हैं। हमें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। वे हमारे बच्चे हैं। वे भटक गये हैं। बात भारत के संविधान के ढांचे के भीतर होनी चाहिए। आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि वे भारत से स्वतन्त्रता की मांग कर रहे हैं और वे लड़ाई के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। यदि वे इन बातों को छोड़ देते हैं और वे रचनात्मक कार्य करते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं और किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। अगरतला में हमने देखा है कि अब 300 लोग भाग ले रहे हैं।

अन्त में मैं कहूंगा कि यदि उनसे कोई बात की जाती है तो वह भारत के संविधान के भीतर होनी चाहिये और भारत से स्वाधीन होने के बारे में कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

एक मुद्दे पर मैं भारतीय जनता पार्टी से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि यह एक सही निर्णय है। यदि यह निर्णय छह मास पूर्व ले लिया गया होता तो उपयुक्त समय में चुनाव हो गये होते। उनकी कुछ शिकायतें थीं। मंत्रीगण भी यहां उपस्थित नहीं हैं (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यहां बिलकुल उपस्थित हूं।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं समझता हूं कि वह अपने भाषण के दौरान असम के बारे में विस्तृत रूप से बतायेंगे। वह असम गये थे···(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : ये सब निजी बातें हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि केवल आज और कल ही हम लोक सभा तथा राज्य सभा में काम करेंगे। कुछ ऐसे मामले हैं जो लोक सभा से राज्य सभा जाने हैं और उन्हें पारित किया जाना है। मैं आशा करता हूं कि आज की कार्य-सूची में सम्मलित वित्तीय कार्य को समाप्त करने में माननीय सदस्य सहयोग देंगे।

डा० वेंकटेश काबड़े (नान्देड़) : मैं राष्ट्रपति शासन की घोषणा किए जाने का विरोध करता हूं। जहां तक सम्भव हो, अनुच्छेद 356 का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। यह बात प्रत्येक व्यक्ति ने मान ली है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों और हाल ही कुछ घटनाओं को देखते हुए तथा तमिलनाडु में भी इसकी बढ़ती सम्भावनाओं को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग का ज्यादा से ज्यादा करने के प्रति उनका आकर्षण रहता है।

यहां प्रश्न असम में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का नहीं है अपितु प्रश्न राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के समय का है। सरकार का कार्यकाल 8 जनवरी को समाप्त होना था। ऐसी क्या बात थी कि वहां 27 नवम्बर को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अत: क्या यह आवश्यक था कि जब सरकार का कार्यकाल सामान्य रूप से समाप्त हो रहा था तब वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। वास्तव में, यही बात ध्यान में रखनी है क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू करने के पीछे यही उद्देश्य था।

जैसाकि स्पष्ट तौर पर कहा गया है, हमें मानना होगा कि असम एक बहुवादी समाज है। यह न केवल भावनात्मक और संवेदनशील असमियों से ही बना है अपितु यहां ऐसे भी अनेक लोग हैं जो अन्य क्षेत्रों से यहां आकर बस गए हैं। इसलिए, असम की समस्या एक जटिल समस्या बन गई है। हमें असम की सुन्दरता और संस्कृति को बनाए रखना है। इन सभी चीजों का बहुत महत्व हो जाता है जो केवल लोकतान्त्रिक ढांचे में ही सम्भव है। अब वहां राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के फलस्वरूप काफी अशांति हुई है और उसे क्षेत्र में बदलाव आया है। वहां सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू किया गया है तथा इस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। पहले ही ऐसे बहुत से संकेत और उदाहरण हैं जहां राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने से प्रतिकूल परिस्थितियां अथवा सम्बद्ध बातें देखी जा रही है। अत: पुलिस और सशस्त्र कार्मिकों को शक्तियां प्रदान करने में चाहे जितनी सावधानी बरती जाए फिर भी ज्यादतियां सदैव की ही जाती है। अब समाचार पत्रों में महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाने और अन्य अत्याचार के बहुत समाचार आ रहे हैं और असम में सशस्त्र बलों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या किए जाने के समाचार पहले ही आ चुके हैं। इसका प्रभाव यह होगा कि लोग एक-दूसरे से अलग हो जायेंगे। लोग प्रशासन की मंशा पर सन्देह करना शुरू कर देंगे। 'उल्फा' अपनी गतिविधियों से जो हासिल नहीं कर पाया वह राष्ट्रपति शासन द्वारा संभव हो जाएगा, अर्थात लोग एक-दूसरे से अलग हो जायेंगे। यही बात है जो मुझे सबसे अधिक परेशान कर रही है। अत: मैं बलपूर्वक अनुरोध करूंगा कि भले ही वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना परिस्थितियों अथवा अन्तिम तिथि के कारण अनिवार्य हो गया हो, फिर भी इसे ज्यादा समय तक लागू रखना निश्चय ही न्यायोचित नहीं है।

मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति शासन को किसी न किसी कारण से लम्बे समय तक लगाए रखने की प्रवृत्ति सदैव बनी रहती है। ऐसा हमने पंजाब में देखा है। शायद हम इस कार्य के लिए पश्चाताप कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि जितना जल्दी संभव हो, चुनाव कराए जाएं परन्तु ऐसा करने के लिए किसी न किसी कारण से स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं। अब यदि असम में चुनाव मार्च के अन्त तक या अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक नहीं कराए जाते तो वहां बारिश शुरू हो जाएगी और ऐसी स्थिति में वहां चुनाव कराना संभव नहीं होगा। अत: स्वाभाविक ही है कि इसे नवम्बर तक बढ़ाए रखा जाए। मेरे विचार से तब तक स्थिति और अधिक खराब हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि ऐसा करके हम लोगों को बहुत बड़ी संख्या में एक-दूसरे से अलग कर देंगे। अत: मेरा यह विनम्र निवेदन है कि हमें नवम्बर तक इंतजार नहीं करनी चाहिए। और अब सरकार वहां जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए कह रही है तो चुनाव कराने में मार्च के अन्त या अप्रैल के प्रथम सप्ताह अथवा उसे प्रारम्भिक भाग से और अधिक का विलम्ब नहीं करना चाहिए।

असम में ऐसी राजनीतिक शक्तियां हैं जिनसे सरकार बातचीत कर सकती है। ऐसा सम्भव है कि यह राजनीतिक शक्तियां जो इस समय मौजूद हैं वे कुछ समय बाद न रहें क्योंकि अन्य राज्यों में ऐसा हुआ है कि उदारवादी लोग किसी भी क्षण अलग-अलग हो सकते हैं तथा इन उदारवादी लोगों के उग्रवादी बन जाने की प्रवृत्ति रही है। इसलिए चुनाव कराये जाने में किसी भी प्रकार का विलम्ब उदारवादी लोगों को उग्रवादी बनने पर मजबूर करेगा। अत:, इस विशाल भीषण खतरे को ध्यान में रखा जाना चाहिए। चाहे भले जो भी कहा गया या किया गया हो, हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। असम में असम गण परिषद के रूप में राजनीतिक शक्तियां तथा अन्य राजनीतिक दल हैं और साथ ही हम उनसे बातचीत कर सकते हैं और वहां चुनाव करा सकते हैं।

यह जानकर आश्चर्य होता है कि वहां सामान्य प्रक्रिया से चुनाव न कराकर राष्ट्रपति शासन लागू क्यों किया गया। मेरे विचार से यह एक खतरनाक पूर्वोदाहरण है जिसका प्रयोग कई अन्य राज्यों पर किया जा सकता है। जब किसी सरकार विशेष का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना अलोकतांत्रिक है और मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। इसके पीछे चाहे जो भी उद्देश्य रहा हो या जो कोई भी इसके पीछे हो, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रक्रिया को कभी माफ नहीं किया जा सकता और इसका निश्चित तौर पर विरोध किया जाना चाहिए।

असम गण परिषद और 'उल्फा' के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं 'उल्फा' या असम गण परिषद का कोई समर्थक नहीं हूं। मैं निश्चित तौर पर 'उल्फा' की गतिविधियों और इसके द्वारा की गई हिंसा से सहमत नहीं हूं।

यह स्पष्टतया एक अलगाववादी संगठन है और इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए तथा अब तक जो भी सही कार्यवाहियां की गयी थी वे पूरी तरह उचित थीं।

असम गण परिषद के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असम गण परिषद एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय मुख्य धारा में सम्मिलित है। यदि कोई व्यक्ति यह

[श्री वेंकटेश काबड़े]

कहता है कि असम गण परिषद 'उल्फा' का एक हिस्सा है तो निश्चित रूप से यह एक अत्यधिक गलत धारणा है। यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि उल्फा, असम गण परिषद और अखिल असम छात्र संघ में कोई विभाजक रेखा नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है। असम गण परिषद निश्चित रूप से एक राजनैतिक संगठन है जो राष्ट्रीय मुख्य धारा में है और अखिल असम छात्र संघ भी राष्ट्रीय मुख्य धारा में है। अब एक दीर्घ अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू करके हम जिस कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं उससे उन शक्तियों को पृथक करना है जो राष्ट्रीय मुख्य धारा में हैं और इस प्रकार का विभाजन करने का तथा इन उदारवादी शक्तियों को आतंकवादियों में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यदि समय इसी प्रकार बीतता गया तो न जाने क्या हो सकता है यह कहना कठिन है, क्योंकि, जैसा कि मैंने कहा था, असम की जनता भावुक और अत्यधिक संवेदनशील है। किसी व्यक्ति को आश्चर्य हो सकता है कि यदि उसी प्रकार की स्थिति बनी रही और स्थिति को खिंचने दिया गया तो यह दल, जो राष्ट्रीय मुख्य धारा में आया हुआ है, एक क्षेत्रीय शक्ति में बदल सकता है। वहां इस प्रकार के कुछ संकेत पहले से ही मिले हैं और यदि अखिल असम छात्र संघ एवं असम गण परिषद एक क्षेत्रीय शक्ति बन जाते हैं तथा वहां आन्दोलन पुनः आरम्भ हो जाता है तो यह पूरे राष्ट्र के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं होगी तथा हमें और अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। एक तो इस बारे में है कि इस 'उल्फा' संगठन से कैसे निपटा जाए। जैसा कि मैंने कहा था, यह एक अलगाववादी शक्ति है और देश की एकता एवं अखण्डता को बनाए रखने के लिए सरकार को निश्चित रूप से प्रत्येक सम्भव कार्रवाई करनी चाहिए। आजकल हम आतंकवादियों से बातचीत करने की बातें कर रहे हैं। यह एक अत्यधिक स्वागतयोग्य कदम है। अब तक स्थिति यह थी कि आतंकवादियों से कोई बातचीत नहीं की जायेगी; परन्तु मैं समझता हूं कि हमारे माननीय प्रधान मन्त्री ने आतंकवादियों के साथ भी बातचीत करने का प्रस्ताव किया है। मैं उनके लिए शुभकामना करता हूं तथा आशा करता हूं कि इससे कोई अच्छा परिणाम निकलेगा। परन्तु यहां मैं जो बात स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि हम ऐसे लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं जो खालिस्तान, सिक्किमस्तान की मांग कर रहे हैं और हम यह बात निश्चित रूप से जानते हैं कि वे एक अलगाववादी शक्ति है। हमने जो देखा है वह यह है कि वे आत्म-निर्णय और उसी प्रकार की बातों के साथ-साथ एक अलग भौगोलिक क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। परन्तु इसके बाद भी हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अतः अब प्रश्न यह है और हम जानते हैं कि उल्फा एक अलगाववादी संगठन है। इसलिए क्या मैं आशा कर सकता हूं कि प्रधानमन्त्री भी उल्फा के लिए वही मापदण्ड रखेंगे और कहेंगे कि आखिरकार वे भी गुमराह किए गए वे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय मुख्यधारा से भटक गए हैं और ऐसा कार्य कर रहे हैं जो पूरी तरह अवांछनीय है। हो सकता है कि प्रधानमन्त्री इस सम्भावना पर विचार करेंगे और उल्फा के साथ समझौता तथा बातचीत करने के लिए भी तैयार हो जायेंगे। यह कोई नहीं जानता है कि ऐसी भी बातें हो सकती हैं जिसकी आशा नहीं थी और मैं निश्चय ही प्रधान मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस सम्भावना पर विचार करें।

महोदय, अन्त में, मैं बोडो से सम्बन्धित प्रश्न उठाना चाहूंगा। हम यहां बोडो की समस्या के बारे में जानते हैं, परन्तु यह एक और अधिक जटिल समस्या बन सकती है। उन्होंने पहले ही उस क्षेत्र की स्वायत्तता की मांग की है और इस सरकार के लिए इस समस्या को सुलझाना अत्यधिक कठिन हो गया है। अतः मेरा सुझाव यह है कि असम की समस्या का समाधान करने के लिए यहां शीघ्र अति शीघ्र चुनाव कराने जरूरी हैं ताकि चुनावों के पश्चात जो भी दल सत्ता में आएगा, जो भी सरकार आएगी, केन्द्रीय सरकार उस राज्य सरकार के साथ तथा बोडो के साथ भी समझौता कर सकेगी। अतः चुनावों के बाद जो सरकार सत्ता में आएगी, उसके बोडो तथा केन्द्रीय सरकार के बीच जो त्रिपक्षीय वार्ता होगी वही एक अधिक आसान समाधान होगा। अतः यहां शीघ्र चुनाव कराना और नई सरकार के साथ समझौता करना सम्भवतः उचित है और आने वाले समय में इसकी काफी सम्भावना है जिसे यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।

अन्त में, महोदय, मैं इस अध्यादेश का और राष्ट्रपति शासन लागू करने का विरोध करने के साथ-साथ विश्वास करता हूं कि सरकार यथाशीघ्र चुनाव कराकर अपनी समझदारी का परिचय देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० विप्लव दासगुप्त कृपया अब आप बोलें। आपके दल को सात मिनट का समय दिया गया है।

डा० विप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, सर्वप्रथम मैं इस बात पर गम्भीर आपत्ति व्यक्त करता हूं कि यह विधेयक श्री कमल मोरारका द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे मालूम है कि कल उन्होंने बहुत ही खराब स्थिति में अच्छी तरह से कार्य निष्पादन किया। लेकिन मेरे विचार से इस कारण उन्हें इस मुद्दे पर सरकार का बचाव करने के लिये नहीं कहा गया है। श्री सहाय जान बूझकर उपस्थित नहीं हुए हैं क्योंकि वह इस समय गृह मंत्री हैं और पत 11 महीनों में दूसरी सरकार के समय भी गृह मन्त्री थे। आज सभा से उनकी अनुपस्थिति का कारण यह है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के शासनकाल में जो गलतियां हुई उनके लिए वह जिम्मेदार हैं और लोकसभा से भागने का प्रयास कर रहे हैं। वह लोक सभा से भयभीत हैं और इसी कारण आज लोक सभा में उपस्थित नहीं हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है कि मन्त्री महोदय संसद से अनुपस्थित रहकर यहां के प्रश्नों के उत्तर देने से कतरा रहे हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। कृपया उस हद तक न जाएं।

डा० विप्लव दासगुप्त : महोदय, मेरा दल जिन कारणों से यहां राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का विरोध करता है उन पर मैं बाद में आऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री मोरारकाजी का प्रश्न एक अजीब प्रश्न है।

डा० विप्लव दासगुप्त : सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि असम गण परिषद की सरकार को बरखास्त किए जाने से हमारे दल को कोई तकलीफ नहीं है। मेरे दल को इस बात से कोई सहानुभूति नहीं है कि 'उल्फा' की गतिविधियों को दबाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में हमारी स्थिति बिलकुल स्पष्ट है। यह असम गण परिषद की सरकार झूठे वादे पर सत्ता में आयी। वे कुछ अनुदानों के

[डा० विप्लव दासगुप्त]

खिलाफ लोगों की भावनाओं को भड़काकर बहुमत में आए सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या किया ? बिगड़े हुए बच्चों की तरह आपस में लड़ पड़े । वे पूर्णतया गंवार थे जिन्हें यह पता नहीं था कि क्या करना है । देश को विखंडित करने के लिए बाहरी ताकतों से भी उनकी साठ-गांठ थी । मुझे यह नहीं मालूम कि वह ताकत कौन-सी है । जो भी हो मेरे विचार से उनका काम सराहनीय नहीं रहा है तथा हमें उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए । वास्तविकता तो यह है कि असम गण परिषद की सरकार का सत्ता में रहना वहां के नागरिकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था तथा इससे उन्हें अत्यधिक हानि हुई है । 'उल्फा' के साथ कोई साठगांठ होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

7.00 म० प०

असम में एक कहावत प्रचलित है कि वहां ऐसे लोग हैं जो सुबह अखिल असम विद्यार्थी संघ के सदस्य होते है, दोपहर में असम गण परिषद के सदस्य होते हैं तथा रात में 'उल्फा' के सदस्य होते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा इसलिए है कि 'उल्फा' रोमांचकारी है ।

डा० विप्लव दासगुप्त : हो सकता है ऐसा हो । मेरे मित्र श्री सन्तोष मोहन देव के अनुसार श्री फूकन ने यह स्वीकार किया है कि असम गण परिषद के कुछ लोगों के 'उल्फा' के साथ कुछ संबंध हैं । हम सरकार तथा श्री फूकन से यह जानना चाहेंगे कि ये सम्बन्ध किस प्रकार के हैं । इनके सम्बन्धों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए तथा इन्हें खत्म करने के लिए कुछ उचित कार्यवाही की जानी चाहिए । बहरहाल, हमने देखा है कि उद्घोषणा जारी होने के बाद असम के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया अपितु इसे स्वीकार किया जो यह दर्शाती है कि यह सरकार कितनी अलोकप्रिय थी तथा विदेशियों के प्रवेश पर उनका दृष्टिकोण कितना अनुचित था । जहां तक 'उल्फा' का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि उन्होंने असम को बर्बाद कर दिया है । असम में तेल उद्योग की स्थिति बहुत ही चिन्ता-जनक है, वहां के चाय उद्योग की स्थिति भी बहुत खराब है तथा 'उल्फा' की गतिविधियों के परिणामस्वरूप असम के लोग पीड़ित हैं । उनके नागालैण्ड, मिजोरम, असम तथा बर्मा के अन्य अलगाववादी तत्वों के साथ निश्चित सम्बन्ध है । खालिस्तानियों के साथ भी उनके कुछ सम्बन्ध हैं । अब 'लिट्टे' के साथ भी उनके सम्बन्ध के बारे में सुनने को मिल रहा है । अतः, कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे कि ये विद्रोही गतिविधियां सफल न हो सकें । लोगों को सताये जाने तथा उनसे धन ऐठने की बातें मेरे सुनने में आई है । मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कहानियों के लिए वक्त नहीं है ।

डा० विप्लव दासगुप्त : यह एक लघु कहानी है जो मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सुनाना चाहता हूं । 'उल्फा' के कुछ लोग किसी व्यक्ति के पास आए और दो लाख रुपये मांगे । उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि आप दो लाख रुपये देंगे तो हम आपकी सुरक्षा की गारंटी देंगे । यदि आप दो लाख रुपये नहीं देंगे तो आप और आपके परिवार के लोग खतरे में हैं । अतः, यह आदमी अपनी जान बचाने हेतु उल्फा को दो लाख रुपये देना चाहता था । लेकिन पहले वह यह जानना चाहता था कि क्या वे वास्तव में उल्फा के आदमी थे या महज अपराधी । अतः, वह पुलिस स्टेशन गया, वहां

का प्रभारी अधिकारी उसका मित्र था। उसने थाना प्रभारी से स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि वे वास्तव में 'उल्फा' के लोग हैं तो वह उन्हें रवाना देना चाहेंगे। थाना प्रभारी द्वारा दूसरे दिन छानबीन करने के बाद यह कहा गया कि वे वास्तव में 'उल्फा' के लोग हैं और आप उन्हें रवाना दे सकते हैं। यदि सरकार चलाने का यही तरीका है तो हम यह कैसे सोच सकते हैं कि यह सरकार 'उल्फा' से निपटने की स्थिति में थी।

महोदय, जहां तक 'उल्फा' का संबंध है, मैं समझता हूं कि अखिल असम छात्र संघ और असम गण परिषद के आंदोलन के परिणामस्वरूप ही 'उल्फा' रूपी दानव अस्तित्व में आया। यह उल्फा रूपी दानव लोगों की घृणा पर आधारित है जो देश को विखंडित करना चाहते थे। हो सकता है कि सी० आई० ए० द्वारा सहायता प्राप्त 'आपरेशन ब्रह्मपुत्र' के इसका संबंध हो। जहां तक उद्घोषणा जारी करने और सेना द्वारा की गई कार्यवाही का सम्बन्ध है, मेरा यह कहना है कि सम्पूर्ण राज्य को 'विक्षुब्ध क्षेत्र' घोषित करना गलत था। आपको केवल उन्हीं क्षेत्रों को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करना चाहिए जहां वास्तव में गड़बड़ी हो रही है, पूरे राज्य को नहीं। मेरे विचार से सेना पूरी तरह से सफल नहीं रही है। उद्घोषणा के छः या सात सप्ताह के बाद से लगभग तीन से चार हजार व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं लेकिन कितने कट्टर उग्रपंथियों को गिरफ्तार किया गया है? मैं समझता हूं कि वहां लगभग 3,000 उल्फा उग्रवादी हैं जिनमें से लगभग 15 या 20 को ही गिरफ्तार किया गया है। शेष वहां से निकल भागे हैं जिसका अर्थ है कि क्षेत्र पूर्णतः सफल नहीं है। मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि उल्फा अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में पता चला कि वह उल्फा का अध्यक्ष नहीं था, बल्कि उसका इस संगठन में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। यह बहुत खतरनाक स्थिति है और यदि सेना की यह कार्यवाही बहुत अधिक समय तक चलती है—मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर श्री जसवन्त सिंह का कथन ठीक था—इससे सेना का मनोबल भी गिर सकता है। अतः सैनिक कार्यवाही की अवधि सीमित होनी चाहिए क्योंकि यदि यह अधिक समय तक चलती है तो उसे शत्रु-सेना का नाम दिया जा सकता है जो गलत होगा। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेना को अपनी कार्यवाही यथाशीघ्र समाप्त करके वहां से वापस आ जाना चाहिए। इसी के साथ-साथ बिना ठोस आधार के गिरफ्तारियां नहीं की जानी चाहिए और दमनपूर्ण कार्यवाही भी नहीं होनी चाहिए। मैंने बलात्कार, छेड़छाड़ आदि की घटनाओं के बारे में सुना है। वे सच भी हो सकती हैं और गलत भी। लेकिन मेरा कहना यह है कि जितने अधिक समय तक सेना वहां रहेगी, वहां ऐसी घटनाओं के बारे में उतना ही अधिक प्रचार किया जाएगा। हम चाहते हैं कि इस पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जाए। साथ ही ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए ताकि वहां चुनाव कराये जाने संभव हो सकें। तोड़फोड़, आतंक की परिस्थितियों में चुनाव कराने का कोई लाभ नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सरकार यथाशीघ्र ऐसा माहौल बनायेगी जिसमें चुनाव कराये जा सकें।

जहां तक उद्घोषणा के सवैधानिक भाग का सम्बन्ध है, मेरा यह कहना है कि उद्घोषणा सरकारिया आयोग की सिफारिशों का अतिक्रमण करती है। सरकारिया आयोग तथा भारतीय संविधान के संस्थापक सदस्यों ने अनुच्छेद 356 को लागू करने के बारे में अपने विचार स्पष्ट रूप से बताये थे। मैं डा० अम्बेडकर की बात को उद्धृत करता हूं जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा था :

[डा० विप्लव दासगुप्त]

"मैं इस बात से पूर्णतः इन्कार नहीं करता कि इन अनुच्छेदों के दुरुपयोग अथवा राजनैतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की कोई सम्भावना नहीं है। लेकिन यह आपत्ति संविधान के ऐसे प्रत्येक भाग पर लागू होती है जो केन्द्र को प्रान्तों के अधिकारों को अतिव्याप्त करने की शक्ति प्रदान करते हैं। वस्तुतः मेरा भी यही विचार है कि इन अनुच्छेदों को कभी भी लागू नहीं किया जाएगा तथा यह अप्रयुक्त ही रहेंगे। यदि इन्हें लागू करना भी पड़े तो मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति, जिसे इन शक्तियों के प्रयोग का अधिकार है, प्रान्तों के प्रशासन को वास्तव में विलम्बित करने से पूर्व उपयुक्त सावधानियां बरतेंगे।"

उसके बाद उन्होंने उस चेतावनी का उल्लेख किया था जो राज्य सरकार को दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा था :

"मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति को सबसे पहले उस प्रान्त को एक चेतावनी देनी चाहिए कि उसका प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। यदि इस चेतावनी का कोई फल नहीं निकलता है तो राष्ट्रपति को चुनाव कराये जाने की घोषणा करनी चाहिए ताकि उन प्रदेश की जनता अपने मामलों का निपटारा स्वयं ही कर लें। इन दो प्रयासों के असफल रहने के बाद ही इस अनुच्छेद का सहारा लिया जाना चाहिए।"

मैं सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का भी उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है :

"राष्ट्रपति शासन लागू करने से उस अवधि के दौरान राज्य में ऐसी कोई सरकार नहीं रहती जो राज्य विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी हो। वस्तुतः यह बहुत सशक्त अधिकार है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो यह सम्पूर्ण प्रणाली के लिए सुरक्षोपाय का काम कर सकती है। दुरुपयोग किए जाने पर यह संघ तथा राज्यों के बीच के संवैधानिक सन्तुलन को विनष्ट कर सकती है।"

हमें इस प्रकार की आशंकाएं क्यों हैं ? क्योंकि अब तक 90 से अधिक बार इस अनुच्छेद का दुरुपयोग किया जा चुका है। पहले के 20 वर्षों के दौरान 90 में से केवल 12 बार ही इस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। अगले 20 वर्षों के दौरान 78 बार इस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया। क्यों ? क्योंकि 1947 के बाद से कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार अब समाप्त किया जा चुका है। इसलिए अनुच्छेद 356 को राजनैतिक लाभ के लिए बार-बार प्रयोग किया गया है। इसी कारण हमें अनुच्छेद 356 को लागू करने के बारे में आशंका है।

तमिलनाडु तथा लिट्टे के बारे में चर्चा के दौरान सुबह भी अनुच्छेद 356 को लागू करने की मांग की गई थी। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी कतिपय गैर-जिम्मेदाराना कांग्रेसी नेताओं ने अनुच्छेद 356 को लागू करने की मांग की थी। यदि इसी तरह सरकार चलाई जाती है तो मैं समझता

हूं कि इस सरकार पर से विश्वास पूर्णतः उठ जाएगा; सरकार को इस तरह नहीं चलने दिया जाना चाहिए।

इसी कारण मैं सरकारिया आयोग द्वारा कही गई एक अन्य बात का उल्लेख करना चाहूंगा। उसने भी अनुच्छेद 356 के अनुचित प्रयोग से बचने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। चेतावनी आदि देने के अतिरिक्त दो आयोग ने भी संविधान संशोधनों का सुझाव दिया था। अपनी रिपोर्ट में सरकारिया आयोग ने स्पष्ट कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं किया जाए, दो सुरक्षोपाय होने चाहिएं। एक तो यह कि उद्घोषणा को सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए तथा यदि यह अस्वीकृत हो जाती है तो उस उद्घोषणा को वापस ले लिया जाना चाहिए। दूसरा सुरक्षोपाय अधिक महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप यह कह रहे हैं कि उद्घोषणा ठीक नहीं है?

डा० विश्वव दासगुप्त: इस अनुच्छेद का दुरुपयोग किया गया है। अनुच्छेद 352 के उप-खंड 8 में अत्यधिक स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह अनुच्छेद 356 पर लागू नहीं होता है। सरकारिया आयोग चाहता था कि यह रक्षोपाय, जो अनुच्छेद 352 में है परन्तु अनुच्छेद 356 में नहीं है, अनुच्छेद 356 में भी होना चाहिए। यह रक्षोपाय यह है:

> "जहां खण्ड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का यथास्थिति, अननुमोदन या उसको प्रवृत्त बनाए रखने का अननुमोदन करने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने के अपने आशय की सूचना लोक सभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दसवें भाग द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित रूप में दी गयी है, वहां लोक सभा की बैठक की जानी चाहिए।"

उपाध्यक्ष महोदय: अनेक सदस्यों को अभी बोलना है। कृपया अपना भाषण शीघ्रता से पूरा कीजिए।

डा० विश्वव दासगुप्त: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इस सिफारिश को स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके अधिकार के सम्भावित दुरुपयोग को सदस्यों द्वारा रोका जा सके, यदि कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य लोक सभा की बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो उसे बुलाया जाना चाहिए, उद्घोषणा की समीक्षा की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उद्घोषणा को निरस्त किया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं कि हमारे लोकतन्त्र के भविष्य के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि इस रक्षोपाय को रखा जाए और इस अनुच्छेद 356 का प्रयोग न किया जाए और यदि इसका प्रयोग किया भी जाता है तो कम से कम इस प्रकार किया जाए जैसा कि हमारे संविधान के निर्माताओं और सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री लोकनाथ चौधरी बोलेंगे। कृपया आपको 3 मिनट का समय दिया जाता है। अपनी बात शीघ्रता से पूरी करने का प्रयास कीजिए। अनेक वक्ताओं को बोलना है और अनेक कार्य करने हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दल असम में राष्ट्रपति शासन लगाने तथा अशान्त क्षेत्र एवं विशेष पुलिस अधिनियम को लागू करने का भी विरोध करता है।

मैं उन सभी बातों से सहमत हूं जो यहां 'उल्फा' और असम गण परिषद के बारे में कही गई हैं। मैं इस पर और अधिक नहीं बोलूंगा।

इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि 'उल्फा' एक प्रथकतावादी शक्ति है, एक हिंसक शक्ति है। राज्यपाल की रिपोर्ट में असम गण परिषद सरकार का 'उल्फा' के साथ सम्बन्ध के बारे में नहीं कहा गया है यद्यपि यह सरकार 'उल्फा' के प्रति उदारवादी रही है।

इन परिस्थितियों में मैं जो केवल एक बात कहना चाहता हूं वह यह है कि जब असम में चुनाव होने ही थे और वहां चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी थी एवं सरकार की वर्तमान अवधि 8 जनवरी तक की थी तो इस समय 27 नवम्बर को वहां राष्ट्रपति शासन लागू करके कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं किया गया है।

कुछ दिन पहले श्री सन्तोष मोहन देव इस सभा में कह रहे थे कि हमारे अनुभव के अनुसार जो भी सरकार वहां रही हो, जितनी भी सरकारें रही हों, जब कोई नई कार्यवाही की जाए तो इससे पूर्व सरकारों के अनुभवों और कार्यों पर विचार किया जाए।

मैं यहां कहना चाहता हूं कि इन कार्यों पर विचार करने पर हम पाते हैं कि असम गण परिषद सरकार ने अनेक गलतियां की है और इस बात में कोई सन्देह नहीं कि उल्फा एक हिंसक संगठन है, इसके बाद भी सरकार ने उन्हें नैतिक शक्ति दी है। अतः इस समय जबकि चुनाव होने हैं, इस प्रकार आपातकाल की उद्घोषणा हमारी सहायता करने के बजाय हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए एक अत्यधिक घातक बात हो गयी है।

मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, आप देखेंगे कि 'उल्फा' ने गत एक वर्ष के दौरान 600 व्यक्तियों की हत्या कर दी है। परन्तु बिहार में गुंडों द्वारा 4,000 लोगों की हत्या की गयी है। त्रिपुरा में भी ऐसा ही हो रहा है। अनेक राज्यों में ऐसा ही हो रहा है।

क्या सरकार वहां भी राष्ट्रपति शासन लागू करने जा रही है?

हम वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने नहीं जा रहे हैं। मुख्य बात तो यह है कि राजनीतिक दल यहां कुछ बात करते है और बाहर उनकी गतिविधियां कुछ और चलती रहती है। उन्हें कुछ मूलभूत सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा दोहरे मानदण्ड अपनाए जाने तथा क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के कारण ही हमारे देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं श्री जसवन्तजी का भाषण बहुत ध्यान से सुन रहा था। वह क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा :

"क्या वे इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? क्या असम गण परिषद प्रारम्भ से ही एक अलगाववादी दल नहीं है?" महोदय, आपको पता है कि असम में क्या हुआ। 11 मार्च को असम समझौता किए जाने के पश्चात ही उन्हें राष्ट्र के मुख्य धारे में शामिल किया जा सका। अब, वहां राष्ट्रपति

शासन लागू किए जाने के कारण उन्हें एक बार फिर वैसी ही स्थिति में ला खड़ा किया गया है जिससे उनका और ज्यादा नुकसान होगा। वहां करीब एक लाख सेना तैनात हैं। वहां सेना द्वारा कथित अत्याचार किए जाने की भी रिपोर्ट है। मैं श्री सन्तोष मोहन देव के इस बात से सहमत हूं कि लोग असम गण परिषद की सरकार से नाखुश थे। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे किसी अन्य कार्यवाही में आपका समर्थन करेंगे। आपको भारत के नागरिकों की मनस्थिति को समझते हुए उन्हें अपने साथ लेकर चलना चाहिए। असम की सारी स्थिति ऐसी है। अलगाववादी तत्व वहां सक्रिय है। लेकिन असम के विरुद्ध विद्रोही गतिविधियां एक नई बात नहीं है। यह विद्रोही गतिविधियां वर्ष 1946 से जारी है जब कम्युनिष्ट दल ने हथियार उठाए थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा असम के नागरिकों के हितों की उपेक्षा के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ।

महोदय, जैसा कि आपको पता है कि देश की 52 प्रतिशत चाय असम से आती है। लेकिन इस चाय कम्पनी के मालिक कौन हैं? इस चाय कम्पनी के मालिक टाटा, बिरला और अन्य लोग हैं। ब्रिटेन के लोग भी वहां हैं। असम को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। वहां के लोग शोषित महसूस कर रहे हैं। आज उड़ीसा में भी एक नक्सलवादी ग्रुप का उदय हो चुका है। आन्ध्र प्रदेश में भी ऐसा ही उद्भव हो रहा है लेकिन वे राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के पक्ष में नहीं है। उड़ीसा में वे नक्सलवादियों के लिए एक दण्डकारण्य राज्य घोषित करने जा रहे हैं। अपनी क्षेत्रीय असमानता को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा सरकार ने इन लोगों को राष्ट्र के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सात सौ करोड़ रुपये की मांग की है। उसके लिए राज्य की एक विशिष्ट परियोजना है। भारत सरकार इस विशिष्ट परियोजना पर ध्यान नहीं दे रही है। असम में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने का कारण यह है कि वहां अधिक नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। हमें राज्य सरकार का कार्यकाल समाप्त होने तक इंतजार करना चाहिए था। अन्ततः यह भारत सरकार ही है जिसे स्थिति का सामना करना है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस दल तथा चाय व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकार रखने वाले व्यापारियों के दबाव के फलस्वरूप भारत सरकार को ऐसा निर्णय लेने के लिए बाध्य किया गया तथा ऐसा करने में वे सफल रहे। अतः, उनके षडयन्त्र के फलस्वरूप राष्ट्रपति शासन वहां लगाया गया। इसलिए मेरा कहना यह है कि पंजाब की भांति असम का हाल नहीं होना चाहिए। यह भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि वह असम को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाए। अतः, सरकार को वहां के लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए तथा यदि सम्भव हो तो वहां जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए। वहां पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक तन्त्र बनाया जाना चाहिए। जैसाकि श्री विपलव दासगुप्त ने कहा है कि पंजाब में अनेक हत्याएं हो रही है। अशान्त क्षेत्र अधिनियम वहां के केवल पांच जिले में जारी है। लेकिन आपने यह अधिनियम असम के सारे क्षेत्र में घोषित किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने असम के नागरिकों के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ रखा है। अतः, यह एक बहुत ही नुकसानदेह बात है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं सरकार से वहां जल्द से जल्द चुनाव करवाने तथा वहां के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने का निवेदन करूंगा। मैं वहां के विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम इत्यादि का निरसन किए जाने का अनुरोध करूंगा। मैं सरकार से वहां एक विशेष तन्त्र प्रणाली का गठन करने का अनुरोध करूंगा जो असम के नागरिकों को सेना के अत्याचार के फलस्वरूप

विमुख होने से रोक सकेगा। यदि ऐसा किया गया तो, मैं समझता हूं कि ऐन चुनाव के समय वहां राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की हम अपने गलती को सुधार सकेंगे।

इन शब्दों के साथ ही, मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब छोटे दल के सदस्यों को बोलने के लिए आमन्त्रित कर रहा हूं जिन्हें केवल पांच मिनट का वक्त दिया गया है। अपना वक्तव्य देते समय कृपया इस बात को ध्यान में रखें।

[हिन्दी]

श्री रामकृष्ण यादव (आजमगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, असम में जो राष्ट्रपति अध्यादेश लागू किया गया है मेरी समझ में वह राजनीतिक दुर्भावना से और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किया गया है। इसलिए मैं और मेरी पार्टी इसका घोर विरोध करती है। हमारी पार्टी जन-तान्त्रिक मान्यताओं में विश्वास करती है। जनतान्त्रिक मान्यता यह है कि जो सरकार चुनी जाती है जनता के द्वारा और जो उसका निर्धारित समय रहता है, उसको तब तक चलने देना चाहिए। अगर उसको समय पर चलने नहीं दिया जाएगा निर्धारित समय से पहले ही गिरा दिया जायेगा तो मेरी समझ में जनतान्त्रिक मूल्यों पर आघात किया जाता है, सम्मान नहीं किया जाता है। अगर केन्द्रीय सरकार कोई न कोई बहाना लगाकर किसी राज्य सरकार को गिराना चाहती है तो मेरी समझ में वह जनतान्त्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं करती है। आज ठीक यही हालत असम के बारे में है। असम के बारे में मेरी यह राय है कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश लागू किया गया है वह राजनीतिक सद्भावना के विपरीत है और दुर्भाग्य से ग्रसित है। केन्द्रीय सरकार की मानसिकता के अनुरूप अगर कोई प्रान्तीय सरकार काम नहीं करती है तो उसे गिराने की कोशिश की जाती है। केन्द्रीय सरकार के मुताबिक हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है जहां पर मैं जानता हूं कि कोई जिला ऐसा नहीं है, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहां कर्फ्यू न लगा हो। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को गिराने की बात नहीं की जाती है। क्योंकि वह केन्द्रीय सरकार के अनुरूप है। मेरी राय में उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है, एक भी जिला या कस्बा ऐसा नहीं जहां कर्फ्यू न लगा हो, साम्प्रदायिक तनाव इतना बढ़ गया है उसके बावजूद भी केन्द्रीय सरकार की मानसिकता के अनुरूप वह है इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाता है।

यह जो विषमता है, जो राजनीतिक भेदभाव है, मेरी समझ में यह राजनीतिक भेदभाव जनतान्त्रिक प्रणाली में नहीं किया जाना चाहिए। इसके नतीजे हमारे सामने आ जाते हैं। मेरी समझ में राष्ट्रपति शासन किसी राज्य सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए साधन नहीं होता है इसका उदाहरण हमारे सामने है। पंजाब का उदाहरण, कश्मीर का उदाहरण और अन्य प्रान्तों का जहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उनका उदाहरण हमारे सामने है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन कई साल से चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रयास किया गया है या लागू है तो वहां क्या स्थिति है। क्या पंजाब की स्थिति में सुधार हुआ है। क्या राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि मेरी समझदारी तो यह है कि वहां पर अत्याचार और दुराचार हो रहा है और विशेषकर गरीब तबके पर ज्यादा अत्याचार हो रहा

है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करना कोई विकल्प नहीं होता है। यह केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का प्रतीक है। सरकार को 356 के रूप में मान्यता देनी चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि सरकारों को कुछ मान्यताओं के आधार पर गिराना चाहिए या बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो संविधान में मान्यतायें लिखी हुई हैं उनके आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया है। मेरी समझ में उन्हीं मान्यताओं के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन में कार्यपालिका के अधिकार बढ़ जाते हैं और गरीब आदमी ज्यादा मारा जाता है। वह अपनी बात जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं कह पाता है और इससे उसकी परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए कार्यपालिका के माध्यम से शासन चलाना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि उससे जन-प्रतिनिधियों की ताकत का हनन होता है। ठीक यही हालत इन राज्यों में जहां राष्ट्रपति शासन है, हो रही है और लोग अपनी बात जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं कह पा रहे हैं और वहां पर उग्रवादी संगठन पैदा हो रहे हैं। मेरी राय में उसका कारण यह है कि जब चुनाव होते हैं तो अपराधी ताकतों से सांठगांठ करके या धार्मिक उन्माद की ताकतों से सांठगांठ करके राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। यदि वे जीत जाते हैं तो वहां से धार्मिक ताकतें और अपराधी ताकतें उग्रवाद के रूप में पैदा होती हैं। मेरी राय है कि इसको बढ़ाने में राजनीतिक नेताओं का ज्यादा हाथ होता है, अपराधी ताकतों का भी ऐसी पार्टियों में हाथ रहता है। जो पार्टी धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ती है और उग्रवाद फैलाना चाहती है ऐसी पार्टियों को सहारा नहीं देना चाहिए इससे आने वाले जमाने में भी इनको कोई सहारा नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि उन्माद के सहारे जो सरकारें बनती हैं उसमें उग्रवाद पैदा होता है, उसकी मिसाल कश्मीर है और पंजाब है और ठीक वही हालत उत्तर प्रदेश की होने जा रही है। धार्मिक उन्माद के आधार पर सरकार बनाने का प्रयास किया जाये तो उसे रोकना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर धार्मिक उन्माद के आधार पर सरकार बनाने का प्रयास किया गया तो उत्तर प्रदेश जो कभी भी उग्रवाद का अखाड़ा नहीं रहा है। जो उग्रवाद का अखाड़ा बनता जा रहा है क्योंकि वहां पर जो लोग प्रशासनिक अधिकारियों को चुनौती दे रहे हैं जिन्होंने अयोध्या में गोली चलाई, वे उनको जल्दी से जल्दी मार देना चाहते हैं। जहां तक मुलायम सिंह यादव को धमकी दी जा रही है कि इनको जल्दी से जल्दी मार देना चाहिए चूंकि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मौलिक मूल्य हैं जनतन्त्र को बचाने के लिए, उन मौलिक मूल्यों पर अगर हमारा विचार बनता रहेगा तब तो सरकार ठीक ढंग से चलेगी और अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और विवेक में मतभेद के आधार पर सरकारें चलाने का प्रयास किया जाएगा तो मेरी राय में अच्छी बात नहीं है। असम में राष्ट्रपति राज लागू किया गया है, यह अच्छी बात नहीं है। दूसरे तरीके से काम चलाया जाना चाहिए और मेरी आखिरी राय यह है कि जल्दी से जल्दी वहां चुनाव कराए जाने चाहियें ताकि असम की जनता, जो जनतान्त्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है, जनतन्त्र के माध्यम से नयी सरकार बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने सम्मानित मित्र श्री बसंत सिंह द्वारा इस सभा में की गई टिप्पणी के प्रति अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता हूं। असम समस्या की

[श्री चित बसु]

मुख्य बात यह है कि असम के कुछ लोग, जो मुख्यतः ऊंची जातियों के हैं, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते कि असम एक बहुभाषी, बहुजातीय और बहु-संस्कृति वाला राज्य है। जब तक असम समाज का यह उच्च वर्ग इस सच्चाई से इस आधार पर समझौता नहीं करता कि असम एक मिली-जुली संस्कृति, सामाजिक समस्याओं के प्रति एक मिली-जुली सोच के बिना जिन्दा नहीं रह सकता तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए अपने सम्मानित मित्र की टिप्पणी पर मुझे भारी रोष है।

'उल्फा' के लिए मुझे कोई खेद नहीं है। यद्यपि 'उल्फा' की कार्य-शैली क्रांतिकारा है और उनकी ऊंची-ऊंची बातों और अन्य आकांक्षाओं के कारण हममें से बहुत से लोग उनकी ओर आकर्षित भी होते हैं, फिर भी हमें यह ध्यान में रखना है कि क्रांतिकारी नारों से वास्तव में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो सकती जिसे धरती पर लागू किया जा सके।

'उल्फा' द्वारा घोषित उद्देश्यों के बारे में मुझे उनके द्वारा जारी किए गए प्रेस वक्तव्य में पढ़ा है। इसमें दो उद्देश्य बताए गए हैं। अल्पावधि उद्देश्य के रूप में लोगों की सुप्त शक्ति को सक्रिय करना और दीर्घावधि लक्ष्य के रूप में एक सार्वभौमिक, समाजवादी असम गणराज्य की प्राप्ति है। अतः यह तथ्य छिपा हुआ नहीं है कि वे एक पृथक् देश चाहते हैं, यद्यपि ऐसा वह समाजवादी नारे के साथ चाहते हैं। जब उन्होंने आतंक का सहारा ले लिया है तो मैं 'उल्फा' या 'अखिल असम छात्र संघ' या 'असम गण परिषद' काडर को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि कोई भी दल या कोई भी संगठन जो आतंक का सहारा ले लेता है, जन समर्थक नहीं बना रह सकता है। आतंक उस संगठन को अंततः जन विरोधी बना देगा। 'उल्फा' के मामले में यह पहले ही हो चुका है।

राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बारे में मेरी यह आपत्ति है कि यह पूर्व अधिकृत कदम था। मेरे मित्र श्री लोकनाथ चौधरी ने यह बात कही है कि दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में चुनाव होने थे और 27 दिसम्बर को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। सामान्य रूप से असम सरकार ने चाहे इसकी नीति कुछ भी हो —यह मांग की थी कि चुनाव 29 दिसम्बर को होने चाहिए। इसका कार्य-निष्पादन चाहे जैसा भी हो, यह तो जनता ही है जो इसके बारे में निर्णय करती है हमें असम गण परिषद के कार्य-निष्पादन के बारे में निर्णय नहीं करना है। यह तो असम की जनता है जिसे असम गण परिषद सरकार के कार्य निष्पादन के बारे में अपना निर्णय सुनाना चाहिए। असम गण परिषद सरकार ने मांग की थी या कहा था कि चुनाव 29 दिसम्बर को आयोजित होने चाहिएं परन्तु उससे 2 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी कर दी गई। इसका अर्थ है कि यह एक पूर्व-अधिकृत कदम था। मैं कुछ प्राथमिक मुद्दों के कारण इस उद्घोषणा का समर्थन नहीं करता हूं। चूंकि मेरा समय बहुत सीमित है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं सदैव अध्यक्षपीठ का आज्ञाकारी रहा हूं, मैं सदैव मुद्दों की बात करता हूं। महोदय, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठजोड़ करके या इसके समर्थन से जनता दल (एस) सत्ता में आने से राज्य सरकारों को सबक सिखाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। ऐसी प्रवृत्ति है और यह प्रवृत्ति बिल्कुल स्पष्ट है। महोदय, मैं आपको कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री रामकृष्ण हेगड़े द्वारा एक बार कही गई बात याद दिलाना चाहता हूं। उन्हें केन्द्रीय सरकार के

विरुद्ध यह शिकायत करनी पड़ी थी कि राज्य तो महिमामण्डित नगरपालिकाएं मात्र हैं। उन्होंने केन्द्र को चेतावनी देने के लिए स्वयं को विवश पाया कि राज्य नगरपालिकाएं नहीं हैं। उनका अस्तित्व देश के संविधान के अन्तर्गत मिले अधिकार के रूप में है। उनकी स्वायत्तता केन्द्र द्वारा की गई दया मात्र नहीं है। जबसे यह सरकार सत्ता में आई है राज्यों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करना एक मुख्य प्रवृत्ति बन गई है।

महोदय, क्या मैं आपको स्मरण कराऊं कि उनके सम्मानित मित्र श्री मुलायम सिंह यादव ने गत वर्ष 23 दिसम्बर को क्या कहा था ? श्री यादव ने राज्यों को धमकाने, उनकी सरकारों को अस्थिर करने और भय की भावना पैदा करने की केन्द्र की नीति, जिससे उनकी उन्नति और विकास की गति में रुकावट पैदा होती है, की निन्दा की है। मुख्य मंत्री ने यह सब कहा है। श्री मुलायम सिंह यादव उनके मित्र हैं और उन्हीं के की पीठ पर यहां की यह सरकार टिकी हुई है।

आज सुबह भी हमने प्रधान मन्त्री को तमिलनाडु सरकार को फिर धमकी देते हुए सुना। अतः, इससे उनका इरादा बिल्कुल स्पष्ट होता है। प्रधान मन्त्री ने 9 दिसम्बर को भुवनेश्वर में असम सरकार के सम्बन्ध में जो कहा था वह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल हो मैं उनके वक्तव्य को उद्धृत करता हूं :

> "असम गण परिषद की सरकार पिछली श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के सुझावों को लागू करने में असफल रहा। हमारे समक्ष वहां केन्द्रीय शासन लागू करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था।"

क्या यह एक दलील है ? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार द्वारा क्या सुझाव दिए गये थे, मुझे नहीं मालूम मैं स्वीकार करता हूं कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार इस मुद्दे पर असफल हुई हो। चाहे उन्होंने जो भी सुझाव दिए हों, उन्होंने कोई निदेश जारी नहीं किए। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार तथा केन्द्रीय गृह मंत्री ने अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 257 के अधीन निदेश क्यों नहीं जारी किया ? आज तमिलनाडु के मामले पर भी ए० आई० डी० एम० के० के सदस्यों द्वारा भी वही मुद्दा उठाया गया था। लेकिन ए० आई० डी० एम० के० के सदस्यों का कहना है कि चेतावनी दी गई, लेकिन प्रधानमन्त्री का कहना है, "ऐसा कोई चेतावनी नहीं दी गई अनुच्छेद 256 तथा अनुच्छेद 257 के संवैधानिक उपबन्धों के अधीन कोई निदेश जारी नहीं किए गए।" वे एक तरह से संवैधानिक निदेश हैं। यदि राज्य सरकार उन निदेश को लागू नहीं करती तो अनुच्छेद 356 का सहारा लेना होता है। जैसाकि हमारे मित्र श्री दास गुप्त जी ने पहले ही कहा है कि अनुच्छेद 356 का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए।

अतः, मैं राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन नहीं करता हूं क्योंकि यह राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पहले से सोचा समझा गया एक कदम है; साथ ही यह कांग्रेस (आई) के सलाह पर, जिसका असम में आज कोई आधार नहीं है, पहले ही की गई कार्यवाही है।

चूंकि हम कुछ वित्तीय मामले पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता।

[श्री चित्त बसु]

बोडो समस्या अभी भी विद्यमान है। बोडो समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान में असम सरकार आड़े खड़ी है। अब, जब शिकायत को दूर किया जा चुका है तो अब भारत सरकार के समक्ष कोई रोक नहीं है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि वे बोडो समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान हेतु क्या कदम उठाने को सोच रहे हैं? महोदय, मुझे यह जानकार खुशी हुई है कि कारबी-एलांग की समस्या का पहले ही समाधान किया जा चुका है तथा उसे कुछ संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।

अब मैं चुनाव सम्बन्धी चर्चा करूंगा। जितना जल्दी हो सके वहां चुनाव कराया जाना चाहिए। लेकिन इस चुनाव के सम्बन्ध में लोगों की यह शिकायत है कि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय राष्ट्रिकों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है। ऐसा असम गण परिषद की सरकार के कारण संभव हो सका है। चुनाव तन्त्र पर उनका पूरा नियंत्रण था। जहां तक मैं जानता हूं कि इससे अल्पसंख्यक के बहुत बड़े भाग—भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपना मत प्रयोग करने से वंचित रखा गया। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि मतदाता सूची का संशोधन किया जाएगा तथा भारत के सभी राष्ट्रिकों के चाहे वे धार्मिक अल्पसंख्यक हों या भाषाई अल्पसंख्यक, अपना मत डालने तथा राज्य के मामलों में हिस्सा लेने का अधिकार प्रदान किया जाएगा?

अन्त में, मैं राज्य को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का अनुरोध करूंगा। एकमुश्त आर्थिक सहायता दिया जाना नितान्त आवश्यक है। पंजाब समस्या का समाधान करते समय आप एक कार्ययोजना तैयार करते हैं। प्रधानमन्त्री द्वारा यह कहा गया है कि समस्या के समाधान हेतु वार्ता के अलावा कुछ एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना भी अत्यावश्यक होता है। असम के सम्बन्ध में क्षेत्रीय असमानता रही है। असम के संसाधनों का दोहन असम के लोगों को हानि पहुंचाकर किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। असम के लोग, चाहे उनका जो भी भाषा हो, उनका चाहे जो भी धर्म हो—सभी यह महसूस करते हैं कि केन्द्र द्वारा असम की उपेक्षा की गई है। जब तक इस शंका को दूर नहीं किया जाएगा, जब तक भारत की सार्वभौमिकता में असम के लोगों का समाविष्ट नहीं होता तब तक मेरे विचार से देश की एकता और अखंडता तथा असम को भारत का एक अंग बना कर रखने में कठिनाई होगी। सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्रों में क्रियाशील अनेक आतंकवादी संगठनों अलगाववादी संगठनों, क्षेत्रीय संगठनों के बीच सांठ-गांठ के परिणामस्वरूप स्थिति बहुत खतरनाक हो गई है। अतः, उस उद्देश्य से अर्थात देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने हेतु एकमुश्त आर्थिक सहायता का ढांचा तैयार करना होगा जिससे कि असम के लोगों को यह महसूस हो सके कि वे भारत का एक अभिन्न अंग हैं तथा असम के लोगों के साथ ही वे उन्नत तथा अवनत होंगे। इन शब्दों के साथ ही मैं इस घोषणा का वर्तमान में विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देव इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक बोले हैं। आप केवल उन्हीं बातों का उल्लेख करेंगे जिनका उल्लेख उनके द्वारा तथा अन्य सदस्यों द्वारा नहीं किया गया है।

प्रो॰ मिजिनलंग कामसन (बाह्य मणिपुर) : महोदय, ठीक है। मुझे अन्य दलों द्वारा लगाए गये कुछ आरोपों को और अपने दल के दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करना है। अतः मैं उन सभी घटनाओं

की पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता जो असम में हुई हैं। परन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे कुछ विपक्षी माननीय सदस्य कह रहे थे और उनके अनुसार असम में राष्ट्रपति शासन लागू करना कांग्रेस दल और दूसरे दलों द्वारा अपने चुनावी लाभ एवं अन्य लाभों के लिए किया गया एक प्रकार का षड्यंत्र है। यद्यपि मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता तथापि मैं उन्हें पुन: याद दिलाना चाहता हूं कि असम में राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व वास्तव में क्या स्थिति थी। वे उससे अनुमान लगा सकते हैं।

उस स्थिति में चुनाव नहीं हो सकते। वास्तव में इसका उत्तर मंत्री महोदय द्वारा दिया जाएगा। तथापि यह हमारे दल का दृष्टिकोण है। असम में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा एक उचित कदम है। हमारे दल के नेता ने इस बात की घोषणा संसद में और संसद से बाहर की है। यह बात स्पष्ट है। अत: यदि वे कहते हैं कि हम इस प्रस्ताव का समर्थन केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह एक प्रकार का षड्यंत्र है तो यह वास्तव में अत्यधिक दुख की बात है। असम यदि चुनाव होता और यदि यह 8 जनवरी के बाद भी कराया जाए तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई मतदान नहीं होगा। वहां केवल गोलियां ही होंगी क्योंकि आपको तो वहां के हालात मालूम ही हैं। वहां 3000 प्रशिक्षित कट्टर विद्रोही थे, 40 शिविरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा था और 500 करोड़ रुपये ऐंठे गए थे तथा मुसलमानों एवं अन्य समुदायों के व्यक्तियों का अपहरण और हत्याएं की गई थी।

ऐसे हालात में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं? कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि 8 जनवरी के बाद चुनाव होना था और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय का प्रश्न नहीं है। कुछ सदस्यों ने इस मुद्दे को भी उठाया था। यह तो खतरे और स्थिति की गम्भीरता का प्रश्न है। अत यह अवधि 8 जनवरी को पूरी हो रही हो अथवा नहीं, हम वहां चुनाव नहीं करा सकते। वहां चुनाव कराने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं राष्ट्रपति शासन लागू करने का समर्थन करता हूं।

असम गण परिषद और 'उल्फा' के बीच संबंध के बारे में सरकार और सदस्यों का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। सदस्यों ने उल्लेख किया है कि वहां लखीपेचर आदि में शिविर हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : परन्तु आप एक तथ्य को भूल रहे हैं। जनता 'उल्फा' को शरण दे रही है।

प्रो० सिथिनलंग कामसन : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। परन्तु आप यह नहीं कह सकते कि ऐसा कांग्रेस के कारण हो रहा है। यह जनता द्वारा 'उल्फा' को समर्थन दिये जाने के कारण है न कि कांग्रेस के कारण।

श्री ए० वासन (त्रिवेन्द्रम) : 'उल्फा' ने लोगों को धमकियां दी थीं।

प्रो० सिथिनलंग कामसन : मैं उसी बात पर आता हूं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महोदय, ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्होंने यह मुद्दा उठाया है तथा मुझे इसके बारे में बोलना है। मैं आपका और मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि सभी प्रकार के विद्रोही आन्दोलनों को

जो लोकप्रिय समर्थन मिल रहा है उससे निपटने के लिए सरकार के पास कोई नीति है, चाहे ये आंदोलन कश्मीर में हो या पंजाब में अथवा तमिलनाडु में अथवा असम अथवा नागालैंड अथवा मिजोरम में उन्हें किसी न किसी प्रकार का लोकप्रिय आधार प्राप्त है। क्यों? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो लगभग दो वर्ष पंजाब में हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पंजाब के बारे में विस्तारपूर्वक न कहिए। संक्षेप में बताने का प्रयास कीजिए। मुझे सदन के बहुत सारे कार्य निपटाने हैं।

प्रो० मिजिनलंग कामसन : सरकार मेरे द्वारा सुझाए गए तरीके के आधार पर एक नीति बनानी होगी। पंजाब में कुछ विद्रोही कुछ सामाजिक कार्य कर रहे थे जैसे धूम्रपान पर रोक लगाना, शराब की दुकानों पर रोक लगाना आदि अतः वे जनता को यह दिखाते है कि वे सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण और सुधार कर रहे हैं। कश्मीर में भी विद्रोहियों ने खाद्यान्न के अनेक ट्रक पीड़ित व्यक्तियों में वितरित किए। असम में उन्होंने उन अधिकारियों को पकड़ लिया जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे और उन्होंने उनके हाथों में झाड़ू देकर उनसे सड़कें साफ कराई। इसी कारण से जनता के मन में उनके प्रति अच्छी भावना बन जाती है। इतना ही नहीं वे लोगों की सहायता से उन सड़कों का निर्माण करते हैं जिन्हें सरकार नहीं बना सकी। इस प्रकार ये जनता की सहानुभूति प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद यह जानकर कि उन्हें ख्याति मिल गई है, वे अन्य सभी उग्रवादी कार्य करने आरम्भ कर देते हैं। अतः मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि केन्द्रीय सरकार की विद्रोहियों के इन कार्यों का मुकाबला करने के लिए कोई नीति नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उग्रवादियों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती और यदि वह उग्रवादियों से सम्बन्धित मामले उठाती है तो जनता सरकार के खिलाफ हो जाएगी। यदि वह उग्रवादियों के कार्यों का समर्थन करती है तो इसका तात्पर्य है कि वह उग्रवादियों का समर्थन कर रही हैं। इसलिए राज्य सरकार हमेशा दुविधा में रहती है। अतः केन्द्रीय सरकार को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए। जिससे जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के इस साधन का मुकाबला किया जा सके और जनता के बीच लोकप्रिय बनाई जा सके।

अतः सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है। मैं राष्ट्रीय नीति की बात कर रहा हूं न कि अकेले असम के प्रश्न की। यही स्थिति मणिपुर में भी हो रही है। सरसरी तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने हाल ही में दो-तीन बलात्कारियों को मार डाला है जबकि सरकार इस कार्य को करने में असफल रही थी। सरकार उन्हें गिरफ्तार करने अथवा दण्डित करने में असफल रही थी। अब लोग उग्रवादियों का समर्थन करने लगे हैं।

ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लोगों के साथ न्याय कर रहे है। इसमें अब दो बातें हैं। या तो राज्य सरकार समाज-विरोधी तत्वों पर नियंत्रण रखने में अत्यधिक कमजोर है अथवा इसे उग्रवादियों के साथ चलना पड़ता है। हाल ही में लगभग 3-4 दिन पूर्व उग्रवादियों ने मणिपुर में मद्य निषेध की मांग की थी और सरकार इस बात पर सहमत हो गई कि 1 जनवरी से मद्य निषेध लागू हो जाएगा। ये उग्रवादियों प्रत्येक जगह देश पर शासन कर रहे हैं। अतः लोगों की सहानुभूति और लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बनाई जानी चाहिए ताकि विद्रोहियों का

मुकाबला किया जा सके । केन्द्रीय सरकार द्वारा लोकप्रियता के इस आधार का मुकाबला किया जाना चाहिए। सरकार को इस प्रकार की नीति बनानी चाहिए।

महोदय, मैं सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता । मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि काचिन क्षेत्र में भारत-बर्मा क्रान्तिकारी मोर्चे का मुख्यालय स्थित है बर्मा सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर कुछ बातचीत की जानी चाहिए । सभी उग्रवादियों के वहां अपने-अपने मुख्यालय हैं । नागालैंड के एन० एस० सी० एन०, मणिपुर के यू० एन० एल० एफ० एवं असम के 'उल्फा' द्वारा गत अक्तूबर में गठित आई० बी० आर० ए० के एल० टी० टी० ई० के साथ सम्बन्ध हैं । काचिन क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसे रोकने के लिए इस मामले पर राजनयिक सम्बन्धों के माध्यम से बर्मा के साथ बातचीत की जानी चाहिए । मैं चाहता हूं कि मेरे इन सुझावों को नोट किया जाए और सरकार को इन्हीं आधारों पर एक नीति बनानी चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असम में राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना एवं सम्पूर्ण राज्य को अशान्त घोषित करने की अधिसूचना का जो प्रस्ताव यहां पर पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं । यहां मेरे पूर्व वक्ताओं ने और विशेषकर मार्क्सवादी और साम्यवादी दल और माननीय श्री चित्त बसु ने अपने भाषण के दौरान यह सिद्ध करना चाहा कि वर्तमान सरकार ने राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए राजनीतिक स्वायतता का साथ देते हुए यह कदम उठाया है । असम की स्थिति वर्तमान सरकार ने शासन की बागडोर संभाली, उसके बाद से बिगड़ी हो या असम में जिस तरह की जुल्म-ज्यादती हुई, देशद्रोह की और गतिविधियों का परिचालन हो रहा है या चन्द्रशेखर जी प्रधानमन्त्री बने उसके बाद से हुआ । असम की स्थिति बहुत दिनों से बिगड़ती जा रही थी । असम के अन्दर देशद्रोह की गतिविधियां और विशेषकर उल्फा और उल्फा के साथ नैशनल सोशलिस्ट काऊंसिल आफ नागालैंड ने मिलकर वहां देशद्रोह की गतिविधियां चलाई । आज उसका परिणाम है कि मौजूदा सरकार को राष्ट्रपति शासन की घोषणा करनी पड़ी । अब देखना यह है कि असम की हालत को लगातार बिगड़ने किसने दिया । पूर्व सरकार, मैं अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा :

[अनुवाद]

वे दुविधा की स्थिति में थे और उन्होंने जल्दबाजी में जो भी निर्णय लिया वे सब विनाशकारी निर्णय सिद्ध हुए । केवल पूर्व प्रधानमन्त्री ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का स्वरूप देश के सामने रखने के लिए और जब कभी भी उनकी कमजोरी सामने लाई गई, उसको छिपाने के लिए वे चार-पांच मूर्तियां हमारी नैशनल फ्रंट की मीटिंग में बैठकर जनता के साथ एक धोखा, एक फ्राड करने के लिए कि ये चार-पांच मूर्तियां नैशनल फ्रंट में कायम रहें, इनका जो मुखौटा है यह कायम रहे, केवल यही वजह थी कि उन्होंने असम में राष्ट्रपति शासन लागू करने की हिम्मत नहीं की । असम में राष्ट्रपति शासन बहुत पहले लागू किया जाना चाहिए था और यह हमारे पूर्व प्रधान मन्त्री जी की घिनौनी स्वार्थपरक और केवल अपनी कुर्सी पर चिपके रहने की नीति थी । इस सरकार को आते ही वहां राष्ट्रपति शासन

[श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा]

लागू करना पड़ा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने का भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया हैं और इसके अलावा अन्य जो दल हैं उन्होंने भी वहां की वास्तविक स्थिति को पहचानते हुए उसका समर्थन किया हैं। वहां का प्रशासन पंगु बन गया था, जनता के अन्दर भय का वातावरण बन चुका था और वहां के लोग वहां के प्रशासन से विमुख हो गए थे और अपने बचाव के लिए उनको उग्रवादियों का सहारा लेना पड़ा। इतना कुछ होते हुए भी पूर्व सरकार ने अपनी आंखों में पट्टी बांधे रखी। आज उसी का नतीजा है कि असम की हालत इतनी बदत्तर और बिगड़ी हुई है।

राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद और पूरे साम्राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करने के बाद वहां की पैरा मिलिट्री फोर्स और सेना को अधिकार दिये जायें क्योंकि वहां की पुलिस वहां की स्थानीय सरकार के समय से एकपक्षीय हो गई थी जिसकी वजह से वहां निष्पक्षता का वातावरण बिल्कुल समाप्त हो गया था। केवल इन्हीं चीजों की वजह से उल्फा के 21 अड्डों को वहां जब्त किया गया और 33 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए। उन 33 शवों में से 17 शवों की पहचान हो गई है। इसके अलावा सवा तीन सौ करोड़ रुपये वसूल किए गए हैं और उल्फा के एक कैम्प से ही दो करोड़ रुपये पकड़े गए हैं, 1600 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, 500 हथियार बरामद किए गए हैं, 117 वाहन जिनके द्वारा उल्फा की देशद्रोही गतिविधियां चल रही थीं उनको पकड़ा गया है। उसमें से दो स्पीड बोट्स भी हैं। उन्होंने किस तरह से जाल बिछा रखा था उन सबका भंडाफोड़ हमारी सेना ने और अर्द्ध सैनिक बलों ने किया है। इस प्रशंसनीय काम के लिए इस सदन को उनकी तारीफ करनी चाहिए और सरकार को भी बधाई देनी चाहिए।

मैं चाहता हूं कि वहां चुनाव शीघ्र हों और अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग न हो। लोकतन्त्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति आज यही चाहता है कि वहां जल्दी से जल्दी चुनाव हों।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब बातें पहले कही जा चुकी हैं। अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा : मैं पुनः सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतन्त्र की पुनः बहाली करने के लिए वहां चुनाव जल्दी कराये जायें। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तोम्बी सिंह जी आप कृपा करके उन सब मुद्दों को दुबारा से दोहरायें जिनका अन्य माननीय सदस्य पहले उल्लेख कर चुके हैं।

प्रो० एन० तोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी मुद्दों को नहीं दोहराऊंगा जिनका मेरे माननीय सदस्य पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। असम का सामरिक महत्व असम की भौगोलिक स्थिति अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में जाने का एक मुख्य द्वार है। वह एक संवेदनशील क्षेत्र है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणीपुर, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए सब असम से ही रास्ता है। अतः असम में जो कुछ होता है उसका अन्य सात सहोदरा राज्यों पर भी असर

पड़ता है। अत: जब हम असम के बारे में कुछ चर्चा करते हैं तो पूर्वोत्तर में क्या हो रहा है इस संबंध में भी चर्चा की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप असम के बारे में अलग से चर्चा नहीं कर सकते।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं असमी नहीं हूं। मैं असम में नहीं रहा हूं। मैं अपने जीवन के 44 वर्षों में कभी भी असम में नहीं रहा। मुझे असम प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने का गौरव प्राप्त हुआ था क्योंकि मणिपुर उस समय दो दशकों से संगठनात्मक रूप से असम के अन्तर्गत आता था और मैं असम के बारे में थोड़ा-बहुत जो कुछ जानता हूं उससे पता चलता है कि केवल कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन है जिसके बारे में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को जानकारी है क्योंकि इस संगठन ने इस क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास किए हैं। विरोधी दल करीब-करीब प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक उपयुक्त समय पर अपने नाम बदल देते है। हम नहीं जानते कि वे अगली बार किस दल का साथ देंगे। हम अब स्थिरता और स्थायित्व चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि हम किस दल को सहयोग दें।

सरकार तथा सम्पूर्ण सभा को याद होगा कि गत चुनावों में जब सम्पूर्ण उत्तर में कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी तो पूर्वोत्तर राज्य जो छोटे हैं लेकिन अत्यन्त संवेदनशील है तथा बंगलादेश, बर्मा और चीन की सीमा से लगे हुए सीमा क्षेत्र हैं तथाकथित कांग्रेस विरोधी लहर से प्रभावित नहीं हुए।

दूसरी तरफ के माननीय सदस्यों का कहना है कि असम में कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। वे यह बात केवल इसलिए कहना चाहते हैं ताकि असम में कांग्रेस दल का आधार नष्ट हो जाये। मैं तो थोड़ा बहुत कार्य कांग्रेस पार्टी ने पंडितजी के समय से स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने के समय से छोटे, संवेदनशील राज्यों—यद्यपि असम भी एक बड़ा राज्य है—की मुख्य धारा में लाने के लिए किया है, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए।

दुर्भाग्य से स्थिति यह है कि हाल में असम में 'उल्फा' नाम के एक आतंकवादी संगठन ने जिसका उद्देश्य असम को भारत संघ से अलग कर असम की प्रभुसत्ता की मांग की है। इस तथ्य को अनदेखा कि इस संगठन के 'लिट्टे' के साथ पहले से ही सम्बन्ध हैं, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं इस सम्बन्ध में और चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि हम इस सम्बन्ध में पहले ही विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। मिजोरम, मणीपुर तथा नागालैंड में आतंकवादी गुटों पर 'उल्फा' का प्रभाव है। हम इसकी नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने आतंकवादी तत्वों का सफाया करने और सुरक्षा दलों से जो उत्तेजना का वातावरण बना हुआ था उसका शमन करने में जो अभी तक सफलता हासिल की है उसे इस तथाकथित कांग्रेसवाद विरोधी लोगों तथा कांग्रेस विरोधी तत्वों द्वारा कुप्रभावित किया जा रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुझे याद है कि हमने सभा में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा सीमा सम्बन्धी मामलों पर भी अनेकों बार चर्चा की हैं। मुझे याद नहीं है कि उन अवसरों पर हमने 'उल्फा' की स्थिति के सम्बन्ध में भी चर्चा की हो। मैंने उस क्षेत्र का एक प्रतिनिधि होने के नाते 1971 से अनेक अवसरों पर बार-बार कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक अत्यन्त संवेदनशील विषय माना जाना चाहिए और इसे

[प्रो० एन० तोम्बी सिंह]

केवल दलीय राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। इस प्रकार का कांग्रेसवाद विरोधी रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। केवल कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसने इन क्षेत्रों को मुख्य राष्ट्रधारा में लाने के लिए प्रभावी कार्य किया है।

असम सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों और अनेक धर्मों से निपटना होगा। जैसाकि आपको ज्ञात है असम में कच्छार, नौगांव, शिवसागर और कामरूप जिलों में बहुसंख्यक मणीपुरी क्षेत्र हैं। मुझे असम, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, के बारे में उल्लेख करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ताकि हम वर्तमान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें और भविष्य के लिए अच्छी नींव रखें। गत 40 वर्षों से श्री मेधीजी के समय से हम करीब-करीब प्रत्येक वर्ष असम सरकार से, वहां चाहे जो भी सत्ताधारी दल रहा हो इस दिशा में इस बात का पता लगा रहे हैं।

8.00 म० प०

मणीपुरी आधुनिक भारतीय भाषाओं की भांति एक सुस्थापित भाषा है। असम सरकार और त्रिपुरा सरकार मणीपुरी भाषा के लिए समस्यायें उत्पन्न कर रही हैं क्योंकि वे 'विष्णुप्रिया" नाम के एक समुदाय की मदद करना चाहते हैं जो बंगाली और असमिया भाषा जैसी बोली बोलते है लेकिन उनका मणीपुरी भाषा से दूर का भी कोई सरोकार नहीं है। जातीय रूप से भी उन्होंने इस बात का दावा किया है कि वे आर्य हैं। लेकिन हम मणीपुरी वासियों को मंगोल जाति का होने का गर्व है। इस प्रकार, मणीपुरी के लोगों की जातीय रूप से अथवा भाषाई रूप से विष्णुप्रिया के साथ कोई समानता नहीं है। 'विष्णुप्रिया' समुदाय ने असम और त्रिपुरा सरकारों से कहा था कि वे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में मणीपुरी के साथ उनकी बोली को मान्यता प्रदान करें जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक बात है। असम और त्रिपुरा सरकारों को इस मांग को नहीं मानना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से असम राज्य में अच्छे पड़ोसी सम्बन्धों, पारम्परिक सम्बन्धों, दोस्ताना सम्बन्धों तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ उचित व्यवहार के हित में किसी पड़ोसी राज्य की भाषाई स्वतन्त्रता का उल्लंघन होगा जिसे मणीपुरी राज्य के बाहर एक अन्य मणीपुरी भाषा की उत्पत्ति करने का अधिकार या प्राधिकार नहीं है।

श्री सी० श्रीनिवासन (डिन्डिगुल) : मुझे असम में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन करने से सम्बन्धित इस संकल्प का स्वागत करने में प्रसन्नता हो रही है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जो एक साल से निष्क्रिय थी और जिसने असम और तमिलनाडु में गैर-कानूनी गतिविधियों को इजाजत दी थी, अब नहीं हैं। लेकिन अब माननीय प्रधानमन्त्री श्री चन्द्रशेखर जी जिन्होंने यह पक्का वादा किया है कि कानून असम तथा तमिलनाडु में अपना कार्य करेगा, सत्ता में हैं।

असम की सरकार, जिसने इस चेतावनी को गम्भीरता से नहीं लिया है, को बरखास्त कर दिया गया है।

लेकिन तमिलनाडु की सरकार जिसने इस चेतावनी की परवाह नहीं की अभी भी बनी हुई है। 'उल्फा' अभी भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक गम्भीर खतरा बना हुआ है। अतः सम्पूर्ण सभा को असम में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने का स्वागत करना चाहिए।

'उल्फा' और पंजाब के आतंकवादी केवल असम और पंजाब में ही नहीं हैं अपितु वे तमिलनाडु में भी सक्रिय हैं। 'उल्फा' और 'लिट्टे' के बीच के सम्बन्धों की माननीय प्रधानमन्त्री जी ने भी इस सम्माननीय सभा में पुष्टि की है। मैं अ० भ० अ० द्र० मु० क० की ओर से एक बार फिर उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री करुणानिधि के नेतृत्व में द्र० मु० क० की सरकार तमिलनाडु में 'उल्फा' और पंजाब के आतंकवादियों का स्वागत कर रही है। ये आतंकवादी और 'लिट्टे' उग्रवादी तमिलनाडु में समानान्तर सरकार चला रहे हैं।

यहां तक कि हमारी नेता जयललिता 24-12-1990 को जब स्वर्गीय मुख्यमन्त्री डा० एम० जी० आर० की पुण्य तिथि पर उनकी समाधि पर गई तो 'लिट्टे' आतंकवादियों ने उनकी हत्या करने की कोशिश की।

जिस 'लिट्टे' आतंकवादी ने हमारी नेता की हत्या करने की कोशिश की थी उसे 'थारासू' नामक तमिल पत्रिका के रिपोर्टर ने पकड़ा था और यह समाचार उनकी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मुख्यमन्त्री ने उन पर 38 झूठे मुकदमें भी दर्ज किए हैं। 'थारासू' और 'दिनामलार' पत्रिकाओं पर मुख्यमन्त्री द्वारा दबाव डाला जा रहा है। आज ही 'थारासू' के सम्पादक को 'लिट्टे' से उन्हें जान से मार देने का पत्र प्राप्त हुआ है।

तटीय इलाकों में कर-संग्रहण का कार्य 'लिट्टे' द्वारा किया जाता है। 'लिट्टे', उल्फा' और पंजाब के आतंकवादियों द्वारा लूटमार, डकैती और दिन दहाड़े हत्यायें करना तमिलनाडु में रोजमर्रा की बात हो गई है।

मुख्यमन्त्री श्री करुणानिधि ने भारतीय नौसेना द्वारा पकड़े गए तस्करों और राष्ट्र विरोधी लोगों को छोड़ दिया है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास ने भी इस बारे में शिकायत की है। तमिलनाडु में जीवन और सम्पत्ति की कोई सुरक्षा नहीं है। तंजौर, रामेश्वरम, वेडारन्यम, तूतीकोरिन, त्रिची और सभी तटीय क्षेत्र एल० टी० टी० ई० उग्रवादियों, उल्फा तथा पंजाब के आतंकवादियों के मुख्य स्थल बन गए हैं। (व्यवधान) तमिलनाडु की यही समस्या है। आप हस्तक्षेप क्यों करते हैं? वहां स्वतन्त्र वायरलैस स्टेशन कार्य कर रहे हैं। ऐसा समझा जाता है कि डी०एम०के० दल ने इन उग्रवादियों को वित्तीय सहायता देने के लिए भारी मात्रा में धन एकत्रित किया है। इसकी जांच की जाए।

यदि वहां से आतंकवादियों का सफाया करना है तो तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त करना होगा। यदि असम सरकार को उल्फा की गतिविधियों के कारण बर्खास्त किया गया था तो तमिलनाडु सरकार को भी एल० टी० टी० ई०, उल्फा और पंजाब के आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसलिए मैं इस सरकार और प्रधानमन्त्री से एक निश्चित आश्वासन चाहता हूं। लोगों को इस बात की गलतफहमी नहीं होनी कि यह सरकार संविधान की रक्षा करने में पक्षपाती है।

[श्री सी० श्रीनिवासन]

असम में राष्ट्रपति शासन लागू करने का स्वागत करने के साथ-साथ मैं आशा करता हूं कि सक्रिय नेता पुरातची थलैवी जयललिता के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक दल की डी० एम० के० सरकार को बर्खास्त करने की मांग को राष्ट्रीय हित में स्वीकार कर लिया जाएगा।

श्री शिकिहो सेमा (नागालैंड) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। असम पूर्वोत्तर राज्यों की जननी है। दुर्भाग्य की बात है कि यहां असम से कोई संसद सदस्य नहीं है। मैं असम में पैदा हुआ था और 1964 तक मेरा यहीं पालन पोषण हुआ था जबकि इसके बाद हमारा राज्य अलग कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी कारण से हम उत्तर-पूर्वी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों को इस विषय पर बोलने की अनुमति दे रहे है।

श्री शिकिहो सेमा : कृपया मुझे असम का सांसद समझिए तथा बोलने के लिए कुछ और अधिक समय दीजिए।

हम राष्ट्रीय अखण्डता और राष्ट्रीय सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से असम की महत्ता पर आते हैं। यदि वहां श्री गोपीनाथ बारदोलाइ जैसे महान सपूत नहीं हुए होते हैं, जिसके बारे में आज सुबह हमारे राष्ट्रपति महोदय ने कुछ शब्द कहे हैं तो क्या उत्तर-पूर्व में भारत होता? यह एच काफी बड़ा प्रश्न है। हम अत्यधिक सौभाग्यशाली हैं कि श्री फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति जैसे उच्च पद पर रहे और हमें उन पर गर्व है तथा हमें अपने भारतीय होने पर भी गर्व है।

आप भारत की अर्थव्यवस्था में असम के योगदान के बारे में सोचिए। चाय पेट्रोलियम उत्पाद, चावल और अनेक अन्य चीजों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान है। देश के साथ असम के सांस्कृतिक सम्बन्ध के कारण ही पूरा राष्ट्र एक सूत्र में बंधा हुआ है। और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, अब असम को धार्मिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

महोदय, आज असम में जैसी स्थिति है उसके क्या कारण हैं? एक समय में असम लघु भारत था। असम में ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

सर्वप्रथम तो मीडिया को लेते हैं। समाचार-पत्र, दूरदर्शन और आकाशवाणी आदि सभी तथ्यों का गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। यदि वहां जरा-सी गोलीबारी होती है तो यह प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित होती है। यदि कोई ट्रक खड्ड में गिर जाता है तो यह मुख्य समाचारों में छपेगा। परन्तु जब नवयुवक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य करते है तो उन्हें नजर-अन्दाज किया जाता है। मैं स्वयं एक युवा नेता रहा हूं। मैंने काफी वृक्ष लगाये हैं जो अब अच्छी प्रकार से फूल रहे हैं। इनमें से कुछ भी राष्ट्रीय मीडिया में नहीं दिया गया है। यदि मेरे मित्रों में से कोई अपने पड़ोसी से झगड़ा करता है तो इसे मुख्य समाचारों में दिया जाता है। इसी कारण जिस तरीके से पूर्वोत्तर क्षेत्र यहां के बारे में कहा गया है उससे लगता है कि मानो यह एक जलता हुआ यमलोक है। वहां

इसी प्रकार की स्थिति है । अत: राष्ट्रीय मीडिया को पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए ।

आज हम सभी राष्ट्रीय नेताओं के बारे में जानते हैं । पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता महात्मा गांधी, श्री नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी के बारे में जानती है । मैं राजनैतिक दल की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं । हमारी जनता अपने नेताओं के बारे में नहीं जानती है । हमारे लोग आपके दलों के नाम नहीं जानते । केवल कांग्रेस दल ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रसिद्ध है ।

वर्ष 1977 में श्री मोरारजी देसाई ने जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व किया था । उस समय वे शिलांग आये थे । हमारे नागा नेतागण उनके पास गए थे । तब उन्होंने क्या कहा था ? उन्होंने कहा था : "यदि आप भारतीय हैं तो मैं आपसे बातचीत करना नहीं चाहता क्योंकि आप भारतीय हैं । यदि आप भारतीय नहीं हैं तो मैं एक विदेशी से बातचीत क्यों करूं ?" इस प्रकार का रवैया हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई का था । उस समय जबकि जनता पार्टी सत्ता में थी तो सम्पूर्ण उत्तर पूर्व के राज्यों का नेतृत्व क्षेत्रीय दलों द्वारा किया गया था । जनता पार्टी ने क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा दिया था ।

एक बार श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह गुवाहाटी आये थे और असम गण परिषद को प्रोत्साहित किया था । परन्तु वे पूर्वोत्तर राज्यों की जनता से मुलाकात करने में असफल रहे ।

असम गण परिषद के उदय के पीछे एक कारण है । यदि आप भी उस स्थिति में होते तो आप भी उसी प्रकार का व्यवहार करते । वे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं । वे अपनी संस्कृति का पुनरुद्धार करना चाहते हैं । वे अपनी राजनीतिक पहचान बनाये रखना चाहते हैं । परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि वे अति पर पहुंच गए अब वे ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां से वे वापस नहीं लौट सकते हैं और हमें उन्हें इससे उबारना है । महोदय, अनेक सदस्यों ने उल्फा की गतिविधियों का जिक्र किया है । अत: मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा । जब असम गण परिषद की सरकार अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में असफल हो गयी थी तो जनता दल पार्टी की सरकार ने उस समय कार्यवाही क्यों नहीं की । आप हमेशा कांग्रेस पार्टी पर आरोप क्यों लगाते रहते हैं ? केवल कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने देश पर गत अनेक वर्षों से शासन किया है । विगत 11 महीनों के दौरान जनता दल सरकार संवैधानिक कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में असफल रही थी । जब आप 11 महीनों तक सत्ता में बने रहे और आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कांग्रेस पार्टी पर क्यों आरोप लगा रहे हो जबकि कांग्रेस पार्टी पिछले 40 वर्षों से देश पर शासन कर रही थी ? आज भी जनता दल पार्टी के केवल एक सदस्य यहां मौजूद हैं । यहां तक कि भूतपूर्व मन्त्रियों ने भी कोई शब्द नहीं कहा । मैं चन्द्रशेखर जी सरकार का धन्यवाद करता हूं क्योंकि इस सरकार ने उचित समय पर उचित कदम उठाया है *जो इतिहास इसे सिद्ध कर देगा ।*

महोदय, असम को इसके नियमित बंदों, यातायात ठप्प करने, रेलगाड़ियां रोकने और वायु यातायात रोकने के लिए जाना जाता है । इस कारण से सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को कठिनाई होती है । असम बन्द अखिल असम छात्र संघ, बोडो कार्बी-अंगलंग छात्रों, अल्पसंख्यक छात्रों और स्वयं असम

[श्री शिकिहो सेमा]

गण परिषद की सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। यही कारण है कि पूर्वोत्तर राज्यों को बन्दों के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

महोदय, 'उल्फा' के साथ नागालैण्ड राष्ट्रवादी समाजवादी परिषद पर पाबन्दी लगा दी गई थी। मैं नागालैंड से हूं। मुझे इसके बारे में अवश्य बोलना चाहिए। मेरे पूछने पर, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लिया था। केवल टेलीफोन पर उन्होंने मुख्य मन्त्री से बातचीत की थी। मुख्य मन्त्री ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया या विरोध प्रकट नहीं किया था तथा केन्द्रीय सरकार को स्वयं नागालैंड राष्ट्रवादी समाजवादी परिषद पर पाबन्दी लगानी पड़ी। मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी स्थिति से ठीक ढंग से न निपटने का एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने यहां इस सभा में एक ध्यानकर्षण दिया था। गृह मन्त्री ने अपने उत्तर में यह टिप्पणी की कि नागालैंड छात्र परिसंघ का आतंकवादी संगठन नागालैंड युवा मुक्ति मोर्चे के साथ सम्बन्ध है। परन्तु नागालैंड छात्र परिसंघ ने इस आरोप का खंडन किया है। अध्यक्ष के निदेश 115ख के अन्तर्गत मैंने स्पष्टीकरण मांगा था। परन्तु मुझे उत्तर नहीं दिया गया। मन्त्री द्वारा उत्तर दिए जाते समय मैंने उनसे अनुरोध किया था कि नागालैंड छात्र परिषद का नागालैंड युवा मुक्ति मोर्चे जैसे आतंकवादियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। आपको इसे स्पष्ट करना पड़ेगा। यदि वी० पी० सिंह सरकार शिक्षित युवाओं के लिए पंजाब में एक लाख नौकरियों की घोषणा कर सकती है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के शिक्षित युवाओं के लिए कम से कम 10,000 नौकरियों की घोषणा क्यों नहीं की जा सकती? यदि आप ऐसा कर दें तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। यह केन्द्र ही है तो हमारी उपेक्षा करता आ रहा है। मैं आपसे यह कहने की माफी चाहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आपके पास दस मिनट भी नहीं हैं। यदि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए दस मिनट दें दें तो हमारी बहुत सी समस्याओं का पहले से ही समाधान हो जाता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बोडो समस्या चल रही है। जब वे शान्तिपूर्वक तथा अहिंसात्मक तरीके से संगठित हो रहे थे तो आपने उनकी बात नहीं सुनी। आप लोगों की बात तभी सुनते हैं जब वे हिंसात्मक ढंग से आन्दोलन आरम्भ कर देते हैं। लोग गत तीन या चार वर्ष से शान्तिपूर्ण आन्दोलन करते आ रहे हैं परन्तु आप उनकी बात नहीं सुन रहे। आप उनकी तभी सुनेंगे जब वे हिंसात्मक गतिविधियां आरम्भ कर देंगे। गृह मन्त्रालय से मैंने एक प्रश्न पूछा था उन्होंने जवाब देने से इन्कार कर दिया। ऐसा तीन बार हो चुका है। मुझे इतना तक नहीं बताया गया कि मेरे प्रश्न का जवाब क्यों टाल दिया गया है। तब समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप बोडो नेताओं से बातचीत करने तथा तीन-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के सुझावों को क्रियान्वित करने जा रहे हैं। क्या आप नागालैंड राष्ट्रवादी समाजवादी परिषद से बातचीत करने जा रहे हैं? यदि आप समस्या का समाधान चाहते हैं तो यह उचित समय है कि आप बात-चीत करें। आप उनके द्वारा शोर-शराबे की प्रतीक्षा क्यों करें? ये तो आप हैं जिन्हें उनका ध्यान रखना है ऐसा करने की हम आपसे आशा करते हैं। राष्ट्रपति शासन कोई समाधान नहीं है। यह केवल विकट समस्या का तात्कालिक अस्थायी हल है। परन्तु केन्द्र को लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं को पुनर्जीवित करने तथा असम को राष्ट्रीय धारा में वापिस लाने के लिए पहल करनी चाहिए। यदि आप असम की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देंगे तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहे देता हूं कि इसके लिए आपको पछताना पड़ेगा।

असम राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (असम), 1990-91

श्री ए० के० राय (धनबाद) : आज सुबह हमने श्री गोपीनाथ बारदोलोई की शताब्दी मनाई है। वहां बहुत अच्छे भाषण दिए गए। मैं सोच रहा था कि यदि श्री बारदोलोई जीवित होते तो इस राष्ट्रपति शासन के प्रति, विशेष क्षेत्र अधिनियम, 'आपरेशन बजरंग' तथा इन सभी बातों के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया होती ? मुझे विश्वास है कि श्री गोपीनाथ बारदोलोई की सहानुभूति इस सरकार के प्रति होने की बजाय 'उल्फा' के प्रति होती।

हमारा उद्देश्य क्या है ? हमारा उद्देश्य है इस अन्तर को, इस फासले को बढ़ने न देना। हमारा उद्देश्य है उनके दिलों को जीतना। क्या राष्ट्रपति शासन लागू करने से या सेना भेजने से उनका दिल जीता जा सकता है ? इसका फैसला करना है। निश्चित रूप से इससे यह फासला और बढ़ेगा। असम गण परिषद ने इस पर अत्यधिक कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि इसके पीछे उद्योगपतियों का हाथ है। असम में किसी भी राजनीतिक दल ने राष्ट्रपति शासन लागू करने, चुनाव स्थगित किए जाने तथा वहां सेना भेजे जाने की सराहना नहीं की है। यदि 'उल्फा' अल्पसंख्यकों के विरुद्ध होती तो संयुक्त अल्पसंख्यक मोर्चा होता तथा वह भी सेना का स्वागत न करता। 'उल्फा' खराब हो सकती है परन्तु ये लोग बदतर हैं। यह है असम के लोगों की आम प्रतिक्रिया है। क्या इस प्रकार से हम इन कथित अलगाववादियों के शिकंजे से असम को छुड़ा सकते हैं ?

दूसरे, राजनैतिक रूप से भी यह गलत है। 10 तारीख को प्रधान मन्त्री जी ने शपथ ली थी। 21 तारीख को मंत्रि-परिषद बना। तथा 27 तारीख को उन्होंने असम सरकार को बर्खास्त कर दिया जबकि 8 जनवरी को विधान सभा की अवधि समाप्त हो रही थी। रणनीति की दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से तथा व्यावहारिक दृष्टि से यह एक गलत कदम था जो उन्होंने उठाया। अपने विश्लेषण में एक प्रतिष्ठित पत्रकार, निखिल चक्रवर्ती ने यह पूछा है कि क्या राष्ट्रपति शासन लागू करने का अर्थ यह है कि केन्द्र, अर्थात् कांग्रेस-चन्द्रशेखर गठबंधन असम गण परिषद सरकार को बर्खास्त करके अपने फायदे में चुनाव कराना चाहता है ? क्या इसका यह अर्थ है कि केन्द्र की अगली 'हिट लिस्ट' में तमिलनाडु है जहां गैर-कांग्रेस सरकार का शासन है ? इसलिए ये सन्देह हैं जिनसे हमारी राष्ट्रीय अखण्डता को और अधिक खतरा हो जाएगा।

मैं एक बात जानना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता, जातीयता तथा अलगाव में भारत के लिए कौन सा अधिक खतरनाक है ? इनमें सबसे खराब कौन है ? कभी हमें इस सभा में ऐसा बताया जाता है कि यदि वे विद्रोही हैं तो हम उनसे बात नहीं कर सकते परन्तु साम्प्रदायवादियों से हम बात कर सकते हैं। परन्तु हैदराबाद, अलीगढ़, पंजाब में तथा हर जगह क्या हो रहा है ? हम उनसे बात कर सकते हैं। हम उनके साथ रह सकते हैं। इसका अर्थ है कि साम्प्रदायवादियों तथा जाति-पांति के भेद-भाव करने वालों के साथ हम रह सकते हैं परन्तु अलगाववादियों के साथ नहीं। मेरे विचार से भारत में साम्प्रदायिकता अलगाववाद से सैकड़ों गुना खतरनाक है। यदि देश का कोई हिस्सा हमारे से अलग हो जाता है, हमारे से खिन्न होकर अलग होना चाहता है तो हमारी कार्यवाही यह नहीं होनी चाहिए कि वहां सेना भेज दें, हमारी कार्यवाही यह होनी चाहिए कि हम उनसे बातचीत करें, उनकी शिकायतों को जानें तथा उन्हें दूर करें। परन्तु साम्प्रदायवादियों से

[श्री ए० के० राय]

किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि साम्प्रदायवादी कैंसर रोग की तरह हैं जो हमारे शरीर में ही रहना चाहता है तथा इसे क्षति पहुंचाता रहता है।

एक बात जो मैं जोर देकर कहना चाहता हूं जिसे किसी भी वक्ता ने नहीं कहा है तथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा जो विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम से भी अधिक विक्षुब्ध करने वाली बात है, वह है वर्ग प्रश्न का तत्व। पंजाब में एक वर्ष में 2000 लोगों की हत्या की गई है। यहां तक कि आज सुबह उन्होंने निर्दोष लोगों—बच्चे, महिलाओं, वृद्ध तथा हर आदमी की अन्धाधुन्ध हत्या कर दी। परन्तु वे सम्पूर्ण पंजाब को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित नहीं करते। वहां पर कोई सैनिक कार्यवाही नहीं की जा रही है।

वे प्रतिदिन सुबह और शाम उग्रवादियों से बात करते हैं। अब उन्होंने अपनी गतिविधियां धनबाद और पुरुलिया में भी प्रारम्भ कर दी हैं। मैं अभी-अभी पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में हुई हत्याओं पर नजर डाल रहा था। इस दौरान वहां दस आतंकवादी और एक सौ तेरह अन्य लोग मारे गए। लेकिन इस कारण इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया गया। बिहार में प्रतिदिन ऐसी अनेक हत्याएं होती हैं जिसके संबंध में कोई नहीं सोचता। असम से ऐसी खास चिंता की क्या बात है कि हम यहां, 'उल्फा' पर में चर्चा कर रहे हैं। 'उल्फा' का सबसे बड़ा अपराध यह नहीं है कि वे अलगाववादी हैं देश में ऐसे अनेक अलगाववादी दल हैं। 'उल्फा' का सबसे बड़ा अपराध यह है कि वे सत्ताधारी दल के विरुद्ध हैं। यह दल वहां के सम्पन्न वर्ग, अमीर, उद्योगपतियों, भू-स्वामियों तथा उत्पादकों के भी विरुद्ध है। इसी कारण वहां के सारे लोग परेशान हैं। असम में अखिल असम छात्र संघ द्वारा चलाए गए आन्दोलन के दौरान तीन हजार लोग मारे गए। नेल्ली में भी एक हजार से ज्यादा बच्चे मारे गए। लेकिन इससे कोई व्यक्ति परेशान नहीं हुआ। परन्तु अब यहां एक उद्योगपति श्री स्वरूप पाल का अपहरण किया गया तो प्रत्येक व्यक्ति परेशान हो उठा। अतः अमीरों को खतरा होने के कारण वे चिंतित हैं। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इन उग्रवादियों में से स्पष्ट तौर पर इसका पता लगाना होगा कि कौन साम्प्रदायिकतावादी तत्व है, कौन बच्चों की हत्या करते हैं, कौन गरीबों की हत्या करते हैं और कौन बिहार से पंजाब जाने वाले कृषि मजदूरों की हत्या करते हैं। हमें उनसे सख्ती से निपटना होगा। लेकिन जो स्वराज पाल या स्वरूप पाल जैसे उद्योगपतियों का अपहरण करते हैं, जिनके साथ सख्ती से निपटे जाने की आवश्यकता है, उनसे हमें बातचीत करनी चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का क्या अधिकार है जो मुनाफाखोरी, काला-बाजारी, अपहरण, बलात्कार, चोरी, महिलाओं पर अत्याचार और नशाखोरी को नहीं रोक सकती? लेकिन असम में, जहां तथाकथित विद्रोहियों का शासन है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें सत्ता में रहने का क्या अधिकार है क्योंकि आज के विद्रोही कल के स्वातंत्र्यदाता हो सकते हैं? आप इतिहास को क्या जवाब देंगे? या तो सरकार को स्थिति का समयानुसार सामना करना चाहिए तथा उचित ढंग से शासन करना चाहिए या सत्ता त्याग देनी चाहिए। आपके लिए अच्छा होगा कि आप आन्ध्र प्रदेश के पुराने शहर हैदराबाद या अन्य जगहों पर चले जाएं। उन जगहों पर, जहां पीपुल्स वार ग्रुप तथा नक्सलवादियों द्वारा शासन चलाया जा रहा है, उनके अनुसार कोई साम्प्रदायिक हिंसा

नहीं हुई, एक भी आदमी नहीं मारा गया। हैदराबाद के पुराने शहर में, जो सरकार के नियन्त्रण में है, पांच सौ लोगों की हत्या की गई। अत:, इनमें से कौन अच्छा है ? अब आन्ध्र प्रदेश के लोगों का कहना है कि सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश में पीपुल्स वार ग्रुप का शासन हो ताकि वहां किसी भी तरह का साम्प्रदायिक दंगा नहीं हो। ऐसा होने से कम से कम हम लोग तो नहीं मारे जाएंगे। यही मैं कहना चाहूंगा यदि आपके शासन का मतलब बलात्कार है और उनके शासन का मतलब न्याय है, यदि आपके शासन का मतलब उन सभी विदेशियों, विदेशी भारतीयों या ऐसा हो—अनिवासी भारतीयों को प्रसन्न करना और यदि उनके शासन का आशय भारतीयों के हितों को बरकरार रखना है—जैसा कि मेरे मित्र ने सही कहा है—तो आप उनमें से किसे चुनेंगे ? असम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार असम की स्थिति काबू से बाहर हो रही है क्योंकि वहां के लोग विद्रोहियों को अपना संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। यदि अपना समर्थन विद्रोहियों को देते हैं तथा सेना की सहायता नहीं करते तो क्या कोई शक्ति, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, इसका समाधान कर सकती है ? अत:, मेरा कहने का आशय यह है कि उन्हें सुधारने के बदले या उन्हें सुधारने के पहले, आपको अपने आपको सुधारना चाहिए।

समाज में दो तरह के विद्रोही होते हैं। एक तो वह जहां प्रति व्यक्ति आय औसत आय से ज्यादा होती है तथा उनका अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा तथा अन्य सभी साम्राज्यवादी देशों के साथ संबंध होता है। यहां प्रति व्यक्ति आय औसत से ज्यादा है वहां हमें सख्ती बरतनी चाहिए। दूसरा वह अल्पविकसित समाज है जहां प्रति व्यक्ति आय औसत आय से कम हो ऐसी जगहों पर हमें अत्याधिक नरमी, धैर्य तथा सहानुभूति से काम लेना चाहिए। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए, हमें पूर्वोत्तर के लोगों से यह कहकर माफी मांगनी चाहिए कि, 'हमने कुछ गलतियां की हैं'। अत: उन्हें सुधारने के पहले आप अपने आप को सुधारें।

श्री पीडर जी० मरबनियांग (शिलांग) : महोदय, इस विषय के संबंध में मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि विशुद्ध अशान्त क्षेत्र अधिनियम को केवल असम में लागू किया गया है, इसे पड़ोसी राज्यों में लागू नहीं किया गया है। तथापि, बजरंग आपरेशन का मेघालय सीमा तक विस्तार किया गया है। मेघालय और असम की सीमा पर बसे अनेक गांवों में बजरंग आपरेशन के तहत सेना द्वारा घुसपैठ की गई जिसके फलस्वरूप लोगों में भय व्याप्त हो गया है। सीमा पर बसे असमिया पड़ोसी लोगों का कहना है कि भारत सरकार ने यह सेना सीमा क्षेत्र से मेघालयी लोगों को भगाने के लिए भेजी। इसके परिणामस्वरूप यहां अस्तव्यस्तता फैल गई है। महोदय, यह सीमा क्षेत्र कामरूप जिला से लेकर असम के गोलपारा जिला तक फैला है मेघालय में एक निर्वाचित सरकार सत्ता में है। मैं सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि मेघालय के सीमा क्षेत्र में आप्रेशन बजरंग का विस्तार करने से पूर्व वहां के सिविल प्राधिकारियों से परामर्श किया जाएगा। सेना द्वारा सिविल प्राधिकारियों की अनुपस्थिति में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। असम और मेघालय के बीच सीमा का मुद्दा एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है और सेना को इसमें और अधिक भ्रान्ति नहीं फैलानी चाहिए। इतने कम समय में मेरे लिए 'उल्फा' और उसकी गतिविधियों के संबंध में कुछ भी बोलना खतरनाक है और इसलिए मैं इस अति संवेदनशील और खतरनाक मुद्दे पर कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने इस संबंध में प्रधान मन्त्री को एक पत्र लिखकर यह सूचित किया है कि यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है। मैंने उन्हें

[श्री पीटर जी० मरबनियांग]

आज शाम को ही यह पत्र दिया है। इस पत्र में मैंने सेना द्वारा असम और मेघालय के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में प्रवेश किए जाने के बारे में लिखा है। अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जाए।

बोडोलैंड समस्या का भी हमें हिम्मत के साथ सामना करना होगा। मैं बोडोलैण्ड के आंदोलनकारियों से मिला था जब वे अपने आंदोलन के सिलसिले में दिल्ली के वोट क्लब पर प्रदर्शन करने आए थे। अतः यदि तीन सदस्यीय समिति, जोकि पिछली सरकार द्वारा गठित की गई थी, अपनी बैठक नहीं करती तथा कोई ठोस विचार प्रस्तुत नहीं करती तो मैं समझता हूं कि बोडो लोग एक और आंदोलन शुरू कर देंगे जो बहुत ही खतरनाक आन्दोलन होगा। असम पूर्वोत्तर राज्यों का द्वार है तथा इस द्वार पर किसी तरह के आन्दोलन से सभी पूर्वोत्तर राज्य प्रभावित होंगे।

असम में सभी समस्याएं 'स्थानीय निवासी' के नारे से उत्पन्न हुई हैं। असम ने वही बनना शुरू कर दिया है जो यह 1977 में जनता शासन के दौरान था। कांग्रेस पार्टी को दोष मत दीजिए। यह तो केवल अखिल असम छात्र संघ को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रही है। मैं 'उल्फा' की गतिविधियों के बारे में नहीं बोलूंगा। समय बहुत कम है तथा इसके जैसे संवेदनशील मसले पर बात करना बहुत खतरनाक है। इस शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय कक्ष कैन्टीन में राज्य सभा की लाबी के निकट माननीय सदस्यों के लिए खाने की कुछ वस्तुओं का प्रबन्ध किया गया है। सदस्य वहां जा सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। परिवहन सम्बन्धी व्यवस्था भी कर दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कमल मोरारका।

डा० वेंकटेश काबड़े (नान्देड़) : महोदय, केवल गृह मन्त्री को ही जवाब देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से कोई भी मन्त्री जवाब दे सकता है।

श्री कमल मोरारका : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं सभी माननीय सदस्यों का इस वाद-विवाद में भाग लेने तथा सरकार को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए धन्यवाद करता हूं।

श्री चित बसु : आलोचना भी।

श्री कमल मोरारका : हां, श्री चित बसु जैसे वरिष्ठ सदस्यों से हम काफी सीखते हैं। मुख्यतः सदस्यों की टिप्पणियों को चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अनेक सदस्यों ने अनुच्छेद 356 के बारे में बोला है कि इसे संविधान में क्यों रखा गया, इसका यथासंभव कम से कम प्रयोग करने की आवश्यकता, यदि सम्भव हो तो इसका प्रयोग बिल्कुल न करना तथा इसी से सम्बन्धित कुछ सदस्यों ने सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन का हवाला दिया है। इन मुद्दों पर मैं अन्त में बोलना चाहूंगा। परन्तु फिलहाल मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कम से कम यह सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि

अनुच्छेद 356 जो आपातकालिक शक्तियों के भीतर आता है का यथासम्भव कम से कम प्रयोग किया जाएगा तथा इसका प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब सरकार के लिए कोई विकल्प नहीं होगा।

महोदय, असम की बात करते हुए पहला प्रश्न उठाया गया है वह इस उद्घोषणा के समय के बारे में है। श्री काबड़े तथा अन्य सदस्यों ने यह पूछा है कि जबकि विधान सभा की सामान्य अवधि केवल एक महीने बाद ही पूरी हो रही थी तो यह उद्घोषणा क्यों जारी की गई ? क्या इसके पीछे कोई राजनैतिक उद्देश्य था ? आपके माध्यम से महोदय मैं इन्हें यह सूचित करना चाहता हूं कि सरकार को यह निर्णय लेना था कि चुनाव होने हैं या नहीं क्योंकि यदि चुनाव होने होते तो चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी होती और निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करनी होती है। उसके लिए बहुत ही कम समय बचा था।

यदि उस समय अधिसूचना जारी नहीं की गई तो सभी को यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव नहीं होंगे। यदि आप असम गण परिषद सरकार को अपनी अवधि पूरी करने भी दें, तो यह अवधि, जहां तक कानून तथा व्यवस्था की स्थिति का सम्बन्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती। यदि एक बार सरकार यह निर्णय ले कि चुनाव नहीं होने हैं तो तर्कसंगत निर्णय यह होगा कि तुरन्त राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। असम की विशिष्ट स्थिति के कारण इस तथ्य को भली-भांति समझ लेना चाहिए। यदि सरकार को इस तरह से ही कार्य करना था जैसाकि उसने किया वह राष्ट्रपति शासन लगाने के उद्देश्य के बारे में अग्रिम सूचना नहीं दे सकती थी। उद्घोषणा जारी करने के समय के पीछे यह कारण है।

महोदय, सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि असम एक बहुविध समाज है। असम की जनसंख्या ऐसी है कि यह एक बहु-भाषी, बहु-धर्मी तथा बहु-जातीय समाज है।

महोदय, स्वयं भारत का संविधान इस देश की जनसंख्या की बहु-भाषी, बहु-धर्मी तथा बहु-जातीय प्रकृति को मान्यता देता है। स्वतन्त्रता संग्राम में महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत विभिन्न आदर्श गत चालीस वर्ष में लोकतान्त्रिक संस्थाओं के कार्य कारण के आधार बन गए हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनता दल (एस)--तथा मुझे विश्वास है कि समर्थन देने वाली पार्टी कांग्रेस भी--यह सरकार महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू की विरासत से विश्वासघात नहीं करेगी चाहे जो भी हो, हम इस देश की शासनतन्त्र के धर्मनिरपेक्ष, प्रजातान्त्रिक, समाजवादी प्रकृति की रक्षा करेंगे।

जैसाकि सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि अनुच्छेद 356 इस समस्या का कोई उपचार नहीं है। जब रोगी बीमार हो तथा दवाई कड़वी हो तो शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। चूंकि दवाई कड़वी है तथा शल्य चिकित्सा वेदनाक है तो इसका कोई कारण नहीं है कि डाक्टर इसे न करे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

मैं सी० पी० एम० पर भी आ रहा हूं, जरा सुनिए तो।

[अनुवाद]

कामरेड चित्त बसु ने बहुत ही रोचक टिप्पणी की है तथा मुझे इस पर आश्चर्य हुआ है। उन्होंने कहा है कि जब से इस सरकार ने सत्ता संभाली है इस तरह की धारणा उत्पन्न हो गई है कि केन्द्र ने राज्यों को सबक सिखाने की ठान ली है। इस देश के राज्यों में से एक राज्य में ऐसी सरकार है जिसमें कामरेड चित्त बसु हिस्सेदार हैं तथा मैं नहीं समझता कि उस सरकार की भी यही धारणा है।

श्री चित्त बसु : आपने पश्चिम बंगाल सरकार को भी धमकी दी है।

श्री कमल मोरारका : समाचारपत्रों में छपी खबरों पर मत जाइए। मैं स्वयं पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से मिला हूं। मैं आपको अधिकार के साथ यह कह सकता हूं कि ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल सरकार किसी प्रकार से यह सोचती है कि इस केन्द्रीय सरकार से इस देश की संघीय शासन प्रणाली को विशेषरूप से पश्चिम बंगाल की सरकार को खतरा है।

नि:सन्देह हमें समझना चाहिए तथा यहां मुख्य बात आती है। आप गोरखा मुक्ति मोर्चा को लीजिए गोरखालैंड की समस्या कुछ वर्ष पहले थी। मैं अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट हूं कि यह पश्चिम बंगाल सरकार की परिपक्वता के कारण है कि इस समस्या का समाधान केन्द्रीय सरकार के सहयोग से ढूंढने में वह सफल हुई। इस प्रकार की समस्याएं देश के विभिन्न भागों में हैं तथा देश की बहु-जातीय स्वरूप के कारण ऐसी समस्याएं रहेंगी। हमें यह समझना चाहिए कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं जातीय आकांक्षाएं हैं। उन आकांक्षाओं से कभी-कभी उग्रवादी आन्दोलन उठते हैं। परन्तु यदि हमने इस देश को एकजुट रखना है तो यहां तक कि इन आन्दोलनों को कुचलना भी व्यावहारिक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इन भावनाओं को राष्ट्रीय मुख्यधारा में मिलाया जाए। उसके लिए आवश्यकता है परिपक्व राजनैतिक नेतृत्व की। यदि देश के किसी भाग में ऐसे आन्दोलन काबू से बाहर हो जाते हैं, इन आंदोलनों की प्रकृति से ही इन आन्दोलनों का झुकाव ऐसा होता है। तथा यह देखना राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों की उचित आकांक्षाओं का आदर किया जाए तथा अलगाववादी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर सहन न किया जाए। यह सच है कि देश के अनेक भागों में ऐसे आन्दोलन चल रहे हैं।

यह भी सच है कि पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अवधि काफी लम्बी हो गई है तथा जैसाकि माननीय सदस्य ए० के० राय ने सुझाव दिया है, यद्यपि हमने ऐसा कर दिया है, हमें इसका समाधान नहीं मिला। मैं सहमत हूं कि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन कोई हल नहीं है। इसका अर्थ है कार्यवाही चालू रखना। आप ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा सके जिसमें लोकप्रिय सरकार बहाल की जा सके। ऐसा नहीं है कि असम में लोकप्रिय शासन के विकल्प के रूप में हमने राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। बहुत ही विनम्रता से मैं यह कहूंगा कि 40 वर्षों के लम्बे इतिहास में यदि कोई ऐसा मामला हुआ है जहां इस बात को लेकर पूर्ण मतैक्य हुआ है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है तो वह है असम। सी० पी० (एम) सदस्य श्री विप्लव दास गुप्त उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने असम गण परिषद सरकार के लिए आंसू नहीं बहाये लेकिन साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का विरोध भी

किया। मुझे उनकी दोतरफा बातों के प्रति सहानुभूति है। यह सब राजनीतिक स्थिति के कारण ही है जिसमें आज हम सब हैं। मैं उनसे यह आशा नहीं करता हूं कि वे उसी पक्ष का समर्थन करें जिसका सरकार करती है। मेरे मित्र और सहयोगी ने कहा था कि आज के विद्रोही कल के मुक्तिदाता हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे राजनैतिक विरोधी इस राजनैतिक शब्दावली को समझें। हम लोगों ने, जो जनता दल में विद्रोही थे, लड़ते हुए देश को आजाद कराया। हम अपने आपको मुक्तिदाता मानते हैं। यदि इस विचारधारा की परिणति होती है तो इसमें मुझे कतई कोई आपत्ति नहीं होगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शीपत सिंह मक्कासर : अरे तुम्हारी नाक तो कट गई, इसलिए दूसरों को भी कहते हो कि वहां पर जाओ, बहुत अच्छा है। दूसरों की भी नाक कटवाना चाहते हो। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल मोरारका : मैं श्री ए० के० राय से पूर्णतया सहमत हूं कि ये सभी बातें छिछोरे ढंग से नहीं कही जानी चाहिए। यदि बहुत सारे लोग किसी और ढंग से सोचते हों और यदि देश में पृथकतावादी आन्दोलन हो रहे हों तो हमें उन नागरिकों के मन में उठ रही व्यथा अथवा आन्दोलन को समाप्त करने हेतु कोई समाधान निकालने के लिए इकट्ठे बैठ कर सोचना चाहिए तथा साथ-ही-साथ देश की एकता और अखंडता बनाए रखनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ी मांग है। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि भारत के संविधान को अपने वर्तमान रूप में लागू करना है तो इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और हम इस तथ्य से भी भाग नहीं सकते कि देश की एकता बनाए रखने के लिए विभिन्न राजनैतिक आन्दोलनों को, जो हमसे सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी, इकट्ठा हो जाना चाहिए।

जब हम विरोधी पक्ष में थे तो हमने भी देश के संघीय स्वरूप को मजबूत करने की मांग की थी। जैसाकि श्री जसवंत सिंह जी ने सही कहा है कि सरकारिया आयोग का प्रतिवेदन एक अत्यन्त साधारण दस्तावेज है। लेकिन मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि सरकारिया आयोग के दस्तावेज को केवल स्वीकार कर लेने और लिखित रूप में रख देने से यह समस्या हल नहीं होगी। पिछली सरकार ने, जब वह सत्ता में आई, सभी राज्यपालों को अन्धाधुन्ध बदल दिया। मैं जानना चाहता हूं कि राजनीति की किस संघीय प्रणाली के अन्तर्गत ऐसा किया। राज्यपाल के पद को, जिसे वास्तव में दलगत भावना से ऊपर रखा जाना चाहिए, पूर्णतया दल का एक पद बना दिया गया है। (व्यवधान)

श्री शीपत सिंह मक्कासर : आप तो चुप थे।

श्री कमल मोरारका : उसी पूर्वोदाहरण के द्वारा यदि यह सरकार भारतीय राजनीति को आघात पहुंचाना चाहती तो हम ऐसा कर सकते थे। हम राज्यपाल को त्याग-पत्र देने के लिए कह सकते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि भारतीय राजनीति को चलाने का यह कोई ढंग नहीं है। संविधान में इस तरह का कोई उपबंध नहीं है। राज्यपाल की अपनी भूमिका है। राज्यपाल सत्ताकूढ़ प्रधानमंत्री की कठपुतली नहीं बन सकता। उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं उठाई? और उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया? मैं अपने वामपंथी दोस्तों श्री सैफुद्दीन चौधरी और श्री चित्त बसु,

जो यहां उपस्थित हैं, से पूछना चाहूंगा। संघीय प्रणाली का उल्लंघन करने में उनका भी हाथ है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रीपत सिंह अक्कासर : हम लोगों ने तो ऐतराज किया था, आप लोगों को इस्तीफा देना चाहिए था।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : हम लोग तो पहले से ही थे। आप लोग तो अभी भी चिपके हुए हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें मत उकसाइये। आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री कमल मोरारका : मैं समझता हूं हम इस पर बाद में अलग से वाद-विवाद करेंगे।

असम के सम्बन्ध में एक अन्य प्रश्न यह उठाया गया है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने और सैनिक कार्यवाही करने के पश्चात् कितनी सफलता मिली है और इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती उपाय किए गए हैं।

श्री जसवन्त सिंह ने अनेक प्रश्न पूछे हैं उन्होंने पूछा कि हमारे सशस्त्र बलों को किस प्रकार के और कितने हथियार दिए गए हैं तथा जो हथियार बरामद हुए हैं वे किस प्रकार के हैं। उन्होंने और बहुत सारी जानकारी मांगी है। इसमें से बहुत सी जानकारी जो उन्होंने मांगी है किन्हीं कारणों से नहीं दी जा सकती।

श्री लोकनाथ चौधरी : आप कृपा करके बताइये कि चुनाव कब होंगे।

श्री कमल मोरारका : श्री लोकनाथ चौधरी जी, आप इतने अधीर मत होइये। मैंने आपके प्रश्नों को भी नोट कर लिया है।

हम हथियारों की प्रकृति के बारे में नहीं बता सकते। परन्तु मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि स्थिति से निपटने के लिए सेना और पुलिस अच्छी तरह तैयार हैं। ऐसे मामलों में सभी 'उल्फा' कार्यकर्ताओं को पकड़ना कठिन है। यह सम्भव नहीं है। परन्तु मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि सेना और पुलिस द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी कि अलगाववादी तत्वों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए तथा जितनी जल्दी हो सके हालातों को सामान्य बनाए जायें।

जहां तक अनुवर्ती कार्यवाही का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार असम की स्थिति की नियमित समीक्षा करती है लोकनाथ जी लगातार पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन कब तक जारी रहेगा। वास्तव में एक सज्जन यह आश्वासन चाहते थे कि चुनाव मार्च के अन्तिम सप्ताह अथवा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कराये जायेंगे। मैं समझता हूं कि यह भविष्यवाणी करने के लिए, कि हालात कब सामान्य होंगे, ज्योतिष की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि जैसे ही हालात सामान्य

होंगे, केन्द्रीय सरकार चुनाव कराएगी। केन्द्र का असम में दखल देने का कोई विचार नहीं है। राजनैतिक दल के रूप में जनता दल (समाजवादी) का असम में दखल देने का कोई विचार नहीं है। आप प्रतिवाद कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जोगेन्द्र सिंह मक्कासर : आपको तो अपनी हुकूमत का ही पता नहीं है कि कब तक चलेगी।

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय : मैं जानना चाहता हूं कि असम में चुनाव संसद के चुनाव से पहले होंगे अथवा उसके बाद होंगे। (व्यवधान)

श्री कमल मोरारका : यदि हम राज्यपाल के विचार के अनुसार कार्य करें जिसके अनुसार हालात ऐसे थे कि राष्ट्रपति शासन लागू करना आवश्यक हो गया था···।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि उन्होंने यह प्रश्न आपसे पूछा है।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या आपका तात्पर्य असम की संसद से है ? क्या आपका तात्पर्य असम लोक सभा से है ? (व्यवधान)

श्री ए० के० राय : मैं जानना चाहता था कि असम में चुनाव संसद के चुनाव से पूर्व अथवा उसके पश्चात होंगे ?

श्री कमल मोरारका : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने दिमाग की बात कर रहे हैं। वे संघीय प्रणाली में विश्वास नहीं करते। मैं नहीं जानता कि एक राज्य के चुनाव का केन्द्रीय चुनाव से क्या लेना देना है। ये दोनों असम्बद्ध विषय हैं। मैं तो संघीय प्रणाली में विश्वास करने वाला हूं। क्या यह प्रश्न यहां संगत है ? कुछ भी हो, मैं समझता हूं कि अब एक ही मुद्दा रह गया है।

[हिन्दी]

श्री जोगेन्द्र सिंह मक्कासर : : आपको अपना पता नहीं है कि कब तक रहेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : ये तो राज्य सभा में हैं।

[अनुवाद]

श्री कमल मोरारका : यह मेरे ही राज्य से आए हैं। उन्हें मेरे बारे में कहने की स्वतन्त्रता है। उन्होंने मुझे राज्य सभा में पहुंचाया है। मैं उनका आभारी हूं। (व्यवधान)

मैं केवल यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि चर्चा में हिस्सा लेने वाले अधिकांश सदस्यों ने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का समर्थन किया है यद्यपि उनमें से कुछ समय के बारे में सहमत नहीं हैं और कुछ सदस्य महसूस करते हैं कि इससे बचा जा सकता था, चुनाव कराये जाने चाहिए थे। मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि यह सरकार चुनावों को बेमियाद अनिश्चित

काल के लिए स्थगित करने में विश्वास नहीं करती क्योंकि उससे स्थिति में किसी तरह सुधार नहीं होगा। यह मेरे विचार अथवा अन्य किसी के विचार का प्रश्न नहीं है। चुनाव तो कराने ही है, ये जितने जल्दी हों उतना ही अच्छा है। इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि चुनाव कराने के लिए हालात जनवरी, फरवरी अथवा मार्च में उपयुक्त होंगे। परन्तु अपनी बात पूरी करने से पूर्व मैं दो बातें कहना चाहता हूं।

महोदय, श्री संतोष मोहन देव ने एक टिप्पणी की थी कि राज्यपाल और उसके सलाहकार कह रहे हैं कि 'उल्फा', असम गण परिषद और अखिल असम छात्र संघ के बीच सम्बन्ध के बारे में कोई सबूत नहीं है। क्या मेरी बात सही है ? मैं नहीं जानता कि उन्होंने वह जानकारी कहां से प्राप्त की है क्योंकि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही हमने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की है और रिपोर्ट में कहा गया है कि 'उल्फा', असम गण परिषद और अखिल असम छात्र संघ के बीच जो अन्तर था उसे समाप्त कर दिया गया है। इसी आधार पर हमने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि राज्यपाल के बारे में कोई टिप्पणी करना सही नहीं है क्योंकि स्वयं राज्यपाल ने यह महसूस किया है कि ये असम गण परिषद के कार्यकर्ता और अखिल असम छात्र संघ के छात्र ही हैं जो आपस में मिल गये हैं और उनमें कोई अन्तर करना सम्भव नहीं है।

महोदय, असम गण परिषद के बारे में टिप्पणियां की गई हैं। मैं केवल एक टिप्पणी करना चाहता हूं। पिछली सरकार के बारे में कम से कम यह नहीं कहा जा सकता कि उसका रवैया असम गण परिषद के प्रति प्रतिकूल था। असम गण परिषद तो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का एक हिस्सा थी। केन्द्र में उनका एक मन्त्री था। स्थिति से कैसे निपटा जाए इसके लिए पिछली सरकार ने असम को कुछ निर्देश जारी किये थे। असम सरकार कुछ निर्देशों से सहमत हो गयी थी और फिर भी उन्होंने उन्हें कार्यान्वित नहीं किया है। जैसाकि मेरे साथी श्री चित्त बसु ने कहा है, हमने ये निर्देश उन्हें सबक सिखाने के लिए नहीं भेजे हैं। इन्हें श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने भेजा था जिसके साथ उनके सम्बन्ध अच्छे थे।

श्री चित्त बसु : प्रधानमन्त्री ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे और उन सुझावों को लागू नहीं किया गया। अतः, राष्ट्रपति शासन लागू करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। मेरा कहने का आशय यह था कि पिछली सरकार गलत भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने संवैधानिक उपबंधों के अधीन, अनुच्छेद 256 के अधीन निर्देश जारी नहीं किए थे।

श्री कमल मोरारका : संवैधानिक प्रावधान के बारे में मुझे जानकारी मिल गई है लेकिन तथ्य यही है कि कानून और व्यवस्था एक राज्य विषय है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है। साथ ही केन्द्रीय सरकार का भी यह कर्त्तव्य है कि वह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। केन्द्रीय सरकार के निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। जब केन्द्रीय सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि हमने जो किया है उसके अलावा कोई दूसरा उपचार नहीं था। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है तो वहां हमारा किसी तरह का हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं होता। साथ ही, राज्य सरकार को दिए गए कर्त्तव्यों के अनुसार देश की एकता और अखंडता को बनाये रखना भी उनका कर्त्तव्य है। सभी बातों को देखने के पश्चात् मेरा यह निष्पक्ष मत है कि

केन्द्रीय सरकार स्थिति के अनुसार अपने उत्तरदायित्व के वहन से मुंह नहीं मोड़ेगी। इन शब्दों के साथ, मैं सदस्यों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं तथा सभा से इस संकल्प का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। (व्यवधान)

श्री शिकिहो सेमा : मैं माननीय मंत्री महोदय से नागा छात्र संघ के नागालैंड युवा मुक्ति मोर्चा नामक आतंकवादी संगठन के साथ सम्बन्ध होने के बारे में केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा दी गई टिप्पणी के संबंध में जानना चाहता हूं। लेकिन नागा छात्र संघ ने इसका खंडन किया है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री कमल मोरारका : माननीय सदस्य को यह जानना चाहिए कि जब ऐसे आन्दोलन शुरू होते हैं, जब ऐसे संगठन अस्तित्व में आते हैं तो उनके संबंध में टिप्पणी करने या चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने से समस्या का समाधान नहीं होता। गृह मंत्रालय इस मामले पर विचार कर रहा है। गृह मंत्रालय में इन मामलों की निष्पक्ष समीक्षा की जाती है। जो भी किया जाएगा, जहां तक संभव होगा राज्य सरकार पर कम से कम दबाव डाला जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री यह कहना चाहेंगे कि इन मांगों को सभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : श्री संतोष मोहन देव ने सिलचर तथा ब्रह्मपुत्र घाटी में विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा एल०आई०आई०टी० और एक तेल शोधक कारखाना लगाये जाने के संबंध में कुछ आर्थिक मुद्दे उठाये हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री कमल मोरारका : श्री संतोष मोहन देव ने तेल शोधक कारखाना, आई०आई०टी० और विश्वविद्यालय तथा अन्य योजनाओं की बात कही है। इन सभी योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। तेल शोधक कारखाने को अगली योजना में शामिल किया जा रहा है। आई०आई०टी० के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं करायी गई। एक अन्य दल वहां स्थल चुनाव के लिए गया है। विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जा रही है। आने वाले सप्ताहों में हमारा यह प्रयास रहेगा कि असम परियोजनाओं का उच्चतम प्राथमिकता दी जाये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्रमांक छत्तीस और सैंतीस पर अंकित मुद्दों को एक साथ लिया गया था। अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में किसी ने कुछ नहीं कहा। मंत्री जी, आपका केवल इतना कहना ही काफी है कि इसे पारित किया जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड्स आप जो 32 करोड़ 85 करोड़ लाख की प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके बारे में मुझे कुछ कहना है और मैंने इस पर बोलने के लिए अपना नाम दिया हुआ है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम क्रमांक छत्तीस और सैंतीस नम्बर पर एक साथ चर्चा कर रहे हैं। आप सामान्य मांगों के सम्बन्ध में बोल सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि आप चाहते हैं कि इस मांग को पारित किया जाये।

अब मैं संवैधानिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा असम राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 350 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 27 नवम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं, 1990-91 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगो (असम) के बारे में पेश किये गए सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा, बशर्ते कि कोई सदस्य अपने किसी कटौती प्रस्ताव को पृथक रूप से रखने की इच्छा व्यक्त न करें।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं वर्ष 1990-91 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (असम) को मतदान के लिए नहीं रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ में दिखाई गई मांग संख्या 6, 10, 11, 14, 17, 20, 26, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 39, और 58 के मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां असम राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

8.56 म० प०

उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय : जैसाकि सभा को मालूम है आज लगभग 11.45 बजे एक दर्शक जिसने अपना नाम उमेश चौधरी पुत्र श्री दयाराम चौधरी बताया, ने दर्शक दीर्घा से नारे लगाए। सुरक्षा निदेशक ने उसे तत्काल हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। दर्शक ने एक बयान दिया है और अपने इस कार्य के लिए क्षमा मांगी।

मैं इसे ऐसी कार्यवाही करने के लिए सभा के ध्यान में लाता हूं जो वह उचित समझे।

दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति द्वारा सभा की अवमानना किए जाने के बारे में प्रस्ताव

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको उमेश चौधरी पुत्र श्री दयाराम चौधरी बताने वाले व्यक्ति ने, जिसने आज लगभग 11.45 बजे दर्शक दीर्घा से नारे लगाये और जिसे सुरक्षा निदेशक ने तत्काल हिरासत में ले लिया, एक गम्भीर अपराध किया है और वह सभा की अवमानना का दोषी है।

यह सभा यह संकल्प भी करती है कि उसे आज सभा के उठने पर कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको उमेश चौधरी पुत्र श्री दयाराम चौधरी बताने वाले व्यक्ति ने, जिसने आज लगभग 11.45 बजे दर्शक दीर्घा से नारे लगाये औरजिसे सुरक्षा निदेशक ने तत्काल हिरासत में ले लिया, एक गम्भीर अपराध किया है और वह सभा की अवमानना का दोषी है। यह सभा यह संकल्प भी करती है कि उसे आज सभा के उठने पर कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8.57 म० प०

उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा

दर्शक दीर्घा से सभा में छलांग लगाने वाले व्यक्तियों के बारे में

श्री ए० के० राव (चलवाद) : महोदय, हम जानना चाहते हैं कि उस व्यक्ति का क्या हुआ जो दर्शक दीर्घा से गिर गया था अथवा जिसने छलांग लगा दी थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस संबंध में एक घोषणा कर रहा हूं।

जैसाकि सभा को ज्ञात है, बड़ी प्रसाद, पुत्र श्री रामकिशन सेठ नाम का एक व्यक्ति कल सभा में दर्शक दीर्घा से गिर गया था। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। वह अभी भी अस्पष्ट बोल रहा है और ऐसा बताया गया है कि वह कोई बयान देने की स्थिति में नहीं है।

आज लगभग 11.50 बजे पुष्पेन्द्र चौहान पुत्र श्री धर्मपाल सिंह चौहान नाम के एक अन्य दर्शक ने सभा में दर्शक दीर्घा से छलांग लगा दी थी। सुरक्षा निदेशक ने उसे तत्काल हिरासत में ले लिया। उसे अस्पताल ले जाया गया और ऐसा बताया जाता है कि वह अभी कोई बयान देने की स्थिति में नहीं है।

इस मामले में और आगे कार्यवाही के बारे में विचार केवल तभी किया जा सकता है जब ये व्यक्ति बयान देने की स्थिति में हों और पूछताछ का काम पूरा हो जाए।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दर्शक दीर्घा से सभाकक्ष में छलांग लगाने वाले इन दो व्यक्तियों की घटनाएं अभूतपूर्व हैं और लगातार दो दिन हुई हैं, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे केवल उन्हीं व्यक्तियों के बारे में दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र के लिए आवेदन करें जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानते हों ताकि ऐसी घटनायें फिर से न हों।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार धूमल (हमीरपुर) : इसमें मैं सुझाव देना चाहूंगा कि बैरीकेड को ऊंचा किया जाये ताकि ऊपर से कोई कूद न सके।

8.58 ½ म० प०

असम विनियोग विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए।

* * *

श्री यशवंत सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

9.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कति और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

---

* दिनांक 10-1-91 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड 2 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

***राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अब, श्री संतोष मोहन देव ।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मुझे खुशी है कि यद्यपि विलम्ब से और अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी माननीय प्रधानमन्त्री, जो देश के गृह मंत्री भी हैं, यहां उपस्थित हैं। कमोबेश, सम्पूर्ण सभा ने राष्ट्रपति शासन को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी है और उस पर विचार भी किया है ।

उन्होंने वर्तमान बजरंग आपरेशन के बारे में एक बात कही है। यह अच्छा है और इसकी आवश्यकता है। परन्तु इसके साथ-साथ असम के विकास कार्यों को कुछ गति दी जानी चाहिए, क्योंकि 11 वर्ष—6 वर्ष आंदोलन में और 5 वर्ष कुशासन में व्यर्थ चले गए हैं। इस तथ्य के बावजूद कि केन्द्रीय सरकार ने बड़ी-बड़ी धनराशियां प्रदान की, विकास कार्य कमोबेश ठप्प पड़े हैं और विकास कार्य संबंधी धनराशि का काफी बड़ा भाग चोरी-छिपे उल्फा के हाथों में चला गया है जिसकी सरकार को जानकारी है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मुझे खुशी है कि जब पिछली बार असम के राज्यपाल और सलाहकार यहां आए थे तो प्रधान मन्त्री ने उनके साथ बैठक की थी। उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए थे कि उन सभी परियोजनाओं को, जो लागू की जा रहीं हैं, रोका न जाए और उन्हें उचित महत्व दिया जाए और सभी परियोजनाओं को पूरा किया जाए। उसके लिए मैं आभारी हूं। मुझे यह भी पता चला है कि प्रधान मन्त्री के कहने पर 100 करोड़ रुपए की विशेष मंजूरी प्रदान की गई है। इसके उपरांत भी असम की स्थिति बहुत खराब है। घाठी में, जहां से मैं आया हूं, कम से कम-कम सौ छोटे पुल ठीक अवस्था में नहीं हैं; सड़कें बहुत खराब हैं; नगर और गांव की हालत भी खस्ता है। अत: मैं माननीय प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि विकास कार्य के बारे में असम के राज्यपाल से जो भी उचित मांग आती है उस पर यथोचित रूप से विचार किया जाना चाहिए। उल्फा का आंदोलन और उसकी गतिविधियां वहां की सरकार के निकम्मेपन का कारण है। इसलिए मैं माननीय प्रधान मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात का विशेष ध्यान रखें कि विकास कार्य भी साथ-साथ चले ताकि लोग यह अनुभव कर सकें कि न केवल वहां सैनिक कार्रवाई की जा रही है बल्कि भारत सरकार वहां के आर्थिक विकास का भी ध्यान रख रही है।

अंत में, मैं बस एक बात और कहना चाहूंगा। यहां से एक गलत संदेश जाता है। जब कभी भी आंदोलन होता है आप मांगें मान लेते हैं और जब कोई आंदोलन नहीं होता है तो आप मांगें नहीं मानते हैं। जिस बराक घाटी से मैं आया हूं उसे श्रीमती इन्दिरा गांधी शांति का द्वीप कहा करती थीं। विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया; सरकार और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए बजट में 75 करोड़ रुपए उपलब्ध किए गए। परन्तु अब केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और असम के उपराज्यपाल कहते हैं कि वे धन के अभाव में विश्वविद्यालय में कार्य आरम्भ नहीं कर सके हैं। श्री असम मोरारका को ज्ञात है कि प्रधान मन्त्री के कार्यालय द्वारा जारी एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये सभी परियोजनाएं आरक्षित हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारा क्षेत्र बहुत शांति-प्रिय है; हमने कभी भी किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया; हमने राष्ट्रीय मुख्य धारा में रहने का निर्णय किया है। इसलिए मेरा प्रधानमन्त्री से यह अनुरोध है कि वह इस विशेष समस्या पर गौर करें।

प्रधानमन्त्री (श्री चन्द्र शेखर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा को तथा माननीय सदस्य श्री संतोष मोहन देव को यह सूचित करना चाहता हूं कि केवल पिछले ही सप्ताह मेरी असम के राज्यपाल के साथ बैठक हुई है जिसमें असम तथा भारत सरकार के अधिकारी उपस्थित थे : हमने यह

[श्री चन्द्र शेखर]

घोषणा किया है कि उन सभी योजनाओं को जो स्वीकृत हो चुकी हैं कार्यान्वित किया जाना चाहिए। बरक विश्वविद्यालय के बारे में मैंने कहा कि कार्य तुरन्त होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समस्याएं हैं; कुछ योजनाओं की घोषणा परियोजना का ब्यौरा जाने बगैर ही कर दी गई। स्थल का पता ही नहीं है तथा समस्या है तथा सरकार एक क्षण में सब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अन्य विश्वविद्यालय के बारे में कुछ विवाद है कि इसे गुवाहाटी या दिसपुर या किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जाए क्योंकि पैसे के अभाव कारण हम किसी भी योजना को नहीं रोक रहे। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन केवल इसलिए लागू किया गया क्योंकि उस राज्य में विकासात्मक कार्य बिल्कुल ठप्प हो गया था तथा उस शासन का उद्देश्य तथा लक्ष्य यह था कि हम वहां विकासात्मक कार्य पूरे जोर-शोर से करें ताकि असम के लोग यह न महसूस करें कि उनकी उपेक्षा की जा रही है क्योंकि यह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। यह देखना हमारी जिम्मेदारी है तथा हमारा कर्तव्य है कि उन्हें भी देश के अन्य भागों के बराबर लाया जाए। मैं यह जानता हूं कि पुलों और सड़कों की हालत खराब है। यह पैसे की कमी के कारण नहीं है बल्कि पैसे के दुरुपयोग के कारण भी है। सड़कों तथा पुलों के लिए आपको कम पैसे नहीं मिले हैं। दिमाग में यह नहीं रहना चाहिए कि पैसे के आवंटन में असम के साथ मतभेद बरता गया है। पैसा आवंटित कर दिया गया है। यदि इसका इस्तेमाल सही रूप में न किया जाए तो यह देखना मेरे माननीय मित्र की जिम्मेदारी होगी कि सरकार अधिक उचित रूप में व्यवहार को तथा उन्हें आवंटित किए गए पैसे का सही प्रयोग करे। इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन देता हूं कि असम के विकास के लिए हम हर सम्भव प्रयास करेंगे, केवल असम के लिए ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़े सभी क्षेत्रों के लिए तथा असम हमारी प्राथमिकता सूची में है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 1 में कोई संशोधन नहीं है इसलिए खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गए।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

9.07 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा वर्ष 1990-91 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान करेगी जिसके लिए दो घण्टे का समय आवंटित किया गया है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 1, 2, 6, 7, 23, 26, 38, 42, 44, 47, 58, 61 68, 69, 71, 72, 79, 82 और 86 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1990-91 के लिए
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि	1,00,000	—
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	2,00,000	—
नागर विमानन मन्त्रालय			
6.	नागर विमानन मन्त्रालय	1,00,000	—

1	2	3
वाणिज्य मन्त्रालय		
7. *वाणिज्य विभाग*	*300,00,00,000*	—
विदेश मन्त्रालय		
23. विदेश कार्य मन्त्रालय	1,00,000	21,96,00,000
वित्त मन्त्रालय		
26. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	—	400,00,00,000
खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय		
38. नागरिक पूर्ति विभाग	—	3,85,00,000
गृह मन्त्रालय		
42. गृह मन्त्रालय	1,00,000	—
44. पुलिस	100,00,00,000	50,00,00,000
मानव संसाधन विकास मन्त्रालय		
47. शिक्षा विभाग	1,00,000	—
संसदीय कार्य मन्त्रालय		
58. संसदीय कार्य मन्त्रालय	23,00,000	—
पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय		
61. रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	—	1,00,00,000
इस्पात और खान मन्त्रालय		
68. इस्पात विभाग	—	185,32,00,000
69. खान विभाग	—	61,38,00,000
जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय		
71. सड़कें	—	1,00,000
72. पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	—	18,00,00,000

1	2	3
कल्याण मन्त्रालय		
79. कल्याण मन्त्रालय	3,00,000	—
इलेक्ट्रानिकी विभाग		
82. इलेक्ट्रानिकी विभाग	1,00,000	27,00,000
संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
86. राज्य सभा	87,00,000	—
जोड़	401,21,00,000	741,79,00,000

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो, 15 मिनट के भीतर सभा-पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र ही सूचना-पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा-पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस सप्लीमेंटरी डिमाण्ड को हम लोग पास पास करने जा रहे हैं, मैं इसमें विशेष रूप से आसाम के बारे में दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। आसाम का अपना एक महत्व है, इसको भी उसके साथ जोड़ लीजिये तो यह जनरल में आ जायेगा। इसमें दो बातें मैं कहना चाहता हूं, विशेष रूप से आसाम हमारे तीन देशों के साथ उनकी सीमाओं से मिला हुआ है। आसाम का महत्व अपने में एक विशेष प्रकार का है। बंगला देश से उसकी सीमायें मिलती हैं बर्मा और चीन से भी मिलती हैं। ऐसा महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण सीमाओं की रक्षा की दृष्टि से अपना उसका एक विशेष महत्व है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं आप ऐसे नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, अब हम असम पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जनरल डिमाण्ड के साथ ये भी आ जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी डिमांड पर ऐसे नहीं बोलते हैं, सिर्फ डिमांड्स पर ही बोलते हैं । ऐसे सब कुछ आप नहीं बोल सकते हैं ।

[अनुवाद]

अत: आप कृपया अनुपूरक मांगों पर ही बोलें ।

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सुरक्षा की दृष्टि से हम इस बजट में इस बात का भी ध्यान रखें, जो सीमा प्रांत हैं उन सीमा प्रांतों की दृष्टि से उन्हें विशेष फण्ड अलाट करें, इसमें चाहे राजस्थान, असम या पंजाब हो । क्योंकि हमारे देश में लगातार पिछले कुछ वर्षों से विदेशियों का बराबर घुसपैठ चलता आ रहा है और हम उनको ठीक प्रकार से रोक नहीं पा रहे हैं । उसके लिये बाड़ लगाने की दृष्टि से कई वर्षों से स्वीकार कर रखा है, लेकिन आज भी राजस्थान की इतनी लम्बी-चौड़ी सीमा पाकिस्तान से मिलती है, उसके लिए हमें विशेष फण्ड अलाट करना चाहिए । इतना हम उसके लिए कर नहीं पाये । इस देश में बजट की जो मात्रा है वह कम नहीं है, लेकिन उसका उपयोग ठीक प्रकार से नहीं होता है दुर्भाग्य यह है कि इस देश का जितना पैसा खजाने से निकलता है वह नीचे तक पहुंचते पहुंचते सौ रुपये में से दस रुपये भी खर्च नहीं होता । हमको इस इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो अलाटमेंट सरकार द्वारा किया जाता है, उसका उपयोग ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं । क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार पैसे का अलाटमेंट करती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको टोक रहा हूं । सप्लीमेंट्री डिमांड्स के समय सिर्फ डिमांड्स पर ही हम लोग बोलते हैं, जनरल प्रिंसीपल्स पर या जनरल पालिसी पर नहीं बोलते हैं । इसमें स्कोप बहुत लिमिटेड है और रूल्स में भी यही है । आपको जो कुछ कहना है बहुत शार्ट में कहिए ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं शार्ट में ही कहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, जब बजट का अलाटमेंट करते हैं तो हमको यह भी देखना चाहिए कि उसका उपयोग सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी मानेटरिंग सही तरीके से होनी चाहिए । आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने कम से कम 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है, लेकिन आज भी उस क्षेत्र के निवासी लाभान्वित नहीं हुए हैं, वहां के निवासियों की आय में वृद्धि नहीं हुई है । जब पैसा सरकार के खजाने से निकलकर उस क्षेत्र के विकास के लिए जाता है तो हमारा फर्ज है कि उसकी मानेटरिंग भी करें । हमें यह देखना चाहिए कि जितना पैसा भेजा गया है, उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं । हमको यह भी देखना चाहिए कि धन किस क्षेत्र में लगाना है, किस क्षेत्र में किस चीज की कमी है, किस चीज की वहां पर आवश्यकता है, उस चीज पर धन खर्च किया जाना चाहिए । जिस तरह से राजस्थान में पिछड़े क्षेत्रों में सड़कों की कमी है, बहुत से क्षेत्र सड़की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इसलिए वहां पर सड़कों के लिए पैसे का अलाटमेंट होना चाहिए । हालांकि राज्य सरकार भी खर्च करती है, लेकिन फिर भी पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण इन क्षेत्रों के लिए विशेष तौर पर अलाटमेंट करना चाहिए । अगर पूरी तरह से इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जिस तरह से आसाम की समस्या बढ़ी है, उसी तरह से इन आदिवासी क्षेत्रों में भी बढ़ सकती है । क्योंकि इन लोगों की आमदनी इतनी कम है कि अगर कोई उनके मन में इस तरह के

भाव पैदा करने की कोशिश करे तो आसानी से उनके अन्दर अलगाव की भावना पैदा हो सकती है। इसके लिए हमको पहले से ही सावधान रहना चाहिए और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए किसी आदिवासी विकास परिषद की स्थापना करनी चाहिए, उसको संवैधानिक अधिकार देने चाहिए। वह परिषद आदिवासी क्षेत्रों के काम काज को ठीक तरह से देखे, ठीक प्रकार से वहां पर व्यवस्था करे, मैनेज करे और अलाट किए गए पैसे का उपयोग सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं, शिक्षा का विकास ठीक से हो रहा है या नहीं, समाज कल्याण पर ठीक तरह से काम हो रहा है या नहीं, इन सब बातों को वह देखें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जितना पैसा आज अलाट किया जाता है, वह कम नहीं है। मेरी मान्यता है कि उसी पैसे से दुगुना और चौगुना विकास किया जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से वह नहीं हो पा रहा है। आज हमारी मशीनरी पर सारा पैसा खर्च हो जाता है। सिर्फ वेतन देने में ही 33 से 40 प्रतिशत धन व्यय हो जाता है तो विकास कहां से होगा। अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती करनी चाहिए। यदि इन साधनों में कटौती की जाए तो हमारे सामने पैट्रोल और डीजल का संकट ही न खड़ा हो। लेकिन हमने एक तरह से पैटर्न तय कर लिया है कि हर अधिकारी के पास गाड़ी होनी चाहिए, टेलीफोन होना चाहिए, एस०टी०डी० होनी चाहिए भले ही घर वाले उसका उपयोग करें, लेकिन लाखों रुपए का बिल सरकार को चुकाना पड़े। इन चीजों पर वास्तव में हमको कन्ट्रोल करना चाहिए। आज इस गरीब मुल्क में एक तरफ तो आदमी को रोटी नसीब नहीं है और दूसरी तरफ हम सरकारी मशीनरी पर इस तरह से धन लुटा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जनरल बजट से आगे जनरल पालिसी पर जा रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, बस मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। मेरी केवल इतनी ही प्रार्थना है कि हम पैसे का अलटमेंट करते समय यह अवश्य देखें कि उस धन का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, जनता को उस पैसे से लाभ मिल रहा है या नहीं। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पुस्तिका में सम्मिलित वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे समूह में 22 अनुदान हैं। इनके लिए 648.95 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकद धनराशि खर्च होगी। अनुदानों की इन अनुपूरक मांगों से घाटे में वृद्धि होगी। पहले ही, चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त कराधान से हम 8,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इस देश में 8,000 करोड़ रुपए के कराधान का भारी बोझ पहले कभी नहीं पड़ा। देश में पहली बार ऐसा हुआ है।

जहां तक वर्तमान वित्त मंत्री तथा प्रधानमन्त्री का सम्बन्ध है तो सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि वे लोग ढोंगी नहीं हैं अपितु वे लोग स्पष्टवादी हैं। जब पिछली सरकार, श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह के नेतृत्व में सत्ता में थी और प्रो० मधु दण्डवते तत्कालीन सरकार में वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें विरासत में खाली खजाना मिला, और वस्तुतः राजकोष खाली होने के कारण हम लोग दिवालिया हो गये हैं। जब आप विभिन्न मंत्रालयों – कृषि, नागर विमानन, वाणिज्य, विदेश, वित्त खाद्य और नागरिक पूर्ति, गृह, मानव संसाधन विकास, संसदीय कार्य, पेट्रोलियम और रसायन, इस्पात और खान, जल-भूतल परिवहन, इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, संसद के सचिवालय, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा

[श्री जनार्दन पुजारी]

अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या होगा ? योजना आयोग के पूर्व सदस्य भी वैद्यनाथन ने सरकार को यह कहते हुए लिखा है कि—

आप यहां वक्तव्य देकर इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं—यदि इसी ढंग से व्यर्थ का गैर-योजना गत व्यय जारी रहा तो आठवीं योजना के लिए धन की व्यवस्था नहीं की जा सकती तथा गैर-योजनागत व्यय बढ़ रहा है और आपके वक्तव्य से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम इसे नहीं रोक सकते। आपके पूर्ववर्ती ने भी कहा है कि चालू वर्ष की पहली तिमाही में उन्होंने घाटे को कम किया है। कैसे ? गत वर्ष उन्होंने राज्यों को करों के अग्रिम भुगतान के बारे में कहा था। मैं पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से अपने विद्वान दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जहां तक राज्यों का संबंध है, श्रीमान दण्डवते जी ने एक शरारत की थी।

कांग्रेस सरकार ने 1000 करोड़ रुपये तक करों के अंश का अन्तिम भुगतान किया। उन्होंने यह कहकर देश को बेवकूफ बनाया है कि उन्होंने घाटे को कम कर दिया था; उनकी सरकार ने घाटे में कमी कर दी थी।

दंडवते जी ने यह वक्तव्य भी गलत दिया था। वर्ष की समाप्ति पर पूर्व वित्त मंत्री श्री दंडवते जी ने बड़ी होशियारी से सभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगें नहीं रखीं। यह उन्होंने हमें बेवकूफ बनाने के लिए किया।

दुर्भाग्यवश, आपको यह उत्तराधिकार में मिला है। आपको अनुपूरक बजट पेश करना होगा। आपने निर्यात पर राजसहायता दी है और आपको पिछड़े क्षेत्रों को भी राजसहायता देनी है। यह तो खर्च करना ही होगा। यह अधिक भी होगा। आपको हमें बताना होगा कि स्थिति क्या है ? आपको अधिक व्यय करना होगा।

इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी होगी ? मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप ज्यादा उत्पादन करें और आप केवल उन्हीं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आयें जहां आप अधिक उत्पाद कर सकते हैं। जहां तक भुगतान संतुलन का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट सहायता की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक तेल कम्पनियों का सम्बन्ध है, उन्होंने मूल्य बढ़ाकर अपना इन्तजाम कर लिया है। अब तो आपको केवल विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी होगी।

यह कोई रुपए के भुगतान की बात नहीं है। वहां भी आपको अति सावधान रहना पड़ेगा तथा बहुत ही सावधानी से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पूर्व वित्त मन्त्री ने बहुत ही निराशा की भाषा बोली। इसने केवल यहां के लोगों के दिमाग में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी डर उत्पन्न कर दिया। माननीय वित्त मन्त्री जी आपको स्थिति का पता है। इसके लिए आप विदेशी मुद्रा लेना चाहते हैं; आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी धन लेना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी मुझे आपको यह बता देना चाहिए कि मैंने श्री कटारिया को इस सारे विस्तार में जाने की अनुमति नहीं दी, तथा यह मेरे लिए गलत होगा यदि मैं आपको उचित बात कहने से अधिक इस सारे विस्तार में जाने की अनुमति दूं। कृपया अपना निवेदन केवल अनुपूरक मांगों तक ही सीमित रखिए।

श्री जनार्दन पुजारी : जब अनुपूरक मांगों पर चर्चा की जाती है तो उस समय हमें वित्त मन्त्री को कुछ सुझाव देने होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ अनुभव है। कृपया इसे लिख कर भी दीजिए तथा वे सभा के बाहर भी आपके सुझाव सुनेंगे के। प्रति विनम्र होंगे। मुझे बहुत सा कार्य करना है। दो या तीन अन्य विधेयक हैं जिन्हें पारित किया जाना है।

श्री जनार्दन पुजारी : वित्त मन्त्री जी के विचार अति स्पष्ट हैं। हमारे एक ऐसे प्रधान मन्त्री हैं जिनकी दूरदृष्टि भी स्पष्ट है। अब तक आपके द्वारा किए गए उपाए सकारात्मक हैं। यदि आप निर्धारित मार्ग से हटते हैं तो स्वभावत: हम आपकी आलोचना भी करेंगे। हमें आपकी कठिनाइयों की जानकारी है। आप कड़े निर्णय ले रहे हैं आप अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं रहे हैं। मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं। मैं आपकी निडरता की प्रशंसा करता हूं। आप दुष्कर तरीका अपनाते हैं, साथ ही आप यह भी देखते हैं कि आपके द्वारा किए गए सभी उपायों का लाभ गरीब से गरीब लोगों को मिले तथा आप उनके आंसू भी पोंछते हैं। केवल तभी देश आपका कृतज्ञ होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : मैं इस सभा के सामने रखी गई अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं। हम एक बहुत ही गम्भीर स्थिति से गुजर रहे हैं। इसीलिए किसी भी अवांछनीय वृद्धि से मुद्रा-स्फीति और बढ़ेगी। पहले ही आम लोग ऊंची महंगाई के कारण कराह रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, चावल, खाद्य तेल, प्याज, आलू की कीमतें बढ़ रही हैं तथा मैंने एक दैनिक समाचार पत्र में पढ़ा है कि बम्बई में प्याज 22 रुपये किलो बिक रही है तथा आलू 20 रुपए किलो बिक रहा है। इसीलिए आम जनता महंगाई की मार से तड़प रही है तथा उन्हें यह नहीं मालूम कि किसे दोषी ठहराया जाए क्योंकि वे हमारे देश की सत्ता के दलालों से परिचित नहीं हैं तथा श्री जनार्दन पुजारी ने भूतपूर्व प्रधान मन्त्री तथा भूतपूर्व वित्त मन्त्री को दोषी ठहराया है। परन्तु सच यह है कि पिछले दस वर्षों में सरकार ने सकल घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया है तथा इसीलिए हमारी यह दयनीय स्थिति हो गई है। इस समय देश पर एक लाख करोड़ रुपये का विदेशी कर्ज है तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 30% इस विदेशी कर्ज को चुकाने में खर्च हो जाता है। आन्तरिक कर्ज भी दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

विदेशी मुद्रा भण्डार भी बहुत कम रह गया है हमने ऐसा सुना है। कि केवल 2500 करोड़ रुपये बचा है जो केवल 20 दिन तक चल सकता है। इन सभी से ऊपर है खाद्यान्न अधिभार। इसलिए, संकट को दूर करने के लिए सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से सहायता मांगी है। परन्तु यह गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्ट करूंगा। यह अनुदान की मांग है। अब, मान लीजिए कोई जांच कराई गई और धन उपलब्ध नहीं कराया गया, अत: इसके लिए धन की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने आपसे धन के विषय और हमें यह कहना है कि जांच उचित प्रकार से की गई थी अथवा नहीं तथा हम पूरे ब्यौरों में नहीं जाते हैं।

डा० सुधीर राय : इसलिए, मैं कहता हूं कि जहां तक सम्भव हो धन की आपूर्ति में कमी की जानी चाहिए और सरकार को किसानों के लाभ के लिए एक कृषि नीति अपनानी चाहिए। किसान के लाभ के लिए कृषि नीति से तात्पर्य भूमि सुधारों को बिना विलम्ब के कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

[डा० सुधीम राय]

यदि भूमि सुधारों को कार्यान्वित किया जाता है तो किसान उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इस प्रकार उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसी प्रकार, श्रमिक के लाभ के लिए औद्योगिक नीति अर्थात प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित होनी चाहिए तथा धन आपूर्ति घटाकर कम से कम की जानी चाहिए और दैनिक उपयोग की वस्तुओं में वृद्धि की जानी चाहिए तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी कारगर होनी चाहिए। कारगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभाव में कीमतों में कमी नहीं की जा सकती। और केवल यही ही नहीं, इसके साथ ही साथ खाद्यान्नों की वसूली और भण्डारण पर उचित नजर रखी जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय बहुत सौभाग्यशाली हैं। प्रत्येक सदस्य ने उनकी मांगों का समर्थन किया है।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मुझे और कुछ नहीं कहना है। हमने कराधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान आर्थिक स्थिति पर सामान्य रूप से चर्चा की थी। सभी बातों पर चर्चा हो चुकी है, मुद्रास्फीति पर हमने अलग से चर्चा कर ली है। अतः मुझे किसी भी बात का उत्तर देना शेष नहीं है। अन्य सभी बातें पहले ही हो चुकी हैं।

मैं केवल सिफारिश करता हूं कि विधेयक को पारित कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि अन्य कोई अच्छी बातें होंगी तथा जहां तक सम्भव हो, आप उन पर निश्चय ही विचार करेंगे। अब मैं वर्ष 1990-91 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 1, 2, 6, 7, 23, 26, 38, 42, 44, 47, 58, 61 68, 69, 71, 72, 79, 82 और 86 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9.36 म० प०

विनियोग विधेयक*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विनियोग विधेयक पर चर्चा करेंगे। अब मंत्री महोदय विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए सभा की अनुमति का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1990-91

* दिनांक 10-1-1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने के वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव* करता हूं ।

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी । खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची में कोई संशोधन नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

9.38 म० प०

जम्मू-कश्मीर दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प
और
जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन (संशोधनकारी) विधेयक
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 43 से 45 पर एक साथ चर्चा करेगी जिसके लिए 2 घण्टे नियत किए गए हैं । हम इसे कम समय में समाप्त कर सकते हैं ।

सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुपूरक अनुदानों की मांगों (जम्मू-कश्मीर) सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो, 15 मिनट के भीतर सभा-पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं । केवल उन्हीं प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा ।

यदि आवश्यक हुआ तो इस प्रकार प्रस्तुत किए गये माने गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची तुरन्त सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी । यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो वह उसे अविलम्ब सभा-पटल अधिकारी के ध्यान में लाये ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कल भी सदन चलेगा, यदि ऐसे महत्वपूर्ण बिल को आप कल ले लेते तो उससे कुछ बिगड़ता नहीं है । (व्यवधान)

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर) : अरे भाई, कल तो इसे राज्य सभा में जाना है । कल वहां जायेगा । (व्यवधान)

श्री निरंजारी लाल भारंब : मैंने तो आपसे निवेदन किया है क्योंकि यह बिल महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह दूसरे हाउस में जाना है, इसलिए अगर डिफिकल्टी नहीं होती तो कल ले लेते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भारंब जी, यहां से प्राप्त होने के बाद यह विधेयक दूसरे हाउस में जाता है। इसीलिए इसको अभी ले रहे हैं अन्यथा कल ले लेते।

श्री निरंजारी लाल भारंब : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसके सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प दिया है कि यह सभा 17 दिसम्बर, 1990 को राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित जम्मू-कश्मीर दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1991 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करती है और इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करने और कुछ इसमें कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं। मैं, जैसी आपकी आज्ञा उसके अनुसार तीनों बातों को एक साथ ही लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अध्यादेश के मार्फत वहां पर इस प्रकार के कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो राज्यपाल महोदय को यह अध्यादेश वहीं निकालना चाहिए था। मैं इसका विरोध करता हूं। जम्मू-कश्मीर के कानून में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप और बातें लागू करवा रहे हैं, तो यह बात भी लागू करवा दीजिए कि अगर कोई वहां पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेगा, तो उसको भी सजा का प्रावधान होगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर सरकारी भवन पर, जो वहां पर है, उस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय भवनों पर वहां राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अगला निवेदन यह है कि वहां पर रह रहे सैनिकों को भूमि और भवन खरीदने की अनुमति होनी चाहिए जो प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएं। इसी प्रकार से उनके बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिलाये जाने की भी व्यवस्था की जाए। वहां पर पाकिस्तान से लगा हुआ जो हमारा सीमा-क्षेत्र है, वह लगभग 500 किलो मीटर का है, उसको सील किया जाए क्योंकि पाकिस्तान वहां पर अपने क्षेत्र में लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, जम्मू-कश्मीर में ट्रेनिंग दे रहा है। मेरे कहने का आशय यहां पर यह है कि छावनियों में ट्रेनिंग दी जा रही है जो हमारी ही भूमि पर बनी हुई हैं और हम उनको भी डिस्ट्राय नहीं कर पा रहे हैं, पाकिस्तान में जाकर उसने छावनियों को जहां ट्रेनिंग दी जा रही है, नष्ट करने की बात तो, बहुत दूर की है। जो हमारी भूमि पर ही छावनियां बनी हैं और हमारे ही लोगों को बहका और फुसलाकर, नौजवानों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको भी हम डिस्ट्राय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि

श्री गिरधारी लाल भार्गव]

सीमा को सील किया जाये। वहां पर रिटायर्ड सैनिकों की कालोनियां बसाकर, सीमा की सुरक्षा की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं जम्मू-कश्मीर के विस्थापित दिल्ली और जयपुर में काफी मात्रा में आ गए हैं। उनको भूतपूर्व सरकार ने प्रत्येक परिवार को 500 रुपए देने की घोषणा की थी और उनको रहने के लिए जगह, उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देने की व्यवस्था तथा बैंकों के खातों में जमा रकम को यहां स्थानांतरण करने तथा उनको बैंकों में नौकरी देने की बात कही थी। दिल्ली में तो लोग आए ही है, चूंकि मेरा क्षेत्र जयपुर है और वह दिल्ली के नजदीक है, कश्मीर से काफी तादाद में वहां भी लोग आए हैं। प्रधान मन्त्री महोदय यहां मेरे सामने सदन में बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अभी तक न तो प्रत्येक परिवार को 500 रुपए दिए गए हैं, और न उनको कहीं नौकरी दी गयी है, न उनको कहीं रहने की जगह दी गयी है, इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि जो वायदा उनसे पूर्व सरकार ने किया था, आखिर वे भी हमारे भाई हैं, वे भी हिन्दू हैं, वे वहां से बड़े कष्टों में निकलकर आये हैं, उनको सब प्रकार की सुविधायें दी जायें, उनको सुरक्षा दी जाए। जो वायदे उनके साथ किये गए हैं, उनको वर्तमान सरकार तुरन्त पूरा करे और ऐसा माहौल वहां पैदा करे जिससे वे लोग आपने घरों को वापस जा सकें। आखिर कब तक वे यहां रहेंगे? उनको अपने मूल निवास स्थान पर भेजने के लिए वहां उचित एवं सुरक्षित माहौल बनाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मेरा एक निवेदन यह भी कि वहां पर एक ऐसा कानून है जिसके कारण भारत का कोई भी व्यक्ति वहां जाकर अपने नाम से भूमि नहीं खरीद सकता है, वहां पर उसको नौकरी नहीं मिल सकती है जब कि जम्मू-कश्मीर इसी देश का एक अविभाज्य अंग है और वहां का कोई भी व्यक्ति सारे देश में कहीं भी जाकर अपने नाम से भूमि खरीद सकता है, वह कहीं भी नौकरी कर सकता है, लेकिन यहां का आदमी, यानी देश के किसी भी हिस्से का आदमी वहां ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। एक देश होते हुए, एक झण्डा होते हुए और एक प्रधान मंत्री तथा एक लोक सभा होते हुए भी इस सम्प्रभुता सम्पन्न देश में वह भाग ऐसा क्यों बना रखा है उसको सम्पूर्ण देश से अलग-थलग क्यों कर रखा है। इसलिए मेरी मांग है कि प्रधान मंत्री महोदय इसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल न बनायें और वहां पर लागू धारा 370 को तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाए, जिससे कि एक देश, एक विधान, एक झंडा और एक प्रधान मंत्री हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वहां पर आपको ठीक प्रकार से शांति व्यवस्था कायम करनी है, हिन्दू-मुसलमान को मिलकर एक रखना है, तो यह आवश्यक है कि वहां पर हिन्दुओं को काफी संख्या में बसाया जाये, ताकि केवल मुसलमानों का बाहुल्य न रहे और धारा 370 को समाप्त करने की मांग मैं फिर दोहरा रहा हूं। अन्तिम मेरा निवेदन है कि कश्मीर के बैंकों में, अन्य सरकारी कार्यालयों में आजकल काम ठप्प पड़ा हुआ है। यदि वैकल्पिक आधार पर उनके स्थान पर पूर्व सैनिकों को कार्य में लिया जाए, उनसे काम लिया जाए तो आतंक का जो वातावरण जम्मू-कश्मीर में छाया

हुआ है वह समाप्त होगा। मैं समझता हूं कि इसी के नाते राज्यपाल महोदय ने जो अध्यादेश निकाला है उसका मैं विरोध करता हूं और उसको जनमत जानने के हेतु प्रसारित इसलिए करता हूं कि उन्होंने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि इस समय के प्रधानमन्त्री निश्चित रूप से उन सारी बातों पर कश्मीर की समस्या को हल करने के नाते कुछ करेंगे। उन्होंने पहल की, अभी पंजाब के बारे में पहल की है, असम के बारे में कदम उठाए हैं, मैं समझता हूं ठीक प्रकार से बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं प्रधानमन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पहल करके मेरे सुझावों में जो सुझाव मान्य हों उनको मान्य करते हुए धारा 370, जो इस देश का अलग व्यवहार कर रही है, को समाप्त करेंगे और मेरे सुझावों पर विचार करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1983 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है। प्रस्तावित विधेयक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल द्वारा 17-12-1990 को प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान लेना। यह अध्यादेश 7-1-1991 को सभा पटल पर रखा गया था।

जम्मू और कश्मीर राज्य में लोक व्यवस्था और सद्भाव पर राज्य के कुछ संगठनों की निरंतर गतिविधियों के कारण भारी दबाव पड़ रहा था। उन्होंने सामान्य तौर पर आम जनता को और विशेषकर युवाओं को संघ से राज्य को पृथक करने के अपने अन्तिम लक्ष्य की पूर्ति के लिए हिंसा, वैर-भाव और अव्यवस्था के माध्यम से अशांति पैदा करने के लिए भड़काने का प्रयास किया है। इन संगठनों द्वारा पृथक क्षेत्र के लिए कड़ी अपील जारी किए जाने और कुछ संगठनों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में मजहबी विचारों पर बल देने और शिक्षा देने के परिणामस्वरूप ही राज्य में लोक व्यवस्था और भाई-चारे की स्थिति गंभीर रूप से गड़बड़ा गई है तथा वहां कानून और व्यवस्था की वर्तमान कठिन स्थिति के लिए काफी सीमा तक जिम्मेवार है।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने ऐसे आठ संगठनों को जम्मू-कश्मीर दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत गैर-कानूनी घोषित कर दिया है। राज्य सरकार ने विधि के अन्तर्गत आवश्यक एक अधिकरण का भी गठन किया और उसे राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की गई घोषणा को राज्य सरकार से उसे प्राप्त तिथि से छह मास की अवधि के भीतर उसकी पुष्टि करने या उसे रद्द करने का निर्णय करने और आदेश देने का कार्य सौंपा गया था। अधिकरण के लिए उपलब्ध सांविधिक समय 12-12-1990 को समाप्त हो गया। घाटी में अशांत स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिकरण निर्धारित अवधि के भीतर मामले पर कार्रवाई नहीं कर सका। इसलिए राज्य सरकार ने

[श्री यशवन्त सिन्हा]

सुझाव दिया कि अधिकरण का कार्यकाल बढ़ाने के लिए संगत सांविधिक उपबन्धों में संशोधन करके एक अध्यादेश जारी किया जाए।

चूंकि जम्मू-कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है और संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए राज्यपाल ने अधिकरण का कार्यकाल छह मास से बढ़ाकर 'एक वर्ष' करने, ताकि वह ऐसी उद्घोषणाओं के सम्बन्ध में अपना कार्य पूरा कर सके, के लिए 17 दिसम्बर, 1990 को जम्मू-कश्मीर दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1990 प्रख्यापित किया था।

अधिकरण द्वारा इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाना अभी शेष है और वर्तमान विधान का आशय है कि अधिकरण उसे सौंपी गई अधिसूचनाओं के बारे में छह मास की अतिरिक्त समयावधि में निर्णय ले सके।

प्रस्तावित विधान विचार तथा पारित किए जाने के लिए सभा के समक्ष प्रस्तुत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा 17 दिसम्बर, 1990 को राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित जम्मू-कश्मीर दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1991 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

"कि जम्मू-कश्मीर दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1983 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब अनुपूरक अनुदानों की मांगें—जम्मू और कश्मीर।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 1 से 7 और 9 से 27 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1990-91 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर)

मांग संख्या	मांग का नाम	लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	सामान्य विभाग	61,23,000	—
2.	गृह विभाग	17,28,46,000	—
3.	योजना विभाग	46,38,000	—
4.	सूचना विभाग	35,90,000	—
5.	अंतरंग कार्य विभाग	7,37,97,000	—
6.	विद्युत विकास विभाग	1,25,17,000	—
7.	शिक्षा विभाग	24,05,35,000	—
9.	संसदीय कार्य विभाग	8,44,000	—
10.	वित्त विभाग	21,78,000	—
11.	उद्योग और वाणिज्य विभाग	12,80,17,000	3,90,56,000
12.	कृषि और ग्रामीण विकास विभाग	3,14,27,000	1,10,46,000
13.	पशुपालन विभाग	3,24,93,000	—
14.	राजस्व विभाग	9,57,48,000	—
15.	खाद्य पूर्ति और परिवहन विभाग	99,33,000	—
16.	लोक निर्माण कार्य विभाग	1,88,69,000	10,65,00,000
17.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	8,89,29,000	—
18.	समाज कल्याण विभाग	5,74,21,000	—

1	2	3	
19.	आवास और शहरी विकास विभाग	8,88,000	3,51,82,000
20.	पर्यटन विभाग	13,46,000	—
21.	वन विभाग	1,17,85,000	—
22.	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण विभाग	1,00,34,000	—
23.	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग	2,47,38,000	—
24.	सम्पदा, आतिथ्य और प्रोतोकोल तथा बाग बगीचा और पार्क विभाग	18,74,000	—
25.	श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग	66,93,000	—
26.	मतस्य उद्योग और वन्य जीवन विभाग	36,95,000	—
27.	उच्च शिक्षा विभाग	5,25,27,000	—

[हिन्दी]

श्री धर्म पाल शर्मा (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं जम्मू-कश्मीर की सपलीमैंट्री ग्रान्टस और क्रिमिनल ला पर अपने विचार रखूं मैं कहना चाहूंगा कि जो मरकजी सरकार ने 1991-92 का ऐनवल प्लान तीन-चार दिन पहले मंजूर किया है वहां के हालात, रियासत के मसायल से मुतालिक नहीं रखता। मुझे दुख है कि सिर्फ सत्तर करोड़ रुपया इजाफा हुआ जो 2-8 फीसद बनता है। इसके मुकाबले हमारे साथ राजस्थान स्टेट मिलता है, वहां पर 22 फीसद इजाफा है। पूरी जम्मू-कश्मीर डिस्टर्बड है, वहां पर इम्प्लायमैंट जनरेट होनी चाहिए। वहां पावर प्रोजेक्ट हैं। मेरी अपनी कांस्टीट्यूऐंसी में दून हस्ती, सावल कोट, बगलयार और सैकिण्ड फेस सलाल की है। इसके अलावा उधमपुर में रेलवे लाइन है। वहां टूरिज्म को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है। वैली में तो टूरिज्म का बढ़ावा होना मुश्किल है। इस कारण हमारे यहां टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। वैली में बिजली बहुत कम है। आप एक ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहे हैं उधमपुर से वैली के लिए। उसमें सलाल से बिजली जाएगी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि रशियन टीम उसकी स्टडी करने के लिए वहां गई। उन्होंने आज से एक साल पहले उसको मुकम्मिल किया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनसे अभी तक इस बारे में एग्रीमेंट नहीं हुआ। अगर एग्रीमेंट हो भी गया तो उसके बाद चार साल और लगेंगे। अतः आप इस काम में शीघ्रता बरतें।

आपने यह जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स रखी हैं उसमें 100 करोड़ रुपए ज्यादा पहले के मुकाबले हैं। मैंने गवर्नर साहब और उनके एडवाइजर से विकास के बारे में बात की थी। वहां विकास हुआ दिखायी नहीं देता है। सड़कें बहुत धीरे-धीरे बन रही हैं। वहां बजरी पड़ी हुई है। रूरल डेवलपमेंट का काम कहीं-कहीं हो रहा है। विकास के लिए रखा हुआ पैसा कहां-कहां खर्च हुआ है, इसका सारा

हिसाब होना चाहिए। वहां अफसरशाही चल रही है। कोई एकाउंटेबिलिटी नहीं है। गवर्नर राज असम में तो जरूरी हो गया था लेकिन जम्मू-कश्मीर में कोई जरूरी नहीं था। वहां चुनी हुई सरकार चल रही थी। जब सरकारिया कमीशन की बात हो रही थी तो हमारे साथी कह रहे थे कि गवर्नर नियुक्त करने से पहले चीफ मिनिस्टर से इस बारे में पूछ लिया जाना चाहिए"...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कश्मीर में प्रेसीडेंट रूल प्रमलगेट करने वाला यह आर्डिनेंस नहीं है।

श्री धर्म पाल शर्मा : चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। 18 जनवरी तक कोई सूरत ऐसी नहीं थी। 19 जनवरी के बाद लोग सड़कों पर आ गए। मेरा कहना यह है कि ये सब पालिटिकली मोटिवेटिड था। उस समय होम मिनिस्टर हमारी स्टेट का था। उन्होंने हर बात में बहुत इंडरफिरियेंस की। वह कांग्रेस के थे। उन्होंने खूब पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स और एपायन्टमेंट्स कीं। यहां तक कि उनके समय में टैरारिस्ट छोड़े जाते रहे। उनका ही पूरा रूल चलता था। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इन सब बातों को यहां कहूं लेकिन मैं यह मानता हूं कि टैरारिज्म और एंटी नेशनल एलीमेंट्स को बैन करना जरूरी हो गया था। खुशकिस्मती से प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। वह हमें बताएं कि सार्क सम्मेलन में उनकी नवाज शरीफ से क्या बातें हुईं? उनसे बातचीत करने के बाद वह बहुत इम्प्रेस हुए। इसके बाद उनकी दो बार हाट लाइन से भी बात हुई। मैं बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ वह शख्स है जिसने टैरारिस्ट्स की मदद देने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया था। उन्होंने नेशनल असेम्बली में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद यह कहा कि :

[अनुवाद]

'हम नैतिक रूप से और साजो-सामान के साथ उनका समर्थन करेंगे।' वह उन्हें स्वतन्त्रता सैनानी कहते हैं।

[हिन्दी]

आप भले आदमी हैं। उनकी बातों में आ गए हैं। आप उनकी बातों में न आयें। बेनजीर की राजीव गांधी जी से बात हुई थी। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आप भी उनकी मीठी बातों में न आएं। आज भी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर टैरारिस्ट पंजाब में घुस रहे हैं।

असलाह आ रहा है और कश्मीर में आज तक वह खुले आम कह रहे हैं, यह उनके अपने इलैक्शन मैनीफैस्टो में भी है। शिमला एग्रीमेंट को तो वह मानते ही नहीं, तो मेरा यह कहना है कि सिर्फ बात करने से ही क्या होगा, छोटे-छोटे मुल्कों को हमने देखा कि नेशनल फ्रन्ट की सरकार के समय हमें आंखें दिखाते थे। यह ठीक है कि हम बड़े मुल्क हैं, हम किसी को डराना नहीं चाहते लेकिन बिल्कुल यह भी नहीं हो कि बातचीत करते रहें और जम्मू-कश्मीर और पंजाब, इन दो रियासतों को हिन्दुस्तान से बिल्कुल अलग करने की साजिशें करते जायें तो सख्त एकदमात उठाने पड़ेंगे। हिन्दुस्तान अमन चाहता है, पीस चाहता है, डवलपमेंट चाहता है कि यहां हो लेकिन ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए, उनको यह तो पता चलना चाहिए कि और भी एक्शन हिन्दुस्तान ले सकता है। हम यह

[श्री धर्म पाल शर्मा]

बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी सोइल से टैरेरिस्ट कैम्प्स चलें, और उनकी ट्रेनिंग देकर, असलाह देकर यहां भेजा जाय, हमारे एक हिस्से को अलग करने के लिए, कश्मीर और पंजाब के बोर्डर एरियाज में यह किया जाय, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा ।

[अनुवाद]

उन्हें यह अवश्य पता होना चाहिए कि हम इसे सहन नहीं करेंगे ।

[हिन्दी]

अगर वह बातचीत से नहीं मानते और आप जब समझ जायें कि वह बिल्कुल बदनीयती जाहिर कर रहे हैं तो सख्त एक्शन भी उठाने पड़ेंगे । हो सकता है कि वहां उनके कैम्प्स उड़ाने के लिए आपको बमबारी भी करनी पड़े । यह तो कोई हमला नहीं होता क्योंकि इसके लिए वह अपनी सोइल का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, ट्रेनिंग कैम्प्स के लिए, असलाह के लिए और यह इण्टरनेशनल कन्वेंशन भी है ।

[अनुवाद]

हमें उनके कैम्प नष्ट करने हैं ।

[हिन्दी]

पाकिस्तान को पता लगना चाहिए जब वक्त आयेगा । हिन्दुस्तान पुरअमन देश है, हिन्दुस्तान चाहता है कि अमनोअमान रहे लेकिन यह भी नहीं कि हमारी कोई कम ताकत है, उनको भी यह मालूम होना चाहिए । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ सख्त वार्निंग वगैरह भी देनी चाहिए, अभी तक वह बाज नहीं आया । मौजूदा प्रधान मन्त्री जी ने इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने कुछ साथियों से बात भी की है और भी पोलिटिकल पार्टीज से भी यह बात कर रहे हैं, एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत अच्छा कदम है, जैसा पंजाब में लिया है और अब कश्मीर में भी लिया है ।

मैं तो दो तीन बातें कहना चाहूंगा कि वहां एक तो सिक्योरिटी फोर्सेज को आप मार्डन वैपनरी दीजिए और इण्टेलीजेंस नैटवर्क को ठीक करिए । मैं यहां कहना चाहूंगा कि 16 नवम्बर को जे० के० एल० एफ० का चीफ जावेद नलका बाई एयर श्रीनगर से जम्मू आया और मैंने इसकी इत्तला भी दी । इसकी हमारी इण्टेलीजेंस को कोई पता नहीं, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी भी है तो सवाल यह है कि वहां स्क्रीनिंग आपको करनी पड़ेगी । वहां कश्मीर एयरपोर्ट पर जो अफसर हैं उनको पता नहीं कि जावेद नलका कैसे आ गया, नोबडी नोज । उसी जहाज में हमारे चीफ सैक्रेटरी भी थे लेकिन वह उनको जानते नहीं थे···

उपाध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, यह कहीं भी नहीं आता है, इसमें ।

श्री धर्म पाल शर्मा : यह होम मिनिस्ट्री की प्राप्ट मांग रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं। वह ग्राण्ट पर ही है, आप लिखकर दे दीजिए, उसका परिणाम आपको जरूर मिल जाएगा।

श्री धर्म पाल शर्मा : मैं थोड़ा कहना चाहूंगा।

[अनुवाद]

इसमें राष्ट्र की सुरक्षा अन्तर्ग्रस्त है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री जी बैठे हैं। तो सवाल यह है कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा, इण्टेलीजेंस नेटवर्क को ठीक करना पड़ेगा (व्यवधान)

तो मैं कहूंगा, इन चीजों पर ध्यान दिया जाए और स्क्रीनिंग की जाय आप भी 12-13 हफ्ते हमारे पास हैं, 15 अप्रैल तक, कम से कम जो 4000 के करीब टैरेरिस्ट्स हैं, इनको तो हम काबू में कर सकते हैं, इसमें बड़ी कोशिश होनी चाहिए, नहीं तो खुद गवर्नर साहब मानते हैं कि 5000 टैरेरिस्ट्स अभी वहां आजाद कश्मीर में हैं, जब भी स्नो मैल्ट होगी तो वह आने को तैयार हैं, उनका इलाज भी अभी से हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक अच्छी उम्मीद पैदा हुई है, 60 के करीब टैरेस्ट्स ने सरेण्डर किया है और टैरेरिस्ट्स जो ज्यादतियां कर रहे हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं प्राइवेटली बताऊंगा कि वह क्या-क्या कर रहे हैं और वहां लोकल पोपुलेशन उनसे दुखी है। मैं यह सजेस्ट करूंगा कि श्रीनगर में भी एक-एक मोहल्ले में एरिया कमाण्डर बने हैं तो आप एक्सपेरीमेण्टल बेसिस पर बारामुला, श्रीनगर, बड़गांव, कुपवाड़ा, अनन्तनाग के एक-एक मोहल्ले में एक्सपेरीमेण्टल बेसिस पर लोगों के कहने पर पुलिस पिकेट वहां से हटा लीजिए, वह वहां की जिम्मेदारी लेंगे और अगर वहां कुछ नहीं होता हो, वह आपको टैरेरिस्ट्स पकड़ कर भी देंगे, मेरी इत्तला यह है कि कुछ जगहों पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह अच्छा नहीं होगा लेकिन लोग इत्तला दे रहे हैं कि यह टैरेरिस्ट है, वह उनको पकड़वा रहे हैं लेकिन हमको सतर्क रहना पड़ेगा। इसमें आपको यह करना पड़ेगा कि जो लोग पकड़े जाते हैं, उन टैरेरिस्ट्स को आप सजा दीजिए···

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए शर्मा जी, अब मैं आपको बहुत दफा सुन चुका, आपको मैं ऐसे बोलने दूंगा तो सबको मुझे बोलने देना पड़ेगा।

श्री धर्म पाल शर्मा : यह सेंसिटिव इश्यू है, प्रधान मन्त्री जी यहां बैठे हैं इसलिए···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विषय से सम्बद्ध बातें कहिए।

[हिन्दी]

श्री धर्म पाल शर्मा : इसमें यह है कि जो आम शहरी हैं, उनको तंग न किया जाय, उनको

[श्री धर्म पाल शर्मा]

सहूलियत दी जाए, लोग उनसे परेशान हैं, लोग ओपनली सामने आना चाहते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारे प्रैस ने अभी तक वह बात नहीं कही, बड़गांव में वहां का लोकल एस०एच०ओ० और डी०एस०पी० मारे गए, यह हम लोगों को जानना चाहिए, मैम्बरान साहेबान को जानना चाहिए, वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, 10,000 का जुलूस था, वहां टैरेरिस्ट्स के खिलाफ लोग आए।

10.00 म० प०

मीर मुस्तफा मारा गया तो वहां के लोगों ने हड़ताल की और आज तक वहां कोई टैरेरिस्ट नहीं जा सका है। इन बातों को प्रैस वाले नहीं उठाते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वहां दस हजार लोगों ने लगाए, नवम्बर के तीसरे हफ्ते। ये बातें हमारे सामने आई हैं। कुछ बातें हैं, जिनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं रियासत की डवलपमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे अपने एरिए में रावी पुल बसौली क्षेत्र में बनाने के लिए नार्थन जोनल कौंसिल की मीटिंग हुई थी बुटासिंह जी होम मिनिस्टर थे, रे साहब पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने माना कि 22 गांव उसमें सब्मर्ज हो रहे हैं, लेकिन उनको आठ हजार रुपए प्रति कैनाल के हिसाब से दिया जा रहा है और एक लाख 13 हजार कैनाल वहां जमीन आ रही है। पुल बनाने के लिए आठ सौ करोड़ रुपए देने की बात थी। उस वक्त के गवर्नर, श्री धर्मा जी, जो अब हिमाचल प्रदेश में चले गए हैं, उन्होंने लिखा था कि इनको दे दिया जाए। मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक लाख 13 हजार कैनाल की बात है और वहां लोगों को आठ हजार रुपए प्रति कैनाल देने की बात है। कालदी साहब अभी बैठे हुए थे। धौलहस्ती में 25 हजार रुपए, उड़ी में 34 हजार 500 रुपए और एक दूसरे प्रोजैक्ट में 25 हजार रुपए देने की बात थी। वह अच्छी जमीन थी और वे लोग प्रोटैस्ट के तौर पर पर आ रहे हैं। उनके लिए आपको उतना ही करना चाहिए, जितना कि आपने और दूसरी जगहों के लिए किया है। इसी प्रकार केबी 33 लाइन उधमपुर से श्रीनगर तक ले जाने के लिए रशियन से बात करनी चाहिए। इसी प्रकार रेलवे लाइन के बारे में है।

मैं एक बात टूरिज्म के बारे में कहना चाहता हूं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आपको एम्पलायमैंट जनरेट करना चाहिए। एक बार गवर्नर साहब ने कहा था कि बी०एस०एफ० की पांच बटालियन बढ़ायेंगे। उस वक्त हालात ऐसे थे कोई दरख्वास्त नहीं देता था। इन्होंने कहा कि हम 1500 रुपए देंगे, इस पर उन्होंने कहा कि हम पांच हजार रुपया देंगे। लेकिन अब सवाल यह है, मैं कहना चाहूंगा कि कश्मीर के हालात बदल रहे हैं। अब वहां हजारों लोगों की एप्लीकेशन्स लगी हुई हैं। अब आप इस काम को करिए, तो मेरे बैकवर्ड क्षेत्र से भी लोग आयेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इकोनोमिक पैकेज दीजिए, जिस प्रकार से आपने पंजाब में दिया है। अहलूवालिया सरकारों ने भी इस दिशा में काम किया है। वहां एम्पलायमैंट देने के लिए, रोजगार देने के लिए, इकोनोमिक डवेलपमैंट के लिए, चाहे वह टूरिज्म हो, लोगों को दिक्कत हो रही है। चाहे वह डैक्सी वाला हो, चाहे ट्रांस्पोर्टर हो, चाहे वह रिक्शा वाला हो, इस टैरेरिज्म की वजह से लोगों को दिक्कत हो रहा है। लोग आपका

साथ देना चाहते हैं, लेकिन इसको आपको टैक्टफुली डील करना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि समय आएगा, अगर आप अकलमंदी से काम करेंगे और हम से भी थोड़ा बहुत पूछ लेंगे तो जनता बाहर आएगी और कहेगी कि "हिन्दुस्तान जिन्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद।" हालात बदल रहे हैं। टैरेरिज्म से लोग तंग आ गए हैं। लोग समझ गये हैं कि आजादी नहीं आ रही है। पहले कहा गया कि पन्द्रह दिन में आजादी आएगी फिर कहा गया कि महीने में आजादी आएगी, लेकिन आजादी नहीं आयी। वे समझ गये हैं कि पाकिस्तान अवामी जमा खर्च करता है और हमारे ही लोगों को मरवाता है। वहां के बदलते हुए हालात को देखकर मैं कहना चाहूंगा कि आपको प्लान के लिए रकम बढ़ानी चाहिए। रोजगार के साधन पैदा करने चाहिए, ताकि लोग उसका फायदा उठा सकें। यदि आप इन लाइन्ज पर सोचेंगे तो सारे मसले हल हो जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह विभाग के सम्बन्ध में 178,46,00 रुपये से अनधिक की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों को सभी प्रकार की सुविधायें देने की आवश्यकता। (10)

"कि गृह विभाग के सम्बन्ध में 1728,46,00 रुपये से अनधिक की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

अर्द्धसैनिक बलों के मृतक कार्मिकों के निकट संबंधियों को समय पर मुआवजा देने की आवश्यकता। (11)

"कि लद्दाख कार्य विभाग के सम्बन्ध में 737,97,000 रुपये से अनधिक की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

लद्दाख के लिये पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता। (14)

"कि लद्दाख कार्य विभाग के सम्बन्ध में 737,97,000 रुपये से अनधिक की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

लद्दाख के विकास के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। (15)

[हिन्दी]

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी डिमांड के साथ टिप्पणी की है, उसमें उन्होंने बताया कि कश्मीर के कैसे हालात हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहां पर इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आरम्भ में ही कहना चाहूंगी कि वहां के हालात

और

जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र संशोधन (संशोधनकारी) विधेयक

और

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर)

[श्रीमती सुमित्रिनी अली]

हम लोग सब जानते हैं। आज से कुछ दिन पहले प्रधान मन्त्री जी ने भी एक डिबेट में इंटरवीन करते हुए कहा कि—

[अनुवाद]

यह एक विद्रोह की स्थिति है और इसे ऐसा ही माना जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उसको रिकागनाइज करते हुए, उसको कैसे डील करना है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि उसको काम्युनलाइज करने की कोशिश किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए, किसी भी क्वार्टर से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे वहां की समस्या और ज्यादा पेचीदा हो जायेगा और ज्यादा गम्भीर हो जायेगी। यही सबसे पहले मेरी आपसे हार्दिक अपील है।

वहां की जो कुछ भी समस्याएं हैं, उसके बारे में हमारे से पहले बोलने वाले कांग्रेस-आई के सदस्य ने बताया है। उन्होंने काफी स्पष्ट तौर से बताया है कि वहां बिजली बढ़ाने की समस्या है। वहां पर यह विडम्बना है कि डैम से बिजली बाकी हिन्दुस्तान को मिलती है, लेकिन उस डैम की बिजली श्रीनगर की घाटी के लोगों को नहीं पहुंचती है। इस विडम्बना को दूर करना चाहिये और वहां बिजली आनी चाहिये, ताकि वहां का औद्योगीकरण हो सके और वहां के नौजवानों को नौकरी मिल सके। वहां के जो घाटी के नौजवान हैं उनकी यह भी शिकायत है कि उनको सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिलती, उनको बैंकों और पब्लिक अंडरटेकिंग्स में जगह नहीं मिलती। यह जो बैर इंसाफी उनके साथ हुई है, वहां दूर होनी चाहिये और वहां के आर्थिक विकास के लिए सक्षम कदम हमारी सरकार की तरफ से उठाया जाना चाहिये। जो उन्होंने और बातें कहीं, वह मैं दोहराना नहीं चाहूंगी, सिक्योरिटी फोर्सेज के बारे में जो उन्होंने कहा, हम सब लोग जानते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज को वहां बहुत सी ताकतों का सामना पड़ रहा है और बहुत मुश्किल हालात का उन्हें मुकाबला करना पड़ रहा है। लेकिन इस हालत में अगर उनकी तरफ से कोई ज्यादती होती है तो उससे हालत सुधरेगी नहीं बल्कि और ज्यादा गम्भीर हो जाएगी, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर निर्दोष लोग पकड़े गए हैं तो उनकी स्क्रीनिंग के बाद, पता लगाने के बाद और जांच-पड़ताल के बाद उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन जो मुख्य बात है उसे मैं कहना चाहूंगी, वहां पर जो इन्सरजेंसी पैदा हुई है इसके पीछे कारण क्या है? इसकी जड़ क्या है? अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पायेंगे और इस तरह के ब्लंडर्स हम लोग लगातार वहां पर, इस हाउस में पारित करते रहेंगे। वहां पर एक सवाल पहचान और कश्मीरियत का है।

[अनुवाद]

यह एक साम्प्रदायिक मामला नहीं है। यह मामला हिन्दू कश्मीरी तथा मुस्लिम कश्मीरी का नहीं है। यह मामला कश्मीरी होने की पहचान का है।

[हिन्दी]

वहां के लोग अपनी कश्मीरियत को बचाना चाहते हैं, वहां के लोग अपनी पहचान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ऐसी हालत में अगर हम लोग बार-बार यही कहेंगे कि उनके जो हक और अधिकार हैं, उनको हम खत्म करना चाहते हैं और महफूज करना चाहते हैं तो जो विश्वास हम कश्मीर की जनता के अन्दर पैदा करना चाहते हैं, वह हम पैदा नहीं कर पायेंगे। उनको एक बार फिर हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने नजदीक लाना चाहते हैं, करीब लाना चाहते हैं तो उस काम को हम लोग कर नहीं पायेंगे। हम लोग जानते हैं कि अभी तक काफी इरोजन वहां के लोगों का, आपके अधिकारों का हो चुका है। वहां के लोगों के दिल में डर है क्योंकि उनकी चुनी गई सरकारों को कई बार हटाया गया है, खत्म किया गया है। इसलिये वहां के लोगों के दिलों में डर है कि जो बचे-कुचे उनके अधिकार हैं, उसे भी हम लोग छीनना चाहते हैं। भारत की सरकार, मरकरी सरकार उनसे छीनना चाहती है।

इस सम्बन्ध में बार-बार अगर मध्य प्रदेश की असेम्बली रेजोल्यूशन पास करेगी कि आर्टीकल 370 को खत्म होना चाहिये, अगर उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के जज एक कलिंग देंगे कि धारा 370 को खत्म किया जाना चाहिए और अगर बार-बार राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां धारा 370 को खत्म करने की बात करेंगी तो वहां के लोगों का विश्वास, जो हम एक बार फिर से पैदा करना चाहते हैं, वह प्रयास असफल रहेगा और उनको हम अपने साथ जोड़ने में विफल रहेंगे।

इसलिये मेरा अनुरोध है कि आज इसी काश्मीरियत के सवाल पर वहां की जनता पाकिस्तान से बहुत दूर हो रही है क्योंकि वहां के लोग समझने लगे हैं कि पाकिस्तान भी उनको आजादी नहीं देगा, उनकी काश्मीरियत को महफूज नहीं रखेगा। वे समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के मंसूबे क्या हैं और पाकिस्तान उनका क्या हश्र बनाना चाहता है। इसलिए मेरा तमाम लोगों से अनुरोध है आज जरूरत काश्मीर की जनता में विश्वास पैदा करने की है और उनके दिलों में विश्वास पैदा करने की है। इस कोशिश में सब लोग जुटें और उनके अधिकारों को छीनने की बात बार-बार, लगातार इस सदन के अन्दर और बाहर न करें।

मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहूंगी कि वहां जो अलग-अलग ग्रुप्स हैं, वे कहते हैं कि हम सबसे बात करने के लिये तैयार हैं, हम उनको मना नहीं करते। लेकिन जरूर उनको आगाह करेंगे कि वहां जो ग्रुप्स हैं उनमें भी बहुत फर्क है और उनमें कुछ फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं जैसे हेपतुल्ला ग्रुप है। इसके अलावा वहां की दूसरी ताकतें हैं जो कश्मीरियत की बात करती हैं, सेक्युलर नेचर की हैं, उनमें कुछ बहके हुए नौजवान हो सकते हैं, कुछ और लोग हो सकते हैं, जिनको महसूस हो रहा है कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। उनके साथ जरूर बातचीत करनी चाहिये और उनको अपने करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको जनता से दूर करने का जबर्दस्त प्रयास होना चाहिये और पाकिस्तान के मंसूबों के बारे में जरा भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिये।

[श्रीमती सुभाषिनी अली]

नवाज शरीफ साहब बड़े अच्छे ढंग से पेश आते हैं, टेलीफोन पर बड़े अच्छे ढंग से बात करते हैं लेकिन उनके इरादे क्या हैं, इस बारे में बात नहीं करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा करना, अपने किसी बयान या वक्तव्य में इस तरह का इजहार करना कि नवाज साहब के जो मंसूबे हैं, वह बदल गये हैं, लेकिन इरादे नेक हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इससे काश्मीर की समस्या का समाधान और आसान हो जायेगा। आखिर में मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगी, वहां से जो लोग आये हैं, वे डर के मारे, अपनी जान बचाने के लिए आये हैं।

मैं जानती हूं कि अधिकांशतः एक ही समुदाय के लोग हैं, लेकिन लोग यह भी जानते हैं कि दूसरे समुदाय के लोग जो राष्ट्रीय ख्यालात के हैं, जिनके बारे में वहां पता है कि ये लोग राष्ट्रीय हैं, नेशनलिस्ट हैं, उनको भी अपने घर छोड़कर आना पड़ा है। उनके घरों को जलाया गया है, उनको जान का खतरा है। रिफ्यूजीज की जो समस्या है वह मानवीय समस्या है, उनकी पूरी मदद की जानी चाहिए। जितनी सुविधा सरकार उनको दे सकती है वह दी जानी चाहिए और वहां पर ऐसे हालात एक बार फिर बनाए जाने चाहिए ताकि ये लोग वहां पर जा सकें और इज्जत की जिंदगी गुजार सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अभी हालात कुछ वहां पर सुधरे हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन यह भी हो सकता है कि जब बर्फ पिघलेगी, रास्ते एक बार फिर खुलेंगे तो वहां पर आतंकवाद का प्रशिक्षण ले रहे सरहद के उस पार से आतंकवादी फिर आ जायें, उनकी गतिविधियां फिर तेज हो जायें, इसके लिए सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए, सख्ती बरतनी चाहिए, लेकिन कश्मीर की जनता का दिल जीतने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए, इसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। मैं तमाम लोगों की तरफ से प्रधानमन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि तमाम पोलीटिकल पार्टीज की मीटिंग जरूर बुलायें, तमाम लोगों की राय है। कश्मीर को बचाने का मतलब है देश को बचाना, कश्मीर हमारे सेकुलरिजम का प्रतीक है, उसको बचाना इस देश के सेकुलरिजम और इस देश के शरीर को बचाना है। इसमें हम सब लोग मिल कर उनके हर प्रयास का साथ देंगे, उनके हर सच्चे प्रयास का साथ देंगे।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

प्रो० प्रेम सिंह धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर अपराधिक कानून संशोधन, मन्त्री महोदय ने यहां पर प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनकी मुझे कुछ फर्स्ट हैंड नालेज है, मैं उस क्षेत्र में होकर आया हूं और इन्टरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन में भारत की तरफ से मैं भी एक सदस्य था और उरूग्वे में जहां पाकिस्तान की तरफ से एम० एफ० खान आए थे, उन्होंने कश्मीर पर बोलते हुए, इन्टरनेशनल पोलीटिकल सिचुएशन

पर जब चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने जो आर्गुमेंट वहां पर दिए, उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान की फौज, हिन्दुस्तान की ताकतें वहां पर ज्यादती कर रही हैं, वह मुस्लिम-बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए उसको पाकिस्तान में मिलाया जाए। इस पर मैंने वहां पर प्रोटेस्ट किया था और राइट टू रिप्लाई में कहा था कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा और उग्रवादियों को ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, जिससे हजारों बेगुनाह औरत, मर्द और बच्चे हिन्दुस्तान में कत्ल किए गए हैं, उसका सारा दोष पाकिस्तान पर है।

इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तान एक तरफ तो मित्रता की बात करता है और दूसरी तरफ हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए कश्मीर को भारत से अलग करने का षडयन्त्र रच रहा है। इस षडयन्त्र को नाकाम करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, उसका हम पूरा समर्थन करेंगे और इसी के तहत मैं जम्मू-कश्मीर अपराधिक कानून 1991 का समर्थन करता हूं। वहां पर आवश्यक है कि उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के साथ शक्ति से निपटा जाए। अभी शर्मा जी ने ठीक कहा और दो दिन पहले प्रधानमन्त्री जी ने भी इसी सदन में कहा था कि जो हालात में कुछ सुधार हुआ है, उसके पीछे मौसम का भी बहुत बड़ा हाथ है। उग्रवादियों के भारतवर्ष में, कश्मीर में प्रवेश करने के रास्ते थे, वे बर्फ से ढके हुए हैं और सरकार के लिए यह मौका है जैसा शर्मा जी ने कहा कि जो उग्रवादी यहां आए हुए हैं ट्रेनिंग लेकर, उनको आइसोलेट करके पकड़ा जाए।

जब मैं डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह में गया तो वहां पर हमें बताया गया कि सरकारी कर्मचारी भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के लिए गए हुए थे। सरकारी कर्मचारी भी पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेने के लिए गए हुए थे उनकी हाजिरी रजिस्टरों में लगती रही। अब तो आइडेन्टीफाई किया जा सकता है कि कौन से लोग ड्यूटी पर कितने महीनों के लिए आए। जो कर्मचारी आज भी वहां हैं तो कितने लोग उस तरफ हैं। कितने मुलाजिम हैं जिनको हिन्दुस्तान से तनख्वाह मिलती है और पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस कानून के द्वारा गवर्नर और प्रदेश प्रशासन को शक्तियां दी जा रही हैं। उसका प्रयोग करें और देश के हिस्सों को तोड़ने के लिए जो लगे हैं उन पर कुठाराघात किया जा सके। सप्लीमेंटरी बजट की जहां तक बात है तो जम्मू-कश्मीर में असन्तुलन है। जम्मू-कश्मीर के तीन भाग हैं एक तो काश्मीर वैली, जम्मू और लद्दाख। क्षेत्रफल के हिसाब से 15948 वर्ग किलोमीटर है।

उपाध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी डिमाण्ड कोई चीज नहीं बल्कि खर्च ज्यादा या कम हो उसके लिए रहता है, पूरे बजट का नहीं।

(व्यवधान)

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : सप्लीमेंटरी डिमांड से बहुत ज्यादा सुधार होने वाला नहीं है। जो असन्तुलन है वह प्रशासन में और सरकारी नौकरियों में है। वहां पर रोड्स में और टैक्नीकल इंस्टीच्यूशन्स में है। उसमें कुछ न कुछ सुधार की गाइड लाइन्स केन्द्र सरकार के प्रशासन द्वारा दी जानी चाहिए। श्रीनगर मेडिकल कालेज के लिए पचास करोड़ रुपया खर्च हुआ और मैडिकल कालेज के लिए दस करोड़ रुपया। कश्मीर वैली में पांच करोड़ का पावर प्रोजेक्ट है और जम्मू में दस करोड़

[प्रो० प्रेम कुमार धूमल]

का जबकि आय कश्मीर में तेरह करोड़ की है और जम्मू में साढ़े ग्यारह करोड़ की है। 1947 में कश्मीर घाटी में सड़कें 748 किलोमीटर थी और 87 में 4900 कि० मी० और जम्मू में 1538 कि० मी० थी और 3500 कि० मी० बनी। बजट 90 परसेंट घाटी में खर्च होता है और 10 परसेंट जम्मू में। पिछले साल की फीगर्स हैं घाटी में छह लाख और जम्मू में अठारह लाख पर्यटक आए। वहां पर जो असन्तुलन है उसको समाप्त किया जाए। यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा।

[अनुवाद]

डा० वेंकटेश काबडे (नान्देड़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक मांगों के माध्यम से किसी को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना निश्चय ही एक स्वागत योग्य कदम है अतः अपने विचार संक्षिप्त में रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं प्रधानमन्त्री की मौजूदगी का नाजायज फायदा न उठाते हुए अपने कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। जब हम जम्मू-कश्मीर के लिए अनुदानों की बात कर रहे हैं तो हमें इस क्षेत्र में कुछ संगठन भेजने सम्बन्धी कुछ मामलों पर भी विचार करना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कश्मीर, जम्मू तथा सम्पूर्ण भारत के बीच कुछ मनोवैज्ञानिक अवरोध व्याप्त है। इस बारे में हमें एक भिन्न भौगोलिक अस्तित्व के रूप में विचार करना होगा। इन बातों का महत्व उस समय और अधिक हो जाता है जब हम अनुच्छेद 370 और अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अनेक संगठनों द्वारा कश्मीर जाकर वहां के लोगों से विचार-विमर्श करने का प्रयत्न किया जाता रहा है जिससे कि वहां के लोगों से और अधिक वैचारिक सामन्जस्य तथा विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके। मैं राष्ट्रीय सेवा दल सहित मराठवाड़ा के अनेक ऐसे संगठनों को जानता हूं जिन्होंने वहां का दौरा किया है। उन्होंने वहां जाकर यह पाया कि कश्मीर के लोग राष्ट्र-विरोधी नहीं हैं—लोगों के मन में निश्चित रूप से गुणात्मक परिवर्तन आया है। आप इस बात से भी सहमत होंगे कि पिछली सरकार के कार्यकाल में भी ऐसा ही वातावरण था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार उस प्रवृत्ति को जो हमने कश्मीर के लोगों में पाई है और बढ़ा कर सकेगी।

आज हमें ऐसे संगठनों को जो देश के विभिन्न भागों में लोगों के पास जाकर अच्छा कार्य करना चाहते हैं, धनराशि प्रदान करके और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। हमें कश्मीर के लोगों तथा वहां के संगठनों को देश के विभिन्न भाग में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि वे देख सकें कि कश्मीर के लोगों का देश के अन्य भागों में रह रहे लोगों के साथ किस तरह की सामान्य संस्कृति तथा आत्मीयता है। इसी तरह देश में ऐसे अनेक संगठन हैं जो कश्मीर जाना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रधानमन्त्री कश्मीर तथा शेष भारत के बीच व्याप्त धारा 370 के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए ऐसे सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर ध्यान देंगे।

जहां तक कश्मीर में उद्योगों का संबंध है तो मेरी जानकारी के मुताबिक वहां केवल एक ही सरकारी क्षेत्र का उद्योग, एच० एम० टी० है। मेरे विचार से हमें वहां एक द्रुत कार्यक्रम शुरू करके सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने चाहिए और उस पर और अधिक धन लगाना

जाये, जिससे कि उस क्षेत्र के निवासियों को ऐसा महसूस हो कि वहां उनके विकास के लिये कुछ किया जा रहा है। कश्मीर में शिक्षित लोगों की प्रतिशतता अधिक होने के बावजूद बेरोजगारी बहुत अधिक है। यह पहले ही कहा जा चुका है। माननीय प्रधानमन्त्री से मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब की भांति यहां क्यों भी न हम—एक लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने की घोषणा करें। इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब यह पंजाब के मामले में सच है, तो यह असम और कश्मीर के मामले में भी सच हो सकता है। अतः मैं प्रधानमन्त्री से प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

अन्त में मैं सेना के सम्बन्ध में एक और सुझाव देना चाहूंगा। हम हमेशा सेना द्वारा किये गये अत्याचार और अन्य करतूतों के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं। लोग सेना की इन कार्यवाहियों से बहुत नाराज हैं। प्रायः ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की इक्का-दुक्का घटनाएं न होकर ऐसा सामान्य ही हो गया है। हम सेना में ही कोई व्यवस्था करके इस प्रवृत्ति को रोकना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि सेना के भीतर ही ऐसे अत्याचारों से निपटने के लिए, सेना के भीतर ही एक अलग सेल का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसी सभी घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण किया जा सकता है। विशेषज्ञों को यह पता लगाना चाहिए कि वे क्षेत्र कौन से हैं तथा ऐसे तौर-तरीकों का सुझाव देना चाहिए जिनके द्वारा सैन्य कर्मियों को, इस बात की नियमित और निरन्तर शिक्षा दी जाए कि जनता के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए तथा उन्हें किसी विशेष विक्षुब्ध क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार इन समस्याओं से निपटने के लिए सेना में एक निरोधात्मक और उपचारात्मक प्रकार का सैल होना चाहिए।

मैंने जिन उपायों का सुझाव दिया है उसके लिए कुछ अनुदानों की आवश्यकता होगी और मुझे आशा है कि आवश्यक अनुदान प्रदान किया जाएगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। मैंने यह आशा नहीं की थी कि इस चर्चा को आज ही लिया जायेगा। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि लोक सभा सचिवालय के कर्मचारी अत्यन्त कार्यकुशल हैं। मैंने एक अधिकारी को यह संदेश भेजा था कि यदि कश्मीर विनियोग विधेयक की चर्चा के लिये लिया जाए तो आप कृपया मुझे सूचित कर दें। वास्तव में तबियत ठीक न होने की वजह से मैं सोने जा रहा था लेकिन लोक सभा सचिवालय के उस अधिकारी, जिसे मैंने अनुरोध किया था, की सक्षमता के कारण मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है।

मैं समझता हूं कि यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधानमन्त्री जी मेरी बात सुनने के लिए यहां मौजूद हैं लेकिन मैं यह जानता हूं कि काफी देर हो चुकी है और मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : माननीय प्रधानमन्त्री जी इस तथ्य के साक्षी हैं कि पिछली सरकार के दौरान अनेक अवसरों पर मैंने इस सभा में कश्मीर की स्थिति पर अनेकों प्रश्न उठाये। वस्तुतः सरकार की कश्मीर के बारे में कोई नीति नहीं है, इस सम्बन्ध में मैं ग्यारह महीने तक बोलता रहा।

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

यह मेरे लिए दुःखद अनुभव था कि मैं दो बार अध्यक्षपीठ के निकट तक गया। मेरे मित्र कामरेड श्री इन्द्रजीत ने मुझे याद दिलाया था कि एक वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्षपीठ के निकट तक नहीं जाना चाहिए। तत्पश्चात्, जब बलात्कार का मामला हुआ तो मैंने तत्कालीन प्रधानमन्त्री से अनुरोध किया था कि वे एक बार श्रीनगर का दौरा करें; कश्मीर घाटी का दौरा करें और उनकी आंखों से आंसू पोंछने का प्रयास करें। लेकिन उन्हें कभी भी समय नहीं मिला। जब कभी भी हमने इस विषय पर चर्चा की वह मेरे से सहमत हुए और बाद में उन्होंने तत्कालीन गृह मन्त्री के साथ कश्मीर समस्या के बारे में चर्चा की। लेकिन ग्यारह महीनों में कुछ भी नहीं हुआ। केवल इतना ही हुआ कि प्रधान मन्त्री ने कश्मीर के लोगों को एक सन्देश दिया। आज मैं उन्हें वह बात याद दिला रहा हूं। जब मैं सभा में अध्यक्षपीठ के निकट गया था तो उन्होंने (प्रधानमन्त्री ने) मुझसे चाहा था कि मैं उनका भाषण सुनूं। जब मैं, उनके द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर, कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, अपने स्थान पर बैठ गया, तो वह केवल तीन मिनट के लिए बोले। उस समय उन्होंने मेरी आकांक्षाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

वह तीन मिनट का सम्पूर्ण भाषण ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन द्वारा प्रसारित किया गया; संयोगवश यह दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा भी प्रसारित किया गया। उन्होंने कश्मीर के लोगों को यह संदेश दिया था कि :

> "हम किसी के विरुद्ध किसी प्रकार का अत्याचार सहन नहीं करेंगे; सम्पूर्ण भारत इस बात से चिन्तित है।"

तथापि मैंने, मेरे सहयोगियों ने और हम सभी ने भरसक प्रयास किये। उस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। वस्तुतः श्री वी० पी० सिंह ने अपना अधिकार खो दिया है, वह अपने अधिकार से वंचित हो गये हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सोज जी आप कृपया विषय पर ही बोलें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, आपने तीनों चीजों को इकट्ठा कर दिया है। मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। (व्यवधान) महोदय, आप कृपया दो मिनट के लिए मेरी बात सुनिए।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अब वह उसी विषय पर आ रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, हो सकता है कि इस देश में समुदाय के विभाजन अथवा जाति के विभाजन नाम पर श्री वी०पी० सिंह ने पुनः प्रधानमन्त्री बनने का अधिकार न खोया हो। मैं इस विषय के बारे में बहुत कुछ जानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक अधिकरण के विस्तार के लिए है।

श्री० सैफुद्दीन सोज : महोदय, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने कश्मीर के लिए कोई नीति नहीं बनाई और इसीलिए वहां अत्याचार जारी रहे; घरों को जला दिया गया; लोगों की हत्यायें की गईं; बेगुनाह लोगों की हत्यायें की गई बलात्कार किये गये; काले कानून प्रख्यापित किये गये और इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया। उस एक स्थिति के कारण उन्होंने अपना अधिकार खो दिया है। यदि यह उनका और उनके दल का दावा है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है तो उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित होना चाहिये। तत्पश्चात् उन्होंने 'भागुमठ' मांग की। मैंने कहा, "मेरे दल की ओर से आपको 'भागुमठ' नहीं दिया जा सकता क्योंकि कश्मीर के सम्बन्ध में आपकी कोई नीति नहीं है।" महोदय, मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि आपने इन सब चीजों को इकट्ठा कर दिया है। मैंने दण्ड विधि संशोधन विधेयक के लिये भी एक संशोधन दिया है।

महोदय, मैंने वर्तमान प्रधानमन्त्री के समक्ष एक प्रश्न उठाया था मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि कश्मीर की स्थिति का हल लोगों के दिलों को जीतकर ही निकाला जा सकता है; इसे गोलियों से कभी नहीं जीता जा सकता। अनेकों कानून हैं जैसे विशेष क्षेत्र अधिनियम जो एक खतरनाक तथा काला अधिनियम है तथा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम। इन काले कानूनों को वापस लेना होगा। वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से यह दण्ड विधि संशोधन अधिनियम लाया गया है? यह एक अच्छा संशोधन है क्योंकि इस काले कानून से भी कुछ हद तक कुछ राहत मिली है। लोक सुरक्षा अधिनियम तथा अनेक दंड संहिताओं जैसे कानून भी हैं। प्रधानमन्त्री महोदय, इन दो काले कानूनों ने बलों को इतने अधिकार दे दिये हैं कि वे अत्याचार करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। आपके पास विनियोग विधेयक भी है। आज मैं प्रधानमन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि कश्मीर के लोगों ने उनके सन्देश को समझ लिया है। उन्होंने उस सन्देश के महत्व को समझा है। इसी सन्देश के कारण, जिस दिन से उन्होंने प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण किया है, घर जलने की कोई घटना नहीं हुई है। पिछली सरकार से यह एक प्रश्न है कि "उस दिन से लोगों के घर क्यों नहीं जलाये गये?" आप कृपया देखें कि हंडवारा में क्या हुआ है? मैं उन समस्याओं को उठा रहा हूं जो वहां अभी भी बनी हुई हैं (व्यवधान) आप कृपया मेरी बात सुनिये। मैं आपको तथ्य दे रहा हूं (व्यवधान)।

मैं आपको तथ्य दे रहा हूं। (व्यवधान) श्रीनगर के हुन्दवाड़ा तथा अनन्तनाग में 300 घर जला दिए गए। परन्तु वर्तमान प्रधानमन्त्री ने सन्देश दिया था कि कोई और अत्याचार नहीं होंगे, कोई और मकान नहीं जलेंगे तथा कोई और बलात्कार नहीं होंगे। परन्तु प्रधानमन्त्री मैंने समाज के एक विनम्र सेवक के रूप में कश्मीर में आपके सन्देश को ले जाने का प्रयास किया क्योंकि मैं कश्मीर जाता रहता हूं। परन्तु प्रधानमन्त्री महोदय उस सन्देश की अफसरशाहों द्वारा अवहेलना की जा रही है। प्रधानमन्त्री जी इससे या तो मेरी खिंचाई हो रही है या आपकी क्योंकि अंतत: अफसरशाह न तो इस सभा के प्रति उत्तरदायी हैं न जम्मू-कश्मीर या इस देश के लोगों के ही प्रति उत्तरदायी हैं। मैं आपको सूचित कर रहा हूं प्रधानमन्त्री जी कि आपके सन्देश की अवहेलना की जा रही है। इसीलिए, हमें अपनी सुरक्षा करनी है। यह आपके दृष्टिकोण के कारण है। यह कोई मिथ्या प्रशंसा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय वहां 72 वें दिन एक हड़ताल समाप्त की गई। यह उनका दृष्टिकोण था कि हड़ताल समाप्त

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

होनी चाहिए। कश्मीर घाटी में हर चीज ठप्प हो गई थी। न कोई बैंक खुला था न कोई बीमा कंपनी, न कोई स्कूल, कालेज, विद्यालय, हर संस्थान बन्द थे। पहले ही दिन जब उन्होंने कार्यभार सम्भाला मैं स्वयं उनके पास गया। वहां एक बैठक हुई (व्यवधान) फिर वह हड़ताल समाप्त हो गई। उनकी स्थिति के बारे में मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी को सूचित करना चाहता हूं कि उस सन्देश की अवहेलना की जा रही है। मैंने अफसरशाही की ओर संकेत किया है। अब प्रधानमन्त्री जी को यह देखना है कि वे जम्मू-कश्मीर में एक संगठित ढंग से प्रयास करें। अन्तत: उस हड़ताल को समाप्त करने में राज्यपाल ने बहुत ही अच्छे ढंग से पहल की। उनका कदम बहुत ही अच्छा था। परन्तु वहां अनेक ऐसे अफसरशाह हैं जो उस हड़ताल को समाप्त करके जो कुछ प्राप्त किया था उसे नष्ट करना चाहते थे। वहां भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि अन्तत: राजनीतिज्ञों को ही इसका समाधान करना है।

दुर्भाग्यवश अब काफी देर हो चुकी है। विस्तार से भाषण करते रहकर मैं इस सभा को अंधेरे में नहीं रख सकता।

एक माननीय सदस्य: आपने तो सभा को अन्धेरे में रख दिया है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज: नहीं, नहीं, यहां यह विनियोग विधेयक है। आप मेरे से चाहते हैं कि मैं विषय पर आऊं। अब आपने गृह विभाग के लिए तो व्यवस्था कर दी है। मैं उन लोगों पर आ रहा हूं जो इस बार जेल में हैं। आप गृह विभाग के लिये 17,28,46,000 रुपए चाहते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि गृह विभाग को प्रभावी रूप से कार्य करना चाहिए। परन्तु मैं इस सम्माननीय सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि राज्य से बाहर जेलों में भी बहुत से नजरबन्दी हैं। मेरी जानकारी यह है कि जम्मू-कश्मीर की सरकार को दी गई धनराशि का आधा भी पैसा इस प्रयोजन के लिए खर्च नहीं किया जा रहा।

जो बजट स्कूलों, कालेजों, अस्पतालों, सड़कों तथा पर्यटन के संवर्धन के लिए है उसे नजरबन्दियों की देखभाल करने के लिए खर्च किया जा रहा है तथा वह भी उन नजरबन्दियों पर जो जम्मू कश्मीर राज्य से बाहर हैं। मेरी जानकारी यह है कि यहां तक कि आधा भी पैसा उस प्रयोजन के लिए खर्च नहीं किया जा रहा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की गई थी। क्या माननीय प्रधानमन्त्री जी इन पहलुओं की जांच करेंगे? क्या यह बजट उस प्रयोजन के लिए था? कश्मीर के लोगों को राहत कहां मिली? इसीलिए, इस विनियोग से मुझे यह संकेत मिलता है कि हम अभी भी स्थिति पर सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय उसके लिए मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे कश्मीर का दौरा करें।

एक माननीय सदस्य: बहुत अच्छा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज: उस समय मैंने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से अनुरोध किया था। पहले उनसे अनुच्छेद 370 पर प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने कहा था: अकस्मात आपको कोई पत्रकार पकड़

लेना तथा वे आप से प्रश्न करेंगे। कभी-कभी उनमें से कुछ बहुत ही ऊल-जलूल होते हैं। एक राजनैतिज्ञ के रूप में आपको तैयार रहना चाहिए। अनुच्छेद 370 पर एक प्रश्न था। प्रधानमन्त्री के रूप में यह उनका दूसरा महीना था। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा, "हमारी कार्यकारिणी की अभी तक बैठक नहीं हुई है। हम इस पर विचार करेंगे।" हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है, हम भारत के संविधान के प्रति इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि अनुच्छेद 370 बरकरार रहेगा···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने इस सभा में बोला था···(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अरे हाउस में तो बाद में आया।

[अनुवाद]

यह बात सही है। मैं आपको दिखा दूंगा। उन्होंने यह बात एक संवाददाता सम्मेलन में और वह भी जम्मू में कही थी···(व्यवधान)

मैं चाहता हूं कि प्रधानमन्त्री महोदय कश्मीर का दौरा करें···(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : हां, मान लिया।

श्रीमती सुभाषिनी अली : सोज साहब हम भी साथ जायेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कश्मीर का क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है और वहां मानिक एवं अन्य कठिनाईयां उत्पन्न हो गयी हैं।

जब प्रधानमन्त्री वहां जायेंगे तो वह स्थिति का आयजा ले सकेंगे और वह स्वयं निर्णय करेंगे। वह इस सभा के नेता ही नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के नेता हैं। वह स्वयं निर्णय करेंगे कि निर्दोष लोगों से लड़े बिना उग्रवादियों से किस प्रकार लड़ा जा सकता है। निर्दोष व्यक्तियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है, प्रधानमन्त्री इस बात का आयजा लेंगे कि पूछताछ के दौरान व्यक्ति कैसे और क्यों मर जाते हैं। उग्रवादियों पर काबू पाना है, उनके साथ विद्यमान कानूनों के तहत लड़ाई लड़नी है। परन्तु निर्दोष लोगों को नहीं मारा जाना चाहिए। हिन्दवाड़ा, श्रीनगर एवं अनन्तनाग आदि में 3,001 घरों को जला दिया गया है। उन्हें राहत दी जाए। वह स्वयं अनुमान लगायेंगे कि राहत प्रदान की गयी है या नहीं। प्रधानमन्त्री को इसका आयजा लेना है। जो कुछ फाईलों में तैयार किया गया है, आप उसके माध्यम से इस राज्य का संचालन नहीं कर सकते। वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत भारत सरकार का कोई वरिष्ठ अधिकारी वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करे। वे तो केन्द्रीय जांच ब्यूरों की रिपोर्टों के माध्यम से कार्य करते हैं।

प्रधानमन्त्री जब वहां जायेंगे तो स्वयं इस बात का जायजा लेंगे कि उग्रवादियों द्वारा अथवा सुरक्षा बलों द्वारा कितने लोग मारे गये और क्या उन्हें राहत दी गयी है। भारत सरकार के पास जो आंकड़े हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं। मैं कहता हूं कि मारे गये परिवारों के 20 प्रतिशत लोगों को भी सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

अन्त में, प्रधानमन्त्री महोदय कश्मीर के अपने दौरे के दौरान देखेंगे कि कश्मीर में मुस्लिम समुदाय चाहता है कि कश्मीरी पंडित अपने घरों को गौरव और सम्मान के साथ वापस आयें। कश्मीरी मुस्लिम उन्हें शरणार्थी कहना नहीं चाहते। वे जम्मू और दिल्ली में मुसीबतें झेल रहे हैं। वे उन्हें वापस वहां लाना चाहते हैं और आप उन कश्मीरी मुस्लिमों की भावनाओं का अन्दाज लगायेंगे जिनका कभी भी उनके (कश्मीरी पंडितों) के बहिगमन में हाथ था। बहिगमन श्री जगमोहन और कश्मीरी पण्डितों के घटिया नेतृत्व के कारण हुआ था। कश्मीरी मुसलमानों का इसमें कभी हाथ नहीं रहा। महोदय, आप उन तरीकों का पता लगायें जिससे ये लोग गौरव और सम्मान के साथ अपने घरों को लौट जायें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं। आप बैठ जाइए।

प्रो० रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह बड़े दुःख की बात है— यहां के कर्मचारी जो सुबह 6 बजे के आए हुए हैं और अब रात हो गयी है, अब तक लगातार काम कर रहे हैं। इनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं है और हाउस चलता जा रहा है, रात के पौने ग्यारह बज रहे हैं। (व्यवधान)

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : कर्मचारियों के खाने की व्यवस्था की गई है। (व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मालूम नहीं है इसलिए वे ऐसा कह रहे हैं कि कर्मचारियों के खाने की व्यवस्था की गयी है। मैं अभी आकर आया हूं। वहां पर कर्मचारियों के खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको कम से कम इनके खाने की व्यवस्था तो अवश्य ही करनी चाहिए। सरकार की ओर से व्यवस्था भी नहीं है और उनकी पेमेंट के बेस पर भी खाना नहीं मिल रहा है। वहां कुछ भी खाने का सामान नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सुन लिया है। आपका कहना दुरुस्त है, यह मैं कहने जा रहा हूं। इन्तजाम किया हुआ था, नहीं किया है तो और भी कर लेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री जम्मू शंकर : उपाध्यक्ष महोदय, कश्मीर की समस्या के बारे में कई सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वित्त मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है और बजट के लिए जो स्वीकृति चाही है, उस

जम्मू-कश्मीर दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन (संशोधनकारी) विधेयक

और

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर)

दोनों के बारे में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि कश्मीर की स्थिति जैसी है उससे निपटने के लिए कुछ अधिकार तो सरकार को चाहिए। इसमें जो प्रावधान है इसलिए कि अगर कोई दिक्कत हो, लोगों को कठिनाई हो तो उनकी दिक्कतों की जांच हो सके। इसमें दो-तीन बातें कही गई हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा। एक तो यह चर्चा की गई कि बात होनी चाहिए लेकिन सुभाषिनी जी ने कहा कि फंडामैन्टलिस्ट्स से बात नहीं होनी चाहिए। मैं सफाई के साथ यह बात कहूं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हर भारतीय से बात करने की बात करते हैं। कौन फंडामैंटलिस्ट है कौन प्रगतिशील है, यह चर्चा करना चाहते हैं। अगर वही व्यक्ति चुनकर सदन में आ जाए तो न केवल उससे हम बात करते हैं हम नहीं बल्कि उससे हर तरह की चर्चा करते हैं।

नागरिक के बीच में कोई विभेद करना लोकशाही में मान्य नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। कोई राज्य के विरुद्ध विद्रोह करे, सरकार के विरुद्ध विद्रोह करे, सरकार के खिलाफ विद्रोह करे तब भी उससे बात करने के लिए मना नहीं करना चाहिए। जब तक वह देश का नागरिक है उससे बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। हमें कई बार सलाह दी जाती है कि नवाज शरीफ से सचेत रहिए, सजग रहिए, उनका दिल बहुत गड़बड़ है। मैं दिल का अन्दाजा करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, न दिल की धड़कनों में मैं जाने की कोई कोशिश करता हूं। दिल की पैमाइश करने वाले दूसरे लोग होंगे, मैं तो सियासत की बात, राजनीति की बात करता हूं।

पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। एक दुर्घटना है इतिहास की हम अलग-अलग हो गए और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रारम्भ से आज तक हिन्दुस्तान का जो कोई रहनुमा रहा हो, मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहा हो, जो भविष्य के बारे में सोचता रहा हो, उसने सदन में यह कहा है कि हम अलग हो गए लेकिन फिर भी भाई-भाई जैसे रहना चाहते हैं। मैं बताना चाहूंगा महात्मा गांधी की उन बातों को, अमर शायर बापू जिंदा होते तो कुछ दिनों में पाकिस्तान जाने के लिए उन्होंने कार्यक्रम बनाया था। याद होनी चाहिए पंडित जवाहर लाल नेहरू की जिन्होंने बार-बार कहा कि इतिहास की दुर्घटना है कि हम अलग हैं लेकिन हम भाई-भाई हैं, एक-दूसरे की समस्याओं को समझेंगे, दिल में नफरत का कोई असर नहीं होने देंगे। यही काम बार-बार किया गया और मैं आपको याद दिलाऊं जिस शिमला सम्मेलन की चर्चा रोज-रोज होती है वह शिमला सम्मेलन भी उसी जहनियत का, उसी अवधारणा का परिणाम था जिसमें हमने पाकिस्तान से लड़ाई नहीं चाही, हमने पाकिस्तान से दोस्ती चाही। उस समय की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी वही काम किया।

यह एक राष्ट्रीय नीति पाकिस्तान के साथ चल रही है दोस्ती का रिश्ता बनाने के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए पाकिस्तान का भूत उनके सिर पर सवार है और उस भूत से डर रहे हैं। भूत से डरने वालों के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। सरकार जब काम करती है तो उसके काम करने की दो पद्धतियां हैं—एक तो अगर मान लीजिए देश के ऊपर कोई हमला हो गया तो उसका जवाब ठीक ढंग से दिया जाएगा लेकिन हमले के डर से बराबर नफरत का बीज बोने की कोशिश बिल्कुल गलत है और मुझे आश्चर्य है कि चाहे कोई दक्षिण पंथी हो, चाहे वामपंथी हो, दोनों के मन में भूत बैठा हुआ है कि पाकिस्तान समझौते की बात करेगे, नवाज शरीफ से कोई दोस्ती की बात करेगे तो

[श्री चन्द्र शेखर]

देश के सम्मान, देश की एकता, देश की प्रतिभा सब समाप्त हो जाएगी। भारत को अपने आत्मविश्वास पर, अपने लोगों के पुरुषार्थ पर विश्वास है मुझे विश्वास है कि अगर कोई हमसे गलत बात कहकर धोखा देने की कोशिश करेगा तो उसकी वजह से न हमारे सेनाओं की शक्ति कम हो जाएगी, न सेना पर, सुरक्षा की व्यवस्था पर कोई कमी आने वाली है।

लेकिन एक बात हमको याद रखनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में तनाव का माहौल बनाया जाता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है लेकिन इतिहास की वास्तविकता है कि वह तनाव हमारे देश के गांवों तक पहुंच जाता है और इस बात को हमें समझना चाहिए। हम चाहते हैं कि यह तनाव का माहौल खत्म हो और इसीलिए हम यह चाहते है कि पाकिस्तान के साथ भी तनाव में कमी आए। कुछ लोगों के दिल में बहुत दर्द है कि नवाज शरीफ ने हमसे फोन में बात क्यों कर ली। कोई ऐसी बात तो है नहीं जिससे दर्द पैदा होना चाहिए। उसमें कोई ऐसे मोहब्बत के अफसाने तो गाए नहीं जाते हैं जिसमें कोई किसी को नाराजगी हो। कोई इसमें एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता भी नहीं होनी चाहिए लेकिन इतना जरूर बता दूं कि अगर पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री हम से यह कहते हैं कि हम दोस्ती चाहते हैं तो मैं सदन से यह जानना चाहता हूं कि क्या मैं यह कहूं कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मैं तनाव का रिश्ता चाहता हूं। अगर पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री एक कदम दोस्ती बढ़ायेंगे तो हिन्दुस्तान का प्रधान मन्त्री होने के नाते मैं पांच कदम आगे बढ़ाऊंगा और एक बुनियादी माहौल पैदा करूंगा कि हम दोस्ती चाहते हैं।

हिन्दुस्तान बड़ा देश है। हिन्दुस्तान के अपने इलाके के लिए जिम्मेदारियां हैं। यह सवाल कुछ लोगों के जजबातों का नहीं है। सारी दुनिया की क्षेत्रीय शक्तियां एक हो रही हैं और हिन्दुस्तान के आसपास जो छोटे-छोटे देश हैं जो हमारे ही साथ कभी रहे थे उनसे मिलकर हम एक नई शक्ति का उदय करना चाहते हैं।

शिखर सम्मेलन केवल प्रस्तावों के लिए नहीं था। सार्क सम्मेलन इस क्षेत्र में एशिया को एक नई शक्ति पैदा करने का विनम्र प्रयास था। मैं यह नहीं कहता कि इससे बड़ी बात होने वाली है लेकिन कोशिश करनी होगी उसी दृष्टिकोण से हमें कश्मीर के मामले समझना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि कश्मीर का सवाल यह नहीं है कि कितना क्षेत्र हमारे बीच में आये, यह सिद्धांतों का सवाल है, आदर्शों का सवाल है। जिन आदर्शों के लिए इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। धर्मनिरपेक्षता की बात कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह हमारी एक जीवन विधि है। किस तरह से देश को व समाज को चलाना है यह हमने तय किया है।

मैं अपने साथी श्री भार्गव जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वहां 370 रहे या न रहे यह कभी विवाद हो सकता है, लेकिन याद रखें कि यह किसी के पुष्टिकरण का परिणाम नहीं है। एक खास परिस्थितियों में कश्मीर के लोग हमारे साथ आये। यह भी याद रखें कि कश्मीर के लोग पहली बार जब आये तो बहुमत तो वहां मुसलमानों का था और पाकिस्तान की सेनाएं हमारे अन्दर आ गई थीं लेकिन

स्वर्गीय शेख अबदुल्ला के नेतृत्व में वहां के लोगों ने हिन्दुस्तान में रहना स्वीकार किया क्योंकि उनको भरोसा था महात्मा गांधी के ऊपर उनको भरोसा था पंडित जवाहरलाल नेहरूजी के ऊपर, उनको भरोसा था अबुल कलाम आजाद के ऊपर। इन लोगों ने उस समय कश्मीर के लोगों से वायदा किया था और उस वायदे को संविधान सभा ने 370 के रूप में स्वीकार किया था। एक हक और एक हमारा संकल्प है जो कश्मीर के लोगों के साथ किया है और बहुत छोटे दायरे में कश्मीरियों के साथ विशेष पक्षपात किया जा रहा है। अगर इस तरह से सोचेंगे तो न केवल अपने इतिहास को भुलाएंगे बल्कि अपने भविष्य के लिए भी एक अविश्वसनियता का वातावरण पैदा करेंगे। यही स्थिति हमारी है। इसको हमें समझना पड़ेगा।

हमारे मित्र सोज साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं। मैं मानता हूं कि फौज जहां काम करती है और सुरक्षा बल जहां काम करते हैं तनाव में ही काम करते हैं और कभी-कभी ज्यादती हो जाती है लेकिन यह माहौल बनाने की कोशिश की जाए कि कश्मीर में सुरक्षा बल के लोगों या हमारे फौज के लोगों ने केवल आगजनी की, केवल लूट किया, केवल रेप किया। मैं पूरे सदन से यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय सदस्यों ने कभी सोचा है 1947-48 में फौज वहां गई थी तब से लगातार वहां फौज बैठी हुई है। उस फौज को किसी ने नहीं कहा कि फौज ज्यादती कर रही है, किसी ने नहीं कहा कि लूट कर रही है। जब आन्दोलन देश के अलगाव के लिए चल रहा है जब दूसरे लोग इनसर्जेंसी कर रहे हैं तब यह आरोप इस फौज के ऊपर लग रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस मामले को जानता हूं और उसकी देखरेख करता हूं। 2-3 जगहों पर ज्यादती हुई है। क्या यह सही नहीं है कि हमारी फौज के अधिकारियों ने उनके खिलाफ मुकदमें चलाये, उनका कोर्ट मार्शल किया गया? गलतियां हुई होंगी, मैं नहीं कहता कि गलती नहीं हुई लेकिन यह कहना कि फौज निकम्मी हो गई है, सुरक्षा बल निकम्मे हो गए हैं, सारे अत्याचारी हो गए हैं, गलत है। मैं मौत के खिलाफ हूं—चाहे वह मौत बन्दूक से सिपाही की हो चाहे मौत आतंकवादी की हो लेकिन मैं इस बारे में इस सदन से एक निर्देश चाहूंगा। अगर मान लिया जाए कि किसी जंगल से, किसी घर से सुरक्षा बलों के ऊपर हथियार चलाए जाते हैं, बम चलाये जाते हैं तो क्या उनसे यह कहूं कि यह तय करो कि वहां कौन बैठा है, उसके बाद गोली चलाओ। वह गोली चलाता है, उस घर में कोई निर्दोष भी उस गोली से मारा जाता है तो हमें इसका दुख है लेकिन निर्दोष को मारने के लिए फौज की गोली चले तो वह हमारे लिए लज्जा की बात है, यह भारतीय फौज के लिए सबसे बड़ी लज्जा की बात है। लेकिन यह माहौल आप न बनाएं।

जहां तक विकास की बात है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे मित्र धर्मपाल जी ने कई योजनाओं की बात की। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, अब योजना क्यों नहीं पिछले समय स्वीकृत हुई, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं लेकिन जितने इलाके हैं, जहां पर लोग गरीबी में हैं, लोग पिछड़ेपन में हैं, हमने यह फैसला किया है कि इन सारी योजनाओं को तुरन्त स्वीकृत करने की हम कोशिश करेंगे।

[श्री चन्द्र शेखर]

हम जानते हैं कि आपकी परिस्थितियां खराब हैं, अब उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, हमको कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमको जन्नत दी गई थी, हमने दो महीनों में उसको जहन्नुम बना दिया, मैं उन लोगों को जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि, यह सवाल व्यक्तियों पर आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है, यह सवाल देश के गौरव का है और देश के गौरव की रक्षा के लिए मैं यह नहीं चाहता कि हम दुनिया के सामने कहें कि हमारा खजाना खाली है और हमारे पास कुछ भी नहीं है जो लोग स्वर्ग बना रहे थे, उन लोगों ने देश को कहां पहुंचाया है, उसकी जानकारी थोड़ा उनको भी होगी। जो लोग इधर से भाषण कर रहे हैं, उनको भी है। मैं आज फिर कहता हूं कि मजबूर मत करो हमको कि हम उनके किए हुए को देश के सामने और दुनिया के सामने रखने के लिए विवश हो जाएं। हम इस बात को नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते कि उससे हमारी इज्जत गिरती है, हमारे राष्ट्र की इज्जत गिरती है। हमारे मित्र पुजारी जी यहां से चले गये, वह कह रहे थे, बार-बार संकेत कर रहे थे, आप कितना कहोगे तो भी हम इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे, हम इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे।

जब हुकूमत हाथ में आती है तो अच्छाइयां, बुराइयां दोनों के साथ आती हैं। आज हो मैं यह नहीं कह रहा हूं, जब पहली सरकार बनी थी, उस समय मैं भी उसका एक थोड़ा सा हिस्सेदार तो था, जो दूसरे बनाने वाले हैं, उनका उसमें ज्यादा हिस्सा रहा होगा लेकिन एक अदना सिपाही उस जनता दल का मैं भी था। उस समय भी उपाध्यक्ष जी, मैंने कहा था कि सरकार जब आती है तो सारी अच्छाइयों और बुराइयों की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, हम यह नहीं कहते कि मीठा-मीठा गप-गप और कड़ुवा-कड़ुवा थू-थू। हुकूमत गिर गई, गद्दी पर हम बैठे, हुकूमत के सामने कमजोरियां हैं उनके लिए दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालना, यह मैंने सीखा नहीं। जो हुकूमत करने वाले अतीत पर रोते हैं, वह कभी भविष्य नहीं बना सकते और यही बात है, जो आपके समझने की है इसलिए मैं आलोचना नहीं करता हूं।

हमारे मित्र, जो बीकानेर से सदस्य हैं, वह बार-बार हमसे पूछते हैं, कोई मजबूरी नहीं, कोई डर से नहीं करते लेकिन मैं सिद्धान्ततः जानता हूं, यह बात गलत है और इसीलिए हम उन सवालों में नहीं जाना चाहते। विकास होगा, कठिनाइयों के बावजूद भी, क्योंकि हमारे पास सामर्थ्य हमारी जन-शक्ति का है, हमारे किसानों, मजदूरों की बाहों की ताकत का है और इसीलिए हम अपने मित्र धर्मपाल जी को, उपाध्यक्ष जी, आपके जरिये विश्वास दिलाते हैं कि हम कोशिश करेंगे और चाहे दूसरी जगहों पर थोड़ी कटौती करनी पड़े, चाहे वह लद्दाख का इलाका हो, चाहे जम्मू का इलाका हो, चाहे देहली का इलाका हो, चाहे वह आसाम की घाटी हो, हमारे मित्र संतोष मोहन देव जी, इन इलाकों की बहबूदी के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। अभी जिस मन्त्री जी ने यहां पर है वहां मौका है, दर्द है, उस दर्द को मिटाने के लिए कहीं न कहीं धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

हमारे तोषा साहब हैं, वे एक मिनट में उत्साह में आ जाते हैं। जब कर्मचारियों की हड़ताल वापस हुई तो उससे वह बड़े प्रसन्न हो गए। हड़ताल वापस होने के बाद उनके मन की कोई बात नहीं

हुई तो वह नाराज हो गये। इतनी जल्दी नाराजगी, क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा वाली बात से काम नहीं चलेगा, एक क्षण में खुश हो जाना, एक क्षण में नाराज हो जाना, हम आपको यकीन दिलाते हैं, लोक सभा, उपाध्यक्ष जी, आपके जरिए कि हमारी वही मंशा है, जो मंशा मैंने सारे देश के बारे में कही है, बन्दूक की गोली से नहीं, प्यार की बोली से हम देश को बनाना चाहते हैं और हम उसकी कोशिश करेंगे लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गोली के सहारे कोई हमको दबाना चाहेगा तो उसका जवाब न देने के लिए भी हम मजबूर हैं, चाहे वह कोई देश के अन्दर करे, चाहे देश की सीमाओं के बाहर से करे लेकिन व्यर्थ का अनर्गल प्रचार करने से कोई शौर्य का प्रदर्शन नहीं होता। हमें तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आती है :

"सूर समर करनी करहिं, कहीं न जनावहिं आप,
विद्यमान रण पाय के, कायर करहिं प्रलाप।"

बहादुर जो होता है, वह लड़ाई आ जाती है तब अपनी ताकत दिखाता है।

11.00 म० प०

जो कायर लोग होते हैं, वे अनर्गल प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इसी से हमारी बहादुरी का प्रचार हो रहा है। कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन लोगों से कहा जाए कि बहादुरी का प्रचार थोड़ा कम करो, तो शायद शक्ति का ज्यादा अनुभव आपको होगा। काश्मीर का मामला हो, पंजाब का मामला हो या आतंकवादियों का सवाल हो, हर सवाल पर हमारा संयम हमारा धीरज निर्बलता के रूप में न देखा जाए। हम संयम और धीरज, आपसी समझ के आधार पर समस्याओं का समाधान चाहते हैं।

काश्मीर के बारे बहुत-सी बातें कही गईं। कहा गया कि बर्फ पिघलेगी तो फिर आ जायेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बर्फ पिघलेगी और उस वक्त तक कश्मीर की समस्या भी पिघल जाएगी। किसी मित्र ने कहा कि हमको मौसम मदद कर रहा है, मौसम मदद नहीं कर रहा है अगर बड़ी संख्या में आतंकवादी आत्म-समर्पण कर रहे हैं अगर 1200 से अधिक एक राइफलें कश्मीर में पकड़ी गई हैं, तो मौसम से तो वे राइफलें हमारे पास नहीं आई हैं। जो आतंकवादी हैं वे खुद करके अपने आप हमसे साथ मौसम की ठंडी हवाओं की वजह से नहीं आए हैं, आत्म-समर्पण करने के लिए। मैं सीधी बात कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष जी, कोई सदस्य अगर मदद करता है, कोई भी चाहे जेल के अन्दर हो या जेल के बाहर हो, अगर वह देश की विशेष धारा में आना चाहता है, अगर देश के साथ सहयोग करना चाहता है, हम हर व्यक्ति का स्वागत करेंगे। मैं जानता हूं कि इसकी आलोचना होगी, अखबारों में टिप्पणियां लिखी जायेंगी और संसद में तरह-तरह के प्रचार किए जायेंगे। मैं एक बात, उपाध्यक्ष जी, बहुत विनम्रता के साथ बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कहना हूं कि समझौते की राह पर मैं अन्तिम दिन तक चलूंगा।

इससे मुझे कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती है। लेकिन समझौता न करने वालों

को मैं यह बात बताने के लिए भी कृतसंकल्प हूं कि देश की अदृश्य शक्ति आज भी अक्षुण्ण है जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। अगर इसको कोई मिटाने की कोशिश करेगा, अगर इसकी एकता और अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो देश के करोड़ों लोगों के मनसूबे और संकल्प के सहारे हम उसका मुकाबला करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हमको कोई अप्रिय निर्णय करना पड़े। हमें विश्वास है कि अप्रिय निर्णय नहीं लेना पड़ेगा और लोग समझौते की राह पर आयेंगे, चाहे वह कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो और चाहे कोई दूसरा इलाका हो। धमकी हम नहीं देते हैं। मैं सुन रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, असम के ऊपर किसी ने बोलते हुए कहा कि मैंने फिर धमकी दे दी, तमिलनाडु में और असम में। हम कहीं धमकी नहीं देते हैं। हम बहुत विनम्रता से निवेदन करते हैं।

उपाध्यक्ष जी, आपके जरिए कश्मीर के सवाल पर मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आप भी अगर समझें हम सब मिल कर एक नए भविष्य की ओर आगे बढ़े, एकता की ओर बढ़ें, अखंडता की ओर बढ़ें और भारत के सारे लोगों को मिलाकर नए सिरे से एक नया मनसूबा बनाने के लिए, एक नया माहौल बनाने के लिए, मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। आपने जो सहयोग और समर्थन दिया है, उस सहयोग और समर्थन का प्रयोग सारे देश में एक नया माहौल बनाने के लिए सरकार करेगी। कोई अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि देश की शक्ति बढ़ाने के लिए इस सारे सहयोग का उपयोग किया जाएगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, शरणार्थियों के बारे में और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में यदि प्रधान मन्त्री जी कुछ कहें तो कृपा होगी।

श्री चन्द्र शेखर : उपाध्यक्ष जी शरणार्थियों के बारे में हमें कुछ सुझाव मिले हैं और उन सुझावों में कुछ सुझाव मदन लाल खुराना जी ने दिए थे। उनके बाद श्री केदार नाथ साहनी, जो बी० जे० पी० के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। अन्य मित्रों ने भी सुझाव दिए हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं जितना सहयोग दिया गया है, जितनी सहायता दी गई है कश्मीर के शरणार्थियों के लिए, भारत के इतिहास में इतनी अधिक सहायता कभी नहीं दी गई है। कम से कम हम समझते हैं कि दुगनी-तिगुनी सहायता दी जा रही है कठिनाइयों के बावजूद, लेकिन उनकी कठिनाई वास्तविक है। अधिकतर शरणार्थी जो कश्मीर से आए हैं वे अच्छे परिवारों के लोग आए हैं और वे अच्छी जिन्दगी के आदमी हैं। हम कितना भी सहयोग करें, उनके लिए मुश्किल हो रहा है, वहां की जिन्दगी को निभाना। हम उनकी कठिनाइयों को समझते हैं। मैं भार्गव जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि और कोई भी सुझाव हों, हम उन पूरे सुझावों पर कोशिश करेंगे।

जहां तक यह मांग की गई कि उनको फिर से बसाने की व्यवस्था की जाए, हम समझते हैं कि हमें थोड़े दिन और इन्तजार करनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि वे जल्दी ही समय के साथ अपने घरों को वापिस जायेंगे। जैसा माननीय सोज जी ने कहा है कि उस दिशा में प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन दैनिक आवश्यकताओं के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए और दूसरी सुविधाओं के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर और कोई कमी है तो हम आपको विश्वास

दिखाते हैं कि उसकी ओर सरकार पूरा ध्यान देगी और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, चाहे वह कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, कहीं पर भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्र का अपमान है और जो लोग इसके अपराधी पाये जाएंगे, उनको सरकार पूरी तरह से दण्ड देगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव क्या आप अपने सांविधिक संकल्प को वापस लेना चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय प्रधान मन्त्री जी के इस वक्तव्य से मैं पूर्णतया सन्तुष्ट हूं मैं इसको वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री गिरधारी लाल भार्गव को अपना सांविधिक संकल्प वापस लेने के के लिए सभा की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

सांविधिक संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विचार करने का प्रस्ताव सभा के समक्ष रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि जम्मू-कश्मीर दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1983 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेंगे।

खण्ड 2 तथा 3 का कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1990-91 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (जम्मू-कश्मीर) पर प्रस्तुत किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को एक सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 10, 11, 14 और 15 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री गिरधारी लाल भार्गव को अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 10, 11, 14 और 15 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

कटौती प्रस्ताव संख्या 10, 11, 14 और 15, सभा की अनुमति से,

वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1990-91 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर) को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां जम्मू कश्मीर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।

मांग संख्या 1 से 7 तथा 9 से 27।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11.04 म० प०

जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विनियोग विधेयक को लेंगे। अब मंत्री महोदय विनियोग विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे।

---

* दिनांक 10-2-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 2 में प्रकाशित।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अब यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार जाये।"

श्री धर्मपाल शर्मा।

[हिन्दी]

श्री धर्म पाल शर्मा (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग काफी देर से मांग करते रहे थे, क्योंकि जम्मू-कश्मीर और असम, दो रियासतों से बेइंसाफी होती थी, क्योंकि हमारे साथ हिमाचल प्रदेश स्टेट है, वहां 90 फीसदी ग्रांट और 10 परसेंट लोन मिलता था, लेकिन हमें 30 परसेंट ग्रांट और 70 परसेंट लोन मिलता था। नतीजा यह होता था कि अभी 90-91 में 262 करोड़ रुपया सूद का देना था। सूद हमसे हमेशा लिया जाता रहा। खुशी यह है कि सरकार ने अब इस सिद्धान्त को माना है और 90 परसेंट ग्रांट और 10 परसेन्ट लोन को स्वीकार किया है। यह तो हो गया, लेकिन जो हमने सूद दिया है और पिछला जो लोन है, उसको राइट-आफ किया जाए। क्योंकि जम्मू-कश्मीर में मखसूस हालात हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माइग्रेंट्स की हालत बहुत खराब है। यह ठीक है कि उनको मदद दी गई है, जम्मू में मकान बन रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हालात और सुधारने की

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

आवश्यकता है। अब तक उन पर 40 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, यह स्टेट गवर्नमेंट के फण्ड से हुआ है। इसमें 10 करोड़ रुपए नकद दिए गए, 8 करोड़ का फ्री राशन बांटा गया और बाकी टैंट, बिजली, पानी आदि इम्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया। यह सारा खर्च स्टेट बरदाश्त नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा-आर्डनरी हालात हैं और यह पूरी कौम का फर्ज है, जब तक ये माइग्रेंट्स हैं, तब तक मेरा कहना यह है कि पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। यह सारा खर्चे का बोझ रियासत नहीं उठा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं दो बातों पर मुझको कहना था और मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी इन बातों को ध्यान में रखें।

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि जम्मू-कश्मीर को भी वही सुविधा दी जा रही है, यहां भी 90 परसेंट ग्रांट और 10 परसेंट लोन कर दिया गया है। जहां तक मदद देने का सवाल है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि सारे फिगर्स मेरे पास हैं। सारा जितना प्लान है, उसके अलावा भी बहुत सारी राशि जहां जहां भी जरूरत होती है, वहां वहां स्टेट को उपलब्ध कराई गई है। जैसा अभी प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि वहां पर जितनी विशेष स्कीमें हैं, उनके अलावा जितना वित्तीय भार विशेषकर जम्मू-कश्मीर पर पड़ा है, उसके लिए विशेष व्यवस्था करने की बात भारत सरकार ने तय की है और आने वाले दिनों में इसको करेंगे। इस जिम्मेदारी से हम अपने को नहीं कर हैं, इस जिम्मेदारी को हम उठाएंगे और देखेंगे कि किसी भी प्रकार जम्मू-कश्मीर के विकास में कोई अवरोध पैदा न हो।

श्री बासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, साथ-साथ लद्दाख का भी ध्यान रखा जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा : ठीक है, रखेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी। इसमें कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में [illegible] दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11.09 अ० प०

संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में और संशोधन करने पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-[illegible] खंड 2 में एक सरकारी संशोधन है। श्री सत्य प्रकाश मालवीय।

खंड 2—धारा 8 में संशोधन

[हिन्दी]

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 2 तथा 3,—

"उसकी सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए किसी सवारी की सुविधा" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"सुरक्षा के प्रयोजनों के लिये [illegible] ड्राइवर सहित सवारी की सुविधा" (3)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नरसिंह राव दीक्षित । क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री नरसिंह राव दीक्षित (भिण्ड) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 2,—

"उसकी सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए सरकारी की सुविधा" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए ड्राइवर सहित सवारी की सुविधा" (4)

महोदय, वस्तुतः मेरा संशोधन सरकार की ओर से प्रस्तुत संशोधन में एक संशोधन है और यह एक बहुत ही सामान्य संशोधन है। 'या अन्यथा' शब्दों का लोप किया जाना चाहिए क्योंकि उनसे पूरी बात अर्थहीन हो जाती है। 'अन्यथा' शब्द से तात्पर्य यह है कि आप विपक्षी नेताकी असुरक्षा के लिए भी प्रावधान कर रहे हैं···(व्यवधान) मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक का प्रारूप बहुत ही लापरवाही से तैयार किया गया है। 'अन्यथा' शब्द का अंग्रेजी भाषा में क्रिया विशेषण के रूप प्रयोग करने के अलावा कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है और इसका तात्पर्य विपक्षी नेता की भी असुरक्षा होगी जिसके लिए आप इसका प्रावधान करने जा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह 'या अन्यथा' शब्दों का लोप करें··· (व्यवधान) [हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

[हिन्दी]

"पृष्ठ 2, पंक्ति 2 तथा 3,—

"उसकी सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए किसी अवधि में सवारी की सुविधा" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"सुरक्षा के प्रयोजनों के लिये या अन्यथा किसी अवधि में ड्राइवर सहित सवारी की सुविधा"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 3,—

"उसकी सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए सवारी की सुविधा" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए ड्राइवर सहित सवारी की सुविधा" (4)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2, संशोधन रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 3 और खंड 4 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 और 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 1 में सरकार द्वारा संशोधन किये जाने हैं।

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1990" के स्थान पर "1991" प्रतिस्थापित किया जाये। (1)

पृष्ठ 1—

पंक्ति 5 और 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये।

"यह 1 अक्तूबर, 1990 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।" (2)

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं सभी सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

11.25 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 11 जनवरी, 1991/21 पौष, 1912 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सनसाइड प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग।